चतुर्दश माला, खंड 34, अंक 22

बुधवार, 23 अप्रैल, 2008
3 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. 25
Block
Acc. No. 34-22
Dated 3 June 2009

(खंड 34 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 34, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 22, बुधवार, 23 अप्रैल, 2008/3 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421, 423 से 426 और 428	1–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 422, 427 और 429 से 440	38–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 4180 से 4337	65–335
सभा पटल पर रखे गए पत्र	336–339
राज्य सभा से संदेश	340
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
36वां प्रतिवेदन	340
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
30वां और 31वां प्रतिवेदन	340–341
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
19वां और 20वां प्रतिवेदन	341
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	342
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
208वां प्रतिवेदन	342
समिति के लिए निर्वाचन	342–359
(एक) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	342–343
(दो) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	343–359
नियम 377 के अधीन मामले	360–364
(एक) देश में मधुमेह रोग पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री एन.सी.वी. चित्तन	360

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) जिन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय हैं, उन केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत कोटे की सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	360
(तीन) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को उचित रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	361
(चार) बीएसएनएल, केरल में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	362
(पांच) उड़ीसा के सम्बलपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्न आचार्य	363
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009	364
ग्रामीण विकास मंत्रालय	364-
श्री काशीराम राणा	365-373
श्रीमती प्रतिभा सिंह	373-379
श्री एस.के. खारवेनथन	379-382
श्री जे.एम. आरून रशीद	382-386
श्री हन्नान मोल्लाह	386-392
श्री हरिकेवल प्रसाद	392-396
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	396-397
श्री राम कृपाल यादव	397-407
श्रीमती के. रानी	407-408
श्रीमती रंजीत रंजन	408-414
श्री के.सी. पल्लानी शामी	414-416
श्री मो. ताहिर	416-418
श्री अविनाश राय खन्ना	418-420
श्री ब्रह्मानंद पंडा	420-424
श्री चन्द्रकांत खैरे	424-431
श्री प्रभुनाथ सिंह	431-440

विषय कॉलम

श्री प्रबोध पाण्डा 440–444

श्री सुभाष महरिया 444–448

श्री जय प्रकाश (हिसार) 448–452

श्री संजय धोत्रे 452–454

श्री ई. पोन्नुस्वामी 454–459

श्री लक्ष्मण सिंह 459–463

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी 463–466

श्री अबु अयीश मंडल 466–467

श्री इलियास आजमी 467–469

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 469–473

श्री निहाल चन्द 473–477

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 478–481

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 482–486

श्री चन्द्रभूषण सिंह 486–488

श्री सीताराम सिंह 489–491

प्रो. एम. रामदास 491–494

प्रो. महादेवराव शिवनकर 494–498

श्री ए.वी. वेल्लारमिन 498–499

श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन 499–500

श्री के.वी. तंगबालु 501–505

श्रीमती करुणा शुक्ला 505–510

श्री विजय बहुगुणा 510–511

श्री मुन्शी राम 511–513

श्री बापू हरी चौरे 513–515

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 515–516

श्रीमती सी.एस. सुजाता 516–517

श्री सुनील खां 517–519

विषय		कॉलम
	श्री प्रसन्न आचार्य	510–521
	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	521–
	श्री महावीर भगोरा	524–525
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	525–525
	श्री रामदास आठवले	525–526
	श्री गणेश सिंह	526–530
	डा. राम लखन सिंह	530–531
	श्री विक्रम केशरी देव	531–533
	डा. वल्लभभाई कथीरिया	534–535
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	535–566
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	567
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	568–572
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	573–574
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	573–574

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 23 अप्रैल, 2008/3 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 421, श्री रनेन बर्मन—उपस्थित नहीं। हम अनुपस्थिति के साथ शुरुआत कर रहे हैं। श्री बालासोवरी वल्लभनेनी।

कोयले की कमी

*421. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:***
श्री रनेन बर्मन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश में कोयले की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोयले का आयात किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके स्रोत क्या होंगे और देश में यह प्रति मीट्रिक टन कितनी अनुमानित लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ङ) कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष बागड़ोदिया): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) देश में कोयले की मांग के अधिकांश भाग की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से की जाती है। तथापि, चूंकि कोकिंग कोयले और निम्न राख वाले नान-कोकिंग कोयले की उपलब्धता सीमित है, अत: विभिन्न उपभोक्ता, कोयले का आयात अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं। वर्ष 2006-07 (जिसके लिए आयात के अंतिम आंकड़े उपलब्ध है) के दौरान 430.83 मिलियन टन स्वदेशी कोयला उत्पादन की तुलना में कोयले का आयात 43.08 मिलियन टन (कोकिंग कोयला 17.88 मि.ट. और नान कोकिंग कोयला 25.20 मिलियन टन) था। वर्ष 2007-08 के दौरान, स्वदेशी उत्पादन बढ़ कर 456.37 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया। वर्ष 2007-08 के दौरान, आयात लगभग 50 मिलियन टन होने की संभावना है। 11वीं योजना (2011-12) के अंतिम वर्ष हेतु कोयला संबंधी कार्यदल द्वारा दिए अनुमानों के अनुसार स्वदेशी कोयला उत्पादन में 731 मिलियन टन की अनुमानित मांग की तुलना में 680 मिलियन टन की वृद्धि होने की संभावना है। 51 मिलियन टन के अंतर को आयात से पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार कोयले का आयात नहीं करती है। चूंकि कोयला खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत है, इसलिए उपभोक्ता कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान में, नान-कोकिंग कोयले का आयात अधिकांशत: इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि से तथा कोकिंग कोयले का आयात मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया से किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कोयला रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार, स्टीम कोयला (नान कोकिंग कोयला) हेतु एशियन मार्कर प्राइस (बीमा और भाड़ा सहित) मार्च 2008 में लगभग 160 यूएस डालर प्रति टन थी।

(ङ) कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) कोयला वितरण को सुचारू बनाने के लिए एक विस्तृत नई कोयला वितरण नीति लागू की गई है।

(2) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कई कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं।

(3) विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कोयला आपूर्ति को सचिव (समन्वय), मंत्रिमण्डल सचिवालय की अध्यक्षता वाली अवसंरचना बाधा समीक्षा समिति द्वारा मानीटर किया जाता है।

(4) कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) उच्च क्षमता वाले शावेल तथा डम्पर लगाकर, भूमिगत कोयला खानों का यंत्रीकरण करके और नई कोयला परियोजनाएं आरंभ करके कोयले के उत्पादन में वृद्धि कर रही हैं।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, सरकार द्वारा कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले के रक्षित खनन को प्रोत्साहित किया जाना उचित ही है। मुझे लगता है कि रक्षित और वाणिज्यिक खनन के लिए बड़ी संख्या में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को अब तक करीब 182 कोयला ब्लाकों की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान करीब 17 ब्लाकों से केवल 25 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वर्ष 2011-12 में इन 182 ब्लाकों से 104 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय मांग और आपूर्ति में अंतर के संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को यह सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 2003 तक केवल 40 ब्लाक ही आवंटित किए गए थे और शेष ब्लाकों को वास्तव में वर्ष 2004, 2005 और 2006 में आवंटित किया गया है। अधिकांश ब्लाक ओपेन कास्ट और भूमिगत हैं, और उन्हें उत्पादन शुरू करने में 3-4 वर्ष लग जाता है। वस्तुत:, यह सात ब्लाक नहीं हैं जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है। यह वास्तव में 13 ब्लाक हैं जो चालू हैं और उनका कुल उत्पादन 23 मिलियन टन है वर्ष 2009-10 तक, 17 ब्लाक चालू हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि अगले पंचवर्षीय योजना के अंत तक 104 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई समस्या होनी चाहिए।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, हमारे यहां देश में करीब 253 बिलियन टन कोयला भंडार है जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। ये भंडार 600 मीटर की गहराई और उसके बाद तक उपलब्ध हैं। लेकिन हमारा कोयला खनन इस समय करीब 150 मीटर तक ही सीमित है और कुछ मामलों में 200-300 मीटर तक सीमित है। मांग-आपूर्ति में बढ़ते अंतर को ध्यान में रखते हुए तथा उपलब्ध कोयला भंडार के समुचित उपयोग के हित में, हमें अपने खनन के तरीकों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय इस मुद्दे पर कोई कदम उठाने जा रही है?

श्री संतोष बागड़ोदिया: भारत में अधिकतम गहरी खुली कोयला खान 216 मीटर की गहराई पर चल रही है। 300 मीटर की गहराई तक खनन करने की योजना है। खुली खान की औसत गहराई करीब 100-150 मीटर है। आने वाले वर्षों में जहां भी कोयले की परत मौजूद है उन खानों की गहराई 300 से 400 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। स्पष्ट है कि जब हम कोयले का खनन करते हैं, तो हम कोयले को नीचे से नहीं निकाल सकते हैं। यह ऊपरी परत से निकाला जाता है और धीरे-धीरे हम नीचे की ओर जाते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया चलती है। इसलिए, करीब दो दशकों में हम 300-400 मीटर तक भी जा सकते हैं। वस्तुत:, हमारे यहां जो खानें हैं वे भूमिगत हैं और 750 मीटर नीचे तक परिचालित की जा रही है। इसलिए, हमारे पास प्रौद्योगिकी है। हम किसी भी गहराई तक जा सकते हैं। यह आवश्यकता का प्रश्न है। जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा किया जाएगा।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि ''कोयला वितरण को सुचारू बनाने के लिए नई कोयला वितरण नीति लागू की गई है।'' लेकिन रेल भाड़े के संबंध में, हमने पाया है कि गुजरात ईस्टर्न कोलफील्ड्स से विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला प्राप्त कर रहा है।

ऐसे पर्याप्त अवसर हैं कि हम वेस्टर्न कोलफील्ड्स से कोयला प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय: उसका इससे कुछ लेना-देना नहीं है।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय: केवल इस कारण कि गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है, क्या यह प्रासंगिक हो गया है? ठीक है, देखते हैं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसकी अनुमति कब देगी। विद्युत की लागत कम हो जाएगी। यह प्रासंगिक प्रश्न है। गुजरात सरकार वेस्टर्न कोलफील्ड्स से कोयला मांग रही है ताकि विद्युत उत्पादन लागत कम हो। केन्द्र सरकार वेस्टर्न कोलफील्ड्स से कोयला आपूर्ति के लिए गुजरात के इस अनुरोध पर कब तक विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, नियमित सम्पर्क आवश्यक है। देश में कोयला उत्पादन विभिन्न स्थानों से आ रहा है। जहां

भी कोयला उपलब्ध है, विभिन्न राज्यों को शीघ्र आपूर्ति करने के लिए हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि दूरी कम-से-कम हो। लेकिन इसके बावजूद, यदि कोयला उपलब्ध नहीं है तो मांग के हित में जहां कोयला उपलब्ध है, हमें वहां से कोयला आवंटित करना पड़ता है।

श्री सुनील खां: महोदय, कोयले के आयात को रोकने के लिए क्या सरकार पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में बर्जोरा पंचायत समिति क्षेत्र के बर्जोरा, घुटगुड़िया, मलियारा मोरजा क्षेत्रों में कोयला खनन के लिए धनराशि निवेश करने को तैयार है जहां जीएसआई के रिपोर्ट के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला भंडार मौजूद है और उसी जिले में सल्तोरा क्षेत्र के पी.एस. में भी यह पाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह संभव नहीं है।

श्री सुनील खां: साल्तोरा क्षेत्र में माफिया अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्थानीय सहकारी समितियों को अनुमति देने को तैयार है ताकि चीन की तरह खनन किया जा सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। यहां अथवा वहां, क्या आप किसी विशेष खनन के बारे में पूछ सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको माफिया को नियंत्रित करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, ये ब्लाक अधिकांशत: निजी पक्षों को आवंटित किए गए हैं। हमें किसी पक्ष से कोई आपत्ति नहीं है, यहां तक कि किसी सहकारी समिति से भी नहीं, यदि वे नीति के मानदंडों के अंतर्गत आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सहकारी समितियों पर भी विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 422—श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 423—श्री भर्तृहरि महताब।

सड़क दुर्घटनाएं

*423. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हताहत होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के अनेक कारण हैं जैसे चालक की गलती, वाहन में यांत्रिक दोष, पैदल यात्रियों की गलती, खराब सड़क, खराब मौसम आदि।

वर्ष 2005 में भारत में उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं से हुई मौतों की कुल संख्या चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक थी। वर्ष 2005 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में 94,968 मौतों की तुलना में चीन से 98,738 मौतों की सूचना है। तथापि, वर्ष 2005 में भारत में प्रति एक लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना मौतों की संख्या 8.6 थी जबकि दुनिया के कुछ अन्य देशों में यह संख्या 1.82 से 144.98 के बीच रही।

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। तथापि, इस विभाग ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(3) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

(5) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा देश में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(6) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा दृश्य-श्रव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरुकता प्रचार अभियान।

(7) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(8) वाहनों के सुरक्षा मानक कठोर बनाना।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था करना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. के अंतराल पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(10) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेन का बनाना और सुधार करना आदि।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 732.75 करोड़ रु. की एक योजना स्कीम तैयार की है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों के किनारे अभिघात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने निर्मित और प्रचालित राजमार्गों के 50 कि.मी. के खंड पर इस स्कीम के खंड पर इस स्कीम के अंतर्गत एंबुलेंस सेवा में लगाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अभिनिर्धारित अस्पतालों तक विशेष एंबुलेंस सेवा प्रदान करेगा।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, क्या सरकार सुन्दर समिति रिपोर्ट से अवगत है? मैं माननीय मंत्री महोदय से सुन्दर समिति द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में जानना चाहता हूं। जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को फरवरी 2007 में सौंपी थी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इसे संसद में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया और क्या सरकार राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा बोर्ड गठित करने के लिए कदम उठा रही है तथा क्या यातायात के नियमों को तोड़ने और सड़क दुर्घटनाओं में मौत के जिम्मेदार व्यक्तियों को कठोर सजा के साथ-साथ कड़ा दण्ड देने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: केंद्र सरकार यह कैसे कह सकती है?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, सुन्दर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और समिति की रिपोर्ट पर मंत्रालय में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इस पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही यह सचिवों की समिति के पास भी भेजी गई है। सचिवों की समिति ने सलाह दी है कि इसे ईएफसी के पास भेजा जाए अत: अब यह ईएफसी के पास जायेगी और ईएफसी से यह केबिनेट के पास जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: ईएफसी क्या है?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह व्यय वित्त समिति है। केबिनेट की स्वीकृति के पश्चात बहुत जल्द इसे संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

सुन्दर समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्र में भारत सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन करती है। इसी तरह के बोर्ड राज्य सरकारों को भी गठित करने होते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यह सच है कि पिछले चार वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा के लिए मंत्रालय को आबंटित निधियों का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है, वह भी प्रत्येक वर्ष में 14 से 30 प्रतिशत ही रहा है? अगर निधियों के उपयोग न होने का कारण मानवीय चूक रहा है, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या यह सच है कि क्रेन और एम्बुलेंस की खरीद समय पर नहीं की गई जिन्हें संबंधित राज्यों को दिया जाना था?

अब स्थिति क्या है? क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि आगे से निधियों का पूरा-पूरा उपयोग किया जायेगा?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक सड़क सुरक्षा पर किए गए व्यय का संबंध है, दसवीं योजना में कुल व्यय 166.64 करोड़ रुपये था। ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित प्रावधान 448 करोड़ रुपये का है और जहां तक ग्यारहवीं योजना का संबंध है, वर्ष 2007-

2008 में 41 करोड़ रुपये का प्रावधान था और हम पहले ही 42.87 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। अभी तक व्यय की कोई कमी नहीं है।

जहां तक क्रेनों का संबंध है, हमने क्रेनें खरीदी और इनकी सुविधाएं विभिन्न राज्यों को दी हैं, इसके अलावा हम क्रेनों की खरीद और कुछ एनजीओ के अनुरोध पर उन्हें उनकी आपूर्ति करने पर भी विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव अनुपस्थित है, लेकिन कल उन्होंने मेरी अनुमति ले ली थी और मैं यही अपेक्षा करता हूं। किन्हीं कारणों से वे आज उपस्थित नहीं हैं, और उन्होंने सभापति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माफी मांगी है कि वे नहीं आ पायेंगे अत: उन्हें क्षमा किया जाए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में लिखा है कि देश में एक्सीडैंट रेशियो बहुत ज्यादा है। मैंने देखा है कि जगह-जगह एनएच का काम चल रहा है। मेरी स्टेट में एक ही सड़क जो ज्यादा चलती है, वहां काम हो रहा है और उस पर डेली चार-पांच-छ: आदमी मरते हैं। इसका कारण यह है कि इसके सात लगी पुरानी सड़क को बंद कर दिया है, जो पूरी तरह टूट गई है, जिसे बनाने की इनकी जिम्मेदारी है। तीन साल हो गए हैं, अभी तक नई सड़क बनी नहीं है, जिससे लोग रोज एक्सीडैंट से मरते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि एक्सीडेंट होने पर क्रेन पहुंच जाती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इम्मीजिएट क्रेन के साथ एम्बुलेंस भी पहुंचाने की जरूरत है और इसके साथ ही पहले वाली सड़क की मरम्मत करवाने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उसके लिए क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह तथ्य नहीं है कि निर्माण के दौरान या निर्माण के बाद हमारे पास कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। हम सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें एम्बुलैंस सहित, सड़क पर प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी पर वाहन रहते हैं, ताकि अगर दुर्घटना होती है तो व्यक्ति को पहले महत्वपूर्ण घंटे में उपचार सुविधा दी जा सके। व्यक्ति को सड़क के किनारे बने अस्पतालों में उपचार दिया जा सके, साथ ही समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रावधान किया है कि अगर दुर्घटना होती है तो व्यक्ति का ध्यान रखा जा सके। उस स्थिति में व्यक्ति विशेष को नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया जा सके और वह भी 50 कि.मी. के दायरे के अंदर।

इसके अलावा, भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से 7.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसे हाल ही में सीसीईए ने स्वीकृति दी है। जिला अस्पतालों, जो प्रत्येक 100-150 कि.मी. के दायरे में है; के उन्नयन का कार्यक्रम पहले ही चल रहा है तथा प्रत्येक 300 कि.मी. में चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन का कार्य पहले ही उनके पास है; साथ ही प्रत्येक 300 कि.मी. में चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन; और सुपर-स्पेशिलिटि अस्पताल और महाविद्यालय के उन्नयन का कार्य भी उनके पास है। इसके अतिरिक्त एनएचएआई ने विशेष कार्य योजना के तहत पहले ही 91 एम्बुलैंस प्रदान की है। स्कीम के अनुसार विशेष राज्यों में पहचान किए गए अस्पतालों को करीब 140 एम्बुलैंस दी जायेगी।

एनएचएआई को प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी पर एम्बुलैंस प्रदान करनी होगी और एनएचआई ने 91 एम्बुलैंस तथा 97 गश्ती (पैट्रोल) वाहन सड़कों पर लगा दिए हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: इन सब कामों पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी स्टेट की सड़क की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं जिस सड़क की बात कह रहा हूं, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मेरे क्वैश्चन का कोई उत्तर नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मंत्री जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों में होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जो उत्तर दिया है, उसमें स्वीकार किया है कि दुनिया में चीन के बाद नंबर दो पर हिन्दुस्तान आता है, जहां सर्वाधिक इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा के बारे में बताया है, मुझे लगता है कि देश में जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां व्यवस्था या

सुरक्षात्मक उपायों का अत्यंत अभाव है, एम्बुलेंस और क्रेन वगैरह कहीं नहीं है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एनएच 7 और एनएच 75, जो लगभग 150 किलोमीटर एरिया में है, वहां न तो कोई एम्बुलेंस है, और न सड़कों पर बनी पुलियों की जो टूटी दीवारें है, उन तक को ठीक किया गया है। एनएच 7 और एनएच 75 पर दो-तीन शहर आते हैं, जिसमें मेरा सतना शहर भी है, यहां बाईपास बनाने की बात कही गई है, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। वहां फोर लेन की बात भी कही गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप छोटे प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश सिंह: क्या माननीय मंत्री जी एनएच 7 और एनएच 75 में इस तरह की सुविधा देने के लिए विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, निर्माण की गई प्रत्येक सड़क पर सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम्बुलैंस और वाहन मौजूद हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: अगर कोई पीड़ित संसद सदस्य मुझसे मिलना चाहे तो आज सायं वह मुझसे मिल सकता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, आप सदस्यों की भावना को समझें महसूस किया जा रहा है कि सभी जगह पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अत: यह ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि केन्द्र राज्य सरकारों और साथ ही संसद सदस्यों को भी यदि उनके पास समय है, प्रेरित करे कि वे इस मामले पर विचार करें।

श्री टी.आर. बालू: साथ ही, महोदय, अगर किसी पीड़ित संसद सदस्य को मेरे साथ चर्चा करनी है, तो वह मेरे पास 12.00 बजे आ सकता है और मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपको मौका दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आप सब की ओर से यह जाहिर किया है कि यह संतोषजनक नहीं है और एक समानता पाकर मैं बहुत खुश हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में ही यह उल्लेख किया है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें अनेक कारणों से होती हैं। एक महत्वपूर्ण कारण सड़कों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों का खराब स्थिति में होना है। मैं देश में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का उल्लेख कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से कोई आवधिक रख-रखाव का कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरे राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के संबंध में यह कथ्य है कि गत अस्सी वर्षों से भी अधिक समय से किसी भी तरह का कोई रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: 80 वर्षों से अब तक कोई सड़क नहीं है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: यह लगभग जर्जर स्थिति में है। यह 80 वर्ष नहीं है बल्कि आठ वर्ष है।

अध्यक्ष महोदय: अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैं उस विषय पर आ रहा हूं, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछें।

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और मंत्रालय मानसून शुरू होने से पहले इन जर्जर सड़कों तथा इस वर्ष विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के आवधिक रख-रखाव करने एवं इस हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने पर ध्यान देंगे।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, केरल मूसलाधार बरसात के लिए जाना जाता है और अन्य राज्यों की तुलना में यहां अधिक बरसात होती है। इसक अर्थ यह है कि आवधिक मरम्मत और रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, माननीय सदस्य को यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि हम हर सड़क पर धन राशि व्यय कर रहे हैं। वे इस दावे का विरोध कर सकते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि वर्ष 2005-06 में 868.10 करोड़ रुपए आवंटित किये गये थे लेकिन व्यय 838.32 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2006-07 में आवंटन 814.38 करोड़ रुपए था और व्यय 784.38 करोड़ रुपए हुआ। वर्ष 2007-08 में आबंटन 100.68 करोड़ रुपए था और व्यय 814.15 करोड़ रुपए था। सभी राज्यों में रख-रखाव स्थानीय सरकारों द्वारा ही किया जाता है। जहां कहीं भी रख-रखाव की आवश्यकता होती है, तो यह अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वे अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करें। जहां भी अधिक क्षति होती है उन्हें शीघ्र अनुमान भेजना होता है और इसे स्वीकृत कराना होता है और जैसे ही हम धनराशि स्वीकृत करते हैं उन्हें धनराशि व्यय करना होता है। धनराशि के व्यय किए जाने के बाद, उन्हें हमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना होता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे बिना यदि वे अधिक धनराशि चाहते हैं, तो इसकी गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह दुखद स्थिति है।

श्री टी.आर. बालू: कुछ प्रक्रिया और प्रणाली है। केरल को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने के बाद अधिक धनराशि की मांग करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री राजेश पाठक: अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में लगभग सभी सांसदों की एक राय है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। यह राजमार्ग विगत सात वर्षों से लगातार बन रहा है। इन सात वर्षों के दौरान हमारी समझ में उस पर हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। वहां प्रतिदिन चार-पांच से अधिक आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? हर व्यक्ति सही प्रश्न पूछ रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजेश पाठक: हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस राजमार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि हर माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों के बारे में अलग से पूछते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देना असंभव हो जाएगा।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, निर्माण कार्य हो रहा है और उन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है। यदि कोई विलंब होता है, तो मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगा। साथ ही यह सच्चाई है कि 290 व्यक्ति प्रतिदिन मरते हैं और हर पांच मिनट पर एक मौत होती है और हर एक मिनट पर दुर्घटना होती है।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री टी.आर. बालू: यदि आप सड़कों पर वाहनों और मानव जनसंख्या के दबाव को देखें तो यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1950-51 में वाहनों की संख्या मात्र तीन लाख थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस तरह की टीका-टिप्पणी न करें।

श्री टी.आर. बालू: वर्ष 2006 में वाहनों की संख्या 879 लाख थी जिसका अर्थ है कि वाहनों की संख्या 293 गुणा बढ़ी है। जहां तक मानव जनसंख्या का प्रश्न है, तो वर्ष 1950-51 में यह 36 करोड़ था और अब यह बढ़कर 111 करोड़ हो गया है। तीन गुणा वृद्धि हुई है। सड़कों पर लोगों और वाहनों की संख्या के कारण दबाव बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात सही है।

श्री टी.आर. बालू: साथ ही, यह भी सच्चाई है कि वर्ष 2001 में प्रति 10000 वाहन पर मृत्यु दर 14.7 था और वर्ष 2004 में यह घटकर 12.74 हो गया। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना 28.55 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2006 में दुर्घटना घटकर 22.17 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मारे गए लोगों की संख्या 39.7 प्रतिशत थी लेकिन वर्ष 2006 में यह घटकर 35.99 प्रतिशत हो गयी। कुछ सुधार है और लोगों को यह सुधार नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इसमें अपेक्षित सुधार हो रहा है। साथ ही, यह रातोरात नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सर, क्या हमारी तरफ ध्यान दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय: टाइम पर आएगा, जब टाइम होगा, तब आएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का निवेश

***424. श्री के.एस. राव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अब तक किए गए निवेश सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म तथा कृषि अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को विनियमित करने वाले मौजूदा उपबंध क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 'कृषि' राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार फार्म और कृषि अवसंरचना में सार्वजनिक और निजी, दोनों निवेश सुविधाजनक बनाने में राज्यों के प्रयासों को सम्पूरक सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म और कृषि अवसंरचना में निजी क्षेत्रक निवेश को प्रोत्साहित करने के विद्यमान प्रावधानों में उपयुक्त समर्थक कार्यनीतियां तैयार करना, विधेयक ढांचे को परिचालन योग्य बनाना, वित्तीय प्रोत्साहन और जागरूकता सृजन शामिल हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के अनुमान लगाता है। कृषि क्षेत्रक में सकल पूंजी निर्माण के अर्थ में निजी निवेश संबंधी 3 वर्षों की उपलब्ध नवीनतम सूचना निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

1999-2000 के मूल्यों पर कृषि में निवेश (सकल पूंजी निर्माण)

वर्ष	कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) (करोड़ रुपये)			कृषि से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि में जीसीएफ		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्रक	कुल	सार्वजनिक क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक	कुल
2004-05	12273	36835	49108	2.8	8.3	11.1
2005-06	15006	39899	54905	3.2	8.5	11.7
2006-07	17749	43013	60762	3.7	8.9	12.5

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में फार्म अवसंरचना और अन्य कृषि सहायक सेवाओं में अधिक निजी क्षेत्रक निवेश को प्रोत्साहित किया जाना जारी है। ऐसे कुछेक क्षेत्र जिनमें निजी क्षेत्रक निवेश के लिए पर्याप्त संभावना है, में विपणन अवसंरचना उपज का फसलोत्तर प्रबंधन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, माइक्रो इरीगेशन, कृषि विस्तार, बीज उत्पादन आदि शामिल हैं।

कुछेक कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत कृषि अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, में (1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसके अंतर्गत कुल परियोजना इक्विटी के अधिकतम 49 प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, (2) ग्रामीण भण्डारण योजना जिसके अंतर्गत ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी मुहैया कराई जाती है, (3) कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम जिसके अंतर्गत कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश किया जाता है-शामिल हैं।

भारत निर्माण ग्रामीण अवसंरचना जैसे कि सिंचाई, सड़कें, विद्युतीकरण, दूरसंचार कनैक्टीविटी, पेयजल आपूर्ति और आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल डालते हुए कृषि अवसंरचना और अन्य सहायक सेवाओं में निजी निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाएगा।

श्री के.एस. राव: मुझे खुशी है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करने के महत्व को समझा है। हो

सकता है कि यह उतना नहीं हो पाया हो जितना आवश्यक है। यदि सरकार के पास अधिक निवेश करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो समय आ गया है कि हम निजी क्षेत्र को इसमें बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए प्रेरित करें।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री के.एस. राव: हम इस बात से अवगत है कि इस देश में खाद्यान्नों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। गेहूं का मूल्य कुछ महीनों में 8 रुपए से बढ़कर 16 रुपए हो गया है जिसके कारण हमने दो मिलियन टन गेहूं का आयात करने हेतु लगभग 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया है। यदि यही स्थिति चावल के लिए उत्पन्न हो जाती है, तो यह अधिक भयंकर होगा। हम इस बात से भी अवगत है कि देश में तिलहनों और दलहनों की कमी है जिसका हम दूसरे देशों से भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार-राज्य और केन्द्र सरकार दोनों अथवा केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार पारंपरिक फसलों के स्थान पर तिलहनों और दलहनों को अपनाने हेतु अधिक प्रोत्साहन देगी।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है और आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री के.एस. राव: महोदय, सरकार का कार्य प्रोत्साहन देना और उचित समर्थन मूल्य प्रदान करना है।

अध्यक्ष महोदय: यह सब कुछ ठीक है। अब विषयांतर कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। विशेष प्रश्न पूछे ताकि मंत्री जी सही और सटीक उत्तर दे सकें। उन्हें बचकर निकालने का अवसर न दें।

श्री के.एस. राव: क्या सरकार प्रेरित करेगी और प्रोत्साहन देगी?

अध्यक्ष महोदय: जी हां, विशेष उत्तर पाने के लिए विशेष प्रश्न पूछें। इस प्रश्न काल का सही उपयोग करें।

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, 2006-07 में निजी भागीदारी 39,899 करोड़ रु. थी जो बढ़कर 43,013 करोड़ रु. हो गई है। तथापि, जहां तक कृषि और खेत आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश का संबंध है, इसमें एक समस्या है। कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए गोदामों के निर्माण के लिए भारत सरकार कृषि स्नातकों तथा सहकारिताओं को 25 प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 33 प्रतिशत की राजसहायता दी जा रही है। जब बाजार के आधारभूत ढांचे का प्रश्न आता है, तो वही अनुरूपता लागू की जाती है। माइक्रो सिंचाई के लिए भी राजसहायता प्रदान की जाती है। बागवानी के लिए भी सरकार 49 प्रतिशत की इक्विटी दे रही है। इसलिए, सरकार की ओर से कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य का संपूरक कार्य कर रही है। भारत निर्माण एक स्कीम है जिसके तहत सड़कों, ग्रामीण दूरभाष, जल, सिंचाई आदि के लिए बहुत धनराशि दी जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गोदाम बना सकें। यह बुनियादी ढांचा राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है।

माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, तिलहन तथा गेहूं के उत्पादन के लिए भारत सरकार ने राज्यों के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहन दे रही है जो इस क्षेत्र में अधिक निवेश ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रथम उत्तर के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। थोड़ा संक्षेप में होता तो बेहतर होता। आपने अपेक्षा के अनुसार बहुत अच्छा बोला।

श्री के.एस. राव: यही समय है कि हमें ग्रामीण सड़कों तथा परिवहन क्षेत्र में भी निजी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। जैसा कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य राज्य राजमार्गों में वार्षिकी, बीओटी आदि स्कीम चला रहे हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय परिवहन संगठनों को आकर्षित करने के बारे में सोचेंगे जो सड़कों के निर्माण के लिए गांवों में बस चला रहे हैं, जहां वे अपना वाहन चला रहे हैं और यदि आवश्यक हो खाई को भरने के लिए तो निजी क्षेत्र को सड़कों की लागत की ओर प्रोत्साहन दिया जाए?

श्री वी. नारायणसामी: जहां तक ग्रामीण सड़कों का संबंध है, भारत निर्माण के तहत, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, कुछ स्कीम कार्यान्वित की गई हैं। भारत निर्माण के तहत सभी छह स्कीमों के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए 1,76,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय को लगभग 54,000 करोड़ रु. का आबंटन किया गया। दसवीं योजना में कुल आबंटन केवल 56,748 करोड़ रु. का था। तथापि, केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए पूरी 10वीं योजना के लिए 90,014 करोड़ रुपए

आबंटित किए गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। दसवीं योजना में कृषि के लिए बुनियादी ढांचा तथा सुविधाएं देने के लिए 22,1134 करोड़ रु. दिए गए हैं।

अब, ग्यारहवीं योजना में, दो गुणा बढ़ोत्तरी करके 54,801 करोड़ रु. दिए गए हैं। परिवहन राजसहायता के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पहलू पर गौर करेगी।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, कृषि में आज हम देखते है कि विशेष रूप से धन और अन्न का अभाव बड़े प्रमाण में है। कृषि का जो ग्रोथ रेट है, वह भी 1.98 के करीब है, दो भी पूरा नहीं है। यह सब देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी क्या यह बताएंगे कि कृषि में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का जो निवेश है, उसके कम होने के कारण क्या जैसे रेलवे के लिए अलग प्रकार का प्लान होता है, रेलवे का बजट अलग होता है। उसी प्रकार से अलग बजट कृषि क्षेत्र में करके, कृषि की 4 प्रतिशत तक ग्रोथ रेट बढ़ाने की दृष्टि से कुछ प्रयास करेंगे या अन्य कुछ उपाय करने जा रहे हैं, वह बताएं।

[अनुवाद]

महोदय, मैंने निवेश के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही के लिए सलाह है। आप एक अलग बजट चाहते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: सर, मैं जानना चाहता हूं कि कृषि में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से क्या अलग उपाय किये जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैंने उनसे बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा था।

[हिन्दी]

...(व्यवधान) सर, मेरा सवाल ऐसे ही चला गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का यह अर्थ निकलता है। मुझे खेद है; मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। चूंकि वह यहां उपस्थित हैं, क्या आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं?

श्री रूपचंद पाल।

श्री रूपचंद पाल: यह हमारा अनुभव रहा है कि बड़े व्यवसाय तथा बहु-राष्ट्रीय कंपनियां, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र में शामिल हैं, मुख्य रूप से केवल अपने व्यवसाय में रुचि लेते हैं। व्यवसाय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में सहकारी क्षेत्र है, जो अपना बहुत योगदान दे रहे हैं। 'सहकारी क्षेत्र' राज्य सूची के अधीन आता है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड तथा वित्तीय संस्थाओं की सहायता से एक सार्थक भूमिका के लिए सहकारी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करने की इच्छुक है?

श्री वी. नारायणसामी: यह प्रश्न कृषि मंत्री से संबंधित है। फिर भी, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार एपीएमसी को सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक खेती और विपणन के लिए, राज्य सरकारों से भी अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह कर रही है ताकि निजी क्षेत्र के साथ कुछ भागीदारी तथा यदि आवश्यक हो तो सरकारी-निजी भागीदारी भी की जा सके।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है जो सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के बारे में है, मैं कहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री ने विभिन्न राज्यों के सहकारी मंत्रियों की बैठक आयोजित की है और वह भी इस पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 425-श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'-उपस्थित नहीं।

श्री रामजीलाल सुमन-क्या आपको जानकारी है कि आपके नाम पर एक प्रश्न है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कोयला खानों की क्षमता का उपयोग

***425. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के अंतर्गत कोयला खानों में इष्टतम क्षमता उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विद्यमान चालू खानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो उपलब्ध प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष बागड़ोदिया): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में पिछले चार वर्षों में प्रतिशत के अनुसार समग्र प्रणाली क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

कंपनी	वर्ष	% में क्षमता उपयोग
कोल इंडिया लि.	2003-04	95.04
	2004-05	96.04
	2005-06	99.28
	2006-07	96.97

(ग) और (घ) जी, हां। नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मौजूदा खानों से कोयला उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा खानों में जहां कहीं भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया, यंत्रीकरण को अपनाकर इस संबंध में उपाय किए गए हैं। साइड डिस्चार्ज लोडरों (एसडीएल), लोड हाल डम्परों (एलएचडी), सतत खनिकों (सीएम), लांगवाल यंत्रीकरण आदि का उपयोग करते हुए प्रौद्योगिकियों की तैनाती करके भूमिगत खानों में अनेक मैनुअल खदानों को यंत्रीकृत/अर्द्ध-यंत्रीकृत प्रचालनों में परिवर्तित किया गया है। जहां कहीं भी व्यवहार्य पाया गया, टबों में मैनुअल लोडिंग के स्थान पर चेन-कन्वेयरों, बेल्ट कन्वेयरों आदि पर यंत्रीकृत लोडिंग कर दिया गया है। नई खानों की निरपवाद रूप से यंत्रीकृत करने के लिए आयोजना की जा रही है। सभी ओपनकास्ट खानें यंत्रीकृत हैं।

मौजूदा ओपनकास्ट खानों के लिए, जहां कहीं भी संभव है, उच्च क्षमता की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) को अपनाकर तथा हैम किराए पर लेकर भी उत्पादन आरंभ किया जा रहा है। कुछ खानों में, सतत खनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने से भी उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है।

(ङ) सी.आई.एल. ने 271.63 मि.ट. प्रतिवर्ष कोयला उत्पादन की कुल क्षमता के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 119 नई परियोजनाओं को आरंभ करने की परिकल्पना की है। इसके अलावा, सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को 182 कोयला ब्लाक आबंटित किया है जिनसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में 104 मिलियन टन योगदान मिलने की परिकल्पना है। कोयला कंपनियों ने भी उच्च क्षमता के उपकरणों की तैनाती करने, उपकरणों के उपयोग में सुधार लाने मौजूदा भूमिगत खानों के यंत्रीकरण आदि के लिए कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आप गलत समय पर आए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने इसे पा लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई अनुपूरक प्रश्न है। मुझे खेद है। इतना लम्बा उत्तर पढ़ने का समय नहीं है।

क्या कोई अन्य सदस्य इस प्रश्न से संबंधित कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनके पास कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर हमने प्रश्न सं. 426 में पूछने के लिए स्लिप भेजी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी कोयले का उत्पादन बढ़ाने का काम कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयले का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हो रही है लेकिन जितना कोयले का उत्पादन बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ रहा है। इस कंपनी के माध्यम से तो ज्यादा से ज्यादा कोयले का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हो रही है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कोयले का उत्पादन ज्यादा हो। इसके लिए अन्य उपाय सरकार क्या कर रही हैं?

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, देश में कोयले का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। वस्तुत:, हमारे यहां कोयले की कोई कमी नहीं है। हम मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद, यह एक सतत प्रक्रिया है। हम इसके लिए विश्व के सर्वोत्तम आधुनिकतम उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। हम भारी अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। एक सम्पूर्ण योजना है कि केवल चालू योजना में ही नहीं, बल्कि इस योजना के बाद भी, हम इसी प्रकार का उत्पादन बनाए रखेंगे या उपकरण भी हम लाते रहेंगे। ये सारी योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि वर्ष 2006-07 में कुल उत्पादन 430.85 मी.ट. था जबकि 2007-08 में यह 456.37 मी.ट. था और और 2011-12 तक इसे बढ़ाकर 680 मी.ट. किए जाने की योजना है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 426—श्री पी.सी. गद्दीगउडर—उपस्थित नहीं।

श्री ए. साई प्रताप।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं

***426. श्री ए. साई प्रताप:**
श्री पी.सी. गद्दीगउडर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सरकारी अस्पतालों में अवसंरचना एवं कर्मचारियों की कमी होने के कारण लोगों को समुचित चिकित्सा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं 145272 उप-केन्द्रों, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाती हैं। मानदण्डों और 2001 की जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में कमी है। जनसंख्या के अलावा, अब प्राथमिक स्वास्थ्य पद्धति के विस्तार को अनुमोदित करते समय रोगी भार और दूरी पर भी विचार करने का निर्णय लिया गया है।

(1) उप-केन्द्र

उप-केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति और समुदाय के बीच पहला परिधीय सम्पर्क बिन्दु है। इसका संचालन एक महिला (एएनएम) और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा ऐसे 6 उप-केन्द्रों के लिए एक एलएचवी द्वारा किया जाता है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला सम्पर्क बिन्दु है। इसका संचालन एक चिकित्सा अधिकारी और 14 अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यह 6 उप-केन्द्रों के लिए एक रेफरल एकक के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए 4-6 बिस्तर होते हैं। यह रोगहर, निवारक, उन्नायक और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करता है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा 4 चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात् शल्य चिकित्सक, फिजीशियन, स्त्री-रोग विज्ञानी और बाल रोग विशेषज्ञ के साथ

किया जाता है जिनकी सहायता 21 परा-चिकित्सीय और अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इसमें एक आपरेशन थियेटर, एक्सरे और प्रसव कक्ष तथा प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 अंतरंग बिस्तर होते हैं और यह 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक रेफरल केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करता है। यह आपाती प्रसूति चिकित्सा परिचर्या और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

जहां एनआरएचएम में जनसंख्या, दूरी और कार्यभार के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के विस्तार करने का प्रावधान है, वहीं प्रथमत: बड़े पैमाने पर विस्तार शुरू करने से पहले मौजूदा संस्थाओं को समेकित करने का प्रयास है। मार्च, 2007 तक अद्यतन किए गए ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी बुलेटिन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के मुकाबले निम्नलिखित स्थितियां सूचित की गई हैं:

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचएस)

मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। देश भर में 4833 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। कुल 17080 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवनों में, 3002 किराए के भवनों में, 2330 किराया मुक्त पंचायत/स्वयंसेवी सोसाइटी भवनों में चल रहे हैं। 1845 भवन निर्माणाधीन हैं जबकि 3618 भवनों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। 10522 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव कक्ष के साथ, 9273 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आपरेशन थिएटर के साथ, 12727 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 4-6 बिस्तरों के साथ और 4644 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौबीसों घंटे प्रसव की सुविधा के साथ कार्य कर रहे हैं। कुल 807 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टर के बगैर कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्टाफ	आवश्यकता	कार्यरत
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सहायक (महिला)	22370	15546
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	22370	20234
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर	22370	22608

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में कुल 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। पूरे देश में 2525 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। कुल 3692 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवनों में, 26 किराए के भवनों में, 306 किराया मुक्त पंचायत/स्वयंसेवी सोसाइटी भवनों में चल रहे हैं। 449 भवन निर्माणाधीन हैं जबकि 199 भवनों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	स्टाफ	आवश्यकता	कार्यरत
1.	विशेषज्ञ डाक्टर	16180	5117
2.	रेडियोग्राफर	4045	1740
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्ट	26415	17919
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला तकनीशियन	26415	12101
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स मिडवाइफ/स्टाफ नर्स	50685	29776

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। इनका मुख्य संकेन्द्रण सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है।

श्री ए. साई प्रताप: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के लिए है। माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की थी। अपने उत्तर में मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की कमी है। वास्तव में 16,180 विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्पेशलिस्ट डाक्टर) की आवश्यकता है जबकि 5117 चिकित्सक पदस्थापित है। नर्सिंग स्टाफ के मामले में आवश्यकता 50,685 नर्सों की है जबकि केवल 29,726 ही पद स्थापित है। हम सभी का अनुभव है और हमने यह पाया है कि अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों के लाभ हेतु राजीव आरोग्य श्री योजना नामक एक स्कीम शुरू की है। इस योजना में से 2 लाख रुपए किसी कार्पोरेट

अस्पताल में किसी भी अनिवार्य परिस्थिति में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर परिवारों को दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री ए. साई प्रताप: महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार पूरे देश में बीपीएल परिवारों हेतु ऐसी सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजीव आरोग्य श्री स्कीम का अध्ययन करेगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

डा. अंबुमणि रामदास: पहली बात यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में कमियों पर ध्यान देते हुए प्रधान मंत्री जी ने 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था। हम जानते हैं कि वास्तव में यह प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक सामाजिक क्षेत्र है। जिन कमियों का उल्लेख मैंने अपने उत्तर में किया है वह न सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में है बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचजी) और जिला मुख्यालय के अस्पतालों में भी है जो कि पूरे प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में है। ऐसा नहीं है कि हम इसे रातोरात कर दे। लगभग 16,000 विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्पेशलिस्ट डाक्टर) की आवश्यकता है और आज हमने लगभग 5,117 डाक्टरों को पदस्थापित किया है। वास्तव में जब हम सत्ता में आए तो लगभग मात्र 3500 विशेषज्ञ चिकित्सक (स्पेशलिस्ट डाक्टर) थे और आज लगभग 5,100 विशेषज्ञ चिकित्सक (स्पेशलिस्ट डाक्टर) हैं। यह समस्या न सिर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्पेशलिस्ट डाक्टर) के साथ हैं बल्कि एमबीबीएस डाक्टरों के साथ भी हैं कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को इच्छुक नहीं है। इसलिए हम उन्हें वहां जाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे है। वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचा में सुधार लाने, स्वास्थ्य कामगारों को नियुक्त करने, उपस्कर, मशीनरी लगाने, इन सभी केन्द्रों के रख-रखाव हेतु पूरी धनराशि की व्यवस्था करने, आधुनिक औषधियां, स्वास्थ्य चिकित्सा एकक, जनशक्ति, सहायक नर्सें, मिडवाइफ, आशा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों हेतु काफी प्रशंसा की पात्र है। बहुत सारे कार्य संपन्न हैं। मैं कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में एक समग्र क्रांति आई है जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से की गई है।

राजीव आरोग्य श्री स्कीम के बारे में चर्चा को केन्द्रित करते हुए जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी एक अवधारणा है, हम विभिन्न राज्य सरकारों को प्रायोगिक परियोजना के रूप में स्वास्थ्य बीमा अवधारणा के लिए धनराशि प्रदान कर रहे हैं। बेहतर प्रायोगिक परियोजना को अपनाते हुए जिसे इन राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है हम इसे एक राष्ट्रीय परियोजना का रूप भी देंगे। हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का उदाहरण ले रहे हैं। निधियों की लंबे समय तक उपलब्धता होने के अनुरूप ही हम निर्णय लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करेंगे बल्कि परियोजना की निरंतरता के अनुसार हम निर्णय लेंगे। बुनियादी ढाचा और सेवा प्रदाताओं पर विचार किया जाएगा।

श्री ए..साई प्रताप: महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या के मानदंडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं जैसे कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 30000 लोगों की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आदिवासी क्षेत्र में 20000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सेवाओं को उन्नत बनाने हेतु स्वास्थ्य परिचर्या पर सरकारी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 0.9 से बढ़ाकर 2 से 3 प्रतिशत कर परिवर्तित किया जाएगा और उन्नत बनाया जाएगा? यदि हां, तो कृपया तत्संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे अच्छे मित्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिसन को समझ लिया होगा कि परियोजना कैसी है और परियोजना के क्या प्रभाव है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्य प्रणाली के बारे में इस महान सभा में व्यापक चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई नोटिस सामने आता है तो चर्चा पर अनुमति प्रदान करते हुए मुझे काफी खुशी होगी।

डा. अंबुमणि रामदास: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में यदि कोई खामियां है तो उन्हें दूर करने में मुझे खुशी होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम इस क्षेत्र की खामियों को दूर करने के लिए है।

पहले हमारे पास जनसंख्या आधारित रणनीति थी जहां 20000 से 30000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2000 से 50000 की जनसंख्या पर एक उप-केन्द्र और उसके बाद 80000 से 120000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिया गया था। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जनसंख्या के अतिरिक्त हमें इसे आवश्यकता पर आधारित और

कार्य-भार पर आधारित बनाना चाहिए था। इसलिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में 5000 या 10000 की जनसंख्या नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यकता और कार्य-भार के अनुसार हमने मानदंड बदल दिए हैं और यह स्वीकार किया है कि राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में शुरू होनी है, के अनुसार हम एक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार हेतु उनके मानदंडों के अनुरूप उन्हें धनराशि दे रहे हैं। समस्या यह है कि हम पहले मौजूदा सुविधाओं को समेकित करने और उसके बाद विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल नई सुविधाएं प्रदान करने की बात नहीं है और इसके बाद के किसी संकाय के बिना अथवा किसी कार्मिक के खाली पड़े रहते हैं। हम लगभग 23,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हम वहां रोगी कल्याण समिति (पेशेन्ट वेलफेयर सोसाइटीज) स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद हम उन्हें एकमुश्त धनराशि दे रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे कार्यकलाप संपन्न हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देश में पहली बार तमिलनाडु में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु एक सीजेरियन आपरेशन किया गया है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सशक्तीकरण हुआ है। तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को धनराशि दी गई है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 77000 प्रसव कार्य संपन्न हुए हैं। ये प्रसव कार्य निजी क्षेत्र के अस्पतालों में होने थे। इसलिए हम पहली बार यह देख रहे हैं कि जिन रोगियों को निजी क्षेत्र में जाना था वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कारण सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक अधिकारिता है और सुविधाएं जोड़ दी गई हैं। निधियां और दवाइयां उपलब्ध करायी जा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में डाक्टर और पैरा मेडीकल स्टाफ नहीं जाना चाहते, क्या आप उन्हें कोई विशेष भत्ता देने का विचार रखते हैं ताकि इस बहाने वे वहां जाकर रहें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपना कार्य करने के लिए हर किसी को ज्यादा राशि चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, मोर मनी की बात नहीं है, परन्तु इन्सेंटिव अगर बढ़ेगा तो वहां लोग जाएंगे, क्योंकि आबादी का कंसेप्ट आपने बंद कर दिया है, नीड बेस्ड प्रोग्राम चलाया है तो क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा प्रश्न है लेकिन हमें चिकित्सकों की समस्याओं को भी सुनना चाहिए ताकि वे अपना कार्य करें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जनशक्ति प्रदान करना राज्य सरकारों का कार्य है। हम निधियां राज्य सरकारों को देते हैं और राज्य सरकारें कार्यक्रमों की वरीयता के अनुसार इनका आबंटन करती है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले चिकित्सकों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। राज्य सरकार पहले ही वहां जा कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। कई राज्यों में दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जैसी श्रेणीयां हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे सफल राज्यो ने अधिक प्रोत्साहन राशि लागू कर दी है तथा राज्य सरकारों ने स्वयं को इसमें शामिल करके डाक्टरों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। आज समस्या यह है कि जब वहां चिकित्सक मौजूद नहीं होते तो हम पैरा-मैट्रिक और नर्सिंग समुदाय को ढूंढने लगते हैं। हम नर्स प्रैक्टिशनरों को लाने पर विचार कर रहे हैं। जब वहां डाक्टर नहीं जा रहे, तो हम नर्स-प्रैक्टिशनरों को इन सब गतिविधियों के लिए शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। 'आशा' के लिए हम ड्रग किट्स दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने अब तक करीब 5,44,000 'आशा' (प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) को सूचिबद्ध किया है। हमने करीब 4 लाख 'आशा' कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है। यह प्रशिक्षण अवधि करीब 28 दिन प्रति वर्ष है जो सात दिनों की लगातार अवधि के दौरान दी जाती है। ऐसी अधिकारिता से वर्ष के अंत तक या अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में भारत के प्रत्येक गांव में आशा होंगे। यहां लगभग 6,20,000 गांव है और बुजुर्गों की आम बिमारियों के लिए आशा को ड्रग किट्स दिए गए हैं, तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक और एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) भी है। हम एएनएम, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वेतन दे रहे हैं और उप-केन्द्रों को समेकित निधि दे रहे हैं ताकि वे रख-रखाव का कार्य कर सकें। हम रख-रखाव के लिए 10,000 रुपये और दवाइयों की खरीद के लिए भी 10,000 रुपये दे रहे हैं। आयुष चिकित्सकों को तैनात किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन के अंतर्गत लगभग 2000 विशेषज्ञों, 6000 एमबीबीएस डाक्टरों, 4000 आयुष डाक्टरों, 40,000 स्टाफ नर्सों और एएनएम, 4000 अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा लगभग 5,44,000 'आशा' कार्यकर्ताओं को लगाया गया है।

श्री पी. करुणाकरन: माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह कहा गया है कि यह सच है कि पी.एचडी. डाक्टर और यहां तक कि एमबीबीएस डाक्टर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं हैं। पहले प्रक्रिया के तहत एमडी और एमएस कोर्सों की परिक्षा में बैठने वाले उन डाक्टरों को अंक दिए जाते थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे। वास्तव में धनलाभ के साथ-साथ यह उनके व्यवसाय में प्रोत्साहन भी था। मैं समझता हूं कि वह अब समाप्त हो गया है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी क्योंकि डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है?

डा. अंबुमणि रामदास: केरल सरकार इसके लिए एक स्कीम लायी है और वास्तव में ज्यादातर राज्यों में एक स्कीम है कि जो डाक्टर सुदूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं अगर वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आवेदन करते है तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क) दिए जाएंगे। हमने भारत सरकार ने, इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिका इसके विरुद्ध है। मामला जब उच्चतर न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये अंक नहीं दिए जा सकते। अत: हम उस प्रस्ताव को संशोधित कर रहे हैं। हमने केरल सरकार का उनके शपथ पत्र में समर्थन किया है और हम यथाशीघ्र कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देश में डाक्टरों की कमी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि देश में मैडीकल से संबंधित कर्मचारियों की कमी है और उन्होंने यह भी बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। डाक्टर्स नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इससे ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये बातें उन्होंने स्वीकार की हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि देश के बहुत से राज्यों में कांट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां हो रही हैं, क्या वे राज्य सरकारों को निर्देश देंगे कि जहां डाक्टरों की कमी है, जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां कांट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां कर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जाएं?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रयोग भी फेल हुआ है। पश्चिम बंगाल के बारे में हम जानते हैं। वहां कोशिश की गई थी। डाक्टर्स लोग पैसा ज्यादा चाहते हैं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, बिलकुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वे ठेके के आधार पर डाक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ को नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें अधिकार दिए गए हैं और हम उन्हें निधियां, उनका पूरा वेतन आदि दे रहे हैं। हम उन्हें शक्तियां प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स को 20 से 30 लाख रुपए डोनेशन के रूप में देने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट का यह सपना नहीं होगा कि वह 20 से 30 लाख रुपए देकर मैडीकल की पढ़ाई करे और फिर रूरल एरिया में जाकर, इतनी कम पे में सर्विस करे। यह एक बहुत जटिल फैक्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी कालेज हैं, जो पिछले गेट से 20 से 30 लाख रुपए सरेआम डोनेशन लेकर डाक्टरी की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट को भर्ती करते हैं, क्या मेडिकल की शिक्षा को आप सस्ती करेंगे, जिससे सस्ते में पढ़ाई करने वाला आम व्यक्ति रूरल एरिया में निश्चित रूप से जाए?

दूसरे, आशा की बात आप कर रहे थे। आशा में ग्रामीण महिलाएं पढ़कर जो काम कर रही हैं, उन्हें पांच-छ: महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाती है, जिसके कारण वे मजबूरन गांव के लोगों से 25-50 रुपये लेती हैं। यह भी एक फैक्ट है, क्योंकि उसे भी पेट पालना है। क्या इस बारे में आप कोई कार्यवाही करेंगे?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक आशा का संबंध है, हमने निर्णय लिया है कि आशा को वेतन नहीं दिया जायेगा। उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार भुगतान किया जायेगा। अगर वे किसी बच्चे को प्रतिरक्षण के लिए किसी उप-केन्द्र पर ले जाते हैं तो उन्हें धनराशि दी जायेगी: अगर वे किसी महिला को प्रसव-पूर्व चैक-अप के लिए ले जाते हैं तो उन्हें धनराशि दी जायेगी; और अगर वे किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए

लाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में धनराशि दी जायेगी, उन्हें दो दिन तक उस महिला के साथ प्रसव तक और प्रसव-पश्चात् चैक-अप तक रहना होगा। इन सब प्रक्रियाओं के लिए 'आशा' को काम के अनुसार धनराशि मिलेगी। अगर किसी 'आशा' के कार्यकर्ता को वेतन ऐसे ही मिले, तो ऐसा होगा कि कुछ कार्य करने के एवज में धनराशि प्राप्त करेंगे और दूसरी ओर गांव में खाली बैठी कार्यकर्ता राशि प्राप्त करती रहेंगी। अत: हमने यह सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कुछ राज्यों द्वारा बतायी गयी खामियों पर हम कार्रवाही कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य पहलू इसका लचीलापन है। हम प्रत्येक राज्य को अलग-अलग लचीला कार्यक्रम दे रहे हैं। यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमिलनाडु प्रगतिशील राज्य है तो हम उसे अलग अवधारणा दे रहे हैं, अगर बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम प्रगतिशील है तो उस राज्य का फोकस और प्राथमिकता अलग क्षेत्रों में होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है। अत: यह बात महत्वपूर्ण है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रों को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी इन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते रहे हैं।

माननीय सदस्य द्वारा एमबीबीएस सीटों और कंपिटेशन फीस के बारे में पूछे गए पहले प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी कालेज को कंपिटेशन फीस लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह हो रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं स्वीकार करता हूं कि यह गुप्त रूप से किया जा रहा है। अगर कोई माननीय सदस्य इसे हमारे सामने लाता है तो हम अवश्य ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कुछ लोग पैसा देकर, घूस देकर एडमिशन लेते हैं, यही तो प्रोब्लम है। एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन पैसा देकर। लेने वाला भी है, देने वाला भी है। यही मुसीबत है।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार 12 हजार करोड़ रुपये आम लोगों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए खर्च कर रही है। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपके द्वारा इतना रुपया खर्च करने के बावजूद गांव के लोगों तक चिकित्सा सुविधा नहीं जा रही है, यह बात सही है। आपने यह भी स्वीकार किया है कि पर्याप्त मात्रा में डाक्टर और चिकित्सा कर्मियों की कमी की वजह से हम उन्हें ठीक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आप लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन डाक्टर्स गांवों में नहीं जाएंगे। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, जिससे डाक्टर्स और चिकित्सा कर्मचारी केवल गांवों में ही काम करें? आप ऐसी कोई विशेष व्यवस्था करें ताकि उनकी नौकरी केवल गांव के लिए ही हो, शहर में उनका कोई संबंध ही न रहे। क्या आप ऐसी कोई नीति बनाएंगे और इन्श्योर करेंगे ताकि गांव के लोगों को आप चिकित्सा सुविधा पहुंचा सकें और गांव के लोगों को 12 हजार करोड़ रुपये का लाभ पहुंच सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम आदर्श विश्व में नहीं रह रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: यह कार्रवाई करने का सुझाव है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर है। राज्य सरकारें डाक्टरों के ग्रामीण संवर्ग के लिए और उनको भुगतान करने के लिए नीतियां बना सकती हैं। वे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही निश्चित किए जा सकते हैं। मेरे विचार से एक राज्य तो पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। मुझे उस राज्य का नाम याद नहीं आ रहा है। यह या तो केरल है अथवा महाराष्ट्र। वहां ग्रामीण संवर्ग है। उन्हें आमेलित कर लिया जाएगा और उन्हें सिर्फ इसी प्रयोजनार्थ सूचीबद्ध किया गया है।

जब आप स्वास्थ्य मानव संसाधन कहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ डाक्टर से नहीं है। इसमें नर्स, पैरामेडिकल, एएनएम, आशा आदि भी शामिल हैं। उदाहरणस्वरूप, बिहार में कोई बीएससी नर्सिंग कालेज नहीं है। इसलिए बिहार से नर्स कहां से आएंगी।

यह बात स्पष्ट है कि दसवीं योजना की तुलना में ग्यारहवीं योजना में आवंटन बढ़ाया गया है। दसवीं योजना में, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कुल आवंटन करीब 48,000 करोड़ रु. था। लेकिन, ग्यारहवीं योजना के लिए माननीय प्रधनमंत्री ने करीब 1,36,000 करोड़ रु. की राशि नियत की है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें करीब एक-तिहाई अर्थात् करीब 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत ढांचागत विकास के लिए ही है।

जहां तक नर्सिंग का संबंध है, ग्यारहवीं योजना में नर्सिंग कालेज, नर्सिंग विद्यालयों की शुरूआत करने के लिए और सभी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों की शुरूआत के लिए एवं और अधिक एएनएम स्कूलों, जीएनएम स्कूलों और आशा प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य और सभी चीजों के लिए करीब 2,500 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन के अंतर्गत काफी अधिक श्रमशक्ति का सृजन किया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीएचसी, उप-केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उचित चिकित्सा नहीं मिल रही है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि डाक्टरों, पुरुष और महिला नर्सों आदि के पद भारी संख्या में रिक्त पड़े हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह तो हो गया है, आप क्वैश्चन पूछिए।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या सरकार की इन सभी रिक्तियों को भरने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अवसंरचना का मतलब केवल भवन निर्माण से नहीं है। अवसंरचना का तात्पर्य डाक्टर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ, यहां तक कि लैब असिस्टेंट आदि भी इसमें शामिल हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, कृपया अपने प्रश्न को दोहराएं नहीं। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं जानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या उन सभी रिक्तियों को भरने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अनावश्यक है।

डा. अंबुमणि रामदास: इसका सीधा सा उत्तर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। प्रत्येक राज्य को अधिकार प्राप्त है। इन सब रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक राज्य को राशि दी गई है जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। यह सामाजिक क्षेत्र है। मुझे इन सभी कमियों के साथ यह मंत्रालय मिला और मैं रातों-रात इन्हें दुरुस्त कर देना चाहता हूं, लेकिन इन सभी चीजों को दुरुस्त करने में बहुत कठिनाई है। इसमें श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं है।

महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि हम प्रत्येक वर्ष करीब 32,000 स्नातक डाक्टर बना रहे हैं और हमें प्रत्येक वर्ष एक लाख डाक्टर बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहां केवल करीब 9,30,000 नर्सें हैं और हमें इस देश में करीब 20 लाख नर्सों की आवश्यकता है। इसलिए, हमें और अधिक नर्स बनाने की आवश्यकता है। अपने देश के लिए अगले 40 वर्षों में मानव संसाधन हेतु हम योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना सुधारने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। अवसंरचना से मेरा तात्पर्य केवल सामग्री अवसंरचना से नहीं बल्कि मानवीय अवंसरचना से है ताकि उनको काम देने के लिए हमारे पास अधिक-से-अधिक केन्द्र हों।

महोदय, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 58 है। इसे सिर्फ एक बिन्दु नीचे-57 तक लाने के लिए लाखों लोगों को मिलकर दिन-रात काम करना पड़ेगा जिसमें राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सभी शामिल हैं। यह सामाजिक क्षेत्र है और ऐसा करना काफी कठिन है। हम सही तरीके से समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 427—श्री एल. राजगोपाल—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 428—श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल।

जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता

***428. †श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ग्राम स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जलवायु प्रबंधकों को प्रशिक्षित एवं नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ङ) ग्राम स्तर पर पर्यावरणीय मामलों पर जागरूकता पैदा करने के लिए जलवायु प्रबंधकों की नियुक्ति करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, पर्यावरणीय मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार अनेक उपाय करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(1) देश के विशिष्ट राज्यों/क्षेत्रों के लिए नियुक्त की गई नामोद्दिष्ट क्षेत्रीय संसाधन अभिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है।

(2) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहायता से कार्यशालाएं/सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा प्रकाशन निकाले जाते हैं।

(3) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहायता से समूचे देश के स्कूलों में ईको-क्लब स्थापित किए जाते हैं।

(4) स्कूल प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के बारे में एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(5) पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस ओजोन दिवस आदि आयोजित किए जाते हैं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, बहुत ही विशिष्ट प्रश्न यह है: क्या केन्द्र सरकार का ग्रामीण स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जलवायु प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने और नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है? उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु जलवायु प्रबंधकों को नियुक्त करने संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ज्यादा टाइम नहीं है। आप प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

यह लिखित उत्तर में दिया गया है। आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: हालांकि, यह बताया गया है कि जो भी उपाय किए गए हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर किए गए हैं। लेकिन मैं ग्रामीण स्तर के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे- भूकंप, बाढ़ और आग ग्रामीण स्तर पर हो रही हैं।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री नमोनारायण मीना: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया, सरकार के पास आज के दिन ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि जागरूकता अभियान में जो भी आगे आएगा, सरकार उनका स्वागत करेगी। मैं उनको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि जैवीय विविधता अधिनियम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर बीएमसी (जैवीय प्रबंधन समिति) है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभी ग्राम पंचायत संस्थायें जैव-विविधता का रक्षण, संरक्षण, प्रलेखन और सतत उपयोग करने में संलग्न हैं। स्वयं अधिनियम के अंतर्गत एक ढांचा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। यूएनएफसीसी कन्वेंशन के अंतर्गत, कई मंत्रालय और मेरा मंत्रालय बहुत काम कर रहे हैं। एक योजना है। मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया है कि हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। 91,000 इको-क्लब काम कर रहे हैं। हम उन्हें वित्तीय सहायता दे रहे हैं। वे सिवील सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठन और राज्य सरकारें है। इस अभियान के अंतर्गत काफी कार्य किए जा रहे हैं। यह एक सुझाव है। माननीय सदस्य मुझे यकीन है कि हम मंत्रालय में आपके सुझाव की जांच करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मानव अंग प्रतिरोपण की निगरानी के लिए विनियामक तंत्र

***422. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैध शल्य चिकित्सीय प्रक्रिया के क्षेत्र के अंतर्गत मानव अंग प्रतिरोपण की निगरानी करने के लिए कोई विनियामक तंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा विनियामक तंत्र कब तक स्थापित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों में मानव अंगों के प्रतिरोपण को विनियमित करने के लिए एक तंत्र की पहले से ही व्यवस्था है। इस अधिनियम में मानव अंगों को निकालने, भंडारित करने या प्रतिरोपित करने के कार्य में संलग्न अस्पतालों के पंजीकरण तथा (1) प्राधिकार के बगैर अंगों को निकालने, और (2) मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन के लिए शास्तियों का प्रावधान है।

विशेष रूप से, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम की धारा 13 में समुचित प्राधिकरणों की नियुक्ति का प्राधान है जिसमें केन्द्र सरकार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकरणों को अधिसूचित करती है तथा राज्य सरकारें राज्यों के संबंध में समुचित प्राधिकारियों को अधिसूचित करती हैं। समुचित प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करते हैं:

(1) धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण करना अथवा उस धारा की उप-धारा (3) के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण करना;

(2) धारा 16 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण को आस्थगित अथवा रद्द करना;

(3) मानव अंग को निकालने, भंडारित करने या प्रतिरोपित करने के कार्य में संलग्न अस्पतालों के लिए निर्धारित किए जाने वाले ऐसे मानदण्डों को लागू करना;

(4) इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अंतर्गत बने किसी नियम के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना;

(5) प्रतिरोपण की गुणवत्ता तथा प्रतिरोपण करवाने वाले व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों जिनके अंग निकाले गए हैं, की अनुवर्ती चिकित्सा परिचर्या की जांच के लिए समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करना; और

(6) निर्धारित किए जाने वाले ऐसे अन्य उपाय करना।

धारा 9(4) में प्राधिकार समितियों के गठन का प्रावधान है, जिन्हें किसी दाता जो ग्राही का नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, से अंगों के प्रतिरोपण के लिए पूर्व अनुमोदन देने का अधिदेश प्राप्त है।

पंचायत महिला शक्ति अभियान

*427. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायत महिला शक्ति अभियान (पी.एम.एस.ए.) के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग से कोई सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में पंचायत महिला शक्ति अभियान के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ये सम्मेलन किन-किन स्थानों पर आयोजित किए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पंचायत महिला शक्ति अभियान का उद्देश्य महिला पंचायत नेत्रियों को एकजुट होकर निम्नलिखित के लिए समर्थ बनाना है:

(1) महिला पंचायत नेत्रियों के तौर पर अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए,

(2) अपने सशक्तिकरण के लिए सांस्थानिक तंत्र के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए,

(3) नीति एवं पक्ष समर्थन की मुख्य धारा में शामिल किए जाने के लिए मुद्दों के मसौदे को तैयार करने के लिए, जिससे कि उनकी चिंताओं का निराकरण राज्य व पंचायती राज संस्थाओं की त्रि-स्तरीय प्रणाली द्वारा अपनाई गई विकास प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सके, तथा

(4) निर्वाचित पदाधिकारियों व पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सोपानित तरीके से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर.) के संगठन का निर्माण करने के लिए।

(ख) और (ग) पंचायत महिला शक्ति अभियान की संकल्पना फरवरी 2006 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए चलो गांव की ओर कार्यक्रम के बाद की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न राज्यों में पंचायत महिला शक्ति अभियान सम्मेलनों के

आयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहभागिता निभाता है। पंचायत महिला शक्ति अभियान सम्मेलनों की शुरूआत वर्ष 2006-07 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4307.47 लाख रुपए के कुल आबंटन के साथ केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तौर पर सितम्बर, 2007, में अधिसूचित किए जाने से पूर्व ही की गई थी। उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए 410.47 लाख रुपए उद्दिष्ट किए गए हैं। अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने 23 एवं 24 अप्रैल 2006 को उदयपुर, राजस्थान में पंचायत महिला शक्ति अभियान के राज्य स्तरीय सम्मेलन को आयोजित करने के लिए 1.00 लाख रुपए की राशि का अवदान दिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश समेत निम्नलिखित राज्यों में पंचायत महिला शक्ति अभियान के राज्य स्तरीय सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है।

क्र.सं.	राज्यों का नाम	स्थान	तिथि
1.	राजस्थान	उदयपुर	23-24 अप्रैल, 2006
2.	पंजाब	पटियाला	17-18 जुलाई, 2006
3.	कर्नाटक	बंगलोर	5 सितम्बर, 2006
4.	उत्तराखंड	देहरादून	25 सितम्बर, 2006
5.	मणिपुर	इम्फाल	4-5 अक्तूबर, 2006
6.	गोवा	पणजी	19 अक्तूबर, 2006
7.	सिक्किम	गंगटोक	25-27 अप्रैल, 2007
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर	26-27 जुलाई, 2007
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	2 सितम्बर, 2007
10.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	18-19 अक्तूबर, 2007
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	22-23 नवम्बर, 2007
12.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	28-29 जनवरी, 2008
13.	महाराष्ट्र-विदर्भ क्षेत्र	नागपुर	1 एवं 2 मार्च, 2008
14.	बिहार	पटना	8 एवं 9 मार्च, 2008
15.	कर्नाटक	मैसूर	27 से 29 मार्च, 2008

मूल्यवान पक्षियों की संख्या में कमी

***429. श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित मूल्यवान पक्षियों की संख्या कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में कुछ राज्यों में ऐसे पक्षियों के मारे जाने की घटना के समाचार भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध तथा देश में ऐसे मूल्यवान पक्षियों की संख्या में हो रही कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वन्यजीवों की संख्या में कमी-बेशी होना एक

प्राकृतिक घटना है। राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित पक्षियों की संख्या में घटता रुझान दर्शाने वाली ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों से गिद्धों की तीन प्रजातियों, अर्थात् व्हाईट-बैक्ड वल्चर, स्लेन्डर बिल्ड वल्चर और लान्ग बिल्ड वल्चर की संख्या में कमी आने की सूचना मिली है। इनकी संख्या में कमी आने का मुख्य कारण गहन कृषि, उद्यान कृषि, डेरी उद्योग आदि के कारण खाद्य श्रृंखला के विषैले पदार्थों की मौजूदगी से है। अन्य कारणों में पर्यावासों का नष्ट होना, मानवजनित दबाव आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) पक्षियों के बड़े पैमाने पर मारे जाने की घटनाओं की सूचना नहीं मिली है। तथापि, यह संभव है कि कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं।

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों का यह सतत प्रयास रहा है कि वन्य पशुओं और पक्षियों का शिकार और अवैध व्यापार की रोकथाम हो। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में पक्षियों सहित वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार के विरुद्ध कड़े प्रावधान है। सरकार द्वारा मोरों सहित मूल्यवान पक्षियों की संख्या में आई कमी को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) मोरों, गिद्धों सहित संकटापन्न पक्षियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल करके उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मोर का शिकार प्रतिबंधित है।

(2) संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार देश भर में महत्वपूर्ण वास स्थलों को कवर करते हुए सुरक्षित क्षेत्र, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं।

(3) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है।

(4) मोर सहित उन पक्षियों को जो सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक वास स्थलों में निवास करते हैं, को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बाहर सामुदायिक और संरक्षण रिजर्वों को स्थापित करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा), अधिनियम 1972 में प्रावधान किए गए है।

(5) मोर के अवैध शिकार और अंगों और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार के लिए दंड कम से कम एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्षों और अधिकतम छः वर्षों से सात वर्षों तक बढ़ाया गया है। आदतन अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(6) पक्षियों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

आयुष के अंतर्गत वेक्टर-जनित रोगों पर अनुसंधान

***430. डा. के.एस. मनोज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकुनगुनिया जैसे वेक्टर-जनित रोग के निवारण तथा उपचार के लिए आयुष के अंतर्गत अनुसंधान कार्यकलापों को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) आयुष चिकित्सा पद्धतियां जीर्ण और चयापचयी विकारों के उपचारार्थ अपनी क्षमताओं हेतु प्रसिद्ध हैं। तथापि, आयुष अनुसंधान परिषदों ने मलेरिया, फाइलेरिया आदि जैसे वेक्टर-जन्य रोगों के उपचार पर पूर्व में अनुसंधान कार्य किया है। मलेरिया के उपचारार्थ एक आयुर्वेदिक औषधि को मानकीकरण और नैदानिक परीक्षणों हेतु स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। विभिन्न राज्यों से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के द्वारा चिकुनगुनिया और जापानी एनसेफेलाइटिस जैसे वेक्टर-जन्य रोगों के उपचार की खबर मिली है। आयुष अनुसंधान परिषदों द्वारा इन उपचारों के ब्यौरे समेकित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई ने चिकुनगुनिया के उपचारार्थ सिद्ध औषधियों के उपयोग पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की जिसमें आधुनिक चिकित्सा सहित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधानकर्ताओं ने शिरकत की। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधानकर्ता प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित रोग लक्षणों का मिलान वेक्टर-जन्य रोगों यथा चिकुनगुनिया, जापानी एनसेफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया आदि जैसे रोगों के लक्षणों के साथ करके प्राचीन शास्त्रों के गहन विश्लेषण में लगे हुए हैं ताकि इस दिशा में महत्वपूर्ण नतीजों को प्राप्त किया जा सके।

पोलियो उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता

***431. श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एन.पी.एस.पी.) चलाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश से पोलियो का उन्मूलन किए जाने में कौन-कौन से विकसित देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत में सहायता कर रही हैं;

(घ) इस सहायता के लिए निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान पोलियो के उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने उन्मूलन अभियान आरंभ किए गए; और

(च) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान उक्त सहायता से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1997 में भारत सकरार के सहयोग से एक्यूट फ्लेस्सिड पेरालिसिस (ए.एफ.पी.) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना स्थापित की थी। ए.एफ.पी. निगरानी पोलियो उन्मूलन की चार मूलभूत कार्यनीतियों में से एक है।

ए.एफ.पी. निगरानी के लिए 10,600 से अधिक रोग सूचित करने वाले एकक साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट भेजते हैं। इन एककों में सरकारी और निजी अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 18,500 सूचकों में चिकित्सा व्यवसायी, पारम्परिक चिकित्सक और मंदिर/तीर्थ-मंदिर ए.एफ.पी. रोगियों की सूचना देते हैं।

राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एन.पी.एस.पी.) के निगरानी चिकित्सा अधिकारी (एस.एम.ओज.) ए.एफ.पी. रोगों का पता लगाने, जिला/राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सूचित करने तथा मल संग्रहण सहित जांच के कार्य को सुनिश्चित करते हैं। मल के नमूनों को पोलियो के वाइरस का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है।

एन.पी.एस.पी. को इन प्रयोगशालाओं से साप्ताहिक आधार पर मल नमूनों के परिणाम प्राप्त होते हैं। एन.पी.एस.पी. प्रयोगशाला के परिणामों को रोगियों के साथ जोड़ती है और ए.एफ.पी. रोगियों के मल में पोलियो वाइरस के प्रकार का पता लगाने के आधार पर पोलियो टाइप 1 अथवा पोलियो टाइप 3 अथवा गैर-पोलियो ए.एफ.पी. के रूप में रोगियों को वर्गीकृत करती है। भारत विशेषज्ञ परामर्शी दल ए.एफ.पी. निगरानी प्रणाली के माध्यम से सृजित किए गए आंकड़ों की नियमित अंतरालों पर समीक्षा करता है और पोलियो उन्मूलन के लिए समुचित कार्यनीतियों की सिफारिश करता है।

राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना के साथ 300 निगरानी चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं और भारत के 613 जिलों को कवर कर रहे हैं। 27 उप-क्षेत्रीय दल के नेताओं और 7 क्षेत्रीय दल के नेताओं द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाता है और उनकी सहायता की जाती है। एक निगरानी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कवर किए जाने वाले जिलों की औसत संख्या में भिन्नता है जोकि प्रति निगरानी चिकित्सा अधिकारी के लिए एक जिला (पोलियो स्थानिकमारी वाले राज्यों-उत्तर प्रदेश और बिहार) प्रति निगरानी चिकित्सा अधिकारी के लिए 3 जिले (महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे सामान्य जोखिम के क्षेत्र) और अन्य राज्यों में प्रति निगरानी चिकित्सा अधिकारी के लिए लगभग 5 जिले हैं।

राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना मुख्यतया उत्तर प्रदेश और बिहार में क्षेत्रीय स्वयं सेवकों (1200) और अतिरिक्त अस्थाई भाड़े के मानीटरों (1000) के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पोलिये वैक्सीनेशन अभियानों के नियोजन और क्रियान्वयन की व्यापक मानीटरिंग करती है। राज्य, जिला और उप-जिला की सरकारें शोधक कार्रवाई करने और पोलियो अभियानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एन.पी.एस.पी. मानीटरिंग के माध्यम से सृजित आंकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग करती हैं।

राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना जिलों/राज्यों को पोलियो रोग प्रतिरक्षण अभियानों के लिए सूक्ष्म नियोजन हेतु दिशानिर्देश भी प्रदान करती है। वे उच्च जोखिम वाले राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश और बिहार में वैक्सीनेटरों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण संबंधी सहायता भी प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण और के.एफ.डब्ल्यू. बंकेन ग्रुप, जर्मनी पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण अभियानों के लिए मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। विश्व बैंक की सहायता प्रतिपूर्तिनीय है।

के.एफ.डब्ल्यू. सहायता अंशत: अनुदान और अंशत: उदार ऋण है और ऋण की धनराशि पर 0.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज है। यूनिसेफ को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण की सहायता से सीधे सुलभ है और उसका ओजीवी के लिए उपयोग किया जाता है।

(ङ) और (च) वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान जनवरी और फरवरी, 2008 में देश भर में 2 राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों का आयोजन किया गया था। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 2007 तथा मार्च, 2008 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पोलियो से प्रभावित राज्यों के अन्य उच्च जोखिम वाले जिलों में 8 उप-राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में पोलियो के मामलों का पता लगाने के लिए मॉप अप रोग प्रतिरक्षण दौर चलाए गए थे।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों को पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए जारी किया गया धन

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.02
2.	असम	735.46
3.	मणिपुर	64.99
4.	मेघालय	79.04
5.	मिजोरम	25.09
6.	नागालैंड	53.98
7.	सिक्किम	14.65
8.	त्रिपुरा	79.16
9.	बिहार	6233.56
10.	मध्य प्रदेश	1097.10
11.	उड़ीसा	564.06
12.	राजस्थान	1430.47
13.	उत्तर प्रदेश	17616.78
14.	उत्तरांचल	585.52
15.	छत्तीसगढ़	372.56
16.	झारखंड	781.73
17.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	14.70
18.	आंध्र प्रदेश	2710.10
19.	चंडीगढ़	14.38
20.	दादरा एवं नगर हवेली	2.97
21.	दमन एवं दीव	2.25
22.	दिल्ली	1079.46
23.	गोवा	9.78
24.	गुजरात	1300.49
25.	हरियाणा	827.03
26.	हिमाचल प्रदेश	102.93
27.	जम्मू-कश्मीर	179.38
28.	कर्नाटक	786.51
29.	केरल	203.13
30.	लक्षद्वीप	2.84
31.	महाराष्ट्र	2516.63
32.	पांडिचेरी	19.60
33.	पंजाब	657.29
34.	तमिलनाडु	512.65
35.	पश्चिम बंगाल	1484.96
	कुल	42211.27

सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पैनल में शामिल अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्रों की बकाया राशि

***432. श्री उदय सिंह:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत पैनल में शामिल अधिकांश अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों ने सरकार द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों का उपचार करने से इंकार कर दिया है जैसा कि 24 मार्च, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक न चुकाई गई बकाया धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की अभी तक न चुकाई गई बकाया धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिलों को स्वीकृत किए जाने की संभावना है।

विवरण

दिनांक 10.4.2008 की स्थिति के अनुसार निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के लम्बित बिलों की स्थिति

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	लम्बित बिलों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4
1.	एस्कोर्ट अस्पताल, फरीदाबाद	12	1.1 करोड़
2.	जीवन अनमोल	10	46.00 लाख
3.	जीवन माला अस्पताल	10	48.40 लाख
4.	जीवन नर्सिंग होम, पूसा रोड	10	54.60 लाख
5.	बत्रा अस्पताल	8	12.25 लाख
6.	कल्याणी अस्पताल, गुड़गांव	10	17.07 लाख
7.	मेट्रो अस्पताल, नोएडा	12	1.60 करोड़
8.	मेट्रो अस्पताल, लाजपत नगर	10	56.70 लाख
9.	अपोलो अस्पताल	17	2.00 करोड़
10.	यशोदा अस्पताल	10	89.70 लाख
11.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल	5	1.80 करोड़
12.	प्रकाश अस्पताल	5	40.11 लाख
13.	राजीव गांधी अस्पताल	2	40.78 लाख
14.	रॉकलैंड अस्पताल	10	2.04 करोड़
15.	शीतला अस्पताल	10	18.05 लाख
16.	कुकरेजा अस्पताल	6	43.70 लाख
17.	कालरा अस्पताल	7	50.20 लाख

1	2	3	4
18.	पार्क अस्पताल	5	90.70 लाख
19.	जी.एम. मोदी अस्पताल	5	35.07 लाख
20.	ओर्थोनोवा अस्पताल	6	1.20 करोड़
21.	एमजीएस अस्पताल	10	87.50 लाख
22.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल	6	3.18 करोड़
23.	सेंट स्टीफन अस्पताल	10	97 लाख
24.	धर्मशिला अस्पताल	1	3.03 लाख
25.	जयपुर गोल्डन अस्पताल	2	15.00 लाख
26.	कैलाश अस्पताल	14	1.10 करोड़
27.	माता चानन देवी अस्पताल	6	87 लाख
28.	बापू नेचर क्यूर	6	15.90 लाख
29.	एस्कोर्ट हर्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	12	8.90 करोड़
30.	तीरथ राम शाह अस्पताल	6	4.89 लाख
31.	सेंटर फार साइट	6	68.70 लाख
32.	आर.एल.के.सी. अस्पताल	10	32.06 लाख
33.	सत्या मेडिकल सेंटर	6	3.48 लाख
34.	संत परमानंद अस्पताल	8	23.58 लाख
35.	वेणु आई इंस्टीट्यूट	6	12.67 लाख
36.	सुन्दर लाल जैन अस्पताल	10	59.8 लाख
37.	मैट्रो हर्ट इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	12	14.48 लाख
38.	ब्रह्म शक्ति अस्पताल	3	2.90 लाख
39.	एक्शन बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट	5	1.60 करोड़
40.	कृष्णा दत्त हैल्थ सेंटर	3	5.60 लाख
41.	मैक्स अस्पताल, दिल्ली	5	1.40 करोड़
42.	डी-रिकोग्नाइज्ड/रोक दिए गए रेफरल अस्पतालों एवं नैदानिक केन्द्रों के लम्बित बिल	25	2.5 करोड़
43.	सीजीएचएस के तहत मान्यता प्राप्त नैदानिक केन्द्रों के लम्बित बिल	370	6.5 करोड़
	कुल		47.00 करोड़

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन

***433. श्री सूरज सिंह:**
श्री गणेश सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित विद्युत की मात्रा अन्य विकसित देशों के ऐसे विद्युत उत्पादन की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्व में परमाणु ऊर्जा से उत्पादित कुल विद्युत की तुलना में परमाणु ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित विद्युत, ताप विद्युत और जल विद्युत की तुलना में सस्ती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित विद्युत पर प्रति यूनिट कितना व्यय होता है; और

(च) देश में परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) कैलेंडर वर्ष 2007 में कुछ विकसित देशों और भारत में नाभिकीय-शक्ति से उत्पादित बिजली की प्रमात्रा (निवल) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

देश	वर्ष 2007 में नाभिकीय शक्ति से उत्पादित बिजली (निवल) (बिलियन यूनिट)
संयुक्त राज्य अमरीका	806.50
फ्रांस	418.60
जापान	266.39
रूसी परिसंघ	147.77
जर्मनी	133.21
भारत	15.91

स्रोत: पीआरआईएस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। उपर्युक्त आंकड़े निवल हैं, इनमें अनुषंगी खपत शामिल नहीं है।

भारत में परमाणु विद्युत के कम उत्पादन का कारण, 4120 मेगावाट-ई की स्थापित क्षमता का लघु आधार होना है। अन्य देशों से भिन्न, भारत के परमाणु विद्युत कार्यक्रम का उद्देश्य, प्रतिबंधी व्यापार अवरोधों वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी बंचन व्यवस्था के वातावरण में, रिएक्टर प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाओं के जरिए दीर्घावधि में अपने, थोरियम संसाधनों की विशाल ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना है। अत:, इस अग्रणी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक सक्षमता विकसित करने में समय लगा।

(ग) वर्ष 2007 में, विश्वभर में उत्पादित कुल नाभिकीय ऊर्जा में से, देश में उत्पादित नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 0.6 प्रतिशत था।

(घ) परमाणु बिजलीघर, बेस लोड स्टेशन हैं और उनके शुल्क, कोयले की खानों से दूर स्थित कोयले से चलने वाले ताप बिजलीघरों के साथ प्रतिस्पर्धात्मतक हैं। जल विद्युत, स्थल और मौसम विशिष्ट होने की वजह से, तुलनीय नहीं है।

(ङ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 में परमाणु विद्युत का औसत उत्पादन शुल्क क्रमश: 2 रुपए 32 पैसे और 2 रुपए 19 पैसे प्रति यूनिट था।

(च) निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने के साथ ही, 4120 मेगावाट-ई की मौजूदा स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता के मार्च, 2011 तक 7280 मेगावाट-ई तक पहुंच जाने की आशा है। वर्ष 2020 तक परमाणु विद्युत क्षमता को बढ़ाकर लगभग 20,000 मेगावाट-ई तक करने के लिए भविष्य में और अधिक परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है।

भारतीय पोत परिवहन उद्योग का घटता हिस्सा

***434. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व पोत परिवहन उद्योग की तुलना में भारतीय पोत परिवहन उद्योग के विकास में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग के विकास में वृद्धि करने के लिए उद्योग के प्रबंधन में विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) विश्व नौवहन टनभार में भारतीय नौवहन के टनभार के हिस्से का प्रतिशत कुछ वर्षों से घटता जा रहा है। लॉयड्स रजिस्टर-फेयरप्ले वर्ल्ड फ्लीट आंकड़ों के अनुसार, विश्व टनभार में भारतीय टनभार का हिस्सा जो कि 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार 1.33% था 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार 1.16% रह गया। विश्व नौवहन टनभार में भारतीय नौवहन टनभार का प्रतिशत भारतीय नौवहन बेड़े में अपर्याप्त रूप से वृद्धि के कारण घटता जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ से भारतीय टनभार में वृद्धि को बढ़ाने के बारे में समय-समय पर परामर्श किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने पहले ही नौवहन टनभार में बढ़ोत्तरी को सुकर बनाए जाने के लिए टनभार कर लागू कर दिया है जिसके परिणाम पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दिए हैं। इसी प्रकार, पोत अधिग्रहण पर उदारीकरण नीति को लागू कर दिया गया है और सभी प्रकार के पोतों की खरीद को ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा, पोत अधिग्रहण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है और नए खरीदे गए पोतों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सरल बना दिया गया है।

[अनुवाद]

'सार्क' विकास कोष की स्थापना

***435. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार विकास कोष की स्थापना पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कोष में भारत का अंशदान कितना होगा;

(ग) सदस्य देशों द्वारा उक्त कोष के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कोष की स्थापना कब तक की जाएगी?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सार्क विकास कोष संबंधी करार को 29 नवंबर, 2007 को अंतिम रूप दिया गया था। इसके उप नियमों को मार्च, 2008 में अंतिम रूप दिया गया। सार्क विकास कोष सबंधी करार पर 2-3 अगस्त, 2008 को कोलंबों में होने वाले 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सार्क विकास कोष का उद्देश्य सार्क क्षेत्र की जनता के कल्याण को बढ़ावा देना, उनकी जीवन शैली में सुधार लाना तथा क्षेत्र में आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति एवं गरीबी उन्मूलन को गति प्रदान करना है। यह कोष उन सार्क परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के संरक्षक वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करेगा, जो सार्क चार्टर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य परियोजना सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग एवं अखंडता में योगदान करना है।

भारत चालू वित्तीय वर्ष में सार्क विकास कोष के सामाजिक पक्ष के लिए प्रथमत: 38.47 मिलियन अमरीकी डालर का आकलित अंशदान और फिर 100 मिलियन अमरीकी डालर का स्वैच्छिक अंशदान देगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसके स्वैच्छिक अंशदान से वित्तपोषित परियोजनाओं को भारत में नहीं बल्कि अन्य सार्क देशों में कार्यान्वित किया जाएगा।

अंतिम रूप से तैयार किए गए सार्क विकास कोष करार के अनुसार सार्क विकास कोष के संसाधन को निम्नलिखित के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा:

(1) समस्त सार्क सदस्य देशों से संबद्ध परियोजनाएं;

(2) समस्त सार्क सदस्य देशों की नहीं बल्कि दो से अधिक देशों से संबद्ध परियोजनाएं;

(3) तीन या अधिक सार्क सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक हित वाली तथा एक या अधिक सार्क सदस्य देशों में अवस्थित परियोजनाएं; तथा

(4) एक उप-क्षेत्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में दो से अधिक सार्क सदस्य देशों के साथ विषयगत संपर्क रखने वाले किसी सदस्य देश में सामाजिक पक्ष के अंतर्गत यथा-परिकल्पित, गरीबी उन्मूलन पर मुख्य रूप से केन्द्रित परियोजनाएं।

मंत्री परिषद के 29वें सत्र (नई दिल्ली, 7-8 दिसंबर, 2007) में उपलब्ध निधियों से निर्धारित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अंतरिम सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु सार्क

सचिवालय में सार्क विकास कोष के लिए एक अस्थायी प्रकोष्ठ की स्थापना कर सार्क विकास कोष को संचालित करने का निर्णय लिया गया।

चिकुनगुनिया-पश्चात गठिया की समस्या का नियंत्रण

***436. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा पद्धति से चिकुनगुनिया-पश्चात गठिया की समस्या के नियंत्रण हेतु कोई व्यापक प्रस्ताव हआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने चिकुनगुनिया-पश्चात प्रभावों तथा अन्य संचारी रोगों के उपचार हेतु किसी उपचार पद्धति का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) आयुष चिकित्सा पद्धतियां जीर्ण और चयापचयी विकारों और उपचारार्थ अपनी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। विभिन्न राज्यों से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों द्वारा चिकुनगुनिया और जापानी एनसेफेलाइटिस जैसे वेक्टर-जन्य रोगों के उपचार की खबर मिली है। आयुष अनुसंधानों से संबंधित आंकड़ों को समेकित करने के लिए कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वे राष्ट्रीय वाइरोलाजी संस्थान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से उन्हें विधिमान्यकृत करें। कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने एकल और सम्मिश्रित औषध योगों का उपयोग करके चिकुनगुनिया के बाद उत्पन्न होने वाले गठिया रोग को नियंत्रित करने संबंधी उपाय बताए हैं। इन सभी दावों को भी विधिमान्यकृत किया जाना है।

[हिन्दी]

कोयले के लिए ई-आक्शन नीति की समीक्षा

***437. श्री रामदास आठवले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयले की बिक्री हेतु ई-आक्शन (इलेक्ट्रानिक नीलामी) नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ई-आक्शन नीति आरंभ करने से पूर्व कोई लागत-लाभ विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मेसर्स अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया प्रा.लि. और अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्यों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निदेशों के मद्देनजर सरकार में कोयला वितरण नीति पर सिफारिशें करने के लए सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नई कोयला वितरण नीति को अक्टूबर, 2007 में अनुमोदित कर दिया था। ई-नीलामी इस वितरण नीति का भाग है। कोयले की बिक्री के लिए ई-नीलामी की संशोधित योजना लागू करने की सिफारिश करते समय समिति ने ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए कोयले की निश्चित मात्रा प्रदान करने से सम्बद्ध विभिन्न लाभों को ध्यान में रखा था।

[अनुवाद]

राजमार्गों की सुरक्षा हेतु माडल

***438. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों की सुरक्षा के संबंध में एक माडल को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करन के लिए सभी

संभव उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के डिजाइन तैयार करते समय स्थानीय यातायात को अलग करने, प्रतिरोध से बचने, दृश्यता में सुधार, पैदल यात्रियों की क्रासिंग सहित सुरक्षित मोड़, क्रासिंग की व्यवस्था, मर्जिंग एवं डायवर्जिंग, आसान ग्रेडिएंट, निर्बाध होरिजेंटल और वर्टिकल प्रोफाइल पर जोर दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए सर्विस रोड प्रमुख चौराहों पर ग्रेड सेपरेटरों, पैदल यात्रियों और पशुओं के सड़क पार करने के लिए भूमिगत मार्गों, रेलवे क्रासिंग पर सड़क उपरि पुलों, विश्राम क्षेत्र, बस-बेज, सुरक्षा अवरोधक और बेहतर यातायात संकेत और चिह्नांकन संबंधी प्रावधान किए जाते हैं।

डिजाइन कार्य, बेहतर इंजीनियरी पद्धति और भारतीय सड़क कांग्रेस और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है।

निर्माण के दौरान सड़क प्रयोक्ताओं को निर्माण स्थलों, डायवर्जन और बाधाओं के बारे में उचित संकेतों, चिह्नांकन, बेरीकेटिंग आदि के माध्यम से सूचित करने के प्रयास किए जाते हैं।

इंजीनियरी उपायों के अलावा, राजमार्गों का सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटनाओं के मामले में शीघ्र हस्तक्षेप के उद्देश्य से लगभग 50 किलोमीटर के अंतराल पर एंबुलेंस और क्रेनें तैनात की जाती हैं।

पूरे हो चुके खंडों की बड़ी लंबाई के लिए सुरक्षा संपरीक्षा की जाती है तथा इसके परिणामों का उपयोग सड़क डिजाइन और निर्माण के सुधार के लिए किया जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया चलती रहती है।

नए विमानपत्तनों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

***439. श्री मधु गौड यास्कीः**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नए विमानपत्तनों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(घ) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अभी भी लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) पिछले 2 वर्षों अर्थात् 2006 और 2007 के दौरान जनवरी, 1994 तथा सितम्बर, 2006 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 3 प्रस्ताव नए विमानपत्तनों तथा 22 प्रस्ताव मौजूदा विमानपत्तनों के विस्तार तथा उनके आधुनिकीकरण करने से संबंधित थे। आज की स्थिति के अनुसार मदुरै विमानपत्तन का विस्तार और उसका आधुनिकीकरण करने से संबंधित केवल एक परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है। प्रस्ताव-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) प्रस्तावों को स्वीकृति देने के निर्णय ढांचागत विकास और विविध परियोजनाओं से संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर लिए जाते हैं जो मामलों की जांच करने के लिए नियमित रूप से मासिक बैठकें करती हैं। पर्यावरण प्रभाव पूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में परियोजना प्रस्तावक से पूरी सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लेने के बारे में 105 दिन की समय-सीमा का प्रावधान रखा गया है।

विवरण

क्र.सं.	विषय	स्वीकृति की तारीख/स्थिति
1	2	3
1.	**नए विमानपत्तनों का निर्माण करने से संबंधित प्रस्ताव**	
1.	राज्य पी डब्ल्यू डी (सड़क और पुल) द्वारा सिक्किम के पूर्वी जिले के अंतर्गत नियांग में प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति-विमानपत्तन परियोजना	9.5.2006
2.	कोप्पाल जिला, कर्नाटक में एयरक्राफ्ट के प्रचालन हेतु एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति	18.5.2006

1	2	3
3.	नागपुर (एमआईएचएएन) में मल्टी-माडल इंटरनेशनल पेसेंजर एंड कार्गो हब एयरपोर्ट पर्यावरणीय स्वीकृति	1.6.2006
2.	**विमानपत्तनों का विस्तार तथा उनका आधुनिकीकरण करने से संबंधित प्रस्ताव**	
1.	विशाखापत्तनम एयरपोर्ट में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	2.2.2006
2.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद में नए डोमैस्टिक अराइवल ब्लाक का निर्माण	6.5.2006
3.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया द्वारा सरकार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद में नए इंटरनेशनल टर्मिनल भवन का निर्माण पर्यावरणीय स्वीकृति	31.7.2006
4.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया द्वारा उदयपुर (राजस्थान) स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के प्रस्तावित प्रसार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति	2.1.2007
5.	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण पर्यावरणीय स्वीकृति	17.1.2007
6.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया द्वारा विशेष रूप से सांगनेर एयरपोर्ट, जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों हेतु एक नए और स्वतंत्र टर्मिनल भवन का निर्माण करते हुए जयपुर एयरपोर्ट स्थित मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालन का विस्तार करना	17.1.2007
7.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, तिरूचिरापल्ली एयरपोर्ट, कोट्टापट्टू ग्राम, तिरूचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु द्वारा त्रिचि एयरपोर्ट में एक नए एकीकृत भवन का निर्माण करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति	9.3.2007
8.	मैसर्स मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. द्वारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिकीकरण परियोजना, मुम्बई के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति	3.4.2007
9.	जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. द्वारा शमशाबाद स्थित हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 7 एमपीपीए से 12 एमपीपीए तक विस्तार	10.4.2007
10.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता स्थित नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति	16.05.2007
11.	मैसर्स एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया, सूरत द्वारा सूरत, गुजरात स्थित मौजूदा सूरत एयरपोर्ट का विस्तार और विकास करने के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति	16.05.2007
12.	एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा मंगलौर एयरपोर्ट स्थित नए एकीकृत पैसेंजर टर्मिनल भवन और एप्रान का निर्माण	1.11.2007

1	2	3
13.	मैसर्स एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो एयरपोर्ट, खजुराहो स्थित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	4.3.2008
14.	एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया, अमृतसर द्वारा अमृतसर एयरोपोर्ट का उन्नयन और विकास (टर्मिनल भवन के माडल का विस्तार तथा संगत ढांचागत कार्य)	10.3.2008
15.	एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा कोलकाता (दमदम) स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एकीकृत टर्मिनल का निर्माण	18.3.2008
16.	मैसर्स एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा भोपाल एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश स्थित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	15.4.2008
17.	औरंगाबाद एयरपोर्ट फेस-2 में नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा अन्य संगत कार्यों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति	15.4.2008
18.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया द्वारा गोवा एयरपोर्ट का विकास	15.4.2006
19.	मैसर्स एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा मोहनबाड़ी, डिब्रुगढ़ में घरेलू टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति	15.4.2008
20.	मैसर्स एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा स्थित बीजू पटनायक एयरपोर्ट स्थित नए घरेलू पैसेंजर टर्मिनल भवन का निर्माण-पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई है।
21.	मैसर्स बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. द्वारा बंगलौर के निकट देवनहल्ली स्थित नए बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार	स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई है।
22.	मैसर्स एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा तमिलनाडु राज्य में मदुरै एयरपोर्ट, पेरुनगुड़ी ग्राम, मदुरै जिले में एकीकृत भवन का निर्माण	दिनांक 10.9.2007 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

राजमार्ग परियोजनाओं हेतु आबंटित धनराशि का कम उपयोग

***440. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क खंडों का निर्माण तथा रखरखाव का कार्य धनराशि के कम उपयोग के कारण बाधित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में आबंटित एवं व्यय की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि के उचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्माण और अनुरक्षण के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति पर नियमित रूप

से निगरानी रखी जाती है तथा खामियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निगरानी रखने के लिए मुख्य इंजीनियर के स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें की जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के सचिव के स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित राज्यीय समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, अंतर मंत्रालयों और केन्द्र-राज्य के मसलों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की है जो धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने में मदद करती है।

विदेशों में श्रमिकों का प्रवसन

4180. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान देश से श्रमिकों के अवैध प्रवसन एवं दुर्व्यापार के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के अवैध प्रवसन और दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अंतर्गत इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय, उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी के 17 देशों [संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब (केएसए), कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लिबिया, जोर्डन, यमन, सूडान, ब्रूने, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सिरिया, लेबनान और थाईलैंड] में उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासी भारतीय कामगारों को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते हैं।

तथापि, यात्रा/स्थानान्तरण वीजा पर विदेश जाने वाले और उस देश में रोजगार करने वाले कामगारों के मामले समय-समय पर इस मंत्रालय और भारतीय मिशनों के ध्यान में आए हैं। खाड़ी देश समय-समय पर अवैध उत्प्रवासियों के लिए क्षमादान की घोषणा करते हैं जिसमें वे या तो वहां रहने को विनियमित करा सकते हैं अथवा किसी दंड के देश छोड़ सकते हैं।

खाड़ी देशों में हमारे मिशनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों से अवैध भारतीय उत्प्रवासियों की सही संख्या के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं।

अवैध उत्प्रवास और कामगारों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:-

(1) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें गंभीर मामलों में उनका पंजीकरण प्रमाण-पत्र/लाइसेंस निलम्बित और रद्द किया जाता है।

(2) अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के मामले में शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों/उत्प्रवास संरक्षी को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 तथा समुचित कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने और कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

(3) विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में, ऐसे विदेशी नियोक्ता को पूर्व अनुमोदन श्रेणी (काली सूची) में रखा जाता है और परिणामस्वरूप उन्हें भारत से कामगारों की भर्ती की अनुमति नहीं होती है।

(4) विभिन्न कारणों से भारतीय कामगार के रहने को अवैध घोषित किए जाने के मामले में, भारतीय मिशन उनके वहां रहने को विनियमित कराने अथवा उनकी सुरक्षित भारत वापसी के लिए मामले को स्थायी प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं।

(5) यदि निर्वासन अपेक्षित है तो यह मंत्रालय उनकी सुरक्षित भारत वापसी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मिशनों, राज्य सरकार के प्राधिकारियों, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।

(6) मेजबान देशों द्वारा भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नवम्बर, 2007

में कतर के साथ 1985 में हुए करार को अद्यतन बनाने के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे समझौता ज्ञापन बहरीन, ओमान और यमन के साथ किए जा रहे हैं। ये समझौता ज्ञापन और करार श्रम और रोजगार में सहयोग के लिए एक व्यापक संरचना प्रदान करते हैं और साथ ही प्रवासी भारतीय कामगारों के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए एक प्रभावशाली शिकायत निर्वारण तंत्र के रूप में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त कार्यकारी समूहों की भी व्यवस्था करते हैं।

(7) उत्प्रवास प्रक्रियाओं के बारे में कामगारों को शिक्षित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया दोनों में व्यापक प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं।

इंटरनेट के माध्यम से औषधियों की बिक्री

4181. श्री रमेश दूबे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में इंटरनेट के माध्यम से औषधियों की अवैध बिक्री का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने सूचित किया है कि इंटरनेट के जरिए भारत में अवैध रूप से औषधियों की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत इसकी जानकारी में अब तक नहीं आई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गर्भ निरोधकों का उपयोग

4182. श्री महावीर भगोरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गर्भ निरोधक उपाय अपनाने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) देश में गर्भ निरोधकों के उपयोग का राज्य-वार प्रतिशत क्या है; और

(ग) इसके प्रचार एवं इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विश्व में गर्भनिरोधक उपाय अपनाने वाले चुनिंदा देशों के बीच भारत की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुम्बई से एकत्र किया गया है, विवरण-1 पर संलग्न है।

राष्ट्रीय परिवार, स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) के अनुसार गर्भनिरोधकों के प्रयोग का राज्यवार प्रतिशत विवरण-2 पर संलग्न है।

भारत सरकार, परिवार नियोजन के प्रति ग्राहक-केन्द्रित, गुणवत्ता उन्मुख मांग नियंत्रित एप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदायकों और स्वीकारकर्ताओं की चिंता पर ध्यान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना: परिवार नियोजन (क्षतिपूर्ति) बीमा योजना दिनांक 29.11.2005 से शुरू की गई थी जो मृत्यु, बंध्यीकरण के असफल होने तथा चिकित्सा संबंधी जटिलताओं के लिए सार्वजनिक/प्रत्यायित निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में बंध्यीकरण आपरेशन कराने वाले सभी व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करती है।

(2) मुआवजा पैकेज में संशोधन: मुआवजा पैकेज 7 सितम्बर, 2007 से बढ़ाया गया था। मौजूदा संशोधन में सभी राज्यों में स्वीकारकर्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए नसंबदी की दरें मौजूदा 800/- रुपए से बढ़ाकर 1500/- रुपए (स्वीकारकर्ता के लिए 1100/- रुपए है) और उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले और अधिक ध्यान न दिए जाने वाले क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाली जसनसंख्या की सभी श्रेणियों के लिए नलबंदी के लिए 800/- रुपए से बढ़ाकर 1100/- रुपए (स्वीकारकर्ता के लिए 600/- रुपए है) कर दी गई है। तथापि, अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणियों के लिए 650/- रुपए (स्वीकारकर्ता के लिए 250 रुपए) का पैकेज केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में नलबंदी के लिए प्रदान किया गया है।

(3) बिना चीरा बिना टांका नसबंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाना।

(4) आईयूडी 380ए को उसकी 10 वर्षों के जीवनकाल और अन्य आईयूडी के मुकाबले लाभकर होने के कारण व्यापक रूप से बढ़ावा देना।

(5) आईयूडी प्रदायकों की दक्षताओं में वृद्धि करना।

(6) निश्चित दिन परिवार नियोजन सेवायें।

(7) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रथम रेफरल यूनिटों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का रात दिन कार्य करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन करके परिवार नियोजन कार्य निष्पादन पर बल देना और अवसंरचना और जनशक्ति के संदर्भ में इन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना ताकि सेवा के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ाया जा सका।

आशा है कि उपर्युक्त उपायों में प्रदानकर्ता के आधार और संभावित ग्राहकों को मुआवजा देने के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा।

विवरण I

तालिका 1: विश्व में गर्भनिरोधक उपायों का इस्तेमाल करने वाले देशों के बीच भारत की स्थिति

गर्भनिरोधन का मौजूदा प्रयोग

	गर्भनिरोधक विधि	
	कोई भी विधि	कोई भी आधुनिक विधि
1	2	3
सब सहारन अफ्रीका		
बुरकीना-फासो 2003	13.8	8.8
केमरून 2004	26.0	12.5
चाड 2004	2.8	1.6
कांगो (ब्राजीविल्ले) 2005	44.3	12.7
इरीटेरिया 2002	8.0	7.3
इथोपिया 2005	14.7	13.9
घाना 2003	25.2	18.7
घाना 2005	9.1	5.7
केन्या 2003	39.3	31.5
लेसोथो 2004	37.3	35.2
माडागासकार 2003/2004	27.1	18.3
मालावी 2004	32.5	28.1
मोजम्बिक 2003	25.5	20.8
नाइजर 2006	11.2	5.0
नाइजीरिया 2003	12.6	8.2
रवांडा 2005	17.4	10.3
सेनेगल 2005	11.8	10.3
तंजानिया 2004	26.4	20.0
यूगांडा 2006	23.7	17.9
जाम्बिया 2001/02[1]	34.2	25.3
जिम्बाबवे 2005/06	60.2	58.4
नार्थ अफ्रीका/वेस्ट एशिया/यूरोप		
अर्मेनिया 2005	53.1	19.5
इजीप्ट 2005	59.2	56.5
जार्डन 2002	55.8	41.2
मोलडोवा रिपब्लिक 2005	67.8	43.8
मोरोक्को 2003-2004[2]	63.0	54.8
साउथ एंड साउथईस्ट एशिया		
बंगलादेश 2004[3]	58.5	47.6
कोम्बोडिया 2005	40.0	27.2
इंडोनेशिया 2002/2003	60.3	56.7
नेपाल 2006	48.0	44.2

1	2	3
फिलीपींस 2003	48.9	33.4
वियतनाम 2002	78.5	56.7
भारत 2006	56.3	48.5
लेटिन अमेरिका एंड केरीबियन		
बोलिविया 2003	58.4	34.9
कोलंबिया 2005	78.2	68.2
डोमिनीकन रिपब्लिक 2002	69.8	65.8
हैती 2005	32.0	24.8
होंडुरस 2005	65.2	56.4

स्रोत: मैक्रो इंटरनेशनल इंक. 2008. मेजर डीएचएस स्टैट कम्पाइलर http://www.measuredhs.com, 9 अप्रैल, 2008.

विवरण II

भारत में गर्भनिरोधक प्रयोग का राज्यवार प्रतिशत

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेंसी	वर्तमान में किसी भी विधि का प्रयोग करने वाले (%)	वर्तमान में किसी आधुनिक विधि का प्रयोग करने वाले (%)
1	2	3
अखिल भारतीय	56.3	48.5
आंध्र प्रदेश	67.6	67.0
असम	56.5	27.0
बिहार		28.9
छत्तीसगढ़	53.2	49.1
गुजरात	66.6	56.5
हरियाणा	63.4	58.3
झारखंड	35.7	31.1
कर्नाटक	63.6	62.5
केरल	68.6	57.9
मध्य प्रदेश	55.9	52.8
महाराष्ट्र	66.9	64.9
उड़ीसा	50.7	44.7
पंजाब	63.3	56.1
राजस्थान	47.2	44.4
तमिलनाडु	61.4	60.0
उत्तर प्रदेश	43.6	29.3
पश्चिम बंगाल	71.2	49.9
अरुणाचल प्रदेश	43.2	37.3
दिल्ली	66.9	56.5
गोवा	48.2	37.2
हिमाचल प्रदेश	72.6	71.0
जम्मू-कश्मीर	52.6	44.9
मणिपुर	48.7	23.6
मेघालय	24.3	18.5
मिजोरम	59.9	59.6
नागालैंड	29.7	22.5
सिक्किम	57.6	48.7
त्रिपुरा	65.7	44.9
उत्तरांचल	59.3	55.5

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

4183. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय नदी कार्य योजना (एनआरएपी) के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी होगी;

(ग) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी मांगने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कर्नाटक के 9 शहरों में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने 11 अतिरिक्त शहरों अर्थात् बगलकोट, मुद्दुर, बैलाहोंगल, शाहबाद, हास्पेट, गंगावटी, कनकपुरा यादगीर, डांडेली, सिरागप्पा और माडीकेरी के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की कुल अनुमानित लागत 162.17 करोड़ रु. है। अपर्याप्त परिव्यय के कारण, इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका और कर्नाटक राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

कार्पोरेटों को वन भूमि का आबंटन

4184. श्री बाबू राव मिडियम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय/विदेशी कार्पोरेटों को कोई वन भूमि सौंपी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन भूखंडों को जनजातियों को वापस लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) जनजातियों के विस्थापन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारतीय/विदेशी मूल की किसी निजी व्यैक्तिक कंपनी को किसी तरह की वनभूमि नहीं सौंपी जा सकती। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत एक विशेष अवधि के लिए वनभूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है जोकि उसके उपयोग करने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 207952 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी प्रयोजन हेतु किया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार ने वनभूमि पर जनजातियों तथा अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए "शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडीशनल फारेस्ट ड्वेलर्स (रिकोग्नीशन आफ फारेस्ट राइट्स) एक्ट, 2006" पारित कर दिया है।

बाघ पार्कों के लिए वित्तीय संकट

4185. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बाघ पार्क रख-रखाव के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाघ पार्कों के नजदीक स्थित होटलों को बाघ पार्कों के संरक्षण के लिए भुगतान करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बाघ पार्कों तथा अन्य वन्यजीव अभयारण्यों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए अधिक राजस्व के सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, नहीं। बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत नामोद्दिष्ट बाघ रिजर्वों में बाघ संरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बाघ कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर बाघ संरक्षण योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समुदाय विकास हेतु निजी, कमर्शियल टूअर आपरेटर्स और लाज मालिकों की सहभागिता है।

(ङ) स्थानीय लोगों की भागीदारी से विकास के लिए बिना लाभ आधारित केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए प्रबंधन कार्यों को सरल बनाने तथा उनकी सहायता करने के लिए वर्ष 2006 में यथासंशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 36× के अंतर्गत सांविधिक उपबंधों के अनुसार रिजर्व विशिष्ट बाघ संरक्षण फाउंडेशन स्थापित करने के लिए बाघ आबादी वाले राज्यों को एडवाइजरीज जारी की गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाघ रिजर्वों को जारी किए गए धन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	बांधवगढ़	85.00	142.50	170.39
2.	बांदीपुर	367.095	321.925	175.00
3.	भद्रा	119.197	105.83	44.067
4.	बक्सा	50.75	87.50	60.00
5.	कार्बेट	200.12	147.182	160.295
6.	दम्पा	94.34	61.00	78.16
7.	दुधवा	175.215	152.687	75.00
8.	इन्द्रावती	27.75	1.2175	10.00
9.	कालाकड़ मुंडनथुरई	80.00	90.00	85.165
10.	कान्हा	197.50	241.00	211.34
11.	मानस	–	80.00	30.00
12.	मेलघाट	93.183	165.00	134.51
13.	नागार्जुनसागर	15.00	45.923	35.00
14.	नामदाफा	–	75.00	75.00
15.	नामेरी	–	–	35.00
16.	पाक्के	35.00	74.10	135.4725
17.	पलामू	72.5005	153.00	100.00
18.	पन्ना	60.00	97.00	150.00
19.	पेंच (म.प्र.)	97.43	128.63	75.85
20.	पेंच (महाराष्ट्र)	87.77	75.00	45.00
21.	पेरियार	105.75	105.00	109.00
22.	रणथम्भौर	–	142.053	100.876
23.	सरिस्का	79.00	100.00	13497
24.	सतपुड़ा	170.00	100.00	134.97
25.	सिमलीपाल	116.4395	80.00	150.25
26.	सुन्दरबन	274.74	129.68638	117.30
27.	ताडोबा-अंधेरी	75.00	63.07	50.00
28.	वाल्मीकि	85.00	3.475	37.1454
	कुल	2763.78	2994.77888	2584.7909

इसरो तथा नासा के बीच समझौते

4186. श्री चाडिगा रामकृष्णा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज के लिए इसरो तथा नासा के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इस मसझौते से चन्द्रयान-1 कायक्रम में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के बीच फरवरी 1, 2008 को एक ढांचा करार पर हस्ताक्षर किया गया। इस करार की प्रारंभिक वैधता दस वर्षों की है और यह विशिष्ट क्रियान्वयन व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन दो पक्षों के बीच विविध सहयोगात्मक क्रियाकलापों की अनुमति प्रदान करता है।

(ख) सहयोग के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में पृथ्वी विज्ञान, पर्यवेक्षण और मानीटरन; अंतरिक्ष विज्ञान; खोज प्रणालियां; अंतरिक्ष प्रचालन और परस्पर हित से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) चंद्रयान-1 पर इसरो और नासा के बीच सहयोग मई, 2006 में हस्ताक्षरित दो समझौता-ज्ञापनों के अंतर्गत अलग से आवृत्त है।

आयुष के लिए आवंटित धनराशि

4187. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बजट 2008-09 में आयुष के अंतर्गत कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) आवंटित धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2008-09 के लिए आयुष कार्यक्रम हेतु आवंटित निधियां निम्नानुसार हैं:-

(रु. करोड़ में)

योजना	योजनेत्तर	कुल
534	89	623

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान आवंटित निधियां और 31 मार्च, 2008 तक उनके उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रु. करोड़ में)

	योजना	योजनोत्तर	कुल
बजट अनुमान 2007-08	488.00	75.88	563.88
उपयोग में लाई गई निधियां 2007-08*	382.45	75.99	458.44

*(आंकड़े अनंतिम हैं)

(ग) निधियों को उपयोग में न लाए जाने के कारण निम्नवत् हैं:-

* वर्ष 2007-08 11वीं योजना का प्रथम वर्ष था इसलिए नई और संशोधित स्कीमों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लिए जाने थे। संशोधित और नई स्कीमों की संस्वीकृति में समय लगने के कारण प्रथम दो तिमाहियों में कम खर्च हुआ जिसके कारण संशोधित अनुमान में कमी आई।
* शैक्षणिक संस्थानों यथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के लिए निर्धारित निधियों को इसलिए उपयोग में नहीं लाया जा सका चूंकि ओ.बी.सी. के कार्यान्वयनार्थ अपेक्षित अवसंरचना और कार्मिकों की विस्तारण प्रक्रिया पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में रोक लगा दी गई थी।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्य

4188. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब तथा बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप आज तक कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इन राज्यों में कुछ योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके सफल कार्यान्वयन हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और राजस्थान सहित 18 राज्यों, 8 पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर को विशेष ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्य बल पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पानी, सफाई, शिक्षा, पोषण आदि जैसे स्वास्थ्य के कोलेटरल निर्धारकों पर एक साथ कार्रवाई को सुकर बनाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में सांस्थानिक एकीकरण किया गया है और कार्य-निष्पादन को भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों के मुकाबले मापा जाता है जो सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने सभी स्तरों पर ध्यान प्रकीर्ण स्कीमों से हटा कर कार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति पर शिफ्ट कर दिया है और यह राज्यों को विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए विस्तृत नम्यता प्रदान करता है। राज्यों की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में एनआरएचएम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित ढांचे में वर्णित मुख्य कार्यनीतियों के साथ स्थानीय आवश्यकताएं भी प्रतिबिंबित हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न कार्यनीतियों में बिहार और पंजाब राज्यों में संतोषजनक ढंग से प्रगति हो रही है। सरकार राज्यों द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों को लगातार बनाए रखने को सुनिश्चित करती है। कार्यनिष्पादन की एक नियमित एमआईएस, स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा समवर्ती विषयक मूल्यांकनों और सामुदायिक मानीटरिंग के जरिए मानीटरिंग की जाती है।

बिहार और पंजाब दोनों ने स्वास्थ्य क्षेत्र अवसंरचना का व्यापक नवीकरण शुरू किया है और संविदात्मक नियुक्तियों के जरिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों में वृद्धि की है। एनआरएचएम के शुरू से दोनों राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, रेंज, गुणवत्ता और उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ है।

चिकित्सा महाविद्यायल का उन्नयन

4189. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार चिकित्सा महाविद्यालय भवनों के निर्माण/उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों विशेषरूप से मध्य प्रदेश से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए तथा कितने प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित हैं तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरा केन्द्रीय वित्त पोषण द्वारा राज्य सरकार के मेडिकल/डेंटल कालेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन से संबंधित योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इस संबंध में केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थाओं से 60 (साठ) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मेडिकल/डेंटल कालेजों ने केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:-

(1) एसएस मेडिकल कालेज, रीवा

(2) एमजीएम मेडिकल कालेज, इंदौर

(3) गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल

(4) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर

(5) गवर्नमेंट कालेज आफ डेंटिस्ट्री, इंदौर

उड़ीसा में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

4190. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता या अन्य सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गैर-सरकारी संगठन-वार इन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन हैं जिनके संबंध में कमियां पाई गई हैं; और

(ङ) इन चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां, निधियां प्रजनन बाल स्वास्थ्य योजना (आरसीएच-2) के अधीन राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, उड़ीसा के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान का भुगतान राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा किया जाता है जो उनका रिकार्ड रखती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, उड़ीसा को 687.76 लाख रुपए जारी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

2005-06	:	397.5 लाख रुपए
2006-07	:	शून्य
2007-08	:	290.26 लाख रुपए

(ग) जी, हां, एमएनजीओ स्कीम की मानीटरिंग संबंधित राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा की जाती है।

(घ) राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा किए गए बाह्य मूल्यांकन के दौरान 6 एमएनजीओ का निष्पादन खराब पाया गया। एमएनजीओ के नाम इस प्रकार हैं:-

1. बोलांगीर जिले में आर्गेनाइजेशन आफ सोशल चेंज एंड रूरल डिवलपमेंट
2. नवरंगपुर जिले में एनीमल वेल्फेयर सोसाइटी
3. खुर्दा जिले में आंचलिका कुंजेश्वरी संकरुत संसद
4. ढेंकनाल जिले में इंस्टीट्यूट फार सोशल वर्क एंड एक्शन रिसर्च
5. बालेश्वर जिले में एनआईएचएआरडी
6. मयूरभंज जिले में नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान

(ङ) इन एमएनजीओ को सूची से हटा दिया गया है और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उन्हें आगे वित्त-पोषित करना बंद कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में चिरंजीवी योजना

4191. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में चिरंजीवी योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से क्रियान्वित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

4192. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खंडवार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा व्यय की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत 57 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। 30 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई/शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे

क्र.सं.	ठेका खंड	रा.रा.	लंबाई (किमी)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	स्थिति	पूरा होने की तारीख/ पूरा होने की संभावित तारीख संचित व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
एनएचडीपी चरण 1						
स्वर्णिम चतुर्भुज						
1.	इच्छापुरम-कोरलम (एपी-4बी) किमी 233-किमी 200	5	33.00	143.05	4 लेन 33	दिसम्बर 2005 95.53
2.	कोरलम-पलासा (एपी-4ए) किमी 200-किमी 171	5	29.00	135.11	4 लेन	अगस्त 2005 96.56
3.	पलासा-श्रीकाकुलम (एपी-2) किमी 171-किमी 97	5	74.00	324.00	4 लेन	जून 2005 266.75
4.	पुल खंड (एपी-6) किमी 233-किमी 98 श्रीकाकुलम-इच्छापुरम	5	0.00	79.14	4 लेन	जुलाई 2005 67.47
5.	श्रीकाकुलम-चंपावती (एपी-1) (शेष कार्य) किमी 97-किमी 49	5	48.00	171.97	4 लेन	मई 2007 154.54
6.	चंपावती-विशाखापत्तनम (एपी-3) किमी 49-किमी 2.8	5	46.20	200.00	4 लेन	फरवरी 2005 181.97
7.	पुल खंड (एपी-5) किमी 49-किमी 97 चंपावती-श्रीकाकुलम	5	0.00	71.00	4 लेन	सितम्बर 2003 55.1
8.	अनाकपल्ली-तुनी किमी 359.2-किमी 300 34.981 (2 लेन)	5	58.95	283.20	4 लेन	जनवरी 2005 249.87
9.	तुनी-धर्मावरम (एपी-16) किमी 300-किमी 253	5	47.00	231.90	4 लेन	अगस्त 2005 268.2
10.	धर्मावरम-राजमुंदरी (एपी-15) किमी 253-किमी 200	5	53.00	206.00	4 लेन	मार्च 2005 300.33

1	2	3	4	5	6	7
11.	दिवानचेरू (राजमुंदरी के पास)-गोथामी (एपी-17) किमी 200-किमी 164.5	5	34.95	130.80	4 लेन	मार्च 2005 95.57
12.	पुल खंड (एपी-19) किमी 162-किमी 200 (वी-वी खंड)	5	2.45	136.45	4 लेन	मार्च 2005 100.56
13.	गोथामी-गुंडुगोलानू (एपी-18) किमी 164.5-किमी 80	5	81.08	323.35	4 लेन	फरवरी 2004 340.8
14.	पुल खंड (एपी-20) किमी 80-किमी 162 (वी-वी खंड)	5	0.00	131.33	4 लेन	मई 2005 96.28
15.	विजयवाड़ा-राजमुंदरी खंड (इलूरू के समीप) किमी 75-किमी 80	5	5.00	19.00	4 लेन	मार्च 2002 15.37
16.	इलूरू-विजयवाड़ा पैकेज 5 किमी 75-किमी 3.4	5	72.00	134.00	4 लेन	जनवरी 2002 347.19
17.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज 1 किमी 355-किमी 380	5	25.00	60.00	4 लेन	जनवरी 2003 77.65
18.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज 2 किमी 380-किमी 396.8 (गुंटूर बाइपास सहित: किमी 0-किमी 15.2)	5	32.00	80.00	4 लेन	जनवरी 2003 70.61
19.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज 3 किमी 408-किमी 420.5 (कृष्णा पुल पहुंचमार्ग सहित: किमी 0-किमी 10.8)	5	23.78	68.00	4 लेन	जनवरी 2003 67.37
20.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज 4 किमी 10.8-किमी 13.68 (1792 मी. कृष्णा पुल + 1095 मी. पहुंच सड़क)	5	2.88	58.00	4 लेन	मई 2002 69.45
21.	चिलकालूरीपेट-ओंगोल (एपी-13) किमी 357.9-किमी 291	5	66.00	319.21	4 लेन	मार्च 2006 255.38
22.	ओंगोल-कवली (एपी-12) किमी 291-किमी 222	5	72.00	321.41	4 लेन	सितम्बर 2005 304.9

1	2	3	4	5	6	7
23.	कवली-नेल्लौर (एमपी-11) किमी 222-किमी 178	5	43.80	181.00	4 लेन	मई 2005 186.74
24.	नेल्लौर बाइपास किमी 178.2-किमी 161	5	17.17	143.20	4 लेन	सितम्बर 2004 147.6
25.	नेल्लौर-टाडा (एपी-7) किमी 163.6-किमी 52.8	5	110.52	621.35	4 लेन	दिसम्बर 2003 628.83
	अन्य					
26.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	35.00	138.65	4 लेन	जून 2004 80.87
27.	नंदीगांव-विजयवाड़ा 13 किमी 4 लेन और 35 किमी 2 लेन	9	48.00	75.50	4 लेन	अप्रैल 2000 80.87
	पत्तन सड़क संपर्क					
28.	विशाखापत्तनम पत्तन 3.6 किमी 4 लेन, 8.57 किमी 2 लेन महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क चरण 1	एसआर	12.00	93.79	4 लेन	नवम्बर 2006 100.76
	एनएचडीपी चरण 2 **उत्तर-दक्षिण महामार्ग**					
29.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7) किमी 230 से किमी 278	7	48.00	546.83	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च 2010 32.7
30.	अरमूर से कडलूर येलारेड्डी (एनएस-2/एपी-1) किमी 308 से किमी 367	7	60.25	390.56	अभी सौंपा जाना है	मार्च 2011 15.49
31.	कडलूर येलारेड्डी से पोचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/एपी-2) किमी 367 से किमी 447	7	85.74	490.00	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च 2009 413.4
32.	महा/आं.प्र. सीमा से इस्लामनगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6) किमी 175 से किमी 230	7	55.00	360.42	कार्यान्वयन के अधीन	नवम्बर 2009 46.97
33.	कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-8) किमी 447-किमी 464	7	17.00	40.83	4 लेन	अप्रैल 2002 38.53

1	2	3	4	5	6	7
34.	कादल से अरमूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8) किमी 278 से किमी 308	7	31.00	271.73	कार्यान्वयन के अधीन	नवम्बर 2009 80.31
35.	गुंडला पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)-शेष कार्य किमी 464.00-किमी 474.00 व किमी 9.40-किमी 22.30	7	23.10	71.57	कार्यान्वयन के अधीन	दिसम्बर 2008 92.45
36.	थोंडापल्ली से फारूखनगर (एनएस/9) किमी 22.3-किमी 34.8	7	12.50	27.63	4 लेन	जनवरी 2003 25.49
37.	फारूखनगर से कोटाकाटा (एनएस-2/एपी-3) किमी 34.140 से किमी 80.050	7	46.16	255.00	कार्यान्वयन के अधीन	फरवरी 2009 240.17
38.	फारूखनगर से कोटाकाटा (एनएस-2/एपी-4) किमी 80.050 से किमी 135.469	7	55.74	302.00	कार्यान्वयन के अधीन	फरवरी 2009 233.61
39.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) किमी 135.469 से किमी 211	7	74.65	592.00	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च 2009 454.23
40.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-10) किमी 211 से किमी 251	7	40.00	194.80	कार्यान्वयन के अधीन	अगस्त 2009 38.87
41.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11) किमी 251 से किमी 293.4	7	42.40	208.46	कार्यान्वयन के अधीन	अगस्त, 2009 47.08
42.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-12) किमी 293.4 से किमी 336	7	42.60	239.19	कार्यान्वयन के अधीन	सितम्बर 2009 27.28
43.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-13) किमी 336 से किमी 376	7	40.00	243.38	कार्यान्वयन के अधीन	सितम्बर 2009 20.28
44.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14) किमी 376 से किमी 418	7	42.00	205.92	कार्यान्वयन के अधीन	अगस्त 2009 47.96
45.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-15) किमी 418 से किमी 463.6	7	45.60	243.64	कार्यान्वयन के अधीन	अगस्त 2009 52.19
	एनएचडीपी चरण 3					
46.	हैदराबाद-विजयवाड़ा	9	182.00	1460.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2013
47.	विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	9	65.00	468.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2013
48.	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै	205	44.00	408.50	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2013

1	2	3	4	5	6	7
49.	हैदराबाद-यादगिरि	202	30.00	300.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2013
50.	कुडप्पा-माइदुकुर-कुरनूल	18	192.50	1567	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2013
	एनएचडीपी चरण 5					
51.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन)	5	82.50	572.30	कार्यान्वयन के अधीन	दिसम्बर 2012
52.	विजयवाड़ा-राजमुंदरी (6 लेन)	5	198.20	1687.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2012
53.	विशाखापत्तनम-अनापल्ली-राजमुंदरी (6 लेन)	5	201.14	1275.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2012
54.	श्रीकाकुलम-विशाखापत्तनम (6 लेन)	5	94.41	599.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2012
55.	श्रीकाकुलम-इच्छापुरम (6 लेन)	5	135.80	861.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2012
56.	टाडा-नेल्लौर बाइपास (6 लेन)	5	127.97	811.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2012
57.	नेल्लौर-चिल्कालूरीपेट (6 लेन)	5	183.52	1731.00	अभी सौंपा जाना है	दिसम्बर 2012

[अनुवाद]

के बी के क्षेत्र के लोगों का उत्थान

4193. श्री परसुराम माझी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के केबीके क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति के उत्थान हेतु कोई योजना शुरू करने का है ताकि इस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) के.बी.के. जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं जिनके लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए का कुल आबंटन है और जो बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के दो घटकों नामत: (क) 130 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की विशेष योजना एवं (ख) 120 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के जिला घटक से मिलकर बना है। कार्यक्रम के तहत निधियां स्थानीय अवसंरचनाओं एवं विकास की अन्य आवश्यकताओं, जिन्हें विभिन्न स्कीमों के तहत मौजूदा अंतप्रवाहों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है, को अनुपूरित करने एवं महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। जिलों द्वारा प्रक्षेपित योजनाओं पर आधारित स्कीमों में सिंचाई अवसंरचना, कृषि उन्नयन स्कीम, सड़कें, पुल, स्कूल, विद्युतीकरण, जलापूर्ति, पशुपालन, स्व-सहायता समूहों के लिए भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों, सूखा

से बचाव, बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वानिकी, मत्स्यपालन, बाजार परिसर, कृषक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भवनों एवं आपात पोषाहार कार्यक्रम सरीखी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान के.बी.के. जिलों को जिला घटक के तहत 110.09 करोड़ रुपए एवं विशेष योजना के तहत 130 करोड़ रुपए जारी किए गए। बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के जिला घटक के मामले में पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के अतिरिक्त, राज्य सरकार 120 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन के साथ बीजू के.बी.के. योजना भी कार्यान्वित कर रही है।

वल्लारपादम कंटेनर टर्मिनल के लिए चार लेनों वाली सड़क

4194. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच्चि में वल्लारपादम कंटेनर टर्मिनल को जोड़ने वाली चार लेनों वाली सड़क के निर्माण को अनुमोदित कर दिया गया है तथा इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई एवं अब तक कितनी राशि जारी की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुथिनप्पा): (क) से (ग) जी हां। यह कार्य 10 अगस्त, 2007 को प्रारंभ हुआ और सड़क एवं पुल के विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 557.00 करोड़ रु. है। अभी तक इस प्रयोजन के लिए 175.18 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर मामले का समाधान

4195. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति 2006 में हवाना में एक बैठक के दौरान जम्मू और कश्मीर मामले का शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा समाधान करने पर सहमत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार किए गए तौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। इस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सहित सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा निपटाए जाने के परस्पर स्वीकार्य विकल्पों की संयुक्त तलाश पूरी निष्ठा और प्रयोजनमूलक तरीके से जारी रखी जाए।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों के बीच बस सेवा, क्रासिंग प्वाइंट और ट्रक सेवा सहित विभिन्न विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में पहले किए गए करारों और समझौतों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने पर सहमति हुई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होमियोपैथी औषधालय

4196. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने होमियोपैथी औषधालय चल रहे हैं;

(ख) क्या इन औषधालयों में कर्मचारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) प्रत्येक होमियोपैथी औषधालय में प्रतिदिन औसतन कितने मरीज आते हैं;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान और अधिक संख्या में ऐसे औषधालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन तीन होमियोपैथिक औषधालय और 10 होमियोपैथिक एकक कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रत्येक होमियोपैथिक औषधालय में आने वाले रोगियों की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गई है:

आर.के. पुरम सैक्टर XII डिस्पेंसरी	–	223
देव नगर डिस्पेंसरी	–	125
काली बाड़ी डिस्पेंसरी	–	110
कालकाजी-I एकक	–	80
के.एन. I एकक	–	70
पुष्प विहार एकक	–	150
आर.के. पुरम III एकक	–	120
तिमारपुर एकक	–	75 से 80
लक्ष्मी नगर एकक	–	150
शाहदरा एकक	–	75
हरी नगर एकक	–	166
तिलक नगर एकक	–	175
साउथ एवेन्यू एकक	–	49

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वैश्विक तापन उत्सर्जन

4197. श्री मणि चारेनामैः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा किए जाने वाले वैश्विक तापन उत्सर्जन में से लगभग 19 प्रतिशत बड़े बांधों से होता है जैसाकि दिनांक 20 मई, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने बांधों को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी है तथा देश में राज्यवार विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल ने जल निकाय बनाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) मीथेन जो कि वैज्ञानिक रूप से एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, बांधों के जलाशयों से उत्सर्जित होती है। तथापि, भारतीय बांधों के जलाशयों से मीथेन गैस के उत्सर्जन से संबंधित कोई वैज्ञानिक अध्ययन आज तक नहीं किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बांधों, बैराजों और अन्य पथान्तरण ढांचों सहित 75 नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्वोत्त राज्यों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2005, 2006, 2007 और 2008) के दौरान नदी घाटियों और जलविद्युत परियोजनाओं, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति की सूची

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	स्वीकृति की तारीख	सृजित जलपिंड (स्थित)
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	सियांग मिडल (सियोम) पियोजना (1000 मेगावाट) जिला पश्चिम सियांग मै. नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.	11.03.2005	1891.41 हे.
2.	मै. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पापुमपारे जिले में पारे (डिकरोंग) हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (110 मेगावाट)	13.09.2006	35.17 हे.

1	2	3	4
	मेघालय		
3.	मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जिला री-भोई में न्यू उमतरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (40 मेगावाट)	13.03.2006	उपलब्ध नहीं
	सिक्किम		
4.	मै. गति इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा पूर्वी जिला सिक्किम छूआचेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (19 मेगावाट)	09.09.2005	उपलब्ध नहीं
5.	मै. डेन्स एनर्जी प्रा.लि. द्वारा दक्षिण सिक्किम में जोरेयांग लूप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (96 मेगावाट)	26.07.2006	10.10 हे.
6.	मै. लेन्को एनर्जी प्रा.लि. द्वारा दक्षिण सिक्किम जिले में तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (500 मेगावाट)	21.09.2006	36 हे.
7.	मै. तीस्ता ऊर्जा लि. द्वारा उत्तर सिक्किम जिला में तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (12.00 मेगावाट) स्टेज-3	04.08.2006	780 हे.
8.	मै. हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा.लि. द्वारा उत्तर सिक्किम जिला में पन्ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (280 मेगावाट)	02.01.2007	14.5 हे.
9.	मै. मध्य भारत पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा सिक्किम में रोंगनीधू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (96 मेगावाट)	04.04.2007	उपलब्ध नहीं
10.	मै. गति इन्फ्रास्ट्रक्चर सदा मंगदेर पावर प्रा.लि. द्वारा सिक्किम के पूर्वी जिला में भास्में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (51 मेगावाट)	15.05.2007	15.8526 हे.
11.	मै. गति इन्फ्रास्ट्रक्चर सदा मंगदेर पावर प्रा.लि. द्वारा सिक्किम के जिले में सदा मंगदेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (71 मेगावाट)	15.05.2007	उपलब्ध नहीं
12.	जल पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा रणजीत-4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (120 मेगावाट)	17.05.2007	उपलब्ध नहीं
13.	मै. स्नेह काइनेटिक पावर परियोजना लि. द्वारा सिक्किम के उत्तर और पूर्वी जिले में डिकछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना (96 मेगावाट)	01.04.2008	5.7 हे.

पत्तनों पर सुरक्षा

4198. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पत्तनों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पोत-परिवहन-विभाग के नियंत्रण के अधीन सभी महापत्तन न्यासों और शिपयार्डों के सुरक्षा से

संबंधित पहलुओं की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष, चैन्ने पत्तन न्यास, यातायात प्रबंधक, मुंबई पत्तन न्यास, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो और उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गयी सीबीआई जांच

4199. श्री संतोष गंगवार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में आज की तारीख तक सीबीआई जांच शुरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कितने मामलों की सिफारिश की गई है;

(ख) कितने मामलों में जांच शुरू की गयी थी और जांच हेतु कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कतिपय मामलों में सीबीआई जांच शुरू करने हेतु राज्य सरकार की सिफारिश स्वीकार नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने 01.01.2005 से कुल 21 मामलों की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी। इन मामलों में से 5 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अन्वेषण के लिए सौंप दिए गए हैं। इनमें से 8 मामलों को, ब्यूरो को अन्वेषण के लिए सौंपा जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया। जबकि 3 मामले और स्पष्टीकरण के लिए, राज्य सरकार को वापस भिजवा दिए गए। पहले मामलों की तुलना में हाल ही में प्राप्त 5 मामलों को, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाने की व्यवहार्यता के बारे में, ब्यूरो से परामर्श करते हुए जांच-पड़ताल की जा रही है। राज्य सरकार के प्रत्येक अनुरोध पर, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के मद्देनजर गुण-दोष आधार पर विचार करके निणर्य लिया जाता है।

राष्ट्रीय समविकास योजना की समीक्षा

4200. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय समविकास योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समविकास योजना की अवधि पूरी होने के बाद भी इसे जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। राज्यों के साथ आर.एस.वी.वाई. के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सम विकास योजना ने 6615.00 करोड़ रुपये का आबंटन मुहैया कराया जिसे 2003/04 से लेकर तीन वर्षों की अवधि के दौरान 147 जिलों, जिनमें से प्रत्येक जिला 7.50 करोड़ रुपये के दो किस्तों में 15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 45 करोड़ रुपये की दावेदारी का हकदार था, को दिया जाना था। अगस्त, 2006 में जब आर.एस.वी.वाई. स्कीम को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम में समाविष्ट किया गया था तो संबंधित जिलों ने केवल 2850.00 करोड़ रुपए का ही दावा किया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आर.एस.वी.वाई. के सभी 147 में से प्रत्येक जिले 45.00 करोड़ रुपए की अपनी संबंधित हकदारी के जारी होने तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत अपनी शेष हकदारी का आहरण जारी रखेंगे। अब तक आर.एस.वी.वाई. के तहत 70 जिलों ने अपनी कुल हकदारी के 45 करोड़ रुपए का दावा कर लिया है; 39 जिलों द्वारा एक और किस्त के दावा किए जाने की आवश्यकता है; 30 जिलों को दो और किस्तों का दावा करना है एवं केवल 8 जिलों द्वारा तीन या अधिक किस्तों का दावा किया जाना है। बचे हुए 77 जिलों को निर्गत की जाने वाली शेष राशि 916.68 करोड़ रुपए है। यह आशा है कि इनमें से ज्यादातर जिले वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आर.एस.वी.वाई. के तहत अपनी शेष हकदारी का दावा कर लेगें।

मरीजों को चिकित्सा रिकार्ड उपलब्ध कराना

4201. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मरीजों को चिकित्सा रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने इस संबंध में कोई कानून बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ता चिकित्सकों/अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली ने श्री अतानुदत्त एवं अन्य बनाम मैसर्स मूल चंद खैराती राम अस्पताल एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान और अन्य द्वारा दायर की गई 2005 की मूल याचिका सं. 47 में अन्य बातों के साथ-साथ देश भर के सभी अस्पतालों एवं चिकित्सकों को रोगी के चिकित्सा अभिलेख को उसे या उसके रिश्तेदारों को मांगे जाने पर 72 घण्टे के भीतर सौंपने की सूचना देते हुए अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश दिया है।

तदनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने दिनांक 23.1.2008 के अपने पत्र के तहत सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को इस संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीतिशास्त्र) विनियम, 2002 अध्याय अभिलेख का अनुरक्षण के खण्ड 1.3.2 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि यदि रोगियों/प्राधिकृत परिचर या विधिक प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा अभिलेखों के लिए कोई अनुरोध किया जाता है तो इसे समुचित रूप से अभिस्वीकृत किया जा सकता है और 72 घण्टों की अवधि के भीतर दस्तावेज जारी किए जाएंगे।

हर्बल औषधि के नाम पर एलोपैथिक दवाओं की बिक्री

4202. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ दवा विनिर्माता कंपनियां हर्बल औषधि के नाम पर एलोपैथिक दवाएं बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ऐसी हर्बल दवाओं के परीक्षण हेतु कुछ प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनसे हर्बल दवा विनिर्माता उनका प्रमाण-पत्र हासिल करते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कुछ औषध विनिर्माण कंपनियां एलोपैथिक औषधों को हर्बल औषधों के नाम से बेच रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने ऐसी हर्बल औषधों की जांच के लिए कोई विशिष्ट प्रयोगशाला स्थापित नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जी-8 देशों द्वारा वैश्विक कोष की स्थापना

4203. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-8 औद्योगिक देशों ने एड्स, टीबी और मलेरिया बीमारी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक कोष की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत को अब तक कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) ऐसी धनराशि की सहायता से शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। 2001 में ओकीनावा में जी-8 देशों के एक निर्णय के अनुसार में एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) स्थापित की गई थी।

इस वैश्विक निधि का उद्देश्य एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से लड़ने के लिए निम्न आय वाले देशों को अनुदान प्रदान करने हेतु निधियां एकत्र करना, आवंटित करना और संवितरित करना तथा सरकारों, व्यापार घरानों और व्यक्तियों से धन एकत्रित करना है।

अब तक जी एफ टी एम ने 10.75 बिलियन अमेरिकी डालर के प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं और 5.47 विलयन अमरीकी डालर वितरित किए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत को आवंटित किए गए अनुदानों की कुल राशि 2395.5 करोड़ रु. है जो इस प्रकार है:

वर्ष	स्वीकृत कुल राशि (करोड़ रु. में)
2004 (दौर IV)	916.35
2005 (दौर V)	शून्य
2006 (दौर VI)	1128.25
2007 (दौर VII)	350.91

(घ) वैश्विक निधि द्वारा जारी किए गए अनुदान उन कार्यक्रमों के लिए हैं जिनका उद्देश्य क्षयरोग, मलेरिया, एचआईवी/एड्स के प्रभाव को नियंत्रित करने और कम करने के लिए है। तदनुसार, क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल में डाट्स नीति का विस्तार किया गया है। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और बिहार के 94 उच्च जोखिम वाले जिलों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कुछ घटकों को कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया था। उसी प्रकार एचआईवी/एड्स से लड़ने के लिए वैश्विक निधि अनुदानों का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जा रहा है:-

क. एकीकृत परामर्श और जांच केन्द्र स्थापित करना;

ख. एचआईवी पाजिटिव माताओं के रोग निरोधन उपचार प्रदान करना;

ग. डाट्स उपचार के लिए एचआईवी-क्षयरोग सह-संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करना; और

घ. देश में एड्स के रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए एआरटी केन्द्रों की स्थापना करना।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में संशोधन

4204. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह मानव अंगों विशेषकर किडनी के व्यावसायीकरण को रोकने में विफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 813/2004 में अपने दिनांक 06.09.2004 के अपने आदेश के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 एवं मानव अंग प्रत्यारोपण नियम, 1995 के प्रावधानों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। रिपोर्ट 25.05.2005 को प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 18.05.2007 को एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श आयोजित किया गया था और अगस्त 2007 के दूसरे पखवाड़े में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिन परिवर्तनों की सिफारिश की गई थी उनके अनुसार मानव अंग अधिनियम, 1994 व उसके अंतर्गत बने नियमों में संशोधन अपेक्षित थे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वास्तविक मामलों को सुकर बनाना, प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना और कानून के उल्लंघन के लिए निवारक अर्थदंड का प्रावधान करना है। जहां तक अधिनियम का संबंध है, निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है:

(1) उन संबंधित दानकर्ता और प्राप्तकर्ताओं के बीच विनिमय कार्यकलापों की अनुमति देना जो आपस में मेल नहीं खाते किन्तु अन्य ऐसे ही दानकर्ताओं/प्राप्तकर्ताओं के साथ मेल खाते हैं।

(2) संघ शासित प्रदेशों विशेषकर राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और/अथवा अपर महानिदेशक (अस्पताल) की अपेक्षा अपने स्वयं के उपयुक्त प्राधिकारी को रखने का अधिकार देना।

(3) अधिनियम के अंतर्गत सजा को गैर-कानूनी प्रत्यारोपण गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर तथा संज्ञेय बनाना ताकि अपराधियों को ऐसा अपराध करने से रोका जा सके।

(4) केवल प्रत्यारोपण के लिए केंद्रों के पंजीकरण की बजाय अंगों के संग्रहण के लिए शवों तथा दिमागी रूप से मृत रोगियों के अंगों को निकालने के लिए केंद्रों के पंजीकरण का प्रावधान करना।

मानव अंगों की बिक्री/खरीद मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पहले से ही निषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत गठित उपयुक्त प्राधिकरण मानव अंगों के अवैध व्यापार के कार्यकलापों की जांच करने के लिए जिम्मेदार और अधिकार प्राप्त हैं।

कार्निया की कमी

4205. डा. के. धनराजू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्निया संग्रहण के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कमी यदि कोई हो तो कितनी है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान कार्निया प्रतिरोपण के लिए दान किए गए 1,75,000 नेत्रों को एकत्र करने का लक्ष्य था। उक्त लक्ष्य के मुकाबले दान किए गए लगभग 1,25,137 नेत्र एकत्र किए गए। प्रतिरोपण के प्रयोजन से प्रति वर्ष कम-से-कम 80,000 से 1,00,000 कार्निया की अनुमानित मांग के मुकाबले देश में दान किए गए लगभग 30,000 नेत्र वार्षिक रूप से फिलहाल एकत्र किए जाते हैं। अपेक्षित संख्या में दान किए गए नेत्रों के एकत्रण में कमी के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) नेत्र बैंक पंजीकृत दाताओं के मरने के बाद उनसे तथा अस्पतालों में मरने वाले रोगियों से भी 'हास्पिटल कार्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम' के जरिए नेत्र एकत्र करते हैं। बहुत से नेत्र बैंकों में डोनर मैटिरियल का भारी अभाव रहता है और इसकी वजह से कार्निया की बारहमासी कमी रहती है। दान किए गए ऊतक नेत्र बैंकों द्वारा नेत्रों के सामयिक एकत्रण संबंधी संभारतंत्रीय सहायता के अभाव के कारण प्रतिरोपण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिशतता में अनुपयुक्त हो जाते हैं क्योंकि कार्निया प्रतिरोपण में दरअसल वक्त का भी महत्व होता है। लाशों से नेत्रों को 4 से 6 घंटों के अंदर निकालना होता है।

(2) इसके अलावा मृत व्यक्ति का निकट संबंधी उसके नेत्रों को निकालने की अनुमति देने में भावनात्मक कारणों से आना-कानी करता है। ऐसे में, मांग और पूर्ति के दरम्यान फासला सदा बना रहता है।

(3) नेत्र दान की बाबत समुचित जागरूकता और जानकारी का अभाव रहता है।

(ग) सूचना, शिक्षा एवं संचार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक सतत कार्यकलाप है। सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाविधि के भाग के रूप में नेत्र दान की बाबत जनता में जागरूकता केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए उत्पन्न की जाती है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नेत्रदान को बढ़ावा देने की सबसे महत्वपूर्ण घटना 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक देश में हर वर्ष 'राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा' मनाना है जो नेत्रदान के लिए जनता में जानकारी बढ़ाकर उन्हें अभिप्रेरित करता है और इसे पारिवारिक चलन बनाने की कोशिश करता है। इस पखवाड़े में निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां चलाई जाती हैं:-

(1) गैर-सरकारी संगठनों, वरिष्ठ नागरिक समूहों, युवा संघों, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों आदि के जरिए नेत्रदान विषयक जागरूकता अभियान चलाना।

(2) नेत्रदान संबंधी संदेश फैलाने में शिक्षकों एवं स्कूली बच्चों का सहयोग लेना।

(3) नेत्रदान के लिए मृत व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्यों को अभिप्रेरित करने हेतु बड़े अस्पतालों में शोक शमनकर्ता/चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के प्रायोजन जैसे क्रियाकलापों में भाग लेने एवं उन्हें प्रायोजित करने वाले निगमित क्षेत्र को शामिल करना।

(4) नेत्रदान के संदेशों को प्रदर्शित करने हेतु केबल आपरेटरों एवं सिनेमा हालों को शामिल करना।

(5) नेत्रदान संवर्धन हेतु राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों, जानीमानी हस्तियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करना।

(6) अस्पतालों में 'हास्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम' के जरिए दान किए गए नेत्रों का एकत्रण बढ़ाना।

विशिष्ट पहचान संख्या

4206. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी भारतीय नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) जी, हां। यूआईडी एक ग्यारह अंकीय संख्या होगी और आईडी के बिना किसी पुन: आवंटन के यह संख्या निवासी के जीवन-पर्यन्त वही बनी रहेगी। यूआईडी पहल आरम्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के डाटाबेस पर आधारित होगी और इसे चरणबद्ध रूप से विभिन्न मुख्य पार्टनर डाटाबेसों वाले लिंकेजों के माध्यम से अधिक अभिलेख इकट्ठे करके और अद्यतन किया जाएगा। यूआईडी कार्यक्रम के अभिशासन और प्रशासन हेतु एक चार-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है तथा इसके लिए ईजीओएम ने यूआईडी प्राधिकरण के सृजन का अनुमोदन किया है। इस परियोजना के परिणाम के रूप में परिकल्पित लाभ हैं कि ये यूआईडी, सामाजिक लाभ और रोजगार कार्यक्रमों को बेहतर रूप से लक्षित करने व इसकी मानीटरिंग करने; देश में प्रचलित विभिन्न आईडी पहलों के मध्य सहक्रिया की पहचान करने व पहचान संबंधी धोखेबाजी को कम करने में सहायक होंगे।

[हिन्दी]

कैंसर के मामलों में बढ़ोत्तरी

4207. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री विजय कृष्ण:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न कैंसर के मामले विशेषकर पित्ताशय, फेफड़ा, मुंह और स्तन के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनता के बीच जागरूकता फैलाने और एक व्यापक कैंसर नियंत्रण रणनीति तैयार करने तथा राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने तथा ऐसे मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भोपाल एवं चेन्नई के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के लिए विगत समय के दौरान कैंसर की घटना की दरों में रूझान के संबंध में प्रारूप रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों में कैंसर की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। 1990 से भोपाल में महिलाओं में गाल ब्लैडर के कैंसर में बढ़ोत्तरी प्रदर्शित हुई; जबकि 1992 तक दिल्ली तथा मुम्बई में घटना दर में वृद्धि प्रदर्शित हुई। दिल्ली में पुरुषों में फेफड़े के कैंसर में बढ़ोत्तरी प्रदर्शित हुई जबकि बंगलौर, चेन्नई तथा दिल्ली में महिलाओं में इसकी बढ़ोत्तरी देखी गई। चेन्नई में पुरुषों में फेफड़े के कैंसर की घटना दर में वृद्धि प्रदर्शित हुई। बंगलौर, भोपाल, चेन्नई तथा मुंबई में महिलाओं में वक्ष कैंसर में बढ़ता हुआ रूझान प्रदर्शित हुआ। कैंसर के प्रत्येक स्थल का एक अलग रोग हेतु विज्ञान है जिसकी प्रकृति प्राय: बहुक्रमगुणित है। अनेक स्थलों जैसे फेफड़ा, मुख, कैविटी, ग्रासनली इत्यादि का कैंसर मुख्यतया तम्बाकू के सेवन से उत्पन्न होता है। गले के कैंसर के लिए जोखिम कारकों में एचपीवी संक्रमण शामिल है। वक्ष, वृहदान्त्र इत्यादि के कैंसर की उत्पत्ति में आहार विशेषतौर पर उच्च वसीय आहार एवं फल एवं सब्जियों से रहित आहार महत्वपूर्ण है।

(ग) से (ङ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे सुनिश्चित करें कि कैंसर की शुरू में ही पहचान, निदान एवं उपचार उपलब्ध कराया जाए। केन्द्र सरकार ने एक व्यापक कैंसर नियंत्रण कार्यनीति अर्थात् राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया है जहां जागरूकता, निवारण, शुरू में ही पहचान और उपचार पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार भी उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियोथिरेपी एककों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रही है।

कैंसर का उपचार शल्यक्रिया, रेडियोथिरेपी, कीमोथिरेपी तथा सहायक परिचर्या द्वारा होता है। स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में ये सुविधाएं मेडिकल कालेजों तथा जिला अस्पतालों के स्तर पर उपलब्ध हैं। रेडियोथिरेपी सुविधाएं 210 से अधिक संस्थाओं में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र रोगियों को व्यापक कैंसर उपचार प्रदान करते हैं तथा चल रहे तरीके से कैंसर अनुसंधान भी किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में उपचार मुफ्त या रियायती दर पर होता है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम के जरिए तम्बाकू के सेवन के जोखिमों तथा मुंह के कैंसर सहित कैंसर के साथ इसकी संबद्धता के बारे में जन जागरूकता पैदा की जा रही है।

[अनुवाद]

पंचायत अधिनियम, 1996 का संशोधन

4208. श्री कैलाश मेघवाल: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित कानून के सभी प्रावधानों को एक वर्ष के अंदर अर्थात् 24 दिसंबर, 1997 तक पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित रूप से संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त अधिनियम के प्रावधानों को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पी.ई.एस.ए.) कुछ अपवादों व परिवर्तनों के साथ संविधान के भाग 9 का पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करता है। निम्नलिखित 9 राज्यों में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र हैं:-

(1) आंध्र प्रदेश, (2) छत्तीसगढ़, (3) गुजरात, (4) हिमाचल प्रदेश, (5) झारखंड, (6) मध्य प्रदेश, (7) महाराष्ट्र, (8) उड़ीसा एवं (9) राजस्थान।

सभी राज्यों ने अपने-अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर आवश्यक अनुवर्तन से संबंधित विधान को लागू कर दिया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, कई राज्यों में, पी.ई.एस.ए. के कार्यान्वयन के प्रचालन के लिए नियम अभी भी तैयार किए जाने हैं। कुछ राज्यों को ऋण देने, वन, उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषयों से संबंधित विधियों में भी अभी संशोधन करना है। परिणामत: सभी राज्यों में अनुपालन असल में अपूर्ण, सतही व औपचारिक हैं। लघु वन-उत्पाद, छोटे जलाशयों का नियोजन एवं प्रबंधन, जन-जातीय भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, जिन्हें पी.ई.एस.ए. में अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों के रूप में बाकायदा मान्यता दी गई है, पर अब तक उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। अत: आवश्यक सुधारों वाले उपाय किए जाने शेष हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा व पंचायतों को वैधानिक रूप से अंतरित शक्तियों से संबंधित मुद्दे भी हैं जो निधियों व कार्यकर्ताओं के सहवर्ती अंतरण से मेल नहीं खाते तथा जिसकी वजह से ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाता। वर्षों से, राज्यों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बार-बार आग्रह किया जाता रहा है। सितम्बर, 2004 में पंचायती राज मंत्रियों के तीसरे गोलमेज में इस विषय पर चर्चा हुई थी जिसमें राज्य के मंत्रीगण पी.ई.एस.ए. के प्रावधानों को लागू करने एवं पी.ई.एस.ए. के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ संबंधित नियमों के प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए अन्य सरकारी विभागों के साथ विस्तृत परामर्श करने पर भी सहमत हुए थे। पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद की बैठकों एवं दूसरी ऐसी कई बैठकों, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तिसम्पन्न उप-समिति की बैठकों के अलावा राज्यों के पंचायती राज सचिवों की समिति की बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई। पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान को राज्य सरकारों को अपने-अपने विधि विभागों के सहयोग से अनुवर्तन से संबंधित विधान निर्माण में राज्य सरकारों की मदद करने की दृष्टि से संबंधित राज्य कानूनों में उपयुक्त संशोधन को प्रारूपित करने का कार्य सौंपा। भारतीय विधि संस्थान (आई.एल.आई.) ने 19.4.2006 को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया जिसे टिप्पणियों के लिए पी.ई.एस.ए. राज्यों को अग्रेषित कर दिया गया था। कुछ राज्यों ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं एवं अन्य को बार-बार स्मरण कराया जा रहा है। राज्यों से ऐसे विषय से संबंधित नियमों को अभिचिह्नित करने का आग्रह भी किया जा रहा है जिन पर भारतीय विधि संस्थान द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है और जिनमें पी.ई.एस.ए. से सुसंगतता लाने हेतु संशोधन किये जाने की जरूरत है।

इस विषय पर परामर्श के लिए दिनांक 14.7.2006 को पंचायती राज विभागों के सचिवों, जनजातीय क्षेत्र विकास आयुक्तों, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय विकास निगमों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रमुखों की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें तीन उप समितियों

का गठन हुआ, प्रथम "पी.ई.एस.ए. में की गई परिकल्पना के अनुरूप ग्राम सभाओं को शक्ति प्रदान करने के प्रतिदर्श दिशा-निर्देशों" के लिए श्री बी.डी. शर्मा की अध्यक्षता में, दूसरी "भू अपवर्तन, विस्थापन, पुनर्वास एवं पुन: स्थापन" पर श्री राघव चंद्र की अध्यक्षता में तथा तीसरी 'लघु वन उत्पाद' पर श्री ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गईं। इन तीनों उप-समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट व सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जिन्हें पी.ई.एस.ए. राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं एवं अन्य को उसके लिए बार-बार स्मरण कराया जा रहा है। इस बीच मंत्रालय में भी उपर्युक्त उप-समितियों की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के लागू किये जाने पर दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में पी.ई.एस.ए. राज्यों की एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में राज्यों द्वारा पी.ई.एस.ए. को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू किये जाने के लिए एक भावी कार्य योजना पर सहमति हुई। राज्यों से विषय के विधानों वाले सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आवश्यकतानुरूप परामर्श कार्यशालाओं को आयोजित किये जाने का आग्रह किया गया है जिससे कि पी.ई.एस.ए. के प्रावधानों को लागू किये जाने की प्रक्रिया में तेजी आए।

विवरण

उन सभी नौ पी.ई.एस.ए. राज्यों, जिन्होंने उपर्युक्त धारा के प्रावधानों के सुसंगत विधान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारित किया, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	विधान व लागू किये जाने का वर्ष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में अध्याय 6(क) जोड़ा गया, 16.01.1998 से लागू।
2.	छत्तीसगढ़	दिनांक 1.11.2000 की स्थिति के अनुरूप मध्य प्रदेश के सभी तात्कालिक नियम (नीचे देखें क्रम संख्या 7) छत्तीसगढ़ राज्य के सृजन के समय से स्वत: लागू हो गये।
3.	गुजरात	गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 को 1998 की अधिनियम संख्या 5 द्वारा संशोधित किया गया, 20.12.1997 से लागू।
4.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा संशोधित किया गया।
5.	झारखंड	झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 (झारखंड राज्य का निर्माण, वर्ष 2000 में हुआ)
6.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ने दिनांक 29.12.1997 के प्रभाव से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्व-सरकार के तौर पर कतिपय राज्य विधानों का संशोधन अधिनियम, 1997 द्वारा कार्य करने की शक्ति को प्रदान किया है। बम्बई ग्राम पंचायत एवं महाराष्ट्र जिला पंचायत एवं पंचायत समिति संशोधन अधिनियम, 2003
7.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पंचायती एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में अध्याय 14(क) शामिल किया गया, दिनांक 5.12.1997 से लागू।
8.	उड़ीसा	उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम एवं उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया, दिनांक 21.12.1997 से लागू।
9.	राजस्थान	राजस्थान पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग के लिए प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 1999, 26.6.1999 से लागू।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन

4209. श्री राकेश सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन करने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित वाहनों के माध्यम से कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में कराए गए उक्त सर्वेक्षण के राज्यवार परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) केंद्र सरकार ने 1984-87 के दौरान केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के माध्यम से देश में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के बारे में पर सड़क की स्थिति के आकलन सहित इंस्ट्रूमेंटिड व्हीकल के द्वारा सड़क इंवेंटरी सर्वेक्षण करवाया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005 में मंत्रालय द्वारा जीआईएस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली के लिए एक अनुसंधान स्कीम भी स्वीकृत की गई है जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के माध्यम से लागू की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 में शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर) के बारे में नेटवर्क सर्वेक्षण व्हीकल की मदद से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सड़क की स्थिति के आकलन सहित सड़क इंवेंटरी डाटा एकत्रित कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी उसे सौंपे पर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए डाटा एकत्रित कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में सूचना एकत्रित करने का कार्य प्रगति पर है। पूरी सूचना एकत्र करने के पश्चात् डिजिट युक्त जीआईएस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली को अंतिम रूप देते समय केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा परिणामों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

[अनुवाद]

अतिरिक्त सकल बजटीय सहायता

4210. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने हेतु बजट में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले बजट की अतिरिक्त द्वि-स्तरीय जीबीएस प्रणाली के प्रावधान को चालू वर्ष के दौरान लागू किया जाएगा;

(ग) क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त जीबीएस के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय योजना आयोग के परामर्श से इस निधि में वृद्धि करने पर सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो जीबीएस के सहायतार्थ किन योजनाओं को लागू किए जाने की संभावना है;

(च) क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित की गयी धनराशि का पूर्णत: उपयोग किया जा चुका है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (छ) वर्ष 2008-09 के बजट में योजना पूंजीगत व्यय के प्रयोजनार्थ 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है। यह धन-प्लान 'बी' के तहत केन्द्र सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाएगा जो विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक एवं उत्कृष्ट लक्ष्य हासिल करेंगे।

वर्ष 2007-08 के बजट में प्लान 'बी' के तहत 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बहरहाल, तीन अनुपूरक मांगों के द्वारा अन्य के अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्यों को ईएपी, डीएमआरसी को सहायता, मौसम आधारित बीमा योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रमण्डल खेल एवं एड्स नियंत्रण के लिए ईएपी हेतु 13,917.06 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे।

सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं

4211. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी निजी भागीदारी योजना (पीपीपी) के अंतर्गत नई अनुसंधान परियोजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजना में उक्त परियोजनाओं को शामिल किए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छह एस एंड टी विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित एक नया कार्यक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) शामिल है।

इस कार्यक्रम को पीपीपी मोड में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता बनाए रखने हेतु देश के लिए भावी प्रौद्योगिकी विकास को तेज करना तथा नए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों हेतु अपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकताओं का समाधान करना है। इस कार्यक्रम के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 350 करोड़ रु. का आबंटन मुहैया कराया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी में स्टीमर सेवा

4212. श्री राजेन गोहेन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आम जनता और सामान की ढुलाई करने वाले लोगों के हित में ब्रह्मपुत्र नदी के तल से गाद निकालने और स्टीमर सेवा को पुन: शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया (891 किलोमीटर) तक ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय जलमार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना मुहैया करवाए जाने और उसके रख-रखाव के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ड्रेजरों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार इस जलमार्ग में उथले जलखण्ड में जल का स्तर कम होने के दौरान पोत-परिवहन और नौचालन के लिए जलमार्ग में रखरखाव हेतु ड्रेजिंग पहले से ही की जा रही है। इस समय, इस जलमार्ग में एक हाइड्रोलिक सर्फेस ड्रेजर और एक कटर सक्शन ड्रेजर लगाए गए हैं। उक्त जलमार्ग में लगाए जाने के लिए चार और कटर सक्शन ड्रेजर इकाइयां और एक हाइड्रोलिक सर्फेस इकाई का निर्माण किया जा रहा है।

कार्गो की उपलब्धता के होने पर इस राष्ट्रीय जलमार्ग के कोलकाता/हल्दिया/बांग्लादेश तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्गो जलयान पहले से ही चल रहे हैं। असम की राज्य सरकार के विनियम के अंतर्गत असम के भीतर इस जलमार्ग में विभिन्न यात्री फेरी जलयानों का भी संचालन हो रहा है।

वियतनाम के साथ समझौता ज्ञापन

4213. श्री निखिल कुमार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) 20-25 मार्च, 2008 के बीच भारत में वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री श्री ली. हांग एन्ह की हाल ही की यात्रा के दौरान भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

(ग) भारत और वियतनाम के साझा सुरक्षा संदर्श हैं और घनिष्ठ हो रहे सुरक्षा संबंध हैं। वियतनाम सीमा पार और वैश्विक आतंकवाद संबंधी भारत की हित चिंताओं का समर्थन करता है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से दोनो देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और सूचना एवं प्रशिक्षण का आदान-प्रदान बढ़ेगा।

आर एम एल अस्पताल में अभिघात परिचर्या केंद्र

4214. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में 'अभिघात परिचर्या केन्द्र' शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अभिघात परिचर्या केन्द्र का उद्घाटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा दिनांक 19.3.2008 को किया गया था। इस अभिघात परिचर्या केंद्र में सी.टी. स्कैन, एक्सरे और गंभीर आपाती परिचर्या के लिए 10 पुनरूज्जीवन (रिसस्सीटेशन) बिस्तरों, 10 बिस्तरों वाले गहन परिचर्या एकक, 5 आप्रेशनोत्तर बिस्तरों और कुल 75 बिस्तरों वाले दो वार्डों जिनमें से प्रत्येक वार्ड में 25 बिस्तर हैं, आप्रेशन थियेटरों के साथ गंभीर आपाती परिचर्या के लिए विकृति विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं हैं। इस केंद्र की स्थापना पर कुल 58.11 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपाती वार्ड में लाए जाने वाले सभी गंभीर रूप से घायल/बीमा रोगियों का इस केंद्र में उपचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की कमी

4215. श्री पुन्नुलाल मोहले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में महिला चिकित्सकों विशेषकर स्त्रीरोग विशेषज्ञों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति/पदस्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 4045 प्रसूति विशेषज्ञों तथा स्त्री रोग विज्ञानियों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 1357 तैनात हैं। प्रसूति विशेषज्ञों एवं स्त्री रोग विज्ञानियों की सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 22370 डाक्टरों की आवश्यकता के मुकाबले 22608 डाक्टर तैनात हैं। कुल 3417 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महिला डाक्टरों के साथ कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए विशेषज्ञों की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) नियुक्तियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को स्टाफ की संविदात्मक नियुक्ति सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वार्षिक एनआरएचएम कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में अपनी आवश्यकता को शामिल करें।

[अनुवाद]

भारतीयों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा

4216. श्री पी.सी. थामस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक स्तर पर साहसिक अंतरिक्ष यात्राएं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) क्या अंतरिक्ष यात्रा में किसी भारतीय को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्यिक आधार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन आयोजित कर रही हैं तथा साथ ही अपेक्षित प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। यह प्रशिक्षण मिशन और उड़ान की अवधि पर निर्भर करता है। इसमें अनुरूपी अंतरिक्ष वातावरण के साथ अपावरण तथा शारीरिक योग्यता परीक्षण, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक जांच शामिल हैं।

(ग) और (घ) वर्जिन गेलेक्टिक नामक एक यू.के. आधारित कंपनी अल्पावधि उप-कक्षीय उड़ान के लिए पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्रा के अवसर प्रदान कर रही है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि मैसर्स वर्जिन गेलेक्टिक द्वारा भारत से प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में केरल के एक गैर-सरकारी व्यक्ति का चयन किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने हेतु प्रस्ताव

4217. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार लेनों में बदले जाने हेतु स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने हेतु आबंटित और व्यय की गई कुल निधियों का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों में बदले जाने से संबंधित परियोजना के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित उन स्थानों का ब्योरा क्या है जहां सड़क उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डायलिसिस की अपर्याप्त सुविधा

4218. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में ''डायलिसिस पर 'तमाम' होती जिन्दगी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार मधुमेह और गुर्दा रोग के उपचार हेतु पद स्थापित विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें प्रदान करना राज्य सरकार का कार्य है। मधुमेह और गुर्दे के रोगों के उपचार के लिए पद स्थापित विशेषज्ञों के ब्यौरे भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। केन्द्र सरकार के अस्पतालों जैसे सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) डायलिसिस की सुविधाओं से सज्जित हैं।

[अनुवाद]

एन.एच.ए.आई. अधिकारियों के आवास तथा कार्यालयों पर सी.बी.आई. के छापे

4219. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के आवासीय तथा कार्यालय परिसरों पर अक्तूबर, 2006 में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आज की तिथि तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 पर 66 से 96 कि.मी. तक राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण करार के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के आवासीय तथा कार्यालय परिसरों पर अक्तूबर, 2006 में छापे मारे थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इसके ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

दुरुपयोग और भ्रष्टाचार रोकने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के मैनुअल/दिशा-निर्देशों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

एन.एच.डी.पी.-VI के अंतर्गत एक्सप्रेसवेज का विकास

4220. **श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
श्री सुभाष महरिया:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) चरण-VI के अंतर्गत एक्सप्रेसवेज के विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन खंडों पर कार्य की स्थिति क्या है;

(ग) क्या दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित एवं खर्च की गई है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इस संबंध में विलंब, यदि कोई हो, तो, के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों की पहचान की गई है।

क्र.सं.	एक्सप्रैस मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	कार्य की स्थिति
1.	वडोदरा-मुंबई	400	संरेखण के निर्धारण के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है।
2.	दिल्ली-मेरठ	66	
3.	कोलकाता-धनबाद	277	संरेखण के निर्धारण के लिए परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
4.	बंगलौर-चेन्नै	334	

(ग) से (ङ) दिल्ली-जयपुर खंड, एक्सप्रैसमार्ग के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2008-09 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा घोषित खंडों में से एक खंड है। अंततः कार्यान्वयन के लिए परियोजना का चयन यातायात की मात्रा के आधार पर किया जाना था।

तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत विद्यमान संरेखण को 6 लेन का बनाने जो अगले 10-12 वर्षों तक यातायात की मात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, की दृष्टि से इस समय, नए एक्सप्रैस मार्ग की परिकल्पना नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली का कार्यान्वयन

4221. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा व्यवस्था) नियमावली के उपबंधों का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीणा): (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली के उपबंधों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संरक्षणकारी कार्यों के लिए आबंटित धनराशि

4222. श्री सुव्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के अंतर्गत संरक्षणकारी कार्यों के लिए आबंटित की गई धनराशि का कोयला कंपनियों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों को निर्देश दिया है कि सी.सी.डी.ए. समिति द्वारा अनुमोदित सभी योजनाएं समयबद्ध कार्यक्रम से पूरी की जाएं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) संरक्षणकारी कार्यों के लिए निधियां "कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा" योजना शीर्ष के अंतर्गत आबंटित की

जाती हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित निधियों का उपयोग नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार किया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निधि आबंटन	कुल प्रतिपूर्ति
2002-03	66.05	66.05
2003-04	64.00	64.00
2004-05	100.03	100.03
2005-06	66.11	66.11
2006-07	180.00	180.00

(ग) और (घ) संरक्षणकारी कार्यों के लिए सीसीडीए सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है और स्कीम के पूरा हो जाने के बाद ही इसे उपलब्ध कराया जाता है। प्रस्तावों पर विचार करते समय कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) योजनाओं की पूर्णता की समय-सीमा पर विचार-विमर्श करती है और यदि शामिल समय-सीमा को कम करने की आवश्यकता होती है तो सुझाव दिए जाते हैं और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है।

सी.आई.एल. में लंबित पड़े भ्रष्टाचार के मामले

4223. श्री नरहरि महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 31 मार्च, 2008 के अनुसार बड़ी संख्या में आपराधिक मामले तथा विभागीय जांच लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निष्कासित किए गए अधिकारियों की कंपनी-वार संख्या तथा उनके नाम क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार पदोन्नति पाने वाले तथा पदोन्नति नहीं पाने वाले उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन्य जीवों की मृत्यु

4224. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा अभयारण्य-वार कुल कितने वन्य जीवों की मृत्यु हुई;

(ख) इसके क्या कारण रहे;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी मौतो के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) वन्य पशुओं की मृत्यु प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ अप्राकृतिक कारणों से भी होती है। वन्य पशुओं की मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का मिलान भारत सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है। राज्य/संघ शासित सरकारें, जहां लागू हो, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करती है। राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वन्य पशुओं की मौत के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, वृद्धावस्था, परभक्षण, दुर्घटना, बिजली का करंट लगना, विषाक्तता, अवैध शिकार आदि शामिल हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय मानदण्डों का अनुपालन

4225. चौ. मुनव्वर हसन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इस्पात तथा लौह कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां पर्यावरणीय मानदण्डों का अनुपालन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ग) प्रदूषण रोकने और उन कम्पनियों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है, जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुन्दरबन के वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सहायता

4226. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल में विशेषकर सुन्दरबन बाघ परियोजना में वनों तथा वन्य जीवों के अनुरक्षण तथा संरक्षण हेतु सहायता मांगे जाने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) बाघ परियोजना स्कीम के तहत सुन्दरबन बाघ रिजर्व हेतु वार्षिक प्रचालन योजना सहित मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल सरकार से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान, सुन्दरबन बाघ रिजर्व को 201.88 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है और पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु 356.21 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस के अंतर्गत निर्धारित पैथोलॉजिकल जांचों/सर्जरी की लागत

4227. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस के अंतर्गत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अधिकांश अस्पतालों ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों का यह दलील देते हुए उपचार करने से मना कर दिया है कि विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों, सर्जरी आदि की दरें बहुत कम हैं तथा लागत भी वसूल नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो पैथोलॉजिकल जांचों और सर्जरी आदि की सीजीएचएस दरों तथा सामान्य दरों की तुलनात्मक लागत का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में विभिन्न जांचों और प्रक्रियाओं हेतु दरों का निर्धारण निविदाओं के जरिए किया गया है। केवल ऐसे अस्पतालों को पैनलबद्ध किया जाता है जो दरों इत्यादिक को स्वीकार करते हुए करार पर हस्ताक्षर करते हैं। सेवा प्रदानगी की सम्मत शर्तों में चूक होने पर कठोर अर्थदंड निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) विकृति विज्ञानी जांचों और शल्यक्रियाओं के लिए सीजीएचएस दरों तथा सामान्य दरों की तुलनात्मक लागतों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पीआरआई की भूमिका

4228. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा पंचायतों को शामिल करते हुए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में पीआरआई की भूमिका के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जो एक केंद्रीय विधान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा प्रचालित होता है एवं सांविधिक रूप से निम्नलिखित को उपबंधित करता है:

(1) कि जिला, मध्यवर्ती तथा गांव के स्तर पर पंचायत अधिनियम के तहत बनी स्कीमों के योजना-निर्माण व कार्यान्वयन के लिए मुख्य प्राधिकारी हैं,

(2) योजना-निर्माण व कार्यान्वयन में पंचायत के सभी स्तर के लिए विशिष्ट भूमिकाएं,

(3) कि प्रोग्राम आफिसर लागत की दृष्टि से ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली स्कीम के कम से कम पचास प्रतिशत कार्यों का आबंटन करेगा।

पंचायतों के प्रकार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें, पंचायतों के तीन स्तरों के लिए अलग-अलग भूमिकाएं उपबंधित तो करती हैं पर पंचायतों की विशिष्ट भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों के निर्धारण को राज्यों पर छोड़ देती हैं। पंचायती राज मंत्रालय, वैसे कार्यक्रम जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निधीयन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, के संबंध में राज्यों में अपनाए गए कार्यान्वयन तंत्र के सही स्वरूप के बारे में विशिष्ट ब्यौरों का संग्रह कर रहा है जिससे कि पंचायतों द्वारा निष्पादित भूमिका को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय ने केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) के योजना-निर्माण तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की केंद्रीयता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से आग्रह करने के संबंध में कई कदम उठाएं हैं। इनमें सबसे हालिया पहल, पंचायती राज मंत्रालय के सुझाव पर प्रत्येक प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में परिवर्तन, यदि कोई हो तो, की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने के लिए 8 अगस्त, 2007 को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, एक समिति की स्थापना की जानी रही जिससे कि योजना-निर्माण व कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की केंद्रीयता सुनिश्चित की जा सके। समिति ने उन 13 मंत्रालयों व विभागों के साथ विचार-विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो उन मंत्रालयों की स्कीमों के संबंध में परिवर्तन किए जाने के बारे में मुख्य मुद्दों पर सहमत हुए। रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा राज्यों को उनकी सूचना के लिए भेजा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 को कानपुर से सागर तक चार लेन वाला बनाया जना

4229. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी यातायात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 को कानपुर से सागर तक के खंड को चार लेन वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घटता हुआ वन क्षेत्र

4230. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना वन क्षेत्र नष्ट हुआ है और कितनी वन भूमि का अन्यत्र उपयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनरोपण के अंतर्गत शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी वन भूमि को वनक्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) 01.04.2005 से 21.04.2008 तक की अवधि के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लगभग 2,07,959 हे. वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु उपयोग करने से संबंधित कुल 5,638 प्रस्तावों को चरण-I और चरण-II की मंजूरी दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण अनिवार्य है। उक्त अवधि के दौरान, 2,66,604 हे. भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण किया जाना प्रस्तावित है और लगभग 24,923 हे. वनीकरण किया जा चुका है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि के संबंध में दी गई राज्यवार वानिकी स्वीकृति

क्षेत्र: केन्द्रीय श्रेणी: सभी श्रेणियों

मामले की स्थिति: सिद्धांत रूप से अनुमोदित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	01.04.2005 से 21.04.2008 मामलों की संख्या सिद्धांत रूप से अनुमोदित	22.04.2008 की स्थिति के अनुसार विपथित की गई कुल भूमि (हे.)
1	2	3
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	17	146.922
आंध्र प्रदेश	152	9,887.52
अरुणाचल प्रदेश	35	470.066
असम	77	439.025
बिहार	39	877.605
चण्डीगढ़	5	6.676
छत्तीसगढ़	132	10,955.86
दादरा व नगर हवेली	25	10.852
दमन व दीव	0	0
दिल्ली	4	9.271
गोवा	20	369.261
गुजरात	234	6,017.03
हरियाणा	878	569.299
हिमाचल प्रदेश	545	2,959.55
जम्मू-कश्मीर	0	0
झारखंड	60	5,233.89
कर्नाटक	180	6,822.94
केरल	23	255.293
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	149	7,608.75
महाराष्ट्र	170	4,740.54
मणिपुर	3	165
मेघालय	11	2.381
मिजोरम	1	0.454
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	112	9,110.26
पांडिचेरी	0	0
पंजाब	1269	69,782.11
राजस्थान	138	7,609.22
सिक्किम	111	411.749
तमिलनाडु	40	366.607
त्रिपुरा	58	5,655.94
उत्तर प्रदेश	259	27,422.85
उत्तरांचल	880	29,562.86
पश्चिमी बंगाल	11	488.915
कुल	5638	207,958.68

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित और संप्राप्त क्षतिपूर्ति वनीकरण के राज्यवार ब्यौरे

21.04.2008 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	निर्धारित क्षतिपूर्ति वनीकरण (हे.)			सम प्राप्त क्षतिपूर्ति वनीकरण (हे.)		
		21.4.2008 के अनुसार (क)	31.5.2005 के अनुसार (ख)	पिछले तीन वर्षों में (क-ख)	21.4.2008 के अनुसार (ग)	31.05.2005 के अनुसार (घ)	पिछले तीन वर्षों में (ग-घ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	2,663.75	2,571.93	91.82	1,926.78	1905.43	21.35

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	32,423.67	21,830.43	10,593.24	20,393.73	17840.90	2552.83
3.	अरुणाचल प्रदेश	20,647.20	19,238.71	1,408.49	6,247.71	4699.11	1548.60
4.	असम	9,234.54	8,674.48	560.06	1,700.03	1700.03	0.00
5.	बिहार	1,934.42	1,740.37	194.05	846.56	846.56	0.00
6.	चण्डीगढ़	30.12	24.74	5.38	0.12	0.00	0.12
7.	छत्तीसगढ़	109,636.67	87,326.65	22,310.02	30,615.00	30601.00	14.00
8.	दादरा व नगर हवेली	631.82	363.51	268.31	479.30	479.30	0.00
9.	दिल्ली	13.44	5.48	7.98	0.00	0.00	0.00
10.	गोवा	1,593.10	1,568.47	24.63	1,149.44	1062.00	87.44
11.	गुजरात	82,265.80	79,607.18	2,658.62	44,374.29	44287.52	86.77
12.	हरियाणा	4,730.19	3,887.04	843.15	3,343.51	2065.47	1278.04
13.	हिमाचल प्रदेश	22,274.11	15,102.69	7,171.42	5,906.70	5799.00	107.70
14.	जम्मू-कश्मीर	1,124.94	1,124.94	0.00	288.00	288.00	0.00
15.	झारखंड	21,184.46	18,134.16	3,050.30	36.00	36.00	0.00
16.	कर्नाटक	42,340.76	39,027.48	3,313.28	38,054.04	34923.86	3130.18
17.	केरल	58,393.36	15,246.88	43,146.48	50,224.53	50210.81	13.72
18.	मध्य प्रदेश	424,414.95	420,906.12	3,508.83	167,693.95	167366.00	327.95
19.	महाराष्ट्र	82,431.68	82,431.68	0.00	71,807.00	71389.00	418.00
20.	मणिपुर	1,199.03	918.99	280.04	181.16	0.00	181.16
21.	मेघालय	459.33	484.70	-25.37	263.25	256.00	7.25
22.	मिजोरम	29,953.30	29,926.43	26.87	5,558.81	5516.00	42.81
23.	उड़ीसा	57,170.44	50,154.63	7,015.81	33,471.58	21448.34	12023.24
24.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पंजाब	38,019.94	7,399.19	30,620.75	4,848.32	4259.21	589.11
26.	राजस्थान	31,617.11	25,272.10	6,345.01	10,333.01	10318.78	14.23
27.	सिक्किम	2,870.10	2,307.42	562.88	2,030.97	2030.75	0.22
28.	तमिलनाडु	3,403.83	3,181.88	221.95	2,261.97	1599.68	662.29

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	त्रिपुरा	6,459.02	6,363.39	95.63	2,837.19	2550.42	286.77
30.	उत्तर प्रदेश	65,894.86	10,659.40	55,235.46	7,145.07	6384.07	761.00
31.	उत्तरांचल	99,950.25	35,636.96	64,313.29	14,891.53	14891.53	0.00
32.	पश्चिम बंगाल	5,815.90	3,060.06	2,755.84	3,901.24	3133.02	768.22
	कुल	1,260,782.09	994,178.07	266,604.02	532,810.79	507,887.79	24,923.00

वन संरक्षण हेतु धनराशि

4231. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों के संरक्षण के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत धनराशि/जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त धनराशि से क्या कार्य किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित "एकीकृत वन संरक्षण योजना" के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वनों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित मुख्य कार्यों में- फायरलाइनों का सृजन और रख-रखाव, फायरवाचरों की नियुक्ति, वाच टावरों का निर्माण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, कार्य-योजनाओं की तैयारी, सीमा-स्तम्भों का निर्माण, फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए भवनों का निर्माण, फील्ड सर्वेक्षण तथा सीमा निर्धारण इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

एकीकृत वन संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	175.00	शून्य	179.772
2.	बिहार	128.88	132.53	83.736
3.	छत्तीसगढ़	104.31	371.40	613.012
4.	गोवा	शून्य	शून्य*(29.01)	18.53
5.	गुजरात	192.00	400.00	568.825
6.	हरियाणा	75.00	167.50	96.04
7.	हिमाचल प्रदेश	180.186	शून्य	124.066

1	2	3	4	5
8.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
9.	झारखण्ड	75.00	112.263	221.875
10.	कर्नाटक	119.63	122.88	159.60
11.	केरल	125.00	167.597	283.68
12.	मध्य प्रदेश	125.00	325.00	665.02
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य*(103.46)	232.84
14.	उड़ीसा	110.00	76.38	180.61
15.	पंजाब	शून्य	शून्य*(100.00)	शून्य*(100.00)
16.	राजस्थान	100.00	100.07	99.692
17.	तमिलनाडु	150.00	158.40	431.5775
18.	उत्तर प्रदेश	49.25	135.04	235.73
19.	उत्तराखण्ड	150.00	508.58	283.41
20.	पश्चिम बंगाल	140.00	218.10	187.425
21.	असम	400.00	190.26	496.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	274.66	191.68	308.42
23.	मणिपुर	128.80	395.18	143.55
24.	मेघालय	80.00	150.00	86.00
25.	मिजोरम	300.00	229.71	414.37
26.	नागालैंड	54.00	337.72	365.4264
27.	सिक्किम	शून्य	141.70	120.6648
28.	त्रिपुरा	16.00	162.915	98.593
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादरा और नगर हवेली	8.26	3.8552	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
33.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
34.	नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	समग्र योग	3260.976	4798.7602	6698.4647

*दर्शाता है कि धनराशि मंजूर की गई परन्तु वास्तव में जारी की गई धनराशि शून्य थी, क्योंकि पहले से खर्च न की गई धनराशि को चालू वर्ष की रिलीज में समायोजित किया गया। ये धनराशियां कोष्ठकों में दी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण

4232. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कंट्रोल आफ नेशनल हाइवेज (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट, 2002 को अधिनियमित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेषकर दिल्ली में और इसके आस-पास बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 दिनांक 27.1.2005 से प्रभावी है। यह अधिनियम अतिक्रमण हटाने के लिए राजमार्ग प्रशासनों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण होना एक ऐसी समस्या है जो बार-बार होती रहती है। सरकार ने अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण देश में 192 राजमार्ग प्रशासनों की नियुक्ति पहले ही कर दी है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

4233. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की सुविधा के लिए कितने पेड़ काटे गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी से यमुना नदी तल को खतरा है;

(ग) यदि हां, तो यमुना नदी तल की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को खेल स्थल को स्थानांतरित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए अवसंरचना के विकास के लिए 8.4.2008 तक 6,949 वृक्षों को हटाने की अनुमति दी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने खेल गांव स्थल, जिसे यमुना नदी के दूसरे किनारे पर बनाया जा रहा है, को अन्यत्र ले जाने का अनुरोध किया है।

(च) संबंधित गैर-सरकारी संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में "राजेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य" नामक रिट याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना है तथा अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण संबंधी अध्ययन

4234. श्री हरिसिंह चावडा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार

4235. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान की जेलों में लगभग 640 भारतीय राष्ट्रिक होने का अनुमान है। सरकार पाकिस्तान में हमारे राष्ट्रिकों को लंबे समय तक बंदी बनाए जाने के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है जिनमें से अधिकांश को कोंसुली संपर्क उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) इन मुद्दों को पाकिस्तान सरकार के समक्ष गृह सचिव स्तर की वार्ताओं में तथा साथ ही उच्चतम स्तर तक विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में लगातार उठाया जाता है। 13-14 जनवरी, 2007 को पाकिस्तान में विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों में बंदियों की शीघ्र रिहाई और उनके साथ मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के न्यायाधीशों की एक न्यायिक समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। इस समिति की पहली बैठक 27 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। उसने यह सिफारिश की कि 31 मार्च, 2008 को एक दूसरे की जेलों में बंद राष्ट्रिकों की मौजूदा स्थिति और उनके पूर्ण विवरणों की समेकित सूची का आदान-प्रदान किया जाए और उन बंदियों को तत्काल रिहा कर दिया जाए जो अपना दंड पूरा कर चुके हों और जिनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन हो चुका हो। दोनों सरकारों द्वारा 31 मार्च को बंदियों की सूची का आदान-प्रदान किया जा चुका है। भारत को पाकिस्तान सरकार से न्यायिक समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आशा है ताकि पकड़े गए सभी मछुआरों और बंदियों को रिहा किया जा सके और उन्हें कोंसली पार्क उपलब्ध करवाया जा सके।

बर्ड फ्लू वायरस

4236. श्री रेवती रमन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्ड फ्लू से विभिन्न किस्मों के वायरस उत्पन्न होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने पहली बार देश में खतरनाक हंटा (एचएएनटीए) वायरस होने की पुष्टि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) एवियन इनफ्लुएंजा ए एच 5 तथा एच 7 विषाणुओं को विषाणु के जेनेटिक लक्षणों तथा पाल्ट्री में उनके द्वारा उत्पन्न रोग की गंभीरता के आधार पर "निम्न रोगजनक" एवं "उच्च रोगजनक" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, इनफ्लुएंजा/एच 9 विषाणु की पहचान "निम्न रोगजननता" के रूप में ही की गई है। इन तीन एवियन इन्फ्लुएंजा ए विषाणुओं (एच 5, एच 7 एवं एच 9) में प्रत्येक विषाणु नौ न्युरामिनिडेज सर्फेस प्रोटीनों में से किसी एक के साथ सिद्धान्तत: साझेदारी स्थापित कर सकता है; इस तरह प्रत्येक उपप्रकार (उदाहरणार्थ एच 5 एन 1, एच 5 एन 2, एच 5 एन 3, एच 5 एन 9) के नौ संभावित भिन्न रूप हैं। वर्तमान में चिन्ताजनक विषाणु इनफ्लुएंजा ए विषाणु की एच 5 एन 1 प्रजाति है।

(ग) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर में "दक्षिण भारत के वेल्लोर जिले में हांटा विषाणु संक्रमणों की मालीक्युलर एवं सीरमविज्ञानी जांच" नामक एक बाह्य परियोजना को वित्तपोषित कर रहा है। चालू अध्ययन सितम्बर, 2006 में शुरू किया गया है। अब तक 360 स्वास्थ्य रक्त दाताओं, चिरकारी वृक्क रोगों वाले 151 रोगियों, इरूला जनजाति के 99 सदस्यों (व्यावसायिक जोखिम) और गोदामों में कार्य करने वाले 51 कामगारों (व्यावसायिक जोखिम) को जांच की गई। इरूलाओं में दो सीरमविज्ञानी मूल्यांकनों द्वारा पोजिटिव स्वस्थ रक्त दाताओं (4%) के मुकाबले सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यधिक सीरोपाजिटिविटी (11%) थी। जांचे गए 266 तीव्र ज्वर जन्य बीमारी वाले 6 (2.6%) मानव रोगियों में पालीमेराज चेन रियक्शन (पीसीआर) हांटावाइरस न्युक्लिक एसिड के लिए पोजीटिव था। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण करने पर पीसीआर उत्पादों से हांटा विषाणु वाली 93-97% न्युक्लियोटाइड समजातीयता प्रदर्शित हुई। एचटीएनवी विषाणु दक्षिण पूर्व एशिया, चीन कोरिया तथा रूस में

सर्वाधिक व्याप्त है। इन रेट्रोवाइरस पाजिटिव व्यक्तियों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई।

भारत, म्यांमार और थाइलैंड को जोड़ने वाला राजमार्ग

4237. डा. टोकचोम मैन्या: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, म्यांमार और थाइलैंड को जोड़ने वाली तामू-कर्लवाव-कलेमयो सड़क अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है; और

(ख) इस सड़क के कब तक शुरू होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) तामू-कर्लवाव-कलेमयो सड़क का एक बड़ा हिस्सा त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का हिस्सा बनेगा जिसके संबंध में भारत, म्यांमार और थाइलैंड के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

(ख) 160 किलोमीटर लंबा तामू-कर्लवाव-कलेमयो सड़क मार्ग पहले ही म्यांमार में चालू अवस्था में है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कोटा-बारां खंड को चार लेन का बनाना

4238. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-76 को कोटा-बारां खंड को चार लेन का बनाने का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि जारी की गई है और इसमें से वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने हेतु कार्य किस तिथि को पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। कोटा-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा जिसमें कोटा-बारां खंड भी शामिल है, के बीच राजस्थान में रारा 76 पर पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत परियोजना के ब्योरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	ठेका खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी.)	तारीख		कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	मार्च, 08 तक संचयी व्यय (करोड़ रु.)	संचयी भौतिक प्रगति (%)
				प्रारंभ होने की	पूरा होने की प्रत्याशित			
1.	राज./म.प्र. सीमा से कोटा 579-509 किमी.	76	70	10.9.05	जून, 08	404.36	247.94	87.24
2.	राज./म.प्र. सीमा से कोटा 509-449.15 किमी.	76	60	20.10.05	दिसं., 08	471.85	235.21	60.46
3.	राज./म.प्र. सीमा से कोटा 449.15-406.00 किमी.	76	43	24.10.05	मार्च, 09	377.65	146.72	54.23
4.	कोटा बाइपास 406.00-381.00 किमी.	76	26.42	11.05.06	जून, 09	250.39	41.79	9.75
5.	चंबल पुल	76	1.4	07.11.06	सितं., 2010	281.31	33.74	डिजाइन कार्य अधिकांशत: पूर्ण हो चुका है। फाउंडेशन कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

4239. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कुनोपालपुर अभ्यारण्य की स्थापना के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित लम्बित पुनर्वास कार्य को पूरा करने के लिए 308.68 लाख रुपये की शेष मुआवजा राशि को जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि कब तक स्वीकृत और जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का विकास के अंतर्गत कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य से 1545 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु वर्ष 2007-08 तक 1545 लाख रु. पहले ही जारी कर चुकी है। अन्तिम भुगतान वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया था और भारत सरकार के पास इस संबंध में कोई जारी की जाने वाली राशि लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों के लिए आर्थिक क्षेत्र

4240. श्री अबु अयीश मंडल: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में अनिवासी भारतीयों के लिए आर्थिक क्षेत्रों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई प्रारूप विनियमनों को तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा

4241. श्री जुएल ओराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य बीमा कवर जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों (पांच की इकाई) के लिए **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** शुरू की है जिसमें स्मार्ट कार्ड आधारित गैर नगदी बीमा का लाभ देने की व्यवस्था है। 60/- रुपये प्रति कार्ड की दर से स्मार्ट कार्ड की लागत केन्द्र सरकार को वहन करनी है। गरीबी रेखा से नीचे के (योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार) लगभग 6 करोड़ कार्यकर्ताओं को 2012-13 तक पांच वर्षों की अवधि में कवर करने का विचार है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ढांचा तैयार किया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रायोगिक आधार पर इसके कार्यान्वयन के लिए जरूरत आधारित, समुदाय उन्मुखी, नवाचारी और नम्य बीमा नीतियां तैयार करें। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और राजस्थान ने 5 जिलों में इस प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया है। अधिकतम 300/- रुपये गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार की शर्त पर 75% तक वार्षिक प्रिमियम की लागत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है। राज्यों द्वारा तैयार की गई प्रायोगिक योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर राज्य दर राज्य उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।

तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के कार्यकर्ताओं को अधिकतम 65/- रुपये प्रति वर्ष की शर्त पर 75% तक का प्रिमियम फ्लोटर बेसिस पर 30,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा वहन किया जायेगा।

[हिन्दी]

एम्स स्थिति अभिघात केन्द्र में कर्मचारियों की कमी

4242. श्री रशीद मसूद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थित अभिघात केन्द्र में कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) उक्त अभिघात केन्द्र के आरंभ होने के बाद से यहां कितने मरीजों का उपचार किया जा चुका है; और

(घ) इस अभिघात केंद्र में आज की तारीख तक कितने मरीजों की मृत्यु हो चुकी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेन्टर ने 26.11.2006 से प्रायोगिक आधार पर कार्य करना शुरू किया है और 26.11.2007 से यह पूर्णरूपेण कार्यात्मक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अन्य समूह-घ पदों के अलावा संकाय, रेजिडेंटों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के 553 पदों को स्वीकृति दी है जिन्हें आउटसोर्स किया जाना अपेक्षित है। इनमें से 377 पदों को भरा जा चुका है और 190 पदों की भर्ती की जा रही है।

(ख) रिक्त पदों को नियमित चयन किए जाने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में संविदात्मक आधार पर भरा जा रहा है।

(ग) अब तक जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंट के आपातकालीन विभाग में कुल 19929 रोगियों का उपचार किया गया, 3897 रोगियों को दाखिल किया गया है (वार्डों, आईसीयू तथा कैजुअल्टी सहित करीब 186 की बिस्तर क्षमता) और तंत्रिकाशल्यचिकित्साओं, विकलांग विज्ञान एवं सामान्य शल्य चिकित्सा जैसी विभिन्न शल्यक विशिष्टताओं द्वारा 3425 आपरेशन किए गए हैं।

(घ) जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर में उपचार किए गए 19929 रोगियों में से अब तक 285 रोगियों की मौत हुई है।

[अनुवाद]

ब्लड बैंकों की स्थापना हेतु मानदंड

4243. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ब्लड बैंकों की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या वर्तमान ब्लड बैंक निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। औषध एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों की अनुसूची 10ख के अंतर्गत संपूर्ण रक्त के संग्रहण, भंडारण, प्रोसेसिंग एवं वितरण रक्त बैंकों द्वारा मानवीय रक्त घटकों तथा रक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

उपबंधों के अनुसार प्रत्येक रक्त बैंक को अपने प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लाइसेंस प्रदान करने से पहले औषध नियंत्रण प्राधिकारी रक्त बैंकों का निरीक्षण करते हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक रक्त बैंक को इन मानदण्डों को पूरा करना होता है। इन मानदण्डों का अनुपालन करते हुए पाए जाने पर निरीक्षण प्राधिकरी द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने की सिफारिश की जाती है। केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में औषध महानियंत्रक (भारत) की सहमति के तहत राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी रक्त बैंकों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी हैं। लाइसेंस पांच वर्षों के लिए दिया जाता है और प्रत्येक 5 वर्षों के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए इसका नवीनीकरण किया जाता है कि इन मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है।

वन अकादमी हेतु प्रस्ताव

4244. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात सरकार ने अपने यहां वन अकादमी की स्थापना हेतु प्रस्ताव सौंपे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) गुजरात सरकार से वन अकादमी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केरल वन अकादमी की स्थापना के लिए केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्तावित केरल वन अकादमी का उद्देश्य केरल वन विभाग की सभी आधारभूत प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करना है। यह प्रस्तावित है कि अकादमी सेवारत फ्रंटलाइन वन स्टाफ के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रोन्नत, होने वाले अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगी। प्रस्ताव में 13.75 करोड़ रु. का पूंजीगत व्यय और 4.35 करोड़ रु. का आवर्ती वार्षिक व्यय परिकल्पित है।

(ग) प्रस्तावित क्रियाकलाप को सहायता देने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास स्कीम नहीं है।

सरकारी स्कूल के शिक्षकों के शिक्षण के अलावा दूसरे दायित्व

4245. श्री विजय कृष्ण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के, शिक्षण के अलावा दूसरे दायित्वों में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आयोग की चिंता से सहमत है; और

(ग) सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षण से इतर दायित्वों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार गैर-शिक्षण दायित्वों में शिक्षकों की सहभागिता को मानीटर करने के लिए जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अंतर्गत पहले ही कदम उठा चुकी है।

पंसारियों/वेंडरों द्वारा दवाओं की बिक्री

4246. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अधिकृत दवाई पर्ची के साथ पंसारियों/वेंडरों द्वारा दवाओं की बिक्री हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिना पर्चे के दवाएं बेचने हेतु पंसारियों/वेंडरों का पंजीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) पंसारी तथा विक्रेता चिकित्सीय नुस्खे पर दवाओं को बेचने या देने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। औषध एवं प्रसाधन नियमावली के तहत केवल लाइसेंस प्राप्त केमिस्ट या ड्रगिस्ट ही चिकित्सीय नुस्खे पर औषधें देने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु धनराशि

4247. श्री गणेश सिंह: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक का विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा व्यय हेतु वर्ष 2008-09 के लिए योजना आयोग ने 1455.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। राज्यवार धनराशि का आबंटन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सभी पात्र मंत्रालयों को

अपने कुल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत उत्तर पूर्व में खर्च करना अपेक्षित है और यह राशि (रेलवे मंत्रालय के आबंटन को छोड़कर) 2008-09 में लगभग 14992 करोड़ रुपये आंकी गई है। सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विशेष समस्याओं से निबटने के लिए खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से 500 करोड़ रुपये का एक कोष निर्धारित किया है।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विभिन्न योजना स्कीमों के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए 14409.08 करोड़ रुपये के आबंटन का योजना आयोग को प्रस्ताव किया था, जो निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	योजना स्कीमें	11वीं योजना प्रस्ताव (करोड़)
1.	अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर)	6000.00
2.	पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी)	6000.00
3.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) को ऋण	500.00
4.	एडवोकेसी और प्रचार	50.00
5.	क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	100.00
6.	उत्तर पूर्वी राज्यों में नगरों और सड़कों का विकास	1562.80
7.	विश्व बैंक सहायता से एनईआर आजीविका परियोजना	5.00
8.	बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद की योजनाएं	191.28
	कुल	14409.08

इसके अतिरिक्त, सभी पात्र केंद्रीय मंत्रालय उत्तर पूर्व में कुल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत व्यय करने के अपने दायित्व के तहत योजना और परियोजना बनाते हैं।

[अनुवाद]

महिला गर्भनिरोधक

4248. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार महिला कंडोम शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंडोमों के इस्तेमाल के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। महिला कंडोमों का वितरण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों की सहायता से 5 रुपये प्रति नग की रियायती दर पर महिला यौन कार्यकर्ताओं के बीच लक्षित कार्यकलाप कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। 2008-09 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में महिला यौन कार्यकर्ताओं के लिए सभी लक्षित कार्यकलापों में महिला कंडोम उपलब्ध किए जाएंगे।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सभी राज्यों में महिला कंडोमों को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इन्हें लक्षित कार्यकलाप कार्यक्रम के अंतर्गत जारी रखा जाएगा।

औद्योगिक प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले खतरे

4249. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बड़े उद्योग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अनुसंधानकर्ताओं की चेतावनी के बावजूद इस दिशा में गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) औद्योदिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ङ) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत, सभी उद्योगों को परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 के अंतर्गत स्थापित करने और प्रचालन करने के लिए सहमति के साथ-साथ प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित है। अधिक निवेश कर

रहे बड़े स्तर के उद्योगों में से अधिकांश, अत्याधिक प्रदूषण कर रहे उद्योगों और अत्यंत प्रदूषण कर रहे उद्योगों (जीपीआई) की 17 श्रेणियों के अंतर्गत हैं। दिसम्बर, 2007 तक उद्योगों की 17 श्रेणियों के कुल 2718 उद्योगों की मानीटरी की गई है। इनमें से 1955 उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन कर रहे हैं, 437 उद्योग दोषी पाए गए हैं और 326 उद्योगों को बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार अत्याधिक प्रदूषण कर रहे। 145 उद्योगों की मानीटरी की गई है। इनमें से, 750 उद्योग मानकों का अनुपालन करने की सूचना है, 109 उद्योग दोषी पाए गए और 286 उद्योगों को बंद कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करती पाई गई दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

जैसाकि दिनांक 14 सितम्बर 2006 को पर्यावरण प्रभाव आंकलन पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, नए उद्योगों अथवा विकासात्मक परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना अपेक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मामलों की जांच केन्द्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा अथवा राज्य स्तर पर संबंधित राज्य प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा की जाती है।

विकास परियोजनाओं हेतु राज्यों को धनराशि जारी किया जाना

4250. श्री के.एस. राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को विकास परियोजनाओं हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गयी तथा प्रयुक्त हुई;

(ख) कौन-कौन से राज्य विकास परियोजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा जारी योजना आवंटनों को उपयोग करने में विफल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को जारी धनराशि तथा क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त लक्ष्यों को आपस में जोड़ने और जहां राज्य धनराशि के आवंटन के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे है वहां सुधार सुनिश्चित करने हेतु एक नई नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाएं अनुमोदित करते समय उन्हें परियोजना-वार निधियां उपलब्ध नहीं कराता है। विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय के राज्य-वार व वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) राज्यों की वार्षिक योजना निधियां खर्च करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। व्यय की तुलना में संशोधित/अनुमोदित परिव्ययों में कमी के आधार पर राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती की जाती है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तर पर योजना सहायता जारी करने व लक्ष्यों की प्राप्ति के बीच संबंध का आकलन करने के लिए किसी भी नई नीति का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07		वार्षिक योजना 2007-08	
		मूल रूप से अनुमोदित	वास्तविक व्यय	मूल रूप से अनुमोदित	वास्तविक व्यय	मूल रूप से अनुमोदित	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15,650.77	13,439.41	20,000.00	18,206.99	30,500.00	29,982.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	950.00	738.41	1056.00	892.14	1,320.00	1,277.52
3.	असम	3,000.00	1868.70	3798.00	2758.48	3,800.00	3,800.00
4.	बिहार	5,329.65	4465.50	8250.00	8,549.70	10,200.00	10,200.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	4,275.00	3,465.11	5,378.06	5,106.95	7,413.72	6,805.63
6.	गोवा	1,025.00	958.25	1200.00	1069.96	1,430.00	1,853.50
7.	गुजरात	11,000.00	11000.00	12503.50	14384.46	16,000.00	16,000.00
8.	हरियाणा	3,000.00	2996.77	3300.00	3928.71	5,300.00	5,502.35
9.	हिमाचल प्रदेश	1,600.00	1676.18	1800.00	2017.23	2,100.00	2,100.00
10.	जम्मू-कश्मीर	4,200.00	3555.62	4,347.67	3,406.19	4,000.00	5,000.00
11.	झारखंड	4,510.12	4079.13	6500.00	3883.02	6,676.00	641.61
12.	कर्नाटक	13,555.00	12678.30	16166.00	17227.95*	17,782.58	17,782.58$
13.	केरल	5,369.00	3878.43	6210.00	4558.64	6,950.00	6,950.00
14.	मध्य प्रदेश	7,471.00	7443.24	9020.00	9531.82	12,011.00	12,426.45
15.	महाराष्ट्र	11,000.00	14674.21	14829.00	15681.38	20,200.00	16,148.03
16.	मणिपुर	985.37	610.90	1160.00	1045.56	1,374.31	1,420.40
17.	मेघालय	800.00	687.78	900.00	759.81	1,120.00	1,128.51
18.	मिजोरम	685.00	692.64	758.00	702.44	850.00	851.15
19.	नागालैंड	620.00	647.84	760.00	693.29	900.00	939.79
20.	उड़ीसा	3,000.00	2818.82	3500.00	3,630.51	5,105.00	5,520.00
21.	पंजाब	3,550.00	3824.76	4000.00	5751.83	5,111.00	5,111.00
22.	राजस्थान	8,350.00	7699.83	8501.42	8969.31	11,638.86	13,002.51
23.	सिक्किम	500.00	472.43	550.00	450.17	691.14	656.42
24.	तमिलनाडु	9,100.00	8,784.07	12500.00	12677.04	14,000.00	14,209.68
25.	त्रिपुरा	804.00	745.94	950.00	891.62	1,220.00	1,220.00
26.	उत्तर प्रदेश	13,500.00	13522.85	19000.00	20,341.68	25,000.00	25,001.68
27.	उत्तरांचल	2,700.00	3025.81	4000.00	3,250.09	4,378.63	4,378.563
28.	पश्चिम बंगाल	6,476.00	5989.77	8024.36	6,935.49	9,150.00	9,150.00

* : संशोधित परिव्यय

$: अनुमोदित परिव्यय

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य की धीमी गति

4251. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर चंडीगढ़-किरतपुर, अमृतसर-पठानकोट तथा जालंधर-अमृतसर मार्गों को चौड़ा करने संबंधी कार्य तथा निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और सुधार कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। चंडीगढ़-कीरतपुर, अमृतसर-पठानकोट और जालंधर-अमृतसर खंडों की स्थिति इस प्रकार है:-

(1) चंडीगढ़-कीरतपुर खंड : चंडीगढ़-कुटाली खंड की लंबाई 28.6 किमी. है। इसमें से 0.0 से 11.4 किमी. तक का खंड 4/6 लेन का है। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.3.2008 को 13.51 करोड़ रु. की लागत से 11.4 से 15.4 किमी. तक 4 लेन बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया है। शेष 15.4 से 28.6 किमी. तक के खंड में 4 लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत शुरू किया जाना है। कुराली-कीरतपुर खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य बीओटी आधार पर जून, 2007 में सौंप दिया गया है और इसके जून, 2010 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

(2) जालंधर-अमृतसर खंड : परामर्शदाता द्वारा जालंधर-डीलवान खंड के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन बनाने का कार्य शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अद्यतन बनाई गई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात् निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीलवान से वरका चौक, अमृतसर खंड को 4 लेन बनाने का कार्य मई, 2006 में शुरू हो गया है और इसे नवंबर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(3) अमृतसर-पठानकोट खंड : इस खंड को 4 लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात् निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खनन

4252. श्री रमेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण संयंत्र के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग ने, विभाग के नियंत्रणाधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर खानें और मिलें स्थापित किए जाने हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का अनुमोदन लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे:

(1) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में लम्बापुर-पेड्डागट्टू में चार खानें तथा सेरीपल्ली में एक मिल तथा

(2) आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में तुमल्लापल्ली में एक खान तथा एक मिल।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की सभी आवश्यक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया था।

आतंकवाद संबंधी संयुक्त राष्ट्र संकल्प

4253. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आतंकवाद के खतरे पर अंकुश लगाने और इसे नियंत्रित करने तथा मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए एक संकल्प अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से "आतंकवाद से निपटते वक्त मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण" पर एक संकल्प अंगीकार किया गया है। संकल्प में आतंकवाद के समस्त स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की दो टूक भर्त्सना की गयी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया है कि परस्पर सहयोग को मजबूत बनाया जाए ताकि आतंकवाद को रोका जा सके और उसे काबू में किया जा सके, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवाद को काबू नमें करने के उपायों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दायित्वों का अनुपालन हो।

(ग) सरकार आतंकवाद के समस्त स्वरूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने एवं उसे काबू में करने के लिए तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल थेरेपी

4254. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक क्लिनिक एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व भर में एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के रोगोपचारक इस्तेमाल पर प्रतिबंध है; और

(घ) क्या आई.सी.एम.आर. उपर्युक्त स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल के संबंध में कोई जांच कर रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो औषध विकास, प्रदानगी तकनीकों, डायग्नोस्टिक्स और युक्तियों, नैदानिक परीक्षणों आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है, ने सूचित किया है कि उन्होंने थेराप्यूटिक प्रयोजन के लिए एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के इस्तेमाल में शामिल केन्द्रों के संबंध में कोई अध्ययन शुरू नहीं किया है। केवल न्यूटेक मेडिवर्ल्ड, गौतम नगर, दिल्ली ने विभिन्न नैदानिक स्थितियों में थिरेपी के लिए मानव एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल का इस्तेमाल करने का दावा किया है।

(ग) पूरे विश्व में थेराप्यूटिक प्रयोजन के लिए एम्ब्रायोनिक स्टेम कोशिका का इस्तेमाल जटिल वैज्ञानिक, नीति शास्त्र, सामाजिक और वैधानिक मुद्दों, जिनके लिए नयाचार के वैज्ञानिक और नीति शास्त्र संबंधी मूल्यांकन में अतिरिक्त परिचर्या और सुविज्ञता अपेक्षित होती है, के कारण सीमित है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, परिषद अवसंरचना और सुविज्ञता की समीक्षा करने के लिए स्टेम सेल अनुसंधान और थिरेपी में शामिल केन्द्रों का आवश्यकता के आधार पर स्थल दौरा करती है?

[हिन्दी]

विदेश में प्रैक्टिस करने वाले भारतीय चिकित्सकों को प्रोत्साहन

4255. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेश में प्रैक्टिस करने वाले भारतीय मूल के चिकित्सकों के देश में उनकी वापसी को सुगम बनाने के लिए विशेष सुविधा/प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में चिकित्सा सेवाओं को किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) हाल ही में केन्द्र सरकार ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्नातकोत्तर अर्हताओं की मान्यता को अधिसूचित किया है ताकि वे भारत वापिस आ सके।

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के साथ पोलियो उन्मूलन

4256. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के साथ मिलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वृद्ध लोगों की जनसंख्या

4257. श्री महावीर भगोरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध पुरुषों और महिलाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार के वृद्धि लोगों के विशेष उपचार के लिए क्या-क्या योजनाएं/प्रावधान मौजूद हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) 2001 की जगणना के आधार पर देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 3.77 करोड़ पुरुष और 3.88 करोड़ स्त्रियां हैं। ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार संलग्न विवरण में दर्ज की गई है।

(ख) स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं वृद्ध व्यक्तियों (वरिष्ठ नागरिकों) को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली के भाग के रूप में स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर इस समय प्रदान की जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंजीकरण काउंटरों जैसी कतिपय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विवरण

2001 की जनसंख्या के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 60 वर्षों से अधिक की राज्यवार जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या 60+		
		कुल	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	675,324	365,827	309,497
2.	हिमाचल प्रदेश	547,564	270,846	276,718
3.	पंजाब	2191693	1111691	1080002
4.	छत्तीसगढ़	44912	23744	21168
5.	उत्तरांचल	654356	326715	327641
6.	हरियाणा	1584089	795383	788706
7.	दिल्ली	719650	366466	353184
8.	राजस्थान	3810272	1828925	1981347
9.	उत्तर प्रदेश	11649468	6174894	5474574
10.	बिहार	5501274	2922005	2579269

1	2	3	4	5
11.	सिक्किम	29040	16391	12649
12.	अरुणाचल प्रदेश	49916	26417	23499
13.	नागालैंड	90323	50736	39587
14.	मणिपुर	145470	73233	72237
15.	मिजोरम	49023	24800	24223
16.	त्रिपुरा	232549	112656	119893
17.	मेघालय	105726	54016	51710
18.	असम	1560366	800585	759781
19.	पश्चिम बंगाल	5700099	2784491	2915608
20.	झारखण्ड	1578662	787234	791428
21.	उड़ीसा	3039100	1502730	1536370
22.	छत्तीसगढ़	1504383	689685	814698
23.	मध्य प्रदेश	4,280,924	2,091,793	2,189,131
24.	गुजरात	3,499,063	1,628,474	1,870,589
25.	दमन और दीव	8042	3322	4720
26.	दादरा और नगर हवेली	8814	3882	4932
27.	महाराष्ट्र	8454660	3932201	4522459
28.	आंध्र प्रदेश	5788078	2757588	3030490
29.	कर्नाटक	4062022	1923730	2138292
30.	गोवा	112273	49676	62597
31.	लक्षद्वीप	3729	1884	1845
32.	केरल	3335675	1484212	1851463
33.	तमिलनाडु	5507400	2735800	2771600
34.	पांडिचेरी	81016	36461	44555
35.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	17366	9834	7532
	कुल	76,622,321	37,768,327	38,853,9994

[अनुवाद]

चिकित्सकों द्वारा हड़ताल

4258. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक जनहित याचिका में बार-बार हड़ताल पर जाने वाले अथवा पद की निष्ठा का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचना करते हुए शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

न्हावा शेवा (मुम्बई) पत्तन पर कंटेनरों की कमी

4259. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्हावा शेवा (मुम्बई) पत्तन पर कंटेनरों की कमी है, जो कि वस्तुओं विशेषकर प्याज के निर्यात को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पत्तन पर कंटेनरों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) खाली कंटेनरों की व्यवस्था शिपिंग लाइनों द्वारा सामान के निर्यात के लिए की जाती है। निर्यात के लिए कंटेनरों की कमी के संबंध में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

फाइजर इंक द्वारा धूम्रपान-रोधी औषधि का विनिर्माण और विपणन

4260. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फाइजर इंक को भारत में धूम्रपान-रोधी औषधि का विनिर्माण और विपणन करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त औषधि के विनिर्माण और विपणन पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने मैसर्स फाइजर इंक को धूम्रपान-रोधी औषधि के विनिर्माण की अनुमति नहीं दी है। तथापि, मैसर्स फाइजर इंक को मई, 2007 में वैरेनिक्लीन टेबलेट 0.5 एमजी/1एमजी के पूर्ण मिश्रणों का आयात एवं विपणन करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। इस समय इस औषधि को भारत, युनाइटिड किंगडम, अमरीका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया आदि सहित कई देशों में विपणित किया जा रहा है। किसी भी देश में इस औषधि को न तो वापस लिया गया है न ही इसे प्रतिबंधित किया गया है।

राजीव आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए वित्तीय सहायता

4261. श्री एल. राजगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अन्तर्गत राजीव आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। अनन्तपुर, महबूब नगर और श्रीकाकुलम जिलों के लिए आंध्र प्रदेश से स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्राप्त हुई थी जिसमें 46.20 करोड़ रुपए की निधियां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव इस योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए कार्यढांचे से हट कर था। राज्य द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या भी योजना आयोग की दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी। इसलिए तीन जिलों में प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की नई पहल को महत्व देते हुए प्रतीक सहायता के रूप में वर्ष 2007-08 के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के वित्तीय संसाधनों से 5 दिसम्बर, 2007 से दूसरे चरण में पांच और जिलों नामत: चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, नलगोन्डा और रंगा रेड्डी जिलों में आरोग्यश्री समुदाय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2008-09 में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान 15 और जिलों में योजना के विस्तार के लिए प्रस्ताव किया गया है।

आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग

4262. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री विजय कृष्ण:
श्री अजीत जोगी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केवल 51 प्रतिशत लोग ही आयोडीनयुक्त नमक का उपभोग करते हैं, जैसा कि दिनांक 30 मार्च, 2008 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देशों में लोगों के बीच आयोडीनयुक्त नमक के उपभोग के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग देश में अभी भी खतरा बना हुआ है; और

(च) यदि हां, तो आयोडीनयुक्त नमक के उपभोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और गरीब लोगों को आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस-3 के अनुसार देश की लगभग 51% जनता पर्याप्त आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग करती है। सरकार ने पूरे देश में 17 मई, 2006 से प्रभावी अधिनियम/नियमों सहित पीएफए अधिनियम, 1954 के तहत प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए गैर आयोडीकृत नमक की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया है। तथापि, उचित लेबल उद्घोषणा सहित आयोडीकरण, लौह पुष्टिकरण, संरक्षण, औषधीय, पार्श्विक और औद्योगिक उपयोग के लिए नमक की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है।

(ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य स्वास्थ्य निदेशालय और स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में 524 जिलों में से 263 जिलों में आईडीडी के स्थानिकमारी हैं जहां व्यापतता 10% से अधिक है। इस प्रकार कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईडीडी मुक्त नहीं है।

(च) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार आयोडीन अल्पता विकारों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयोडीकृत नमक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पोस्टरों और पम्पलेटों के रूप में विभिन्न आदर्श प्रचार सामग्री विभिन्न ऐजंसियों द्वारा तैयार की गई थी और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित की गई थी। मुद्रण सामग्री के अलावा व्यापक सूचना शिक्षा संप्रेषण क्रिया कलाप दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, राज्य स्वास्थ्य निदेशालय इत्यादि के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अवसंरचना तथा डाक्टरों की कमी

4263. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य परिचर्या कर्मी देश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सहित मूलभूत अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 145272 उपकेन्द्रों, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

ऐसे छह उपकेन्द्रों के लिए एक महिला स्वास्थ्य परिवीक्षिका के प्रावधान सहित एक उपकेन्द्र में एक महिला (सहायक नर्स धात्री) और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 161445 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/सहायक नर्सधात्री कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों में कुल 62881 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) कार्यरत हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक चिकित्सा अधिकारी और 14 अन्य कर्मचारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 15546 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/महिला स्वास्थ्य परिवीक्षिका, 20234 स्वास्थ्य सहायक (पुरुष) और 22608 चिकित्सक कार्यरत हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वहां पर चार चिकित्सा विशेषज्ञ अर्थात् शल्य चिकित्सक, चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल चिकित्सक तथा 21 पराचिकित्सीय और अन्य कर्मचारी होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 5117 विशेषज्ञ, 1740 विकिरण विज्ञानी कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 17919 फार्मासिस्ट, 12101 प्रयोगशाला तकनीशियन और 29776 नर्स मिडवाईफ/स्टाफ नर्स कार्यरत हैं।

कुछ स्वास्थ्य परिसरों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण सहित उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/नए केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आवश्यकताएं अपने वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम निष्पादन योजना में शामिल करें।

[अनुवाद]

सेतु समुद्रम परियोजना पर पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी अध्ययन

4264. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) ने सेतु समुद्रम परियोजना के पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सेतु समुद्रम परियोजना पर सूनामी के संभावित प्रभाव के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) नेशनल एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर द्वारा सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के लिए एक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। उक्त अध्ययन में कतिपय प्रभावों के बारे में पूर्व सूचना दी गई है जिन्हें परियोजना से संबंधित पर्यारण प्रबंधन योजना में एड्रेस किया गया है। उपर्युक्त अध्ययन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी।

(ग) और (घ) शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत मैसर्स सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि. ने सूचित किया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टैक्नोलाजी, जापान और मैसर्स इंडोमर हाईड्रोलिक्स प्रा.लि., इंडिया द्वारा तैयार सुनामी के एनीमेशन माडलों में से यह संकेत मिलता है कि इससे सेतु समुद्रम परियोजना क्षेत्र पर बहुत कम असर पड़ेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने सूचित किया है कि सूनामी से होने वाला नुकसान सुनामी बहाव को रोकने के लिए समुद्री तटों के निकट निर्मित संरचनाओं की प्रतिरोधक प्रभाव के कारण केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों के साथ लगते क्षेत्रों में हो सकता है जबकि सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल से बैड स्कोरिंग को छोड़कर, कोई प्रतिरोधकता प्रकट नहीं होगी।

आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा सहायता देने के संबंध में भारत की चिंता

4265. श्री उदय सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत पर हमले करने के लिए विभिन्न आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान द्वारा निरंतर सहायता देने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी हां। भारत की चिंताओं के संबंध में शीर्ष स्तर सहति बार-बार पाकिस्तान सरकार को बताया जा रहा है। आतंकवाद के मसले पर समग्र वार्ता के तहत विदेश सचिव वार्ताओं तथा गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं में और सितंबर, 2006 में स्थापित संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र (जेएटीएम) में चर्चा की गयी है। सरकार पाकिस्तान की सरकार से यह आशा करती है कि वह 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में उच्चतम स्तर पर की गयी इस प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करे कि वह पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी भू-भाग का किसी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन देने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

[हिन्दी]

राज्यों के बीच आर्थिक विसंगति

4266. श्री सूरज सिंह:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच भारी आर्थिक विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विसंगति का कारण देश का समग्र विकास न किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों के समग्र विकास हेतु ग्यारहवीं योजना में कोई विशेष विकास योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) यह सच है कि देश में अन्तर राज्यीय और अन्तरा-राज्यीय आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमताएं विभिन्न कारकों जैसे कि संसाधन संपन्नता, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताओं और अवसंरचना की उपलब्धता में अंतर के कारण हैं।

(घ) सरकार ने देश में क्षेत्रीय असमानता की समस्या के समाधान के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) शुरू की थी। यह स्कीम ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रहेगी।

(ङ) बीआरजीएफ के दो घटक हैं। पहला घटक, अर्थात्, जिला घटक, जिसमें 27 राज्यों (गोवा को छोड़कर) के 250 जिलों को शामिल किया गया है और इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से अवसंरचना के गंभीर अंतरों को पाटना है। दूसरे घटक में बिहार और उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (केबीके) के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। बिहार के लिए विशेष योजना विद्युत, सड़क संपर्कता, सिंचाई, वानिकी और जल संभर विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार करने के लिए तैयार की गई है। केबीके जिलों के लिए विशेष योजना का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रकों में गंभीर अंतरों को पाटकर इन जिलों का समग्र विकास करना है। वर्ष 2007-08 के लिए समग्र रूप से इस कार्यक्रम के लिए 5800 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था और वर्ष 2008-09 के लिए भी इतना ही आबंटन किया गया है।

'एम्स' के कार्यकरण की समीक्षा

4267. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण की समीक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा इस संस्थान का आगे और विकास करने के लिए सिफारिशें करने हेतु डा. एम.एस. वेलिमथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के सदस्यों के रूप में श्री पी.के. होता, पूर्व सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), डा. एम.के. भान, सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और डा. आर.के. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य लेखा महानिदेशक हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

इस समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करते हुए एक मिशन वक्तव्य तैयार करना चाहिए। इन प्राथमिकताओं में शिक्षा, अनुसंधान और बड़े चिकित्सीय विश्वविद्यालयों जैसी सेवाएं होनी चाहिए ताकि अस्पताल सेवाओं के विस्तार के दबाव से धीरे-धीरे अनुसंधान में शिक्षा हाशिये पर न जा सके। लक्ष्यों और कार्यक्रमों के वितरण को मानव संसाधन विकास में अपनी भूमिका का पता लगाना चाहिए जो राष्ट्र की शक्ति को रोग से लड़ने, वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देने और जनस्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उनको लागू करने के अभिनव परिवर्तनों को आगे बढ़ायेगा।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को देश की जनस्वास्थ्य से संबंधित स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के नए माडलों और इाल ही की प्रौद्योगिकियों को विकसित करना चाहिए। के.एल. विग केन्द्र को आयुर्विज्ञान शिक्षा में नवीनता और प्रगति के कम्पायमान एकक के रूप में पुन: सक्रीय बनाया जायेगा।

3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवर स्नातक प्रशिक्षण का राष्ट्र के लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनरभिविन्यास किए जाने की जरूरत है।

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को उद्भव हो रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक प्रमुख भागीदार होना चाहिए। तद्नुसार, जनस्वास्थ्य के संगठनों द्वारा मांगे जाने वाले प्रयोज्य युक्तियों, नैदानिक किटों, वैक्सीन इत्यादि जैसे उपकरणों को विकसित करने और प्रयोग करने हेतु प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य विख्यात संस्थानों को अपने इस प्रयास में शामिल करना चाहिए।

5. स्ववित्तपोषित, लाभ न कमाने वाले निकाय अर्थात् एआईआईएमएस इन्टरनेशनल को स्थापित करने और इसका संबंधन करना। यह निकाय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बौद्धिक और व्यावसायिक नफरी को इसके वैश्विक मिशन के लिए आकर्षित करेगा।

6. संकाय/कुशल जनशक्ति के हानि/आसन्न हानि को मानिटर करने के लिए एक नये कार्मिक विभाग की स्थापना करना।

7. एक नई कार्मिक नीति तैयार करना जिसे गैर-शिक्षण स्टाफ के प्रति संकाय तथा अन्य सहायक स्टाफ के प्रति समूह "क" के स्वीकार्य अनुपात को भी कवर करना चाहिए।

8. संकाय और अन्य स्टाफ के चयन/पदोन्नति में अन्त: सृजन का उन्मूलन करने की दृष्टि से भर्ती प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना और इसके साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि जैसे विभिन्न भर्ती संगठनों को भर्ती करने का कार्य सौंपना।

9. प्रमुख परियोजनाओं को लम्बे समय तक चलने से रोकना तथा इसके उनकी अधिक लागत होने से रोकने के लिए तथा बड़ी परियोजनाओं के पूरा होने में अनुचित देरी के संदर्भ में तथा इनको समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना नियोजन एवं मानीटरिंग समिति स्थापित करना। यह सिफारिश की गई है कि शासीनिकाय/केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित डीपीआर के बिना कोई परियोजना शुरू नहीं की जानी चाहिए।

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की विस्तार योजनाओं का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रकाश में न कि केवल मात्र अभियांत्रिकी व्यवहार्यता के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बहिरंग रोगी विभाग के विस्तार को परिवार चिकित्सा में एम.डी. पाठ्यक्रम को शुरू करने के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

11. अनुसंधान की चल रही प्रगति, प्रकाशनों की गुणवत्ता, बाह्य अनुदानों के सृजन, अनुसंधान सुविधाओं को शुरू करने अथवा विस्तार करने की योजनाओं तथा की समीक्षा और मानीटर करने के लिए दो अनुसंधान परिषदों की स्थापना करना तथा हर वर्ष शासी निकाय को सिफारिशें करना अनुसंधान परिषद के अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में औद्योगिक सम्पर्क बढ़ाने में भी भूमिका निभानी चाहिए।

12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शासन ढांचे और अधिनियम, नियमों/विनियमों में बाद के संशोधनों के बारे में विशिष्ट सिफारिशें कीं।

[अनुवाद]

लोगों की भागीदारी के माध्यम से घाटे में चल रही कोयला कंपनियों का पुनरुद्धार

4268. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 2008 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "पीपल्स पावर पुट्स बीसीसीएल बैक आन ट्रैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का देश की अन्य रुग्ण कोयला कंपनियों के लिए ऐसे ही पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) 1972 में 'राष्ट्रीयकरण के बाद से घाटे में चल रही थी। कंपनी का निवल मूल्य 31.3.1995 को पूरी तरह समाप्त हो गया था और इसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में रुग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। सरकार से पूंजीगत पुनर्गठन पैकेज अनुमोदित कराने अर्थात् कोयला मूल्यों का विनियंत्रण, ब्याज की माफी, पूंजीगत पुनर्गठन, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के 996.00 करोड़ रु. ऋण का इक्विटी में परिवर्तन आदि के बाद 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 463.51 करोड़ रु. हो गया। कंपनी का निवल मूल्य 1999-2000 तक पुन: नकारात्मक हो गया और कंपनी को पुन: 13.01.2001 को बीआईएफआर में भेज दिया गया। कंपनी को हुई वार्षिक हानि से इसके निवल मूल्य में वर्ष 2004-05 में(-) 4926.00 करोड़ रु. की कमी आई गई। तथापि, कंपनी में वर्ष 2004-05 के बाद सुधार आया और उसके बाद से लाभ निम्नवत् है-

वर्ष	
2005-06	202.67 करोड़ रु.
2006-07	49.58 करोड़ रु.
2007-08 (अनंतिम)	85.17 करोड़ रु.*

(* 275 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यू) 8 के लिए प्रावधान के प्रभाव पर विचार किए बिना)

लोगों, यूनियन आदि के सहयोग से कंपनी द्वारा उठाए गए अनेक कदमों से ऐसा संभव हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। बीआईएफआर के संदर्भ के अधीन सीआईएल की केवल दूसरी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. है। बीआईएफआर और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) की स्वीकृति के आधार पर सरकार ने 5 अक्तूबर, 2006 को ईसीएल के लिए एक पुनरुद्धार योजना पहले ही अनुमोदित कर दी है।

भारत और फ्रांस द्वारा कैंसर तथा तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए संयुक्त प्रयोगशाला की स्थापना

4269. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने कैंसर और तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए रोगोपचारक एजेन्ट बनाने के लिए हरित धारणीय रसायन (ग्रीन सस्टेनेबल केमिस्ट्री) के क्षेत्र में एक संयुक्त प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप दोनों देशों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) सीएसआईआर और फ्रैंच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जनवरी, 2008 में धारणीय रसायन पर संयुक्त अुसंधान प्रयोगशाला का सृजन करने के लिए एक समझौता किया है। यह अनुसंधान भागीदारी वैकल्पिक औषधियों/जीवविज्ञानी प्रणाली को लक्षित करने हेतु कैंसर एवं तंत्रिका विकार प्रोटीन इन्ट्रैक्शनों के लिए थेराप्यूटिक एजेंटों को लक्षित करते हुए हरित रसायन के क्षेत्र में होगी।

(ग) इस भारत-फ्रांस समझौते से नए थेराप्यूटिक एजेंटों का विकास करने में सहायता मिल सकती है।

एससीआई द्वारा बाहरी स्रोत से पोत प्रबंधन करवाना

4270. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पोत परिवहन निगम (एससीआई) का विचार पोतों का प्रबंधन बाहरी स्रोत से करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीफेयरर्स एसोसिएशनें इस कदम का विरोध कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। व्यापार की गतिशीलता और योग्य एवं सक्षम कर्मियों की उपलब्धता के मद्देनजर, कुछ भारतीय कंपनियों सहित पूरे विश्व में नौवहन कंपनियां अक्सर अपने जलयानों को कर्मियों की तैनाती और प्रबंधन के लिए अपने व्यापार के दौरान सक्षम और योग्य प्रबंधकों को सौंप देती है। भारतीय नौवहन निगम का यह निर्णय मुख्यत: योग्य एवं सक्षम नाविक अधिकारियों की अत्यधिक कमी, जिसकी वजह से हाल ही में गुजरे समय में व्यापार दिवसों का नुकसान हुआ है, के कारण लिया गया है।

(ग) और (घ) नाविकों की यूनियनों, अर्थात् मैरिटाइम यूनियन आफ इंडिया, नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इंडिया और फारवर्ड सीमैन्स यूनियन आफ इंडिया के साथ-साथ भारतीय नौवहन निगम अधिकारी संघ और भारतीय नौवहन निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय नौवहन निगम द्वारा 30 जलयानों पर कर्मियों की तैनाती और तकनीकी प्रबंधन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस का विरोध किया गया। नाविकों की यूनियनों को भारतीय नौवहन निगम के जलयानों को कर्मियों की तैनाती और तकनीकी प्रबंधन के लिए दे दिए जाने के परिणामस्वरूप नाविकों के लिए रोजगार का नुकसान होने की आशंका है। भारतीय नौवहन निगम अधिकारी संघ और भारतीय नौवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने यह आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की यूनियन के साथ किए गए करार के अनुसार लिपिकीय/तकनीकी प्रकृति के कार्यों को आउटसोर्स नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने निविदा प्रक्रिया को रोके जाने और उनके साथ एक बैठक का आयोजन करने की भी मांग की।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा मैरिटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया और भारतीय नौवहन निगम अधिकारी संघ और भारतीय नौवहन निगम कर्मचारी यूनियन को 8 फरवरी, 2008 को एक उत्तर भेजा गया जिसमें इस निर्णय की व्यवहारिकता की व्याख्या की गई और यह आश्वासन दिया गया कि रोजगार के अवसरों की हानि नहीं होगी और भारतीय नौवहन निगम का प्रबंधन सभी मौजूदा करारों और समझौतों का पूरी तरह पालन करेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि तटीय स्टाफ अर्थात् गैर-समुद्रगामी कर्मियों, के संबंध में किए गए एक समझौते में यह प्रावधान किया गया है कि केवल लिपिकीय कार्य जो कि चिरस्थायी प्रकृति के हैं, आउटसोर्स नहीं किए जाएंगे और यह कि किया जाने वाला करार किसी भी तरीके से उक्त समझौते के विरुद्ध नहीं होगा। नाविकों की यूनियनों को यह आश्वासन दिया गया कि कर्मियों की तैनाती और तकनीकी प्रबंधन को आउटसोर्स करने की परिस्थिति में, नाविक अपने पदों पर बने रहेंगे। प्रबंधन ने यूनियनों के प्रतिनिधियों की चिंताओं का निदान करने और उन्हें यह आश्वस्त करने की दृष्टि से उनके साथ एक बैठक भी की कि यदि जलयानों को आउटसोर्स किया जाता है तो उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। भारतीय नौवहन निगम द्वारा सरकार को उनके निर्णय की जानकारी दे दी गई है।

एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

4271. श्री मनोरंजन भक्त: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एमपीएएलडी योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष निधियों को कब तक संवितरित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सां.स्था.क्षे.वि. योजना के अंतर्गत 51 कार्य शुरू किए गए थे। इनमें से, 31 कार्य पूरे हो गए हैं तथा 20 कार्य चल रहे हैं। ये कार्य विभिन्न सेक्टरों अर्थात् शिक्षा, पेयजल, सड़कों, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित हैं।

(ख) सां.स्था.क्षे.वि. योजना निधि अव्यपगत होती है। जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने सूचित किया है, भारत सरकार से प्राप्त कुल निधि में से 24,56,901.42 रु. का अव्ययित शेष है जिसमें प्रोद्भूत ब्याज भी शामिल है।

(ग) और (घ) निधि का पूरा उपयोग न होने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, चालू कार्यों और नए कार्यों के लिए शेष राशि का भुगतान का किया जाना, कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के बाद ही, निधि जारी करना शामिल हैं। सां.स्था.क्षे.वि. योजना की प्रकृति और गतिशीलता में शेष निधि के उपयोग के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। चालू एवं नए कार्यों के लिए निधि सां.स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.15 के अनुसार संवितरित की जाती है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कार्यविधि

4272. श्री सुव्रत बोस:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के ड्राइवर लाइसेंस की जांच करने तथा जारी करने के अलग-अलग तरीके और कार्यविधियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों के रोड सेफ्टी फोरम की ओर से पूरे देश में ड्राइवर लाइसेंस की जांच करने तथा इन्हें जारी करने के लिए मानक कार्यविधियों का विकास करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा देश में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने तथा ड्राइविंग की जांच करने हेतु एक समान कार्यविधि शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय-2 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अध्याय-2 में ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए जाने से पूर्व परीक्षण और जांच के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों में लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के वाहनों की वैधता और समय अवधि दी गई हैं और ये संपूर्ण देश में समान रूप से लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 28 लाइसेंस प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यक्षेत्र कार्य आदि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करता है।

(ग) और (घ) इस विभाग को देश में ड्राइविंग लाइसेंस की एक समान व्यवस्था के संबंध में सड़क सुरक्षा मंच, आंध्र प्रदेश से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उन्होंने चालक के परीक्षण के लिए कतिपय समान दिशानिर्देशों का सुझाव दिए हैं जिनमें चालकों का परीक्षण कराने और राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के लिए प्रमाणित गैर-सरकारी संगठनों को प्राधिकृत करने की बात कही गई है।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

4273. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कोष के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितना व्यय किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, जिसका नाम अब जनसंख्या स्थिरता कोष है, के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार है:-

(1) वर्ष 2045 तक अनवरत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षा की जरूरतों के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए लक्षित कार्यकलापों की व्यवस्था करना अथवा उनको शुरू करना।

(2) गर्भनिरोधन और प्रजननात्मक तथा बाल स्वास्थ्य परिचर्या की अपूरित जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और पहलों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना।

(3) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकारों, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र में अभिनव विचारों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना।

(4) जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रयास के पक्ष में जोरदार जन आंदोलन को विकसित करने में सहायता देना।

(5) जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने में देश के भीतर और बाहर व्यक्तियों, मजदूर संगठनों और अन्यों से अंशदानों को सारणीबद्ध करने के लिए एक द्वार की व्यवस्था करना।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या स्थिरता कोष के वर्षवार व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
2005-06	5,612 रु.	-
2006-07	45,73,026 रु.	14,67,162 रु.

विवरण I

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भाधीन विषयों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:-

* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने देश में उच्च प्रजननता वाले जिलों का पता लगाने के लिए एक कार्य शुरू किया है। इसके पश्चात 133 उच्च प्रजननता वाले जिलों के जिलाधीशों को जनसंख्या संबंधी मुद्दों से उनको सुग्राहित करने तथा जिलों की जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं तैयार करने के लिए उनकी एक बैठक बुलाई गई। जनसंख्या संबंधी विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 13 राज्यों में 67 जिलों को 39.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

* जनगणना 2001 और अन्य स्रोतों से आंकड़ों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 12 सामाजिक, आर्थिक और जनांकिकीय सूचकों और उन पर आधारित संयुक्त सूचकांक के आधार पर देश के 569 जिलों को वर्गीकृत किया है और उनका मानचित्र बनाया है।

* देश में जनांकिकीय अनुसंधान में सुधार करने के लिए विशेषज्ञों तथा जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि, यूनीसेफ, विख्यात, जनांकिकीविदों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि जैसे संगठनों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन संगठनों के माध्यम से कुछ अध्ययनों को प्रायोजित किया गया।

* समुचित माडलों/कार्यनीतियों को विकसित करने तथा नवीन नीतियों और कार्यक्रमों को समझने के एक प्रयास में राज्यों, जिलों तथा उच्च प्रजननता वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में क्षेत्रीय दौरों का आयोजन किया गया।

* आयोग और कार्यनीतिक सहायतादल के प्रथम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने निम्नलिखित कार्यदलों का गठन किया:-

1. अपूरित जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यनीतियों पर कार्यकारी दल (इस दल में 4 उप-दल थे):

(1) गर्भनिरोधन की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यनीतियों पर उप-दल।

(2) मातृ और बाल स्वास्थ्य की अपूरित आवश्यकताओं पर उप-दल।

(3) जन स्वास्थ्य, पीने के पानी, सफाई और पोषण की अपूरित आवश्यकताओं पर उप-दल।

(4) महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के विकास और किशोरों से संबंधित मुद्दों की कार्यनीतियों पर उप-दल।

2. जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर कार्यदल।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी को स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा में लाने पर उच्च शक्ति प्राप्त परामर्शी दल।

4. जन्म, मृत्यु एवं विवाहों के पंजीकरण पर कार्यदल।

5. मानीटरिंग पर कार्यदल।

6. पंचायती राज संस्थाओं और स्व:सहायता दलों की भूमिका पर कार्यदल।

7. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण तथा प्रेरणा के लिए प्रचार साधनों पर कार्यदल।

8. आदिवासीय समुदायों पर परामर्शी दल।

इन दलों द्वारा की गई सिफारिशों/तैयारी की गई रिपोर्टों को यथासंभव सीमा तक जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में मिला दिया गया।

* जनांकिकीय रूप से कमजोर राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के वास्तविक कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने समय-समय पर राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों, राज्य मुख्य सचिवों/स्वास्थ्य सचिवों इत्यादि के साथ समीक्षा बैठकें बुलाई।

* राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का 11.04.2005 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 40 सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इस आयोग की सदस्यता में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। 23 जुलाई, 2005 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई पुनर्गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में जनसंख्या से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. सभी जिलों का वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आयोजन करना जिनको प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा सके ताकि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सूचकों को समय-समय पर प्रकाशित किया जा सके, उनको मानीटर किया जा सके तथा बैंचमार्कों के मुकाबले तुलना की जा सके।

2. स्वास्थ्य प्रदाय प्रणालियों में कमियों का पता लगाने तथा उन उपायों को सुझाने जो राज्यों के स्वास्थ्य और जनांकिकीय संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए किए जाएंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जनसंख्या के रेखा चित्रों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के 5 दल गठित करना।

उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जनसंख्या के रेखा चित्रों का अध्ययन करने और इन राज्यों के स्वास्थ्य और जनांकिकीय स्थिति में सुधार लाने के सुझावों सहित स्वास्थ्य प्रदाय प्रणालियों में कमियों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के 5 दल गठित किए गए हैं। इन दलों की रिपोर्टों के प्रारूप प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिलों के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संचालन का कार्य भारत के महापंजीयक को सौंपा जा चुका है।

*राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने निम्नलिखित प्रकाशनों को भी प्रकाशित किया है:

1. भारत और राज्यों के जनसंख्या अनुमान, 2001-26

2. सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय सूचकों, 2007 पर आधारित-जिलों को वर्गीकृत करना और उनके मानचित्र बनाना।

3. महाराष्ट्र में छिपी हुई बाल मृत्यु दर-एक बहुस्थलीय क्षेत्रीय अध्ययन।

विवरण II

- जनसंख्या स्थिरता कोष ने जीआईएस मैप्स एवं जनगणना आंकड़ों के अद्वितीय मिलाव के माध्यम से भारत के 450 जिलों का मानचित्र बनाया है। यह मानचित्र प्रत्येक जिले, इसके उपमंडलों और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र तक इसकी दूरी सहित प्रत्येक गांव की जनसंख्या का चित्र प्रदान करता है।

- जनसंख्या स्थिरता कोष ने कम्प्यूटर आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी और हिन्दी में प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में सूचना देने के लिए एक काल सेंटर शुरू किया है।

- जनसंख्या स्थिरता कोष ने प्रेरणा और संतुष्टि नामक दो अद्वितीय कार्यनीतियां शुरू की हैं। प्रेरणा उन दम्पत्तियों

को एक पुरस्कार प्राप्त करने का हकदार बनने के लिए अवसर प्रदान करती है जिन्होंने विशिष्ट उत्तरदायी मातृत्व-पितृत्व को पूरा किया है। संतुष्टि कार्यनीति के अंतर्गत प्रत्येक निजी स्त्री रोग विज्ञानी को 100 महिला नसबंदी (लेप्रोस्कोपिक नसबंदी आपरेशन)/एनएसबी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनके लिए डाक्टरों को सरकार द्वारा पहले से अधिसूचित मुआवजा दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

- विश्व जनसंख्या दिवस-11 जुलाई, 2007 को जनसंख्या स्थिरता कोष ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के अल्पसेवित गांवों के 500 किशोर-किशोरियों और युवकों को इकट्ठा किया तथा दो दिन के सत्र में उनको उत्तरदायी मातृत्व-पितृत्व के बारे में परिचित करवाया गया।

- जनसंख्या स्थिरता कोष ने 26-27 नवम्बर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में ग्राम स्तर पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में नवीनताओं के बारे में एक दो-दिवसीय ब्रेन स्टार्मिंग कार्यशाला का आयोजन किया था।

जनसंख्या स्थिरता कोष की उपलब्धि का मूल्यांकन करना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी क्योंकि जनसंख्या स्थिरता कोष की संरचना और प्रणालियों को अभी-अभी लागू किया गया है। जनसंख्या स्थिरता कोष के पास उपलब्ध निधियां किसी राज्य विशिष्ट के बड़े पैमाने के कार्यकलाप की सहायता करने के लिए बहुत थोड़ी है।

[हिन्दी]

टेलीमेडिसिन स्कीम

4274. श्री राकेश सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या समाधान मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित टेलीमेडिसिन स्कीम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस स्कीम के अंतर्गत सभी रोगियों को उपचार नि:शुल्क में प्रदान किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी निधियां जारी की गयी हैं और उनके द्वारा कितनी निधियों का उपयोग किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मोडिंग स्वास्थ्य परिचर्या समाधानों के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण टेलीमेडिसिन नेटवर्क (एनआरटीएन) शुरू किया है। राज्यों को प्रस्तावों को शुरू करने के लिए बीज निधि सहित टेलीमेडिसिन पहलें स्थापित करने के जेनेरिक दिशा-निर्देशों का प्रसार कर दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों में सूचना प्रौद्योगिकी नयाचार, चिकित्सीय उपकरण और मानव संसाधन अपेक्षित प्रबंधन अवसंरचनाओं इत्यादि के जेनेरिक प्रपत्र शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों की शर्त पर राज्यों को मौजूदा टेलिमेडिसिन पहलों को बढ़ाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नई पहलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनआरटीएन जन स्वास्थ्य प्रणाली का अंग है और उपयोगकर्ताओं द्वारा इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय किए जाने की संभावना नहीं है।

एनआरटीएन के अंतर्गत इस योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान प्रत्येक (आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा) को एक करोड़ रुपये, प्रत्येक (उड़ीसा, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश) को 50 लाख रुपए और पंजाब को 53 लाख रुपए तथा प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य को 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

एनएमडीपी के कार्यान्वयन में देरी

4275. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री काशीराम राणा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली 276 परियोजनाओं में से 85 प्रतिशत परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएमडीपी परियोजना में भारी अनियमितता होने की बात सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सकरार ने क्या कार्रवाई की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, परियोजना की परिकल्पना से प्रारंभ होकर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, धन के स्रोत का पता लगाने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना का कार्य प्रारंभ करने और अंत में कार्य पूरा करने तक एक सतत् चलती रहने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, महापत्तनों में कार्यान्वयन के लिए पत्तन क्षेत्र में 276 परियोजनाओं को चुना गया है जिन्हें वर्ष 2011-12 तक प्रारंभ किया जाना है। ये परियोजनाएं पत्तन क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित हैं जिनमें घाट का विकास, जलमार्ग को गहरा किया जाना, उपस्करों और पत्तन जलयानों की खरीद, रेल/सड़क संपर्क और अन्य सहायक कार्य शामिल हैं। आज तक राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3846 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 29 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं आई हैं।

(ङ) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को संबंधित महापत्तनों द्वारा योजनाओं की चरणबद्धता और विभिन्न सुविधाओं के लिए व्यापार की मौजूदा अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

लंबी दूरी के यात्रियों के लिए स्टीमर सेवा

4276. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में चल रही यात्री स्टीमर सेवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्देशीय जलमार्गों से लंबी दूरी के यात्रियों के लिए स्टीमर सेवा प्रारंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और जलमार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की सेवाएं कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, अंतर्देशीय जलमार्गों/राष्ट्रीय जलमार्गों में यात्री फेरी सेवा नहीं चलाते हैं। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अन्य संगठन, भारतीय नौवहन निगम, यात्री फेरी सेवा का प्रचालन कर रहा है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली यात्री सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों, जैसे कि असम, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें तथा गैर-सरकारी प्रचालकों द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों/समुद्री जलमार्गों में यात्री फेरी सेवाएं चलाए जाने की सूचना है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	जलयान का नाम	स्वामी	निर्माण का वर्ष	क्षमता		स्थानों के बीच संचालन
				यात्री	कार्गो	
1	2	3	4	5	6	7
1.	एम वी निकोबार	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1991	1200	1500	पोर्ट ब्लेयर/कोलकाता/विशाखापट्टनम/चेन्नई
2.	एम वी अकबर	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1971	1576	1500	पोर्ट ब्लेयर/कोलकाता/विशाखापट्टनम/चेन्नई
3.	एम वी हर्षवर्द्धन	एस सी आई	1974	749	1500	पोर्ट ब्लेयर/कोलकाता/विशाखापट्टनम/चेन्नई
4.	एम वी स्वराज द्वीप	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1999	1200	1500	पोर्ट ब्लेयर/चेन्नई
5.	एम वी ननकौरी	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1991	1200	1500	पोर्ट ब्लेयर/चेन्नई

1	2	3	4	5	6	7
6.	एम वी चौरा	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1983	300	205	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
7.	एम वी सेंटिनेल	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1982	300	205	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
8.	एम वी डेरिंग	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1992	288	–	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
9.	एम वी येरेवा	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	1964	209	50	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
10.	एम वी रामानुजम	एस सी आई	1972	753	–	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
11.	एम वी कालीघाट	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2004	400	100	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
12.	शोमपेन	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	अस्पताल जलयान	शून्य	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
13.	रंगत	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	100	शून्य	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
14.	बारातंग	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	100	शून्य	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
15.	चौलदारी	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	100	शून्य	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
16.	जौली बोया	अंडमान और निकोबार प्रशासन	2001	100	शून्य	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
17.	वंडूर	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	100	शून्य	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
18.	लॉन्ग द्वीप	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	75	50	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
19.	औंगे	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	75	50	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
20.	पिल्लोमिल्लो	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	75	50	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
21.	कत्थल	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	75	50	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
22.	कमोर्ता	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2001	75	50	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
23.	हटबे	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2005	100	–	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
24.	स्ट्रैट द्वीप	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	2005	100	–	अंतर-द्वीप, पोर्ट ब्लेयर
25.	एम वी टीपू सुल्तान	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप-प्रशासन	1982	658	–	कोच्चि, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप-प्रशासन
26.	एम वी द्वीप सेतु	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप-प्रशासन	1984	150	–	बेपोर/मंगलूर-संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप-प्रशासन
27.	एम वी हमीदा बी	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप-प्रशासन	1991	100	–	अंतर-द्वीप, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप
28.	एम वी खादीजा बीवी	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप-प्रशासन	1991	100	–	अंतर-द्वीप, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना

4277. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को अनिवार्य बनाने का है जैसा कि 19 फरवरी, 2008 के 'दैनिक भास्कर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, को आरम्भ करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जल संबंधी मानदण्ड

4278. श्रीमती मेनका गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जल की गुणवत्ता के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) कार्बोनेटिड जल, जिसे आमतौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में जाना जाता है, के मानदण्डों को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट-ख की मद ए 01.01 के तहत निर्धारित किया गया जिनमें यह विहित है कि कार्बोनेटिड जल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अंतर्गत निर्धारित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के मानकों के अनुकूल होगा।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा

4279. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या कुछ विशेषज्ञों ने ओरल पोलियो ड्राप के स्थान पर टीके लगाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बालकोष और रोग नियंत्रण केन्द्र, अटलांटा के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाले पोलियों संबंधी भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह द्वारा राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। विगत समीक्षा 19-20 दिसम्बर, 2007 को की गई थी। भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने पाया कि:-

* वर्ष 2007 में तीव्र रोग प्रतिरक्षण दौरों तता एक संयोजक (मोनोवेलेंट) मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन के उपयोग से वाइल्ड पोलियो व्ायरस टाइप-I का संचरण कम है।

* भारत में बच्चों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-I के प्रति जनसंख्या प्रतिरक्षा अधिक है।

* पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख (कोर) जिलों (मुरादाबाद, मेरठ, मुज्जफर नगर, अलीगढ़ और बरेली उप-सम्भागों) से नवम्बर, 2006 से वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-I की सूचना नहीं मिली है।

भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने सिफारिश की कि वर्ष 2008 के पूर्वार्ध में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-3 पर अच्छा नियंत्रण करते समय कम संचार के मौसम में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-I का संचरण रोकने के उद्देश्य हेतु कार्यकलाप किए जाने चाहिएं। भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 के शुरूआती दौर में भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- जनवरी-फरवरी, 2008 में राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस कार्यान्वित किए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और जोखिम वाले अन्य राज्यों तथा जिलों में एक संयोजक मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन-1 का तथा अन्य क्षेत्रों में टी मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया गया।
- मोनोवेलेंट मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन-1 का प्रयोग करते हुए मार्च, 2008 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुम्बई और जोखिम वाले अन्य क्षेत्रों में 30 मार्च, 2008 को उप-राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दौर चलाया गया।
- जब कभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार में एसएनआईडी (विशेष राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस) आयोजित किए जाते हैं पंजाब और गुजरात में प्रवासी आबादी को कवर किया जाता है।
- महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, राज्यों में वाइल्ड पोलियो वायरस का पता लगाने के जवाब में मापअप रोग प्रतिरक्षण दौर कार्यान्वित किए गए हैं।

(ग) और (घ) 27 अगस्त, 2007 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में आईपीवी के उपयोगार्थ विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया। भारत में पोलियो वैक्सीन के टीके की भूमिका, भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रों और आयु समूह जहां उस टीके का उपयोग किया जाना है, समुदाय द्वारा इस टीके को स्वीकार करने के संबंध में विशेषज्ञों में मतैक्य नहीं था।

विशेषज्ञों का मत था कि पोलियो उन्मूलन की मौजूदा स्थिति में, भारत में संक्रमण के प्रमुख गढ़ (रिजर्वोयर) अर्थात् पश्चिम उत्तर प्रदेश में वाइल्ड पोलियो वायरस संचरण को रोकने के लिए सबसे छोटा तरीका ढूंढना चाहिए।

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस मार्ग पर पथकर

4280. श्री रेवती रमन सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रैस मार्ग पर वसूले जाने वाले पथकर का वाहन-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या निर्माण की पूरी लागत वसूली के बाद भी पथकर वसूल किया जाता रहेगा;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर समाप्त करने का मानदंड क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रैस-वे पर दिनांक 01.04.2008 से प्रभावी वाहन-वार प्रयोक्ता शुल्क प्रभार के ब्योरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वाहन की श्रेणी	प्रति यात्रा प्रति वाहन के लिए शुल्क की दर		
		आईजीआई हवाई अड्डे की ओर की जाने वाले वाहनों के लिए	केवल सीमा पर टोल प्लाजा पार करने वाले वाहनों के लिए	केवल 42 किमी. पर टोल प्लाजा पार करने वाले वाहनों के लिए
1.	ट्रक, 2 एक्सल	34	51	64
2.	बस, 2 एक्सल	34	51	64
3.	मिनी बस	17	25	32
4.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	17	25	32
5.	कार	11	17	21
6.	मल्टी एक्सल वाहन	34	51	64

(ख) और (ग) बीओटी परियोजना संबंधी पथकर संग्रहण का कार्य 26 जनवरी, 2008 को ही प्रारंभ हुआ है। इस परियोजना के लिए रियायत अवधि 20 वर्ष है जो दिनांक 12.01.2003 से शुरू होती है। इस निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण का रियायतग्राही 'राष्ट्रीय राजार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 1997' के उप नियम 3(1) और 3(2) के अनुसार रियायत अवधि के दौरान प्रयोक्ता शुल्क संग्रहीत करने का हकदार है।

इसके पश्चात्, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उक्त नियम के नियम 3(3) के प्रावधान के अनुसार उक्त खंड पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करता रहेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में भारतीय विद्यार्थियों के साथ नस्ल भेदभाव

4281. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेश में भारतीय विद्यार्थियों के साथ नस्ली भेदभाव के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी हेल्पलाइन के वांछित परिणाम आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेश में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाये जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

* उत्प्रवास संबंधी मामलों पर सूचना का प्रचार प्रसार।
* उत्प्रवासी कामगारों से प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, उन पर कार्रवाई और उनकी निगरानी।
* शिकायत निवारण और दावा धारकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र उत्प्रवासी कामगारों की सहायता करने के लिए भारत में किसी भी स्थान से 1800 11 3090 नम्बर पर नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करता है। इस समय हेल्पलाइन सप्ताह में सातों दिन प्रात: 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक सात भाषाओं अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ और तेलगू में कार्य कर रही है। इस हेल्पलाइन का अनेक उत्प्रवासी कामगार लाभ उठा रहे हैं और यह उन्हें लाभकारी सहायता प्रदान कर रही है।

(घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र में स्थापित हैल्प लाइन अनिवार्य रूप से उत्प्रवासी कामगारों के लिए है और यह विदेशों में भारतीय विद्यार्थी समुदाय को कवर नहीं करता है जो ऐसी सहायता के लिए विदेशों में निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

डयूल मोड रैमजेट एंड स्क्रैमजेट कम्बस्टर सिस्टम का विकास

4282. डा. के. धनराजू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो को समेकित कार्यक्रम में एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रोजेक्ट (एबीपीपी) के लिए 'डयूल मोड रैमजेट एंड स्क्रैमजेट कम्बस्टर सिस्टम' के विकास की दिशा में कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। वायु-श्वसन नोदन के क्षेत्र में किए गए उन्नत प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयास के भाग के रूप में एक पराध्वनिक दहन रैमजेट इंजन पर भू-परीक्षणों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इन परीक्षणों के दौरान प्रवेशिका माक संख्या 6 के अनुरूपी पराध्वनिक गति (अर्थात् ध्वनि से छ: गुणा अधिक गति) की दर से लगभग 7 सेकेंडों के लिए एक स्थिर दहन प्राप्त किया गया है।

मृत खनिकों के परिवारों को मुआवजा पैकेज

4283. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री निखिल कुमार:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने खान में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले खनिकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न कोयला खानों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) खान दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु के मामले में सीआईएल के मृत कामगारों के परिवारों को निम्नलिखित मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है:

(1) कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा

(2) जीवन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत 40,000/- रु. तथा

(3) 30,000/- रु. की अनुग्रह राशि

(4) मृतक के पात्र संबंधी को रोजगार की पेशकश।

इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड ने रोजगार से उत्पन्न और इसके दौरान किसी खान दुर्घटना में मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गए कर्मचारी के प्रत्यक्ष आश्रित को 5.00 लाख रु. की विशेष राहत/अनुग्रह राशि के भुगतान को अनुमोदित किया है।

किसी आपदा अथवा किसी अन्य खान दुर्घटनाओं के मामले में, जहां सीआईएल के कोष से राहत के भुगतान की विशेष घोषणा हुई है, उस मामले में, विशेष राहत/अनुग्रह राशि घोषणा की गई राशि और 5 लाख रु. के बीच का अंतर होगा। किसी भी मामले में, सीआईएल द्वारा भुगतान की गई राहत/अनुग्रह राशि 5 लाख रु. केवल तक सीमित होगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सीआईएल की सभी खानों में सांविधि के तहत अपेक्षानुसार सुरक्षा के पर्याप्त उपाय पहले ही किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हरित भारत योजना (ग्रीनिंग इंडिया स्कीम)

4284. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से हरित भारत योजना (ग्रीनिंग इंडिया स्कीम) के अंतर्गत हाई टेक पौधरोपण और वनरोपण, वन जागरूकता और सर्वेक्षण तथा गहन अनुसंधान विस्तार के माध्यम से क्लोनल बीज बागों के अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) मंत्रालय को 2007-08 के दौरान हरित भारत योजना (ग्रीनिंग इंडिया स्कीम) के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत 15 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मध्य प्रदेश राज्य से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, स्वैच्छिक संगठनों के ये प्रस्ताव, उच्च-तकनीकी नर्सरी, जागरूकता बढ़ाने और सर्वेक्षण, तथा प्रोत्साहन के माध्यम से क्लोनल बीज बागों का अनुरक्षण, अनुसंधान अथवा विस्तार से संबंधित नहीं हैं। स्वैच्छिक संगठनों के इन 15 प्रस्तावों में से 2007-08 के दौरान हरित भारत योजना के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं:-

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	परियोजना क्षेत्र (हे. में)	संस्वीकृत कुल राशि	प्रथम किश्त के रूप में जारी राशि
1.	श्री इंदिरा महिला मंडल, दतिया, मध्य प्रदेश	50 हे.	13,65000/- रु.	5,50,000/- रु.
2.	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	50 हे.	9,80,000/- रु.	3,87,750/- रु.

उपरोक्त के अतिरिक्त, हरित भारत योजना (ग्रीनिंग इंडिया स्कीम) के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत 5 वन विकास एजेंसियों के माध्यम से 4 हाई-टैक नर्सरियों तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 प्रस्ताव पर, 2007-08 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को 37,60,000/- रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

मेलघाट-गुगामल बाघ अभ्यारण्य में दावानल

4285. श्री गिरिजा कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 मार्च, 2008 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार महाराष्ट्र के अमरावती जिले में विनाशकारी दावानल के कारण मेलघाट-गुगामल बाघ-अभ्यारण्य का काफी बड़ा वन क्षेत्र और वन्यजीव क्षेत्र जल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब सरकार ने बाघ अभ्यारण्य में दावानल को रोकने और वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोई उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) दिनांक 26 मार्च, 2008 के हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में महाराष्ट्र में मेलघाट-गुगामल बाघ रिजर्व में दावानल के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ था। समाचार के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र 2000-2200 हेक्टेयर के लगभग था। तथापि, महाराष्ट्र के राज्य वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चालू फायर सीजन के दौरान मेलघाट बाघ रिजर्व के गुगामल राष्ट्रीय उद्यान से विनाशकारी दावानल की किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है। यद्यपि मेलघाट बाघ क्षेत्र से गुगामल राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र से ग्राउन्ड फायर की कुछ घटनाओं की सूचना मिली हैं। गत तीन वर्षों के दौरान, दावानल से प्रभावित वन क्षेत्र का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

वर्ष	कुल वन क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र	प्रतिशतता
2006	2027.39	124.22	6.13
2007	2027.39	151.58	7.47
2008 (10.4.08 तक)	2027.39	60.97	3.00

(ग) और (घ) दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:

* प्रबंधन योजना निर्धारणों के अनुसार, बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कार्य किए गए है। फायरलाइनों का नेटवर्क सृजित किया गया है।
* फायर सीजन के दौरान, फायर वाचर्स की नियुक्ति द्वारा निरंतर सतर्कता बरती जाती है।
* आग बुझाने के लिए विशेष फायर पेट्रोलिंग दस्ते तैनात किए गए हैं।
* 4 वन मंडलों और 10 सुरक्षित क्षेत्रों में वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए हैं।
* वन क्षेत्रों में और आसपास रह रहे लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
* विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों में गड्ढे

4286. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 1 मार्च, 2008 को 'पायनियर' में प्रकाशित समाचार के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत बनाई गई सड़कों में कई गड्ढे हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित और व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि में व्यय न की गई धनराशि का ब्योरा तथा तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से ठोस उपाय किए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 9228.50 करोड़ रु. के आबंटन और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए पिछले वर्षों की अव्ययित राशि में से वर्ष 2007-08 के दौरान 9317.49 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए आबंटित धनराशि विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के अभिनिर्धारित खंडों के विकास और सुधार कार्य के लिए होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किए गए आबंटन में से अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों पर कोई धनराशि खर्च नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को धनराशि का आबंटन

4287. श्री संतोष गंगवार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार यह आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 2007 में हुई बैठक में राज्यों के लिए निर्धारित ग्यारहवीं योजना (2007-12) परिव्यय (वर्ष 2006-07 की कीमतों पर) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों के योजना आकार, जिन्हें राज्य के अपने संसाधनों एवं केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित किया जाता है, को संसाधन उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये)
(2006-07 की कीमतों पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित परिव्यय (2007-12)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	147395.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	7901.01
3.	असम	23953.69
4.	बिहार	60631.48
5.	छत्तीसगढ़	53730.43
6.	गोवा	8485.22
7.	गुजरात	106918.03
8.	हरियाणा	33374.42
9.	हिमाचल प्रदेश	13777.87
10.	जम्मू-कश्मीर	25833.71
11.	झारखंड	40239.69
12.	कर्नाटक	101663.51
13.	केरल	41940.53
14.	मध्य प्रदेश	70329.28
15.	महाराष्ट्र	127537.72
16.	मणिपुर	8153.97
17.	मेघालय	9184.53
18.	मिजोरम	5534.04
19.	नागालैण्ड	5977.94
20.	उड़ीसा	32224.52
21.	पंजाब	28922.79
22.	राजस्थान	71731.90
23.	सिक्किम	4719.89
24.	तमिलनाडु	85344.10
25.	त्रिपुरा	8852.52
26.	उत्तर प्रदेश	181094.19
27.	उत्तराखंड	42797.73
28.	पश्चिम बंगाल	63779.21

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाएं

4288. श्री अबु अयीश मंडल:
डा. बाबू राव मिडियम:

क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.ई.आर. को पुनरुज्जीवित करते हुए वर्ष 2006 से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में इस क्षेत्र को "थ्रस्ट एरिया" मानते हुए परियोजना की सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास हेतु प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर घोषित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में व्याप्त विघनटकारी और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए कौन से वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) योजना के तहत वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2006-07 और 2007-08 में अपने प्लान आबंटन से स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे एनईसी की वेबसाइट www.necouncil.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण योजना के तहत इस क्षेत्र के सरकारी कार्मिकों और बेरोजगार युवा को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे।

(ख) से (ङ) इस मंत्रालय में प्रमुख क्षेत्र वाली परियोजना के रूप में किसी परियोजना की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। इस संबंध में उठाए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं:-

* सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों को विशिष्ट वर्ग राज्यों के रूप में देखा जाता है।

* 1998-99 से विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर शेष केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनी सकल बजटीय सहायता का कम से कम 10% भाग उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अलग से रखना अपेक्षित है।

* सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किए गए अनिवार्य आबंटन में से व्यय न हुई शेष राशि से अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) गठित किया है। सरकार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अवस्थापना विकास के लिए एनएलसीपीआर में से निधियां आबंटित करती है।

* पूर्वोत्तर परिषद जो कि एक सांविधिक निकाय है, को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रकृति की परियोजनाएं आरंभ करने के लिए बजट आबंटित किया जाता है।

* क्षेत्र में औद्योगिक विकास के उन्नयन हेतु सरकार ने उत्तर पूर्व औद्योगिक निवेश एवं संवर्द्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 अधिसूचित की है। इस नीति में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को अनेक प्रोत्साहन का प्रावधान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तैयार मालों पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट शामिल है, 100 प्रतिशत आयकर छूट, प्लांट और मशीनरी में 30 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सहायता और कार्यशील पूंजी पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है।

सरकारी चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं

4289. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ए.आई.आई.एम.एस. सहित सरकारी चिकित्सालयों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सा सुविधाओं के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ए.आई.आई.एम.एस. सहित प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की इनडोर चिकित्सा के लिए कितनी शैय्याएं आरक्षित हैं;

(ग) डाक्टरों द्वारा ओ.पी.डी. में वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा की अधिमानता को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने निजी चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा को अधिमानता प्रदान करने को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिको के लिए आमतौर पर अलग से पंजीकरण काउन्टर हैं ताकि उन्हें पंजीकरण के लिए लम्बी कतारों में खड़े होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, व्हील चेयर/ट्राली आदि जैसी सहायता भी प्रदान की जाती है। कुछ अस्पतालों के बाह्य रोगी विभाग में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कक्ष हैं और ओपीडी कार्ड पर वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति लिखी जाती है ताकि चिकित्सक उन्हें वरीयता प्रदान करें। एम्स में, विभिन्न रोगों के प्रबंधन के लिए मेडीसिन विभाग के तहत वरिष्ठ नागरिक रोगियों की परिचर्या के लिए एक विशेष क्लिनिक चलाया जाता है। इसी प्रकार, लेडी हार्डिंग मेडिकल

कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से जराचिकित्सा क्लिनिक चलाया जाता है। कुछ सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिस्तर आरक्षित रखे जाते हैं जबकि अन्य सरकारी अस्पतालों में उन्हें दाखिले में वरीयता प्रदान की जाती है।

(घ) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र

4290. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में इस समय स्थान-वार कितने पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-06 से अब तक गुजरात में नए पंचायत केंद्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि जारी की है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री [illegible] अय्यर): (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) नए पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए किसी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज मंत्रालय में कोई योजना नहीं है।

स्वास्थ्य देखभाल उन्नयन निधि की स्थापना

4291. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल उन्नयन निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निधि को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, 145272 उप-केंद्रों, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 4045 सामुदायिक केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को उनके उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं का उनकी वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उल्लेक करना अपेक्षित होता है।

मच्छर-रोधी कूलरों का विकास

4292. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) ने मच्छर-रोधी कूलरों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा मच्छर रोधी डेजर्ट कूलर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि पानी की टंकी में मच्छरों को अण्डे देने से रोका जा सके। यह प्रयास किया गया है कि पानी की टंकी को धातु की चादर से पूरी तरह से ढक दिया जाए ताकि कूलर की पानी की टंकी में मच्छरों का प्रवेश न हो सके जिसमें आधी चादर स्थित कर दी जाए और आधी चादर ढक्कन के रूप में खोलने के लिए फिट कर दी जाए। धातु की चादर कूलर के शटर की तरफ तीन तरफ से खुलने वाली है और ये खुली जगह पतले तार की जाली से ढकी हुई है ताकि पानी की टंकी में मच्छरों का प्रवेश न हो लेकिन टंकी में पानी वापस आता रहे। कूलर की पानी की टंकी में पानी जाने के साथ-साथ पाइप से बह निकलने की व्यवस्था है जिसे पतले तार की जाली से फिट किया गया है।

परम्परागत कूलर की अपेक्षाकृत मच्छर रोधी डेजर्ट कूलर का लाभ यह है कि यह मच्छलों के प्रजनन जैसे एडीस इज्ति से बचाव करता है जिसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य मच्छर जनित रोगों का संचरण होता है।

बीहड़ भूमि का रिहेबिलिटेशन

4293. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्यमान बीहड़ भूमि को हरा-भरा बनाने हेतु किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि पर जल उपलब्ध कराने और भू-संरक्षण हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन कार्यों को करने के बारे में गृह मंत्रालय से परामर्श किया है; और

(घ) देश में बीहड़ भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। बीहड़ क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों की प्लानिंग, मानीटरिंग और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बीहड़ भूमियों के पुनर्वास हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य बल का गठन दिनांक 5.12.2005 को किया गया था, इसका कार्य काल दो वर्ष का है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बीहड़ भूमियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बीहड़ क्षेत्र (लाख हैक्टर में)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	12.30
2.	मध्य प्रदेश	6.83
3.	राजस्थान	4.52
4.	गुजरात	4.00
5.	बिहार	6.00
6.	महाराष्ट्र	0.20
7.	उड़ीसा	1.13
8.	पंजाब और हरियाणा	1.20
9.	तमिलनाडु	0.60
10.	पश्चिम बंगाल	1.04
11.	अन्य	1.93
	कुल	39.75

अन्य देशों को वित्तीय सहायता

4294. श्री के.एस. राव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रणनीतिक और राजनैतिक उद्देश्यों से अन्य देशों को दी जा रही भारतीय निधियों और वित्तीय सहायता के विनियमन हेतु ऐसी स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करने का है जिसे प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी विपत्तियों के मामले में अनुदान, ऋण और सहायता राशि के बारे में अविलंब निर्णय लेने हेतु पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्राप्त हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की वर्तमान नीति क्या-क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के अपने बजट संभाषण में यह घोषणा की थी कि सहभागी विकासशील देशों के साथ भारत के विकास सहयोग से संबंधित सभी कार्यकलापों को एक छत्र के अंदर लाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (आईआईडीसीए) स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है। आईआईडीसीए में विदेश, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालयों तथा अन्य हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व होगा और विदेश मंत्रालय कार्यावन्यन हेतु इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई कर रहा है। वर्तमान पद्धति के अंतर्गत, भारत का विदेश विकास सहयोग संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विदेश मंत्रालय के अधीन प्रभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

4295. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में आज की तिथि के अनुसार शुरू की गई/प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लंबाई-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक जारी परियोजना का लंबाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना को आबंटित धनराशि और प्रत्येक परियोजना पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जालंधर से जम्मू के मध्य राजमार्ग-1 को चौड़ा करने हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और प्रभावित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित व्यक्तियों को कब तक क्षतिपूर्ति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राज्य लोक निर्माण विभाग, पंजाब के माध्यम से वार्षिक योजना 2008-09 में 213.78 करोड़ रु. के 47 कार्य अभी हाल में शुरू किए गए हैं और लगभग 165.00 करोड़ रु. के 29 कार्यों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इन कार्यों के ब्योरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II पर दिए गए हैं। पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से 4171.88 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाएं अभी हाल ही में शुरू की गई हैं और 5 परियोजनाओं को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-III और IV पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के जालंधर-जम्मू खंड के लिए भूमि अधिग्रहण के ब्यौरे संलग्न विवरण-V पर हैं।

विवरण I

राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्य

क्र.सं.	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (मूल/संशोधित) करोड़ रु. में	कार्य की स्थिति (31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार)	
				किया गया व्यय करोड़ रु. में	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	20	किमी. 0.00 से 11.975 तक हार्ड शोल्डरिंग सीडब्ल्यू प्रभाग, पठानकोट	3.84	1.95	98%
2.	15	किमी. 101.055 से 101.182, 103.879 से 106.06 (पक्की सड़क) में सुदृढ़ीकरण सी.डब्ल्यू. प्रभाग, अमृतसर-1	5.01	0	कुछ नहीं (संशोधित प्राक्कलन हाल ही में स्वीकृत किया गया)
3.	70	किमी. 48.71-58.85 में 5.18 मीटर से 7.00 मीटर तक चौड़ीकरण सी.डब्ल्यू. प्रभाग, होशियारपुर	4.89	2.60	83%
4.	64	जिरकपुर-बहादुरगढ़ खंड पर 0 से 45.665 किमी. तक विद्यमान 2 लेन के एकल कैरिजवे को 4 लेन का बनाने के लिए उन्नयन करने हेतु परामर्शी सेवा के लिए आर/सी/ई सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	0.81	0.11	40%
5.	64	किमी. 95.00 पर वाई जंक्शन का सुधार सी डब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	0.59	0.01	100%

1	2	3	4	5	6
6.	71	किमी. 5 से 49.448 किमी. तक जुल, नकोदर मोगा सड़क पर सड़के प्रयोक्ता के लिए सुरक्षा उपाय सीडब्ल्यू प्रभाग, जालंधर	0.41	0	कुछ नहीं (कार्य निविदा स्तर पर है)
7.	71	किमी. 222.22 से 230.00, 237.295 से 238.695 में पेवड शोल्डर सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	8.02	6.88	95%
8.	64	किमी. 206.100 से 209.00 किमी. तक बीबीवालाचौंक से रोजगार्डन चौक भटिंडा तक 4 लेन बनाना सीडब्ल्यू प्रभाग, भटिंडा	6.15	3.05	80%
9.	64	किमी. 119-120 में पटियाला-संगरूर-बरनाला सड़क को 4 लेन का बनाना सी.डब्ल्यू. प्रभाग, पटियाला में संगरूर	2.04	0.53	35%
10.	64	किमी. 102.00 से 110.556 तक पटियाला-संगरूर-बरनाला सड़क का सुदृढ़ीकरण सी.डब्ल्यू. प्रभाग, पटियाला में संगरूर	4.84	3.39	85%
11.	10	किमी. 388.00 से 400.00 (अबोहर फाजिल्का खंड) में 1.5 मी. चौड़ी पेव्ड शोल्डर का निर्माण सी.डब्ल्यू. प्रभाग, अबोहर	7.74	0.73	20%
12.	15	किमी. 189.00 से 191.60, 192.25 से 194.15 और किमी. 195.00 से 199.75 किमी. में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू, फिरोजपुर	5.40	2.90	75%
13.	71	(7 मी. से 10 मी.) किमी. 16.00 से 23.134 में जालन्धर-नकोदर सड़क खंड में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू, जालंधर	3.61	0.06	11%
14.	71	किमी. 37.00 से 44.00 तक जालंधर-नकोदर-मोगा (सहकोट शहर) सड़क खंड में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, जालंधर	4.64	0.44	29%
15.	71	किमी. 184.00 से 189.00 में पेव्ड शोल्डर सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	2.78	0.23	20%
16.	71	किमी. 196.730 से 203.00 किमी. में पेव्ड शोल्डर सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	3.56	1.84	55%
17.	95	किमी. 89.480 से 97.10 तक लुधियाना-फिरोजपुर सड़क का सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, लुधियाना	4.63	0	कुछ नहीं (संशोधित प्राक्कलन हाल ही में स्वीकृत किया गया)

1	2	3	4	5	6
18.	95	किमी. 179.00 से 191.00 में लुधियाना-फिरोजपुर सीमा सड़क खंड में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, फिरोजपुर	5.28	2.71	90%
19.	95	किमी. 148.00 से 167.00 तक लुधियाना-फिरोजपुर सड़क का सुधार सीडब्ल्यू प्रभाग, फिरोजपुर	11.81	0	कुछ नहीं (संशोधित प्राक्कलन हाल ही में स्वीकृत किया गया)
20.	15	किमी. 13.50 से 16.00, 53.00 से 63.00 और 67 से 70.437 में आईआरक्यूपी सीडब्ल्यू प्रभाग, पठानकोट	4.30	0	40%
21.	15	किमी. 266.48 से 285.16 (बाजाखाना-भटिंडा खंड) में 1.5 मी. चौड़ी पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, भटिंडा	7.60	1.15	20%
22.	70	किमी. 24.00 से 37.00 में पेव्ड शोल्डर सीडब्ल्यू प्रभाग, होशियारपुर	7.17	0	कुछ नहीं (कार्य निविदा स्तर पर है)
23.	64	किमी. 94.500 से 99.00 में पटियाला-संगरूर सड़क का सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	2.97	1.04	35%
24.	71	किमी. 114.27 से 129.44 में विद्यमान सड़क का सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	10.36	0.49	5%
25.	15	गिदरबाहा शहर में किमी. 312.300 से 317.390 में 4 लेन बनाना सीडब्ल्यू प्रभाग, अबोहर	10.19	1.99	20%
26.	72	किमी. 9.23 से 13.75 में विद्यमान सड़क का सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला	2.97	0	11%
27.	71	किमी. 129.400 से 138.910 में रामगढ़-बरनाला सड़क खंड में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	9.40	1.80	26%
28.	71	किमी. 217.500 से 222.20 में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	5.06	0.87	20%
29.	21	किमी. 73.20 से 82.00 में 1.5 मी. चौड़ी पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	3.95	0.44	5%
30.	71	किमी. 77.600 से 93.35 में 2 लेन बनाना सीडब्ल्यू प्रभाग, फिरोजपुर	7.02	1.61	50%

1	2	3	4	5	6
31.	15	किमी. 0.00 से 6.66 (तरणतारण बाइपास) में पेव्ड शोल्डर का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, अमृतसर	5.89	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
32.	70	जालंधर-होशियारपुर सड़क खंड के किमी. 42.20 से 48.71 में पेव्ड शोल्डर सीडब्ल्यू प्रभाग, होशियारपुर	4.88	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
33.	95	किमी. 124.08 से किमी. 128.00, 135.00 स 139.00 में सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, फिरोजपुर	4.06	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
34.	10	डीबीएफओ पद्धति पर किमी. 317.00 से 344.54 तक डबवाली से मलाउट तक 4 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन सीडब्ल्यू प्रभाग, अबोहर	0.27	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
35.	15	अबोहर-उष्मानखेडा सड़क खंड के किमी. 390.500 से 391.00 तक दोनों ओर 3.5 मी. चौड़ी लेन का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, अबोहर	0.48	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
36.	64 विस्तार	आईटीआई चौक भटिंडा से जोधपुर रमाना खंड तक किमी. 8.10 से 11.45 में विद्यमान 2 लेन की सड़क को 4 लेन का बनाना सीडब्ल्यू प्रभाग, भटिंडा	8.58	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
37.	71	संगरूर-पतरन-खनूरी सड़क के किमी. 190.970 से 191.072 में 102.00 मी. लंबी रिटेनिंग वाल का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	0.17	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
38.	71	किमी. 189.950 (रा.रा.-71 और एसएच-12ए का जंक्शन) पर मेहलान चौक का सुधार सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला में संगरूर	1.06	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
39.	64	पटियाला-संगरूर-बरनाला सड़क के किमी. 92.00 से 94.50 में सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, पटियाला (पुल शुल्क के लिए) में संगरूर	1.96	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
40.	10	डबवाली मलाउट सड़क पर किमी. 335.250 से से 336.075 में गांव मुहाना में साइड ड्रेन का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, अबोहर	0.28	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
41.	10	डीएचएस सड़क के किमी. 399.55 पर दक्षिणी वितरक नदी पर उच्च स्तरीय एकल के स्पेन 9 मी. और 9.636 मी. स्कीयू का निर्माण सीडब्ल्यू प्रभाग, अबोहर	0.95	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)

1	2	3	4	5	6
42.	15	किमी. 227.800 से 235.300 में फरीदकोट-कोटकापुरा सड़क का सुदृढ़ीकरण सीडब्ल्यू प्रभाग, फिरोजपुर	5.03	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
43.	15	वर्का शहर में अमृतसर-पठानकोट सड़क के किमी. 100.15 से 102.79 में सड़क सतह को ऊंचा उठाना सीडब्ल्यू प्रभाग, अमृतसर	3.66	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
44.	21	चंडीगढ़-रोपण सड़क के किमी. 11.400 से 15.540 (4.14 किमी.) में देशूमाजरा से खराड तक 4 लेन बनाना 1 सीडब्ल्यू प्रभाग, रोपण	13.51	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
45.	71	किमी. 72.00 से 77.600 में विद्यमान सड़क का सुदृढ़ीकरण	2.33	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
46.	15	किमी. 367.360 से 372.000 में विद्यमान सड़क का सुदृढ़ीकरण	1.88	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
47.	15	किमी. 287.650 से 291.585 में दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ी पेव्ड शोल्डर का निर्माण	1.75	0.00	कुछ नहीं (हाल ही में स्वीकृत)
		जोड़	213.78	36.82	

विवरण II

2008-09 में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य

क्र.सं.	रारा सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	15	किमी. 112 से 163.500 (अमृतसर-तरन तारन से हरिक तक) में 4 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन	0.50
2.	71	अतिरिक्त लेन सहित 232.500 से 235.00 (खनोरी शहर) में 4 लेन बनाना	5.00
3.	15	किमी. 199 में आरओबी सहित तलवंडी बाइपास का साध्यता अध्ययन	0.50
4.	15	माखू में किमी. 170 पर हरिक-माखू-जीरा खंड पर लेवल क्रासिंग संख्या ए-86 पर आरओबी के लिए साध्यता अध्ययन	0.30
5.	64 (विस्तार)	भटिंडा शहर में किमी. 8.00 पर लेवल क्रासिंग संख्या 184 पर आरओबी के लिए साध्यता अध्ययन	0.30
6.	15	भटिंडा में किमी. 288.00 पर विशेष गेट संख्या 1 पर आरओबी के लिए साध्यता अध्ययन	0.30

1	2	3	4
7.	71	किमी. 23.134 से 25.765 (नाकोदर बाइपास) में चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण	1.00
8.	20	किमी. 0 से 11.98 में पठानकोट-कुल्लू सड़क से हिमाचल सीमा तक सुदृढ़ीकरण	6.00
9.	64-ए	किमी. 0 से 4.75 में रोज गार्डन भटिंडा से आईटीआई चौक (शहरी खंड) तक सुदृढ़ीकरण	5.00
10.	95	किमी. 85.980 से 89.480 में लुधियाना-फिरोजपुर सड़क का सुदृढ़ीकरण	2.20
11.	15	किमी. 16 से 22.24, 26.16 से 27, 31, 32, 36, 50 और 51 में आईआरक्यूपी और किमी. 24.34 से 26.16 में 4 लेन बनाना	7.00
12.	15	फरीदकोट-कोटकापुर सड़क के किमी. 227.80 से 235.30 में आईआरक्यूपी	3.50
13.	64	रामपुरा-भटिंडा खंड के किमी. 179.52 से 185.00 में आईआरक्यूपी	3.00
14.	15	तलवंडी-फरीदकोट खंड के किमी. 198.600 से 223.00, 223.59 से 225.50 और 226.01 से 226.300 में पेव्ड शोल्डर	15.00
15.	15	फरीदकोट-कोटकापुरा-बाजाखाना सड़क के किमी. 258.00 से 266.00 में सुदृढ़ीकरण सहित पेव्ड शोल्डर	8.00
16.	64 (विस्तार)	भटिंडा-डबवाली सड़क खंड के किमी. 11.37 से 40.44 में पेव्ड शोल्डर	18.00
17.	71	शाहकोट-मोगा-रामगढ़ सड़क के किमी. 61.00 से 66.00 में पेव्ड शोल्डर और सुदृढ़ीकरण	3.00
18.	71	संगरूर-पतरन खंड के किमी. 179.650 से 184 और 189.00 से 196.730 में पेव्ड शोल्डर	10.00
19.	71	संगरूर-पतरन खंड के किमी. 203.00 से 217.500 में पेव्ड शोल्डर	14.50
20.	15	गिदरबाहा-मलाउत सड़क के किमी. 308.600 से 312.30 और 317.390 से 331.00 में पेव्ड शोल्डर	14.00
21.	15	किमी. 292.79 से 308.60 तक भटिंडा-गिदरबाहा सड़क पर पेव्ड शोल्डर और सुदृढ़ीकरण	11.55
22.	64	अबोहर बाइपास के किमी. 0.00 से 15.953 में पेव्ड शोल्डर	15.00
23.	70	जालंधर-होशियारपुर खंड के किमी. 15.00 से 24.00 और 40.390 से किमी. 42.200 में पेव्ड शोल्डर	6.00
24.	71	शाहकोट-मोगा-रामगढ़ सड़क के किमी. 66.00 से 72.00 में पेव्ड शोल्डर और सुदृढ़ीकरण	6.00

1	2	3	4
25.	15	हरिक-माखू-जीरा-तलवंडी सड़क खंड के किमी. 163.00 से 199.00 में पुलों और पुलिया का चौड़ीकरण	3.00
26.	15	असरूर से हरिक सड़क खंड के किमी. 110.25 और 163.500 में पुलियाओं का पुनर्निर्माण	1.00
27.	71	किमी. 25.310 में पुल का पुनर्निर्माण	1.00
28.	15	किमी. 136.00 में दो पुलों का पुनर्निर्माण	1.50
29.	रारा	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्य	3.00
		जोड़	165.15

विवरण III

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्य

क्र.सं.	रारा सं.	कार्य का नाम	परियोजना की लागत (करोड़ रु.)	31.3.2008 को परियोजना की स्थिति	
				किया गया व्यय (करोड़ रु.)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6
		एनएचडीपी चरण-2			
1.	1ए	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीबी) किमी. 26 से किमी. 70	284.00	160.09	18.39
2.	1ए	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी) किमी. 70 से किमी. 110 (पंजाब खंड 29 किमी. है)	229.00	79.38	6.68
		एनएचडीपी चरण-3			
3.	1	जालंधर-अमृतसर किमी. 407/100 से किमी. 456/100	263.00	166.76	50
4.	1	अमृतसर-वाघा सीमा	205.88	0.14	हाल में प्रारंभ
5.	21	कुराली-कीरतपुर	309.00	36.05	5
6.	22	जीरकपुर-परवानु (पंजाब खंड 2 किमी. है)	295.00	6.83	हाल में प्रारंभ
7.	21 22	अंबाला-जीरकपुर रारा 22 का किमी. 5/735 से किमी. 39/961 और रारा 21 का किमी. 0/0 से 0/871 किमी. (पंजाब खंड 30 किमी.)	298.00	363.46	70

1	2	3	4	5	6
		एनएचडीपी चरण-5			
8.	1	पानीपत-जालंधर (6 लेन) किमी. 96 से किमी. 387.1 (पंजाब खंड 175 किमी.)	2288.00	0.00	हाल में प्रारंभ
		जोड़	4171.88	812.71	

विवरण IV

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य

क्र.सं.	रारा सं.	कार्य का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रु.)*
		एनएचडीपी चरण-II (अन्य परियोजनाएं)	
1.	1	जालंधर-अमृतसर खंड को चार लेन का बनाना (जालंधर-धीलवान खंड) (20 किमी.)	290.00
		एनएचडीपी चरण-III	
2.	21	चंडीगढ़-कुराली खंड को 4 लेन का बनाना (शेष खंड) (14 किमी.)	125.00
3.	15	अमृतसर-पठानकोट खंड को चार लेन का बनाना (102 किमी.)	704.00
4.	95	लुधियाना-तलवंडी खंड को चार लेन का बनाना (84 किमी.)	585.00
		एनएचडीपी चरण-V	
5.	95	लुधियाना-चंडागढ़ खंड को 6 लेन का बनाना (84 किमी.)	840.00

*डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् लागत में परिवर्तन हो सकता है।

विवरण V

राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के जालंधर-जम्मू खंड के लिए भूमि अधिग्रहण के ब्योरे

चैनेज	सक्षम प्राधिकारी का नाम	3क के प्रकाशन की तारीख	3घ के प्रकाशन की तारीख	सौंपने की तारीख	एनएचएआई द्वारा धनराशि जमा करने की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
किमी. 26.00 से 33.925	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जालंधर	24.12.2004 05.10.2005	11.07.2005 02.05.2006	02.08.2006 भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अभी निर्धारित नहीं	02.09.2006	संवितरण किया गया दिनांक 15.07.2008. तक संवितरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है

1	2	3	4	5	6	7
		28.07.2006	01.12.2006	20.09.2007	अप्रैल 2008	दिनांक 15.07.2008 तक संवितरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है
किमी. 33.925 से 65.155	एसडीएम, दसूया	24.12.2004 05.10.2005	11.07.2005 02.05.2006	08.05.2007 एसडीएम द्वारा अभी निर्धारित नहीं	14.02.2008	धनराशि जमा कराई गई (नगरपालिका क्षेत्र के 9 गांवों को छोड़कर)
		28.07.2006	01.12.2006	एसडीएम द्वारा अभी निर्धारित नहीं		
किमी 65.155 से 87.800	एसडीएम, मुकेरियन	24.12.2004 05.10.2005 28.07.2006	11.07.2005 02.05.2006 01.12.2006	14.12.2007 14.12.2007 14.12.2007	24.03.2008 24.03.2008 24.03.2008	धनराशि जमा कराई गई (नगरपालिका क्षेत्र के 9 गांवों को छोड़कर)। एसडीएम दिनांक 30.06.2008 तक जमा धनराशि का वितरण कर सकते हैं।
किमी 87.800 से किमी. 117.720 और किमी. 3.26 से 16.350	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जालंधर	24.12.2004 05.10.2005	11.07.2005 02.05.2006	30.10.2006 भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अभी निर्धारित नहीं	08.12.2006	संवितरण किया गया दिनांक 15.07.2008. तक संवितरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है
		28.07.2006	01.12.2006	भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अभी निर्धारित नहीं		

[अनुवाद]

असम में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण हेतु प्रस्ताव

4296. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य सरकार ने 2004 से 2008 के दौरान वनों और वन्यजीव के संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ और केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इसकी शीघ्र अनुमति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) असम सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत वर्ष 2004 से 2008 के दौरान वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में जारी निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं:-

(लाख रु. में)

स्कीम का नाम	जारी की गई राशि (2004-2008)
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी)	5532.00
बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)	263.045
राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों का विकास	589.770
हाथी परियोजना (पीई)	389.00
एकीकृत वन संरक्षण स्कीम (आईएफपीएस)	1156.26

मलेशिया द्वारा 'वर्किंग वीसा परमिट' को समाप्त किया जाना

4297. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के 'वर्क कॉन्ट्रेक्ट वीसा' को वर्ष 2010 तक समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में वापस आने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) कुआलालम्पुर में भारत के उच्चायुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मलेशिया सरकार ने भारत से कामगारों की भर्ती को बंद नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि भारत से कामगारों के लेने की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है हालांकि मलेशिया विदेशी कामगारों की संख्या को कम करने का प्रयास कर रही है। तथापि, मलेशिया सरकार किसी भी विदेशी कामगार के लिए कार्य परमिट को अनुमोदित नहीं करेगी जिसने देश में 5 अथवा अधिक वर्षों के लिए कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त, मलेशियाई सरकार ने ऐसी किसी संख्या का उल्लेख नहीं किया है जिन्हें 2010 के अंत तक वापस भेजा जा सकता है।

(ग) और (घ) मिशन ऐसे कामगारों की वापसी के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। एक नीति के रूप में भारत सरकार अवैध उत्प्रवास को हतोत्साहित करती है और इसने इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इसमें अवैध उत्प्रवास के जोखिमों के बारे में सम्भावित उत्प्रवासियों को शिक्षित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया की मार्फत एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। समस्या के समाधान के लिए विनियमनकारी तंत्र को पारदर्शी बनाया जा रहा है। मंत्रालय एक प्रवासी कामगार कल्याण कोष स्थापित करने के प्रस्ताव की भी जांच कर रहा है जिसमें अन्य बातों के अलावा मौके पर, मौके से दूर और वापसी पर तथा पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रावधान होगा।

[हिन्दी]

ड्राप्सी के मामले

4298. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ड्राप्सी के मामलों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/ प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) यह सूचना संघ क्षेत्रों/राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को कोयले का आबंटन

4299. श्री रवेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) द्वारा लघु उद्योगों को कोयले के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) द्वारा देश के लघु उद्योगों को कोयला आबंटित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के लघु उद्योगों को कोयले की उचित पर एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) द्वारा लघु उद्योग की मान्य लिंक्ड यूनिटों को कोयला उनकी हकदारी की सीमा तक माह-दर-माह के आधार पर रिलीज किया जा रहा है।

(ख) और (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा लघु उद्योगों के 137 मान्य लिंक्ड यूनिटों, जिन्हें कोल इंडिया लि. द्वारा लिंकेज दिया गया था, को उनकी हकदारी की सीमा तक कोयले की आपूर्ति की जा रही है।

(घ) सरकार द्वारा 18 अक्तूबर, 2007 को अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के तहत 8 मिलियन टन प्रति वर्ष की मात्रा उन छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित की गई है जिनकी आवश्यकता 4200 टन प्रति वर्ष से कम है और जिनका कोयला कंपनियों के साथ कोयले का लिंकेज नहीं है। निर्धारित मात्रा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित एजेंसियों के माध्यम से वितरित की जाएगी। जिन यूनिटों की वार्षिक आवश्यकता 4200 टन से अधिक है, वे ईंधन आपूर्ति करारों के जरिए कोयला कंपनियों से सीधे कोयला प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा, कोई भी ई-नीलामी के तहत कोयला प्राप्त कर सकता है।

केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन

4300. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं हेतु लिए गए निर्णयों और दी गई मंजूरी की समीक्षा के लिए एक केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी.ई.सी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.ई.सी. के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सी.ई.सी. को उन सभी मामलों पर अपनी राय देने की शक्ति प्रदान की गई है जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष आते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सी.ई.सी. द्वारा वन्यजीव संरक्षण एवं वानिकी से संबंधित कितने मामलों की सुनवाई और निपटान किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 27.04.2007 के आदेश में मंत्रालय को यह निदेश दिया है कि वन सलाहकार समिति द्वारा नए मामलों की सभी स्वीकृतियां इस न्यायालय के अनुमोदन के अध्यधीन होंगी और अनुमोदन देने से पहले न्यायालय प्रत्येक स्वीकृति के मामले में केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति का प्रत्युत्तर जानना चाहेगा। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति का संगठन इस प्रकार है:

1.	श्री पी.वी. जयकृष्णन	– अध्यक्ष
2.	श्री पी.के. मोहंती, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव	– सदस्य
3.	श्री महेन्द्र व्यास	– सदस्य
4.	श्री एस.के. पटनायक	– सदस्य
5.	श्री आई. मुथू	– सदस्य
6.	श्री एम.के. जिवाराजक	– सदस्य सचिव
7.	श्री एस.के. चड्ढा	– उप सचिव

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.12.2007 के आदेश के अनुसार न्यायायलय द्वारा वन एवं वन्यजीव तथा इससे संबंधित मुद्दों की विषय वस्तु को शामिल करते हुए मानीटरी और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और रिट याचिकाओं (न्यायालय द्वारा इसे जैसा भी बताया गया हो) तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के प्रत्युत्तर स्वरूप राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्टों और शपथ पत्रों के लंबित इंटरलोक्यूटरी आवेदनों की जांच करने और आदेशों के लिए न्यायालय के समक्ष इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर/मिडवाइफ की उपलब्धता

4301. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार राय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में डाक्टर और मिडवाइफ की उपलब्धता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सीएचसी/पीएचसी में डाक्टर और मिडवाइफ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

और

(घ) इसके परिणामस्वरूप इस मिशन के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 22608 चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 5117 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध चिकित्सकों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 29776 नर्स मिडवाईफ/स्टाफ नर्सें हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स मिडवाईफ/ स्टाफ नर्स की उपलब्धता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कर्मचारियों की संविदात्मक नियुक्ति सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं में अपनी आवश्यकता शामिल करें।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित कार्यदल ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:-

- प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकों के गृह नगर के पास उनकी तैनाती सहित उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष तक करना।
- जिला स्तर पर भर्ती का विकेन्द्रीकरण।
- चिकित्सकों का साक्षात्कार और संविदात्मक नियुक्ति।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए वेतन में एक तिहाई वृद्धि।

विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कुछ उपरोक्त पहलें भी की गई हैं।

विवरण I

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)

प्रा.स्वा.के. में चिकित्सक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित [आर]	स्वीकृत [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एसपी]	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1570	2497	2214	283	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	85	78	78	0	7
3.	असम	610	एनए	एनए	एनए	एनए
4.	बिहार	1648	2078	1850	228	*
5.	छत्तीसगढ़	518	1542	1154	388	*
6.	गोवा	19	46	46	0	*
7.	गुजरात	1073	1073	1034	39	39

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	411	580	350	230	61
9.	हिमाचल प्रदेश	443	628	628	0	*
10.	जम्मू-कश्मीर	374	668	643	25	*
11.	झारखण्ड	330	3927	2323	1604	*
12.	कर्नाटक	1679	2237	2041	196	*
13.	केरल	909	1345	1558	*	*
14.	मध्य प्रदेश	1149	1149	869	280	280
15.	महाराष्ट्र	1800	1800	1191	609	609
16.	मणिपुर	72	62	103	*	*
17.	मेघालय	103	127	106	21	*
18.	मिजोरम	57	57	39	18	18
19.	नागालैण्ड	84	53	53	0	31
20.	उड़ीसा	1279	1353	1353	0	*
21.	पंजाब	484	634	350	284	134
22.	राजस्थान	1499	1527	1318	209	181
23.	सिक्किम	24	48	38	10	*
24.	तमिलनाडु	1181	2260	1984	276	*
25.	त्रिपुरा	75	161	150	11	*
26.	उत्तराखण्ड	232	272	182	90	50
27.	उत्तर प्रदेश	3660	एनए	एनए	एनए	एनए
28.	पश्चिम बंगाल	922	922	811	111	*
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	20	36	36	0	*
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	6	0	0
32.	दमन व दीव	3	5	5	0	*
33.	दिल्ली	8	31	23	8	*
34.	लक्षद्वीप	4	4	4	0	0
35.	पुडुचेरी	39	68	68	0	*
	अखिल भारतीय	22370	27274	22608	4920	1410

नोट: एन ए : उपलब्ध नहीं।

*अतिरिक्त

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशतता की गणना के लिए जिनकी मानव शक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, छोड़ दिया जाए।

विवरण II

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल विशेषज्ञ (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार) कुल विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सक प्रसूति विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल चिकित्सक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित [आर]	स्वीकृत [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एसपी]	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	668	444	166	278	502
2.	अरुणाचल प्रदेश	124	4	0	4	124
3.	असम	400	एनए	एनए	एनए	एनए
4.	बिहार	280	280	104	176	176
5.	छत्तीसगढ़	472	700	49	651	423
6.	गोवा	20	14	3	11	17
7.	गुजरात	1092	322	82	240	1010
8.	हरियाणा	344	95	39	56	305
9.	हिमाचल प्रदेश	284	एन	एन	एन	एन
10.	जम्मू-कश्मीर	320	276	142	134	178
11.	झारखण्ड	776	63	139	*	637
12.	कर्नाटक	1016	843	691	152	325
13.	केरल	428	424	115	309	313
14.	मध्य प्रदेश	1080	947	503	444	577
15.	महाराष्ट्र	1628	1628	448	1180	1180
16.	मणिपुर	64	30	1	29	63
17.	मेघालय	104	3	1	2	103
18.	मिजोरम	36	0	0	0	36
19.	नागालैण्ड	84	0	0	0	84
20.	उड़ीसा	924	496	एन	एन	एन
21.	पंजाब	504	343	177	166	327
22.	राजस्थान	1348	878	600	278	748
23.	सिक्किम	16	16	5	11	11

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	944	821	725	96	219
25.	त्रिपुरा	40	2	2	0	38
26.	उत्तराखण्ड	196	163	79	84	117
27.	उत्तर प्रदेश	1544	1110	413	697	1131
28.	पश्चिम बंगाल	1384	692	624	68	760
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	16	12	0	12	16
30.	चण्डीगढ़	8	4	4	0	4
31.	दादरा और नगर हवेली	4	1	1	0	3
32.	दमन व दीव	4	0	0	0	4
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
35.	पुडुचेरी	16	4	4	0	12
	अखिल भारतीय	16180	10615	5117	5078	9455

नोट: एन ए : उपलब्ध नहीं।

*अतिरिक्त

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशतता की गणना के लिए जिनकी मानव शक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, छोड़ दिया जाए।
3. विशेषज्ञ चिकित्सकों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण III

प्रा.स्वा.के. और सा.स्वा.के. में नर्स मिडवाईफ/स्टाफ नर्स (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार) नर्स मिडवाईफ/स्टाफ नर्स

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित [आर]	स्वीकृत [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एसपी]	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2739	2742	2373	369	366
2.	अरुणाचल प्रदेश	302	105	105	0	197
3.	असम	1310	एनए	एनए	एनए	एनए
4.	बिहार	2138	1662	1425	237	713
5.	छत्तीसगढ़	1344	676	540	136	804

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	54	141	141	0	*
7.	गुजरात	2984	2769	1585	1184	1399
8.	हरियाणा	1013	689	411	278	602
9.	हिमाचल प्रदेश	940	1199	484	715	456
10.	जम्मू-कश्मीर	934	244	68	176	866
11.	झारखण्ड	1688	474	451	23	1237
12.	कर्नाटक	3457	3229	3100	129	357
13.	केरल	1658	2811	3064	*	*
14.	मध्य प्रदेश	3039	941	901	40	2138
15.	महाराष्ट्र	4649	4129	2774	1355	1875
16.	मणिपुर	184	151	169	*	15
17.	मेघालय	285	223	174	49	111
18.	मिजोरम	120	391	243	148	*
19.	नागालैण्ड	231	520	520	0	*
20.	उड़ीसा	2896	657	637	20	2259
21.	पंजाब	1366	740	448	292	918
22.	राजस्थान	3858	9891	8425	1466	*
23.	सिक्किम	52	45	90	*	*
24.	तमिलनाडु	2833	एनए	एनए	एनए	एनए
25.	त्रिपुरा	145	125	268	*	*
26.	उत्तराखण्ड	575	145	129	16	446
27.	उत्तर प्रदेश	6362	एनए	एनए	एनए	एनए
28.	पश्चिम बंगाल	3344	944	858	86	2486
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	48	108	108	0	*
30.	चण्डीगढ़	14	13	13	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	13	12	20	*	*
32.	दमन व दीव	10	12	12	0	*

1	2	3	4	5	6	7
33.	दिल्ली	8	10	4	6	4
34.	लक्षद्वीप	25	13	13	0	12
35.	पुडुचेरी	67	225	223	2	*
	अखिल भारतीय	50685	36036	29776	6727	17262

नोट: एन ए : उपलब्ध नहीं।

*अतिरिक्त

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सात।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशतता की गणना के लिए जिनकी मानव शक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, छोड़ दिया जाए।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

4302. श्री गणेश सिंह:
श्री राकेश सिंह:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के केवल 621 किलोमीटर लंबे हिस्से को ही नार्थ-साउथ, ईस्ट-वेस्ट कारिडोर परियोजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत उक्त राजमार्ग की लंबाई अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राजमार्गों की लंबाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 652 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग में शामिल हैं जिसमें से उत्तर-दक्षिण महामार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-3, राष्ट्रीय राजमार्ग-26, राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-75 की 534 किमी. लंबाई और पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-25 और राष्ट्रीय राजमार्ग-76 की 118 किमी. लंबाई शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी नहीं। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य से गुजरने वाले महामार्ग की वास्तविक लंबाई पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन और विकास

4303. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस वे के उन्नयन/विकास के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्नयन/विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किन हिस्सों की पहचान की गई है;

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सरकार ने दिसंबर, 2000 और दिसंबर, 2003 में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II को अनुमोदित किया था जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग, महापत्तनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क संपर्क में सुधार और कुछ अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार/उन्नयन कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II की अनुमोदित लागत क्रमशः 30,300 करोड़ रु. और 34,339 करोड़ रु. है। मार्च, 2008 के अंत तक, कुल 5,846 किमी. लंबाई में से स्वर्णिम चतुर्भुज 5,663 किमी. में कार्य पूरा किया जा चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज की 5,690 किमी. में कार्य को जून, 2008 तक पूरा करने के लक्ष्य है। शेष 156 किमी. जिसमें ठेके रद्द किए गए हैं और वे ठेके शामिल हैं जिन्हें रद्द कर दिए जाने की संभावना है, में कार्य को जून, 2008 के बाद पूरा किया जाएगा। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II में शामिल खंडों के ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बाद के चरणों को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इन चरणों और इन्हें पूरा करने की लक्ष्य तिथि के ब्योरे इस प्रकार हैं:-

स्कीम	ब्यौरे	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
एनएचडीपी चरण-III	राष्ट्रीय राजमार्गों के 12,109 किमी. में चार लेन बनाना	80,626	दिसंबर 2013
एनएचडीपी चरण-V	राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों के 6,500 किमी. में 6 लेन बनाना	41,210	दिसंबर 2012
एनएचडीपी चरण-IV	एक्सप्रेस मार्गों की 1,000 किमी. का विकास	16,680	दिसंबर 2015
एनएचडीपी चरण-VII	स्टेंड अलोन रिंग रोडो, बाइपासों (शहर में रारा संपर्कों के सुधार कार्यों सहित), ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शनों, फ्लाईओवरों, उत्थापित राजमार्गों, सड़क उपरि पुलों, अंडरपासों और सर्विस रोडों का निर्माण	16,680	दिसंबर 2014

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उपर्युक्त चरणों में शामिल खंडों के ब्योरे संलग्न विवरण-II पर हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के लिए 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' भी बनाया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में सड़कों की 8,737 किमी. लंबाई में सुधार कार्य की परिकल्पना की गई है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग (3,846 किमी.), राज्यीय सड़कें, जनरल स्टाफ सड़कें और सामरिक महत्व की सड़कें (4,891 किमी) शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण क के अंतर्गत सड़कों की 2,304 किमी. में सुधार कार्य शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के 1,889 किमी. और राज्यीय सड़कों तथा जनरल स्टाफ सड़कों की 415 किमी. लंबाई शामिल है। चरण क की अनुमानित लागत 12,793 करोड़ रु. है और इसे वर्ष 2012-13 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण ख के लिए सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण क में शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर हैं।

(घ) इन परियोजनाओं के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I (स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों के भाग, पत्तन सड़क संपर्क तथा अन्य परियोजनाएं) के अंतर्गत परियोजना

रारा सं.	खंड	लंबाई (किमी.)
1	2	3
	स्वर्णिम चतुर्भुज	
2	दिल्ली-मथुरा	145.00
2	मथुरा-आगरा	54.00
2	आगरा-शिकोहाबाद	50.83
2	शिकोहाबाद-इटावा	59.02
2	इटावा बाइपास	13.60
2	इटावा-राजपुर	72.83
2	सिंकदरा-भौंटी	62.00
2	कानपुर-फतेहपुर	51.50
2	फतेहपुर-खागा	77.00
2	खागा-कोखराज	43.00
2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-1 (पुल)	1.02
2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-2 (किमी. 158-198)	38.99
2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-3 (किमी. 198-242.7)	44.1
2	हंडिया-वाराणसी	72.00
2	वाराणसी-मोहनिया	76.00
2	मोहनिया-सासाराम	45.00
2	सासाराम-डेहरी ओन सोन	30.00
2	डेहरी ओन सोन-औरंगाबाद	40.00
2	औरंगाबाद-बाराचट्टी	60.00
2	बाराचट्टी-गोरहर	80.00
2	गोरहर-बरवाअड्डा	78.75
2	बरवाअड्डा-बराकर	43.00
2	रानीगंज-पानागढ़	42.00
2	पानागढ़-पलसित	64.46
2	पलसित-दनकुनी	65.00
2	विवेकानंद पुल और पहुंच	6.00
2	बारकर-रानीगंज	33.00
2	कोलकाता के निकट दनकुनी जंक्शन	5.00
8	गुडगांव-कोटपुतली	126.00
8	जयपुर बाइपास चरण-II	34.70
8	जयपुर बाइपास चरण-I	14.00
8	महापुरा (जयपुर के निकट)-किशनगढ़	90.38
8	किशनगढ़ में आरओबी	1.00
8	बसीन क्रीक पुल दहीसर	2.00
8	दिल्ली-गुड़गांव	36.00
8	कोटपुतली-आमेर	86.00
8	अहमदाबाद-बाइपास	15.00
8	वड़ोदरा-सूरत	152.00
8	दहीसर-मुंबई	4.00
79ए	किशनगढ़-नसीराबाद	36.23
79	नसीराबाद-गुलाबपुरा	55.87

1	2	3
79	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपास	50.00
79	भीलवाड़ा बाइपास-चित्तौड़गढ़	66.00
76	चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़	48.00
76	मंगलवाड़-उदयपुर	58.18
8	उदयपुर-केसरियाजी	62.00
8	केसरियाजी-रतनपुर	48.40
8	रतनपुर-हिम्मतनगर	54.60
8	हिम्मतनगर-चिलोड़ा (अहमदाबाद के निकट)	52.00
8	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे चरण-I	43.40
एनई1	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे चरण-II	50
8	सूरत (चलथन)-अतुल	79.60
8	अतुल-कजली	38.60
8	कजली-मनोर	57.40
8	मनोर-बसीन क्रीक खंड	58.00
6	धनकुनी-कोलाघाट	54.40
8	कोलाघाट-खड़गपुर	60.45
6	पुल खंड	1.73
60	खड़गपुर-लक्ष्मणनाथ	65.86
60	लक्ष्मणनाथ-बालेश्वर	53.41
5	बालासोर-भद्रक	62.64
5	भद्रक-चंडीखोल	75.50
5	पुल खंड	11.59
5	चंडीखोल-जगतपुर	27.80
5	जगतपुर-भुवनेश्वर	28.00
5	भुवनेश्वर-खुर्दा	26.30
5	खुर्दा-सुनाखला	.52.06
5	सुनाखला-गंजम	55.71

1	2	3
5	गंजम-इच्छापुरम	50.80
5	इच्छापुरम-कोरलम	33.00
5	कोरलम-पलासा	29.00
5	पलासा-श्रीकाकुलम	74.00
5	श्रीकाकुलम-चंपावती	48.00
5	चंपावती-विशाखापत्तनम	46.20
5	विशाखापत्तनम-अंकापल्ली	38.00
5	अंकापल्ली-तुनी	58.95
5	तुनी-धर्मावरम	47.00
5	धर्मावरम-राजामुंदरी	53.00
5	दिवानचेरू (राजामुंदरी के समीप) गौथामी	34.95
5	पुल खंड	2.45
5	गोथामी-गुंडुगोलानु	81.08
5	विजयवाड़ा-राजमुंदरी खंड (इलूरू के समीप)	5.00
5	इलूरू-विजयवाड़ा (किमी. 75-3.4)	72.00
5	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट (किमी. 355-380)	25.00
5	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट (किमी. 380-396.8)	32.00
5	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट (किमी. 408-420.5)	23.78
5	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट (किमी. 10.8-13.68)	2.88
5	चिल्कालूरीपेट-ओंगोल	66.00
5	ओंगोल-कवली	72.00
5	कवली-नेल्लोर	43.80
5	नेल्लोर-बाइपास	17.17

1	2	3
5	नेल्लोर-टाडा	110.52
5	टाडा-चेन्नै	41.80
4	नीलमंगला-बंगलौर	30.00
4	पश्चिमी डायवर्जन	34.25
4	कटराज-सरोल	28.50
4	कटराज पुनर्संरेखण	9.00
4	सरोल-वाधर	29.00
4	वाधर-सतारा	35.00
4	सतारा-कागल	133.00
4	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव	77.00
4	बेलगांव बाइपास	18.00
4	बेलगांव-धारवाड़	62.00
4	हुबली-हावेरी	64.50
4	हावेरी-हरिहर	56.00
4	हरिहर-चित्रदुर्ग	77.00
4	चित्रदुर्ग बाइपास	18.00
4	चित्रदुर्ग-सीरा	66.70
4	सीरा बाइपास	5.80
4	सीरा-तुमकुर	41.40
4	तुमकुर बाइपास	13.00
4	तुमकुर-नीलमंगला	32.50
4	मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे	10.00
4	मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे (किमी. 958-878)	80.00
4	धारवाड़-हुबली	29.00
4	खंबातकी घाट	9.00
7	बंगलौर-हाथीपल्ली	33.00
7	हाथीपल्ली-होसूर	16.00
7	होसूर-कृष्णागिरी	45.40
46	कृष्णागिरी-वनियामबाड़ी	49.00
46	वनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा	51.00
46	पल्लीकोंडा-रानीपेट और वालाजापेट बाइपास	45.00
4	वालाजापेट-कांचीपुरम	36.20
4	कांचीपुरम-पूनामाली	56.40
	उत्तर-दक्षिण महामार्ग खंड	
1ए	कुंजवानी से विजयपुर	17.20
1ए	भोगपुर से जालंधर	21.77
1	अंबाला-पानीपत	116.00
1	जालंधर-अंबाला	160.70
1	जालंधर बाइपास	14.40
1	पंछी गुजरान से कामसपुर तक छः लेन बनाना (सोनीपत)	21.70
1	कामसपुर से हरियाणा/दिल्ली सीमा तक छः लेन बनाना	15.00
1	हरियाणा-दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक आठ लेन बनाना	12.90
1	मुकरबा चौक से माल रोड (दिल्ली) तक आठ लेन बनाना	8.50
3	आगरा-राज./उ.प्र. सीमा	16.00
3	राज./उ.प्र. सीमा से मानिया	17.00
3	मानिया-धोलपुर	10.00
3	मध्य प्रदेश/राज. सीमा से सराय चौला	9.00
3	सराय चौला से मोरेना	15.00
3	मोरेना-रायरू (ग्वालियर बाइपास से प्रारंभ)	18.00
7	चिंचबुगुबन-बूटीबोरी-बोरखेडी	25.60

1	2	3
7	कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली	17.00
7	गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली शिवरामपल्ली से	23.10
7	थोंडापल्ली से फारुखनगर	12.50
7	अवाथी गांव से नंदी हिल क्रास और देवनहल्ली से मीनूकुंटे तक 6 लेन बनाना	7.00
7	नंदी हिल क्रास से देवनहल्ली और मीनूकुंटे से हब्बल तक 6 लेन बनाना	25.00
7	थोपुरघाट खंड	7.40
7	थुम्मीपाड़ी से सलेम	19.20
7	सलेम बाइपास	8.40
7	बंगलौर-सलेम-मदुरै	8.40
7	बंगलौर-हाथीपल्ली	33.00
7	अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास को चार लेन का बनाना	9.36
7	करूर आरओबी का निर्माण	0.84
7	हैदराबाद शहर से शिवरामपल्ली	9.20
7	नागपुर-चिंचभुवन	9.20
47	त्रिसूर-कोच्चि	17.00
47	अंगमाली से अलुवा	16.60
	पूर्व पश्चिम महामार्ग खंड	
37	गुवाहाटी बाइपास (किमी. 163.8-156)	8.00
37	गुवाहाटी बाइपास (किमी. 156-146)	10.50
31	डलकोला-इस्लामपुर उप खंड (किमी. 500-476.15)	23.85
31	डलकोला-इस्लामपुर (किमी. 470-447)	23.00
31	पूर्णिया-गयाकोटा (किमी. 476.15-470 और किमी. 419-410)	15.15
31	पूर्णिया-गयाकोटा (किमी. 447-419)	28.00
56ए और बी	रारा-25 और रारा-28 को जोड़ते हुए लखनऊ बाइपास वाया रारा-56	22.85
25	लखनऊ-कानपुर खंड (किमी. 11.38-21.8)	10.42
25	लखनऊ-कानपुर खंड (किमी. 21.8-44)	22.20
25	लखनऊ-कानपुर खंड (किमी. 44-59.5)	15.50
25	लखनऊ-कानपुर खंड (किमी. 59.5-75.5)	16.00
14	पालनपुर के निकट अबु सड़क दीसा खंड	10.00
14	पालनपुर-दीसा	22.70
8बी	रिव्दा से गोंडल खंड	17.00
8बी	बानमबोर-राजकोट	31.00
8बी	राजकोट-रिव्दा	15.00
	अन्य खंड	
28	गोरखपुर में राप्ती नदी पर अतिरिक्त दो लेन का पुल	0.40
27	नैनी के निकट यमुना नदी पर कैबल आधारित पुल	6.00
24	गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बाइपास	33.00
9	नंदीगांव-विजयवाड़ा	35.00
9	नंदीगांव-विजयवाड़ा	48.00
45	तांबरम-टिंडीवनम	93.00
6	अमरावती बाइपास	17.40
4, 45	चेन्नै बाइपास चरण-I	19.00

1	2	3
6	दुर्ग बाइपास	18.00
24	मुरादाबाद बाइपास	18.00
	पत्तन संपर्क	
17बी	मुरगांव के लिए पत्तन संपर्क	13.00
4बी, 4	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-I	30.00
41	हल्दिया पत्तन	53.00
राज्यीय सड़क	विशाखापत्तनम पत्तन	12.00
राज्यीय राजमार्ग 54	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-II	14.35
13, 17 और 48	नव मंगलूर पत्तन रारा-17	37.00
7ए	तूतीकोरिन पत्तन	47.20
5ए	पारादीप पत्तन	77.00
राज्यीय सड़क	चेन्नै-इन्नोर एक्सप्रेसवे (टीपीपी सड़क)	9.00
राज्यीय सड़क	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेसवे (टीपीपी सड़क) इनर रिंग रोड और मनाली आयल रिफाइनरी रोड़	6.10
47	कोचीन पत्तन	10.00
8ए	गांधीधाम-समख्याली (किमी. 306-324)	18.00
8ए	गांधीधाम-समख्याली (किमी. 324-346)	22.00
8ए	गांधीधाम-समख्याली (किमी. 346-362.16)	16.16

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II (उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग और अन्य परियोजनाएं) के अंतर्गत परियोजना

रारा सं.	खंड	कुल लंबाई
1	2	3
	उत्तर-दक्षिण महामार्ग	
1ए	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड)	17.80
1ए	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड)	1.23
1ए	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (किमी. 286-256)	30.00
1ए	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (किमी. 256-220)	30.00
1ए	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (सुरंगों को छोड़कर)	32.00
1ए	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (केवल सुरंग)	7.00
1ए	उधमपुर-बनिहाल (किमी. 171-188)	17.00
1ए	उधमपुर-बनिहाल (किमी. 151-171)	20.00
1ए	उधमपुर-बनिहाल (किमी. 130-151)	21.00
1ए	उधमपुर-बनिहाल (किमी. 67-89)	21.00
1ए	उधमपुर-बनिहाल (केवल सुरंग)	9.00
1ए	तवी पुल और नगरोटा बाइपास सहित जम्मू-उधमपुर को चार लेन का बनाना	20.10
1ए	जम्मू-उधमपुर खंड को चार लेन का बनाना	15.48
1ए	जम्मू-उधमपुर खंड को चार लेन का बनाना (तीन सुरंगों सहित)	8.50
1ए	जम्मू-उधमपुर खंड को चार लेन का बनाना	33.86
1ए	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास)	15.00
1ए	विजयपुर से पठानकोट (किमी. 16.35-50)	33.65

1	2	3
1ए	विजयपुर से पठानकोट (किमी. 50-80)	30.00
1ए	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा	19.65
1ए	पठानकोट से भोगपुर (किमी. 26-70)	44.00
1ए	पठानकोट से भोगपुर (किमी. 70-110)	40.00
1	रारा 1 पर फगवाड़ा जंक्शन	1.00
1	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	10.00
1	पानीपत से पंछी गुजरान	20.00
2,3	आगरा बाइपास	32.80
3	धौलपुर-मोरेना खंड	10.00
75, 3	ग्वालियर बाइपास	42.00
75	ग्वालियर-झांसी	80.00
25, 26	झांसी से ललितपुर (किमी. 0-49.8)	49.70
26	झांसी से ललितपुर (किमी. 49.8-99)	49.30
26	ललितपुर सागर (किमी. 94-132)	38.00
26	ललितपुर-सागर (किमी. 132-187)	55.00
26	सागर बाइपास	26.00
26	सागर-राजमार्ग चौराहा (किमी. 211-255)	44.00
26	सागर-राजमार्ग चौराहा (किमी. 255-297)	42.00
26	राजभार्ग चौराहा से लखंडन (किमी. 297-351)	54.00
26	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (किमी. 351-405.7)	54.70
7	लखंडन से म.प्र./महा. सीमा (किमी. 547.4-596.75)	49.35
7	लखंडन से म.प्र./महा. सीमा (किमी. 596.75-653.2)	56.48
7	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-नागपुर तक चार लेन बनाना	95.00
47	वडकानचेरी-त्रिसूर	30.00
7	बुटीबोरी आरओबी	1.80
7	बोरखेडी-जाम	27.40
7	जाम-वाडनार	30.00
7	वाडनार-देवधारी	29.00
7	देवधारी-केलापुर	30.00
7	केलापुर-पिंपलखटी	22.00
7	इस्लाम नगर से कदताल	48.00
7	महा.आं.प्र. सीमा से इस्लाम नगर	55.00
7	अरमूर से कडलूर येलारेड्डी	60.25
7	कडलूर येलारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली	85.74
7	कदल से अरमूर	31.00
7	फारुखनगर से कोट्टाकाटा (किमी. 31.4-80)	46.16
7	फारुखनगर से कोट्टाकाटा (किमी. 80-135.5)	55.74
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 135.5-211)	74.65
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 211-251)	40.00
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 251-293.4)	42.40
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 293.4-336)	42.60
7	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनुकुंटे गांव	61.38

1	2	3
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 336-376)	40.00
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 376-218)	42.00
7	हैदराबाद बंगलौर खंड (किमी. 418-463.6)	45.60
7	कृष्णागिरी से थोपुरघाट	62.50
7	थोपुरघाट से धुम्मीपाड़ी	16.60
7	सलेम से करूर (किमी. 207.248.6)	41.55
7	सलेम से करूर (किमी. 258.6-292.6)	33.48
7	करूर से मदुरै (किमी. 305.6-373.3)	68.13
7	करूर से मदुरै (किमी. 373.3-426.6)	53.03
47	सलेम से केरल सीमा खंड (रारा 7 पर किमी. 203.9 से रारा 47 के किमी. 53)	53.53
47	सलेम से केरल सीमा खंड (किमी. 53-100)	48.51
7	मदुरै बाइपास सहित मदुरै से किमी. 120 से मदुरै-तिरूनवेली खंड	42.00
7	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (किमी. 42-80)	38.86
7	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (किमी. 80-120)	39.51
7	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (किमी. 120-160)	42.70
7	मदुरै-तिरूनेलवेली खंड के किमी. 120 से पानागुडी	43.00
7	कन्याकुमारी-पानागुडी	30.60
47	सलेम से किमी. 100 और सलेम-कोयंबतूर-केरल सीमा खंड	82.00
47	वालायर-वडकानचेरी खंड को चार लेन का बनाना	58.00
47	त्रिसूर से अंगमाली	40.00
	पूर्व पश्चिम महामार्ग खंड	
54	सिल्चर-उदरबंद	32.00
54	उदरबंद से हरनगाजो	31.00
54	हरनगाजो से मैबंग (किमी. 165.4-190.5)	26.00
54	हरनगाजो से मैबंग (किमी. 140.7-164.08)	24.00
54	हरनगाजो से मैबंग (किमी. 126.4-140.7 और किमी. 164-165.4)	16.00
54	मैबंग से लूमडिंग (किमी. 40-60.5)	21.00
54	मैबंग से लूमडिंग (किमी. 60.5-83.4)	23.00
54	मैबंग से लूमडिंग (किमी. 83.4-111)	28.00
54	मैबंग से लूमडिंग (किमी. 111-126.4)	15.00
54	लूमडिंग से दाबोका	18.50
54	लंका से दाबोका	24.00
36	दाबोका से नागांव	30.50
37	नागांव बाइपास	23.00
37	नागांव से धर्मातुल	25.00
37	धर्मातुल से सोनापुर (किमी. 230.5-205)	25.00
37	धर्मातुल से सोनापुर (किमी. 205-183)	22.00

1	2	3
37	सोनापुर से गुवाहाटी	19.00
31	ब्रह्मपुत्र पुल	5.00
31	गुवाहाटी से नलबाड़ी (किमी. 1121-1093)	28.00
31	गुवाहाटी से नलबाड़ी (किमी. 1093-1065)	28.00
31	नलबाड़ी से बिजनी (किमी. 1065-1040.3)	25.00
31	नलबाड़ी से बिजनी (किमी. 1040.3-1013)	27.30
31	नलबाड़ी से बिजनी (किमी. 1013-983)	30.00
31	नलबाड़ी से बिजनी (किमी. 983-961.5)	21.50
31सी	बिजनी से असम/प. बंगाल सीमा (किमी. 93-60)	33.00
31सी	बिजनी से असम/प. बंगाल सीमा (किमी. 60-30)	30.00
31सी	बिजनी से असम/प. बंगाल सीमा (किमी. 30-0)	30.00
31सी	असम/प. बंगाल सीमा से गैरकाटा	32.00
31	घोसुकुर से सलसाबाड़ी वाया फुलबाड़ी-मैनागुड़ी-धूपगुडी-फालाकाता	201.00
31	सिलीगुडी से इस्लामपुर (किमी. 551-526)	25.00
31	सिलीगुडी से इस्लामपुर (किमी. 526-500)	26.00
57	पूर्णिया-फोरबिसगंज (किमी. 309-268)	41.00
57	पूर्णिया-फोरबिसगंज (किमी. 268-230)	38.00
57	फोरबिसगंज-सिमराही	40.00
57	सिमराही से रिंग बंड	15.00
57	कोसी पुल	10.00
57	रिंग बंड रे झंझारपुर	45.00
57	झंझारपुर से दरभंगा	40.00
57	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (किमी. 70-30)	40.00
57	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (किमी. 30-0)	30.00
28	मुजफ्फरपुर से मेहसी	40.00
28	मेहसी से कोटवा	40.00
28	कोटवा से दीवापुर	38.00
28	दीवापुर से उ.प्र./बिहार सीमा	41.09
28	उ.प्र./बिहार सीमा से कसिया	41.12
28	कसिया से गोरखपुर	40.00
28	गोरखपुर बाइपास	32.60
28	गोरखपुर-अयोध्या (किमी. 251.7-208)	43.70
28	गोरखपुर-अयोध्या (किमी. 208-164)	44.00
28	गोरखपुर-अयोध्या (किमी. 164-135)	29.00
28	अयोध्या-लखनऊ (किमी. 135-93)	41.93
28	अयोध्या-लखनऊ (किमी. 93-45)	47.00
28	अयोध्या-लखनऊ (किमी. 45-8.2)	36.00
25	गंगा पुल से रमा देवी क्रासिंग	5.60
2, 25	बारा से उरई	62.80
25	उरई से झांसी (किमी. 220-170)	50.00
25	उरई से झांसी (किमी. 170-104)	66.00

1	2	3
25	झांसी बाइपास	15.00
25	झांसी-शिवपुरी (किमी. 91-50)	41.00
25	झांसी-शिवपुरी (किमी. 50-15)	35.00
25, 76	शिवपुरी बाइपास और उ.प्र. से मध्य प्रदेश/राज. सीमा	53.00
76	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (किमी. 579-509)	70.00
76	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (किमी. 509-449.15)	59.85
76	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (किमी. 449.15-406)	43.15
76	कोटा बाइपास	25.00
76	चंबल पुल	1.40
76	कोटा से चित्तौड़गढ़ (किमी. 381-316)	65.00
76	कोटा से चित्तौड़गढ़ (किमी. 316-253)	63.00
76	चित्तौड़गढ़ बाइपास	40.00
76	गोगुंडा से उदयपुर	31.00
76	बकारिया से गोगुंडा	44.00
76, 14	स्वरूपगंज से बकारिया	43.00
14	पालनपुर से स्वरूपगंज	76.00
14	डीसा से राधनपुर	85.40
15	राधनपुर से गागोधर	106.20
15, 8ए	गागोधर से गारामोर	90.30
8ए	गारामोर से बामनबोर	71.40
8बी	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर	36.00
8बी	जैतपुर से भिलाडी	64.50
8बी	भिलाडी से पोरबंदर	50.50
	अन्य खंड	
45, 4 और 5	चेन्नै बाइपास चरण-2	32.00
1	जालंधर-अमृतसर	20.00
37	गुवाहाटी बाइपास पर 10 किमी. सर्विस रोड और दो लेन के फ्लाईओवर का निर्माण	10.00
24	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	35.00
24	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	56.25
45	टिंडीवनम-उलून्दूपेट	71.25
45	उलून्दूपेट-पडलूर	92.75
45	पडलूर-त्रिची	40.00
45बी	त्रिची बाइपास के सिरे से तोवरामकुरची	60.95
45बी	तोवरामकुरची से मदुरै	63.89

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-III, V, VI और VII में शामिल खंडों के ब्योरे

क्र.सं.	रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में शामिल खंड	लंबाई (किमी.)
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	18	कुड्डापाह-मदुकुर-कुरनूल	192.5
2.	202	हैदराबाद-यादगिरि	30

1	2	3	4
3.	205	तिरूपति-तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-तिरूथानी	44
4.	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	240.5
		अरुणाचल प्रदेश	
1.	52ए	ईटानगर-अरुणाचल प्रदेश/असम सीमा	22
		असम	
1.	36	दोबोका-असम/नागालैंड सीमा	118
2.	44	असम/मेघालय सीमा से असम/त्रिपुरा सीमा	116
3.	52	बेहाटा-चैराली-बंदरदेवा	314
4.	52ए	बंदरदेवा-असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा	9
5.	54	सिल्चर-असम/मिजोरम सीमा	50
		बिहार	
1.	19 व 77	पटना-मुजफ्फरपुर	60
2.	19 व 85	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	153
3.	28ए	मोतीहारी-रक्सौल	67
4.	30	पटना-बख्तियारपुर	53
5.	31	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया	255
6.	57ए	फोरबिसगंज-जोगबानी	13
7.	77	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	89
8.	80	मोकामा-मुंगेर	70
9.	84	पटना-बक्सर	130
10.	83	पटना-गया-डोभी	125
		छत्तीसगढ़	
1.	200	रायपुर-सिमगा	28
2.	43	कुरनूड-धमतरी	23
3.	6	औरांग-रायपुर	45
4	6	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	94
		दिल्ली	
1.	1व24	दिल्ली/उ.प्र. सीमा तक	8
2.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	20
		गोवा	
1.	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	139
2.	4ए	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	69

1	2	3	4
		गुजरात	
1.	6	गुजरात/महाराष्ट्र-सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन	84
2.	6	सूरत-हजीरा पत्तन	29
3.	8डी	जैतपुर-सोमनाथ	127
4.	59	गुजरात/म.प्र. सीमा-अहमदाबाद	210
5.	8ए विस्तार	कांडला-मुंदरा पत्तन	73
		हरियाणा	
1.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा-हिसार	140
2.	22	अंबाला-कालका (हरियाणा खंड)	27
3.	71	रोहतक-बावल	97
4.	71ए	पानीपत-रोहतक	73
5.	65	अंबाला-कैथल	78
6.	71	रोहतक-जींद	45
7.	73	पंचकुला-बरवाला-साहा-यमुना नगर से उत्तर प्रदेश सीमा	108
		हिमाचल प्रदेश	
1.	22	हि.प्र./हरियाणा सीमा (कालका)-शिमला	110
		झारखंड	
1.	33	हजारीबाग-रांची	75
2.	33	बरही-हजारीबाग	40
3.	33	रांची-जमशेदपुर	150
		कर्नाटक	
1.	17	कुंडापुर-सुरथाकल	71
2.	17	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	18
3.	4	नीलमंगला-बंगलौर-होसकोट-कोलार-मुदबागल	105
4.	48	नीलमंगला-हासन	154
5.	4ए	बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा	84
6.	7	बंगलौर-होसूर	25
7.	13	बीजापुर-होसपेट	194
8.	4	मुलबागल-कर्नाटक/आ.प्र. सीमा	11
		केरल	
1.	17	कर्नाटक/केरल सीमा-कोझीकोड-इडापल्ली	451
2.	47	तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा	29

1	2	3	4
3.	47	चेरथालई-तिरुवनंतपुरम	180
		मध्य प्रदेश	
1.	3	गुना बाइपास	14
2.	3	इंदौर-खालघाट	83
3.	3	खालघाट-म.प्र./महाराष्ट्र सीमा	88
4.	59	इंदौर-झबुआ-गुजरात/म.प्र. सीमा	169
5.	69	औबेदुल्लागंज-भीमबेटका	13
6.	75	झांसी-खजुराहो	100
7.	86(विस्तार)	भोपाल-सांची	40
8.	12	भोपाल-राजमार्ग क्रासिंग-जबलपुर	297
		महाराष्ट्र	
1.	17	पनवेल-इंदापुर	84
2.	3	गोंडे-वाडपे (थाणे)	100
3.	3	धुले-पिंपालगांव	118
4.	3	पिंपालगांव-नासिक-गोंडे	60
5.	3	म.प्र./महाराष्ट्र सीमा-धुले	97
6.	4	कलामबोली-मुंबरा (6 लेन)	20
7.	50	पुणे-खेड	30
8.	6	नागपुर-वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	60
9.	6	वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	72
10.	6	नागपुर-तेलीगांव	90
11.	6	तेलीगांव-अमरावती	58
12.	9	पुणे-शोलापुर	170
13.	13	शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	30
		मणिपुर	
1.	39	नागालैंड/मणिपुर सीमा-इंफाल	112
2.	44	शिलांग (शिलांग बाइपास को छोड़कर)-असम/मेघालय सीमा	136

1	2	3	4
		मिजोरम	
1.	54	असम/मिजोरम सीमा-आइजोल	140
		नागालैंड	
1.	36व 39	असम/नागालैंड सीमा-दीमापुर	5
2.	39	कोहिमा-नागालैंड/मणिपुर सीमा	28
		उड़ीसा	
1.	200	चंडीखोल-दुबरी-तलचर	137
2.	203	भुवनेश्वर-पुरी	59
3.	215	पानीकोएली-क्योंझर-राक्सी	249
4.	200	राक्सी-राजमुंडा	20
5.	6	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	88
		पांडिचेरी	
1.	66	पांडिचेरी से तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा	4
		पंजाब	
1.	1	जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा	84
2.	15	अमृतसर-पठानकोट	101
3.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73
4.	22	अंबाला-जिरकपुर (पंजाब खंड)	30
5.	22	जिरकपुर-कालका (पंजाब खंड)	1
6.	95	लुधियाना-तलवंडी	84
		राजस्थान	
1.	11	उ.प्र./राजस्थान सीमा-भरतपुर	21
2.	11	भरतपुर-महुआ	57
3.	11	महुआ-जयपुर	108
4.	11	जयपुर-रींगस-सीकर	95
5.	12	जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़	328
6.	14	बेवाड़-पाली-पिंडवाड़ा	246
7.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	82

1	2	3	4
		तमिलनाडु	
1.	205	तमिलनाडु/आ.प्र. सीमा-तिरुथानी-चेन्नै	94
2.	220	थेनी-कुमली	57
3.	45	डिंडीगुल-त्रिची	80
4.	45बी	मदुरै-अरुपकोट्टई-तुतीकोरिन	144
5.	45 विस्तार	डिंडीगुल-पेरीगुलाम-थेनी	73
6.	47	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	56
7.	49	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी	186
8.	66	तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवनम	36
9.	66	कृष्णागिरी-तिरुवेन्नामलाई-टिंडीवनम	170
10.	67	नागपट्नम-तंजौर-त्रिची	130
11.	67	त्रिची-करूर (त्रिची बाइपास सहित)	50
12.	67 विस्तार	कोयम्बटूर-मेट्टूपलायम	45
13.	68	सलेम-उलूनडूरपेट	134
14.	210	त्रिची-पुदुकोट्टई-रामनाथपुरम	200
		उत्तर प्रदेश	
1.	11	आगरा-उ.प्र./राजस्थान सीमा	42
2.	24	सीतापुर-लखनऊ	76
3.	24	मुरादाबाद-सीतापुर	246
4.	58	दिल्ली/उ.प्र. सीमा से मेरठ	47
5.	58	मेरठ से मुजफ्फरनगर	79
6.	58	मेरठ से उ.प्र./उत्तरांचल सीमा	21
7.	91	गाजियाबाद-अलीगढ़	106
		उत्तरांचल	
1.	58 व 72	उ.प्र./उत्तरांचल सीमा-देहरादून	125
2.	87	रामपुर-काठगोदाम	88
		पश्चिम बंगाल	
1.	35	बारासत-बेनगांव	60
2.	34	कोलकाता-डलकोला	438

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत विकास के लिए अभिनिर्धारित खंड

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V के अंतर्गत लगभग 6500 किमी. जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की 5700 किमी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की 800 किमी. लंबाई शामिल है, को 6 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज से भिन्न 6 लेन बनाने के लिए अभिनिर्धारित खंड इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	रारा सं.	खंड का नाम	लंबाई (किमी.)
1.	1	पानीपत-जालंधर	300
2.	24	दिल्ली-हापुड़-मुरादाबाद	170
3.	8ए	समख्याली-गांधीधाम	56
4.	3	इंदौर-देवास	55
5.	3	आगरा-ग्वालियर	85
6.	5ए	चंडीखोल-पारादीप	77
7.	95 और 21	लुधियाना-चंडीगढ़	82

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अभिनिर्धारित खंड

क्र.सं.	खंड का नाम	लंबाई (किमी.)
1.	वड़ोदरा-मुंबई	400
2.	बंगलौर-चेन्नै	334
3.	दिल्ली-मेरठ	66
4.	कोलकाता-धनबाद	277

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत स्टैंड अलोन रिंग रोडों, बाइपासों, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरेटिड इंटर सेक्शनों और फ्लाईओवरों के लिए शहरों की अनंतिम सूची

क्र.सं.	शहर/परियोजना का नाम
1	2
1.	हैदराबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
2.	तिरूनेलवेली के लिए रिंग रोड/बाइपास
3.	कानपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
4.	रारा 75 पर रांची में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
5.	तिरुचिरापल्ली के लिए रिंग रोड/बाइपास
6.	नासिक के लिए रिंग रोड/बाइपास
7.	रारा-9 और रारा-211 के जंक्शन पर सोलापुर में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
8.	चेन्नै के लिए रिंग रोड/बाइपास
9.	जयपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
10.	अमृतसर के लिए रिंग रोड/बाइपास
11.	रारा-211 और 222 के जंक्शन पर पाडलसिंगी और गांधी में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
12.	मदुरै के लिए रिंग रोड/बाइपास
13.	पटना के लिए रिंग रोड/बाइपास
14.	तिरुवनंतपुरम के लिए रिंग रोड/बाइपास
15.	सूरत के लिए रिंग रोड/बाइपास
16.	अलीगढ़ के लिए रिंग रोड/बाइपास
17.	बंगलौर के लिए रिंग रोड/बाइपास

1	2
18.	रारा-50 और 222 के जंक्शन पर अलफाटा में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
19.	अहमदाबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
20.	विशाखापत्तनम के लिए रिंग रोड/बाइपास
21.	जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए रिंग रोड/बाइपास
22.	कोलकाता के लिए रिंग रोड/बाइपास
23.	उत्थापित रिंग रोड से चेन्नै पत्तन
24.	मेरठ के लिए रिंग रोड/बाइपास
25.	कोयंबतूर के लिए रिंग रोड/बाइपास
26.	भोपाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
27.	सलेम के लिए रिंग रोड/बाइपास
28.	नागपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
29.	इंदौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
30.	लखनऊ के लिए रिंग रोड/बाइपास
31.	इम्फाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
32.	पुणे के लिए रिंग रोड/बाइपास
33.	वाराणसी के लिए रिंग रोड/बाइपास
34.	धनबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
35.	रांची के लिए रिंग रोड/बाइपास
36.	रारा-17 और 204 के जंक्शन पर रतनगिरि के निकट ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर

विवरण III

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण क में शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का क्षेत्र	लंबाई किमी. में
1	2	3	4
		राज्य: अरुणाचल प्रदेश	
1.	रारा 153 (स्टिलवेल सड़क)	लैडो-पनसू पास खंड को दो लेन का बनाना	32
		राज्य: असम	
1.	रारा 36	दाबोका-दीमापुर खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना	71
2.	रारा 37	नागांव-जोरहाट-डिब्रूगढ़ खंड को 4 लेन का बनाना	315
3.		डिब्रूगढ़-माकूम-रूपई खंड में विद्यमान दो लेन और पेव्ड शोल्डर का सुधार करना	73
4.	रारा 38	माकुम-लेखापानी खंड में विद्यमान दो लेन और पेव्ड शोल्डर का सुधार करना	56
5.	रारा 44	रातांचेरा-चुरईबाड़ी खंड को दो लेन का बनाना	29
6.	रारा 51	पैकन से असम/मेघालय सीमा खंड तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	22

1	2	3	4
7.	रा.रा. 52	उत्तरी लखीमपुर-जोनई और दीरक-रुपई खंड में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	196
8.	रा.रा. 53	बदरपुर से जीरीबम तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	66
9.		दो लेन के सिल्चर बाइपास	20
10.	रा.रा. 54	सिल्चर-लैलापुर खंड में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	32
11.	रा.रा. 61	जंजी-असम/नागालैंड सीमा खंड में पेव्ड शोल्डर सहित विद्यमान दो लेन का सुधार	18
12.	रा.रा. 152	पाठशाला-असम/भूटान सीमा खंड में पेव्ड शोल्डर सहित सहित दो लेन बनाना	38
13.	रा.रा. 153 (स्टिलवेल सड़क)	लेखापानी-लैडो खंड में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	24
14.	रा.रा. 154	धालेश्वर-भैरावी खंड में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	89
		राज्य: मणिपुर	
1.	रा.रा. 53	जीरीबाम-इम्फाल खंड को दो लेन का बनाना (शेष खंड)	39
		राज्य: मेघालय	
1.	रा.रा. 40	जोरबाट-बड़ापानी खंड में चार लेन बनाना	62
2.	रा.रा. 40 और 44	दो लेन के शिलांग बाइपास का निर्माण	50
3.	रा.रा. 40 और 44	विद्यमान दो लेन के बड़ापानी-शिलांग खंड और शिलांग शहर में फ्लाइओवरों का सुधार	54
4.	रा.रा. 44	दो लेन के जोवई बाइपास का निर्माण	10
		राज्य: मिजोरम	
1.	रा.रा. 54	लैलापुर-आइजोल खंड में दो लेन बनाना	58
2.	रा.रा. 154	बैरावी-कोलासिब खंड में दो लेन बनाना	44
		राज्य: नागालैंड	
1.	रा.रा. 39	दीमापुर-कोहिमा खंड और दीमापुर तथा कोहिमा बाइपासों को चार लेन का बनाना	81
		राज्य: सिक्किम	
1.	रा.रा. 31ए	सिवोक से गंगटोक तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	80
		राज्य: त्रिपुरा	
1.	रा.रा. 44	चुरईबाड़ी-अगरतला-सबरूम खंड को चार लेन का बनाना	330

भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात की दोहरी नागरिकता

4304. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात और भारत की दोहरी नागरिकता है; और

(ख) ऐसी नागरिकता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) शून्य। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है।

(ख) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

पर्यावरण में कार्बन के घटकों में वृद्धि

4305. श्री राकेश सिंह:
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राज्यों से पर्यावरण में कार्बन के घटक की वृद्धि को रोकने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा पर्यावरण से संबंधित शिकायतें

4306. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पर्यावरण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिकायतों पर शीघ्र एवं प्रभावी कदम नहीं उठाता है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ङ) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान मंत्रालय में पर्यावरण संबंधी लगभग 356 शिकायतें प्राप्त हुई है। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस निवेदन के साथ अग्रेषित किया जाता है कि वे मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजें। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों पर बोर्ड द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
तमिलनाडु	4	4	1
हरियाणा	4	15	5
झारखंड	1	6	2
उत्तरांचल	1	2	1
गुजरात	–	6	3
मध्य प्रदेश	8	7	2
केरल	3	8	3
दादरा और नगर हवेली	–	2	2
पंजाब	1	8	1
दिल्ली	26	27	18
पश्चिम बंगाल	7	8	–

1	2	3	4
बिहार	1	6	1
उत्तर प्रदेश	14	46	19
गोवा	–	2	–
पांडिचेरी	–	–	1
अंडमान एवं निकोबार	–	1	–
राजस्थान	10	5	4
कर्नाटक	5	5	4
महाराष्ट्र	8	9	16
असम	3	–	–
उड़ीसा	2	4	2
छत्तीसगढ़	1	–	–
हिमाचल प्रदेश	1	–	–
कुल	100	171	85

खाड़ी देश में भारतीय महिलाओं का उत्पीड़न

4307. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ओमान में केरल की एक भारतीय महिला के नियोक्ता द्वारा उसके उत्पीड़न की ओर आकर्षित किया गया है जैसा कि 30 मार्च, 2008 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीड़ित को क्या सहायता की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) मस्कट में हमारे मिशन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार केरल से एक महिला एक अनाधिकृत वीजा एजेंट के मार्फत जाली विवाह प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किये गये परिवार में शामिल होने के वीजा (ओमान में कार्य कर रहे कामगारों की पत्नियों को परिवार में शामिल होने के लिए दिया जाने वाला वीजा) पर मस्कट में पहुंची थी। मस्कट पहुंचने पर उसको दो भारतीयों (गोपी और विजयन) ने उतारा और उसे एक मकान में ले गये जहां उसे बंदी बनाकर यातनाएं दी गई।

उसके पति से प्राप्त शिकायत पर हमारे मिशन ने स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के समन्वय और तालमेल से परिसरों पर छापे मारे जिसके दौरान एक इण्डोनेशियाई महिला के साथ तीन भारतीय पुरुष (सन्मुग्खन, राधाकृष्ण और वेणुगोपाल) को गिरफ्तार किया गया। कुछ दोषी (गोपी और विजयन सहित) अभी भी लापता बताये गये हैं। गिरफ्तार किये गये लोगों के विरुद्ध स्थानीय अभियोजन प्राधिकारियों द्वारा संबंधित सक्षम क्षेत्राधिकार के स्थानीय फौजदारी न्यायालय में एक फौजदारी मामला दायर किया जा रहा है। सरगनाओं को पकड़ने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी भी छान-बीन की जा रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कामगारों के अवैध उत्प्रवास और दुर्व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(1) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें गंभीर मामलों में उनका पंजीकरण प्रमाण-पत्र/लाइसेंस निलम्बित और रद्द किया जाता है।

(2) अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के मामले में शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों/उत्प्रवास संरक्षी को उत्प्रवास अधिनियम 1983 की धारा 10 तथा समुचित कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने और कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

(3) विदेशी नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत के मामले में विदेशी नियोक्ता को पूर्व अनुमोदन श्रेणी (काली सूची) में रखा जाता है और परिणामस्वरूप उसे भारत में भर्ती करने की अनुमति नहीं होती है।

विदेशों में भारतीय कामगारों जिनमें महिला उत्प्रवासी शामिल हैं, के हितों के संरक्षण और कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

* उत्प्रवास जांच अपेक्षित पासपोर्ट धारक, 30 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले देश में रोजगार नहीं कर सकती।

* भारतीय मिशन द्वारा यथा सत्यापित रोजगार संविदा सीधे ही कामगार और नियोक्ता के बीच होनी चाहिए न कि भर्ती एजेंट के बीच।

* विदेशी नियोक्ता द्वारा किसी भारतीय उत्प्रवासी कामगार जिसमें महिलाएं भी हैं, की सीधी भर्ती के मामले में विदेशी नियोक्ता को संबंधित भारतीय मिशन में 2500 अमरीकी डालर की बैंक गारंटी जमा करानी होती है। उपर्युक्त मानदंड को पूरा न करने की स्थिति में उत्प्रवास स्वीकृति केवल संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित रोजगार संविदा/श्रमसंविदा की मूल प्रति की उपलब्धता के आधार पर ही दी जाती है।

* मेजबान देशों द्वारा भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नवम्बर, 2007 में कतर के साथ 1985 में हुए करार को अद्यतन बनाने के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे समझौता ज्ञापन बहरीन, ओमान और यमन के साथ किए जा रहे हैं। ये समझौता ज्ञापन और करार श्रम और रोजगार में सहयोग के लिए एक व्यापक संरचना प्रदान करते हैं और साथ ही प्रवासी भारतीय कामगारों के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र के रूप में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त कार्यकारी समूहों की भी व्यवस्था करते हैं।

* भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में व्यापक संशोधन पहले ही किया जा रहा है।

* कामगारों को उत्प्रवास प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए यह मंत्रालय इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया, दोनों में व्यापक प्रचार अभियान चला रहा है।

[अनुवाद]

तटवर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य

4308. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटवर्ती विनियामक क्षेत्र (सी.आर.जेड.) में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर जारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अवैध निर्माण को ध्वस्त करने/रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) समय-समय पर यथासंशोधित तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 1991 में कतिपय विकासात्मक और निर्माण क्रियाकलापों पर रोक लगाने की व्यवस्था है। प्रतिबंध लगाए जाने वाले क्रियाकलापों में जो उद्योग प्रत्यक्ष रूप से वाटरफ्रंट से जुड़े हुए है उनको छोड़कर, नए उद्योगों की स्थापना, खतरनाक रासायनिक भण्डारण और राख या अपशिष्ट की डम्पिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञेय क्रियाकलापों में पाइपलाइन बिछाना, सी आर जेड-1 क्षेत्रों में परिवहन सुविधा, सी आर जेड-2 क्षेत्रों में मौजूदा प्राधिकृत अवसंरचना के भूमि की ओर भवनों, सड़कों आदि का निर्माण, सी आर जेड-3 क्षेत्रों में बीच रिसोर्ट और स्थानीय समुदायों के लिए घरों का विकास और सी आर जैड-4 क्षेत्रों में भूमि की ओर उच्च ज्वार लाइन से 50 मीटर की दूरी पर बीच रिसोर्ट का विकास शामिल है। सी आर जेड क्षेत्रों में सभी तरह के विकास कार्य सी आर जेड अधिसूचना 1991 के अनुसार तथा संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश की अनुमोदित तटीय प्रबंधन योजना के कार्य संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनुमति लेकर किए जाते हैं।

(घ) सी आर जैड अधिसूचना 1991 के प्रावधानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन, जिसमें उक्त अधिसूचना के उल्लंघन पर कार्रवाई की जानी भी शामिल है, के प्रयोजनार्थ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर तटीय प्रबंधन जोन प्राधिकरणों का गठन किया है जिन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

एमीग्रेंट चैक रिक्वायर्ड ट्रैवलर्स के लिए विदेश दौरा मानक

4309. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एमीग्रेंट चैक रिक्वायर्ड (ईसीआर) ट्रैवलर्स के लिए विदेश दौरा मानकों को आसान बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले यात्रियों के लिए विदेशी यात्रा मानदंडों को सरल बनाने के लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित का निलम्बन करने की प्रक्रिया को उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों में 1 अक्तूबर, 2007 से समाप्त कर दिया गया है। रोजगार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' पासपोर्ट धारकों को अब वैध पासपोर्ट, वैध वीजा और वापसी टिकट को भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर उत्प्रवास काउन्टरों पर दिखाकर देश छोड़ने की अनुमति है।

(ग) मंत्रालय यात्रा प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए उत्प्रवास सुधार उपाय कर रहा है। हमने यात्रा वीजा पर यात्रा करने वालों के लिए निकास स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ताकि यात्रियों को असुविधा, परेशानी और खर्च से बचाया जा सके। इसी प्रकार मंत्रालय ने 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं' पासपोर्ट जारी करने के लिए मानदंड को उदार बनाकर उसमें दसवीं कक्षा अथवा अधिक, पढ़े सभी लोगों को शामिल कर लिया है। भर्ती एजेंटों के लिए विनियमनकारी प्रणाली को अधिक कठोर बनाया जा रहा है और उनके निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

[हिन्दी]

सीजीएचएस की दवाओं के आपूर्तिकर्ता

4310. श्री महावीर भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत दवाइयों की आपूर्ति करने वाले केमिस्टों की संख्या का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केमिस्टों को देय राशि का समय पर भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	केमिस्टों की सं.	केमिस्टों का औषधालय-वार ब्यौरा	केमिस्टों को देय भुगतान
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	5	नौरंगापुरा, गीता मंदिर रोड, असरवा, प्रगतिनगर, बापूनगर,	अब तक
2.	इलाहाबाद	4	हासिमपुर रोड, बैरहाना, दरियागंज और अहमदगंज	-तदैव-
3.	बेंगलौर	3	शिवाजी नगर, मलेश्वरम, चेमराजपेट	-तदैव-
4.	भोपाल	1	रायसेन रोड	दिसम्बर, 2007 तक जनवरी, फरवरी में प्रक्रिया जारी
5.	चेन्नई	4	पीपरी पेरम्बूर, अनन्नगर, त्रिप्लीकानी गोपालगंज, और आर ए पुरम, अदाया	-अब तक-
6.	गुवाहाटी	3	गणेशपुरी, एमएलए होस्टल के पीछे गणेशपुरी और भरा लुमुख	-तदैव-
7.	हैदराबाद	13	रेवाड़ी, चारमिनार, डियूमायुनगर, सिकन्दराबाद, चंगमपैट, हिमायतनगर, च्चीगुडा, मलकपेट, कंचनबाग, अलवान, अमरीपेट, काकातियानगर, दिलसुखनगर, टरनाबा,	-तदैव-

1	2	3	4	5
8.	जबलपुर	2	मदनमहल चौक, जवायगंज	–तदैव–
9.	जयपुर	2	चौड़ा रास्ता, बनी पार्क	–तदैव–
10.	कोलकाता		पिगया मेडिकल स्टोर, सेक्टर-2, साल्टेन, गौरीशंकर एण्ड कम्पनी, कलाकार स्ट्रीट, मदीना फार्मेसी, ब्यूरोशिवपाला, मेनरोड, बहेला	–तदैव–
11.	कानपुर	5	शास्त्रीनगर, गोविन्द नगर, किदवई नगर, बरना रोड और गांधी ग्राम	–तदैव–
12.	लखनऊ	4	गोलमार्किट, अमीनाबाद, एस बाग, उदयगंज	अब तक
13.	मेरठ	3	मोहनपुरी, विजयनगर, लेखानगर	–तदैव–
14.	मुम्बई	4	दादर, अन्धेरी, एवं पारले	–तदैव–
15.	नागपुर	3	वर्धा रोड, बर्धा रोड, सदर क्षेत्र	–तदैव–
16.	पटना	2	बोरिंगरोड, मखनियाकुंआ	–तदैव–
17.	पुणे	4	गणेशपेट, गणेशपिन्ड, डीएडी, कम्प्लैक्स कैंप	–तदैव–
18.	त्रिवेन्द्रम		दिव्या मेडिकल, कुनेरापुरम, पेरूड़मेडिकल, अम्बकमुकु, हेसरी मेडिकल, हाइपूर	सरकारी सेवकों के लिए दिसम्बर तक और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी 2008 तक भुगतान
19.	चण्डीगढ़	1	सैक्टर-45	–अब तक–
20.	भुवनेश्वर	2	ए.जी. कालोनी और खारवेल नगर	–तदैव–
21.	रांची	1	झारखण्ड	–तदैव–
22.	देहरादून	1	उत्तराखण्ड	–तदैव–

				जोनवार स्थिति		
				जोन	सेवारत	पेंशनभोगी
23.	दिल्ली	16	कस्तूरबा नगर 1 और 2, प्रगतिविहार, सरोजनी नगर 1 और 2, सरोजनी नगर	दक्षिण	25.3.08 तक क्लीयर	14.2.08 के बाद से 3.90 करोड़ रुपये बकाया
			मार्केट, आर के पुरम सेक्टर-2, 3, 4, 6, 8, और 12 प्रसूति स्त्री रोग अस्पताल आर.के. पुरम, मुनिरका, मालवीय नगर, पुष्पविहार,	उत्तर	29.2.2008 तक क्लीयर 1.26 करोड़ रुपये बकाया	31.12.07 तक क्लीयर 4.25 करोड़ रुपया बकाया
			होजखास, मोतीबाग, नानकपुरा, श्रीनिवासपुरी, लाजपतनगर, जंगपुरा, एमपी रोड, कालिका रोड, 1 और 2, एन्ड्रूजगंज, लोधी रोड 1 और 2, सादिक नगर, गोलमार्किट,	पूर्व	15.4.08 तक क्लीयर	14.1.08 तक क्लीयर, 4 करोड़ रुपये बकाया
			कालीबाड़ी, पहाड़गंज, चित्रगुप्त रोड, झादिकनगर, लक्ष्मीबनाई नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, चाणक्यपुरी, पण्डारा रोड, जाकिर हुसैन रोड, कन्स्टयूशन हाऊस और टेलीग्राफ लेन	केन्द्रीय क्षेत्र	29.2.08 तक क्लीयर	29.2.08 तक क्लीयर

[अनुवाद]

प्रत्यर्पण संधि

4311. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की प्रत्यर्पण संधि किन-किन देशों के साथ है;

(ख) क्या वांछित अपराधियों को वापस लाने में सामने आने वाली समस्याओं के मद्देनजर सरकार का और देशों के साथ ऐसी संधि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या क्रियाविधि तैयार की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारत की निम्नलिखित 26 देशों तथा क्षेत्रों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं:

बेल्जियम, नेपाल, कनाडा, नीदरलैंड, यूके, स्विटजरलैंड, भूटान, हांगकांग, यूएसए, रूस, यूएई, उज्बेकिस्तान, स्पेन, तुर्की, मंगोलिया, जर्मनी, ट्यूनिशिया, कोरिया गणराज्य, ओमान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, पोलैंड, बुल्गारिया, उक्रेन तथा कुवैत।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित देशों के साथ भारत का प्रत्यर्पण करार है:

आस्ट्रेलिया, फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, थाइलैंड तथा पुर्तगाल।

(ख) और (ग) सरकार की यह नीति है कि यथासंभव अधिक-से-अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की जाएं जिससे भगोड़े अपराधी इंसाफ से बच न सकें। तदनुसार, भारत 31 और देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर बातचीत/अनुसमर्थन कर रहा है। भारत द्वारा तथा/अथवा संबंधित दूसरे देश द्वारा तैयार किए गए मसौदे के आधार पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत की जाती है।

पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण

4312. डा. के. धनराजू: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, भाषा कार्यक्रम सहित, जिनमें देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के निर्धारित सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, की कार्य पद्धति क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): राज्यों में चुनावों से पूर्व और उसके बाद विभिन्न पणधारियों की संवेदनाजागृति व जागरूकता-निर्माण, सामाजिक लामबंदी, पंचायती राज संस्थाओं की महिला/अ.जा./अ.ज.जा. सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एच.आई.आर.डी.), विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ई.टी.सी.), गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से किया जाता है। इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में कार्यनीतिक व तकनीकी दोनों पहलुओं को समाविष्ट करना चाहिए तथा उसे प्रणालीवार प्रशिक्षण-आवश्यक-विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यनीति को जहां तक संभव हो अधिक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कवर करने के लिए समावेशिक, अंतर्क्रियात्मक तथा विभिन्न हस्तक्षेपों, यथा आमने-सामने वाले भागीदारितापूर्ण प्रशिक्षण, परिचयकारी भ्रमणों, समकक्षी समूह में प्रशिक्षण या शिक्षण, सैटेलाइट प्रशिक्षण इत्यादि का संयुक्त मिश्रण होना चाहिए। राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं में से ज्यादातर, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं।

कोलकाता पत्तन न्यास को राजस्व हानि

4313. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री निखिल कुमार:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता पत्तन न्यास को गत तीन वर्षों के दौरान भारी राजस्व हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनती भारी राजस्व हानि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जिम्मेदारी तय की है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं। कोलकाता पत्तन न्यास ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया है। कर अदा किए जाने से पूर्व निवल लाभ के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

2005-06	270.65
2006-07	465.11
2007-08 (अलेखापरीक्षित/अनन्तिम)	509.51

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

टी.बी. पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) की रिपोर्ट

4314. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) ने हाल ही में टी.बी. पर अपनी रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान टी.बी. के उन्मूलन हेतु किए गए आबंटन और उसमें से खर्च की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक कार्यकारी मत सर्वेक्षण में क्षयरोग संबंधी प्रश्नों के उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर विश्व आर्थिक मंच ने 'टेकलिंग ट्यूबरक्लोसिस: द बिजनेस रेस्पोंस'' नामक एक रिपोर्ट जारी की है। उत्तर देने वालों में लगभग एक तिहाई लोग मानते हैं कि क्षयरोग अगले पांच वर्षों में उनके व्यवसाय को प्रभावित करता है जबकि 10 में से एक व्यक्ति मानता है कि इसका गम्भीर प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उप सहारा मरुस्थलीय अफ्रीका, एशिया और पूर्वी यूरोप महाद्वीप की फर्में सबसे अधिक प्रभावित हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्षयरोग की अधिक व्याप्तता वाले राज्यों में फर्में खासकर चिन्तित हैं। यद्यपि रोग का संचरण कार्यस्थलों पर हो सकता है, फिर भी कार्यबल क्षयरोग शिक्षा के लिए सुगम श्रोता मुहैय्या करते हैं एवं व्यवसाय में स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद करने हेतु कई कौशल हैं। इनमें काफी क्षमता है इसलिए व्यवसाय क्षयरोग से लड़ने में मददगार होते हैं। व्यवसायों में कार्मिकों पर क्षयरोग के प्रभाव को सीमित करने से लेकर व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अन्य स्टेक होल्डरों के साथ साझेदारियों को मजबूत बनाकर रोग नियंत्रण के लिए कार्य करने हेतु अनेक प्रकार की प्रेरणाएं हैं। अनेक व्यवसाय, राष्ट्र सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा प्राइवेट क्षेत्र के अन्य भागीदारों के साथ भागीदारी करके अपनी प्रमुख क्षमताओं के आधार पर क्षयरोग नियंत्रण में जुटे हैं। तथापि, गति, एचआईवी/एड्स संबंधी व्यवसायिक कार्रवाई से तुलनीय नहीं है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव के साथ भागीदारी करके ''इंडियन बिजनेस एलाइंस'' विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर कार्य करता है तथा सार्वजनिक तौर पर भारत में जनता में क्षयरोग तथा इसके लक्षणों संबंधी जागरूकता पैदा करके और स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ भागीदारी द्वारा क्षयरोग नियंत्रण में व्यवसाय क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाकर क्षयरोग नियंत्रण के लिए समर्पित है।

(ग) विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत में क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों और खर्च हुई धनराशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2004-05	140.00	133.63
2005-06	186.00	187.70
2006-07	202.17	220.97
2007-08	267.00	262.12

[हिन्दी]

उप-स्वास्थ्य केन्द्र

4315. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री राकेश सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार के अपने भवनों/किराए के भवनों/किराया मुक्त भवनों में चल रहे उप-स्वास्थ्य केंद्रों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियां मुहैया करवाने का है जिनके अपने भवन नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) मार्च, 2007 तक अद्यतन किए गए आरएचएस बुलेटिन के अनुसार सरकारी भवनों, किराए के भवनों, किराया रहित भवनों/स्वैच्छिक सोसाइटी भवनों में कार्य कर रहे उप-केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत उप-केन्द्रों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण जिसमें भवनों का निर्माण एवं बुनियादी ढांचे की व्यवस्था शामिल है, के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं का अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उल्लेख करना अपेक्षित होता है।

विवरण

उप-केन्द्रों की भवन स्थिति (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	कार्य कर रहे उप-केन्द्रों की कुल संख्या	उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं:		
			सरकारी भवनों में	किराए के भवनों में	किराया मुक्त पंचायत/स्वै. सोसाइटी भवनों में
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12522	4221	8301	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	379	273	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	असम	5109	2637	2472	0
4.	बिहार	8909	2503	4711	1695
5.	छत्तीसगढ़	4692	1458	0	3234
6.	गोवा	172	41	131	0
7.	गुजरात	7274	5840	0	1434
8.	हरियाणा	2433	1496	0	937
9.	हिमाचल प्रदेश	2071	1267	14	790
10.	जम्मू-कश्मीर	1888	654	1234	0
11.	झारखंड	3958	1736	1948	274
12.	कर्नाटक	8143	4460	2893	790
13.	केरल	5094	2986	1098	1010
14.	मध्य प्रदेश	8834	5831	2403	600
15.	महाराष्ट्र	10453	6964	750	2739
16.	मणिपुर	420	230	168	22
17.	मेघालय	398	390	8	0
18.	मिजोरम	366	366	0	0
19.	नागालैंड	397	354	0	43
20.	उड़ीसा	5927	2540	3385	0
21.	पंजाब	2858	1443	0	1415
22.	राजस्थान	10612	8475	0	2137

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	147	124	20	3
24.	तमिलनाडु	8683	6510	2113	60
25.	त्रिपुरा	579	266	241	72
26.	उत्तराखंड	1765	706	1059	0
27.	उत्तर प्रदेश	20521	6581	13940	0
28.	पश्चिम बंगाल	10356	2236	8120	0
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	108	108	0	0
30.	चंडीगढ़	13	8	0	5
31.	दादरा व नगर हवेली	38	38	0	0
32.	दमन व दीव	21	20	1	0
33.	दिल्ली	41	22	0	19
34.	लक्षद्वीप	14	8	6	0
35.	पुदुचेरी	77	36	31	10
	अखिल भारतीय	145272	72830	55047	17289

[अनुवाद]

बच्चों में न्यूमोनिया की रोकथाम

4316. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में न्यूमोनिया के कारण बच्चों की मृत्यु का गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त बीमारी के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय के अनुसार देस में वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान न्यूमोनिया के रोगियों और मौतों की कुल संख्या क्रमश: इस प्रकार है:

2005: रोगी-774023, मौतें-3513

2006: रोगी-681560, मौतें-3342

2007: रोगी-660390, मौतें-2865

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश का आयु विशिष्ट न्यूमोनिया की मृत्यु-दर से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार ने न्यूमोनिया के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों का एकीकृत उपचार (आईएमएनसीआई) जो बाल जीवन रक्षा की कार्यनीति है, शुरू किया है। इस कार्यनीति का उद्देश्य बच्चों में रुग्णता और मृत्यु-दर अर्थात् खसरे, मलेरिया, न्यूमोनिया, अतिसार और कुपोषण के मुख्य कारणों से सामुदायिक स्तर और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र स्तर के क्षेत्रों पर समग्रतावादी ढंग से निपटने के लिए मूलभूत स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। इस पहल को देश भर में चरणवार ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

आईएमएनसीआई कार्यनीति की सामुदायिक पहलों के एक भाग के रूप में परिवारों को बीमार नवजात और बच्चों में खतरे के लक्षणों/चिन्हों की शुरू में ही पहचान करने के बारे में सलाह दी जाती है ताकि परिवार शुरू में लक्षणों की पहचान कर सकें तथा सुविधा केंद्रों में शीघ्र ही उपचार करवा सकें और इस प्रकार इनके उपचार में होने वाली देरी को टाला जा सके।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान मुख्य संचारी रोगों तथा न्यूमोनिया के कारण होने वाले सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		योग		तक संदर्भाधीन अवधि
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	47122	98	45767	65	92889	163	दिसम्बर, 2005
2.	अरुणाचल प्रदेश	742	3	709	5	1451	9	दिसम्बर, 2005
3.	असम	55268	414	13655	60	68923	474	दिसम्बर, 2005
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	प्राप्त नहीं
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	प्राप्त नहीं
6.	गोवा	6	0	12	0	18	0	अप्रैल, 2005
7.	गुजरात	11647	27	10016	20	21663	47	दिसम्बर, 2005
8.	हरियाणा	5439	24	4590	16	10029	40	दिसम्बर, 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	17379	43	17303	22	34682	65	दिसम्बर, 2005
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	99558	0	दिसम्बर, 2005
11.	झारखंड	147	0	92	0	239	0	दिसम्बर, जन. से मार्च, 2005 को छोड़कर
12.	कर्नाटक	27272	79	25614	48	52886	127	दिसम्बर, 2005
13.	केरल	11696	21	9944	17	21623	38	दिसम्बर, 2005
14.	मध्य प्रदेश	31080	48	26838	39	57918	87	दिसम्बर, 2005
15.	महाराष्ट्र	14732	213	13525	160	28257	373	दिसम्बर, 2005
16.	मणिपुर	457	0	457	1	914	1	दिसम्बर, 2005
17.	मेघालय	1580	26	1374	16	2954	42	दिसम्बर, 2005
18.	मिजोरम	2457	27	2135	19	4592	46	दिसम्बर, 2005
19.	नागालैंड	19	0	17	0	120	0	दिसम्बर, 2005
20.	उड़ीसा	6148	78	4256	46	10404	124	दिसम्बर, 2005
21.	पंजाब	6159	54	5090	49	11249	103	दिसम्बर, 2005
22.	राजस्थान	48497	172	36615	81	85112	253	दिसम्बर, 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	1477	11	1454	1	2931	12	दिसम्बर, 2005
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	21272	94	दिसम्बर, 2005
25.	त्रिपुरा	5218	41	5178	40	10396	81	दिसम्बर, 2005
26.	उत्तराखंड	2784	2	2921	0	5705	2	नवम्बर, 2005
27.	उत्तर प्रदेश	18900	25	15426	13	34326	38	दिसम्बर, 2005
28.	पश्चिम बंगाल	24467	376	20808	232	45275	608	अगस्त, 2005
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	251	4	152	2	403	6	दिसम्बर, 2005
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	प्राप्त नहीं
31.	दादरा और नगर हवेली	215	3	141	2	356	5	दिसम्बर, 2005
32.	दमन और दीव	9	0	5	0	14	0	नवम्बर, 2005
33.	दिल्ली	23306	408	14454	253	37760	661	दिसम्बर, 2005
34.	लक्षद्वीप	44	2	35	1	79	3	दिसम्बर, 2005
35.	पांडिचेरी	5696	7	4329	4	10025	11	दिसम्बर, 2005
	कुल	370197	2206	282912	1212	774023	3513	

भारत में न्यूमोनिया के कारण रोगियों और मौतों की राज्य-वार संख्या
(एनएचपी 2006 के जारी होने के पश्चात् राज्य/संघ क्षेत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		योग		तक संदर्भाधीन अवधि
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	29287	65	28077	61	57364	126	दिसम्बर, अगस्त को छोड़कर 06
2.	अरुणाचल प्रदेश	598	4	641	6	1059	10	दिसम्बर, 2006
3.	असम							प्राप्त नहीं
4.	बिहार							प्राप्त नहीं
5.	छत्तीसगढ़	2940	3	2002	4	4942	7	दिसम्बर, जन. व सित. को छोड़कर 2006
6.	गोवा	64	0	57	0	121	0	दिसम्बर, 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गुजरात	6445	91	5542	56	11987	147	दिसम्बर, 2006
8.	हरियाणा	6664	23	5348	17	12012	40	दिसम्बर, 2006
9.	हिमाचल प्रदेश	18297	67	17457	19	35754	86	दिसम्बर, 2006
10.	जम्मू मंडल	25563	1	17636	1	91721	2	दिसम्बर, 2006
	कश्मीर मंडल	5180	0	4235	0	9415	0	
11.	झारखंड	1216	0	967	0	2183	0	दिसम्बर, 2006
12.	कर्नाटक	24214	40	24080	10	48294	50	दिसम्बर, 2006
13.	केरल	13060	44	13047	18	26107	62	दिसम्बर, 2006
14.	मध्य प्रदेश	14079	11	13601	10	27680	21	जुलाई, 2006
15.	महाराष्ट्र	17387	148	12253	95	29640	243	दिसम्बर, 2006
16.	मणिपुर	436	2	382	2	818	4	दिसम्बर, 2006
17.	मेघालय	1428	39	1265	12	2693	51	दिसम्बर, 2006
18.	मिजोरम	2401	36	2069	24	4470	60	दिसम्बर, 2006
19.	नागालैंड	518	0	520	0	1038	0	दिसम्बर, 2006
20.	उड़ीसा	7998	103	5967	56	13965	159	दिसम्बर, 2006
21.	पंजाब	5154	60	3912	30	9066	90	दिसम्बर, 2006
22.	राजस्थान	52304	201	40062	149	92366	350	दिसम्बर, 2006
23.	सिक्किम	1098	2	1187	1	2285	3	दिसम्बर, 2006
24.	तमिलनाडु					12613	74	दिसम्बर, 2006
25.	त्रिपुरा	5849	92	5390	68	11239	160	दिसम्बर, 2006
26.	उत्तराखंड	4170	0	3638	0	7808	0	नवम्बर, 2005
27.	उत्तर प्रदेश	27444	31	21338	3	48782	39	दिसम्बर, 2006
28.	पश्चिम बंगाल	47872	649	42030	502	89902	1151	दिसम्बर, 2006
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	340	6	224	6	564	12	दिसम्बर, 2006
30.	चंडीगढ़					2289	37	दिसम्बर, जन. से मार्च को छोड़कर 2006
31.	दादरा और नगर हवेली	30	1	24	0	54	1	दिसम्बर, 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	दमन और दीव	4	0	1	0	5	0	केवल फर., अप्रैल, नव., एवं दिस. 2006
33.	दिल्ली	12148	216	7689	135	19837	351	दिसम्बर, 2006
34.	लक्षद्वीप	29	0	34	1	61	1	दिसम्बर, 2006
35.	पांडिचेरी	1934	5	1492	0	3426	5	दिसम्बर, 2006
	कुल	336151	1940	281985	1291	681560	3342	

भारत में न्यूमोनिया के कारण रोगियों और मौतों की राज्य-वार संख्या 2007 (अनंतिम)
(एनएचपी 2006 के जारी होने के पश्चात् राज्य/संघ क्षेत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		योग		तक संदर्भाधीन अवधि
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	38121	130	37396	83	75517	213	दिसम्बर, 2007
2.	अरुणाचल प्रदेश							प्राप्त नहीं
3.	असम	2745	7	2116	3	4861	10	मई, 2007
4.	बिहार							प्राप्त नहीं
5.	छत्तीसगढ़	15282	18	8599	11	21181	29	दिसम्बर, 2007
6.	गोवा	40	1	37	0	77	1	दिसम्बर, 2007
7.	गुजरात	3252	84	2631	56	5883	140	दिसम्बर, 2007
8.	हरियाणा	2459	12	2068	6	4527	18	अगस्त, 2007
9.	हिमाचल प्रदेश	16023	51	15042	28	31065	79	दिसम्बर, 2007
10.	जम्मू मंडल	43748	0	29155	0	72903	0	दिसम्बर, 2007
	कश्मीर मंडल	7268	0	5384	0	12652	0	दिसम्बर, 2007
11.	झारखंड	1882	1	1147	0	3029	1	अगस्त, 2007
12.	कर्नाटक	14568	78	13580	39	28148	117	सितम्बर, 2007
13.	केरल	8324	51	7335	37	15659	88	दिसम्बर, 2007
14.	मध्य प्रदेश	25137	26	23057	19	48194	45	दिसम्बर, 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	20738	61	19404	54	40142	115	दिसम्बर, 2007
16.	मणिपुर	928	19	775	6	1703	25	नवम्बर, 2007
17.	मेघालय	990	7	797	4	1787	11	जुलाई, 2007
18.	मिजोरम	2673	48	2419	36	5092	84	दिसम्बर, 2007
19.	नागालैंड	299	0	141	0	844	6	दिसम्बर, 2007
20.	उड़ीसा	8488	67	6745	39	15233	106	अक्तूबर, 2007
21.	पंजाब	4471	41	3566	24	8037	65	दिसम्बर, 2007
22.	राजस्थान	19500	40	15154	21	34654	61	जुलाई, 2007
23.	सिक्किम	913	3	462	3	1375	6	दिसम्बर, 2007
24.	तमिलनाडु					4597	9	नवम्बर, 2007
25.	त्रिपुरा	2384	71	1919	54	4303	125	दिसम्बर, 2007
26.	उत्तराखंड	4235	4	6302	8	10537	12	दिसम्बर, 2005
27.	उत्तर प्रदेश	63618	206	51343	168	114961	374	दिसम्बर, 2007
28.	पश्चिम बंगाल	28589	362	26373	258	54962	620	सितम्बर, 2007
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	590	6	615	3	1205	9	दिसम्बर, 2007 अक्तूबर को छोड़कर
30.	चंडीगढ़					3377	53	दिसम्बर, 2007
31.	दादरा और नगर हवेली	43	0	32	0	75	0	दिसम्बर, 2007
32.	दमन और दीव	7	1	6	0	13	1	दिसम्बर, 2007
33.	दिल्ली	19177	258	12580	160	31757	418	दिसम्बर, 2007
34.	लक्षद्वीप	12	0	10	1	22	1	सितम्बर, 2007
35.	पांडिचेरी	1216	15	802	8	2018	23	दिसम्बर, 2007
	कुल	357720	1668	294292	1129	660390	2865	

नीलगिरी जैवमंडल की रक्षा हेतु वित्तीय सहायता

4317. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नीलगिरी जैवमंडल की रक्षा हेतु गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उसकी रक्षा हेतु एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ममोनारायन मीणा): (क) नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व की सुरक्षा के लिए

केन्द्र सरकार, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों को जैवमंडल रिजर्वों, राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, हाथी परियोजना और बाघ परियोजना नामक स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता देती है। इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(धनराशि लाख रुपए)

राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2005-06	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	कुल
तमिलनाडु	459.4028	467.185	489.442	1416.0298
केरल	613.5958	692.125	895.5689	2201.2897
कर्नाटक	1167.5177	969.559	2034.93791	4172.01461

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टिलवेल रोड़ का उन्नयन

4318. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंद सुदृढ़ करने के मद्देनजर भारत-म्यांमार सीमा पर स्टिलवेल रोड का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उन्नयन कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने म्यांमार में तथाकथित स्टिलवेल सड़क के उन्नयन का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष अभियान

4319. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु रोजगार कार्यालय के लिए कोई विशेष अभियान चालने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, इन पदों को भरने की सामान्य प्रक्रिया अपनाकर सरकार द्वारा एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को पुन: परिभाषित करना

4320. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को पुन: परिभाषित करने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 2008 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गरीब व्यक्तियों की पहचान करने हेतु आर्थिक सूचकों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों के रूप में स्वत: सूचीबद्ध किए जाने हेतु विशिष्ट मानदंडों पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने दिसम्बर, 2005 में प्रो. सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में गरीबी आकलन कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) 50वें, 55वें और 61वें दौर की तुलनात्मकता से संबंधित मुद्दों की जांच करना, तथा विगत एवं भावी सर्वेक्षणों से ऐसी तुलनात्मकता प्राप्त करने हेतु कार्यप्रणालियों का सुझाव देगा।

(2) गरीबी की वैकल्पिक अवधारणा तथा माप प्रक्रिया से जुड़े हुए तकनीकी पहलुओं और हर समय पर पूरे राज्यों में अद्यतन करने हेतु प्रक्रियाओं सहित प्रयोगजन्य आकलन के लिए डाटाबेस की समीक्षा करना।

(3) उपरोक्त (2) को ध्यान में रखते हुए गरीबी आकलन हेतु सरकारी विद्यमान प्रक्रियाओं में किसी परिवर्तन की सिफारिश करना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय एड्स परिषद की स्थापना

4321. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नीति निदेश बनाने और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी करने हेतु राष्ट्रीय एड्स परिषद की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परिषद के सदस्यों और परिषद को सौंपे गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स परिषद का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जून, 2005 में हुआ था जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी 28 मंत्री शामिल हैं। इस परिषद में एड्स की उच्च व्याप्तता वाले 3 राज्यों (तमिलनाडु, महाराष्ट्र और नागालैंड) के मुख्यमंत्री और एड्स की मध्यम व्याप्तता वाले एक राज्य अर्थात् गुजरात के मुख्यमंत्री और एड्स के तीन उच्च संवेदनशील राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल) भी शामिल हैं। इस परिषद में सिविल सोसाइटी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे 15 गैर-अधिकारी भी हैं।

इस परिषद के मुख्य कार्य एचआईवी/एड्स को एक जन स्वास्थ्य समस्या मात्र न मानते हुए इसे विकास की चुनौती समझकर सभी मंत्रालयों/विभागों में इस विषय को मुख्यधारा में लाना; युवा वर्ग एवं कार्य बल और अन्तर्क्षेत्रीय वनचबद्धता की पुनरीक्षा के विशेष संदर्भ के साथ देश में एचआईवी/एड्स के प्रति बहुक्षेत्रीय क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है।

[हिन्दी]

रोगियों को निजी अस्पतालों में भेजा जाना

4322. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल सहित केन्द्र सरकार के अस्पताल रोगियों को उन निजी अस्पतालों के लिए रेफर करते हैं जिन्हें इस शर्त पर सस्ती भूमि आवंटित की गई है कि वे कुछ बिस्तर गरीब रोगियों के लिए आरक्षित रखेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। सफदरजंग अस्पताल, सहित केन्द्रीय सरकार के अस्पताल निर्धन रोगियों को निजी अस्पतालों में भेजते हैं जिन्हें माननीय दिल्ली उच्च नयायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धन रोगियों के लिए आरक्षित बिस्तर सहित सस्ती दर पर भूमि आबंटित की गई है। इन निजी अस्पतालों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	नाम और अस्पताल का पता
1	2
1.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेन्टर, वसुन्धरा इन्क्लेव, दिल्ली-110096
2.	दीपक मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेन्टर, 5, इंस्टीट्यूटनल एरिया, विकास मार्ग, एक्सटेंसन, दिल्ली-110092
3.	एस्कोर्ट हर्ट इन्स्टीट्यूट और रिसर्च सेन्टर, ओखला रोड, ओखला, नई दिल्ली-110025
4.	इन्डियन स्पाइनल इन्जरीज सेन्टर, अपोसिट पुलिस स्टेशन, सेक्टर सी, वसन्तकुंज, दिल्ली-110070
5.	जयपुर गोल्डन अस्पताल, 2, इन्स्टिट्यूटनल एरिया, सेक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली-110085
6.	पुष्पावती सिघांनिया रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सेखसराय, फेस-2, साकेत, नई दिल्ली-110017
7.	नेशनल हर्ट इन्स्टीट्यूट 49, कम्यूनिटी सेन्टर, ईस्ट आफ कैलास, दिल्ली-110065
8.	माई कामिली वाली सीएच, अस्पताल, प्लाट नं.-12, जे-ब्लाक, कम्यूनिटी सेन्टर, राजौरी गार्डेन, दिल्ली-27
9.	सरोज अस्पताल, सेक्टर-14, एक्सटेंशन नियर मधुबन चौक, रोहिणी, दिल्ली-110085
10.	राजीव गांधी कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, डी-18, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-10085
11.	शान्ति मुकुन्द अस्पताल, 2, इन्स्टीट्यूनल एरिया, विकास मार्ग, एक्सटेंशन, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
12.	वेन्यु आई इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, प्लाट नं. 1, शेख सराय, नई दिल्ली-110017
13.	वीरनावली इन्टरनेशनल अस्पताल, चन्द्रगुप्ता रोड, चाणक्यपुरी-दिल्ली-110021
14.	डा. विद्या सागर कौशल्या देवी मेमोरियल हेल्थ सेन्टर, (1/1 एमएचएएनएस) नेहरू नगर, दिल्ली-110065
15.	भगवती अस्पताल, सी-5/ओसीएफ-6, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085
16.	गुजरमल मोदी अस्पताल, मन्दिर मार्ग, साकेत, दिल्ली-110017
17.	कोटक्कल आर्य विद्याशाला, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092
18.	अमर ज्योति सीएच, ट्रस्ट, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092
19.	विमला देवी, अस्पताल, प्लाट नं. 5, पाकेट बी, मयूर विहार-2, दिल्ली-110091
20.	बत्रा अस्पताल, 1 एमबी रोड, तुगलकाबाद, इन्स्टीट्यूनल एरिया, नई दिल्ली-110062
21.	भगवान महावीर अस्पताल, सेक्टर-14, एक्सटेंशन, मधुबन चौक, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
22.	मैक्स देवकी देवी, हर्ट एण्ड वास्कुलर, इन्स्टीट्यूट 2, प्रेस एन्क्लेव रोड, साकेत, नई दिल्ली-110017
23.	जीवन अनमोल अस्पताल, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091
24.	मैक्स. बालाजी अस्पताल, 108-ए, आईपी एक्सटेन्शन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
25.	श्री बालाजी एक्शन, मेडिकल इन्स्टीट्यूट एफसी-34, ए-4, पश्चिम विहार, नई दिल्ली
26.	दिल्ली ईएनटी, अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, एफसी-33, प्लाट नं. 13, जसोला दिल्ली
27.	श्री गंगा राम, ट्रस्ट सोसायटी, अस्पताल, मार्ग, राजेन्दर नगर, दिल्ली-110060
28.	मूल चन्द खेरातीराम, ट्रस्ट एण्ड अस्पताल, रिंग रोड, लाजपत नगर, दिल्ली-110024
29.	नेशनल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, ए-133, नीति बाग दिल्ली, गौतम नगर, दिल्ली-110092

1	2
30.	एसटी, स्टेफन्स अस्पताल, सोसायटी, तीसहजारी कोर्ट, दिल्ली-110054
31.	माता चानन देवी अस्पताल, ए-21/डी-जनकपुरी, दिल्ली-110058
32.	सुन्दर लाल जैन चैरीटेबल अस्पताल, फेस-3, अशोक विहार, दिल्ली-110055
33.	आर.बी. सेठ जेसा राम अस्पताल, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, दिल्ली-110005
34.	खोसला मेडिकल इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सोसायटी, के.एम.आई. एण्ड आर. सेन्टर, पश्चिम शालीमार बाग, नई दिल्ली
35.	राकलैण्ड अस्पताल, बी-33, 34, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
36.	बेन्सूप्स अस्पताल, अनिट आफ बी.आर. भवन, मेडिकल चैरीटेबल ट्रस्ट, बेन्सुप, एवेन्यु, सैक्टर-12, द्वारिका, दिल्ली।

[अनुवाद]

आईपीएचए का 52वां सम्मेलन

4323. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का 52वां सम्मेलन हाल ही में राजधानी में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) सम्मेलन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के आयोजकों से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यापक मौसमी परिवर्तनों और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों, नवजात शिशु एवं बालावस्था रुग्णता के व्यापक प्रबंधन, माता-पिता से बच्चे को होने वाले एचआईवी संचरण की रोकथाम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन, संचारी रोगो, जापानी एन्सेफेलाइटिस के नियंत्रण और गम्भीर प्रजनन रुग्णता से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों द्वारा 296 अनुसंधान लेख प्रस्तुत किए गए।

(ग) आयोजकों के अनुसार, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त विषयों पर प्रतिनिधियों की सूचना का अद्यतन करना था और साथ ही उनके अनुभवों और अनुसंधानों का आदान प्रदान करना भी था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय सड़क निधि के अनुदानों हेतु दिशा-निर्देश

4324. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जारी निधियों का स्वीकृति की तिथि से 24 महीनों के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी निधियां स्वीकृति और जारी की गई;

(घ) जारी की गई निधियों का उपयोग न करने और तत्संबंधी उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली राज्य सरकारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली, 2007 में इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 24 माह की निर्धारित अधिकतम परियोजना पूरी करने की अवधि के लिए प्रावधान है। निधियां किए गए वास्तविक व्यय और प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जाती हैं। वर्ष 2007-08 के

लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि के आबंटन और जारी की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सीआरएफ कार्यों की प्रगति को तेज करे और सीआरएफ से धनराशि के उपयोग की प्रगति पर नियमित रूप से रखी जाए।

विवरण

2007-08 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किया गया धनराशि का आबंटन और जारी की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

(धनराशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन	जारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	141.48	135.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.13	18.13
3.	असम	26.13	26.13
4.	बिहार	38.52	16.14
5.	छत्तीसगढ़	40.35	40.35
6.	गोवा	4.16	4.17
7.	गुजरात	97.07	97.07
8.	हरियाणा	64.30	54.76
9.	हिमाचल प्रदेश	15.69	15.48
10.	जम्मू-कश्मीर	50.86	50.85
11.	झारखंड	35.37	17.02
12.	कर्नाटक	112.42	102.42
13.	केरल	48.42	29.45
14.	मध्य प्रदेश	93.85	93.85
15.	महाराष्ट्र	155.58	96.68
16.	मणिपुर	3.86	3.86
17.	मेघालय	4.06	4.06
18.	मिजोरम	4.86	4.74
19.	नागालैंड	4.42	4.42
20.	उड़ीसा	31.66	31.66
21.	पंजाब	52.92	52.92
22.	राजस्थान	132.45	132.45
23.	सिक्किम	2.15	2.07
24.	तमिलनाडु	100.00	68.84
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	159.34	159.34
27.	उत्तराखंड	19.07	14.02
28.	पश्चिम बंगाल	53.65	35.70
	उप जोड़	1510.77	1312.19
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.90	0.50
30.	चंडीगढ़	2.28	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.10	0.00
32.	दमन और दीव	0.79	0.00
33.	दिल्ली	44.69	9.50
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.00
35.	पांडिचेरी	3.67	0.00
	उप जोड़	54.55	10.00
	जोड़	1565.32	1322.19

प्रदूषित भूजल का प्रभाव

4325. श्री एस.के. खारवेलप्रभु:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री रेवती रमण सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि देश के कम से कम एक तिहाई जिलों में भूजल को दूषित किया है जिससे मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भूजल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) केंद्रीय भूजल बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जो यह सूचित करे कि देश के कम से कम एक-तिहाई जिलों में प्रदूषित भूजल है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के आब्जर्वेशन कुओं के नेटवर्क से एकत्र किए गए भूजल नमूनों के विश्लेषित परिणाम यह दर्शाते हैं कि देश के मुख्य भागों में भूजल पीने योग्य है और यह घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि कार्यों के लिए भी अनुकूल है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इराक के लिए उत्प्रवास स्वीकृति का रद्द किया जाना

4326. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों की उत्प्रवास स्वीकृति को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुवैत में भारतीय कामगारों तथा चालकों की सेवाओं को इराक की यात्रा पर प्रतिबंध के कारण उनकी कुवैती कंपनियों ने समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मुद्दे को कुवैत की सरकार के साथ उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) इराक में बिगड़ते सुरक्षा हालातों को देखते हुए इराक जाने वाले भारतीय नागरिकों को उत्प्रवास स्वीकृति 15 अप्रैल, 2004 से रोक दी गयी है। चूंकि इराक में सुरक्षा हालात अभी भी खराब हैं, इसलिए उपर्युक्त निर्देश अभी भी लागू है।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसे घटनाक्रमों की जानकारी नहीं है कि इराक जाने पर लगी रोक के कारण कुवैत गए भारतीय कामगारों और चालकों की सेवाएं उनकी कुवैती कंपनियों द्वारा समाप्त कर दी गयी हैं। उपर्युक्त रोक को देखते हुए कुवैत स्थित भारतीय राजदूतावास ने विगत में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कुवैत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे इराक की यात्रा न करें। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों को नियोजित करने वाली कुवैत स्थित सभी कंपनियों से कहा गया है कि अपने श्रम ठेके भारतीय राजदूतावास से सत्यापित कराएं और यह वचन दें कि उनके द्वारा नियोजित भारतीय नागरिकों को इराक में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(घ) और (ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

खेल प्राधिकरण और प्रशिक्षक

4327. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खेल प्राधिकरणों और प्रशिक्षकों की राज्य-वार और खेल-वार संख्या कितनी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): भारत सरकार ने 1984 में केवल एक भारतीय खेल प्राधिकरण स्थापित किया है। "खेल" राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर इसके संवर्धन की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। भा.खे.प्रा. के पास विभिन्न खेल विधाओं में 1347 नियमित तथा 84 अनुबंध के आधार पर कोच हैं जिन्हें कि खेल स्कीमों के अंतर्गत देशभर में तैनात किया गया है। विभिन्न खेल विधाओं में नियुक्त नियमित व अनुबंधित कोचों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राज्य-वार एवं विधा-वार प्रशिक्षक-16.4.2008

क्र.सं.	राज्य	तीर	एथ	बैड	बाली	मुक्के	क्रिके	साइ	फुट	बिम	हैड	हाकी	जूडो	केके	एक्वे	लै	टेटे	वाली	भारो	कुस्ती	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1						3										1		5
2.	बिहार		3	1	1		2		9			2		3			1	8		1	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.	झारखंड		4	1	1	1			2	1	2	5		1				6			24
4.	उड़ीसा		8	1	4				5	2		2		3				2	2	2	31
5.	पश्चिम बंगाल	5	16	2	6	1	3		22	12	2	2	1	1	1	5	2	5	2		88
6.	असम		2	1	2	1	1		4	1	1			2		3	3	2			23
7.	अरुणाचल प्रदेश		1						1												2
8.	मेघालय	1	1							1							1				4
9.	सिक्किम					1			2							1					4
10.	त्रिपुरा		3	1	2				3	5	2		1			1		1	1		20
11.	मिजोरम					1			1			2								1	5
12.	मणिपुर	2	2	3	2	3		1	4	2	4	2	1	2			3	2	2	2	37
13.	नागालैंड		1			1			2												4
14.	दिल्ली		4	5	6	2	9	2	9	9	5	8	7	5	5	7	5	8	1	9	106
15.	मध्य प्रदेश	1	10	5	5	3	3		8	5		11	1	4		2	2	7	1	4	72
16.	उत्तर प्रदेश		8	5	6		3		5	4	4	12	1	3			2	5	3	3	64
17.	उत्तरांचल		6	3	1	1			7	1			1				5	3	2	1	31
18.	छत्तीसगढ़				2				2	1	1	2		3				2			13
19.	हरियाणा		10	3	5	11	6	1	5	6	7	9	4	6		3	5	7	7	8	103
20.	जम्मू-कश्मीर		1	2	3		2		3		2	4		3				3	1	1	25
21.	हिमाचल प्रदेश		5	4	4	1	3		5	1		9	1	4			1	7			45
22.	चंडीगढ़		3		2		1		2	2	1	4		2				3	1		21
23.	पंजाब		13		2	2	1		5	2	6	7	10	1			2	8	3	5	67
24.	एनआईएस पटि.		12	4	6	3	3	6	3	5	6	7	7	1	2	4	4	2	6	2	83
25.	तमिलनाडु		6	1	5	1	1		3			6		4	1		1	12	1		42
26.	आंध्र प्रदेश	1	11	3	5	2	1		8	5	6	9	1	8	1			10	4		75
27.	केरल		11	1	9	2	2	1	4	3	4	6	1	6		7		9	2	1	69
28.	कर्नाटक		14	2	5	1	1		7	4	2	11	1	8	3	4	2	11	3	3	82
29.	पांडिचेरी		1								1	1		2			1		1		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30.	राजस्थान		9	2	7	1	4		4	6	2	4		3		1	6	7	2	5	63
31.	गुजरात		5	4	1	1	4		1	2	6	2	1	2		2	1		1	1	34
32.	महाराष्ट्र	1	4	2	2	1	1		1	6	4	5	3	7		2	3	3		7	52
33.	गोवा		2				1		3			1	2	1		3		1			14
34.	दमन एवं दीव			1																	1
	कुल जोड़	11	177	57	94	41	52	11	143	86	68	133	44	85	13	45	50	134	47	56	1347

विवरण II

16.4.2008 तक अनुबंधित कोच (राज्य-वार एवं विधा-वार)

क्र.सं.	विधाएं	तीर	मुक्के	साइक	फेंसिंग	जिम	कराटे	क्याव-केनो	रोइंग	सेपाक	निशाने	साफ्ट बाल	तैराकी	ताइ-क्वांडो	कुश्ती	भारोत्तो-लन	वुशु	सिलम-बम	जूडो	योग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			1																	1
2.	झारखंड	1																			1
3.	उड़ीसा	1							1												2
4.	पश्चिम बंगाल	1	1																		2
5.	असम	2	2											2					1		7
6.	अरुणाचल प्रदेश		1				1							1							3
7.	मेघालय	1					1							1							3
8.	मिजोरम		1				1									1					3
9.	मणिपुर		2	1	1	1	1			1	1		1	3	1	1	2				16
10.	नागालैंड		1							1				1			1				4
11.	दिल्ली	1								1	3						1				6
12.	मध्य प्रदेश						1	1				1		2							5
13.	उत्तर प्रदेश							1		1	1										3
14.	पंजाब	1									1										2
15.	एनआईएस पटियाला		2		2						1						3			1	9
16.	तमिलनाडु													1				1			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17.	आंध्र प्रदेश		2											1							3
18.	केरल				1									3							4
19.	कर्नाटक		1									1		3							5
20.	महाराष्ट्र	1	1																		2
21.	गोवा		1																		1
	कुल जोड़	9	15	2	4	1	5	2	1	4	7	2	1	18	1	2	7	1	1	1	84

पाकिस्तान के साथ संबंधों की समीक्षा

4328. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल में सरकार परिवर्तन के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में कोई वार्ता हुई है अथवा विचारों का आदान-प्रदान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान की नई सरकार को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर बधायी दी है और पाकिस्तान के साथ शांति, मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों और सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से बातचीत के माध्यम से हल करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी है।

(ग) और (घ) इस बात पर सहमति हुई है कि विदेश मंत्री समग्र वार्ता के चौथे दौर की समीक्षा करने के लिए 21 मई, 2008 को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री की यात्रा के पूर्व विदेश सचिव, 20 मई, 2008 को वहां जाएंगे।

(ङ) वर्ष 2004 में समग्र वार्ता शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4329. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान प्रत्याशित निवेश की तुलना में किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनिवासी भारतीयों के लिए और अधिक निवेश करना आसान बनाने हेतु विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं में किसी परिवर्तन का सुझाव दिया गया/परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) 2007-08 के दौरान (फरवरी, 2008 तक) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह (जिसमें अप्रवासी भारतीय निवेश शामिल है) 20.1 बिलियन अमरीकी डालर है (संलग्न विवरण में क्षेत्रीय कार्यालय-वार प्रवाह को दर्शाया गया है)। तथापि अप्रवासी भारतीय निवेशों के बारे में केन्द्रीय तौर पर अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसमें अप्रवासी भारतीयों से निवेश शामिल हैं, के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसमें स्वत: नियोजन के अंतर्गत प्रत्यक्ष निवेश के लिए अधिकांश क्षेत्र खुले हैं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक संपदा और आवास तथा घरेलू विमान सेवा क्षेत्रों में अप्रवासी भारतीय निवेशों के लिए नीति में विशेष प्रावधान है।

वास्तविक संपदा और आवास के क्षेत्र में प्रेस नोट 4 (2006) के अनुसार, अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रेस नोट 2 (2005) में यथाउल्लिखित न्यूनतम पूंजीकरण, न्यूनतम क्षेत्र विकास आदि की शर्तों से छूट है। प्रेस नोट 4 (2008) (जिसकी प्रति डीआईपीपी की वेब साइट पर उपलब्ध है) के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों के लिए स्वत: नियोजन पर अप्रवासी भारतीय निवेश की 100 प्रतिशत तक की अनुमति है:

(1) अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं/घरेलू अनुसूचित यात्री विमान सेवा।

(2) गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं/गैर-अनुसूचित विमान सेवाएं, चार्टर्ड विमान सेवाएं और कारगो विमान सेवाएं।

(3) क्षेत्रीय नियमों और सुरक्षा स्वीकृतियों के आधार पर बड़ी रख-रखाव सेवाएं।

विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाने वाला ब्यौरा

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य		
1	2	3	4	5
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	990.71	4.92
2.	गुवाहाटी	असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैण्ड त्रिपुरा	2.73	0.01
3.	अहमदाबाद	गुजरात	1020.32	5.07
4.	बैंगलोर	कर्नाटक	1561.54	7.75
5.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	34.35	0.17
6.	भोपाल	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	37.79	0.19
7.	मुम्बई	महाराष्ट्र दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव	7902.52	39.24
8.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	7.47	0.04
9.	जयपुर	राजस्थान	23.12	0.11
10.	चेन्नई	तमिलनाडु पाण्डिचेरी	538.05	2.67

1	2	3	4	5
11.	कानपुर	उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड	3.53	0.02
12.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल सिक्कीम अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	450.50	2.24
13.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश	42.16	0.21
14.	नई दिल्ली	दिल्ली, उ.प्र. एवं हरियाणा के भाग	3133.82	15.56
15.	पणजी	गोवा	43.06	0.21
16.	दर्शाया नहीं गया क्षेत्र		4345.67	21.58
		उप योग	20137.36	
17.	बढ़ा स्टॉक		0.17	0.00
		कुल योग	20137.53	

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) की व्यय न की गई धनराशि

4330. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय न की गई संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) की धनराशि काफी समय से एकत्रित हो गई है;

(ख) इसके एकत्रित होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने व्यय न की धनराशि को समयबद्ध रूप से कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लोक निर्माण विभाग पर और जिला परिषदों के सिविल विंग पर काम के बोझ को विकेन्द्रीकृत करने हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) निधि से होने वाले कार्यों को करने हेतु पृथक तकनीकी विंग स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) अखिल भारतीय स्तर पर सां.स्था.क्षे.वि. योजना निधि का अव्ययित शेष, जैसा जिलों से प्राप्त 31.3.2008 तक की मासिक प्रगति रिपोर्टों से संकलित किया गया है, 2136.63 करोड़ रु. है।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत व्यय करना (इस प्रकार अव्ययित शेष को कम करना) तथा साथ ही साथ निधि जारी करना, समूचे वर्ष निरन्तर चलता रहता है। सां.स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50 लाख रु. से कम अस्वीकृत शेष तथा 1 करोड़ रु. से कम अव्ययित शेष को दर्शाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र और पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व वर्ष का लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर निधि की दूसरी किस्त तथा तत्पश्चात् उत्तरवर्ती पहली किस्त, यदि देय हो, जारी की जाती है। अतः, योजना की प्रकृति और गतिशीलता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निधि अलग-अलग समय पर अलग-अलग निर्वाचन

क्षेत्रों और राज्य सभा सांसदों को जारी की जाती है, अव्ययित शेष का, जिसमें निधि पर प्रोद्भूत ब्याज की काफी बड़ी राशि भी शामिल होती है, किसी भी समय होना लाजमी है। इसके अलावा, जैसा जारी निधि के मामले में होता है, अव्ययित शेष भी अव्ययगत होता है।

(ग) 1 करोड़ रुपए से कम का अव्ययित शेष होने पर ही निधि जारी करने का मानदंड शुरू किए जाने एवं केंद्र, राज्य एवं जिला स्तरों पर परिणामोन्मुखी समीक्षाओं जैसी प्रो-एक्टिव नीतियों के कारण 2004-05 से अव्ययित शेष में उल्लेखनीय कमी आई है। अव्ययित शेष, जो 31.3.2004 को 2404.26 करोड़ रुपए था, अब 31.3.2008 को 2136.63 करोड़ रुपए हो गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पारद प्रदूषण

4331. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में पर्यावरणीय पारद प्रदूषण के प्रति जागरूकता का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु स्वीकृत परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा 'एम्स' के निष्कर्षों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में पर्यादरणीय पारद प्रदूषण के प्रति जागरूकता का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु एक परियोजना स्वीकृत की है। यह अध्ययन एम्स द्वारा किया जाना अभी बाकी है।

उपचार का स्वीकृत प्रणाली के रूप में अक्युपंक्चर

4332. श्री प्रहलाद जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अक्युपंक्चर थेरेपी को सरकारी अस्पतालों में उपचार की एक स्वीकृत प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या अधिसूचना जारी की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि उपचार विधि के रूप में अर्हता प्राप्त एक्युपंक्चर और हाइप्रोथेरेपी को पंजीकृत चिकित्सकों अथवा समुचित ढंग से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रयोग किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि जिन्हें उपचार विधि के तौर पर माना जाता है, उन्हें उपचार विधियों, चाहे आधुनिक चिकित्सा हो अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति हो, में प्रयोग करने के लिए पंजीकृत चिकित्सकों हेतु सर्टीफिकेट कोर्स के रूप में चलाया जा सकता है।

समिति की उपरोक्त सिफारिशें पालनार्थ सभी राज्य सरकारों/संघ सरकारों के ध्यान में ला दी गई थी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 25.11.2003 की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संख्या आर. 14015/25/96-यू एंड एच(आर) (भाग)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(अनुसंधान डेस्क)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 25 नवंबर, 2003

आदेश

इलेक्ट्रोपेथी/इलेक्ट्रोहोम्योपेथी सहित वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों को मान्यता प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। इस प्रक्रिया में सरकार ने सीडब्ल्यूपी संख्या 4015/96 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.1998

के आदेशों और कार्यालय ज्ञापन संख्या 8468/97 पर विचार किया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय/राज्य सरकारों को इस आशय का निर्देश दिया कि विभिन्न गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विद्यमान और नए संस्थानों आदि को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विधान बनाने पर विचार करें और साथ ही मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष प्रतिवादियों और इसी प्रकार के ऐसे अन्य संस्थानों के बारे में जो कि सरकार से मान्यताप्राप्त नहीं हैं और किन्हीं अन्य परिषदों के साथ संबद्ध हैं, इसका व्यापक प्रचार करें।

2. सरकार ने इस विषय पर विचार करने और सरकार को वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों की कार्यक्षमताओं/गुणावगुणों पर सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए और साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा सुझाए गए अनुसार कानून को बनाए जाने की संभाव्यता की जांच करने के प्रयोजन से महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की स्थाई समिति का गठन किया और इसमें चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों को शामिल किया गया।

3. इस समिति ने चिकित्सा की नई प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए अनिवार्य और उपयुक्त मानदंड बनाया और वैकल्पिक विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों नामतः आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्यापेथी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, इलेक्ट्रोपेथी/ इलेक्ट्रोहोम्योपेथी, एक्युपंक्चर, मेगनोथिरेपी, रीकी, रिफलेक्सोलोजी, यूरीन थिरेपी/ऑटोरीन थिरेपी हायप्नो थिरेपी आर्मोथिरेपी कलर थिरेपी, प्रानिक हीलिंग, जेम्स एंड स्टोन थिरेपी और संगीत चिकित्सा प्रणालियों का विश्लेषण किया।

4. समिति ने पहले से मान्यता प्राप्त परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों नामतः आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्यापेथी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा जो कि किसी चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा विकसित किए गए अनिवार्य एवं उपयुक्त मानदंडों को पूरा करने के योग्य पाया गया था, को छोड़कर किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की। तथापि, समिति ने एक्युपंक्चर और हायपोथिरेपी जैसी कुछ चिकित्सा प्रणालियों को जो कि चिकित्सा को एक माध्यम के रूप में योग्यता प्राप्त हैं, को पंजीकृत प्रैक्टिशनरों या उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किए जाने की अनुमति देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी समस्त चिकित्सा प्रणालियों जो कि पृथक चिकित्सा प्रणालियों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, को पूर्णकालिक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाए तथा "चिकित्सक" की अभिव्यक्ति का प्रयोग केवल भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा प्रणालियों के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही प्रयुक्त किया जाए। चिकित्सा के माध्यम के रूप में विचार की जाने वाली चिकित्सा प्रणाली को भले ही वह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली या भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी ही क्यों नहीं हो, में इन चिकित्सा माध्यम को अपनाने के लिए पंजीकृत प्रेक्टिशनरों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

समिति की विभिन्न सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद सरकार ने समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तदनुसार यह अनुरोध है कि राज्य/संघ क्षेत्रों की सरकारें, सरकार के इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इसके अतिरिक्त वे यह भी सुनिश्चित करें कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संस्थान चिकित्सा प्रणाली में कोई ऐसी डिग्री/डिप्लोमा प्रदान न करें जो मान्यता के लिए अनुशंसित न की गई हो और 'डाक्टर' शब्द मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक ही प्रयोग करें।

यह सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(भवानी त्यागराजन)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. समस्त राज्यों/संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिव।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
3. भारतीय दंत परिषद, भारतीय उपचर्या परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद।
4. सचिव, आईएसएम एवं होमियोपैथी विभाग।
5. सीसीआईएम, सीसीएच, सीसीआरएएस, सीसीआरवाईएन, सीसीआरएच, सीसीआईयूएम।

एशिया में एचआईवी मामलों में वृद्धि

4333. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री नन्द किशोर साय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया में लगभग 8 मिलियन लोगों के एचआईवी से ग्रसित होने की आशंका है जैसाकि दिनांक 28 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) एशिया में एड्स संबंधी आयोग ने अनुमान लगाया है कि एशिया में भारत सहित 23 देशों में इस समय लगभग 5 मिलियन लोग एड्स से ग्रस्त हैं। यदि व्यापक रोकथामी प्रयास आरम्भ नहीं किए गए तो 2020 तक यह एचआईवी व्याप्तता दर 10 मिलियन तक पहुंच सकती है। एशिया में एड्स संबंधी आयोग ने निवारक कार्यनीतियां एवं परिचर्या और सहायता सेवाएं सुझाई हैं। इन कार्यनीतियों को इस समय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-III के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन

4334. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 में नई दिल्ली में चौथा भारत स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार द्वारा शिखर सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। 13-14 नवम्बर, 2007 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या संघ के साथ मिल कर चौथा भारतीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया जिनमें स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा मूल्य यात्रा, सार्वजनिक-निजी साझीदारी, गुणवत्ता प्रत्यायन, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और जनशक्ति प्रशिक्षण शामिल थे।

सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गई:-

* अस्पताली परियोजनाओं को आधारभूत दर्जे के रूप में निर्धारित अन्य क्षेत्रों के बराबर माना जाए और आयकर अधिनियम की धारा 80झ के अन्तर्गत कर छूट (टैक्स होलीडे) को नये अस्पताल परियोजनाओं पर उनकी स्थानीय स्थिति पर गौर किए बगैर लागू किया जाना चाहिए।

* मौजूदा अस्पतालों को भी कतिपय कार्यों के उन्नयन अथवा उन्हें शामिल करने का लाभ दिया जाना चाहिए। कटौती की समय-सीमा उन्नयन पूरा होने के वर्ष से लगभग 5 वर्ष तक होनी चाहिए ताकि अस्पताल आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपना सकें और उपचार गुणवत्ता स्तर में सुधार कर सकें।

* धारा 10(23ग) जो अभी लाभ न कमाने वाले संगठनों पर लागू होती है, के लाभ कमाने वाले स्वास्थ्य परिचर्या उद्यमों पर भी लागू किए जाने चाहिए।

* स्वास्थ्य परिचर्या में नए निवेशों को आकर्षित करने और मौजूदा कार्यकताओं को कार्य करने की अनुमति के लिए अस्पतालों को धारा 35घ के अंनर्गत कतिपय प्रारम्भिक खर्चों का भुगतान करना।

* निवेशों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए धारा 72क के अंतर्गत संचित हानियों की क्षतिपूर्ति अथवा अग्रणीत करने को उन कम्पनियों पर भी लागू करना चाहिए जो अस्पताल चलाती है अथवा उनके अपने अस्पताल होते हैं।

* भारत सरकार को भारतीय चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता हेतु व्यापक कवरेज सहित और देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते करने चाहिए।

* चिकित्सा मूल यात्रा के रोगियों की सुविधा के लिए बड़े व्यवसायी अस्पतालों में भी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय खोले जाने चाहिए।

* संगठित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के निजी एम्बुलेंसों को हवाई जहाज से सीधे रोगियों को लेने की अनुमति होनी चाहिए।

* देशी चिकित्सा उपकरण/यंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।

* साफ्टवेयर निर्यात की तर्ज पर स्वास्थ्य परिचर्या परामर्श के लिए लाभों का विस्तार।

* चिकित्सा उपकरण (जीवन रक्षक उपकरणों के अलावा पूंजीगत गहनता) समेत अस्पताल की अचल परिसम्पत्तियों के लिए मूल्य ह्रास दरों में संशोधन।

* अस्पताल में प्रयोग किए जाने वाले उपभोज्यों की खरीद पर अस्पतालों को बिक्री कर के भुगतान से छूट।

* 5 लाख मूल्य से अधिक के सहायक पुर्जों (स्पेयर पार्ट) को बदलने समेत चिकित्सा उपकरणों पर उत्पादन एवं सीमा शुल्क दरों में कटौती।

* स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित को कतिपय आयकर लाभ देने की सिफारिश भी की गयी:-

* स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य घ.आ.घ.थ., 80 घ.घ.घ. के अंतर्गत;

* चिकित्सा यंत्र लगवाने वाले और उपचारी प्रक्रियाओं से गुजरने वाले रोगी;

* निवारक स्वास्थ्य जांचों को प्रोत्साहन। प्रति परिवार को 10 हजार रुपये तक कर योग्य राशि में से कटौती के रूप में उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

सरकार ने इन सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान दिया है और जहां तक संभव हो सका मौजूदा वर्ष के बजट में इनका पूरी तरह समाधान किया है।

अधिकारियों को पैनलबद्ध करने के लिए कार्यकारी अनुदेश

4335. श्री तापिर गाव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव के स्तर के अधिकारियों को पैनलबद्ध करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं तथा अन्य दो अखिल भारतीय सेवाओं के बीच दो वर्ष का अंतर रखने के लिए कार्यकारी अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या ऐसा अंतर ऐसे मामलों में और भी ज्यादा है जहां 1988-89 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पहले से ही संयुक्त सचिव के रूप में पैनलबद्ध हैं जबकि 1982-83 बैच के अन्य सेवाओं से संबंधित अधिकारी अभी भी पैनलबद्ध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस तरह की विसंगतियां दूर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा एक ऐसी अग्रणी सिविल सेवा मानी जाती है जो प्रति वर्ष सिविल सेवा परीक्षा देने वालों में से सर्वोत्तम उम्मीदवारों को निरंतर आकर्षित कर रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निचले स्तर से शुरू करते हुए जिला, राज्य से केन्द्र सरकार के स्तर तक विभिन्न प्रकार के अनेक पदों पर कार्य करते हैं। उनके कार्य अनुभवों में, हमारी राजव्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक पहलु शामिल होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की यह अनूठी विशेषता केन्द्रीय सरकार में उच्चतर स्तर की नियुक्तियों के लिए उन्हें अन्य केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं की तुलना में अधिक पात्र बनाती है।

(ग) हालांकि, अनुदेशों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य समूह 'क' सेवा के अधिकारियों के बीच दो वर्ष के अंतर की व्यवस्था है, किन्तु कभी-कभी यह वास्तविक अंतर विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए और अधिक भी हो सकता है। इन कारकों में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से सभी दृष्टियों से पूर्ण प्रस्ताव अथवा अधिकारियों के नाम प्राप्त होने में विलम्ब होना शामिल है।

(घ) कुछ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा एक से अधिक बैच के अधिकारियों के संबंध में योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार सभी पहलुओं से पूर्ण प्रस्ताव भिजवाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के प्रावधानों की तर्ज पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और ऐसी सेवाओं के बीच अंतर कम होने की उम्मीद है।

(ङ) संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा पिछले बकाया बैचों का एमपैनलमेन्ट कर देने से केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के प्रावधानों की तर्ज पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाओं के बीच अंतर समाप्त होने की उम्मीद है।

अंग प्रतिरोपण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रशिक्षण

4336. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंग प्रतिरोपण के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने तथा इस संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन एक निरन्तर प्रक्रिया है। भारत में प्रमुख अंगों के प्रत्यारोपण हेतु सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं तथापि, देश में ऐसी सुविधाएं चुनीन्दा अतिविशेषज्ञता वाले अस्पतालों में दी जाती हैं।

विकिरण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं

4337. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली यूरेनियम खानों से निकलने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट से झारखण्ड से जादुगुडा खानों में कार्य करने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ा है तथा विकिरण से जुड़ी गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लोगों में किस प्रकार की कमी/रोग देखे गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है;

(घ) क्या यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) अपनी खानों से निकले परमाणु अपशिष्ट खुले मैदानों में डाल रहा है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। खानों से निकले नाभिकीय अपशिष्ट-पदार्थों का निपटान भली-भांति निर्मित पछोड़न कुण्डों में किया जाता है। नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सख्ती से किया जाता है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-8594/08]

(3) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-8595/08]

(5) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एलटी-8596/08]

(7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एलटी-8597/08]

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एलटी-8598/08]

(11) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एलटी-8599/08]

(13) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2008 जो 28 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एलटी-8600/08]

(14) (एक) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एलटी-8601/08]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235(अ) जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-8602/08]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-8603/08]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-8604/08]

अपराह्न 12.02¼ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 अप्रैल, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

36वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

30वां और 31वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:

(1) "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

और उनके नियोजन'' के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ''वित्तीय सहायता का प्रावधान और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक कारीगरों का संरक्षण'' के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

19वां और 20वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(2) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009)' के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

208वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): महोदय, मैं युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 208वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद) मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री एन. जोती, सदस्य, राज्य सभा के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक सदस्य निर्वाचित करे तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री एन. जोती, सदस्य, राज्य सभा के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक सदस्य निर्वाचित करे तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उपनियम 2 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है के स्थान पर राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उपनियम 2 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है के स्थान पर राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम महत्वपूर्ण मामलों पर आते हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो रोष आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, उससे कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है। इस बारे में बहुत से सासंद आपके माध्यम से सरकार को बता भी रहे हैं। टेलीकॉम सर्विस में आईटीएस कैडर की समस्याओं को मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ी एनोमली हो रही है। सिक्स्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन के पैरा 7.64 में कहा गया है कि-

[अनुवाद]

''अत:, इस विभाग में एक पृथक दूरसंचार आयोग बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस विभाग को बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करनी चाहिए।''

[हिन्दी]

इसमें आगे लिखा है कि-

[अनुवाद]

''सरकार को यह सेवा बंद कर देनी चाहिए। इस सेवा के सभी मौजूदा अधिकारियों को या तो बीएसएनएल, एमटीएनएल में शामिल कर दिया जाना चाहिए या अतिरिक्त पूल में भेज देना चाहिए।''

[हिन्दी]

इस आईटीएस के 'ए' क्लास सर्विस को सरप्लस पूल में भेजने के लिए रिकमेंडेशन की गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि किस बेसिस पर रिकमंड किया गया कि इसको सरप्लस पूल में भेज दिया जाये? जबकि आईटीएस आफिसर्स बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होल्ड करते हैं जिसमें विजिलेंस, टेलीकॉम मॉनीटरिंग और अदर पालिसी मेकिंग इश्यूज भी गवर्नमैंट के साथ हैं। इन सबके बाद इस आईटीएस सर्विस को इस रूप में भेज देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर गंभीरता से सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे

अफिसर्स हमसे अलग हो जायेंगे जिनकी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हमें मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से और अधिक न बोलते हुए, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस पर धीरे-धीरे ऐजीटेशन और रोष आईटीएस क्लास वन सर्विस के आफिसर्स कर रहे हैं जबकि जिम्मेदारी के पद, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे पद हैं जिन पर सारा विभाग टिका हुआ है। यदि इन्हें प्राइवेट सैक्टर में भेजा जायेगा, तो वह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह बहुत ही सिक्योरिटी वाली पोस्ट्स हैं और सारी मानीटरिंग इनके द्वारा की जाती हैं। मैं आपके माध्यम द्वारा मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस रिकमेंडेशन को टोटली रिमूव किया जाये। अगर वास्तव में आईटीएस आफिसर्स को ऑब्जर्व करने की बात है, तो डीओटी, बीटीएम, टेलीकॉम सैक्टर में या राज्य सरकारों में जहां कहीं इसकी आवश्यकता है वहां इसे दिया जाये क्योंकि यह सैक्टर बहुत बड़ी ग्रोथ में जा रहा है। अगर उस ग्रोथ में इन अधिकारियों की सेवाएं न ली जायेंगी, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यावधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। हम हर ऑनरेबल मैम्बर को बोलने का मौका देने की कोशिश करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, पूरा जिला जल गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। इनका भी बहुत अहम मुद्दा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं हर किसी को समय देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप मुझे सहयोग करेंगे तो मैं हर किसी को अवसर देने का प्रयास करूंगा। इसलिए कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा बीड़ी श्रमिकों के लिए वर्ष 1976 में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम बनाया गया था। इस निधि के अंतर्गत भारत सरकार से श्रम मंत्रालय द्वारा बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कई योजनाएं दी गयी थीं। लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वैस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत वर्ष में 43 लाख से ज्यादा बड़ी तादाद में बीड़ी मजदूर इस पर निर्भर है। उनके लिए ऐसी कोई स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरे क्षेत्र में 40,000 से अधिक बीड़ी मजदूर हैं जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनका काम ऐसा है कि ये लोग स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो हमारी बीड़ी मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दें।

अध्यक्ष महोदय: आपने मामले को उठाया है। सवाल मुद्दा उठाने का है?

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, वे लोग रोजाना हजार बीड़ी बनाते हैं, पर उनको 40 रुपए मिलते हैं, उनकी मांग है कि इसके लिए उनको 90 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वह उनको नसीब नहीं होता है। उनके स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र में रहते हुए, इनके बीड़ी बनाने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कुछ लोगों पर ट्युबरकुलोसिस का अटैक होता है, कुछ लोग दमा के मरीज हो जाते हैं और कुछ लोगों के हाथ गल जाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड जैसा कुछ भी नहीं है। मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इनके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड में 25,000 रुपए का क्रेडिट बने जिससे पूरे देश में उनका इलाज हो सके। अगर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है तो एक लाख रुपए और नेचुरल डेथ होने पर 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था अगर की जाए तो ऐसे लोगों का और उनके परिवार का कल्याण हो सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हाथ उठाने से मौका नहीं मिलेगा। मेरे पास सभी के नाम हैं, इसे देखकर ही सभी को बुलाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, हम कुछ समय से यह देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर यह दबाव बना रहा है कि भारत ईरान के साथ किस प्रकार अपने द्विपक्षीय संबंध को बनाए रखे। यह भारत पर ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है और नवीनतम घटना अमेरिकी मंत्री (डिप्टी सीक्रेटरी) द्वारा की गई घृष्टतापूर्ण और आक्रामक टिप्पणी है कि ईरानी राष्ट्रपति के आगामी दौरे के दौरान, जिस पर भारतीय प्रवक्ता ने आपत्ति प्रकट की है और नि:संदेह करारा जवाब दिया है, भारत को ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को किस तरह बनाए रखना चाहिए और ईरानी राष्ट्रपति के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए।

[श्री रूपचंद पाल]

अध्यक्ष महोदय: इस बात की अनदेखी की गई है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, यह हमारी संप्रभु स्थिति और हमारे संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन है। अत:, महोदय हम अमेरिकी मंत्री (डिप्टी सीक्रेटरी) के रवैये की भर्त्सना करते हुए सभा पटल पर एक सुनिश्चित वक्तव्य चाहते हैं। जो उनके वक्तव्य में उजागर हुआ है। जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर की योजना है, वह बहुत निकम्मी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह एक केन्द्र का मामला है या राज्य का मामला है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: यह दिल्ली सरकार की एक परियोजना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसका वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति प्रदान कर रहा हूं क्योंकि संसद सदस्य भी प्रभावित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपकी जानकारी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इसकी वजह से लाखों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। वहां पर घंटों ट्रैफिक रुका रहता है। अब तक इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इससे किसी को फायदा नहीं पहुंचा है। अब तक इससे 10 आदमी मारे गए हैं और कई अनेक घायल हुए हैं। इस पूरी योजना पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रखा गया है। इस योजना से नुकसान ही नुकसान है। अगर किसी को इससे फायदा है तो वह केवल बड़े ठेकेदारों को ही है। जो लोग उसमें से सड़क पार करना चाहें, वे सड़क पार नहीं कर सकते हैं, बस में से उतरकर सवारी बाहर नहीं जा सकती है। इस समय 11,000 पेड़ इसके लिए काटे गए हैं। इस योजना का जो ट्रायल हुआ, उससे इतनी ज्यादा केओटिक सिचुएशन बनी कि वहां लोग शुरू से ही मुखालफत कर रहे थे। इस योजना पर चूंकि 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, इसलिए इस योजना को चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह योजना पूरी तरह अव्यावहारिक है और दिल्ली के लोगों के खिलाफ है इसलिए इसे तुरंत बंद किया जाए। इसके साथ ही इस योजना पर जो 2000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसके लिए जिसने भी यह अपराध किया है उसे दंडित किया जाए और इस योजना को बंद किया जाए।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कोलकाता-उत्तर पूर्व): मैं इससे संबद्ध होना चाहता हूं क्योंकि संसद को यह जानना चाहिए,

[हिन्दी]

हमारे कुछ अधिकारी कोलम्बिया के बलोटा शहर में गए थे। वहां यह बीआरटी कारिडोर योजना बहुत अच्छी चलती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे दुख है कि मैंने आपको अनुमति नहीं प्रदान की है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: इसलिए यहां भी ऐसा करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप और सावधान रहें, क्योंकि आप स्थायी समिति के सभापति हैं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का एक अहम् मुद्दा है इसलिए मुझे भी बोलने का मौका दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपका विषय राज्य से संबंधित है, उसमें केंद्र सरकार के लिए कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

खेद है कि किसी तरह का कोई भी मामला यहां नहीं उठाया जा सकता।

[हिन्दी]

मैंने आपका नोटिस देखा है, उसमें बताया गया है कि किसी गांव में आग लगी है। यह दु:ख की बात है, लेकिन इसका केन्द्र सरकार से कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, देश में कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न धड़ल्ले से हो रहा है। कामकाजी महिलाएं, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में चुपचाप सह लेती हैं तथा अपनी नौकरी जाने के डर से अन्याय का शिकार होती हैं। कुछ स्थानों पर उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय है। कामकाजी महिलाओं के प्रति हो रहे इस अन्याय को तत्काल रोकने की आवश्यकता है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कामकाजी महिलाओं को कार्य-स्थलों पर, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने हेतु यथासंभव शीघ्र संसद में एक विधेयक लाएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण मसले पर बोलने की इजाजत दी है। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नवदोय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मी लगभग 18 घंटे रोजाना परिश्रम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें दूसरे केन्द्रीय कर्मियों के मुकाबले कम सुविधाएं मिल रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और सुविधाओं में काफी अंतर है। नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को उच्चतम वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्हें पेंशन, ग्रेचुएटी, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता, आवास भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। ये लोग 18 घंटे काम करते हैं, जबकि केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापक दिन में छ: घंटे काम करते हैं और उन्हें ये सब सुविधाएं मिलती हैं। यह दोहरा मापदंड कैसे चलेगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं चलना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव: उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनके साथ न्याय करना चाहिए और सरकार को इस संबंध में न्यायोचित कदम उठाना चाहिए। मैं मानव संसाधन मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह जो गैर बराबरी है, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों में, उसे दूर करना चाहिए। नवोदय विद्यालय के शिक्षकों के पेंशन भी नहीं मिलती है, तो कहां से काम होगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अब समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव: अभी पूरी बात नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस 'समय' को समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: ये लोग रविवार के दिन यानी छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, जबकि हम सब लोग उस दिन अपने-अपने घरों में रहते हैं। ये लोग वहीं रहते हैं इसलिए उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। आप तो भाग जाते हैं।

श्री राम कृपाल यादव: आप तो सबके संरक्षणकर्ता हैं। जब भी न्याय की बात आती है, तो आप उसे स्वीकार करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले में मानव संसाधन मंत्री जी को निर्देश दें कि वह इस गैर बराबरी को दूर करें। नवोदय विद्यायल के शिक्षकों को भी वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को मिलती हैं और उन्हें भी उचित वेतनमान देने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं पुन: शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उस संबंध में तुरंत उचित कदम उठाकर उन्हें सही वेतन और अन्य सुविधाएं देकर उनका उत्साहवर्धन करें।

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, यह जनजातीय अधिकारों को मान्यता प्रदान किए

[श्री कीरेन रिजीजू]

जाने और बाउंड्री आयोग गठित किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित मामला है। इसलिए, मैं यह मामला उठा रहा हूं।

महोदय, आपके और मेरे बीच एक आम बात यह है कि हम दोनों का जन्म असम में हुआ। आज असम और अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत ही सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। कुछ अधिकारियों द्वारा हाल में पैदा किए गए तनाव ने वास्तव में, दोनों राज्यों के बीच मित्रता को चोट पहुंचाई हैं। दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल को असम सरकार के कुछ वन अधिकारी अरुणाचल के भूभाग में प्रवेश कर गए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: असम के बाहरी अधिकारियों का क्या अर्थ है?

श्री कीरेन रिजीजू: मैंने 'बाहरी अधिकारी' नहीं कहा बल्कि मैंने 'वन अधिकारी' कहा।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा कि आपने 'बाहरी अधिकारी' कहा।

श्री कीरेन रिजीजू: उन्होंने कुछ जनजातीय लोगों के घरों पर छापे मारे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल इसका उल्लेख करें। आपको इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कीरेन रिजीजू: आप कहते हैं कि वर्ष 2002 के पश्चात् आप उन्हें बेदखल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसका उल्लंघन किया है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी दौरान, असम और अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों, जहां सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है, में गोलीबारी हुई थी। मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं। कुछ राजनीतिक तत्व और अधिकारी दोषी हैं। मैं गृह मंत्रालय और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जिन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस, अब आप केवल एक मामला उठा सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, केन्द्रीय सरकार मैरिटाइम युनिवर्सिटी स्थापित करने का विचार रखती है। महोदय, संसदीय समिति ने भी सिफारिश की है कि हमारे देश में कुछ बड़े पत्तनों जैसे कि मुंबई, कोलकाता और विजाग, कोचीन—मैं समझता हूं कि एक-दो स्थान और हैं-में मैरिटाइम यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सकती है।

महोदय, कोचीन को सभी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। वास्तव में कोचीन पत्तन न्यास के पास काफी सारी जमीन है। अब वल्लारपदम सुपर टर्मिनल कंटेनर स्थापित किया जा रहा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोत कारखाना वहां पहले से ही है। पत्तन न्यास के पास काफी जमीन है और वहां पर सारी सुविधाएं हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मैरिटाइम युनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कोलकाता और चेन्नई जैसे अन्य पत्तनों के साथ-साथ कोचीन पत्तन के मामले पर भी यथाशीघ्र कार्रवाई करे और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य देगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सौभाग्यवश, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। हम भी अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री उड़ीसा राज्य से हैं। यह मामला बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में है, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

किसी राज्य में गरीबी उन्मूलन, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी नीति बनाने हेतु गरीबी का आकलन मुख्य आधार है। ऐसी पहली बीपीएल जनगणना 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बीपीएल जनगणना, 2002 करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था और फरवरी, 2006 में इसे खारिज कर दिया गया।

1992 में की गई बीपीएल जनगणना के दौरान उड़ीसा सरकार ने 41.104 लाख बीपीएल ग्रामीण परिवारों की पहचान की थी और बीपीएल जनगणना 1997 के दौरान 44.457 लाख बीपीएल ग्रामीण परिवारों की पहचान की गई थी। वास्तव में, बीपीएल जनगणना 1992 और बीपीएल जनगणना 1997 के लिए दिशानिर्देशों में औपचारिक सीमा निर्धारित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि बहुत से राज्यों ने योजना आयोग के गरीबी अनुमान के आंकड़ों की अवहेलना की। अत: उड़ीसा में बीपीएल परिवारों के समायोजित भाग और उनकी संख्या के मामले को योजना आयोग द्वारा अभी तक नहीं निपटाया गया है,

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि ग्यारहवीं योजना के आरंभ तक आगामी बीपीएल जनगणना को अंतिम रूप दिया जाए। अब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इतना लंबा वक्तव्य नहीं दे सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, 19 दिसम्बर, 2007 और 18 जनवरी, 2008 को सदस्य, योजना आयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों एवं उड़ीसा के मुख्य सचिव के बीच हुई बैठकों में इस मामले को निपटाया नहीं जा सका। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह समय इतना लंब वक्तव्य देने के लिए नहीं है। आपको विषय का उल्लेख करना है। मैं समझता हूं कि इस काल को समाप्त किया जाए। इस बारे में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, योजना आयोग के वर्ष 1999-2000 के गरीबी अनुपात के अनुसार, उड़ीसा के कुल ग्रामीण परिवारों में से 48.1 प्रतिशत परिवार बीपीएल श्रेणी के हैं। बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार उड़ीसा के 78,73,056 परिवारों के 48 प्रतिशत का तात्पर्य है कि 37.79 लाख बीपीएल परिवार होने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इतना लंबा वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। यहां पर सब कुछ है परंतु कुछ नियम और प्रक्रियाएं भी हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यदि अस्थायी गरीब परिवारों के लिए योजना आयोग के निर्माण के अनुसार, 10 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाती है तो उड़ीसा राज्य में बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 41.56 लाख परिवार होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: 2008 के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, उड़ीसा में 57 प्रतिशत लोग 12 रुपये से भी कम अपना दैनिक खर्च करते हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में सबसे अधिक गरीबी उड़ीसा में है।

अध्यक्ष महोदय: और नहीं, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इसका यह मतलब है कि बीपीएल परिवारों की संख्या 41.56 लाख है।

अध्यक्ष महोदय: अब भविष्य में मुझे एक विशिष्ट प्रकार के वक्तव्य के लिए कहना पड़ेगा। यह इस जैसा होना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अब सरकार उड़ीसा के मात्र 34,63,240 ग्रामीण परिवारों को बीपीएल परिवारों की श्रेणी में रख रही है जो कि स्वीकार्य नहीं है।

महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। ग्रामीण विकास मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अन्यथा, उड़ीसा राज्य बीपीएल परिवारों को मिलने वाले लाभों से वंचित रह जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। यह अनुचित है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, अन्यथा उड़ीसा इन लाभों से वंचित रह जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप पांच मिनट या दस मिनट तक बोलते ही रहेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, उड़ीसा देश का सबसे गरीब राज्य है ...*(व्यवधान)* 2008 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, उड़ीसा में 57 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. मनोज।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा उड़ीसा के लोग सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: तब, इससे अधिक क्या किया जा सकता है? तत्काल उत्तर की कोई संभावना नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह कर रहा हूं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[श्री विक्रम केशरी देव]

अध्यक्ष महोदय: संबद्ध होने का एक तरीका है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, भारत सरकार को इस मुद्दे को निपटाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अन्यथा, लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: आप इसका उल्लेख पहले ही उचित ढंग से और पुरजोर ढंग से कर चुके हैं।

माननीय सदस्यों, आपका विषय बहुत संक्षिप्त और मुद्दे के निकट होन चाहिए। अन्यथा मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। यहां लंबे भाषण नहीं हो सकते हैं।

हां, डा. मनोज।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान के लिए योजना आयोग ने कुछ दिशानिर्देश बनाए हैं। केवल यही नहीं, योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या संबंधी एक कट-आफ सीमा भी निर्धारित की है। इससे अनेक राज्यों में समस्या उत्पन्न हो गई है। केवल 12 राज्य सरकारों ने बीपीएल सर्वेक्षण किया है तथा शेष राज्य सरकारों ने न तो सर्वेक्षण किया है और न ही बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया है।

योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देश तथा मानदंड देश में मौजूद सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से संबंधित नहीं हैं। योजना आयोग किसी कट-आफ सीमा की सलाह कैसे दे सकता है कि किसी विशेष राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कट-आफ सीमा इतनी होनी चाहिए?

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि दिशानिर्देश तथा मानदंड ऐसे होने चाहिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान की समीक्षा की जा सके तथा योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय कट-आफ सीमा भी हटाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप उसे समाप्त करना चाहते हैं।

डा. के.एस. मनोज: जी हां, महोदय।

धन्यवाद महोदय।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह उत्तर दे सकते हैं।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, दोनों मंत्री यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। सभी मंत्रियों को यहां होना चाहिए। सभी लोग प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का तथा सरकार का ध्यान एक बहुत विनाशकारी स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जो उड़ीसा राज्य में उत्पन्न हो गई है।

पिछले लगभग 10 दिनों से, उड़ीसा में भीषण लू चल रहा है जिसके कारण 28 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने लू लगने से चार मौतों की पुष्टि की है, लगभग पांच लोगों के मृत्यु की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। शेष का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें लू का शिकार नहीं माना जा रहा है।

केन्द्र सरकार अभी भी लू को प्राकृतिक आपदा नहीं मान रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष से, चारों मृत व्यक्तियों के परिवारों को 10,000 रु. प्रति परिवार दिए गए हैं। लेकिन मेरी चिंता का विषय यह है कि केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और लू को एक प्राकृतिक आपदा स्वीकार करना चाहिए ताकि उन्हें अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रु. दिए जा सकें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह शीत लहर के लिए भी दिया जा सकता है।

श्री भर्तृहरि महताब: इस समय हम लू की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: गर्मियों में हम लू की बात ही करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यह कर्फ्यू जैसी स्थिति है, जो अब उड़ीसा के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में विद्यमान है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति दी।

श्री भर्तृहरि महताब: यही स्थिति राजधानी भुवनेश्वर, कटक, बेहरामपुर, सम्बलपुर, तितलागढ़, तलचेर तथा अन्य स्थानों में है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि लू को प्राकृतिक आपदा स्वीकार करें क्योंकि वित्त आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी, मैं आशा करता हूं कि सरकार के पास इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देने की गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदय: हां, यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में है। इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करता हूं। अखबारी कागज के दाम में भारी बढ़ोत्तरी के कारण देश में क्षेत्रीय तथा देसी बोली के लगभग सभी अखबार भारी संकट में है। इन अखबारों का अस्तित्व भारी संकट में है। मैं एक उदाहरण उद्धृत कर रहा हूं। केरल राज्य में, एक हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड है। केरल सरकार पल्प बनाने के लिए एक रुपया प्रति क्विंटल की दर पर बांस उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने पिछले 20 वर्षों से एक पैसा भी दाम नहीं बढ़ाया है।

अध्यक्ष महोदय: यही समस्या है। समस्या यह है कि आप सोचते हैं कि आप इस पर बहस शुरू कर सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: लेकिन एक वर्ष में, दो या तीन बार अखबारी कागज के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए, देश में देसी बोली के अखबार भारी खतरे में हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या होगा? लगभग सभी अखबारों में रक्षा बजट पर कल की बहस का कोई उल्लेख नहीं है। न्यूज प्रिंट लेकर क्या होगा?

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं देसी बोली के अखबारों जैसे कि देशअभिमानी और गणशक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अखबार के कागज के हाल ही में बढ़े दाम को वापस लेकर अथवा राजसहायता प्रदान करके इस प्रकार के अखबारों को अखबारी कागज देकर देश के देसी बोली के अखबारों की रक्षा करने के लिए आगे आए।

अध्यक्ष महोदय: यह काफी है। अन्य मुद्दे दिन के अंत में उठाए जाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी आपका मैटर नहीं आ सकता।

[अनुवाद]

आप इसे दिन के अंत में उठाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैं इसकी अनुमति नही दे सकता हूं। कृपया यह करने का प्रयत्न न करें। दबाव डालने का प्रयत्न न करें। श्री येरननायडु का एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि आप कभी भी सभा को परेशान कर सकते हैं। मुझे खेद है मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। कृपया एक बहुत ही माननीय सदस्य को बोलने दें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री येरननायडु को अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके भाषण का एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया दिन के अंत तक प्रतीक्षा करें। आप जानते हैं कि सभी पांच मामलों के लिए सहमत हैं। मैंने 12 मामलों की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप इसे बाद में कर सकते हैं। कृपया यहां उपस्थित रहने का कष्ट करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री काशीराम राणा के भाषण के अलावा एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका सैंट्रल मैटर नहीं है।

[अनुवाद]

यदि आप यहां है तो आप दिन के अंत में इसे उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उसे अनुमति दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको इस बहस में भाषण देना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह स्टेट असेम्बली नहीं है।

[अनुवाद]

मैं इसे स्टेट असेम्बली बनने नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: हम भारत सरकार से मदद चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। बहुत दुख की बात है कि गांव में आग लगी है। इसमें सैंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी?

श्री इलियास आजमी: हम भारत सरकार से मदद चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मदद दूसरे किसी माध्यम से मांगिए। चिट्ठी लिखिए। ऐसी बातें हाउस में नहीं उठायी जाती हैं। आप मुझे लेटर लिखिए। मैं केंद्र सरकार को भेज दूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.33 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचिबद्ध नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा गया समझा जाए।

(एक) देश में मधुमेह रोग पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): भारत में मधुमेह की घटनाएं महामारी के स्तर तक पहंच गई हैं। वर्ष 2003 में संग्रहित आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व के 35 करोड़ 50 लाख मधुमेह रोगियों में से 23 करोड़ मधुमेह रोगी भारत में हैं, अर्थात् प्रत्येक पांचवां भारतीय मधुमेह रोगी है। वैश्विक स्तर पर मधुमेह मौत का चौथा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है।

वर्ष 2005 में ग्लोबल मधुमेह औषधि उपचार बाजार का मूल्यांकन बिलियन डालर में किया गया था। लाइफस्टाइल के अतिरिक्त, लोगों के बीच समुचित जागरूकता की कमी भी मधुमेह की बढ़ती घटनाओं का कारण है। विश्व में 50 प्रतिशत मधुमेह रोगी अपनी स्वास्थ्य दशा के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। उनकी यह दशा इस बात की ओर संकेत करती है कि विकासशील देशों में संभवत: जेनेटिक प्रीडिस्पाजीशन के कारण वे सार्वजनिक प्रभावित होते हैं और निवारक जन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्षेत्रों की कमी और बच्चे विशेषकर मोटापे के कारण इसका शिकार हो जाते हैं।

मैं भारत सरकार से देश में इस बीमारी के फैलने को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) जिन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय हैं, उन केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत कोटे की सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु दो छात्रों के आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है, किंतु जिन माननीय सांसदों के क्षेत्रों में एक से ज्यादा केन्द्रीय विद्यालय उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश में

---

*सभा पटल पर रखे गये।

पांच केन्द्रीय विद्यालय हैं। अत: सभी में प्रवेश दिलाने हेतु अभिभावकों के काफी दबावों एवं अनुरोध का सामना करना पड़ता है। सभी सांसदों को भी ऐसी ही कठिनाई का सामना करना होता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक विद्यालय होने पर सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक में 2-2 सीटों के आधार पर प्रवेश का स्थान सांसदों को दिलाने का सहयोग करें।

(तीन) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को उचित रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सूचना का अधिकार अधिनियम जुलाई, 2000 में पहली बार भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गया। इस कानून के अंतर्गत सूचना नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया है। इस कानून के अंतर्गत सभी सरकारी निकायों अथवा सरकार, वित्त पोषण एजेंसियों को एक जनसूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त करना पड़ेगा। पीआईओ की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होता है कि वह मांगी गई सूचना याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर और व्यक्ति की जिंदगी और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना के मामले में 48 घंटों के भीतर प्रकट करे।

मैंने इस मुद्दे को लोक सभा में 18.12.2006 को नियम 377 के अंतर्गत उठाया था लेकिन मुझे अभी भी सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन स्टोर्स) आपदा राहत, राजमार्गों के निर्माण, रक्षा खरीद, विमानपत्तनों के निर्माण, विशेष रूप से आदर्श गांवों और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) के अन्य गांवों में 100 दिन काम देने की योजना के क्रियान्वयन न होने से संबंधित कई उच्च स्तर के घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। यह कानून अधिक खुलेपन और जवाबदेही निर्धारित करने के प्रति भारत के अभियान में एक युगान्तकारी घटना साबित हुई है।

तथापि, सूचना के अधिकार की कुछ खामियां हैं कि यह क्रियान्वयन में बाधा डालता है। एक केंद्रीय पीआईओ के अभाव के कारण सूचना मांगने के लिए सही पीआईओ से सम्पर्क करने में कठिनाई होती है। महाराष्ट्र राज्य में यह अनुमान लगाया गया था कि महाराष्ट्र सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल 30 प्रतिशत अनुरोधों पर ही वास्तव में सूचना उपलब्ध कराई गई। कानून भी उस सूचना के प्रकटन को रोकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से संबंधित मामलों को प्रभावित करता है।

अत: मैं सरकार से निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) बीएसएनएल, केरल में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्डों के रूप में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में केवल पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सेवा निवृत्ति सैन्य अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ही सेवा सुरक्षा प्रदान करने और ऐसे सुरक्षा कार्यों के लिए 90 प्रतिशत से अन्यून पूर्व सैनिकों को भर्ती करने का आदेश देकर, पूर्व-सैनिकों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार यह आदेश दिया जाता रहा है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम इस कार्य को खुली निविदा के जरिए किसी भी पार्टी को नहीं सोचेगा और यह कि यह कार्य पीएसयू द्वारा 90 प्रतिशत पूर्व सैनिकों वाली डीजीआर प्रायोजित एजेंसी को ही दिया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के उक्त योजना पर आधारित कई निर्णय दिए और यह आदेश दिया कि ऐसे सुरक्षा कार्य विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने वाली डीजीआर प्रायोजित एजेंसियों को ही दिया जाएगा। किसी एजेंसी के लिए प्रारंभिक आवंटन अवधि दो साल है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अच्छा कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अन्य दो साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। किसी एजेंसी की आवंटन अवधि समाप्त हो जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को डीजीआर प्रायोजित अन्य एजेंसी का चयन करना चाहिए और उसे काम में लगाना चाहिए।

इन लाभकारी योजनाओं का बी.एस.एन.एल., केरल के प्राधिकारियों द्वारा झूठे आधार पर मौजूदा डीजीआर प्रायोजित एजेंसी को समाप्त कर बिना दंडित हुए घोर उल्लंघन किया गया और 'गृह रक्षा' कार्य की आड़ में खुली निविदा के माध्यम से निजी पक्षों को यह कार्य सौंपा गया। फिर भी, यदि डीजीआर प्रायोजित एजेंसी को समाप्त करने का कोई उचित कारण था तो मामले को बीएसएनएल द्वारा डीजीआर को भेजना चाहिए था और इसके पश्चात् यदि एजेंसी को समाप्त करने का कोई वास्तविक आधार था तो बीएसएनल को वह कार्य करने के लिए किसी नई एजेंसी को प्रायोजित करने के लिए डीजीआर से अनुरोध करना चाहिए था। उक्त कार्यों को अभी तक भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्डों के माध्यम से डीजीआर प्रायोजित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

इसलिए मैं सरकार से उन भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा करने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करने का कार्य किया है।

(पांच) उड़ीसा में सम्बलपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): सम्बलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है जो उड़ीसा के पश्चिमी भाग में 10 जिलों और एक सब-डिवीजन की आवश्यकता पूरी करता है जहां कुल आबादी का 75 प्रतिशत समाज के वंचित वर्ग के लोगों की है जिसमें से राज्य औसत 32 प्रतिशत और राष्ट्रीय औसत 28 प्रतिशत की तुलना में 46 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के हैं। इसलिए, सामाजिक और शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के खाके में इस सापेक्ष विषमजातीयता पर अवश्य ध्यान दिया जाए। यह विश्वविद्यालय 670.39 एकड़ भूमि में फैला है जो पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर और झारझुगुड़ा में निर्माण किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 50 किमी. की दूरी पर अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय की अवस्थिति छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के भी काफी निकट और आवागमन के साधनों से जुड़ा है जहां इस तरह से अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य वंचित वर्गों की आबादी काफी ज्यादा है। इस तरह से सम्बलपुर विश्वविद्यालय आबादी के एक बड़े वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो राज्य की सीमाओं के बाहर तक फैला है। अकादमिक रूप से, यह विश्वविद्यालय अनुसंधान और विशेष रूप से अप्लाईड रिसर्च एण्ड आउटपुट में उत्कृष्ट है। इसने कुछ बौद्धिक सम्पदाओं का पेटेंट भी कराया है। विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय संदर्श है क्योंकि यह भारत के विभिन्न भाषाओं के उत्कृष्ट कवियों को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है जिससे यह पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है।

इन सब कारकों पर विचार करते हुए यही उचित समय है कि केन्द्र सरकार सम्बलपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे।

अपराह्न 12.34 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009

ग्रामीण विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 13 पर आते हैं। अब हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के रतम्भ 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80 से 82 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च 2008 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
80.	ग्रामीण विकास विभाग	125,94,96,00,000	25,00,000	38974,85,00,000	25,00,000
81.	भूमि संसाधन विभाग	400,65,00,000	...	2003,25,00,000	...
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	1416,98,00,000	...	7084,92,00,000	...

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिभाऊ जावले ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अगर माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची भेज दें। हमारे पास चार घंटे हैं। मुझे इस मंत्रालय का महत्व पता है। यदि हमें आवश्यकता होगी तो हम ऐसी करेंगे लेकिन मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। अब श्री काशीराम राणा बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के गांवों के गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, गांवों में पीने का पानी पहुंचाना और बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से हो सकता है। जो बजट यहां पेश किया गया उसमें बहुत अच्छी राशि मिनिस्ट्री को दी गई है करीब 42 हजार 400 करोड़ की राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी गई है। इस राशि का सही उपयोग हो, जरूरतमंद लोगों को जिसकी जरूरत है, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोजगार हो, वह मिले, इससे बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, भारत का अच्छा निर्माण हो सकता है। आजादी के 61 साल के बाद आज जो गरीब पीने के पानी के लिए तरसते हैं और रोजगार के बिना मर जाते हैं, उनको बचाने का अच्छा मौका मिनिस्ट्री के पास है। मैं इसकी अलग-अलग योजनाओं के विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे माननीय सदस्य इस बारे में बोलेंगे।

मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय रोजगार की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। ये ऐसी योजना है जिसके जरिए गांव के लोगों तक रोजगार पहुंचाने का एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस बार बजट में 16,000 करोड़ रुपया सिर्फ एनआरईजीपी के लिए एलोकेट किया गया है। मैं मानता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने की जो गारंटी सरकार ने स्वीकार की है, अगर इसे अच्छी तरह से फुलफिल करना है तो अगर इसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़े तो देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय की कद्र करता हूं कि उनके दिल में गरीबों और गांवों के लिए अच्छी भावनाएं हैं, मैं इसकी सराहना भी करता हूं। उन्होंने समय-समय पर एमपीज को प्रपत्र भी भेजे हैं कि आप उस पर निगाह रखें ताकि राष्ट्रीय रोजगार योजना का अच्छी तरह से अमलीकरण हो सके। लेकिन मुझे माफ कीजिए यह अच्छी योजना होते हुए जिस प्रकार से यह योजना चल रही है उसका जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह ठीक किया गया है कि पहले 200 जिले लिए फिर 330 जिले बनाए और 1 अप्रैल से पूरे देश को कवर कर लिया है। यह अच्छा है कि देश के सभी स्टेट्स के गांवों में बसे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और इसके साथ गांवों का विकास भी हो, जो वहां की छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनके अच्छी तरह से बन पाने की क्षमता इस प्रोग्राम में है। लेकिन इस योजना का लाभ जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह मैं नहीं कहता, यह रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि इस योजना में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उन्होंने हर स्टेट में जो रिपोर्ट दी है, अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो इसका सही लाभ बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा है। आप जानते हैं हाउसहोल्ड रोजगार देने की नेशनल एवरेज 2006-07 में 43 दिन थी, 2007-08 में कम होकर 38 दिन हो गए यानी एक साल में पांच दिन की कमी हुई, अब 2008-09 में क्या होगा जब चर्चा होगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से एवरेज डेज में कमी होती जाती है, इसके बारे में सरकार को सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए एवरेज डेज कैसे बढ़े, इसके बारे में सरकार को ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इस देश में ऐसे-ऐसे राज्य हैं, जहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। ऐसे राज्यों में बहुत अधिक बेरोजगारी होने के कारण वहां से दूसरे राज्यों में रोजगार पाने के लिए माइग्रेशन होता है। लेकिन फिर भी वहां लाखों-करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। इसका कारण यह है कि देश में रोजगार की कमी है और खासकर जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जहां रोजगार चाहिए, वहां हमारी योजना का कैसा इम्पैक्ट हैं, उसके बारे में मैं बता रहा था। देश में जो गरीब या पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आने वाले जो राज्य हैं, उनमें बिहार का उदाहरण ले लीजिए, वहां एवरेज वेज केवल 22 है। उत्तर प्रदेश में 28 है, झारखंड 47 है, मध्य प्रदेश 58 है। इस तरह से जो गरीब, बैकवर्ड या अविकसित राज्य की कैटेगरी में आने राज्य हैं, जो अविकसित हैं। वहां एवरेज डेज की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहां यह कम है। इसीलिए एवरेज डेज की जहां जरूरत है, वहां उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। यह कैसे बढ़े, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और रोजगार का दायरा और भी बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि यदि इसमें बढ़ते हुए करप्शन को नहीं रोका गया तो आखिर यह योजना फेल हो जायेगी। जैसे कैग ने रिपोर्ट दी है कि हर एक स्टेट में अलग-अलग तरह से किस प्रकार करप्शन की जाती है। वहां कई जगहों पर मजदूरों, वर्कर्स का डुप्लिकेशन हो रहा है। किस प्रकार से अप्रूवल के बिना भी पैसा खर्च किया जा रहा है और कई ऐसे राज्य हैं, जहां आज तक कोई प्लानिंग ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां काम उपलब्ध नहीं है। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे-कैसे प्रोजेक्ट्स का अमलीकरण हो रहा है। जो कैग ने

[श्री काशीराम राणा]

अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उसे आपने भी पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, चूंकि मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपको बताता हूं कि चाहे मणिपुर हो, जहां पर लाखों रुपया, जो मजदूरों को देना चाहिए था, वह मजदूरों तक नहीं पहुंचा। आंध्र प्रदेश को भी कम्पैनसेशन मिलना चाहिए था, वहां दो लाख पांच हजार नौ सौ ग्यारह हमारे भाई-बहनें हैं, जो वहां काम करते थे, उन्हें अभी तक वह पैसा नहीं मिल पाया। हरियाणा में भी इसी तरह से फंड का डाइवर्जन हो गया। वहां ट्रैक्टर और कार्ट ओनर को मिट्टी के खनन के लिए पैसा दे दिया गया और कहीं-कहीं पर डिले पेमेन्ट होने के कारण बेरोजगार भाई-बहन रोजगार लेने के लिए नहीं आते हैं। मैं अभी अपने संसदीय क्षेत्र में नवसारी, जलालपुर, चिखली और गंडेवी खासकर इसी योजना का निरीक्षण करने के लिए गया था। सिर्फ इसी योजना को देखने के लिए मैंने दो दिन के लिए वहां का दौरा किया। सर, जैसे मैंने कहा कि एवरेज डेज जो मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाता। जो जाब-कार्ड हम इश्यू करते हैं, मैं एक नवसारी जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। जाब-कार्ड वहां पर इश्यू कर दिये गये लेकिन जाब-कार्ड से भी 50 या 45 प्रतिशत लोगों को ही जाब मिल पाता है। यह बात सही है कि फंड की कमी नहीं है। आप जो मांगे, फंड दे देते हैं लेकिन एडवांस प्लानिंग पूरी न होने की वजह से जितने भी लोगों को रोजगार देने की ख्वाहिश है, वह पूरी नहीं होती और इसीलिए मैंने पाया कि बहुत सारी कमियों को तुरंत दूर करना चाहिए। कमी नं. एक यह है कि मैंने जो वहां काम करने वाले लोगों से पूछा कि आपको पेमेंट कब मिलती है? वे कहते है कि, हम एक वीक काम करते हैं, दूसरे वीक में वे मेजरमेंट लेने के लिए आते हैं और तीसरे वीक हमें पेमेंट मिलता है। अब जिसको खाना रोज का नहीं मिल पाता है, इसीलिए वे काम करने के लिए आते हैं। इसलिए अगर उनको डेली या दो दिन में या वीकली पेमेंट नहीं मिलेगा तो वह कैसे अपना काम करेगा, कैसे अपने परिवार को खिलाएगा, कैसे अपना पेट भरेगा जिसके लिए यह योजना बनी है? इसलिए आज काम करो और तीसरे वीक में अगर उसे पेमेंट मिलेगा तो इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। पांच दिन के बाद अगर पेमेंट जाता है तो उसके हाथ में उसको पैसा मिल जाए, न कि वह बैंक एकाउंट में जाए। बैंक एकाउंट में भी उतनी ही गड़बड़ है। उसे एमाउंट रखना पड़ता है, फिर पैसा उस एकाउंट में जमा रखना पड़ता है। बिना रोजगार वाला आदमी पैसा कहां से लाएगा? इसलिए हमारे सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस काम में मैं नहीं मानता कि हमारे भाई-बहन जो बेरोजगार हैं, वे इस योजना में आने के लिए तैयार हो जाएंगे।

जो लूपहोल्स हैं, वे ये हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, मानिए कि जिसने 15 दिन में मजदूरी मांगी और हमने नहीं दी, ऐसे अगर मजदूर हैं या भाई-बहन हैं तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं। इसमें बहुत भारी गड़बड़ होती है। जो हमारे बेरोजगार भाई-बहन हैं, जिन्हें जाब-कार्ड इश्यू किये गये हैं, जिन्होंने यह डिमांड करी थी कि मुझे मजदूरी चाहिए, उनको तो मिलती ही नहीं है। इसीलिए इसके बारे में भी यह हमने अच्छा सा निकाला है कि सबको रोजी मिले और रोजी नहीं तो एलांसेज मिले। इसके लिए भी बहुत सख्ती से उसका अमलीकरण हो, इस दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा नहीं तो बेरोजगार के नाम से पैसे खाने वाले लोग पैसे खा जाएंगे और हम यहां बताते रहेंगे कि देखिए, कितना अच्छा हमारा काम हो रहा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जैसे डुप्लीकेशन वर्कर्स में होता है, वैसे ही ओवर पेमेंट या डबल पेमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा कैग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। मैं चाहूंगा कि आप ठीक करके अगर आगे ले जाएंगे तो यह जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, वह सफल होगी अन्यथा वह फेल हो रही है, ऐसी आज तक की रिपोर्ट है। अखबार पढ़िए या रिपोर्ट पढ़िए या अभी जो स्टैंडिंग कमेटी आन फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, इसमें प्लानिंग कमीशन ने जो डिटेल्स भेजी हैं, उसमें भी उन्होंने एवरेज डेज के बारे में कहा है और साथ-साथ यह भी कहा है कि इस योजना का इफैक्टिवली इम्पलीमेंटेशन हो। यह मिनिस्ट्री आफ प्लानिंग का भी सवाल है। यह आथेंटिक न्यूज है, ऐसा नहीं है कि हम यहां सदन में वैसे ही कुछ समाचार पढ़ें और कह दें कि कैग की रिपोर्ट है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मेरा कहना है कि आज यह राष्ट्रीय रोजगार योजना ठीक तरह से नहीं चलती है।

अध्यक्ष महोदय: काशीराम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। क्या वहां पंचायत का कोई पार्टिसिपेशन है?

श्री काशीराम राणा: पंचायत का पार्टिसिपेशन तो बहुत है क्योंकि पंचायत ही सैलेक्शन करती है। आखिर यह जो काम है, इसमें काम का सैलेक्शन भी वे करते हैं, पंचायत में जाब कार्ड इश्यू करना है तो उसके लिए किसका सैलेक्शन करना है मजदूरी के लिए, वह भी पंचायत देखती है। इतना ही नहीं, इसका जो सोशल आडिट होता है, वह भी पंचायत के द्वारा होता है। यह होते हुए इसमें इतना घपला होता है और मुझे लगता है कि 16000 करोड़ रुपये की राशि एक ही योजना के पीछे जा रही है। मुझे लगता है कि जो दो साल का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो इस साल भी 16000 करोड़ रुपये बरबाद होने वाले हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): वे यह नहीं बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर गुजरात में लोएस्ट मिनिमम वेज है।

[अनुवाद]

इसीलिए लोगों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही। यह देश में सबसे कम मजदूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान मिस्त्री, आप इसे विवादास्पद न बनायें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): वे सरकार को दोष नहीं दे रहे, इसका राजनीतिकरण न करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं उसको पोलिटिसाइज नहीं करता। इतना घपला जो हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे विवादास्पद मत बनाइये। उन्होंने स्वयं कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मुद्दा है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: यह कांग्रेस के ही राज में जो तालाब बना था, उसको स्विमिंग पूल में कर दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें पार्टी पोलिटिक्स मत लाइए। ठीक ढंग से चर्चा करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वक्तव्य देने के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं वाकई बहुत खुश हूं कि उन्होंने अपनी सरकार के लिए वक्तव्य दिया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्री काशीराम राणा: मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो 100 दिन का रोजगार देने की योजना है, इसमें 2007-08 में एवरेज डेज 38 हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर आपको 200 दिन का रोजगार देना चाहिए। मानसून के दिन आप कम कर लीजिए। अगर 200 दिन का रोजगार मिलेगा तो जहां 100 दिन के रोजगार में 38 दिन हैं, वहीं 200 दिन का रोजगार देना हमारे देश के गरीब और गांवों में बसने वाले बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोजैक्ट है, जो वर्क की प्लानिंग होती है, वह ऐसी होनी चाहिए कि जो गांव के डैवलपमैंट का हिस्सा हो। मैंने कई जगह देखा कि ड्रेनेज खोदी जा रही है, मिट्टी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। वही मिट्टी मानसून में फिर से अंदर मिल जाएगी और ड्रेनेज खत्म हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कि इसका स्थायी उपयोग हो ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग एडवांस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कर दे। उसकी मानीटरिंग भी हो और मानीटरिंग सिर्फ एडवांस प्लानिंग की नहीं, इसके बाद जो काम हुआ, उसकी भी होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो गांव के एजुकेटेड लोग हैं, पूरे एजुकेटेड नहीं हों, लेकिन उनकी जो समस्या है, उसको भी देखना चाहिए। उनको इन वेजेज से संतोष नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि उनके लिए अलग प्रकार से सोचा जाए जिससे उनको भी संतोष हो। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज जो सोशल आडिट हो रहा है, वह भी पंचायत ही करती है। कोई न्यूट्रल व्यक्ति या संस्था तालुका स्तर पर होनी चाहिए और एक मानीटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। जो न्यूट्रल होकर जांच करे। नहीं तो काम भी वह देगा, मीजरमैंट भी वह लेगा और आडिट भी वही करेगा। आखिर न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सोशल आडिट का सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए जिससे उसको लाभ मिले। इसी प्रकार से जो लैंड रिसोर्सेस का मामला है, उसकी गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जैसे हमारा गुजरात 16 सौ किलोमीटर का लम्बा बिलकुल एक कोस्टल एरिया है और सारे देश का जो आधा हिस्सा है, वह करीब साढ़े पांच हजार किलोमीटर का पूरा दरियाई एरिया है। आज उनकी जो समस्या है, उसके प्रति सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिए, उतना अभी तक नहीं गया। जितना ध्यान उन्होंने दिया है, उसके बारे में जो कुछ उपाय करने चाहिए, वे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाए हैं।

अपराह्न 12.56 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि अभी एक ' , रिपोर्ट छपी है, हमारे कोस्टल एरिया की जो फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड आज सेलाइन लैंड में कंवर्ट होती जा रही है, इससे कितना भारी नुकसान हो रहा है, इस बारे में आपको भी मालूम

[श्री काशीराम राणा]

होगा। कृषि की उपज कम होती जा रही है। पीने के पानी में भी, सेलिनिटी आने की वजह से पीने लायक पानी नहीं रहा। धीरे-धीरे सेलाइन लैंड आगे बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है-ग्लोबल असेस्मेंट ऑफ सायल डिग्रेडेशन, इन्होंने रिपोर्ट में यह कहा है कि साऊथ एशिया में 421 लाख हैक्टेयर लाख जमीन सेलाइन लैंड हो चुकी है और भारत में आज 260 लाख हैक्टेयर जमीन सेलाइन लैंड में कंवर्ट हो चुकी है। गुजरात के बारे में भी मैं कहूंगा कि नेशनल ब्यूरो आफ सायल सर्वे एंड यूज प्लानिंग ने जो सर्वे किया है, उसके सर्वे के मुताबिक गुजरात की जो कुल जमीन है, इसका 27.17 परसैंट, यानी 50 लाख 80 हजार जमीन आज सेलाइन लैंड में कंवर्ट हो चुकी है। हर साल दो लाख हैक्टेयर जमीन और भी सेलाइन होती जा रही है। सरकार का ध्यान इसके प्रति नहीं गया है। हम जब कोस्टल एरिया के गांवों में जाते हैं तब वे कहते हैं कि हमारे यहां पीने का पानी नहीं मिलता है। हमे पहले मीठा पानी मिलता था और अब बिलकुल नमक जैसा पानी आ रहा है। वहां पीने का पानी भी नहीं मिलता और एक-दो हैक्टेयर जमीन में कृषि उपज से अपना जो पोषण करता था, वह भी आज बंद हो गया है। उस एरिया में बहुत खराब हालत है, सरकार को जिस प्रकार से उस तरफ ध्यान देकर, इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से वह नहीं बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं मंत्री था तो हमने वहां एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जो सेलाइन लैंड हो जाती है उसे फिर से फर्टाइल लैंड करना और मीठे पानी की व्यवस्था करना, इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट सूरत, बल्सार और भड़ौच जिले में बनाया था। मुझे कहते हुए दुख होता है कि हमने जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया, वह इतना सफल हुआ। वहां आज कई गांव के लोग कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट अन्य जिलों में भी गए तो इसका वहां भी इच्छा परिणाम मिल सकता है। लेकिन न जाने सरकार ने उसे क्यों बंद कर दिया? जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट था, वहां पर उसकी जो राशि देनी थी, वह भी आधी दी। इसीलिए एक अच्छा सा पायलट प्रोजेक्ट बनाया था कि जो हजारों किलोमीटर का लम्बा कोस्टल एरिया है, वहां गांवों में जो समस्या है, उसे दूर करने के लिए ऐसे किया था, मगर ऐसा हो नहीं पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। आप इस पायलट प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करें। इसे शुरू करने से मैं मानता हूं कि हमारी जो लाखों हैक्टेयर फर्टाइल जमीन सेलाइन लैंड में कंवर्ट हुई है। जिसकी वजह से हमारी कृषि की उपज कम होती जा रही है, आज हम एग्रीकल्चर ग्रोथ में चार परसैंट से दो परसैंट पर आ गए हैं। इसके लिए सरकार ने 1825 करोड़ रुपए अलाट किए हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मझे लगता है कि यदि इस योजना का बड़े पैमाने पर अमलीकरण हो, तो इससे बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में जरूर होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: महोदय, अब मैं वाटर मैनेजमेंट, जैसे स्वजलधारा योजना और रूरल वाटर सप्लाई के बारे में थोड़ा कहकर अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। गांवों में पीने के पानी की जो समस्या आज भी मौजूद है। हम इसे दूर नहीं कर सके, इसका हमें दुख है। हरेक को इसका दुख होगा। आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम दूर-दराज के गांवों में बसे अपने देशवासियों को पीने का पानी भी नहीं दे सके, तो सरकार का क्या फायदा? हम तो बार-बार कहते हैं कि ऐसी सरकार निकम्मी है। पीने का पानी प्राप्त करने का प्रत्येक ग्रामवासी का अधिकार है। यदि पीने का पानी उस तक नहीं पहुंचाया, तो मुझे लगता है कि आजादी का मतलब थोड़े लोगों के लिए होगा। इनके लिए तो आज भी वही गुलामी है, क्योंकि वे बिना पीने के पानी के जी रहे हैं। गांव में दूर-दूर से, कहीं चार किलोमीटर, कहीं आठ किलोमीटर और कहीं 10 किलोमीटर से, आज भी हमारी बहनें और माताएं पीने का पानी लाती हैं। अगर इस समस्या का निवारण नहीं किया गया और पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जैसे रोटी के लिए घमासान होता है वैसे ही पानी के लिए भी रायट होगा, ऐसी संभावना आज हम चारों ओर देख रहे हैं।

महोदय, हम ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. चलाते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें क्या-क्या हो रहा है, लेकिन चाहे यह योजना हो और चाहे रूरल वाटर सप्लाई की योजना हो, इनमें यदि हम सफलता का प्रतिशत देखें, तो हमें बहुत कम है। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में हमने वर्ष 2007-08 में 1,55,499 हैबीटेशन लिए थे और इनमें से सिर्फ 67,285 हैबीटेशन में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है। हमने सिर्फ 67,285 हैबीटेशन में पानी पहुंचाया है। इसी प्रकार से एय.आर.डब्ल्यू.एस.पी. में हमने जो एलाटमेंट की, उसे जिस प्रकार से पानी प्राप्त करने के लिए खर्च होना चाहिए था और जिन्हें यह पानी पहुंचाना चाहिए था, वह नहीं पहुंच पाया। हमारे नेता बार-बार रूरल डैवलपमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि सच्ची आजादी तो तभी आएगी जब गांवों में पूरी आबादी होगी। अगर

गांवों की आबादी के लिए यह मिनिस्ट्री बनी है और उसके लिए हजारों करोड़ों रुपए के प्रोग्राम बनें हैं, तो जब तक इनका सही परिणाम नहीं मिलता है, तब तक इस धन और इन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है।

महोदय, मैंने मान्यवर मंत्री जी को जब वे यहां बैठते थे, तब बोलते हुए सुना है। वे मुझसे भी ज्यादा तेजाबी भाषा में अपनी बात रखते थे। आज यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वे इसे अच्छी तरह से निभाएं। मैं चाहूंगा कि एक-एक पैसा, फिर चाहे 16000 करोड़ रुपए हों या 42,400 करोड़ रुपए हों, आखिर उसमें इस देश के गरीब लोगों का भी हिस्सा है, वह ठीक प्रकार से खर्च हो और उसे राइट है कि उसे पानी मिले, रोजगार मिले और आवास मिले। मुझे आशा है कि इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। यदि ऐसा होगा, तो मैं समझूंगा कि जो पैसा दिया गया है और जिस काम के लिए दिया गया है, वह सार्थक होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य जो अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, ऐसे सभी भाषण कार्यवाही का भाग होंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रूरल डैवलपमेंट आन दि डिमांड्स फार ग्रांट्स 2008-09 पर बोलने का मौका दिया। मैं रूरल डैवलपमेंट डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिसने आज बहुत ज्यादा डैवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में की है। अभी मेरे भाई ने कुछ आपत्तियां जताईं। उन्होंने पीने के पानी की समस्या की बात कही, उन्होंने यह भी कहा कि यहां से जो पैसा जा रहा है, उसकी मानीटरिंग होनी चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि सरकार के द्वारा एक मानीटरिंग सेल गठित किया गया है। उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल तक सरकार की नजरें हैं। उस पर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, उसकी मानीटरिंग की जाती है और सही समय पर सरकार को रिपोर्ट दी जाती है। इसलिए इस बात की मुझे खुशी है कि भारत सरकार के द्वारा जो स्कीमें गांव में चल रही हैं, उसकी मानीटरिंग ग्राम सभा और ब्लाक लेवल तक की जाती है।

इसके अलावा आपने पानी की कमी की बात कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं पहाड़ी क्षेत्र से आती हूं जहां पानी की बहुत समस्या थी। गांवों में पानी पहुंचाना दुर्लभ कार्य दिखाई देता था, लेकिन मैं यूपीए सरकार का और रघुवंश प्रसाद सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं, जिन्होंने कार्यक्रम चलाकर गांव-गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया है।

माननीय सदस्य ने अपने गुजरात की कुछ समस्याओं का जिक्र यहां किया, लेकिन मैं फिर भी मंत्री जी को दुर्गम क्षेत्र की, गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो स्कीमें चलाई हैं, चाहे वह रोजगार, पीने के पानी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को जोड़ने की बात है, आपने जो कार्य किए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कि गांवों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं। शहरों की तरफ जो लोग दौड़कर चले आते थे और समझते थे कि शहर में जाने से हमारी इस समस्या का हल होगा, आज मैं समझती हूं कि शहर और गांव की दूरी को कम करने के लिए मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं, उससे पलायन पर रोक लगी है। अब गांव के लोग गांव में ही रहकर जीवन बसर करना चाहते हैं और खेती करना चाहते हैं। इन अच्छी योजनाओं को लागू करने के लिए मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को बधाई देना चाहती हूं। आप जानते हैं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र की खाई को कम करने के लिए इन्होंने टाइमबाउण्ड प्रोग्राम चलाए हैं। उसी तरह से बजटरी स्पोर्ट भारत सरकार की तरफ से मिला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शानदार काम हुए हैं।

महोदय, नेशनल रूरल इम्पलायमेण्ट गारण्टी एक्ट ने फूड सिक्योरिटी को इन्श्योर किया है। गांवों में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, उनमें बहुत हुनर है, जिसे उभारने के लिए आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित किया है, उन्हें धन उपलब्ध करवाया है। इसके कारण ग्रामीण लोग अपनी बनाई हुई चीजों को मार्किट तक पहुंचा पाते हैं। मैं आपको उन्हें सहयोग देने के लिए बधाई देना चाहती हूं। आप उनके लिए समय-समय पर शहरों में फेयर लगाकर, जैसे दिल्ली हाट और प्रगति मैदान में उनके हाथ से बनी चीजों की प्रदर्शनी के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूं।

दूसरी बात, इण्टीग्रेटिड वाटर शेड प्रोग्राम के तहत गांव में बिना जमीन के रहने वाले लोगों की आवाज सरकार तक पहुंची है। सरकार ने इसके तहत जो कदम उठाए हैं, मैं उसके लिए मंत्रालय को बधाई देना चाहती हूं। क्योंकि हमारे गरीब लोग यह समझते थे कि उन्हें कभी जमीन मुहैया नहीं हो पाएगी, लेकिन आज सैंकड़ों लोगों को सरकार की मार्फत जमीन मिली है, जिससे वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

इसी तरह से भारत निर्माण के तहत चार सालों में सरकार ने एक लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपए की धनराशि देकर हमारे

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के बनाने का काम किया है, इरीगेशन का काम किया है, रूरल हाउसिंग का काम किया है, रूरल वाटर सप्लाई और बिजली पहुंचाने का काम किया है, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। इससे हर भारतीय नागरिक, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसे फायदा पहुंचा है। इसके लिए भी हम भारत सरकार के बहुत आभारी हैं कि आज आपने ये सारी सुख सुविधायें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों को लाभ पहुंचाया है।

आपने रूरल डेवलपमेंट की बात कही और लोगों को रोजगार देने की बात कही। आपने कहा कि साठ साल में भी हम इसे हासिल नहीं कर पाए, परंतु मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनके ज्यादा पढ़े-लिखे होने की आवश्यकता नहीं है और इसके बावजूद उनको सौ दिन का रोजगार मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्कीम चलायी है। इसमें पहले दो सौ जिले आते थे, आपने इसमें एक सौ तीस और जिलों को जोड़कर उनकी संख्या बढ़ायी है। आपने कहा है कि बाकी दो सौ पचहत्तर जिलों को भी उसमें जोड़ेंगे। आपने पांच साल के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़कर गांव में रोजगार देने की बात कही है। आपने रोजगार को थ्रू एक्ट आफ पार्लियामेंट लीगल राइट दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। मैं गांव के लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमारे गांव के क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। आज वे अपनी रोजी-रोटी उसके जरिए कमा रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र में, जो उन्हीं के गांव का काम है, उसमें उनकी भागीदारी है, यह एक बहुत ही सराहनीय काम है।

महोदय, आप जानते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही है। मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आपने मदद की है। सत्ताइस हजार ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनको आपने बैंक का क्रेडिट दिलाया और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दिलायी। उनकी आपने मदद की। उसमें बीपीएल के लोग आते हैं, एससी एवं एसटी के लोग आते हैं और उसमें बहुत सारी महिलाएं भी लाभान्वित हुयी हैं। इसमें पचहत्तर प्रतिशत भारत सरकार का अनुदान है और पच्चीस प्रतिशत राज्य सरकार को अनुदान देना होता है। यह भी एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि आपने हमारे गांव के लोगों तक इन स्कीम्स को पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया है।

इसी प्रकार से एक अन्य योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो कि एक सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम है। इसमें शत-प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है। आज हमें खुशी है कि आपने इसमें तीन लाख इकहत्तर हजार सात सौ पच्चीस किलोमीटर नयी सड़कें बनायी हैं आर आपने तीन लाख अड़सठ हजार सड़कों को अपग्रेड किया है। इसी तरह से आज आपने इसके लिए एक लाख बहत्तर हजार करोड़ रुपए व्यय करके गांव-गांव को और हर पंचायत को सड़कों से जोड़ा है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

आप जानते हैं कि हमारी सड़कें ही हमारे भाग्य की रेखा हैं। आज गांव तक सड़कें पहुंचाकर हमने गांव में रहने वाले लोगों को जहां रोजगार दिया है, स्वास्थ्य सुविधायें दी हैं, अच्छी शिक्षा दी है, स्वच्छ पीने का पानी दिया है, जमीन को इरीगेट करने के लिए पानी मुहैया कराया है। यह सब तभी संभव हो पाया, जब हमारे पास गांव में आने-जाने के लिए अच्छे यातायात के साधन हैं। इसके लिए भी हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इतनी बड़ी रकम देकर गांव का जो उत्थान किया है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं।

इसी प्रकार से आपने इंदिरा आवास योजना चलायी है। आप जानते हैं कि बहुत से परिवार हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। उनके पास सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है। उनको भी आपने इसके अंतर्गत लाकर धनराशि मुहैय्या करायी है। इसमें पच्चीस हजार रुपए प्रति परिवार को दिया जाता है और जो दुर्गम क्षेत्र में रहता है, ट्राइबल एरिया में रहता है, उसे आपने सत्ताइस हजार पांच सौ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराकर एक छोटी सी झोपड़ी अपने लायक बनाने के लिए आपने जो उसकी मदद की है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं।

उसी तरह नेशनल सोशल असिस्टैंस प्रोग्राम के तहत आपने ओल्ड एज पैंशन स्कीम चलाई है, नेशनल फैमिली बैनीफिट स्कीम चलाई है, नेशनल मेटरनिटी बैनीफिट स्कीम चलाई है, इससे महिलाओं को फायदा पहुंचा है, वृद्ध लोग जिन्हें पैंशन मिलनी थी, उन्हें फायदा पहुंचा है। मैं उनकी तरफ से मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करती हूं। हम प्रधान मंत्री जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो एनाउंसमैंट की है-गरीबी रेखा से नीचे तथा 65 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन। मैं समझती हूं कि यह काफी प्रशंसनीय कदम है। इससे बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए मैं सबकी तरफ से प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है।

उसी तरह एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री आफ रूरल डैवलपमैंट के अंतर्गत आते हैं, उसमें आपने बहुत बेहतरीन योजनाएं चलाई हैं, जैसे ड्राउट प्रोन एरियाज में आपने प्रोग्राम चलाए हैं, डैजर्ट डैवलपमैंट एरिया में प्रोग्राम चलाए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम चाहते थे कि सरकार की नजरें जाएं। आपने वहां की विकट समस्याओं पर गौर किया है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बहुत ही बढ़िया स्कीम्स वहां चल रही हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं।

उसी तरह आपने हरियाली इनटिगरेटेड वेस्टलैंड डैवलपमैंट प्रोग्राम चलाया है जिसके अंतर्गत हरियाली का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। उसमें वाटरशेड द्वारा गांव के लोगों को जानकारी दी जाती है कि किस तरह से पानी सिंचित करना है और उसका किस तरह सही उपयोग किया जा सकता है। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आप जानकारी देते हैं कि जो हमारी बावड़ियां, पॉड्स हैं, उन्हें किस तरह साफ-सुथरा रखना है जिससे लोगों को उसका लाभ होगा. इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं कि उसने हरियाली कार्यक्रम चलाकर गांव के लोगों को बहुत राहत पहुंचाई है।

जैसे मैंने शुरू में कहा कि मौनीटरिंग और इवैलुएशन का कार्यक्रम चला है, भारत सरकार जहां से फंड दे रही है, उसे भी मौनीटर किया जाता है। इसके लिए सरकार ने मौनीटरिंग इवैलुएशन गठित किया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लैवल, ब्लाक लैवल, ग्राम पंचायत के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है ताकि वे समय-समय पर सरकार को अवगत करवाते रहें और बताते रहें कि उसमें क्या कमी है, क्या प्रोवीजन होने चाहिए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

आपने रूरल डैवलपमैंट कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जैसे विभाग द्वारा मीडिया, प्रैस, प्रिंट मीडिया तक बात पहुंचनी चाहिए। उसके लिए आप समय-समय पर प्रैस कौन्फ्रैंस करते हैं। ग्रामीण भारत की एक मंथली मैगजीन छपती है जिसके द्वारा गांवों के लोगों तक डिटेल में प्रोग्राम पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत के लोग उस पत्रिका को सुचारू रूप से पढ़ते हैं और विभाग द्वारा उन तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए, वे उस पत्रिका द्वारा उसे हासिल करते हैं। यह भी बहुत सराहनीय कदम है।

आप सब जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो एनुवल बजट है, उसके लिए सरकार द्वारा 3,678 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गांवों में रहने वाले बच्चे जिन्हें अच्छी तरह शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, वे आज उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जहां से भी मांग आती है कि स्कूल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, कमरा बनाने की आवश्यकता है, टॉयलेट बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से जो मदद दी जा रही है, मैं समझती हूं कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। गांव के क्षेत्र में आज इससे बहुत लाभ पहुंचा है। हमारी जो मिड-डे-मील स्कीम है, उसके तहत आज हमारे लाखों बच्चे, जो खाने से वंचित रहते थे, उनको एक समय का भोजन दिया जा रहा है। इसके लिए भी हम भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। इसी तरह नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत सरकार ने एनुअल बजट में 12 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। मैं समझती हूं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं आज हम गांव के लोगों को दे पा रहे हैं, वे तभी उपलब्ध हो पायी हैं जब सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि हमें यहां से दी है। हम जानते हैं कि गांवों में महिलाएं बहुत नैगलेक्टिड रहती हैं। उनके स्वास्थ्य की तरफ हमें ध्यान देना है। आज हमें उसमें पैसे का कोई भी अभाव नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि आपने इतनी बड़ी धनराशि देकर इंटीरियर के गांव-गांव में लोगों को खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

आपने नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट में 16 हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आपने कहा कि 60 सालों में इसका कोई लाभ नहीं हो पाया। परंतु आप स्वयं जानते हैं कि जब हम अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहां लोगों से बातचीत करते हैं, तो मैं समझती हूं कि सबसे सक्सैसफुल स्कीम इम्प्लायमैंट देने का रही है। गांव के क्षेत्र में इससे बहुत लोगों को लाभ पहुंचा है। जो लोग अपनी दो टाइम की रोटी-रोजी को पूरा नहीं कर पाते थे, आज वे कम से कम अपने इलाके के काम में अपनी भागीदारी देकर उन कामों को कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हैं।

उसी तरह हमारे फार्मर्स के ऊपर जो लोन था, उसे सरकार ने वेव किया है। हमने बार-बार संसद में यह बात उठायी कि हमारे फार्मर्स सूसाइड कमिट कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों को लाभान्वित करने के लिए हजारों-करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है। इन सब स्कीमों को चलाने के लिए अपने सारे डिपार्टमैंट्स को इन्वाल्व करके आप स्टेट सरकार को बार-बार पत्र लिखते हैं, उनको अवगत कराते हैं। माननीय मंत्री के पत्र भी हम सांसदों को आते हैं कि आप इनको मॉनीटर करें। आप देखें कि ये स्कीमें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत ही सक्सैसफुल कार्यक्रम गांव के क्षेत्र में चल रहे हैं।

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

अंत में, मैं रघुवंश प्रसाद सिंह जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं कि जब से आपने यह डिपार्टमैंट संभाला है तब से बहुत बेहतरीन काम इस क्षेत्र में हुआ है। हमारे गांव के लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं चाहे सड़कों की बात हो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या शिक्षा की बात हो। मैं समझती हूं कि भारत सरकार ने अपना रुख गांव की तरफ मोड़ा है, उससे हमारे गांव में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् डा. मनमोहन सिंह जी ने देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेकों परियोजनाएं लागू की हैं। भारत निर्माण उनमें से एक है जिसे केन्द्र सरकार ने शुरू किया है। इसकी योजना में वर्ष 2005-2009 के चार वर्षों के दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण का प्रस्ताव है। इसके छ: घटक हैं यथा सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन संपर्क। इस स्कीम की अनुमानित लागत 174,000 करोड़ रुपये आंकी गयी है। उपर्युक्त छह घटकों में से तीन जैसे ग्रामीण सड़क, ग्रामीण जलापूर्ति और ग्रामीण आवास को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के भुगतान रोजगार कार्यक्रमों को भी लागू करता है। भारत निर्माण के माध्यम से परिकल्पना की गई है कि 1.5 लाख कि.मी. को जोड़ा जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों की सड़कों के मामले में 500 लोगों से अधिक की आबादी तथा अन्य क्षेत्रों में यह 1000 लोगों से ऊपर की शर्त रखी गई है। यह निर्णय लिया गया है कि 66,820 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जायेगी और 14,183 दूर-दराज के गांवों को डिजिटल उपग्रह आधारित टेलीफोन सुविधा मुहैया की जायेगी। सिंचाई सुविधाओं के विकास के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने और 10 लाख हैक्टेयर क्षमता का पुनरुद्धार किया जाएगा। शामिल नहीं की गई 55667 और बस्तियों को आंशिक रूप से शामिल की गई 2.8 लाख बस्तियों तथा 2 लाख गांवों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए भी निर्णय लिया गया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख गांवों में निर्माण कार्य और 1.25 गांवों में बिजली मुहैया की जायेगी। हालांकि भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए काफी मात्रा में निधियों का आवंटन करती है लेकिन जब उन्हें लागू करने की बात आती है तो अनेकों राज्य सरकारें मानदण्डों का अनुपालन अभी भी नहीं करती। कुछ राज्यों ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन के लिए निधियों के जारी किए जाने के संबंध में मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया है।

बिहार अनुपालन न करने वाला सबसे बड़ा राज्य उभर कर आया है जिसमें 36 जिलों ने एसजीएसवाई के मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया। सात जिलों ने इंदिरा आवास योजना स्कीम के मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया और 10 जिले ऐसे हैं जहां डीआरडीए प्रशासन के प्रस्तावों को लागू नहीं किया।

आगे, मैं एनआरईजी स्कीम को लागू करने के में कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को बहुत से राज्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से राज्यों में जॉब कार्डों के लाभान्वितों की पहचान उचित प्रकार से नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अगर पहचान की भी जाती है तो लाभान्वितों को कार्ड जारी करने में पक्षपात होता है। जॉब कार्ड धारकों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। बहुत से मामलों में उन्हें 25 से 30 रुपये प्रति दिन दिए जा रहे हैं और शेष राशि मध्यस्थों द्वारा हड़प ली जाती है। इसके अलावा जिस कार्य को पहले ही शुरू किया जा चुका हो उसे पुन: बिना किसी समय-सीमा के शुरू किया जाता है। अत: एनआरईजी स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे कार्य की लगातार निगरानी के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं।

एनआरईजी स्कीम को लागू करने से पहले, भारत सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत (एसजीआरवाई) जिला पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों को लागू करने के लिए भारी मात्रा में निधियों का आवंटन किया। अब सरकार ने एसजीआरवाई स्कीम के अंतर्गत निधियों का कुल आवंटन बंद कर दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल आवंटन में से 22 प्रतिशत राशि केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों के लिए रखी गयी। इस स्कीम को भी अब बंद कर दिया गया है। जिला पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायतों के पास विकास योजनाओं को लागू करने के लिए निधियां नहीं हैं और वे जनता तथा मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिला पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायतों के माध्यम से लागू की जाने वाली एसजीआरवाई स्कीम और अन्य स्कीमों के लिए निधियां निर्धारित की जानी चाहिए।

70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण कनेक्टीविटी और संचार सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यदि भारत निर्माण योजना को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाता है तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।

समग्र देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 28,444 स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है और 9.13 लाख स्कूलों में सफाई की सुविधा नहीं है।

हमारे दिवंगत नेता राजीव जी ने घोषणा की थी कि भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि का केवल 10 प्रतिशत ही जनता तक पहुंचता है और शेष राशि हड़प ली जाती है। आज भी यही स्थिति विद्यमान है। भारत सरकार की सभी योजनाएं केवल जिला पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएं, केवल तभी ग्रामीण समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में डा. कलाईगनर करूणानिधि के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की महान उपलब्धि के बारे में बताना चाहूंगा। तमिलनाडु सरकार और इसके स्थानीय विकास मंत्री, श्री एम.के. स्टालिन ने "अनाइयु ग्राम अ- न मारूमालारचि थित्तम" योजना लागू की है। विकास के लिए प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन करने की परंपरागत प्रक्रिया जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में थोड़ी-थोड़ी राशि खर्च की जाती है के विपरीत विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं लागू करने हेतु ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए यह एक आदर्श योजना है। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर ग्रामीण पंचायतों की पहचान करने के लिए वर्ष 2007 के दौरान यह योजना बनाई है और इसे प्राथमिकता दी है। उपर्युक्त योजना प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ब्लाक में 1/5 ग्राम पंचायतों को कवर करती है। अन्य विभागों जैसे कि राजमार्ग, लोक निर्माण, सामाजिक कल्याण और शिक्षा की योजनाओं से वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए निधियां आबंटित की जाती है। वर्ष 2011 में इस योजना के पूरा हो जाने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2006-2007 के दौरान, तमिलनाडु सरकार ने 20 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से 2,540 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 508 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। सम्पूर्ण निधियों का उपयोग किया गया है और ये योजनाएं वित्तीय वर्ष में ही पूरी कर ली गई थी। चालू वर्ष के दौरान 2,534 गांवों के लिए 507 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण योजना को कार्यान्वित करने हेतु सभी राज्य सरकारों को निदेश दे और मैं इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री, डा. कलाइगनर और स्थानीय स्वशासन मंत्री श्री एम.के. स्टालिन की पुनः प्रशंसा करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री जे.एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम): मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार ग्रामीण विकास के लिए थेनी जिले को अधिक धनराशि आबंटित कर रही है, यह जिला मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास परियोजनाओं विशेष रूप से पेयजल, सड़क विकास और इंदिरा आवास योजना के तहत मूलभूत स्वच्छता को अधिक महत्व देने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभारी हूं। इस वर्ष विश्व जल दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष एक साथ पड़ रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सरकार को पूरे देश में लाखों लोगों को स्वच्छ जल और मूलभूत स्वच्छता प्रदान करने के इस मूलभूत अधिकार को प्रदान करने हेतु नए उपाय और नीतियां विकसित करके जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयासों पर ध्यान देने और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि कुछ क्षेत्र शत-प्रतिशत अनुदान के साथ अपने गांवों में जलापूर्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं परन्तु इसे तमिलनाडु और विशेष रूप से थेनी जिले में भी लागू किया जाए। मैं संप्रग सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए किए गए प्रयासों का स्वागत करता हूं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1989 के दौरान शुरू किया गया था और यह मिशन लगभग दो दशक पुराना है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस मिशन का पुनर्गठन करने हेतु यह उचित समय है।

इन सभी कार्यक्रमों का वित्तपोषण प्रतिमान अलग-अलग है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) में केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात 50:50 है और सेक्टर सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं तथा स्वजलधारा कार्यक्रम के लिए यह केन्द्र और लाभार्थी/समुदाय के बीच वित्तपोषण का अनुपात 90:10 है तथा जल गुणवत्ता और सतता संबंधी उप मिशनों के मामले में केन्द्र और राज्यों में वित्तपोषण का अनुपात 75:25 है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (डीडीपी क्षेत्रों) के तहत संबंधित राज्यों को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। न केवल प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए अपितु जीवन के हर पहलु में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

जल अनिवार्य है। राज्यों को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान करना अधिक उपयुक्त होगा। यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण विषयों के लिए राज्य सरकारों को आबंटित की गई केन्द्रीय सरकार की कतिपय निधियों का उपयोग नहीं किया गया है और केन्द्र को सूचित किए बगैर इस निधियों का अन्यत्र उपयोग किया गया है जो कि एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों में वितरण के लिए राज्य सरकारों को कुछ राशि स्वीकृत की है परन्तु केन्द्र सरकार को सूचित किये बगैर इस राशि का भी अन्यत्र उपयोग किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार के कार्यों का सच्चे दिल से समर्थन कर रहे हैं परन्तु स्थानीय अधिकारी इस बारे में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

मैं एक सशक्त भारत के पुनर्निर्माण के इस नेक मिशन में उनका समर्पण और पूर्ण सहयोग मांगता हूं।

इसके अतिरिक्त, महान सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि संप्रग सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली सरकार है जिसने देश में ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने और ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निर्गम को रोकने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की संकल्पना की है और इसे लागू किया है। आरंभ में, यह योजना देश के कुछ जिलों में ही लागू की गई थी, परन्तु मैं श्री राहुल जी को बधाई देता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव का दायित्व संभालने के पश्चात् उन्होंने सबसे पहला कार्य यह किया है और इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू कराया है। उन्होंने सरकार से जोरदार अपील की और हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इसके लिए इस बजट में बहुत बड़ी राशि निर्धारित की है।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में पड़ने वाला थेनी जिला चारों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मानसून के दौरान वर्षा जल बह जाता है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया कुछ जलाशयों के निर्माण की व्यवहार्यता का आकलन करे ताकि जल की कमी और सूखे के मौसम में उपयोग हेतु वर्षा जल का संचयन किया जा सके।

महोदय, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय कपार्ट के तहत बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। उनके पास ग्रामीण ज्ञान केन्द्र, ग्रामीण विकास आंदोलन और निर्मल जल अभियान, कापार्ट गरीबी उपशमन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, सतत प्रौद्योगिकी केन्द्र के तहत प्रदर्शन-सह-जागरूकता कार्यशाला और विशेष स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रम हैं। परिषद द्वारा सिफारिश की गई प्रौद्योगिकी बहुत ही सत्य है जो कम पढ़े लिखे और निरक्षर ग्रामीण लोगों द्वारा बहुत ही आसानी से अपनाई जानी है। 'कापार्ट' आधुनिक सूचना और ग्रामीण प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में एकल स्तरीय प्रणाली से सुदूर सेवाएं प्रदान करता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कापार्ट के कुछ अधिकारियों को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मौके पर स्थिति का जायजा लेने, कृषक समुदाय में जागरूकता लाने के लिए अपने कार्यालयों को स्थापित करने हेतु दौरा करने के लिए नियुक्त करे जिसके लिए केन्द्र सरकार अनुदान और सहायता प्रदान करती है। मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम से अनुमत्य धनराशि का योगदान देने के लिए इच्छुक हूं तथा तमिलनाडु सरकार से इस संबंध में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अनिवार्य सहायता देने के लिए अनुरोध और आग्रह करता हूं।

महोदय, यह महान सभा हाल में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में हुए आंदोलनों से अच्छी तरह अवगत है। किसानों को विस्थापित करते हुए विशेष आर्थिक जोनों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है। हम सभी इस बात से सहमत है कि उद्योग और कृषि क्षेत्र का विकास आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस संबंध में मेरा एक सही सुझाव है कि विशेष आर्थिक जोनों का विकास बंजर भूमि और अवक्रमित वन भूमि पर किया जाए और यदि विशेष आर्थिक जोनों का विकास पूर्णरूपेण कृषि भूमि पर ही हो तो संबंधित संगठन और कंपनी से साथ-साथ उतने ही क्षेत्रफल के बंजर भूमि का विकास करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि कृषि भूमि की क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

ग्रामीण विकास

सर्वप्रथम मैं विनम्रता से केन्द्र-राज्य संबंधों की वर्तमान बेहतर प्रवृत्ति पर अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसा केंद्र द्वारा राज्यों को उनके विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यकलापों हेतु प्रदान की गई उदारवादी वित्तीय सहायता के कारण संभव हो पाया है और केन्द्र द्वारा आवंटित की गई धनराशि का बहुत बड़ा भाग कुछ राज्यों के ग्रामीण विकास के लिए है। कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं निम्नवत् है:-

(1) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

(2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

(3) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

(4) संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम

(5) निर्मल ग्राम पुरस्कार

(6) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

(7) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना

(8) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

(9) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना।

ये सभी योजनाएं भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित हैं। इन योजनाओं की रूप रेखा राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है। उपरोक्त योजना को शुरू किए जाने के बाद हम ग्रामीण आबादी और पददलित लोगों के जीवन-यापन की स्थिति में बेहतर बदलाव देख सकते हैं। तथापि, लोगों के निर्वाचित जन प्रतिनिधि के रूप में मुझे कोई भूमिका नहीं अदा करनी है क्योंकि किसी भी स्कीम को मेरी जानकारी और परामर्श से लागू नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मेरे द्वारा सिफारिश की गई इंदिरा आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित मामलों पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है जिससे आम आदमी को हताशा होती है। इस प्रकार यह मेरी ईमानदारी से अपील है कि निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्र को वित्तपोषित स्कीमों के क्रियान्वयन में भाग लेने हेतु अधिकारिक रूप से शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इससे संसद सदस्यों को शुरू से ही किसी तरह की खामियों और अवधियों से संबंधित बातों हेतु एक निगरानी प्रणाली को स्थापित करने में मदद मिलेगी। वास्तव में अधिकांश लोगों को यह धारणा है कि स्कीमों को राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है जबकि यह तथ्य है कि राज्यों को विशाल धनराशि आबंटन के बावजूद लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है। अत: एक बार फिर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को स्कीमों में भागीदारी की जानी चाहिए जिसके लिए केंद्र सरकार करोड़ों करोड़ रुपए प्रदान करती है।

कार्यान्वित की जा रही स्कीमों में संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होने का एक और कारण मेरे पास है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हाल की भारी वर्षा (मार्च, 2008 में) के दौरान बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई और प्राधिकारी बाढ़ को नियंत्रित करने को लेकर भ्रमित थे। अनेक किसानों और निवासियों को भारी नुकसान पहुंचा। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं प्रभावित लोगों को समझा नहीं सका और एक मूकदर्शक बना रहा क्योंकि मैंने कोई भावी निवाराणात्मक कार्रवाई करने का वादा नहीं कर सका।

मुझे यह भी बताया गया है कि केंद्रीय स्कीम की कार्यान्वयनकारी एजेंसी द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र को अधिक धनराशि आवंटित कर किसी तरह का पक्षपात किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आंडीपट्टी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है और मात्र इसलिए यहां इस निर्वाचन क्षेत्र का पक्ष लिया जा रहा है कि यह पूर्व मुख्य मंत्री (सुश्री जयललिता) का निर्वाचन क्षेत्र है। अत:, मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि पक्षपात को रोकने, केन्द्र द्वारा प्रदत्त धनराशि के अनधिकृत अन्यत्र उपयोग को रोकने और यह देखने के लिए कि क्या केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि लोगों के लाभ हेतु सही ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है, निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों की भागीदारी नितांत आवश्यक है। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीएसए, एसजीएसवाई, पीएमजीएसवाई हेतु केन्द्र सरकार को दी गई धनराशि का व्यय स्थानीय संसद सदस्य की सिफारिशों पर किया जाना चाहिए ताकि संसद सदस्य स्थानीय तात्कालिक स्वरूप की तथा अनिवार्य समस्याओं को सुलझा सके। स्वच्छ पेयजल, अच्छी सड़क स्थानीय लोगों की मुख्य आवश्यकता है। मैं वास्तव में सोनिया जी महोदया के सभी मार्ग-निर्देशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व के प्रति बहुत आभारी हूं जो ग्रामीण लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। मेरा अनुरोध है कि ये कार्यक्रम सही लोगों तक पहुंचे जिसके लिए इसे स्थानीय संसद सदस्य के माध्यम से निगरानी करनी होती है। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। श्री रघुवंश बाबू के दिल में गरीबों के लिए विशेष जगह है। वे उन गरीबों को सुविधाएं देने के लिए बहुत ही ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मगर उनकी समस्या यह है कि जिस माहौल में उनको काम करना पड़ रहा है, जिसे नियो लिब्रल इकोनॉमी में काम करना पड़ रहा है, वह उसके खिलाफ है क्योंकि नियो लिब्रल इकोनॉमी पूरी दुनिया में गरीबी बढ़ाती है। वे अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाती है। बहुत कोशिश के बावजूद भी इसमें कामयाब होने में हमें मुश्किल हो रही है। यह एक लड़ाई है जिसे हम लड़ रहे हैं। शायद ही रघुवंश बाबू भी इस लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे। आपको बहुत भारी काम करना पड़ता है क्योंकि जो 70 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, उनमें भूमिहीनता हर साल बढ़ती जा रही है। यह एक नयी समस्या है। भूमि से ही गांव के लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, अगर वे भूमि खो दें तो उनकी जिन्दगी के लिए समस्या पैदा हो जाती है। बहुत से ग्रामीण जो गरीब हैं, उसके पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है, उनको इसकी सुविधा नहीं मिलती है। खेतिहर मजदूरों की आबादी बढ़ती जा रही है, मगर उसके काम को संरक्षण देने के लिए हम कोई कानून नहीं बना पाए हैं। रोजी-रोटी की तलाश में लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पलायन हो रहा है, वह भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो गरीब हैं, उन्हें भी देखना है। देश का असंगठित क्षेत्र, जिसमें देश के कुल मजदूरों का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा आता है, जिनका एक

[श्री हन्नान मोल्लाह]

बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। उनकी समस्याएं भी बोझ के रूप में आपके सिर पर है, जिसको आपको संभालना पड़ता है। इसी तरह ग्रामीण एससी, एसटी और महिलाओं की समस्याएं हैं। इसके साथ ही जैसा कि अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 63 करोड़ लोग सिर्फ 20 रुपए में किसी तरह जी रहे हैं, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या गांवों में रहती है। इन सभी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए जो मंत्रालय है, वह आपका मंत्रालय है। इसलिए इतना बड़ा काम करने के लिए जो आपका मंत्रालय है, आप जो कार्यक्रम लाते हैं, उनके बारे में आज सदन में चर्चा हो रही है, यह बहुत अच्छी बात है। पिछले सालों में इस मंत्रालय के लिए पैसे का प्रावधान बढ़ाया गया है, लेकिन जितने ज्यादा लोगों को इसे कवर करना है, जितनी बड़ी समस्याओं का इस मंत्रालय को सामना करना है, उन्हें देखते हुए यह रकम काफी नहीं है। प्लानिंग कमीशन से आपके मंत्रालय द्वारा जितना पैसा मांगा गया था, शायद उसके 60 प्रतिशत पैसे का ही प्रॉविजन किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे सदन को मिलकर कहना चाहिए कि इस मंत्रालय के लिए ज्यादा धनराशि का प्रावधान होना चाहिए।

मंत्रालय ने आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना आपकी सरकार पिछले चार सालों से चला रही है। पहले इसके अंतर्गत 200 जिले थे, जिनको बढ़ाकर 330 किया गया और अब इसका विस्तार पूरे देश पर किया गया है। पिछली बार जब इसमें 330 जिले कवर होते थे, उसके लिए जितने रुपयों का प्रावधान था, उससे अब जिलों की संख्या डबल हो गयी है, लेकिन इसकी तुलना में पैसों में केवल 33 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। जिलों की संख्या बढ़कर डबल हो गयी, लेकिन धनराशि में केवल 33 प्रतिशत की वृद्धि करना सही नहीं है। इसके बारे में प्लानिंग कमीशन की राय से हम सहमत नहीं हैं। इसलिए इस प्रावधान को 100 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, यह मेरी सरकार और प्लानिंग कमीशन से मांग है। आंकड़े आपके सामने हैं कि रूरल इंप्लायमेंट के लिए हम जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। यह हिस्सा घट रहा है। रुपए के आंकड़े में तो यह बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी के परसेंटेज के रूप में यह घट रहा है। वर्ष 2007-08 में यह पैसा जीडीपी का 0.36 प्रतिशत था, लेकिन वर्ष 2008-09 में यह घटकर जीडीपी का केवल 0.27 प्रतिशत हो गया। इसलिए इस पैसे को जीडीपी परसेंटेज के रूप में भी बढ़ाना चाहिए। मैं सरकार और प्लानिंग कमीशन से मांग करूंगा कि इस मंत्रालय के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश के सबसे ज्यादा गरीबों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। एनआरईजीएस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत और मदद की है। यह प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है, जब हम राज्यों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, वहां से इसमें कुछ सुधार करने के बारे में हमें फीडबैक मिल रहे हैं। इसमें जो कमियां हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं एक तो यह बात कहना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में अवेयरनैस की कमी है। लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मजदूरी के लिए कार्ड तो दे दिए जाते हैं, लेकिन जब दरख्वास्त दी जाती है, वह कहां देनी है, उसकी रसीद लेनी है या नहीं और उसकी कोई शिकायत करनी है तो कहां करनी है, इन सबके बारे में इन तीन वर्षों में काफी लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए सब तरह की जानकारी लोगों को देनी चाहिए, जिससे वे लोग अपने हक को ठीक से समझ सकें और उसके लिए लड़ सकें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दरख्वास्त दी जाती है तो उसकी कोई एकनॉलेजमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि नियम में प्रावधान है कि अगर वह दे दी गई और नाम रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर 15 दिन में उस व्यक्ति को काम देना होगा, नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जब गरीब आदमी दफ्तर में जाकर अपनी दरख्वास्त देता है तो उसे इस चीज का पता नहीं होता। इसलिए इस कमी पर भी ध्यान देना होगा। गरीबों के साथ ठगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिस दिन वह दरख्वास्त दे, उसी दिन की उसे रसीद देनी चाहिए।

अब मैं न्यूनतम मजदूरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश के राज्यों में इस संबंध में अलग-अलग मजदूरी है। सबसे ज्यादा केरल में 125 रुपए मजदूरी दी जाती है और गुजरात में सबसे कम 50 रुपए मजदूरी दी जाती है। मैं पूरे देश में घूमा हूं इसलिए मुझे इस चीज की काफी जानकारी है। यह बात ठीक है कि इस कार्यक्रम की वजह से न्यूनतम मजदूरी में हर राज्य ने वृद्धि की है। इस योजना से लोगों को काम भी मिल रहा है, लेकिन जहां सबसे कम यानि 50 रुपए मजदूरी है, वहां प्रदेश सरकार से बात करके आपको यह बढ़ानी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक नया सर्कुलर आया है। उसमें कहा गया है कि काम की अवधि नौ घंटे होगी। यह ठीक बात नहीं है। हम सब लोग दिन में आठ घंटे काम करते हैं, आधा घंटा ब्रेक होता है, टिफिन का समय होता है। आईओएल की भी जो कंवेंशन है आठ घंटे काम की, उसके भी खिलाफ है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। मेटिरियल के रेशों के बारे में भी काम में समस्या आ रही है, उसे भी देखना चाहिए।

आपने इस कार्यक्रम के तहत कामों की सूची जारी की है, उसे बढ़ाना होगा। अभी आपने सूचना में 11 कामों के नाम दिए

हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा काम पानी से संबंधित हैं कि पानी के लिए खुदाई वगैरह करना। कुछ जगह तो यह ठीक है, जैसे राजस्थान है, वहां पानी की समस्या है और जगह भी काफी है इसलिए पानी की खुदाई का वहां काफी औचित्य है। लेकिन जहां पानी ज्यादा है और जगह भी उतनी नहीं है, वहां यह काम ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए आपको लिस्ट में कामों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि यह प्रेक्टिकल नहीं है। हमारे देश में बाढ़ वाले, सूखे वाले, पहाड़ी, जंगल और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं इसलिए इस लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अभाव में बहुत से राज्यों में काम ढूंढने में काफी परेशानी आ रही है। हर जगह एक ही तरह का काम नहीं हो सकता है इसलिए आप इस ओर जरूर ध्यान दें।

इस कार्यक्रम के लिए जिलों को सीधा पैसा दिया जाता है। हमने देखा है कि कुछ जिलों में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और काम भी काफी अच्छा होता है और कुछ में काम सही नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे की समस्या आती है। इसलिए आपको राज्य सरकार को यह फ्लैक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जहां काम नहीं है और जहां काम हो गया है, पैसा भी पड़ा है, वहां का पैसा उस जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह एक प्रेक्टिकल समस्या है इसलिए आप इस पर ध्यान देकर इसे जरूर लागू कराएं, क्योंकि हमने देश के कई भागों में जाकर इस चीज को अनुभव किया है।

बैंकों के जरिए लोगों को पैसा दिया जाता है। कई जगह बैंकों की शाखाएं ही नहीं है। देश में कुल 52,000 के करीब बैंकों की शाखाएं हैं, लेकिन गांवों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए आपने पोस्ट आफिस को भी इसमें जोड़ा है, लेकिन हर जगह पोस्ट आफिस वाले इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं और सर्विस चार्जेज मांगते हैं। आपको इस ओर ध्यान देकर पोस्ट आफिस वालों को निदेश देना चाहिए ताकि गरीब लोगों को ठीक से और समय से पेमेंट हो सके।

मेरा इस कार्यक्रम के तहत एक अनुरोध और है। आपको फूड ग्रेन भी आपको इसके तहत देना चाहिए। आजकल महंगाई काफी बढ़ रही है और खाद्यान्नों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी पैसा लेकर बाजार जाता है तो ऊंची कीमतों के कारण वह खाद्यान्न खरीद नहीं सकता। जिस तरह पहले फूड फार वर्क होता था, आप पैसा देने के बजाय फूड ग्रेन दें तो काफी उचित होगा। कई जगह पैसा देने में असुविधा हो रही है, अगर आप गेहूं आदि खाद्यान्न देंगे तो गरीब आदमी उसे लेकर अपने घर जा सकता है और उसके लिए खाने का प्रबंध हो सकता है। वैसे इसका इसमें प्रावधान है। मगर इसमें एफसीआई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और सबसे तालमेल करके, कैसे इसे लागू किया जाए, यह देखना पड़ेगा। यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इसमें जो कमियां हैं उन्हें देखना पड़ेगा। मेरे पूर्व-वक्ता माननीय काशीराम राणा जी ने कुछ समस्याएं बताई हैं जो कंट्रेक्टर पैदा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे गरीब लोग हैं, वहां यह प्रोग्राम सबसे कम लागू हो रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग नहीं हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: गरीब लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम के लिए पलायन कहां से ज्यादा होता है। वहां काम 18 प्रतिशत होता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सबसे ज्यादा गरीब लोग बंगाल में हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: ठीक है, आप जाकर देखें कि बिहार में काम कम क्यों हो रहा है? वहां क्या अमीर लोग हैं, क्या काम नहीं करना चाहते हैं? यूपी, बिहार में सबसे कम काम हो रहा है और हमारा कहना है कि वहां ज्यादा काम होना चाहिए। बिहार के सब जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है, मगर लोग काम नहीं कर रहे हैं। काम में जो कमी है, इस बारे में सरकार को देखना चाहिए और सरकार को इस योजना की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। साथ ही जिनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है, उनको भी काम करना चाहिए। जहां ज्यादा जरूरत है वहां काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आवास से वंचित लोगों के लिए भी प्रोग्राम है। आईएवाई में फिजिकली टार्गेट जो अचीव होता है वह आप 97 परसेंट से ज्यादा दिखा रहे हैं और 84 परसेंट इसमें खर्चा दिखा रहे हैं। यह खर्चा कैसे होता है कि कम खर्च में ज्यादा टार्गेट हासिल होता है? इसमें भी थोड़ी समस्या है, इसे भी ध्यान से देखना चाहिए। इसमें जो जगह दी जाती है, वह भी सही जगह नहीं होती है, वह जगह बहुत दूर दी जाती है। मेन-लोकेलिटी से दूर, एक कोने में जगह पड़ी है, वहां जाकर दो-तीन कमरे बना दिये, वहां जाकर गरीब लोग कैसे रहेगा, जहां कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार को मेन-लोकेलिटी के पास ही जगह खरीदकर देनी चाहिए। हाउस-साइट मेन-लोकेलिटी के पास होनी चाहिए, नहीं तो गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। यह एक समस्या है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके अलावः हमारी प्राइम-मिनिस्टर-ग्रामीण-रोजगार-योजना है, जिसे हजारों करोड़ रुपये खर्च करके हम बना रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के पास उसे मेनटेन करने के लिए पैसा नहीं है। वह

[श्री हन्नान मोल्लाह]

पांच साल के बाद खराब हो जाएगी, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। मेरा आग्रह है कि इसके मेनटेनेंस की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। इतना अच्छा बनाने के बाद अगर वह बाद में टूट जाए तो इसका फायदा स्थाई रूप से नहीं होगा। इसके मेंटेनेंस के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

बीपीएल के सवाल पर प्लानिंग कमीशन ने बोल दिया कि 18 प्रतिशत से ज्यादा गरीब नहीं है, पता नहीं इनका क्या हिसाब है? हम जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे काफी लोग हैं जिनको बीपीएल का कार्ड नहीं मिलता है। इस बारे में जो मानक बनाए हैं, वे मानक ठीक नहीं हैं। इन मानकों में परिवर्तन करके बीपीएल के कार्ड सही ढंग से बनाने का काम होना चाहिए।

इसके अलावा जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, इसमें 50-60 प्रतिशत की अचीवमेंट है। यह भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, मगर हम देख रहे हैं कि एआरडब्ल्यूएसपी के 57 प्रतिशत अनकवर्ड विलेजिज में यह प्रोग्राम पूरा हुआ है। बाकी जगह पानी दे रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद पानी का स्रोत सूख जाता है और लोगों को पानी नहीं मिलता है। इसलिए ज्यादा दिनों तक लोगों को पानी मिले, यह भी देखना होगा। इसके साथ-सात पानी की क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि फ्लोराइड से 30 हजार और आयरन से 70 हजार गांव प्रभावित हैं। इस बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को ठीक क्वालिटी का पानी दे सकें। गांवों में करीब 80 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां पानी की कमी है और वहां पानी के लिए ट्यूबैल्स दे रहे हैं, लेकिन अभी भी, पूरे हिंदुस्तान के गांवों में 84 हजार, ऐसे स्कूल हैं जहां पानी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी भी ग्रामीण मंत्रालय की है और इस पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी को भी उसे देखना है।

आपका सेनिटेशन का टोटल अचीवमेंट 49 परसेंट है। यह अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन और ज्यादा अचीवमेंट की जरूरत है। लैंड रिफार्म की बात हम पिछले 60 साल से कहते आए हैं, मगर लैंड रिफार्म नहीं हो रहा है। इसका नतीजा है कि ग्रामीण गरीबी कम नहीं हो रही है। लैंड रिफार्म्स डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया है, उसे पूरा करे। सरप्लस लैंड, वेस्ट लैंड को ठीक प्रकार से गरीब लोगों में, भूमिहीन लोगों में बांटा जाए। आपका आईडब्ल्यूडीपी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन नार्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे कम काम हो रहा है। वहीं इस प्रोग्राम की सबसे अधिक जरूरत है और वहीं यह प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसलिए एन.ई. रीजन में ज्यादा जोर दे कर काम किया जाए। मेरी यही मांगें हैं। ये सभी कार्य आपके अंतर्गत आते हैं और कमियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री आदरणीय रघुवंश जी को मुबारक और बधाई दूंगा कि उन्होंने जनहित में दबे कुचले करीब लोगों को राहत देने के लिए कुछ योजनाओं को चलाया है। सांसदों को इन योजनाओं को जिला स्तर पर समिति का निर्माण करके सम्मान देने का भी काम किया है। मैं दो तीन बातें इस मंत्रालय के संबंध में मंत्री जी को, जिनकी इच्छा है कि गरीब लोगों को राहत मिले और योजनाओं को सफलता मिले, बताना चाहता हूं। जहां कहीं बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उनके बारे में सुझाव दूंगा।

पहली बात भारत सरकार की ओर से आपके मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ, यह एक सराहनीय कदम है। आज का जो बजट है, जिसमें इस योजना में और ज्यादा बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि आबादी के आधार पर जहां 500 से 1000 की आबादी है, उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान था। मुझे लगता है कि शायद आपने यह योजना समाप्त कर दी है। हम आपसे चाहेंगे कि जब आप अपना उत्तर दें, तो इस तरफ भी प्रकाश डालें।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब बैठक हो रही थी, तब हमारे सांसद साथियों ने मिल कर आपसे कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्घाटन करने का अधिकार सांसदों को होना चाहिए और उनके सुझाव के अनुसार ही सड़कों का निर्माण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मौखिक रूप से आपने कहा कि उद्घाटन करने का पत्र आपने सांसदों को भेज दिया है, लेकिन शायद या तो आप भूल गए होंगे या आपके दफ्तर में वह पत्र पड़ा हो, लेकिन सांसदों द्वारा उद्घाटन करने का पत्र किसी सांसद के पास नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि जब आप उत्तर दें तो कम से कम इस बात को साफ करें कि सांसदों के सुझाव के आधार पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण होना है। आपने जब बैठक शुरू हुई थी, तब इस तरह का निर्देश दिया था, उस निर्देश का पालन ही नहीं हुआ है। अधिकारी मनमाने तरीके से सड़कों का प्रपोजल बनाते हैं और गुणवत्ता के आधार पर सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। सड़कों का जो रूट बनना चाहिए, ठेकेदार और अधिकारी मिल कर मनमानी करते हैं। मैं चाहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। अगर उन्होंने उद्घाटन का परिपत्र जारी किया है तो उसे साफ कर दें और सांसदों के सुझाव के

आधार पर जिन सड़कों का निर्माण होना था जिस की उपेक्षा की जा रही है, उनके बारे में हम चाहेंगे कि आप ध्यान देने का काम करे। उत्तर प्रदेश और बिहार जहां दबे, कुचले गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते हैं और जहां से आप आते हैं, वहां से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। आपने उनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बना कर रोकने का काम किया है। उसे रोकने के साथ-साथ जो प्रारूप बनाया गया उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसके संबंध में आपको शिकायतें मिली होंगी। हम चाहेंगे कि आप उसे गम्भीरता से देखें। लिस्ट बन रही है लेकिन वह ठीक से नहीं बन रही है। इसमें भी कोताही बरती जा रही है। लक्ष्य के आधार पर काम हो। बेरोजगार लोग जो गांव से पलायन होकर शहरों की ओर जाते थे, उनको रोजगार मिलना चाहिए। पूरे देश में मजदूरी का निर्धारित लक्ष्य नहीं है। वह कहीं कुछ और कहीं कुछ है। इसके आधार पर ऐसी परिस्थिति बने कि देश के पैमाने पर जो राज्य सबसे ज्यादा गरीब हैं, जहां लोग भूख से तरस रहे हैं, वहां अच्छी मजदूरी मिले क्योंकि अभी मजदूरी बहुत कम है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेहनत करने वाले श्रमिक की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, रोजगार गारंटी योजना असफल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मजदूरी में विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके लिए राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करके सुधार लाने का काम करे।

हमने आपके बजट में इंदिरा आवास योजना को देखा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि बेघर लोगों को घर मुहैय्या कराया जाए। जब आप यहां भाषण दे रहे थे तो बड़े जोरदार ढंग से अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे। जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं जिन का कोई मकान नहीं है जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके यहां एक आशा की किरण जगी थी। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के बारे में आप गम्भीरता से सोचें। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। जो सूची बनायी जाती है, वह दलगत भावना के आधार पर बनायी जाती है। गांवों में गोलबंदी है। अगर कोई गरीब है लेकिन असरदार व्यक्ति के साथ नहीं है तो उसका नाम काट दिया जाता है। जो नौकरी करता है, विदेश में भी रहता है और सम्पन्न है, उसका नाम इंदिरा आवास की लिस्ट में दर्ज हो जाता है। वह दफ्तरों में जाता है, बंधी हुई रकम है और दफ्तरों में तीन से पांच हजार रुपए दे देता है, बिना सूची बनाए उसे इंदिरा आवास आवंटित हो जाता है। इस तरह पूरे देश में आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम हो रहा है। जो तीन हजार या पांच हजार रुपए देकर उनकी पूजा करेगा, उसे इंदिरा आवास मिल जाएगा और जो नहीं देगा और असरदार आदमी के साथ नहीं है, अधिकारियों के चंगुल में नहीं फंसा है, वह इन्दिरा आवास से वंचित हो जाएगा। आपका एक संदेश गया था कि सूची में कोई भेदभाव न बरता जाए। मेरा अन्दाजा है कि आज की तारीख में भेदभावपूर्ण सूची है और इसे लेकर हमारे मन में असंतोष है। पिछली बार हमने कहा था कि महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के परिवेश में 25000 में से 5000 या 3000 देने के बाद जो धनराशि बचती है उससे निर्माण कैसे करें, इसलिए इसे बढ़ाने का काम कीजिए। आपने शायद 35000 रुपए किया। जैसा कि आपने बजट में कहा था, जो लोग इस सदन में बैठे हैं सबको मालूम है कि 50000 रुपए से कम में इंदिरा आवास का निर्माण ठीक ढंग से नहीं होगा। इसलिए इस राशि को 35000 से बढ़ाकर 50000 रुपए करें और सूची को भी ठीक तरह से बनाएं जिससे इंदिरा आवास योजना के पैमाने पर गरीब लोग जो आशा लगा कर बैठे हैं, वह उन्हें मिल जाए। मैंने इसी सदन में पिछली बार आपसे कुछ अर्ज किया था और आपने उसके बाद कहा था हां दैवी प्रकोप है, आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है, जो परिवार या घर बर्बाद हो जाता है उसे तीन दिन के अंदर इंदिरा आवास में परिवर्तित कर दिया जाए। आपने इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार घोषणा की है कि तीन दिन के अंदर इंदिरा आवास में परिवर्तित कर दिया जाए। मैं आपके ही दफ्तर की चिट्ठी के बारे में बताता हूं, आपके दफ्तर ने 12.04.2006 को जारी की थी, मैं आपकी आज्ञा से चिट्ठी इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सदन में बराबर घोषणा करते हैं कि जले हुए घर के लोगों को इंदिरा आवास का रूप दे दिया जाए। मैं महसूस करता हूं कि ऐसा देश के अनेक राज्यों में हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आपके आदेश का पालन नहीं हुआ, हो सकता है यह आपकी जानकारी में न हो या आपके दफ्तर ने आपको जानकारी न दी हो। पूरे देश में जहां आग लगती है, हर राज्य में राज्य स्तर पर कोई न कोई सहायता मिल जाती है, कहा जाता है कि प्रोफार्मा बना कर भेज दें। 2006-07 और 2007-08 का प्रोफार्मा है कि आगजनित दैवी आपदा से प्रभावित लाभार्थियों को इंदिरा आवासीय सूची के वांछित प्रारूप, प्रारूप में कहा गया है-लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, जाति, डीपीआर नं., दुर्घटना की प्रवृत्ति, दुर्घटना का समय, क्षति सीमा, राज्य अंश धनराशि और अंत में लिखा है कि प्रमाण पत्र साक्ष्य के साथ किसी अन्य माध्यम से सहायता नहीं दी गई है। मेरे कहने का मतलब है कि जहां मकान जलेगा और जब वह प्रमाण-पत्र लिख कर देगा कि उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी तब आपके वचन के अनुसार इंदिरा आवास मिलेगा। लेकिन कौन अधिकारी देगा? आपके इस आदेश ने आपकी पवित्र भावना को, जिससे लोगों का इंदिरा आवास बन जाता, पूरा नहीं किया है। इस प्रोफार्मा से पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले के एक अधिकारी ने भी एक इंदिरा आवास इस योजना के तहत आवंटित नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप अपने इस प्रपत्र को देख लें, आपने जनहित

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

में कम से कम जो वादा किया है, जो सदन में कहा है, उसमें रुकावट हो गई है, इसे पुनः पूरा करने का ऐलान करें। अगर ऐलान नहीं करेंगे तो मेरे जैसा आदमी महसूस करेगा आपकी वाणी और भाषा लोगों को सहयोग देने का नहीं बल्कि झुठलाने वाला है। इस पर आपके दफ्तर ने कहीं प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है तो आप जैसे जमीन से निकलने वाले आदमी, लोगों का दर्द जानने वाले आदमी की भावना पर एक पत्र द्वारा कुठाराघात किया गया इसलिए इसे रोकने का काम करें। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश में इतनी लम्बी समयावधि के बाद भी पीने का शुद्ध पानी नहीं दिया जा सका। कहीं भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। हम चाहें कितनी ही डींगें हांकें, लेकिन हम लोगों को स्वच्छ पानी तक नहीं दे पाये हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, मायावती जी अपने दल के विधायकों को 250 हैंडपम्प दे रही हैं और दूसरे दल के विधायकों को सौ हैंडपम्प दे रही हैं। आप कभी हकीकत को भी कबूल किया करो। यह आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है और इस सदन में चाहे किसी भी दल के सदस्य हैं या देश के किसी भी कोने से चुने हुए सदस्य हैं, किसी भी सांसद को अपनी कलम से हैंडपम्प देने का अधिकार नहीं है। अब हमें लोगों ने दिल्ली भेजा है। जब हम कभी अपने इलाके में घूमते हैं और किसी झोपड़ी में जाते हैं तो वहां से गरीब आदमी निकलकर कहता है, बाबू, आप दिल्ली में गये हैं, आप हमें पानी के लिए एक हैंडपम्प की व्यवस्था तो करा दीजिए। लेकिन हम यह नहीं कर सकते। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम आपसे मिले थे और हमारा एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें माननीय रेवती रमण सिंह, प्रो. राम गोपाल जी और इलियास आजमी यहां बैठे हैं, हम सभी लोग जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि प्रत्येक सांसद को अपने लोक सभा क्षेत्र में पांच सौ हैंडपम्प देने का अधिकार मिल जाए। लेकिन यह नहीं हुआ। हम आज भी आपसे इसकी मांग करना चाहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है और गांव के लोगों को पीने का शुद्ध पानी देने के काम हेतु जब हम लोगों का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को गया है, तो हम लोगों को यकीन है कि जब आप सदन में जवाब देंगे तो कम से कम आखिरी सत्र में पांच सौ हैंडपम्प हर सांसदों की संस्तुति पर देने की घोषणा कर दीजिए।

दूसरी बात मैं जल संचय के बारे में कहना चाहता हूं। पोखर खोदकर जल को इकट्ठा करने की आपकी एक योजना है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि कहीं भी पोखर खोदा ही नहीं गया। कागज पर खोदे गये, पैसा ले लिया गया, मजदूरों के द्वारा कहीं खुदाई नहीं हुई, ट्रैक्टर से खुदाई हो गई। हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस पर भी थोड़ा ध्यान देकर इस काम को अपने ढंग से पूरा कराने का काम करें।

इसी तरह से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 65 वर्ष के लोगों को पेंशन दी जायेगी। यह प्रक्रिया बहुत अच्छी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह योजना केवल कागजों में ही रह गई है, यह साकार रूप नहीं ले रही है। हम चाहेंगे कि मंत्री जी इसे भी अपने ढंग से देखें।

इसके अलावा हम आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं कि प्रत्येक गांव सभा में पंचायत भवन की व्यवस्था की जाए। सरकार की इतनी तरह की छोटी-बड़ी योजनाएं आती हैं, गांवों में एक जगह बैठकर इन सारी योजनाओं का लोग निस्तारण करें, इसके लिए एक पंचायत भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक गांव सभा में यदि पंचायत भवन की व्यवस्था हो जाती है तो इससे हमें और गांवों के लोगों को बहुत खुशी होगी। जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, वहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। लेकिन पीने के पानी के लिए हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है। मैं विशेष तौर से ग्रामीण विकास मंत्री जी से इस बात के पूरा होने की उम्मीद करता हूं।

जैसे राजीव गांधी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत गांवों का विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम चाहेंगे कि आप उस पर भी विचार करें और उसे भी पूरा करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो आपके दफ्तर ने पत्र भेजकर काम रोक दिया है, उसमें आप सांसदों की संस्तुति पर पांच सौ हैंडपम्प देने की घोषणा तो कर सकते हैं। कृपया आज आप इसकी घोषणा करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री मनसुखभाई डी. वसावा** (भरूच): महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्राम विकास मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना गरीबों, बेरोजगारों के लिए यह योजना बहुत अच्छी योजना है। गांवों का विकास करने वाली योजना है। आशीर्वादरूप योजना है।

किंतु, कहीं-कहीं पर यह योजना का लाभ आज भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि समुद्र तल में खारापन दूर करने का कोई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उपाय नहीं है। एनडीए के समय में योजना थी उनको बंद कर दिया है और जहां रिजर्व फारेस्ट जैसे वन कानून है। अभयारण्य जैसे वन कानून है। वहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। वन कानूनों वाले गांवों में आने जाने के लिए रोड़ नहीं है। पीने का पानी नहीं है ऐसे गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली कोई भी योजना से रोड़ बनाना चाहिये और वैसे गांवों का संपूर्ण विकास होना चाहिये।

गुजरात के नर्मदा, भरूच, सूरत जिला के बहुत सारे गांव हैं जो आज भी बहुत सारी यातनाएं भुगत रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है तो ऐसे गांवों में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बहुत सारी योजना लागू होना चाहिये। रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिलना चाहिये।

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां फस्ट और सैकेंड लैवल पर पानी गंदा है। अगर स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा।

श्री राम कृपाल यादव।

श्री प्रभुनाथ सिंह: केवल प्रशंसा ही मत करिएगा और बातें भी बिहार के बारे में बोलिएगा।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): बिहार के बारे में जानते हैं तो बिहार पर ही बोल रहा हूं। आप शांति से बैठे रहिए। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बहुत ही अहम मंत्रालय है और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत जो गांवों का देश है जहां 70 से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। जब तक गांवों में खुशहाली नहीं होगी, देश खुशहाल नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गांवों की खुशहाली की जिम्मेदारी मंत्री जी पर है जिन्होंने उसे बखूबी निभाने का काम किया है। मैं इसके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत निर्माण योजना चलाई है। इंडिया का विकास बहुत हुआ है लेकिन भारत का निर्माण नहीं हो सका है और जब तक भारत का निर्माण नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, जहां गांवों में गरीब तबके के लोग बसते हैं तब तक कितना भी आप कुछ कर लीजिए, मगर भारत विकसित नहीं हो सकता। आज जिस तरह से गांवों और शहरों में खाई बढ़ती जा रही है, किस तरह से गांवों के लोग धीरे-धीरे प्लान करके शहरों में बसते जा रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि गांवों के स्तर पर जो सुविधाएं गरीबों को, मजदूरों को, खेतों में काम करने वाले लोगों को मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं उनको गांवों में नहीं मिलती। इसलिए मजबूरी में रोजगार के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या दूसरी सुविधाएं पाने के लिए पूरी गांव की आबादी शहरों में बसती जा रही है। अगर ये ही सारी सुविधाएं सरकार गांवों में प्रदान कर दे तो जो गरीब लोग मजबूरी में गांवों से शहरों की तरफ बस रहे हैं और शहर में उनका जो बुरा हाल हो रहा है, वह नहीं होगा। वह रोजी-रोटी कमाने के लिए शहर में बस रहा है। वह गरीब आदमी जो रोजी-रोटी कमाने के लिए गटर में रहने का काम कर रहा है और उनके पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, वह गरीब आदमी बहुत सारी असुविधाओं को झेलते हुए भी अशुद्ध हवा में भी रहने का काम कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पर ही ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है कि गांवों में उन वर्गों, तबकों को हम को संतुष्ट करें जो वर्ग, जो तबका असंतुष्ट होकर बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ भाग रहा है। आज गांवों के लोग शहरों में बसने का काम कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने भारत निर्माण की कई योजनाओं की चर्चा की है। मैं भी माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वैसे माननीय मंत्री जी के प्रति जितना हम साधुवाद व्यक्त करें, जितना प्रशंसा करे, वह कम होगी क्योंकि अपने प्रयास से पिछले चार सालों में उन्होंने जो विकास करने का प्रयास किया है, जो धनराशि आबंटित की है और उस राशि को सही जगह पहुंचाने का काम किया है, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार ने काफी पैसा विभिन्न योजनाओं में दिया है चाहे वह इंदिरा आवास योजना हो या जल की सुविधा के लिए हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए हो या बंजर जमीन को विकसित करने के लिए हो, रोजगार गारंटी योजना हो, मैं कहूंगा कि जो नया क्रांतिकारी कदम इस सरकार ने उठाया है, जिसके लिए लोग वर्षों से सपना देख रहे थे, उस रोजगार गारंटी योजना को वैधानिक दर्जा देकर जो काम किया है, वह भी अपने आप में सराहनीय है और एक बड़ा कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और यूपीए सरकार का आभार व्यक्त करता हूं मगर निश्चित तौर पर योजनाएं तो बनती रहती हैं लेकिन योजनाओं का जो सही रूप है, वह आम लोगों तक नहीं जा पाता तो योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप राशि आबंटित कर रहे हैं और राशि जा भी रही है, आपका मन भी साफ है। आपकी नीति भी साफ है और नीयत

[श्री राम कृपाल यादव]

भी साफ है। हमें लगता है कि जो एजेंसियां हैं उन पर भी जिम्मेदारी होती है। इसकी एजेंसी राज्य सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगी तो निश्चित तौर पर चूंकि फैडरल स्ट्रक्चर है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सीधे डंडा नहीं चला सकते हैं। आपके पास उतनी शक्ति नहीं है। मैं खासकर बिहार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी बोल रहे थे। हमारे यहां बिहार में वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, उनकी सरकार राज्य में चल रही है। वे क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। यदि राज्य सरकार गड़बड़ करती है तो वे चिल्लाते हैं और यही डैमोक्रेसी का मतलब होता है। इधर चिल्लाने का मतलब नहीं है। सदन में और सदन के बाहर भी यदि कोई सरकार चाहे वह यहां की हो या वहां की हो, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है तो जनता सबको वाच कर रही है क्योंकि सब जनता के बीच में से चुनकर आते हैं। हमें लगता है कि इन दिनों इनको कुछ सत्ता से मोह हो गया है, इनको जरूर सत्ता से प्यार हो गया है, इसलिए ये अपने दायित्वों को भूल गए हैं और जनता की जो आवाज उठनी चाहिए, वह ठीक से नहीं उठ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां प्रभुनाथ सिंह जी जवाब देने के लिए बैठे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: वे जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से इनका ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं क्योंकि ये बहादुर और लड़ाकू साथी हैं। इनका अपना लड़ने का इतिहास रहा है मगर आजकल इन्होंने लड़ना बंद कर दिया है। पता नहीं क्या समझौता हो गया है, इनको शायद मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, इसलिए सही बात नहीं बोल पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा और बंजर भूमि की बात करना चाहूंगा। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना भारत निर्माण के अंतर्गत आता है। मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपये इन्होंने इसके लिए पूरे देश के पैमाने पर आबंटित किये होंगे। जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसको अक्वायर करके वहां उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योग लगने चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। जब तक देश में उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं होंगे, हम विकसित नहीं होंगे। मगर रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए और देश को समृद्ध करने के लिए आम लोगों को खत्म न करें। स्पेशल इकोनामिक जोन के नाम पर न जाने कितने हजारों एकड़ जमीन देश के विभिन्न राज्यों से ले रहे हैं। आप लीजिए, मगर क्या होगा? हमारी आबादी बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता घट रही है। उत्पादन क्षमता इसलिए घट रही है कि कृषि योग्य भूमि को हम सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। पानी का अभाव है, कई तरह की बात है। उसमें यह भी है कि इकोनामिक जोन के नाम पर हम बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि ले रहे हैं। उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने का दायित्व आपके ऊपर है। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे और मंत्री जी जब जवाब दें तो उसमें बताएं कि कितने हजार करोड़ रुपये आपने देश के अन्य भागों में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए आबंटित किये, कितने खर्च कर पाए और कितनी बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बना दिया। नहीं तो यह होगा कि आपकी जो स्कीम है, यह लोकप्रिय स्कीम है, यह कागजों पर रह जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो टार्गेट है, हमारा जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। इसकी जानकारी हम चाहेंगे ताकि स्पेशल इकोनामिक जोन के अंतर्गत की जमीन राज्य को भरपाई कर सकें और उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर सकें। मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर इसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर पाए हैं यह अवश्य बताएं।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह बहुत ही लोकप्रिय योजना है। इस पर बड़ी चर्चा हुई मगर हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई कमी है जिसकी वजह से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो हजारों करोड़ रुपये आबंटित कर रहे हैं, उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जाब कार्ड ठीक से नहीं बन रहे हैं। जाब कार्ड बोगस बनाकर बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के हाथ से ट्रैक्टर से काम हो रहा है, जैसा यहां माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। आप उसकी किस तरह से मोनिटरिंग कर रहे हैं, आप अपने जवाब में बताएंगे। आपने कहा कि हम काम के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अगर काम के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो हम निश्चित तौर पर उतने दिन का पैसा उपलब्ध करा देंगे, नकद राशि उपलब्ध करा देंगे। आपने कितने लोगों को राशि उपलब्ध कराई है? हम खास कर अपने प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, हमारा प्रदेश बिहार जो गरीबों का प्रदेश है, जहां रोजगार की समस्या है। हमारे यहां दो इलाके हैं, जिनमें एक तरफ बाढ़ आती है और एक तरफ सुखाड़ होता है। हमारे यहां बड़े पैमाने पर वर्षों से पलायन हो रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध प्राप्त करा देंगे कि बाहर के लोग हमारे प्रदेश में आ जाएंगे, जो पहले से बाहर गए हुए हैं, अब तो कोई नहीं जाएगा। हम ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा रोजगार उपलब्ध कराएंगे

कि बाहर के लोग यहां आ जाएंगे। पता नहीं माननीय मंत्री जी को कितनी इसकी जानकारी हुई होगी। आपको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि वहां कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। आज भी बड़े पैमाने पर बिहार के लोग, जैसे पंजाब में आपके वहां है, हरियाणा, मुंबई, असम एवं महाराष्ट्र तथा दिल्ली आदि कई जगहों पर अपना श्रम लगा कर अपनी रोजी-रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां इसका असर पड़ा है। जैसे कि मंत्री जी स्वयं यदा-कदा हम लोगों से चर्चा के दरम्यान बोलते रहते हैं कि राम कृपाल जी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार सरकार को हमने जो राशि आबंटित की है, वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। न सिर्फ रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, बल्कि विभिन्न योजनाओं में इंदिरा आवास इतनी लोकप्रिय योजना है, उसमें भी खर्च नहीं हो रहा है। पेयजल पर भी खर्च नहीं हो रहा है। पैसा जो बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है, उसमें जो अनियमितता है उस कारण से वह पैसा वहां नहीं पहुंच पा रहा है। यह चिन्ता का विषय है और हमारे लोग बाहर जाकर मार खा रहे हैं। महाराष्ट्र में मार खा रहे हैं, वहां किसी का हाथ काट दिया जाता है। असम में बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली में भी अब शुरू हो गया है। अगर किसी को अपने यहां रोजगार के अवसर मिल जाएंगे तो वह बाहर क्यों जाएगा। वह मार खाकर और गाली सुन कर क्यों दूसरे राज्य में जाएगा। ऐसी कई समस्याएं हैं। ऐसे कई गरीब एवं पिछड़े प्रदेश हैं जिनके उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हो सकती है। मगर उसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। वहां के मुख्य मंत्री जी किस तरह से मोनिटरिंग कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, किस तरह से देख-रेख हो रहा है। वहां अधिकारियों को छूट है-लूट सको तो लूट लो, राम-नाम की लूट है और इसी लूट में प्रभु नाथ बाबू का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब इन्हें बोलने का अवसर मिलेगा तो हम आशा करते हैं कि ये जरूर इस पर बोलेंगे। ये स्पष्ट वक्ता हैं, दूध का दूध और पानी का पानी रखते हैं। हमें विश्वास है कि स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखेंगे। जाब कार्ड वगैरह ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। हम अपने क्षेत्र की बात बोल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में पटना से सटे हुए पुलवारी विधान सभा क्षेत्र है। हमने इस मामले को सदन में उठाया था, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया था। वहां बड़े पैमाने पर काम कर लिए गए, लेकिन उन मजदूरों को पेमेंट ही नहीं दे रहे। राज्य सरकारों के माध्यम से पेमेंट होता है, कार्यवाही होती है तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार अगर अपने कर्त्तव्यों को ठीक ढंग से ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रही होती तो यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और धरना एवं प्रदर्शन की स्थिति नहीं आती। जब तक इस देश की क्रयशक्ति गरीबों के हाथ में है, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, आपकी पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, कृपा कर हमें बोलने का थोड़ा और अवसर दिया जाए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की हमारा यहां बहुत आबादी है। मैं समझता हूं कि उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्रयशक्ति बढ़ाने का उपाय सोचेंगे, या नहीं सोचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए और क्या सोचेंगे? ग्रामीणों का विकास कैसे होगा? गरीब अगर विकसित नहीं होगा, गरीब के पास पैसा नहीं आएगा, गरीब की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो ग्रामीण विकास का कोई मतलब नहीं है। देश के 70-80 प्रतिशत गरीब लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाए बिना देश की हालत ठीक नहीं हो सकती है। जब देश की हालत ठीक करने के लिए आप बैठे हैं, तब गरीबों की क्रय-शक्ति बढ़ाइए। महंगाई की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण चीज पानी, जल, ड्रिंकिंग वाटर है। हिन्दुस्तान की आजादी का 61वां वर्ष प्रारम्भ हो गया है और 61 साल की आजादी के बाद भी, हम अगर आम लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आजादी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप भी गांव और गरीब परिवार से आते हैं। आप भी अहसास करते होंगे और पूरा सदन भी इस बात का अहसास करता होगा। आज भी देश के ग्रामों में पीने का शुद्ध पानी ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। किसी गांव के लोग गन्दे कुए का पानी पी रहे हैं, तो किसी गांव के लोग गंदे तालाब का पानी पी रहे हैं। खासकर हमारे प्रदेश बिहार में ऐसी स्थिति है। हमारे प्रदेश में गरीबी भी है; इसमें कोई दो मत नहीं हैं। वहां गरीब भी हैं, पिछड़े भी हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है।

महोदय, बिहार के अनेक गांवों के पानी में आर्सेनिक आ रहा है। इस कारण वहां बहुत लोग रोगों से ग्रस्त हैं। इसके लिए हमने क्या कार्रवाई की है? हमारे पास योजना है। बिहार के विभिन्न इलाकों के बारे में आपके पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वहां अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वहां शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं देंगे, तो यह देश के आम नागरिकों के साथ न्याय नहीं होगा।

महोदय, शौचालय की व्यवस्था का मामला भी मंत्री जी के विभाग से सीधा जुड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान की 61 वर्ष की आजादी

[श्री राम कृपाल यादव]

के बाद भी हमारे देश की मां और बहने सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले शौच जाने को मजबूर हैं। हमारे नेता, डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आज जो हिन्दुस्तान है, वह ऐसा हिन्दुस्तान है, जिसकी मां और बहनें दिनभर गंदे शौच को अपने पेट में रखकर जीने को मजबूर हैं। हमने आजादी अवश्य प्राप्त कर ली है, लेकिन आजादी का सही मतलब अभी तक गांवों तक नहीं पहुंच सका है। आपने शौचालय का अभियान चलाया है। बहुत कारगर ढंग से चलाया है और आपके पास योजना है। मगर ये शौचालय किस हद तक सफल हुए हैं, यह आपको मालूम होगा। आपने पूरे हिन्दुस्तान के स्तर पर और हमारे बिहार के पैमाने पर जो टार्गेट रखा था, क्या वह पूरा हुआ है, यह हम माननीय मंत्री जी से जब वे जबाव देंगे, तब जानना चाहेंगे? आज भी, आपके चाहने के बावजूद गांवों में शौचालयों की उपलब्धता बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। हम यह नहीं कहेंगे कि आप अवेयरनैस जगाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप अवेयरनैस जगा रहे हैं। आप लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आप मीटिंगों के माध्यम से और अपने भाषमों के माध्यम से लोगों में जागृति ला रहे हैं, लेकिन इस काम को करने वाली एजेंसी राज्य सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर रही है।

महोदय, विज्ञापन छप रहे हैं, वह हम लोगों पर हमला है। माल महाराजा का और मिर्जा खेलें होली, वाली बात हो रही है। भारत सरकार का पैसा है और जो वहां के सांसद हैं, उन्हें ही फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष के हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमें अपने फोटो नहीं छपवाने हैं, हम तो चाहते हैं कि गांवों का विकास हो। हमारे लिए गांवों का विकास ही सर्वोपरि है। गांवों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों का है। वहां ऐसा हो रहा है कि पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है और फोटो छप रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और वहां के मंत्रियों का भारत के प्रधान मंत्री जी गायब, मंत्री जी गायब और वहां के लोकल सांसद गायब। जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं और उनमें नीचे लिखा हुआ है 'राज्य सरकार के सौजन्य से' मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपका क्या विचार है? काम कीजिएगा आप, काम कर रही है यूपीए सरकार और नाम हो रही है एन.डी.ए. सरकार का। क्या व्यवस्था है, इसमें आप कितने सफल हो रहे हैं, वह हमें बताइए? सारे विकास कार्यों का श्रेय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ले रहे हैं। उन्हें 'विकास पुरुष' कहा जा रहा है। विकास-विकास का नारा लग रहा है। वाह रे विकास। पैसा हमारा और नाम राज्य सरकार का। वोट हमारा और राज तुम्हारा, यह चलने वाला नहीं है। देश का अवाम जानता है कि अगर वोट हमारा है, तो राज भी हमारा होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आप कुछ कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: राम कृपाल यादव जी, आपको भाषण करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी आप जरा ध्यान दीजिए और कुछ कराइए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी चाहें, तो आप रात भर इस बहस को चलाइए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं दो-तीन योजनाओं का जिक्र कर के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सर, अगर हमारी बात कुछ कड़वी लग रही हो, तो हमें माफ कीजिएगा। इंदिरा आवास योजना में आपने 25 हजार रुपए से 35 हजार रुपए कर दिया, अच्छी बात है।

महोदय, हजारों वर्षों से गरीब का घर का सपना था। उसे पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। झोपड़ियों को आवास में बदलने का आपने अच्छा काम किया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कब तक सभी लोगों का सपना पूरा होगा, क्योंकि आप जरूरत के मुताबिक आवास नहीं दे पा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में आवास 25 हजार रुपयों से नहीं बनता है। आपने इस राशि को 35 हजार रुपए किया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लोहा, सीमेंट और मकान बनाने का मैटीरियल का दाम बहुत बढ़ा है, इसके साथ मजदूरी भी महंगी हो गई है, ऐसे में क्या कोई 35 हजार रुपए में मकान बना पाएगा? माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इस पैसे को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इतने पैसे में भी दलालों को, बिचौलियों को पैसा देना पड़ता है।

अपराह्न 2.21 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

पांच से दस हजार रुपए बिचौलिए या व्यवस्था के अंदर लोगों को पैसा देना पड़ता है। अगर वे यह पैसा नहीं देते हैं तो पैसा लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने कुछ उपाय किए हैं, लेकिन वे सार्थक नहीं हैं। आज भी बड़े पैमाने पर इस पैसे में लूट हो रही है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा दिया जा रहा है, पंचायत स्तर पर, बीडीओ से ले कर दूसरे अधिकारी

उसमें लूट मचा रहे हैं। उस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे गरीब तक पैसा जाएगा? 35 हजार रुपया आपने इस योजना के लिए लाभार्थी को देने के लिए रखा है, लेकिन उसमें से ज्यादातर पैसा बिचौलियों में ही चला जाता है और गरीब आदमी तक पूरा पैसा नहीं जा रहा है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत लोकप्रिय योजना है। आपने पेंशन को बढ़ा कर दो सौ रुपए किया है। उसका दायरा भी प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बढ़ाया है। यह उत्तम कदम है, लेकिन हम जिस प्रदेश से आते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां अभी तक राज्य सरकार ने जो योजना थी, दो तरह की योजनाएं थीं, एक भारत सरकार की योजना है और दूसरी राज्य सरकार की योजना है। भारत सरकार की योजना तो चल रही है, लेकिन बिहार सरकार की योजना नहीं चल रही है। वहां की सरकार समझती है कि सौ रुपए को दो सौ रुपया उसने किया है और राज्य सरकार अपने नाम से वह पैसा लाभार्थी को बांट रही है। आप उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? राज्य सरकार वहां सहयोग नहीं दे रही है। राज्य सरकार वहां अपना नाम भांजने का काम कर रही है। इसे रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? आप जो काम कर रहे हैं, कम से कम उसके लिए विज्ञापन तो छपवाइए। वहां एक पैसा भी राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए नहीं दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो पैसा दिया था, उसे भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन योजनाओं का प्रचार और प्रसार मंत्रालय अपने माध्यम से करे, जिससे कि राज्य सरकार आपके कामों को अपने खाते में न ले सके। वृद्धावस्था पेंशन योजना एक लोकप्रिय योजना है। आपने 65 वर्षों के वृद्धों के लिए घोषणा की है। आप इस योजना को इम्प्लिमेंट कीजिए। अभी तक राज्य सरकारों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। लोगों के आवेदन आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक अंतिम बात मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह योजना एक क्रान्तिकारी कदम है। पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत आपने जो राशि आवंटित की है और योजना रखी है कि वर्ष 2009 तक एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। यह अच्छी बात है कि काम हो रहा है और वाहवाही भी हो रही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, हमारे यहां सेन्ट्रल एजेंसी काम कर रही है, जिस रफ्तार से आप पैसा देना चाहते हैं, जिस रफ्तार से आप काम करवाना चाहते हैं, उस रफ्तार से देश और बिहार में काम नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने पिछले तीन-चार वर्षों में जो राशि आवंटित की है, उसका कितनी गुणवत्ता के साथ उपयोग हुआ है? मैंने आपका ध्यान गुणवत्ता की तरफ आकर्षित करवाया है। गुणवत्ता की कमी की वजह से रोड पांच साल से पहले ही टूट जाता है। एनबीसीसी इत्यादि चार-पांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन वे धीमी गति से कर रही हैं। इसमें राज्य सरकार का असहयोग भी है। हमारे यहां भारत सरकार जो काम कर रही है, उससे हमारी और यूपीए सरकार की इमेज बढ़ रही है। इससे भारत सरकार और एमपीज को फायदा हो रहा है तो राज्य सरकार ने अड़ंगा लगा दिया है, पूर्ववर्ती राज्य सरकार और वर्तमान की केन्द्र सरकार ने एमओयू साइन किया था और सेन्ट्रल एजेंसी को जिम्मेदारी दे दी गई। राज्य सरकार ने कहना प्रारंभ कर दिया है कि हम सेंट्रल एजेंसी से काम नहीं करायेंगे, क्योंकि उनका बोर्ड वहां नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि इनका डीपीआर बनाकर मत भेजे। डीपीआर बनाने का आपने डायरेक्शन दे दिया, आप अडिग हैं कि आप इसे करायेंगे। आपने यहां तक राज्य सरकार को कहा कि वर्ष 2009 तक सड़कों का निर्माण करना है, जहां भी एक हजार से अधिक की आबादी है। पैसे की कोई कमी नहीं है। आप सेंट्रल एजेंसी को भी काम करने दें, राज्य सरकार भी जितना दे सके, योजना भेजे, हम उसे भी राशि देंगे। मगर राज्य सरकार की वजह से खासकर बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरे तौर पर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि आपको बिहार पर स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि आप बिहार के सपूत हैं और बिहार के लाल हैं। इन तमाम चीजों पर आपको ध्यान देना है। बागवानी योजना के संबंध में कहना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार साल के दरम्यान मात्र पैंतीस करोड़ रुपए बिहार की सरकार इसके लिए ले सकी है। ये है, बिहार की सरकार, जहां विकास पुरुष हो रहे हैं। ये वहां के हालत हैं। मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों का आप जिक्र करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की यदि ठीक ढंग से मानिटरिंग नहीं की जाएगी, ठीक ढंग से राशि आवंटित नहीं की जाएगी, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार लगभग 18 से 19 प्रतिशत राशि इनहैंस की है। पहले की सरकार से लगभग तीन से चार गुना पैसा बढ़ाने का काम किया है। यूपीए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी आप गांव की चिंता से चिंतित हैं और आप ही कुछ कर सकते हैं। इनसे कोई आशा नहीं रखी जा सकती है। ये भारत विकास वाले लोग नहीं हैं, ये इंडिया शाइनिंग में विश्वास करते हैं। भारत का निर्माण आपके हाथों में है। जब तक आपका कुशल नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक देश और गांव का विकास नहीं हो सकता है।

[श्री राम कृपाल यादव]

इन्हीं चंद बातों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि जो कमी है, उसे आप दूर कीजिए और देश को आगे ले जाने में सहायक भूमिका अदा कीजिए। गांव का गरीब आपकी तरफ देख रहा है। आप गांव के बेटे हैं। खेत और खलिहान में काम करने वाले किसान हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा।

[अनुवाद]

***श्रीमती के. रानी** (रासीपुरम): महोदय, वर्ष 2008-09 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन भी करती हूं। इसी के साथ, इस सम्मानीय सभा के विचारार्थ मैं कुछ निम्नलिखित मुद्दों को रखना चाहूंगी।

ग्रामीण विकास में, हमारी अन्य योजनाओं में तीन महत्वाकांक्षी और अग्रणी कार्यक्रम हैं अर्थात् भारत निर्माण, एनआरईजी योजना और पीएमजीएसवाई जहां तक भारत निर्माण की बात है, हमारे देश ने पिछले वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत निर्माण के अंतर्गत वर्ष के प्रत्येक दिन 290 पर्यावासों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई, 17 पर्यावासों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। प्रत्येक दिन 52 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई और 42 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। भारत निर्माण के अंतर्गत हमारी सरकार की यह उपलब्धि रही जिसका सभा के सभी वर्गों से मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण आवासों, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संपर्क आदि के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्यक्रम में अभिकल्पित है;

* 66,802 पर्यावासों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना,
* 1,46,185 किमी. नई ग्रामीण सड़क नेटवर्क का निर्माण,
* मौजूद ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 1,94,132 किमी. का उन्नयन।

इनको अगले वर्ष तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और आशा करते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन और हमारे माननीय प्रधान मंत्री के पर्यवेक्षण में सभी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन के साथ उन्हें लक्षित तिथि तक पूरा कर लिया जाएगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का संबंध है, यह कहा गया है कि इसे भारत में सभी 596 ग्रामीण जिलों में लागू किया जाएगा। इन्हें शुरू करने के लिए 16,000 करोड़ रु. दिए गए हैं और वित्त मंत्री से यह आश्वासन भी दिया गया है कि जब भी मांग की जाएगी, आवंटन बढ़ाया जाएगा।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, दस जिले हैं जिन्हें एनआरईजीए में अब शामिल किया गया है। इस योजना को पूरे देश में भारी सफलता मिली है और मैं अनुरोध करती हूं कि ग्रामीण तमिलनाडु के और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

राजीव गांधी पेयजल मिशन के मामले में, न शामिल किए गए और छूट गए पर्यावासों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है। यहां, इस वर्ष आवंटन को 6500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7300 करोड़ रु. कर दिया गया है।

इस सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण और अग्रणी कार्यक्रम है ग्रामीण सड़क योजना अथवा पीएमजीएसवाई। यहां भी पूरे देश में बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और यह सरकार सभा के सभी पक्षों की तरफ से बधाई की पात्र है।

हम जानते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है। ग्रामीण भारत का विकास किया जाना चाहिए; गांवों को इंटरनेट से जोड़ना चाहिए; ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्याप्त बल दिए जाना चाहिए; 'सड़कें' ग्रामीण सम्पन्नता की ओर ले जाएंगी; स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण भारत तक किया जाना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इनके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की जरूरत है।

मुझे आशा है, सरकार इन सभी चीजों पर अपना ध्यान केन्द्रीत कर रही है और ग्रामीण भारत को सम्पन्न भारत बनाने के लिए पार्याप्त धनराशि आवंटित कर रही है ताकि शहरी ग्रामीण विभाजन को न्यूनतम किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बजट के लिए धन्यवाद करूंगी। मुझे

अफसोस है और बड़ा दुख है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आज विपक्ष की हो या कल हमारी सरकार हो, लेकिन जब भी हम लोग रूरल एरियाज में जाते हैं और यहां आते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहां आकर हमें बहुत खुशी होती है कि हम भारत सरकार से इतनी सारी योजनाएं रूरल एरियाज के लिए लेकर जा रहे हैं और वह भी उन लोगों के लिए ले जा रहे हैं, जो पिछली पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन धरातल में उनको कुछ नहीं मिल पा रहा होता है। हम लोग उनके बीच जाते हैं और मीटिंग करते हैं। वहां पर जो जमीनी सच्चाई हमें पता चलती हैं, उसमें उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। आज भी यह सच्चाई है कि आजादी के साठ साल होने जा रहे हैं, फिर भी यदि आप उनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, तो उनको यह भी नहीं मालूम होता है कि एक सांसद क्या कर सकता है? न हम वृद्धावस्था पेंशन दे सकते हैं, न ही हम उनको लाल कार्ड दे सकते हैं, न हम उनको किरोसीन तेल दे सकते हैं और न ही उनको इंदिरा आवास दे सकते हैं। उनकी जो जमीनी मांग है, वह इससे ऊपर उठी ही नहीं है। यही सच्चाई है। आज हमारे गांव में खासकर बिहार में, हम जिस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी आधी आबादी बांध के अंदर है उनकी यही मांग रहती है और उनकी आंख में आज भी वही आंसू हैं, जो पचास-साठ साल पहले थे। चाहे जिसकी सरकार रही हो, सिर्फ प्रलोभन देकर उनका वोट ले लिया जाता है। उनको आज यदि सब्सिडी मिल भी रही है, तो भी उनको तीस रुपए से नीचे किरोसीन तेल नहीं मिलता है। यदि उनको आज सब्सिडी मिल रही है, तब भी चाहे अन्त्योदय योजना हो या अन्नपूर्णा योजना हो लेकिन उनको तीन रुपए प्रति किलो वाला चावल नहीं मिलता है। डीलर सरेआम मार्केट में उसे बेचता है, उसमें ब्लाक भी मिला होता है, एफसीआई के पदाधिकारी भी मिले होते हैं। आप इंदिरा आवास के लिए चाहे पच्चीस हजार से पैंतीस हजार रुपए कर दें, चाहे पचास हजार रुपए कर दें, फायदा अगर किसी को हो रहा है, तो वे बिचौलिए हैं, पदाधिकारी है और पंचायती राज के भी कुछ सदस्य हैं।

हमने इम्प्लीमैंट किया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम उनका एकाउंट खुलवाएंगे, लेकिन हम जितनी योजनाएं दे रहे हैं, मैं कहती हूं कि आप उसे एक साइड में रखकर, यदि हमें अभी किसी चीज की जरूरत है तो वह यह है कि इन योजनाओं को इम्प्लीमैंट करने के लिए हम कौन सी योजना बना रहे हैं और इसके लिए हमें ब्लाकवाइज जाना पड़ेगा। पदाधिकारी, पंचायती राज, विधायक हों या एमपी हों, जो भी कमीशन ले रहे हैं, यहां कोई नहीं बोलता हो, लेकिन डीएम, डीडीसी, ब्लाक और मैं कहूंगी कि कुछ एमपीज तक का पीसी बंधा हुआ है। चाहे एमपी का फंड हो, चाहे रूरल एरिया का फंड हो, सबमें 22 से 30 प्रतिशत पीसी पदाधिकारियों को जाता है। मैं यह भी कहूंगी कि आपने सांसद को चपरासी की तरह बनाया हुआ है। आपने कहा कि हमने आपको निगरानी कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन यदि सरकार विपक्ष की है तो वहां कोई भी डीएम या पदाधिकारी आपकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी मानिटरिंग सीएम से होनी है। हमने कई बार मीटिंग की और आज यह सच्चाई है कि मैंने चार महीने से मीटिंग करनी बंद कर दी है। हमने बहुत सी चीजों को उजागर किया, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे बीपीएल की लिस्ट हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे अन्त्योदय हो, चाहे अन्नपूर्णा है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, धरातल पर लाकर सबूत के साथ रिप्रेजेंट किया गया। आपने प्रधानमंत्री निर्माण सड़क योजना शुरू कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आज तक कितनी सड़कों का पूर्ण निर्माण हो चुका है। हमने कितने लोगों को ब्लैक लिस्टेड सामने लाकर दिखाया। जो पांच-पांच बार ब्लैक लिस्टेड हुआ, उसे ही बार-बार टेंडर दिया जाता है, सरेआम टेंडर दिया जाता है। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। सच्चाई यह है कि जब तक हम धरातल में जाकर इस चीज को इम्प्लीमैंट नहीं करेंगे कि हमें अपनी राशि को इम्प्लीमैंट कैसे करवाना है, तब तक कुछ नहीं होगा। यह सच्चाई है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपये में से 15 पैसे ही गरीब को मिलते हैं। आज मुझे लगता है कि उससे भी कम मिलता है। आज बिहार में जो प्रशासन की मनमानी चल रही है, पदाधिकारियों की मनमानी चल रही है, सरेआम पीसी और घूस ली जा रही है। मैं कहूंगी कि अपने संविधान में संशोधन करके यदि हम इस पीसी को अनिवार्य कर दें, तो 80 परसेंट राशि जमीन पर उतरनी शुरू हो जायेगी, क्योंकि हम अंदर-अंदर कमीशन और पीसी ले रहे हैं, दे रहे हैं लेकिन ऊपर से बोलने वाला कोई नहीं है। आज हम इंदिरा आवास के लिए गांव-कूचों में जाते हैं, जो जैनविन आदमी है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है। हमने बीपीएल की लिस्ट बनाई। एक बार बनायी, तो एपीएल के लोग बीपीएल में आये और बीपीएल के लोग एपीएल में आये। 20 साल से जो लोग बीपीएल के तहत लाभार्थी थे, आज उनका नाम बीपीएल में नहीं है। उसकी जांच बैठायी गयी और दोबारा बीपीएल लिस्ट बनी। आज तक जो जनरल बीपीएल धारक हैं, उनको अभी तक कार्ड भी मुहैया नहीं कराया गया। अभी जो नयी बीपीएल लिस्ट आयी है, उसमें भी जैनविन लोगों का नाम नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी आपको मालूम है कि पंचायती राज में पदाधिकारी और ब्लाक वोट देखकर कि किस जाति ने, किस पार्टी ने हमें वोट दिया और कौन ग्रुप, कौन गांव, कौन कस्बा हमें वोट देता है, उसके आधार पर बीपीएल लिस्ट बनायी जाती है। उसके आधार पर अन्त्योदय और अन्नपूर्णा दिया जाता है। उसके आधार पर किरोसिन तेल दिया जाता है। हम लोग जब गांव में जाते हैं, क्षेत्र

[श्रीमती रंजीत रंजन]

में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम आपको वोट देकर मर गये क्योंकि सरकार किसी और की है। वे एक ग्रुप को तेल देकर चला जाता है, हम लोगों को कहता है कि 30-40 रुपये में लेना है, तो ले लो। उसके बावजूद जो बचा हुआ तेल है, जो 30-40 रुपये में लेने लायक है, वह यदि मरकर लेते भी हैं लेकिन उसमें भी 70 प्रतिशत तेल मार्केट में बेच दिया जाता है या थोड़े अच्छे किसानों को दे दिया जाता है। वे खेतों में ट्रैक्टर चलवाते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य रोजगार गारंटी योजना के बारे में कह रहे थे। आप स्पष्ट करें कि रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या बिहार में मिट्टी का कार्य भारत सरकार ने तय किया है या बिहार सरकार ने तय किया है क्योंकि सबको मालूम है कि 17 जुलाई को बिहार में बाढ़ आती है। वहां पर सिवाय मिट्टी के कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं दिया गया है। कार्य करने वाले लोग जिला परिषद के हों या रोजगार गारंटी के तहत मजदूर लोग हों, वे कहते हैं कि हमें पदाधिकारी ने बोला है कि हमें किसी भी हालत में पैसा खर्च करना है। आप जहां मर्जी गड्ढा खोदो लेकिन पैसा खर्च कर दो। आज किसी के खेत में गड्ढा खोद दिया गया है, सड़क के किनारे गड्ढा खोद दिया गया है। उसके कारण सड़क भी खराब हो रही है और गड्ढे भी खराब हो रहे हैं। उसके कारण कीचड़ भी हो रहा है और सड़क भी खराब हुई। इसके अलावा खेतों में गड्ढे किये हुए हैं। क्या इसके बारे में किसी ने सर्वे या निगरानी कराई है कि रोजगार गारंटी के तहत मिट्टी का कार्य हो रहा है, मात्र दो तीन महीने के लिए मिट्टी का कार्य होता है। वे लोग पूजा कर रहे होते हैं कि कब बरसात आये और हम अपना फाइल में पैमेंट उठायें और फिर मिट्टी का मिट्टी हो। हम दोबारा से फिर वहीं गड्ढा खोदेंगे।

उसी तरह मंत्री जी, क्या आपको मालूम है कि जाब कार्ड बनाने के लिए 25 रुपये से लेकर सौ-दो रुपये तक लिये जाते हैं। यहां वह गरीब व्यक्ति मरता है जो इंदिरा आवास में भी मर रहा है क्योंकि जहां तक कमीशन का सवाल है, तो जो व्यक्ति पांच हजार रुपये देने की हैसियत रखता है, वह गरीब नहीं है। हम लोगों ने गांव में जाकर देखा कि जो गरीब है, जिसे जैनुइन तरीके से इंदिरा आवास की जरूरत है, वह पांच हजार रुपये की हैसियत नहीं रखता है। ऐसे लोग गांव के बिचौलिये को दो हजार रुपये देकर आज भी इंदिरा आवास का सपना देख रहे हैं। जब हम मीटिंग करते हैं, तो पता लगता है कि 90 प्रतिशत इंदिरा आवास बन गये हैं। उसके लिए इतनी राशि खर्च हो गयी लेकिन यदि आप गांव में जायें, तो जो गरीब तबका है जिनको शायद भूले से एक राशि मिली भी होगी, उनके पास छत नहीं है। सिर्फ चार या दस फीट की दीवार खड़ी की गयी है। अब आप 35 हजार रुपये करें या 50 हजार रुपये करें, यदि 50 हजार रुपये होंगे, तो मुझे यह जरूर मालूम है कि उनका कमीशन बढ़ जायेगा। आज दिनों-दिन कमीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैनुअन तरीके से जो गरीब व्यक्ति है उसे न केरोसिन तेल मिलता है और न ही इंदिरा आवास मिलता है। यहां तक कि बीपीएल लिस्ट से भी उसका नाम छांट दिया गया है। यही हालत भारत सरकार की वृद्धावस्था पेंशन की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को यह जानकारी नहीं है कि भारत सरकार की वृद्धावस्था पेंशन कौन सी है और बिहार सरकार की कौन सी है और किस तरह का हमें लाभ मिल रहा है? हम जहां जाते हैं वहां हम प्रयास करते हैं कि लोगों को इस बात की जानकारी हो, लेकिन उसके बावजूद पदाधिकारियों का रवैया बहुत उदासीन है। हमें इन योजनाओं को सही तरह से इम्प्लीमैंट करना चाहिए। पहले हम लोगों को जागृत करें कि आपके लिए ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जो भारत सरकार आपके हक के लिए दे रही हैं। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती। आज भी उन्हें यही भ्रम है कि जिनका बीपीएल में नाम है, उन्हीं के लिए वह है जबकि आपने कहा है कि जो भी 65 वर्ष से ऊपर है, उसे पैंशन मिलेगी। इसी तरह से आपने विकलांग लोगों के लिए पर पंचायत 15 लोगों का किया है। लेकिन आज तक ब्लाक द्वारा, पंचायत द्वारा बिहार के प्रशासन द्वारा किसी को जानकारी देने की अहमियत नहीं की गयी है ताकि लोगों को जानकारी मिले। जब लोग जागृत होंगे, लोगों को पता चल जायेगा कि हमारा हक है, तो वहां पर कमीशन थोड़ा कम हो जायेगा, लेकिन बंद नहीं होगा।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगी कि सबसे पहले यदि योजना को कार्यान्वित कराना है, तो हम उसे इम्प्लीमैंट कैसे करें, यह बहुत ही चिंतन का विषय है। यह सिर्फ आज का नहीं है चाहे उसकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, यह 60 साल से चला आ रहा है। जब तक यह कमीशन बंद नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को खाना मिल रहा है या जिनके पास घर है, वे थोड़ा बहुत कमीशन देकर अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो एक दीवार अमीरी और गरीबी को दिनोंदिन पटती जा रही है, हम अपने टाउन का जितना माडर्नाइजेशन कर लें, जितना आगे बढ़ जायें, लेकिन गरीब आज भी गरीब होता जा रहा है, उसकी स्थिति ऊपर नहीं आ रही है। आज भी गांवों में लोगों के पेट में खाना नहीं है। उनको न मिड डे मील मिल रहा है और न ही स्कूलों में सही शिक्षा हो रही है। हम यहां शिक्षा को और अच्छा करने की बात करते हैं, लेकिन गांवों मे आपकी बेसिक शिक्षा से ही लोग बेहाल हैं। मैं मिड-डे-मील की बात करना चाहूंगी। मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगी कि मिड डे मील की जिम्मेदारी

आप शिक्षकों को न दें। मिड डे मील की जिम्मेदारी होने से वे शिक्षक दो-तीन दिन छुट्टी ले लेते हैं कि हमें चावल लेकर आना है, दाल लेकर आनी है। आप उसका अलग से कोई पदाधिकारी नियुक्त करें और उसके बाद उसकी क्वालिटी को मेनटेन किया जाय। आज भी बहुत सारे पेपरों में आपने देखा होगा, हम लोगों ने आंखों से देखा है कि मिड डे मील में जो खाना बच्चों को परोसा जाता है, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं क्योंकि वे फफूंदी लगा हुआ चावल खा रहे होते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि पहले हम उन गरीबों की उपेक्षा न करें, उन गरीबों का भी हक समझें कि उनका भी हिन्दुस्तान में उतना ही हक है। उनको भी सही फूड, अच्छा भोजन और स्वास्थ्य लाभ का उतना ही हक है जितना एक अमीर आदमी को है। उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं।

मैं एक प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। मैंने क्वेश्चन आवर में स्वजलधारा योजना के बारे में क्वेश्चन उठाया था। आपको भी जानकारी होगी कि वहां जो कोशी एरिया है, मैं सच बता रही हूं कि मैं भी वहां का पानी नहीं पीती क्योंकि यदि मैं चार दिन भी वह पानी पी लूं, तो बीमार पड़ जाऊंगी। वहां पर बहुत ज्यादा आयरन है, आर्सेनिक है जिसके कारण लाखों करोड़ों की संख्या में व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। वे कैंसर, गेंगरिन, ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही। आज भी वे दूषित पानी ही पीते हैं, चाहे चापाकल से पीयें चाहे कुएं से पीयें या नदी से पीयें।

आज तक इस पर रिसर्च नहीं हुई कि जब हम पानी को नार्मल फिल्टर करने के बाद भी उस पानी से आर्सेनिक नहीं जाता है। एक जगह आप दस किलोमीटर चलकर एक घड़ा पानी लेकर आते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां दूषित पानी, जिसे मैं कह सकती हूं कि जहरीला पानी है, आज तक लोग पी रहे हैं और इसकी ओर किसी की नजर नहीं गयी, न आज तक कोई रिसर्च टीम वहां इसके अध्ययन के लिए गयी। इसी तरह स्वच्छता अभियान के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि पंचायत का कोई भी पदाधिकारी इसमें रुचि नहीं लेता है कि वह लोगों को यह बताए कि 1500 रुपए में उनके घर में शौचालय बन सकता है। आज लोगों की ऐसी मंशा बन चुकी है कि वे हम लोगों से डायरेक्ट मांगते हैं कि आपको शौचालय बनाने के लिए पैसा देना है तो दीजिए, 35,000 रुपए या 40,000 रुपए देने हैं तो दीजिए क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें कम से कम 10,000 रुपए वे बचा लेंगे। हम उन गरीबों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिनको सिर्फ शौचालय चाहिए, न कि पैसे चाहिए। आज भी गांवों में, घरों में जिनको इसकी जरूरत है, वहां पर उनके लिए शौचालय नहीं बन रहे हैं। मैं बजट का समर्थन करते हुए यह कहूंगी कि आपका काम योजना बनाना है। आपने योजना बनाई है, लेकिन हम सभी का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, जिसके लिए हम सभी दोषी हैं और हमें ही इन्हें सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कोई ऐसी योजना बने जिसमें सभी को यह भाव मिले कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसमें जमीन पर किस तरह उतारेंगे और गरीब को उसका हक किस तरह से देंगे।

[अनुवाद]

***श्री के.सी. पल्लानी शामी** (करूर): माननीय महोदय, वणक्कम। मैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री माननीय डा. कलैगनार करुणानिधि और थलपति मु.का. स्टालिन, जो द्रविड़ आंदोलन के लेफ्टीनेंट और तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित सभा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे समर्थ बनाया, के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अपने दोनों माननीय ग्रामीण विकास मंत्रियों श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री चंद्रशेखर साहू को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैंने निगरानी तंत्र में काफी सुधार पाया है और मुझे यकीन है कि मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारे देश में ग्रामीण लोगों की स्थिति में काफी सुधार होगा।

वर्ष 2004 में इस प्रतिष्ठित सभा का सदस्य बनने के बाद कम-से-कम 2006 तक, जब भी हम कुछ मांगों के साथ अपने माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के पास गए, उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार से सिफारिश करवाइए। तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने हमारी सभी सिफारिशों की उपेक्षा की। यह हमारा सौभाग्य है कि तमिलनाडु में डा. कलैगनार करुणानिधि के नेतृत्व में अच्छी सरकार है और वहां वे सर्वेसर्वा है। उनके सत्ता में आने के बाद हम मारे-मारे फिरने से बच गए। अधिकारियों को खोजने के बदले हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अधिकारी स्वयं हमारे जैसे जन प्रतिनिधियों के पास आ रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा सुझाई गई योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जा रही है।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के.सी. पल्लानी शामी]

अत: मैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस स्वागत योग्य परिवर्तन पर ध्यान दें और तमिलनाडु सरकार द्वारा संस्तुत हमारी न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करें।

मैं यह बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में तमिलनाडु सरकार सबसे आगे है। हमारे नेता थलपति म्यू.का. स्टालिन ने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में अन्ना मारूमालारिची योजना के तहत चहुंमुखी विकास करके विशेष रूप से ग्रामीण तमिलनाडु के सभी गांवों में अच्छी सड़कें और स्वच्छ पेयजल प्रदान करके एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। तमिलनाडु सरकार ने भूमि और ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में बहुत प्रगति की है। चूंकि माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद जी ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं में गहन रुचि ले रहे हैं, मैं उनसे निजी तौर पर अपील करता हूं कि वे तमिलनाडु में ग्रामीण विकास योजनाओं विशेष रूप से कच्ची ग्रामीण सड़कों को पक्की सड़क बनाने हेतु अतिरिक्त निधियां आबंटित करें।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो फरवरी, 2006 में प्रवृत्त हुआ था, को देश के सभी 604 जिलों में लागू किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने पूमालाई योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों के लिए विपणन आधारभूत संरचना सुविधा प्रदान की है। गांवों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के संवर्धन हेतु यह एक अग्रणी योजना है। मैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को लिंकेज प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय विपणन परिसरों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को बढ़ावा दें। मैं केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि वह अग्रणी विपणन परिसर इकाइयां स्थापित करने हेतु तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे।

हमारी संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है। इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली 22000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 42000 रुपये कर दिया गया है। मैं इस असाधारण उपलब्धि के लिए माननीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तथा संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी ओर से तथा हमारे नेता डा. कलैगनार करूणानिधि की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं हमारे राज्य और मेरे निर्वाचन क्षेत्र करूर के लोगों की ओर से कुछ मांगें रखना चाहता हूं। आंगनवाड़ी भवनों और शौचालयों सहित साफ-सफाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और शौचालयों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। इनके रखरखाव के लिए पांच वर्षों में एक बार निधि आबंटित की जाती है। उपरोक्त निधि हर वर्ष आबंटित की जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के पश्चात् मेरे निर्वाचन क्षेत्र करूर के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अतिरिक्त निधियों का आबंटन नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि योजना को जारी रखा जाएगा। तमिलनाडु को ग्रामीण सड़कों के लिए अधिक धनराशि मिलनी चाहिए।

मैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इंदिरा आवास योजना के तहत कच्चे मकानों को पक्का बनाने हेतु प्रदान की जाने वाली 15000 रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर 25000 रुपये करे।

तमिलनाडु सरकार ने गांवों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित किए हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन पुस्तकालयों में कम्प्यूटर प्रदान करे ताकि ग्रामीण युवा बाहरी दुनिया से जुड़ सकें और इंटरनेट के माध्यम से इंफार्मेशन हाइवे में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।

ग्रामीण विकास पर ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं और आधारभूत संरचना सुविधाएं प्रदान की जा रही है। दुर्भाग्यवश हम यह पाते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक गांवों से बाहर जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोका जाए। मैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में बैंकों और डाकघरों की सेवाओं का विस्तार करने और उनमें वृद्धि करने हेतु समन्वित प्रयास करे। ज्ञान आधारित समाज में सूचना प्रौद्योगिकी, डाक सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं समन्वित रूप में उपलब्ध होनी चाहिएं।

मैं माननीय मंत्री जी से पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि वह इन क्षेत्रों पर ध्यान दें। मैं आशा करता हूं कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र करूर के ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए इन सभी मुद्दों पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे।

मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु सभापति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पार्टी बीएसपी की ओर से वर्ष 2008-2009 की ग्रामीण

विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे प्रदेश में आवासहीन परिवारों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की वचनबद्धता है। प्रदेश में 2002 के बीपीएल सर्वे के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग 45 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें नौ लाख आवास प्रति वर्ष की दर से निर्मित कराए जाने थे। केन्द्र सरकार द्वारा 2007-2008 में विभिन्न राज्यों को इस मद में 4032.70 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे।

उत्तर प्रदेश के साथ, धनराशि के आवंटन में, सौतेला व्यवहार किया गया। इसमें 2 लाख 55 हजार आवासों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 467 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। बिहार जो हमारे माननीय मंत्री जी का स्टेट है, उसे आपने 5 लाख 67 हजार आवास निर्मित करने के लिए करीब दोगुनी राशि उपलब्ध कराई थी। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत गरीब है और हमारी बगल में माननीय हरिकेवल प्रसाद जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बताया कि अग्नि-कांड में जिन लोगों को आवास मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता है। जब चोरी होती है तो घर का कुछ सामान बच जाता है लेकिन अग्नि-कांड में घर का कुछ भी सामान नहीं बचता है। जिन लोगों का पूरा घर जल जाता है उनको आवास देने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। सर, आप गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं इसलिए गरीबों का दर्द आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों की आपसे गुजारिश है कि गरीब लोगों की समस्याओं का आप विशेष ख्याल रखें। आपने आवास के लिए अब 35 हजार रुपये कर दिये हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज 35 हजार रुपये में कुछ नहीं बनता है। बिचौलिये चार-पांच हजार रुपये बीच में खा जाते हैं, इसलिए इस राशि को बढ़ाकर आप 50 हजार रुपये करने का कष्ट करें। आज महंगाई बहुत बढ़ गयी है, हर सामान के रेट बहुत बढ़ गये हैं, इसलिए गरीबों के साथ न्याय करके उन्हें आवास दिलाने का कष्ट करें। गरीब के साथ न्याय हो और वह देश की मुख्य धारा में शामिल हो, ऐसा कार्य आपको करना चाहिए।

पिछले बजट में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, हमारे क्षेत्र सुल्तानपुर को आपने प्राथमिकता दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपने वर्ष 2007-2008 में, उत्तर प्रदेश को 1213 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी और वह सारी की सारी राशि इस काम में लग गयी। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1067 करोड़ रुपये की मांग की गयी है लेकिन अभी तक एक पैसा भी वहां नहीं पहुंचा है। आपसे प्रार्थना है कि इस राशि को भिजवाने की कृपा करें।

पिछली बार, केन्द्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 1657 करोड़ 60 लाख रुपये दिये गये, जिनका उपयोग किया जा चुका है। करीब 1057 करोड़ रुपये की मांग और की गयी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार न करते हुए इस राशि को भी देने का कष्ट करें।

सर, आप गरीबों पर दया दिखाने वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि वर्ष 2002 में बीपीएल की जो सूची बनी थी, उसमें बड़े पैमाने पर गरीबों को हक नहीं मिला, गरीबों के साथ चिटिंग हुई। जो लोग ताकतवर थे, उन्होंने उस सूची में अपना नाम चढ़वा लिया, इसलिए आप उस सूची का दुबारा सर्वे कराकर, गरीबों का जो हक ताकतवर लोगों द्वारा मारा जा रहा है, उसे दिलाने का कष्ट करें, उनके साथ इंसाफ करें।

नल के विषय में मेरा कहना है कि हमारे दोस्त ने 500 नलों की मांग की। हम लोगों को हमारे क्षेत्र में बेइज्जत किया जाता है। जो 542 एमपीज चुनकर आते हैं उनमें से हाई-लेवल एमपीज को छोड़कर, जो हम जैसे गरीब एमपीज हैं उनको टार्चर किया जाता है। इसलिए हर गरीब एमपीज को 1000 नल देने का काम करें, जिससे वे 100-100, 200-200 नल हर विधान सभा क्षेत्र में लगवा सकें और गरीबों के साथ न्याय कर सके। गरीबों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों का सर्वजन समाज में, जो गरीब ब्राह्मण या ठाकुर लोग हैं, जिनके साथ गरीबी के कारण न्याय नही हो पाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा उन्हीं को न्याय मिला है जो यहां ताकतवर और मालदार लोग थे।

महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप एक हजार नल देने का काम करें। आप बहुत बड़े खजाने के मालिक हैं। आप ही सभी सांसदों के साथ इंसाफ कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री अनिवाश राय खन्ना** (होशियारपुर): महोदय, जब भी कोई राजनेता भाषण देता है तो अपनी बात देश के बारे में इस ढंग से शुरू करता है कि अगर किसी ने भारत देखना है तो भारत के गांव में देखा जा सकता है। अगर कोई धार्मिक नेता बात करता है तो वह कहेगा कि अगर भगवान देखना है तो भारत के गांव में देखा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी भारत के गांव के उत्थान का सपना देखा था और कहा था कि अगर भारत का गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। शायद हम आजादी के बाद देश के गांव को भूल गये हैं और गांव के विकास को भूल गये हैं। देश के गांववासियों को भी भूल गये हैं। जितना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

योगदान देश के विकास में गांव का होता है उतना योगदान सरकारों का उस गांव के विकास के लिए नहीं होता। भारत निर्माण के तहत गांव में सड़कें पीने का पानी, खेतों का पानी, घर, बिजली और टेलीफोन जैसी सुविधा देने का छः सूत्री कार्यक्रम लागू करने की योजना भी शायद नाकाफी सिद्ध हो रही है और पिछले चार सालों में भारत निर्माण के तहत 174000 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। रोजगार योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण सेहत मिशन इत्यादि भी देश के गांव के विकास की गति को बढ़ा नहीं पा रही।

आज गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई पीने का पानी खेत को लगाने के लिए पानी सड़कें इत्यादि की बहुत भारी कमी देखी जा रही है। अगर कहीं सभी समस्याओं को एक साथ देखना हो तो गांव में देखा जा सकता है। देश में ऐसे भी गांव हैं जहां से शिक्षा लेने के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। सरकारी अधिकारी वहां जाने को तैयार नहीं है ताकि गांव के लोगों का हाल जाना जा सके। जितनी भी हम योजना बनायेंगे उन योजनाओं का लाभ गांव तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी रहती है और केन्द्र भी बहुत सी बातों को राज्यों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी से भागता है।

आज गांव से शहरों की तरफ पलायन बहुत बढ़ रहा है। शहरों की भी व्यवस्था इस पलायन के कारण खराब हो रही है। अगर गांव को ही शहरों जैसी सुविधा दी जाये तो इस पलायन को भी रोका जा सकता है। गांव का कुटीर उद्योग लगभग बंद हो चुका है। गांव का किसान भी अब खेती में उतना फायदा नहीं ले पा रहा जितना वो मेहनत करता है। इसलिए खेती भी एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं रहा। पहले खेती के कारण कई लोगों को रोजगार मिलता था। और कई परिवारों की रोजी-रोटी खेतों के ऊपर ही निर्भर थी। आज जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है और फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती की आमदनी की अनिश्चितता बनी रहती है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पैदा होता है कि गांव का विकास कैसे हो इतना पैसा देने के बावजूद भी जो गांव का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। फिर कमी कहां है, अगर इस बात का विश्लेषण नहीं करेंगे तो एक के बाद एक योजना फेल होती जायेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मेरा एक सुझाव है मैं लम्बी चौड़ी बहस में पड़ना नहीं चाहता। अगर इस सुझाव पर विचार कर लिया जाये तो हम गांव को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं और गांव का विकास भी कर सकते हैं। सुझाव निम्नलिखित हैं कि जो भी राजस्व एक गांव से मिलता है उस राजस्व की निश्चित मात्रा वो वहीं गांव को दे दी जाये तो एक पंचायत के पास एक साल में कितना पैसे आने वाला है वो हिसाब उनके पास रहेगा। उदाहरण के तौर पर किसी गांव में कोई से बिजली, टेलिफोन बिल मार्किट फीस इत्यादि इकट्ठे होते और वह पैसा राज्य या केन्द्र के पास चला जाता है। अगर पहले सारा पैसा सरकार को जाये फिर वह पैसा वापिस गांव को जाये इस आने जाने में लिकेज बहुत होती है। अगर उस पैसे का प्रतिशत यहीं हर गांव को दे दिया जाये तो गांव की एक निश्चित आदमनी हो जायेगी। तो हर समय उस गांव को विकास के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह गांव में ईंट के भट्टे लगते हैं, पेट्रोल पम्प होते हैं, शराब के ठेके खुलते हैं या कोई उद्योग लगता है। उससे जो भी कर एकत्रित हो उसका एक निश्चित प्रतिशत वहीं गांव को दे देना चाहिए। इससे गांव आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। इससे विकास होगा। रोजगार के साधन पैदा होंगे और पंचायती राज प्रणाली मजबूत होगी। आशा है कि मंत्री जी इस विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना मेरे इस बिन्दु को ध्यान में रखकर बनायेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। जो सरकार गांवों अथवा ग्रामीण जनसंख्या के उत्थान के बारे में नहीं सोचती है वह समृद्ध भारत का निर्माण नहीं कर सकती है। इस संदर्भ में हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि भारत में कुछ राज्यों को पिछड़ा क्यों माना गया है। बहुत से पिछड़े राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता है। संप्रग सरकार की भाषा में वे 'आम आदमी' हैं। गांधी जी का यह मानना था कि यदि हम आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकते हैं तो हम एक राष्ट्र के रूप में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते हैं।

हमारे गांवों में ग्रामीण लोग गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि जैसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। उन्हें पेयजल स्वच्छता सुविधाएं अथवा बढ़िया सड़कें उपलब्ध नहीं हैं। वे शहरी क्षेत्रों तथा विकास से अलग-थलग पड़े रहते हैं।

---

*मूलतः ढड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मैं उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। हालांकि, यह खनिज, वन और लंबी तटरेखा जैसी प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है। केन्द्र की लापरवाही के कारण उड़ीसा के लोग इन सुविधाओं से वंचित रह गये हैं और अन्य राज्यों की तुलना में उन्हें लाभ नहीं मिला है।

महोदय, आप स्वयं हमारे राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति ने माननीय मंत्री के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय का शीर्षस्थ पद धारण किया हुआ है। राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू, जो कि मेरे राज्य से ही संबंधित है, भी उतने ही सक्षम व्यक्ति और एक स्व-सक्रिय नेता हैं। दोनों ही महान दूरदर्शी हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की गति को बढ़ाकर एक समृद्ध भारत का स्वप्न देखा है। जब कभी माननीय मंत्री महोदय भाषण देते हैं तो हम सभी उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम महसूस करते हैं कि अगर भविष्य के बारे में उनकी कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया जाता है तो बहुत जल्द ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल जाएगी। गरीबी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, न ही लोग वंचित रहेंगे और हमारे ग्रामीण भाई बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकेंगे।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" पहला कदम है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस कठिन कार्य को, सभी गांवों को सब-डिविजनल मुख्यालय और राजधानी शहरों से जोड़ने का कार्य अपने हाथ में लिया है। लेकिन इसमें कुछ अड़चने है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पर्वतीय तथा तराई क्षेत्रों में ऐसे कुछ जिले हैं जो दूर-दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। ये क्षेत्र मुख्य धारा से कटे रहते हैं, जो अब नक्सल, माओवादी आर आतंकवादी गतिविधियों आदि का प्रजनन स्थल बन गये हैं। महोदय, इसका मुख्य कारण संपर्क सड़कों का अभाव है। 60 वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात् भी जनजातीय लोगों को अच्छी सड़कें नहीं मिली और वे कटे हुए रहते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जनजातीय जिलों और दूर-दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दें। नक्सलवादी, माओवादी और आतंकवादी गतिविधिगों से ग्रस्त इन क्षेत्रों में लोग नाजुक स्थिति में रहते हैं। वे सभ्यता और प्रगति से दूर रहते हैं और उन्हें ज्यादातर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क भी उपलब्ध नहीं हैं। अत: अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाये तो इससे उनमें कटुता और उग्रता की भावना मे कमी आएगी।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बड़ी मात्रा में निधियों का आवंटन किया गया है। फिर भी, यह पाया गया है कि सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों में रुचि का अभाव है। वे निविदा के लिए आवेदन करने में ही हिचकिचाते हैं क्योंकि इसमें लाभ उत्साहवर्धक नहीं है। हाल ही में जब मैं सतर्कता समिति की अध्यक्षता कर रहा था तो मैंने जिला अधिकारियों से परस्पर बातचीत की और तब उन्होंने मुझे बताया कि सीमेंट, स्टील तथा अन्य कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हुई है। फिर वहां यातायात की समस्या है। सड़कों पर बनाये गये पुल बहुत तंग है और उनकी चौड़ाई केवल 15 मीटर है। अगर पुलों की चौड़ाई 20/30 मीटर बढ़ायी जाए तो काफी लोग लाभान्वित होंगे।

महोदय पिछड़ी श्रेणी के 47.12 प्रतिशत लोग उड़ीसा में रहते हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ अन्य राज्यों में भी इतनी ही जनसंख्या इनकी होगी। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि है, जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिक हैं, इनके दो बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुए हैं जिनमें से एक 'सालाबेग' एक मुस्लिम था और 'दसिमा' एक अनुसूचित जाति से था। समाजवाद, सम्प्रदाय-वाद और धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक विचार बिंदु जगन्नाथ की भूमि से निकला है।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री मेरे पड़ोसी राज्य से है। उड़ीसा और बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संबंध है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में है कि हम माननीय मंत्री महोदय से अपने प्रति अति-उदार रहने की मांग कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपे। चूंकि ग्रामीण विकास विभाग एक बड़ा विभाग है और श्री साहू सक्षम और सक्रिय व्यक्ति हैं, अत: हम आशा करते हैं कि वे अच्छा कार्य करेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): आप उन्हें मुख्यमंत्री बना दें। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: माननीय सभापति महोदय, पेयजल एक मूल आवश्यकता है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि 60 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं जगतसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो बंगाल की खाड़ी को चार स्थानों-बलिकुडा, इरासमा, तिरतोल और काकातपुर को छूता है। समुद्र से सटे कुछ गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं होता। उड़ीसा के बहुत से गांवों के लोग दूषित जल पीते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि उन्हें पेचिस, डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियां रहती है। अगर स्वतंत्रता के छह दशकों के पश्चात भी 'आम आदमी' को पेयजल जैसी मूल आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

है तो राज्य की स्थिति खेदजनक है। यह सरासर अन्याय है। उड़ीसा के गंजम जिले में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है। समुद्र से सटे अन्य सीमावर्ती जिलों जैसे भद्रक, बालासोर, केन्द्रपाड़ा आदि को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गाद निकालने का काम उचित तरह से किया जाए, तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

स्वच्छता की समस्या भी एक गम्भीर समस्या है। बहुत बड़ी मात्रा में निधियों का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई निगरानी नहीं की जा रही। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये जो समय-समय पर उसकी निगरानी कर सके तथा अंतर-राज्यीय समन्वय स्थापित कर सके, ताकि प्रगति का वास्तविक आकलन किया जा सके।

हाल ही में डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच बढ़ती दूरी और भारी मात्रा में ग्रामीण गरीबों का शहरी बस्तियों में प्रवास करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आज बंधुआ मजदूर, श्रमिक आदि अपनी जन्मभूमि को छोड़ शोषित होने के लिए अन्य जगहों पर जा रहे हैं, क्या हमारा देश वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? क्या इसी भविष्य की हमने कल्पना की थी? इस सम्माननीय सभा में हम लोगों के प्रतिनिधि है, हमें उनकी समस्याओं को यहां उठाना है।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन यह अनेकों कठिनाइयों से गुजर रहा है और हमें इसके भविष्य के बारे में शक है। यह ऐसी स्कीम है जैसे बीमार हाथी का इलाज होमोपैथी द्वारा किया जा रहा हो। बेरोजगार व्यक्ति के लिए केवल 100 दिन का कार्य अपर्याप्त है। इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि पूर्व वक्ता उल्लेख कर रहे थे कि विधान सभा का सदस्य 200 हैंड पम्पों को स्वीकृत दे सकता है। लेकिन हम संसद सदस्य दो हैंड पम्पों की स्वीकृति भी नहीं दे सकते, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम-से-कम 500 हैंड-पम्पों की स्वीकृति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को दी जानी चाहिए तथा ग्रामीण गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना में तेजी लायी जाये। बहुत से क्षेत्रों में हम पाते हैं कि गरीब बेघर बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं लेकिन सम्पन्न लोग किसी तरह उस सूची में शामिल हो जाते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

1997 के रिकार्ड के अनुसार उड़ीसा में इंदिरा आवास योजना के लाभान्वित 44 लाख हैं। लेकिन 2002 की बीपीएल सूची के अनुसार इसे केवल 34 लाख परिवारों तक ही सीमित कर दिया गया। इससे हम खुश नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक इस मुद्दे पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से भी मिले हैं, अत: हम मांग करते हैं कि 2002 की सूची को रद्द किया जाये और 1997 की सूची को ही मान्यता दी जाए।

महोदय, उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है, जहां 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। क्रांतिकारी कवि डा. साची राउतरे की कविता को मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा।

"माई विलेज इज स्माल वन
इट मे नाट मी फाउंड इन ए जियाग्राफी बुक
बट इफ सच स्माल विलेजस आर हेप्पी
दे विल मेक इंडिया स्माइल"

महोदय अंत में मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा को 'विशेष पैकेज' दिया जाये, ताकि अन्य राज्यों की तरह यह भी उन्नति कर सके।

हमारी मातृभूमि उत्कल का गौरव बढ़े।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मंत्री जी, उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की है कि आपने बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात रखी है। वह सिर्फ यह मांग रहे हैं कि जैसे एम.एलेज. जो कुछ ट्यूबवैल वगैरह दिये जाते हैं, ऐसे ही सब एम.पीज. को भी अपने-अपने क्षेत्र में लगाने के लिए आप कुछ न कुछ दीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शिवसेना पार्टी की ओर से मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2008-2009 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में मैं शिवसेना पार्टी की ओर से भाग ले रहा हूं। मैं मंत्री जी और उनके मंत्रालय को सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सारी अनुदान मांगें जल्दी मंजूर हो जायेंगी।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं कहूंगा कि हमारे मंत्री जी बहुत डायनामिक, कार्यकुशल और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। जमीन पर रहकर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कार्य किया है और ग्रास रूट के व्यक्ति होने के कारण ही ग्रामीण विकास की योजनाओं को सब जगहों पर कार्यान्वित करने और उन्हें पूरा करने के लिए वह दिल से आगे

आ रहे हैं। उनके साथ साहू जी, श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील भी हैं, लेकिन फिर भी उनके मंत्रालय की प्रसिद्धि और प्रचार-प्रसार कम हो रहा है। चाहे जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, इन सभी जगहों से इतना प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो अधिकारीगण हैं, हो सकता है कि वे लोग आपको इतना सहयोग नहीं दे पा रहे होंगे। आप यूपीए सरकार में इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, लेकिन वे लोग शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यह बात मैं प्रचार-प्रसार कम होने के कारण कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख योजना में वर्ष 2007-2008 में 5262.14 करोड़ की राशि खर्च नहीं की गई। ग्रामीण आवास का मुद्दा अभी बहुत से सांसदों ने यहां उठाया। उसमें 1186.12 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास की मदद में खर्च नहीं हुए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की 1491.02 करोड़ रुपये की राशि ऐसे ही पड़ी है। इस मुद्दे पर मैं आगे बोलूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 835.74 करोड़ रुपये की राशि ऐसे ही पड़ी है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भी 434.26 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़े हैं, यानी उसका काम आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

ग्रामीण विकास के लिए आबंटित राशि जो गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि राज्यों का सहयोग नहीं मिलता, पंचायत राज के हिसाब से फिर जिला परिषद पंचायत समिति का सहयोग नहीं मिलता। मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे सांसदों की एक निगरानी समिति स्थापित की। मैं तो हर साढ़े तीन महीने में एक मीटिंग हमेशा लेता हूं और उसमें कई मुद्दे हल हो जाते हैं और हमें राज्य शासन और केन्द्र शासन की ओर से कभी जो भी धनराशि नहीं मिलती है तो वह मैं आदरणीय मंत्री जी से कहकर वह राशि भी दिलवाता हूं। इसलिए कमेटी के कारण से हमारे कई मुद्दे सॉल्व होते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार में बैठे कुछ अधिकारीगण इसके बारे में बहुत उत्सुक नहीं हैं। मैं कहूंगा कि कुछ अधिकारी मनमानी क्यों कर रहे हैं? यह गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजना निकाली गई है, उसका फायदा गरीब लोगों तक कुछ अधिकारी नहीं होने दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था- गांव चलो अभियान। वह इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग किसान हों या किसान के बच्चे हों, वे सारे शहर में काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको गावों में काम नहीं मिलता है। ये ग्रामीण क्षेत्र से कनैक्टिविटी इसीलिए जोड़ी गई है कि वहां यातायात होगा और उसके बाद किसान ने जो खेती की होगी, उसका जो उत्पादन निकला होगा, वह शहर के क्षेत्र में लाने के लिए एक अच्छी सुविधा होगी और इससे गांवों का भी विकास होगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह योजना शुरू की थी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस योजना को कंटीन्यू किया और इसमें बढ़ोत्तरी भी की। लेकिन बढ़ोत्तरी करने के बाद हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो वहां के लोग हमेशा कहते हैं कि यहां का रास्ता बनवा दीजिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने मेरे जिले के 110 करोड़ रु. के प्रस्ताव भेजे थे। उसमें से सिर्फ 40 करोड़ के प्रस्ताव पास हो गये। बीच में हम लोगों ने आफिसर्स से इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के लोग भी यहां आए थे। आपके जिले का 60 करोड़ रु. का ही प्रस्ताव पास होना वाला है। हमने 110 करोड़ रु. का प्रस्ताव देने के समय सारे गांव वालों को बोल दिया कि आपका यह रास्ता आने वाला है। लेकिन 60 करोड़ रु. का प्रस्ताव पास होने के बाद कौन सा गांव नहीं आया तो लोग हमें कहेंगे कि क्या बात है, आप कैसे कह रहे थे? बाद में जब मैंने फिगर देखी तो उससे भी और कम हो गया। अनुदानों का समर्थन करते समय मैं भारत सरकार से कहूंगा कि हमारी ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। जैसे आपने गृह मंत्रालय को ज्यादा पैसे दिए, रक्षा मंत्रालय को ज्यादा पैसे दिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास योजना को सबमें ज्यादा पैसा देना चाहिए, यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कहूंगा कि उसमें कई रास्ते आते हैं, लेकिन आज जो छठा प्लान था, उसमें से कई लोगों ने टेंडर भी नहीं भेजे हैं। उनका कहना है कि सीमेंट, डांबर, तारकोल और रोड़ी का भाव बढ़ गया है, हम यहां से करेंगे? जिन्होंने यह टेंडर लिया था, उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया है। उनको पेनल्टी भी लगाई तो भी उन्होंने काम शुरू नहीं किया। उनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें ब्लैकलिस्ट में डालो लेकिन हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए काम करने वाले नहीं हैं। सर, मेरा कहना यह है कि यह बहुत अच्छी योजना है। आपने कई रास्ते देखे होंगे, ठीक है कि 5 साल तक उसे मेनटेन करना पड़ेगा। कई सांसदों ने यह कहा कि 5 साल के बाद राज्य शासन को करना चाहिए। राज्य सरकार के लिए अच्छी बात है कि इतनी बड़ी योजना से मदद हो रही है। मैं यह भी कहूंगा कि आपके मंत्रालय से जो लोग भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उनके कारण इसमें पारदर्शिता है। मैं यह कहूंगा कि यह जो आज वर्ष 2007-08 में लम्बाई 55020 कि.मी. थी, वह

[श्री चंद्रकांत खैरे]

दिसम्बर 2007 तक 22237 ही हो गई। यानी इसमें काम आगे नहीं आ रहा है। इसके लिए कुछ न कुछ मोनीटरिंग हम लोग तो करते ही हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में हैं लेकिन आपके मंत्रालय से चीफ सैक्रेटरियों को ऐसा पत्र जाना चाहिए कि इसमें कलैक्टर ने या बाकी अधिकारियों ने या पीडब्ल्यूडी हो या जो भी काम करने वाली एजेंसी होगी, उनके जो हैड हो जिन्होंने काम नहीं किया तो उनके ऊपर फाइन होना चाहिए।

मेरे जिले के 110 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे, उनको आप छठे और सातवें प्लान में लीजिए, मैं ऐसी विनती आपसे करूंगा। उसमें एक महत्वपूर्ण काम आप करिए। चूंकि सीमेंट, डामर और खड़ी आदि के भाव बढ़ गए हैं, इसलिए आप उसमें एक्सपैंशन और सुधार करें।

आज भारत निर्माण कार्यक्रम बहुत जोर से चल रहा है। इसमें महाराष्ट्र की अनुदान का बहुत सा रुपया अभी तक नहीं आया है। निर्माण के लिए कहते हैं कि दस प्रतिशत पब्लिक कंट्रीब्यूशन से जमा करके करते हैं, लेकिन मैं प्रामाणिकता से कहूंगा उसको भी कांट्रैक्टर ही भरता है। जब मैं ग्रामीण और शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का चेयरमैन था तो हमने जाकर इंस्पैक्शन किया था। हमने वहां सरपंच और ग्रामसेवकों को कहा कि अपनी ग्राम पंचायत की लैजर बुक बताइए। आप कहीं भी बोलेंगे कि इन्होंने उन्होंने पैसा दिया है, डेटवाइज बताइए। फिर वे पकड़े गए। उसमें भी कुछ लोग होशियारी करने लगे हैं। उसमें काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जैसे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी को देखने के लिए भेजते हैं, उसी प्रकार इस योजना के लिए भी किसी को भेजा जाए, ऐसी मेरी विनती है। मेरे गांव में तो 783 का हमने प्लान करके भेजा है। उसमें से कुछ काम शुरू हो गया है। 1267 गांवों के लिए पीने के पानी की योजना के अंतर्गत हमने भारत निर्माण योजना में लिया है लेकिन उसमें अभी कुछ मंजूरी नहीं मिली है। मैं आदरणीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। मुझे 15 मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय: एक दो पॉइंट बोलकर आप अपनी बात खत्म करें।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, भारत निर्माण में जो पेयजल की योजना है, उसमें इनको मंजूर करा दीजिए, ऐसी मेरी विनती है। भारत निर्माण में आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे बाढ़ को रोकने के लिए पुरनियंत्रण साठवण तालाब होता है गांव गांव में, उसकी एक श्रृंखला का निर्माण करिये। आपके विभाग से अभी लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट नहीं आया है। वह आना चाहिए। जो प्रकल्प गृहस्थ होते हैं, उनके लिए जो अभी लैन्ड एक्वीजीशन और उनका पुनर्वसन करते हैं उसकी योजना भी भारत निर्माण में आनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि भारत निर्माण में जो पुराने तालाब हैं, उनमें जो कचरा और गार नीचे बैठा है, उसे भी निकालने का काम होना चाहिए। उसके कारण बहुत सी पानी की योजनाओं को बल मिल सकता है। सीमेंट बंधारा जो हम करते हैं, उसकी भी गार निकालते जाइए। यह भी भारत निर्माण में एक बड़ी सहायता करेगा। कई जगह बाडी मिलती है, उसमें पानी लगता है, नहीं लगता है। जो पहले के तालाब बने हुए हैं, वे भी कई वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही बने हुए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की बात भी मैं कहूंगा। उसमें स्कूल के कमरों की दुरुस्ती करने के लिए भी आपको प्रावधान करना पड़ेगा। मेरी मंत्री जी से एक मांग है कि आपने जो कहा कि गांव का सरपंच और हैडमास्टर जो होगा, वे दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कई कंस्ट्रक्शन इतने बोगस बन रहे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। आप स्कूल के शिक्षकों को या हैडमास्टर्स को यह काम मत दीजिए। उनका पढ़ाई में ख्याल कम होता है और इधर ख्याल ज्यादा होता है। जैसे मेरे जिले में 28 करोड़ रुपये के कंप्यूटर्स की योजना आई थी। वहां की समिति के माध्यम से वह बाजार में जाते हैं। कंप्यूटर वाला कहता है कि कंप्यूटर हमें ही दे दो। पांच पांच हजार रुपये कंप्यूटर्स के लिए ले लेते हैं और कंप्यूटर बेच देते हैं। आज कई कंप्यूटर्स बंद पड़े हैं। उनका उपयोग क्या है? हम इतने करोड़ों रुपये वहां ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में भेजते हैं। उसका सैन्ट्रलाइज आफिस होना चाहिए और सीईओ के माध्यम से सारे गांवों को हैडक्वार्टर्स से कम्प्यूटर्स लेकर जाना चाहिए। यह शिक्षक और बाकी का काम नहीं है। जिला परिषद का जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, उसको स्कूल निर्माण का पूरा काम करना चाहिए। उनके माध्यम से स्कूल के जो कमरे होते हैं उनके लिए हम 1 लाख 52 हजार रुपये तक देते हैं। यह सारा काम इधर के डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इसे सरपंच आदि को देना मैं उचित नहीं समझता। मैं एक दिन गांव के रास्ते का उद्घाटन करने गया था तो मैंने देखा कि वहां सीमेंट मिट्टी जैसा निकल रहा है तो मैंने कहा कि मैं इसकी ओपनिंग नहीं करता। वहां देखा गया तो पता चला कि दसवें, 11वें और 12वें वित्त आयोग में जो पैसा आता है, उस पैसे को सब लोग आपस में बांट लेते हैं, इसलिए कोई काम नहीं होता है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

महोदय, सिंचाई योजना के लिए भी उसमें एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। आप जो 12वें वित्त आयोग के पैसे यहां से भेजते हैं, जैसे हमारा एमपी लैड और एमएलए लैड होता है, हमारे जिला परिषद के मेम्बर्स समझते हैं कि जो 12वां वित्त आयोग का पैसा है, अगर हमारे 60 मेम्बर होंगे तो वे सब आपस में बांट लेते हैं।

वे कहते हैं कि यह हमारी निधि है। इसे जो वे अपनी निधि मान कर काम करते हैं, यह गलत है।

महोदय, मेरा कहना है कि ऐसे स्थानों पर ज्यादा धन का प्रावधान होना चाहिए, जो साधारण इलाके होंगे, वहां के लिए 12वें वित्त आयोग का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वहां जनसंख्या के हिसाब से पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा एक नार्म भारत सरकार के वित्त आयोग का आपके डिपार्टमेंट से गया तो ठीक हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेटर आ गया तभी ये सारे लोग चुप बैठते हैं। सेंट्रल ग्रुप का आपने हमारे यहां भी ओपनिंग किया था, लेकिन उसमें यह हो रहा है कि जो सन् 2000 के पहले के सेल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही, 2000 के बाद वालों को मदद मिल रही है। इसमें भेदभाव मत करिए, यह मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं। उनकी मदद करना, उन्हें पूरी मार्केटिंग दिलवाना बहुत अच्छा काम है।

महोदय, मेरा इसमें कहना है कि जो शौचालय है, आप मेरे यहां खंडाला में आए थे तो आपने देखा था और कहा था कि यहां कितनी गंदगी है। तब मैंने आपसे कहा था कि आप इसके लिए पैसा दीजिए। उस समय आपने कहा कि मैं इसके लिए अपने भाषण में बोलूंगा। मैंने भाषण में बोला और लोक सभा में भी मैंने प्रश्न पूछा। फिर आपने 15 सौ रुपए बीपीएल के नीचे वाले लोगों के लिए दिए।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से यूपीए गवर्नमैंट और मंत्रालय से विनती है कि आप ऐसा मत करिए। ग्रामीण क्षेत्र में कितने घर होते हैं, कहीं पांच सौ, आठ सौ और नौ सौ भी होते हैं, उसमें से बीपीएल के दो सौ होंगे, बाकी के चार सौ लोग रास्ते में बैठे रहते हैं। हमारी माताएं भी रात को बैठी रहती हैं, यह गलत है। आपको मालूम है कि हमारे मराठी में आपने उद्घाटन किया, हगनदारी मुक्त, आपने इसके लिए बहुत प्राइस रखे हैं। गांव-गांव में जाकर हम उनका प्रचार भी करते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपने 15 सौ रुपए बीपीएल को दिए तो आप जितने भी वहां गांव में रहने वाले लोग हैं, उन सब को आप दीजिए, ऐसी मेरी आपसे बहुत आग्रहपूर्ण विनती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से उनका यह सपना पूरा हो सकता है। इंदिरा आवास के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। इस समय सीमेंट और स्टील आदि चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं इंदिरा आवास के बारे में कहूंगा कि 35 हजार रुपए बहुत कम हैं, ये कुछ ज्यादा होने चाहिए। इसमें एक लाख रुपए होने चाहिए, यह मेरी आपसे विनती है। मैं आपको इसके आंकड़े बताऊं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कम हैं। पिछले साल 97.71 परसैंट का लक्ष्य पूरा किया, लेकिन अभी तक 58 परसैंट ही पूरा हुआ। इसलिए इसमें जो बेसिक आवश्यकता है, उसे ठीक करना चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, हमने उसका स्वागत किया है। रात को देर तक बैठ कर हमने वह बिल भी पास किया।

सभापति महोदय, मंत्री जी बहुत उत्सुक थे, बाकी यू.पी.ए. गवर्नमेंट के सारे पदाधिकारी उत्सुक थे और इस संबंध में बिल भी यहां पारित हुआ, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि यह बहुत ही काम्प्रीहैंसिव योजना है, लेकिन इसमें नीचे के अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं, कभी बायकाट करते हैं और कभी कुछ और करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में यहां से एक लैटर कलैक्टर और सी.ई.ओ. को रेस्पांसीबल बनाने के संबंध में जाए और उसमें स्पष्ट रूप से लिखिए कि यदि आपके यहां रोजगार गारंटी स्कीम का काम ठीक प्रकार से नहीं चला, तो आप रेस्पांसीबल होंगे। हमारे महाराष्ट्र में 365 दिन का काम देने की गारंटी वाला विधेयक बनाया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 दिन की गारंटी का विधेयक पास किया है, परन्तु 100 दिन का काम भी लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका प्रतिशत बहुत कम है। इस बारे में आपको बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ 9,55,025 परिवारों को ही अभी तक इस योजना के अंतर्गत रोजगार दिया गया है, यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कुछ मुद्दे सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक अखबार, दैनिक जागरण में यह आया था कि 'सांसद जी अब सरकार आपसे पूछेगी गांव के विकास का हिसाब-किताब' यह अच्छा विचार है। आप बोलते अच्छा हैं, यह बात भी सही है और इस हेतु आपकी प्रशंसा सारे लोग करते हैं। कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की ऐसी हैं, जिनका उद्घाटन हमें बिना बुलाए कर दिया जाता है, हमें उनके बारे में कैसे पता लगेगा और हम उनके बारे में क्या बताएंगे? अभी हमारे एक मित्र सांसद ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन वहां के सांसद, वहां के विधायक की उपस्थिति में ही करना चाहिए और जिला परिषद का अध्यक्ष भी उपस्थित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी वहां जाकर उद्घाटन कर लेता है। राज्य सरकार का मंत्री आ जाता है या कोई और आ जाता है और उद्घाटन कर लेता है। हमें कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहूंगा कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमों का उद्घाटन वहां के सांसदों के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए। इस बारे में भी आप स्ट्रिक्ट आदेश निकालिए।

[श्री चंद्रकांत खैरे]

महोदय, दूसरी बात मैं भारत निर्माण योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि सारी योजानओं का उद्घाटन स्थानीय सरकार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का उद्घाटन सांसदों द्वारा ही किया जाना चाहिए और वहां का विधायक तथा जिला परिषद का अध्यक्ष उपस्थित रहना चाहिए। डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन भी सासंद को बनाया जाना चाहिए। इस बारे में अनेक बार सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है, लेकिन अभी तक इस बारे में नहीं सोचा गया है। वित्त आयोग द्वारा दिए गए धन का डिस्ट्रीब्यूशन भी जिला परिषद के अध्यक्ष करते हैं, यह गलत है। उसका वितरण वहां के सांसद के माध्यम से ही होना चाहिए। जो नार्म्स मैंने बताए हैं, उनके अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। शौचालय स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बी.पी.एल. के अलावा भी जो अपर क्लास के लोग हों, उन्हें भी इसकी सुविधा दी जानी चाहिए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. के लोगों को शौचालय बनाने हेतु 1500 रुपए की सहायता दी है। मैं चाहता हूं कि जो वहां के अपर क्लास के लोग हैं, उन्हें भी यह सहायता दी जानी चाहिए। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आपको एक लाख रुपए की सहायता देनी चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में इस हेतु बनाई गई कमेटियों को बर्खास्त कर, सेंट्रल कमेटी बनानी चाहिए। सभी बचत घटकों को समान न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से निश्चित रूप से ग्रामीण विकास हो रहा है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह योजना पिछड़ जाएगी। आपका नाम खराब न हो, इसलिए हम हमेशा आपका नाम लेकर काम करते हैं। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप और सख्त हो जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन पहले ही करना चाहता हूं कि ज्यादा घंटी बजाएंगे, तो मैं अपना भाषण अभी समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय: नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। आप प्रारम्भ कीजिए और पांच मिनट में खत्म कीजिए। उनके 5 मिनट की बजाय 15 मिनट हो गए। ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरे लोगों को बोलने के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, हम अपना भाषण अपनी ओर से बहुत ही कम समय में समाप्त करेंगे।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, इसी चर्चा में हम भाग भी ले रहे हैं और ये मांगें पास भी होंगी, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। हमें लगता है कि पैसा कम रखा गया है। यदि आप और ज्यादा पैसा रखते, तो सदन को उतना पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सभी लोग इसमें आपका सहयोग करते। जितने भी वक्ता सदन में अभी तक बोले हैं, उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत किया है। लोगों ने कहा है कि आप जमीनी आदमी हैं और जमीनी हकीकत को जानते हैं। आपके कार्यक्रमों की भी किसी ने शिकायत नहीं की है, लेकिन कार्यक्रमों के रिजल्ट पर किसी ने संतोष भी जाहिर नहीं किया है। हम भी वही करेंगे। कारण यह है कि ग्रामीण विकास, केवल बिहार या उड़ीसा की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की बात है और मैं पूरे देश की ही बात कहूंगा।

सभापति जी, ग्रामीण इलाकों और गांवों के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग का कार्य है। गांव और शहर में समानता, लोन की व्यवस्था और गांव में रोजगार सृजन और गांव की आम सुविधा की चीजें, जैसे बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई आदि महत्वपूर्ण विषय हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें आवास, पेयजल और सड़क आती है। सभी योजनाओं के लिए राज्यों को पैसा जाता है। यह बात सच है कि काम आप सीधे तौर पर नहीं करवाते हैं, काम कराने की एजेंसी आपने राज्य सरकार को दी है। राज्य सरकार का अगर पूर्ण सहयोग न मिले या राज्य सरकार की एजेंसी सही तरीके से काम न करे, तो आपकी नीति और नीयत पूरी नहीं हो पाएगी, यह बात सत्य है।

दो-चार बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आप चलाते हैं, यह बहुत ही अच्छी योजना है। एक समूह के आधार पर आप गांव के कमजोर गरीब लोगों की मदद करते हैं, ताकि स्वरोजगार उत्पन्न हो। जैसे-जैसे वह समूह कार्य रूप में बढ़ता है, उसके अनुसार बैंकों से 10, 20, 30 या 40 प्रतिशत पर ऋण की भी सुविधा प्राप्त है। आप सच्चाई को जानते हैं, जो मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, लेकिन सदन में चूंकि चर्चा चल रही है, इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है। इसमें बैंकों का सहयोग नहीं है। बैंकों का सहयोग मिलता भी है, तो पता नहीं चलता है कि बैंकों पर सरकार का कोई नियंत्रण है भी या नहीं है। जो आप कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, निर्देश देते हैं, उनका अनुपालन करने में भारी गड़बड़ी है। हम सदन में नहीं कहते कि पैसा लेने के लिए कुछ प्रतिशत पैसा देना पड़ता है, यह उचित नहीं है। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आप

जमीनी हकीकत को जानते हैं और मैं भी मानता हूं कि आप हकीकत को जानते होंगे। जब बैंकों का सहयोग नहीं मिलेगा, तो आपकी जो नियत है कि बैंकों के माध्यम से रोजगार दे कर गांवों के लोगों को मजबूत करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर वे कुछ खास वस्तुओं का उत्पादन कर भी लेते हैं, तो उनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है।

आपने वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, उसमें दिल्ली में आपने तीन-चार स्थानों पर बाजारों का जिक्र किया है। आप चिंतन कीजिए कि देहाती इलाके की गरीब महिलाएं क्या दिल्ली के बाजार में सामान ले कर आ सकती हैं? उस प्रदर्शनी से ग्रामीण लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अगर प्रदर्शनी लगानी है तो प्रचार और प्रसार के माध्यम से कम से कम जिला स्तर पर होनी चाहिए। यह प्रदर्शनी प्रखंड स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रखंड स्तर पर आप नहीं भी आयोजित कर सकते हैं तो कम से कम देश में जिला स्तर पर यह प्रदर्शनी करवा कर बाजार की व्यवस्था कराइए। इससे आपको इस कार्य को करने में सफलता मिल सकेगी। सम्मानजनक स्थिति में जीवन बिताने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस तरह प्रोत्साहन का क्या लाभ मिलेगा? अभी एक साथी कह रहे थे कि जब आप इनके यहां गए, आपने कहा कि कुछ मांग कीजिए। इन्होंने मांग की और आपने घोषणा भी कर दी तथा बीपीएल के लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने के लिए पैसा भी चला गया। इस काम के लिए 1500 रुपया दिया गया, आप ही बताइए कि 1500 रुपए से कौन सा शौचालय बन सकता है। क्या आपको यह व्यावहारिक लगता है? आप यह पैसा शायद इसलिए दे रहे हैं कि दो-चार लोग इस पैसे को आपस में बांट लें। सुलभ शौचालय यदि गांव में एक है, तो आप उसे एक गांव में दो कर दीजिए। एक जगह, दो-चार, महिलाओं और पुरुषों के लिए आप एक ही कैंपस में उसे बना दीजिए। उसमें एपीएल और बीपीएल का क्यों भेदभाव करते हैं? पखाना जाने में भी बीपीएल और एपीएल का आप भेदभाव कर रहे हैं। मंत्री जी, यह कैसा देश है? जिस देश में पाखाना जाने के लिए, शरीर की सफाई के लिए आप भेदभाव करते हैं। हमें नहीं लगता है कि यह कोई अच्छा काम हो रहा है। इस तरह से पैसे की सीधी लूट हो रही है। आप व्यावहारिक आदमी भी हैं। बराबर यह मांग होती रहती है, इस पर चर्चा भी होती है, कई माध्यमों से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से आप उत्तर भी देते रहते हैं। हम आज आपसे व्यवाहारिक उत्तर की उम्मीद करेंगे, क्योंकि चार साल बीत चुके हैं। हो सकता है कि यह आपका इस दौर का अंतिम उत्तर हो। हम यह नहीं कहते हैं कि इसके बाद आप मंत्री नहीं होंगे, लेकिन इस टर्म का लगता है कि यह अंतिम उत्तर हो। इस अंतिम उत्तर में कम से कम, चार साल तो आप कागज देखकर बोले, जो पदाधिकारियों ने आपको लिखकर दिया, जिसे आप पढ़ते रहे, कम से कम अंतिम समय में व्यावहारिक बिंदु बता दीजिए, ताकि देश की जनता और गांव के लोग व्यावहारिक बात की तरफ देख सकें। हमें लगता है कि आप पन्द्रह सौ रुपए जरूर समाप्त करिए। इसे बढ़ाइए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। चूंकि आप चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। वे भी एक स्वच्छ जिंदगी जी सकें, इसके लिए जरूर आप कदम उठायेंगे, ऐसा हमें भरोसा है।

मंत्री जी, पिछले दिनों एक योजना चली थी-श्रम विकास योजना। हर जिले में आप प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए के हिसाब से इसमें देते थे। जिन जिलों में आपने नहीं दिए, खासकर बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों को उतनी ही राशि, जितनी आप केंद्र से दे रहे थे। ...*(व्यवधान)* वह दी गयी थी। जो राज्य से मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसे मुख्यमंत्री विकास योजना नाम से जिलों में भेजा गया। सचमुच योजना बहुत अच्छी थी। नाम बदलने में आप बहुत माहिर आदमी हैं। आप नाम बदलिए, किसी के नाम पर भी रखिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी पिछड़ा जिला के नाम से वही पैसा भेजा। कल जो उस पैसे का उपयोग हो रहा था और आज जो उपयोग हो रहा है, मंत्री जी आप उसे देख लीजिए। दोनों में बड़ा अंतर है। कल भी उसमें कोई एमएलए या एमपी मेंबर नहीं होते थे। उसके उपयोग से आज भी जिन इलाकों में काम हुआ है, वह दिखता है। पिछड़ा जिला के नाम पर आप राशि भेजते हैं। हमें देश भर का तो मालूम नहीं है, देश का आंकड़ा आपको मालूम होगा, लेकिन बिहार में यह तय हो चुका है कि हर पंचायत में जिस तरह से सत्यनारायण का प्रसाद बंटता है, वैसे ही पांच-पांच लाख रुपए बंट रहा है। कौन उसमें विकास का काम कर रहा है? पंचायतों को आप रुपये देते ही हैं। पंचायतों को बहुत सा पैसा जाता है, लेकिन जिस जिले के विकास के लिए आप पैसे दे रहे हैं, पंचायत के हिसाब से पांच-पांच लाख रुपए दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि सारे रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। जिला स्तर पर जिस प्रकार से श्रम विकास का रुपया जाता था, आपको जिला स्तर पर उसी तरह से रुपया भेजना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसमें आप एमएलए या एमपी को मेंबर बनाइए। आप जैसे भी करिए, लेकिन जिला प्रशासन के माध्यम से ही दीजिए। जिले में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, उसके अनुरूप जिला प्रशासन को आप निर्देश दीजिए कि वह रुपया खर्च करे। सत्यनारायण का प्रसाद मत बंटवाइए। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

दूसरी बात हम आपसे इंदिरा आवास के संबंध में कहना चाहते हैं। बिहार में क्या हो रहा है, हमसे कम आप नहीं जानते हैं। आपने गाइडलाइन दिया और गाइडलाइन के आधार पर बैंकों के माध्यम से, सूची प्रखंड से जा रही है, बैंक मे खाते खुल रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। जो प्वाइंट आपने बीपीएल का निर्धारित है, वह बहुत बेमुनासिब है। मैं बेमुनासिब इसलिए बोल रहा हूं कि आप बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के लोगों का एक शौक है और जीने का अपना उनका एक तरीका है। जिसके पास दस कठा जमीन है, वह दस कठा जमीन बेचकर दो कमरे का मकान लेता है। उसके दरवाजे पर चापाकल है। शौच के लिए उसने टूटी-फूटी ही सही, एक लैट्रिन की व्यवस्था कर ली। अब उसके पास कुछ भी जमीन नहीं बची। जो दस कठा जमीन थी, उसे बेचकर उसने यह सब कर लिया। वह किसी के दरवाजे पर परिश्रम करके, मजदूरी करके भोजन करता है। साल में हो सकता है कि महीना या कुछ दिन उसे और उसके परिवार को उपवास रखना पड़ता हो।

आपने जो गाइडलाइन्स दी हैं बीपीएल में उसका नाम नहीं आ सकता। घर का नम्बर इतना, चापाकल का नम्बर इतना, लैट्रिन का नम्बर इतना, आप देश में एकरूपता की बात कैसे सोचते हैं जब आप ही इतना भेदभाव बरतेंगे, आपकी गाइडलाइन्स इतना भेदभाव बरतेगी, आप गांवों के लोगों को अपनी गाइडलाइन्स के आधार पर टुकड़े-टुकड़े में बांट रहे हैं तो लोगों के साथ कैसे इंसाफ होगा, कैसे न्याय होगा। हम नहीं कहते कि जो लोग सम्पन्न हों, जिनके पास साधन हों, आप उन्हें उसमें शामिल कीजिए, लेकिन प्वाइंट का जो तरीका है, उसमें जैन्यूइन लोग भी मारे गए हैं। उसमें दूसरी गड़बड़ी भी हुई है। सब प्राइवेट कम्प्यूटर वाले लोगों को ठेका दिया गया था और जो बाजार में घूमने वाली पब्लिक कहलाती है, कम्प्यूटर वालों से मिलकर जैन्यूइन लोगों का नाम निकलवा दिया, जबकि दूसरे लोगों का नाम शामिल कर दिया। क्योंकि उनका सूची में नाम आ गया तो वे उसका लाभ ले रहे हैं। जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसलिए इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। आपने कह दिया कि बैंक में खाता खुलेगा। यह कह दिया कि प्वाइंट पर वितरण होगा, लेकिन जब प्रखंड स्तर पर आप इसका आवंटन भेजते हैं तो प्रखंड पंचायत स्तर पर कर देता है। मान लें कि एक पंचायत में यदि एक प्वाइंट पर पचास लोगों का नाम हो और उसमें दस आवास ही देने हों तो दस आवास में से, किसी को तय करना पड़ेगा, उसमें प्वाइंट की कमी-बेशी नहीं होगी, उसी में हेरा-फेरी शुरू हो जाती है। उसमें बिचौलिए इस्तेमाल करते हैं। बैंकों में जब खाता खुलता है,

अपराह्न 3.47 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

वह जिस दिन रुपये निकालता है, उस दिन बिचौलिया वहीं खड़ा रहता है और उनके हाथ से नकद दान वहीं पर ले लेता है। इसे दुरुस्त करने का कानूनी तरीका कोई नहीं है, मैं यह भी कहता हूं। जो देता है, उससे पूछेंगे तो वह स्वीकार भी नहीं करेगा कि हमने पैसा दिया है और लेने वाले को कहने का सवाल ही नहीं है। इस बारे में हमारा एक निवेदन है कि आप इस काम को डिपार्टमैंटली करवाइए। पैसों का दूसरा दुरुपयोग भी होता है। आप जिन्हें पैसा दे रहे हैं, वे महाजन से पैसा कर्ज पर लेते हैं। जब महाजन को मालूम हो जाता है कि उन्हें घर वाला पैसा मिला है तो उनके दरवाजे पर पहुंचने से पहले वह रास्ते में खड़ा रहता है कि माल मिल गया, अब पहले हमें दे दो। जो बचता है, उसे वह ले लेता है। मजदूर क्लास का आदमी है, उसे पहले से आदत है कि वह दिनभर परिश्रम करता है तो शरीर को नियंत्रित करने के लिए जब तक एल्कोहल नहीं लेगा, तब तक दुरुस्त नहीं होगा। जो पैसा बचता है, उसे वह एल्कोहल की दुकान में जाकर दे देता है। आप घर बनाने का तरीका अपना रहे हैं-इस तरह नहीं बनेगा, किसी कीमत पर नहीं बनेगा। यदि आपकी बनाने की नीयत है तो उसका एक रास्ता है कि आप डिपार्टमैंटली बनवाएं। उसमें जिस एजैंसी को लगाएं, उसे हिदायत दीजिए, टाइम बाउंड कर दीजिए कि यदि पैसे लेने के बाद दो महीने, पांच महीने के अंदर घर पूरा नहीं हुआ तो सीधे कार्यवाही कर दीजिए। लेकिन यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो बैंक में देते रह जाएंगे, पैसों का भुगतान कागजों में आ जाएगा, कागज में आ जाएगा कि इतने मकान बन चुके, लेकिन मंत्री जी, व्यावहारिक रूप में आपको भी वहीं चलना है, हमें भी चलना है, लोग बहुत कोसेंगे, आपकी भी दुर्गति होगी, हमारी भी दुर्गति होगी। इसलिए बचाइए। घर बनाने का इंतजाम करवाइए, बिचौलियों को रास्ते से हटाने का इंतजाम करवाइए, इंदिरा आवास में प्वाइंट में सुधार करवाइए, यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

भारत निर्माण और प्रधान मंत्री सड़क योजना की चर्चा चल रही थी। कोई नहीं कह सकता कि यह गलत कदम है। गांवों के उत्थान में सड़क निर्माण सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम देश के बारे में नहीं जानते लेकिन बिहार में प्रधान मंत्री सड़क की एजेंसी राज्य सरकार को नहीं दी गई बल्कि सरकार अपनी एजेंसी से काम करवाती है। हमें लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है, उससे बिहार के विकास में बाधा हो रही है। हम उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हैं। एक पथ-मांझी से बड़ौली है जो तीन जिलों को जोड़ता है-छपरा, सीवान और गोपालगंज।

एक बार मैंने अपना आधा हिस्सा प्रधानमंत्री सड़क में ले लिया जो कि छपरा जिले का हिस्सा था। जब दूसरा हिस्सा आपने नहीं दिया तो राज्य सरकार ने उसके निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये आवंटित किये। तभी केन्द्र सरकार की एजेंसी इरकान ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि हम इसका डीपीआर बना रहे हैं, इसलिए आप इस पर काम मत कराइये। राज्य सरकार ने अपना पैसा वापस ले लिया। मंत्री जी, डेढ़ साल हो गये, अभी तक उस डीपीआर का काम पूरा नहीं हुआ। उस रोड की स्थिति बिल्कुल गड्ढे जैसी है। आप सोचिए कि जिस पथ के लिए पैसे का आवंटन हो गया हो और वहां के आम लोग जान गये हों, कि हमारे पथ के निर्माण के लिए पैसा केन्द्रीय एजेंसी की वजह से वापस हो चुका है, तो आप बताइये कि वहां के लोगों के मन में क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि बिहार के विकास में बहुत बाधा पहुंच रही है। इतना ही नहीं, वहां डीपीआर बनाने में होड़ लगी हुई है। केन्द्र की एजेंसी गांव की सड़कों को नापकर नाम नोट करके आयी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की एजेंसी भी अलग से नाम नोट करके ले आयी है। हमको लगता है कि एक ही रोड की दोनों डीपीआर बना रहे हैं। सिर्फ उसका डीपीआर ही बन रहा है, काम शुरू नहीं हो रहा है। बिहार के इस पथ निर्माण के काम में भारी बाधा पहुंच रही है। वहां जो भी काम हो रहा है, वह महा घटिया स्तर का है। इसे हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। आपके विभाग की एक रिपोर्ट है। पेटीशन कमेटी में एक पेटीसन आयी थी जिसके तहत पेटीशन कमेटी ने आपके विभाग से कुछ प्रतिवेदन मांगा था। बनियापुर प्रखंड के प्रमोद कुमार सिंह ने वह पेटीशन दी थी। हम रिपोर्ट का मुख्य अंश हम आपको बता देना चाहते हैं। बिहार के सारंग जिले के पीएमजीएसवाई चरण-3 तथा बाद की परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाली एजेंसी मैसर्स इरकान इंटरनैशनल लिमिटेड ने सूचित किया है कि सड़क कार्य जून 2007 में पूरा कर लिया गया है। यह उसकी सूचना है। जब जांच हुई, तो स्वतंत्र गुणवत्ता सहायक के जरिये करवाई गई प्रारंभिक जांच से पता चला कि पूरी सड़क पर असफलता के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। पूरी सड़क पर दरारों तथा पैवमेंट के खराब होने इत्यादि के रूप में असफलता लक्षित हो रही है। जब उन्होंने जांच की, तो प्रतिशत में क्या लिखा? बिहार के सारंग जिले में 1.4.2002 से 31.8.2007 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं द्वारा कराये गये निरीक्षण का ब्यौरा तथा गुणवत्ता ग्रेडिंग निम्नानुसार है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कुल निरीक्षण 53 बार किया गया। इन 53 बार में से 20 सड़कों के निर्माण में उन्होंने तीन सड़कों का काम संतोषजनक बताया और 17 सड़कों का काम असंतोषजनक बताया। उन्होंने 85 प्रतिशत असंतोषजनक काम कहा है। जिस पथ पर 85 प्रतिशत असंतोषजनक काम है और 15 परसेंट संतोषजनक काम है, तो मंत्री जी आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसी का काम कितना अच्छा और कितना घटिया हो रहा है। उसके बाद के चरण का उन्होंने बताया है कि 62 प्रतिशत घटिया किस्म का काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)* आप एक-दो मिनट रुकिये। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके लिए निर्धारित समय बहुत पहले पूरा हो गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। हम यह बता रहे थे कि माननीय मंत्री जी केंद्रीय एजेंसी का जो काम हो रहा है खासकर इरकान का काम हो रहा है, तो वह एजेंसी पर एजेंसी हो रहा है। इरकान एक एजेंसी है, जब वह निविदा निकालती है, तो किसी ठेकेदार को काम देती है। वह ठेकेदार खुद काम नहीं करता है, वह पैटी कांट्रेक्ट में किसी को देता है यानी कांट्रेक्ट पर कांट्रेक्ट होता है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एक रोड मेरी कांस्टीट्यूएंसी का है। इस रोड के बारे में हम आपको पढ़कर सुना देते हैं।एकमा से मसरक जिसकी लम्बाई लगभग 31.55 किलोमीटर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि समय, बारिश, मजदूरों तथा सामग्री की कमी, एग्रीमैंट, पंचायत चुनाव, भीषण बाढ़, अब उस इलाके में बाढ़ ही नहीं आई थी, लेकिन लिखते हैं कि बाढ़ की वजह से काम नहीं हो रहा। सन् 2005 से काम हो रहा है। लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी बिहार आपका भी है। राज्य में सरकार आती जाती रहती है। कल आपकी सरकार थी, तो आज दूसरी पार्टी की सरकार है। फिर परिस्थिति के अनुसार होना है।

अगर आप इन चीजों को गंभीरता से नहीं देखेंगे तो बिहार के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य श्री राम कृपाल यादव जी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है। यहां तक मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने इसका दूसरा हिस्सा नहीं बताया। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने बहुत मजबूती से कदम उठाए हैं, जिनमें 175 लोग रंगे हाथों पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और उनको जेल में बंद किया गया है। डीजीपी स्तर के और आईएएस स्तर तक के लोगों को पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और गिरफ्तार किया गया है। यह बात ठीक है कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

भ्रष्टाचार है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही भी हो रही है। उन्होंने कहा कि वह साफ बोलते हैं, अगर साफ बोलते हैं तो उनको इसे सुनना भी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राम कृपाल यादव जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के काम में जहां दिक्कत होती है, बराबर उन चीजों पर हम जनता के हित में विरोध करते रहते हैं और जिस दिन आवश्यकता आएगी जुबान खोलने के लिए, तो राम कृपाल यादव जी, हम किसी की मजदूरी नहीं करते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से हम जनता की भावनाओं को, चाहे वह आपकी सरकार हो यो बिहार सरकार हो, अगर खामियां महसूस करेंगे तो उसे जरूर उजागर करेंगे।

एक और बात यह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रोजगार गारंटी योजना एक खत्म हो चुकी योजना है। मंत्री जी, जिस दिन आप इस बिल को लाए थे, उस दिन भी मैंने इसका विरोध किया था और आज भी कह रहा हूं कि आप इस बोगस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार कैसे देंगे। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देख रहा हूं कि कभी जिन मार्गों पर एमपी ने एमपी फण्ड से पैसा देकर मिट्टी का काम लिखा, उसी के लिए एमएलए ने छः महीने बाद पैसे दिए हैं, जिला परिषद वाला भी जल्दी-जल्दी उसी पर मिट्टी भरवा रहा है, पंचायत समिति वाला उसी पर मिट्टी भरवा रहा है और मुखिया भी उसी पर मिट्टी डलवा रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह से लोगों को रोजगार मिल सकेगा? आप कह रहे हैं कि जिसका जाब कार्ड हो अगर वह पंचायत में दरख्वास्त देगा तो उसे 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे पैसा दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या इस बात का कोई रिकार्ड है कि कितनी ऐसी दरख्वास्त आपके आई हैं? क्या मजदूर मुखिया से मजबूत पड़ेगा? मजदूर मुखिया के पास जाकर कुछ इधर-उधर करेगा तो मुखिया उसको ठीक भी कर देगा। क्या पंचायत में आपने उसकी दरख्वास्त को रिसीव करने के लिए कोई व्यवस्था की है? जहां लोग देखते हैं कि योजना में कुछ इधर-उधर करने की गुंजाइश है, वे लोग मिलकर पास कराते हैं। आपने पैसे के भुगतान के लिए यहां से बहुत ताकीद किया है और राज्य सरकार ने भी खाते खुलवा दिए हैं, उसका भुगतान बिना काम कराए, 50-50 प्रतिशत पर हो जाता है। वे लोग आपस में तय कर लेते हैं कि बिना काम किए 50 प्रतिशत पैसा आप ले लीजिए और बाकी 50 प्रतिशत हमारे लिए छोड़ दो। यह पैसे की लूट हो रही है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा। इसका कोई और तरीका निकालिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें, आपने पहले ही करीब आधा घंटा ले लिया है। मैं आपके ज्यादा समय नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब तक आपने 40 मिनट ले लिए हैं, इससे आगे अपने भाषण को जारी रखने की अनुमति तो मंत्री को भी नहीं दी जाती।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मंत्री जी, बिहार में खांड-बांध की सफाई का काम चल रहा है। बिहार की बहुत जमीन जल जमाव से बर्बाद होती है। जल जमाव वाले इलाकों में पानी की निकासी के लिए जितना मिट्टी का काम होना है, उतने मिट्टी के काम के लिए और बाकी पैसे से पक्के नाले के निर्माण की अनुमति होनी चाहिए। अभी यह प्राविजन है कि मिट्टी का काम 60 प्रतिशत और पक्का काम 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए उनको इसके बारे में छूट मिलनी चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो मिट्टी का काम हो जाए और बाकी पैसे से पक्का निर्माण पानी की निकासी के लिए हो जाए। अगर जल जमाव की समस्या का समाधान हो जाए तो वहां की हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य बन जाएगी जिससे वहां प्रतिवर्ष पैदावार बढ़ जाएगी।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): सबसे पहले, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं बल्कि वास्तव में, मैं मंत्री जी का प्रशंसक हूं। वह बहुत सक्रिय, बहुत निष्ठावान तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वास्तव में, यह विभाग पूरे देश में महान भूमिका निभाता रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालय भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं, विशेषकर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, मानव संसाधन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आदि। परंतु, अन्य विभागों की तुलना में इस विभाग को सामाजिक विकास के क्षेत्र में ज्यादा अहम भूमिका निभानी है। इस विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का सामाजिक क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ता है। जिसके अंतर्गत, पेयजल, आवास, रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा क्षमता निर्माण में वृद्धि, ग्रामीण बुनियादी संरचना, स्वच्छता को बेहतर बनाना, सामूहिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना आदि सभी बाते शामिल हैं। मेरा पहला मुद्दा यह है कि विकास राजस्व कर की वसूली के साथ समानुपाती हो। मैं राजस्व कर वसूली के अनुपात के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्व कर वसूली, राजस्व कर वसूली की वृद्धि की

बात है। परंतु, ग्रामीण क्षेत्र में विकास उसके अनुपात में होना चाहिए ताकि गरीबों को, निर्धनतम लोगों को, किसानों, कृषकों, मजदूरों आदि को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। मैं पहले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के बारे में बात कर रहा हूं। यहां मुझसे पहले माननीय सदस्यों द्वारा बहुत कुछ कहा गया है। यह समझ पाना मुश्किल है कि किस प्रकार सरकार अथवा योजना आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की संख्या के लिए एक सीमा तय कर सकते हैं। यह समझ में नहीं आता कि बीपीएल परिवार गांव में रह रहे हैं अथवा योजना आयोग में रह रहे हैं। योजना आयोग किस प्रकार बीपीएल के आंकड़ों को सीमित कर रहा है? मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए और हमें ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि नीचे से सभी संसाधन मिल सकें। कभी-कभी यह कहा जाता है कि वे सभी सूचनाओं को जोड़ लेते हैं लेकिन सूचना के सही स्रोत का पता नहीं चल रहा है। इसलिए बीपीएल परिवारों की सही संख्या का अनुमान नहीं लग सकता है। इसलिए, यदि सूचना एकत्र करने में कोई गलती होती है, यदि स्रोतों से एकत्र करने में कोई गलती होती है, तो नि:संदेह ही, बीपीएल परिवार छूट जाएंगे। इन्हें ठीक से एकत्र करना चाहिए। न केवल यही बल्कि बीपीएल वर्ग तय करने के मानदंड की भी समीक्षा होनी चाहिए। यूएसए में, यह कहा जाता है कि कम से कम एक डालर प्रति दिन न्यूनतम संख्या होनी चाहिए और यही बीपीएल वर्ग की रेखा है। मैं श्री अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता वाले आयोग का बात कर रहा हूं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी दी है कि हमारे देश की लगभग 63 करोड़ आबादी 8 रु. से 20 रु. प्रतिदिन की कमाई पर गुजर कर रही है। यह माना गया है कि हमारी आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है।

इसलिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए तथा आंकलन प्रक्रिया बदली जानी चाहिए।

अब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर आता हूं। मेरे पूर्ववर्तियों ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है कि माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस कार्यक्रम में शामिल जिलों की संख्या अब दोगुनी से अधिक हो गई है, लेकिन बजट आबंटन में केवल 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत क्यों नहीं किया गया है? इसलिए, मैं मांग करता हूं कि इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में मेरा अगला मुद्दा एक दिन में एक मजदूर द्वारा किए गए कार्य के संबंध में उत्पादकता मानदंड के संबंध में है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से बात की तथा मैंने उन्हें इस अनुबंध के बारे में एक पत्र भी लिखा। मैं विशेषकर भूमि कार्य के अनुबंध के बारे में बात कर रहा हूं। यह इतना कठोर है कि गांव का कोई भी श्रमिक एक दिन में इस मानदंड को पूरा नहीं कर सकता है। 100 घन मीटर का भूमि कार्य किसी भी श्रमिक द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मानदंड को बदला जाना चाहिए। अनुबंध तय करते समय, पंचायतों, उनके प्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों से सलाह करनी चाहिए। न केवल यही नहीं, बल्कि एक जिले का मानदंड दूसरे जिले से तथा एक राज्य का दूसरे राज्य से भिन्न हो सकता है। इसलिए, संपूर्ण देश के लिए एक जैसा अनुबंध नहीं होना चाहिए।

अब मैं न्यूनतम मजदूरी पर आता हूं। हमारे देश में समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नहीं है। 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अभी भी विद्यमान है। न्यूनतम मजदूरी के लिए एक नया अधिनियम अधियिनमित किया जाना चाहिए क्योंकि न्यूनतम मजदूरी हर राज्य में भिन्न है। जहां तक मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल का संबंध है, 70 प्रतिशत से अधिक गांव सिंचित है तथा सिंचित क्षेत्रों में, कोई एक फसल नहीं होती, कई फसलें होती हैं और वे अधिक पैदावार वाली किस्में होती हैं। हमारे राज्य में खेतिहर मजदूर 100 रु. प्रतिदिन कमाते हैं। यदि एक खेतिहर मजदूर कृषि कार्य अथवा बागवानी कार्य 100 रु. प्रतिदिन कमाता है, तो वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में काम करने का इच्छुक क्यों होगा? इसलिए, मेरे विचार से न्यूनतम मजदूरी के संबंध में एक नया विधान लाने का समय आ चुका है।

अब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के संबंध में कुछ अन्य बिंदुओं पर ध्यान देता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां ठीक ही उल्लेख किया है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रमिकों को वस्तुओं के रूप में भुगतान करना चाहिए। पहले, काम-के-बदले-खाना कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत, श्रमिकों को कुछ सब्जियां दी जाती थीं। अब, हमारे देश में आलू की भारी पैदावार है और आलू का दाम धीरे-धीरे गिर रहा है। आलू उगाने वालों को उत्पादन की लागत भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रमिकों को आलू क्यों न दे दिया जाए ताकि उन्हें आलू तथा अन्य सब्जियां सीधे तौर पर मिल सकें?

मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने पीएमजीएसवाई सड़कों के खराब रखरखाव के बारे में बात की है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के लिए पांच वर्ष की गारंटी है, लेकिन सड़कें पांच वर्ष से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का क्या होगा? पांच वर्ष के पश्चात् इसकी गारंटी कौन लेगा कि कोई बाढ़ नहीं आएगी और सड़कें ठीक

[श्री प्रबोध पाण्डा]

रहेंगी? पीएमजीएसवाई के रखरखाव की जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकतर राज्य वित्तीय रूप से जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार को इस मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा एक अनुपात विकसित करना चाहिए। माननीय मंत्री जी को रखरखाव के पहलू के बारे में भी सोचना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जिनकी भूमि सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित कर ली गई है। हम उनकी भूमि को सड़कों को चौड़ा करन के लिए ले लेते हैं, लेकिन गरीब किसानों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता है। भूमि अधिग्रहण की समस्या पूरे देश में है, जहां तक भूमि अधिग्रहण का संबंध है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन, जहां पीएमजीएसवाई का संबंध है, इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण तो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

अब मैं एसजीआरवाई के मुद्दे पर आता हूं, इसके कार्यान्वयन में बैंक आड़े आ रहे हैं। अधिकांश ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ग्राम पंचायत के मुख्यालयों में वाणिज्यिक बैंक खोलने का आवश्यक प्रावधान होना चाहिए और ऋण देने की प्रक्रिया बहुत आसान होनी चाहिए ताकि इससे निर्धन किसानों को मदद मिल सके।

जहां तक इंदिरा आवास योजना का संबंध है, यह एक अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसमें बढ़ी हुई लागत अर्थात् मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिन-पर-दिन मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। यदि आप इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए और अधिक धनराशि नहीं प्रदान करते हैं, तो यह कम अथला अल्प राशि गृह निर्माण के लिए कैसे पर्याप्त हो सकती है?

भूमि सुधारों का क्या हुआ, मैं इस बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में पहले ही इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन इस संप्रग सरकार का समय तेजी से बीतता जा रहा है, समय समाप्त होने जा रहा है। वे इसका उत्तर कब देंगे? इसलिए, मैं माननीय मंत्री से संबंधित विभाग के राज्य के सभी मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक आयोजित करने का अनुरोध करता हूं। इसलिए, इस मामले को केन्द्रीय रूप से लेना चाहिए क्योंकि इसका उल्लेख न्यूनतम साझा कार्यक्रम में है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास मामलों का क्या हुआ? कुछ विधेयकों को संसद में पुर:स्थापित किया गया है लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यहां तक कि इस बजट सत्र में, मुद्दे पर चर्चा की तिथि नहीं नियत की गई है। पूरे देश में लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं। हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए, हमें पुराने विधान जो उपनिवेशवादी शासन के हैं, को निरस्त करते हुए एक व्यापक विधान लाना चाहिए। इसे उपनिवेशकालीन शासन में 1894 में अधिनियमित किया गया था। इसलिए, आपको इसे निरस्त कर देना चाहिए और जहां तक पुनर्वास नीति का संबंध है एक नया व्यापक विधान लाना चाहिए। महोदय, प्रेस और मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इस संसद में इस मामले पर कुछ भी चर्चा नहीं की जा रही है।

महोदय, आईडब्ल्यूडीपी एक अच्छा कार्यक्रम है। परति भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी चीजें हो रही हैं।

अंत में, मैं बापूजी द्वारा की गई ऐतिहासिक टिप्पणी को दोहराता हूं। उन्होंने कहा था, "भारत गांवों में बसता है।"

लेकिन गांवों में विषमता पनप रही है और इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं और ग्रामीण पर्यावासों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं करते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री को पुन: धन्यवाद देता हूं और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: अब, मेरे पास 40 माननीय सदस्यों की सूची है। यदि मैं प्रत्येक को पांच मिनट का समय देता हूं तो भी तीन घंटे लगेंगे। मैं सबको पांच मिनट का समय देने को तैयार हूं। ग्रामीण विकास और ग्रामीण मुद्दों से संबंधित मामला होने के कारण अधिक से अधिक सदस्यों को शामिल करना स्वागत योग्य है। इसलिए इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, तीन घंटे के समय में 40 सदस्यों को अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, मैं आप सभी से पीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं, कृपया यह नहीं समझें कि मैं कठोर हूं लेकिन यही स्थिति है।

श्री सुभाष महरिया।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने

का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। 60 साल की आजादी के बाद 70 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारतवर्ष है क्योंकि 70 करोड़ लोग 34 लाख नुमाइंदों को चुनते हैं, जो 487 जिला परिषदों, करीब 6000 पंचायत समितियों, दो लाख 32 हजार ग्राम पंचायतों के जरिए गांवों के विकास का काम करते हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत बिजली, पानी सड़क आदि जितने भी कार्य शुरू हुए, उसे लेकर आजादी के बाद सब के मन में एक बात थी, एक सपना था कि वे समान रूप से विकास में दौड़ पाएंगे लेकिन हमने 60 साल के बाद भी देखा कि 70 करोड़ लोगों में 22 फीसदी लोग आज भी ऐसे हैं जिन के हिस्से 12 रुपए प्रतिदिन आते हैं। ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की शुरुआत 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उस योजना की शुरूआत से लेकर आज तक देश के करीब साढ़े छः लाख राजस्व ग्रामों में से बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव जोड़े जा चुके हैं। आपके मंत्रालय संभालने के बाद उसमें और गति आई है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि आपने ग्रास रूट पर इस यूपीए को भी चलाया है। आपका जिस तरह काम करने का निराला तरीका है जिसकी शुरुआत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की उसमें आपने और धनराशि देने में कभी हिचकिचाहट नहीं की क्योंकि वह एक ऐतिहासिक शुरुआत थी लेकिन मुझे आपके ध्यान में 2-3 बातें लानी हैं।

2001 के राजस्व ग्रामों के बाद जितने राजस्व ग्राम बने हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, वे 28 प्रदेशों में हैं, उनकी आबादी चाहे हजार हो या पंद्रह सौ हो, दो हजार हो या पांच सौ हो, आप उनको सड़कों से जोड़ने की जो अनुशंसाएं राज्य सरकारों से मंगवाते हैं, उसके लिए बनी गाइडलाइन में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है जबकि हमने इसके बारे में आपसे आग्रह भी किया था कि सन् 2001 के बाद जिन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है, राज्य सरकारों से उनके प्रस्ताव भी जिला परिषद के जरिए, पंचायत समितियों के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए मंगाएं और उनको सड़कों की लिस्ट में शामिल करने के लिए आदेश दें। उन गांवों तथा दूसरे गांवों के बीच आज बहुत बड़ी खाई बन चुकी है।

एक तरफ शहर और गांव की खाई की बात करते हैं। लेकिन यह एक ज्वलंत समस्या है, मैं मानकर चलता हूं कि 2001 के बाद जो राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाए। यह बहुत अहम बात है और इस बार में पूरे सदन की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि 2001 के बाद के गांवों को शामिल कीजिए।

मैं सड़कों के संबंध में माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रति किलोमीटर-वार जो सड़कें बनी हैं, उसमें कुछ राज्यों ने बहुत अव्वल काम किया है। इस काम में राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। आपने स्वयं राजस्थान जाकर इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का है और जनसंख्या साढ़े छः करोड़ है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें जो मिलना चाहिए उसका 40 परसेंट ही मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बड़े क्षेत्रफल के लिहाज से राज्यों को आबंटन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात के बीच में निश्चित रूप से सामंजस्य होना चाहिए। इसके साथ ही इस समय गांवों में भारत निर्माण के तहत बिजली की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे एफआरईपी की योजना के तहत धाणी के लोगों को, छोटी हैबीटेशन के लोगों को पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। टाणी में बहुत गरीब लोग रहते हैं, दूर-दराज इलाकों में रहते हैं लेकिन डिमांड नोटिस ऐसे हैं कि वे पूरा नहीं कर सकते हैं अगर पूरा नहीं करते हैं तो बिजली नहीं दे पाते हैं। एक ओर सरकार का दावा है कि चौदह लाख हैबिटेशन्स में सबको बिजली मुहैया कराकर छोड़ेंगे लेकिन इनमें से आज भी छः लाख हैबीटेशन्स ऐसी हैं जिन्होंने जिंदगी में बिजली नहीं देखी है। मैं आपसे पानी के बारे में आग्रह करना चाहता हूं। आज की स्थिति यह है कि हमारे देश में सात लाख गांवों में से करीब पांच या साढ़े पांच लाख बसावटें ऐसी हैं जो अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वे दूर-दराज से पानी लेकर आएं भी तो कहां से लेकर आएं? इसलिए मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, रीजनल स्कीम्स पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जब तक इन पर जोर नहीं दिया जाएगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। जहां हैंडपंप की जरूरत है वहां हैंडपंप लगने चाहिए और जहां ट्यूबवैल की जरूरत है वहां ट्यूबवैल लगने चाहिए क्योंकि जमीनी सतह का पानी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है इसलिए रीजनल स्कीम पर जोर देना चाहिए। वहां मीठा पानी दूर-दराज जाकर मिलता है इसलिए रीजनल स्कीम्स के माध्यम से मीठे पानी को वितरित करना चाहिए और इसका खर्च भी कम पड़ेगा।

महोदय, मानिटरिंग के अभाव में आप राज्य सरकार को कई बार छूट दे देते हैं और बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां मानिटरिंग हो पाती है। मानिटरिंग का जबर्दस्त अभाव है, सैंट्रल लैवल पर मंत्रालय की ओर से मानिटरिंग के लिए अधिकारियों की विशेष आवश्यकता है, टीम को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। यहां से जो पैसा जाता है उस पैसे का सदुपयोग तभी हो सकता है जब मानिटरिंग बराबर हो। रोजगार

[श्री सुभाष महरिया]

गारंटी योजना के बारे में बात चल रही थी, मेरे से पूर्व प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा और मैं उसी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना के तहत पक्के कामों की बहुत आवश्यकता है। पक्के कामों के लिए अलग से आबंटन होना चाहिए, चाहे इसके लिए अलग से राज्य सरकारों से बात करनी पड़े तो वह भी करें। जब तक पक्के कामों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक रोजगार गारंटी योजना सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार के कामों में मिट्टी इधर से उधर डालकर पैसे के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। हमें पुराने कामों का रिकार्ड इकट्ठा कर, पंचायत समिति, ब्लाक स्तर और जिला परिषद पर निश्चित रूप से मानिटरिंग करनी चाहिए। अगर मानिटरिंग नहीं होगी तो रोजगार गारंटी योजना देश की सबसे बड़ी फेल्योर योजना साबित होगी। बी.पी.एल. परिवार और उनकी पहचान के लिए जो बातें सामने आई हैं, उन मामलों में हमें आगे बढ़कर ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने अभी बोलना ही शुरू किया है। मैं गांव से आता हूं, इसलिए गांव की बात मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी द्वारा यही सूची सौंपी गई है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: मेरे साथी अपना भाषण लिखित में दे रहे हैं। यह अपना टाइम दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि अन्य सदस्य सहमत हैं कि केवल आप ही बोलेंगे तो ठीक है। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: इसलिए आज गांव के जो लोग आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए जब तक उन्हें काम नहीं मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के कई सदस्य हैं। यदि वे सहमत हैं कि केवल आप ही बोलेंगे तो ठीक है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: तब तो जो जीवन की आर्थिक दौड़ है, उसमें भी हम नहीं दौड़ सकते। इसलिए आवास और विद्युत के लिए जिस प्रकार की योजनाओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री जय प्रकाश। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। किसी भी सूरत में आगे समय नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: उन योजनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अत: मैं पुन: आपसे अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, इस डिपार्टमैन्ट के साथ 70 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन हमारा आवंटन बहुत कम है। इसलिए मैं सभापति महोदय के जरिये निवेदन करूंगा कि जो आवंटन किया गया है, उसके मुकाबले चार गुना आवंटन होना चाहिए। जब तक गांवों का व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक यह देश सुदृढ़ नहीं हो सकता और आप जैसे माननीय मंत्री जी से हम यह उम्मीद करते हैं कि गांव के व्यक्ति के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमें अधिक धनराशि मुहैया कराई जाए ताकि इस देश के आर्थिक विकास में गांव के लोगों की पूर्ण भागीदारी हो। मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत से बड़ा कोई एनजीओ नहीं है। दो लाख बत्तीस हजार जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनसे बड़ा कोई एनजीओ नहीं है। वे जवाबदार हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। राज्य सरकार की डोर उनके ऊपर रहती है, भारत सरकार की डोर उनके ऊपर रहती है। जो एनजीओज कुकुरमुत्तों की तरह घूम रहे हैं, जिन्हें एनजीओ कहते हैं, इन एनजीओज का काम बंद कर दीजिए। जब तक मंत्रालय में एनजीओज घूमते रहेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सबसे बड़ा कोई एनजीओ है तो वह इस देश में हमारे देश की जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री जय प्रकाश–कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं आपके हित में यह कह रहा हूं।

श्री जय प्रकाश (हिसार): मैं अपने दल का दूसरा वक्ता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आप अपने भाषण में महत्वपूर्ण बातों को ही रखें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष गांवों में बसता है और भारतवर्ष की 70 फीसदी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, चाहे वे किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, दस्तकार हैं या कर्मचारी हैं। लेकिन आज बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कुछ ऐसी अनियमितताएं बरती गईं, जिनके राज में गांवों का विकास नहीं हुआ और गांवों का विकास न होने की वजह से गांवों के गरीब लोग, जिन्हें प्रतिदिन की मजदूरी नहीं मिलती थी, उनके राज में खेती घाटे का सौदा थी, इसलिए वे खेतिहर मजदूर गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गये। उससे यह नुकसान हुआ कि शहरों की जनसंख्या बढ़ गई और शहरों में सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलैक्ट्रिसिटी आदि की समस्या हो गई और उसके साथ ही शहरी जमीनों के भाव भी ज्यादा बढ़ गये और गांवों की जनसंख्या घट गई। इसका आभास इस बात से होता है कि हर दो-तीन वर्ष के बाद जब वोटर लिस्ट बनती हैं तो गांवों के मतदाता सूची में घट रहे हैं और शहरों में जनसंख्या या शहरों के मतदाता बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने और यूपीए की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गनिर्देशन पर प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री जी ने जो फैसले लिये हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था 'ग्रामीण स्वराज तब आयेगा-जब तक भारतवर्ष में गांवों का विकास नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष तरक्की नहीं कर सकता' यह बात आपको भी माननी पड़ेगी। इसलिए मेरे पांच-सात सुझाव हैं। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे गरीब व्यक्तियों को, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे, प्लाट नहीं थे, उन्हें सौ-सौ गज के प्लाट दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना पूरे भारतवर्ष में लागू की जाए, ताकि जिन गरीब लोगों के पास अपने घर की जमीन नहीं है, खेती की जमीन है, पंचायतों से लेकर उन्हें प्लाट दिये जाएं और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गरीब व्यक्तियों को प्लाट देने की प्रक्रिया शुरू की है, उसमें पैसा बहुत खर्च होगा।

मैं ग्रामीण रोजगार मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें केंद्र सरकार से हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आपने दो वर्ष पहले 250 करोड़ रुपये दिये थे, उसी तरीके से कुछ पैसा हरियाणा प्रदेश की सरकार को पुन: दिया जाए।

बीपीएल की चर्चा बहुत चलती है। हरियाणा प्रदेश में भी बीपीएल की गाइडलाइन को पूरा माना जाए तो मैं समझता हूं कि एक भी गरीब आदमी बीपीएल में नहीं आ सकता क्योंकि हमारा कोई गरीब हरिजन भाई ऐसा नहीं है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, घर में बिजली नहीं है, टी.वी. नहीं है। या तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि गरीब गरीब होता जाए वर्ना यह कोई सिस्टम नहीं है कि पूरे देश की बीपीएल गाइडलाइन एक बना दी गई है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बीपीएल की गाइडलाइन पूरे हरियाणा प्रदेश और पंजाब जैसे प्रदेशों में जहां पर मजदूर वर्ग खुशहाल है, वहां की अलग बना दी जाए वर्ना एनडीए सरकार ने तो इस देश के साथ बड़ा जुल्म किया था वर्ना बीपीएल की जरूरत क्या थी? मैं कहता हूं कि सरकारी राशन की दुकान से हर व्यक्ति जिसके पास भी राशन कार्ड है, सबको गल्ला खरीदने की इजाजत 1998 से पहले थी तो उसी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए।

अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लीजिए, जिसकी शुरूआत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहस में हिस्सा लेते हुए सबसे पहले की थी। आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि उसका देश को लाभ नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार ने लागू करके उन प्रदेशों की सरकारों को जो पूर्ववर्ती देश की सरकारें रही हैं, उनको कम से कम इस बात का आभास कराने की चेष्टा की है कि गरीब व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष में, 365 दिनों में से 100 दिन रोजगार तो मिले। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में यदि आप सौ दिन रोजगार मुहैया कराएंगे और उसके बाद धान या गेहूं के सीजन में उस मजबूर व्यक्ति को किसान के क्षेत्र में मजदूरी मिलेगी और आप इसे इंदिरा आवास योजना से एक सस्ता मकान देंगे तो शहरों की तरफ पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इंदिरा आवास योजना में मंत्री जी 35000 की बजाए कम से कम 50000 रुपया दिया जाए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पैसा खूब दिया गया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों की सरकारों ने पैसा ठीक से खर्च नहीं किया और जो प्रदेश सरकार पैसा ज्यादा खर्च करती है, यदि वह उसका दुरुपयोग करती है तो वे पैसे हरियाणा सरकार को दिलाए जाएं।

जलापूर्ति योजना के अंदर मेरा निवेदन है, ...*(व्यवधान)* सर, यह आपके काम की बात है। जब आप अपने क्षेत्र में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे तो जो हैंड पंप लगा देंगे तो आपको भी वोट ज्यादा मिल जाएंगे। इसमें मेरा निवेदन है कि जैसे हर घर में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 100 लीटर की पानी की टंकी

[श्री जय प्रकाश]

गरीब हरिजनों के लिए खरीदी है, उसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि हर सांसद को एक विधान सभा के अंदर 1000 हैंड-पंप की इजाजत दी जाए क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हम पाइप लाइन नहीं बिछा सकते और यदि एक-एक सांसद को यदि इसकी इजाजत दे दी जाए तो हमारा उससे काम चल जाएगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह योजना अच्छी है क्योंकि गांवों में जो जच्चा और बच्चा है, उसके लिए कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। हमसे पहले हमारे एक साथ राजवीर जो 6 वर्ष तक रहे हैं, क्या उन्होंने कभी गांवों की सुध ली कि गांवों में जो औरत बच्चा पैदा करती है, वह औरत दवाई के अभाव में या सैप्टिक या किसी और वजह से मर जाती थी, लेकिन आज हमारी सरकार ने इस योजना को लागू किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: महोदय, मेरा कहना है कि हर गांव में मैटरनिटी हास्पिटल बनाया जाए। सर्व शिक्षा अभियान में मिड-डे-मील को सरकारी स्कूलों में ऐसा बना दिया कि कमरे तीन हैं। एक में लक्कड़ डाल दिया, बच्चे सारे दिन वहां भोजन बनाते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि इस भोजन पकाने की व्यवस्था के अंदर एक ऐसा दूसरा सिस्टम बनाया जाए ताकि बच्चों को समय पर भोजन मिले। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पोन्नुस्वामी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

***श्री संजय धोत्रे** (अकोला): महोदय, डिमांड्स फार ग्रांट्स-ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो चालू सत्र में चर्चा हो रही है उसमें मैं भाग लेना चाहता हूं। मुझे इजाजत देने के लिए आपका धन्यवाद।

वाटर शेड डेवलपमेंट का अनन्य साधारण महत्व है। पर्यावरण पेयजल सिंचाई और अनाज की समस्या इसका यह महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके लिये सरकार के विविध विभाग के एनजीओ काम कर रहे हैं। बहुत सारी राशि भी खर्च हुई, लेकिन सही ढंग से काम न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसके लिये प्रापर इंटीग्रेटिड प्लानिंग इम्पलीमेंटेशन और मानिटरिंग होना चाहिए। देश के बहुत सारे हिस्सों में खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं और जिला स्तर पर इस काम को मंजूर करने में दिक्कते आती हैं। मंजूरी के बाद काम पूरा नहीं होता और यदि काम हो जाये तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। कई रास्ते साल भर में खराब हो जाते हैं, पानी से बह जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अच्छे क्वालिटी के रास्ते तय समय सीमा के अंतर्गत खेत सड़क को प्रधाव्य क्रम दिया जाये।

स्वजलधारा के अंतर्गत काम मंजूर होता है उसमें मंजूरी के बाद योजना राशि के 45 प्रतिशत धन की पहली किस्त ग्राम समिति को मिल जाती है इसमें कई जगह काम की शुरूआत नहीं होती और दूसरी किस्त भी नहीं मांगी जाती। ग्राम पंचायत के पास तकनीकि नियंत्रण नहीं होती इसलिये इस व्यवस्था में सुधार करना और 45 प्रतिशत जगह 10 प्रतिशत पहली किस्त देना और सुचारू तरीके से विजिलेंस और मानिटरिंग करना आवश्यक है। काम की क्वालिटी के बारे में कई जगह शिकायतें हैं। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इस काम के देखभाल एवं नियंत्रण पर ध्यान देना जरूरी है। कई गांवों में प्रधान मंत्री योजना की सड़के बनी पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की है लेकिन जहां पांच साल पूरे हो चुके हैं उन सड़कों की हालत बदत्तर है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये केन्द्र सरकार इस काम के लिये पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री ई. पोन्नुस्वामी, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मुझे खेद है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। श्री ई. पोन्नुस्वामी आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। वह सिर्फ व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। श्री ई. पोन्नुस्वामी, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: वह सिर्फ शोर मचा रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: समय बर्बाद हो रहा है। श्री ई. पोन्नुस्वामी, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। उनको करने दें क्योंकि वह केवल शोर मचा रहे हैं। मैंने सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन किया था कि प्रत्येक सदस्य को समय दिया जाना चाहिए, लेकिन आप पीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश, आपको यह अवश्य समझना चाहिए। ...

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। अब एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया कुछ मत लिखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब मुझे आपको एक बात कहनी है। ये सभी भाग कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं हुए हैं। वह सत्ताधारी दल के एक सदस्य हैं और मैं यहां पर उनकी मदद करने के लिए हूं, परन्तु वह सहयोग नहीं कर रहे हैं चूंकि वह बोले जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: नहीं, मैं यह कार्य इस सदन के लिए कर रहा हूं। यदि आप सहमत नहीं है तो ...

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने आपको पहले ही विनम्रतापूर्वक बताया है कि लगभग 40 सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। ग्रामीण विकास का विषय होने के कारण प्रत्येक सदस्य को एक अवसर प्रदान किया जाए और इसका अर्थ होगा प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय देना। इसमें तीन घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूं यदि माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश जी ऐसा कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया मझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं बोल रहा हूं। मैं सत्ताधारी दल का उल्लेख कर रहा हूं, इसका साधारण कारण यह है कि वे यह देखने के कर्त्तव्यबद्ध है कि इन लोगों के उपस्थित रहने की तुलना में सदन की कार्यवाही ज्यादा देर तक चले। मुझे इन सभी कार्यों का 50 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसलिए मैं बोल रहा हूं। वे सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए बाध्य नहीं है। वे आलोचना कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं, परन्तु यह देखना सत्ता पक्ष का अनिवार्य कर्त्तव्य है, कि सदन की कार्यवाही चले। मैं यहां पर सभी के लिए कार्य कर रहा हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): हम पांच मिनट में अपना भाषण कैसे पूरा कर सकते हैं? यह संभव नहीं है और इसलिए, समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय: अब, विपक्ष इन मामलों में सहयोग कर रहा है, परन्तु, सत्ताधारी गठबंधन इतना सहयोगी नहीं है। यह आप के ही हित में है कि मैं इन सभी बातों का उल्लेख कर रहा हूं। यदि आप संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: महोदय, आप सदन का समय बढ़ायें।

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनें।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी पीएमके की ओर से माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। रक्षा मंत्रालय के पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य

[श्री ई. पोन्नुस्वामी]

की तरह यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ग्रामीण विकास ग्रामीण लोगों की जीवन रेखा है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, ''हमारा राष्ट्र गांवों में रहता है'' और हमें ग्रामीण लोगों के साथ न्याय करना है। हमारे माननीय मंत्री वास्तव में लोगों की नब्ज को जानते हैं क्योंकि वह भी गांव से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इस समिति को चुनने की अनुमति दी क्योंकि मुझे इस समिति में माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नहीं किया गया है। जैसाकि मैंने पहले कहा कि ग्रामीण विकास भारत की जीवन रेखा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि इसमें लोगो की अधिकांश मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

दस से अधिक योजनाएं हैं। कृपया मुझसे नाराज न हों और मैं पांच-छह मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रत्येक मुद्दे पर मैं केवल एक अथवा दो वाक्य बोलूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा अति निर्धन लोगों को काफी लाभ हुआ है। परन्तु भारत में, हमारी व्यवस्था में किसी परियोजना, योजना अथवा स्कीम की अपनी ही कमियां होती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य का उचित रूप से चयन नहीं किया जा रहा है। आरईजीए के अंतर्गत यदि ऐसा माना जाता है कि 100 लोगों को कार्य करना है तो पंचायत का मुखिया इस सूची में अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करता है। जब आपको जाब कार्ड लेना होता है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। यह एक बहुत शर्मनाक बात है जो प्रत्येक गांव में हो रही है। मजदूरी का भुगतान किए गए कार्य के अनुसार किया जाए परन्तु शुरू किया गया कार्य भी सम्पूर्णतया पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे आधा अधूरा छोड़ दिया जा रहा है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कलैक्टर को कहा कि इस योजना के अंतर्गत चयनित किसी भी कार्य को पूरा किया जाए। मैंने उसे कहा कि ऐसे कार्य का चयन किया जाए ताकि गांव में लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें।

दूसरी बात यह है कि स्वरोजगार योजना बेरोजगार युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है परन्तु, इस योजना से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, मैं जिला प्रशासन अर्थात कलैक्टर से बात करता रहा हूं, परन्तु वह अपेक्षित स्तर तक न्याय करने में समर्थ नहीं है। मैंने उसे बार-बार कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है, हालांकि, हमारे नेता कलाइगनर के प्रगतिशील नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार बेरोजगार युवाओं को मदद प्रदान कर रही है। वास्तव में, यह एक अच्छी योजना है और इसके लाभ लोगों तक पहुंचने चाहिए ताकि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सकें। हमें इस दिशा में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मैं समिति में इस बारे में बार-बार कहता रहा और माननीय मंत्री से अनुरोध किया कि वह आवश्यक कदम उठाएं।

तीसरी महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा आवास योजना। गांवों में लोग तालाब के पुश्ते पर, सड़क के किनारे पर और पोराम्बुक भूमि जैसे स्थानों पर झोपड़ी बना लते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। परन्तु उन्हें मकानों की आवश्यकता है। हमें इन मकानों की संख्या को बढ़ाना है। मैंने समिति में भी कई बार माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था। मकानों के निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता अपर्याप्त है। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे धनराशि देने के बजाय लाभार्थियों को मकान प्रदान करें। जब धनराशि प्रदान की जाती है तो इस बात की गारंटी नहीं कि इसका उचित उपयोग किया जाएगा। मैंने सुझाव दिया कि एल एंड टी जैसे बड़े ठेकेदारों को इस कार्य में शामिल किया जा सकता है और उन्हें न्यूनतम लागत पर पक्के मकानों का निर्माण कार्य सौंपा जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लाभार्थियों को धनराशि देने के बजाय मकान देने के इस प्रस्ताव पर विचार करे। 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की राशि एक कमरा बनाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस माले की जानकारी है। अतः, मेरा अनुरोध है कि वे धनराशि के बजाय मकान देने के सुझाव पर विचार करें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अब राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है, इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस योजना को वापस राज्य सरकारों को दे दे क्योंकि वे अच्छी तरह जानती हैं कि कौन सा कार्य किया जाना जरूरी है और यह कार्य कहां पर किया जाना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है बंजरभूमि विकास योजना। देश में बहुत सारी बंजर भूमि है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है और इसे जरूरतमंद लोगों में वितरित भी नहीं किया गया है। गरीब लोगों को भूमि की आवश्यकता है और उन्हें भूमि नहीं मिलती है। यदि सरकार इस दिशा में न्याय करना चाहती है तो वह सारी बंजर भूमि को अधिग्रहित कर सकती है, उसे विकसित कर सकती है और उसे भूमिहीनों और विशेषरूप से अति निर्धन लोगों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य जरूरतमंद समुदायों में वितरित कर सकती है।

अपराह्न 4.47 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं अब ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना पर आता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण स्कीम है। पेय जल वहां उपलब्ध होता है जहां ओवरहेड टैंक अथवा पाइप जैसी कुछ बुनियादी सुविधाएं सृजित

की जाती हैं। लेकिन जलापूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। बुनियादी ढांचे का रख-रखाव अधिक महत्वपूर्ण है। लगाई गई मोटरें सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। अधिकांश गांवों में बिना किसी बाधा के और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पेय जल की आपूर्ति हेतु हमें जल निकाय की देखरेख करने के लिए भुगतान के आधार पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करनी होती है।

पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम नामक एक दूसरी स्कीम है। यह विशेषकर गांवों में महिलाओं हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। वे जलाभाव के कारण इस सुविधा का लाभ उठाने में काफी मुश्किल का सामना कर रही हैं। सैनिट्री हाल और अन्य चीजों का निर्माण किया जाता है लेकिन इनका रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन चीजों के रख-रखाव हेतु राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के माध्यम से कुछ करे।

भूमि संबंधी अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जिसे उल्लेखनीय ढंग से किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को निर्देश दे ताकि भूमि संबंधी महत्वपूर्ण अभिलेखों की रक्षा की जा सके।

मेरा अगला मुद्दा सतर्कता और निगरानी समिति से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। स्थानीय संसद सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन संसद सदस्यों के महत्व और भूमिका को पूरी तरह अनदेखी की जा रही है और उसे न्यूनतम किया जा रहा है। संसद सदस्यों के अनुरोध अथवा उनके अनुदेशों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध किया है और वह भी समय-समय पर इस सिलसिले में काफी लंबे पत्र लिखते रहे हैं।

इसके बावजूद कोई कार्य नहीं होता है। अनेक राज्यों में सरकारें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी तमिलनाडु सरकार अधिक ध्यान दे रही है। वर्तमान मंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हम सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन सतर्कता और निगरानी समिति को प्रभावी ढंग से सक्रिय बनाना है। जहां भी मंत्री की नियुक्ति की जाती है वहां वह बैठकें नहीं बुला रहे हैं तथा अन्य लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध किया है कि जहां कहीं भी एक जिले में छह निर्वाचन क्षेत्र हो, वहां वह संसद सदस्यों को नियुक्त करें। इस पर विचार किया जाना है।

अंततः मैं यह कहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह समाज की जीवन रेखा है। हमारे मंत्री जी वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि वह लोगों की आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। समस्या के समाधान हेतु हम सभी समिति में उनको सहयोग करते हैं लेकिन सरकार को समग्र रूप से अधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिए ताकि वह बदले में राज्यों और जिलों को अधिकाधिक धनराशि प्रदान कर सकें जिससे ये योजनाएं बेहतर ढंग से निष्पादित हो सकें और स्थिति में सुधार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय: अगले माननीय सदस्य को बुलाने के पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे पास 40 सदस्यों की सूची है। इसलिए, मैं उन माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जो अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हो वे ऐसा कर सकते हैं।

अब मैं श्री लक्ष्मण सेठ को बुलाता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि चर्चा को कल तक समय बढ़ा दिया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल 40 सदस्य बोलने वाले हैं, आप ही बताइए उसके लिए कब तक बढ़ा सकते हैं?

प्रो. महादेवराव शिवनकर: महोदय, पार्टी ने जिन मैम्बर्स के नाम बोलने के लिए दिए हैं, कम से कम उन्हें तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. राम रखन सिंह (भिण्ड): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सभी बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर बोलने के लिए समय का निर्धारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्धारित किया है।

...(व्यवधान)

डा. राम लखन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसकी चर्चा पर चार घंटे आलरेडी हो चुके हैं।

...(व्यवधान)

डा. राम लखन सिंह: इसलिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसे कल तक बढ़ाया जाए। हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बीएसी ने इस पर बोलने के लिए चार घंटे का समय दिया था।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं केवल यह विनती कर रहा था कि जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच लै करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. राम लखन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमें स्पीच लै नहीं करनी है, हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह हम बाद में देखेंगे।

[हिन्दी]

पहले छ: तो बजने दीजिए, उस समय देखेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वर्ष बजट का जो आवंटन बढ़ाया है, वह स्वागत योग्य है। मैं अपने संक्षिप्त सम्बोधन में उस विभाग में जो त्रुटियां हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1946 में महात्मा गांधी ने नौखाली में एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो भूख से रहित हो, कोई भूखा न हो, ग्राम स्वराज्य हो और हर गांव का विकास हो। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 2008 तक देश के लोग भूखे हैं और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपीए शासन ने यह तय किया और भारत निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। ग्रामीम विकास मंत्रालय ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाईं। इससे पहले कि मैं इन योजनाओं का आकलन करूं, मैं आपका ध्यान उन योजनाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा जो कि आजादी के बाद से आज तक हम बनाते रहे और उनके फेल होने के क्या कारण रहे? एक सर्वेक्षण के अनुसार

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम,

[हिन्दी]

1972 के बारे में दिया गया है,

[अनुवाद]

जो अपर्याप्त वित्तपोषण और जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं के संचालन और अनुरक्षण हेतु जिला परिषदों की तकनीकी क्षमता के अभाव के कारण असफल हो गया। आईआरडीपी-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1980 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को राजसहायता और उत्पादक रोजगार हेतु बैंक ऋण दिया गया तथा यह बिना किसी अनुवर्ती कार्यवाही के एक बारगी ऋण के प्रावधान; उप-स्तरीय विदेश, अत्यधिक योजनाओं और बाजार से संपर्क अभाव के कारण असफल हो गया।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 से आज तक चल रही है। यह क्यों उस तरह से सफल नहीं हो पा रही है, जिस तरह से होना चाहिए।

[अनुवाद]

इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बंधुआ मजदूरों को नि:शुल्क आवास देने का था। यह सीमित कवरेज, संसाधनों की कमी और अपात्र उम्मीदवारों को देने के कारण असफल हो गयी।

[हिन्दी]

इंप्लायमेंट इंश्योरेंस स्कीम वर्ष 1983 में शुरू हुई। वह क्यों फेल हुई?

[अनुवाद]

इसके जरिए अनुत्पादक कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की गई। यह भ्रष्टाचार और असमान वितरण के कारण असफल हो गयी।

[हिन्दी]

मैं आशा करता हूं कि जो भूल पूर्व में हुई हैं, उनसे शासन ने कुछ सीख ली होगी। अब जिन योजनाओं का क्रियान्यन ये करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सुधार लाएंगे। हमारा ग्रामीण भारत बहुत महत्वपूर्ण है। आज ग्रामीण भारत का योगदान हमारे देश की जीडीपी में पचास प्रतिशत है। हमारा जो योगदान पर-कैपिटा इंकम रूरल इंडिया का है, वह अर्बन एवरेज से 56 प्रतिशत कम है, जबकि हम पचास प्रतिशत योगदान जीडीपी में देते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार बीस साल बाद हमारा ग्रामीण बाजार पच्चीस लाख करोड़ रुपए का होगा और जो हमारा अर्बन मार्केट, शेयर मार्केट है, वह उससे चार गुना ज्यादा होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण विकास योजनाएं सफल हों और इनका क्रियान्वयन सही हो।

भारत निर्माण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अब हम उस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का पैसा और भारत निर्माण का पैसा आपने बाजार से लिया है। मार्केट बारोइंग से यह पैसा आया है, यह राज्य सरकारों का पैसा है, विदेशों से इसके लिए मदद आयी है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी आडिटिंग सही हो और इसका दुरुपयोग न हो, यह देखना हमारे लिए आवश्यक है। हम देखते हैं कि केवल बीस प्रतिशत टारगेट हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एचीव कर पाए हैं।

एक नजर हम राज्यों की तरफ डालें। आंध्र प्रदेश की तरफ देखें, यह एक विकसित प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज वह कहां पहुंचा है? आपकी फोर्टीन्थ परफार्मेंस रिव्यू कमेटी मीटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर हुयी थी। उसमें केवल उन्नीस प्रतिशत काम अपग्रेडेशन आफ रूरल रोड्स का आंध्र प्रदेश में किया गया। वर्ष 2007-08 में चार सौ इकत्तीस किलोमीटर काम हुआ, जबकि दो हजार दो सौ अठ्ठावन किलोमीटर काम होना था, यह आंध्र प्रदेश की बात है। इसके बाद हम कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में दो हजार पांच सौ तिहत्तर किलोमीटर अपग्रेडेशन का काम होना था, लेकिन आठ सौ उनहत्तर किलोमीटर अपग्रेडेशन हुआ। केरल में अपग्रेडेशन का टारगेट था- दो हजार दो सौ एक किलोमीटर, वहां से

[अनुवाद]

अब तक कोई प्रगति नहीं होने की खबर है।

[हिन्दी]

यह आपकी रिव्यू कमेटी की मीटिंग के मिनट्स हैं। अगर आप इन राज्यों के भरोसे और अपने एलाइज के भरोसे भारत निर्माण करेंगे, तो क्या नतीजा होगा, आपको मालूम है। आप स्वयं आगे बढ़कर अपने विवेक से निर्णय लीजिए और इस पर आगे जो करना हो, उसे करिए। तमिलनाडु में भी केरल जैसा हाल है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट्स को मजबूत किया जाए। टेंडर डाक्यूमेंट में काफी समय लगता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड डाक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे समय न लगे और समय पर सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। आपने 68.90 करोड़ रुपए दिए हैं,

[अनुवाद]

जोकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण हेतु है।

[हिन्दी]

यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह राशि जिलों में नहीं पहुंची है। जब हम सतर्कता समिति की बैठक में भाग लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं तो हमें बताया जाता है कि यह राशि उन्हें नहीं मिली है। एक तो आप इसकी राशि को बढ़ाइए, इस योजना को सफल करने के लिए वहां राशि पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का कार्य अनुभवी लोगों के हाथों में हो, यह बहुत आवश्यक है। बंजर भूमि विकास (वेस्ट लैंड डेवलपमेंट) आपने उसमें काफी आवंटन दिया है, लेकिन आवंटन देना ही पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1992 से वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बना हुआ है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज क्यों हमारे वेस्टलैंड डेवलप नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इधर हम वृक्षारोपण करते हैं, इधर चारा का कार्यक्रम लेते हैं और पीछे से मवेशी आकर सब चर जाते हैं। यह एक समस्या और इसीलिए आपका वेस्टलैंड का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत की विश्व में ढाई प्रतिशत आबादी है और विश्व का 20 प्रतिशत पशुधन भारत में है। इसलिए पशुधन के लिए चारागाह बने। इसके लिए गौशालाओं को मजबूत करना पड़ेगा, गौशालाओं के लिए पैसा देना पड़ेगा और गौशालाओं को विकास से जोड़ना पड़ेगा जिससे हम अपने पशुधन को खड़ा करके चरा सके। स्टाल फीडिंग के कार्यक्रम लेने पड़ेंगे। आप वेस्टलैंड में एसईजैड बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप वेस्टलैंड पर एसईजैड बनाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं एक-दो प्वाइंट बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप लिखकर दे दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: ठीक है, मैं लिखकर दे दूंगा।

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री जो मांगें लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मैं सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इंदिरा आवास के अंतर्गत उन्होंने राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी है। इस हिसाब से गुजरात में आज एक आम आदमी 50 हजार रुपये की कीमत का अपना घर बना सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री जी ने 20 हजार रुपये चार प्रतिशत ब्याज से इंदिरा आवास लाभार्थी को ऋण देने की बात भी की है। इस हिसाब से देखें तो एक आदमी 70 हजार रुपये तक का आवास गुजरात में बना सकेगा। आम आदमी का अपना घर हो, इस सपने को साकार करने का काम यूपीए सरकार ने किया है। इसलिए मैं यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सन् 2002 में गुजरात में विधायक था। उस वक्त मेरी असैम्बली कौन्सटीटूएंसी में मुझे साल में मुश्किल से 140-150 इंदिरा आवास मिलते थे। मैं किसको दूं, किसे न दूं, उस समय मैं बहुत विडंबना महसूस करता था। लेकिन जब से यूपीए सरकार आई है तो पहले ही साल में 900 अंदिरा आवास मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में मिले, जिसके कारण मैं कई लोगों को संतुष्ट कर सका। लेकिन मैं इसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में कहना चाहता हूं। 2002 सैन्सस के सर्वे के हिसाब से देखा गया कि मेरे मत क्षेत्र में बीपीएल का दायरा छोटा हो गया और इंदिरा आवास बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे यहां इंदिरा आवास का कोई लाभार्थी नहीं बचेगा। मैं मानता हूं कि सवे का जो मापदंड बनाया गया है, उसके जो पैरामीटर तय किए थे, उससे न कभी गांव देखा न कभी गरीबी देखी।

आज हमारे देश में दो करोड़ की बैन्टले राल्स राय गाड़ी मिलती है और उसे हिन्दुस्तानी आमदी खरीदकर घूमता है, लेकिन यदि किसी गरीब आदमी के पास साइकिल हो तो आप कहते हैं कि यह पैसे वाला हो गया, इसे बीपीएल की लिस्ट से निकाल दें। आज कम्प्यूटर का जमाना आ गया है। आज मिडिल क्लास फैमिली के घर में कम्प्यूटर होता है। धनी वर्ग के घर में हर फैमिली मैम्बर का अलग कम्प्यूटर होता है, लेकिन यदि गरीब आदमी के पास रेडियो या ट्रांजिस्टर हो तो आप कहते हैं कि यह पैसे वाला हो गया है, इसका नाम बीपीएल सूची से निकाल दें। यह कैसा सर्वे है। गुजरात में जो सर्वे हुआ है, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने बेरोजगार नौजवान को टारगेट दिया कि आप यदि दिन में सौ आदमियों का सर्वे करेंगे तो आपको सौ रुपये मिलेंगे। वह नौजवान गांव में गया, वह गांव में किसी को जानता नहीं था। उसे जहां चाय मिली, अच्छा पानी पीने को मिला, उसने वहां बैठकर सर्वे किया। जिन लोगों का नाम बीपीएल सूची में आना चाहिए, वे नहीं आ सके और वह जिसके घर बैठा था, उसके पास मोटर साइकिल थी, ट्रैक्टर था, फिर भी उसका नाम बीपीएल की लिस्ट में आ गया। मेरी मंत्री जी से मांग है कि सर्वे को दुबारा से करवाना चाहिए। इस सर्वे को रद्द करके नए तौर से बीपीएल लिस्ट बनानी चाहिए और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का समावेश करना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में एनडीए के कार्यकाल के दौरान 50-60 लाख रुपये से ज्यादा एक मत क्षेत्र में सड़कें नहीं आती थी। जब से यूपीए सरकार आई है, पहले ही साल में एक विधान सभा क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये, दूसरे साल में 8 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये ही प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। लेकिन उसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की जो गाइडलाइन सरकार ने बनायी है, उसका पालन गुजरात में नहीं हो रहा है। गाइडलाइन यह कहती है कि एमपी का हर प्रपोजल में मशविरा लेना चाहिए। एमपी से मशविरा लेकर ही हर प्रपोजल भेजा जाना चाहिए, लेकिन मुझे एमपी बने हुए आज चार साल हो गये हैं। मेरे साथ एक बार भी कोई मशविरा नहीं किया गया। एक परिपत्र है कि छः महीने में एक बार सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर के साथ आनरेबल एमपी को लेकर ग्राम सड़क योजना का इंसपेक्शन होना चाहिए लेकिन चार साल में मैंने एक भी इंसपेक्शन नहीं किया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी और उद्घाटन है, उसे एमपी को साथ रखकर करना चाहिए। लेकिन आज चार साल हो गये, मैंने एक भी उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी नहीं की है। मैं स्टेट लैवल विजिलेंस कमेटी का भी मैम्बर हूं। आज चार साल हो गये हैं, स्टेट लैवल विजिलेंस कमेटी की एक भी मीटिंग गुजरात में नहीं हुई है। मंत्री जी इसे आप ध्यान में रखिये। जब कभी आगे राशि देने की बात हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): महोदय, मैं वर्ष 2008-09 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं इंगित करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाये। समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारने के लिए देशभर में अनेक कार्यक्रम और स्कीमों को लागू किया जा रहा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक मुख्य स्व-रोजगार कार्यक्रम है जो देश भर में लागू किया जा रहा है। योजना के दिशानिदेशों में प्रावधान किया गया है कि कम से कम 50 प्रतिशत स्वरजोगारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होंगे, 40 प्रतिशत महिलाएं और तीन प्रतिशत नि:शक्त होंगे। राजसहायता 30 प्रतिशत दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि राजसहायता को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के विषय का संक्षिप्त संदर्भ देना चाहूंगा। पेयजल आपूर्ति भारत निर्माण के छह घटकों में से एक है, जिसकी परिकल्पना एक योजना के रूप में की गई है और जिसे 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों में लागू किया जाना है। उस योजना के अंतर्गत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण का यह अंतिम वर्ष है। उपर्युक्त घटक का उद्देश्य 55,067 निवासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना है ताकि 2008-09 तक प्रभावित निवासियों की इस समस्याओं को हल किया जा सके। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन पर पुन: विचार किया जाए क्योंकि मैं समझता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं है इसकी संख्या और अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी के रिसाव की है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल इस संबंध में भारी चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि राज्य के बहुत से भागों में जल अनेक रसायनों से युक्त है। अन्य कुछेक राज्य जहां यह समस्या मौजूद है वे हैं, असम, झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में से 8 जिले रसायन युक्त जल से बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य के रसायन युक्त जल से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 166 करोड़ लोग रह रहे हैं। इन लोगों को भी स्वच्छ पेयजल का हक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि 1977 तक ग्रामीण क्षेत्र के केवल 0.07 प्रतिशत को ही पाईप के माध्यम से जलापूर्ति होती थी। अब इस स्कीम के अंतर्गत 33.55 प्रतिशत लोग आ गए हैं। "आर्सेनिक सब-मिशन" कार्यक्रम के तहत केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा क्रमश: 75:25 के आधार पर था और परियोजनाएं प्रगति पर थी। यह बड़े दुख की बात है कि 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल विधान सभा का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन संबंधित मंत्री से दिल्ली मिलने आया। इसके उत्तर में तत्कालीन मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सूचित करते हुए दिनांक 26.9.2001 को एक पत्र लिखा कि मामला विचाराधीन है लेकिन कुछ नहीं किया गया। इस बीच माननीय मंत्री जी ने इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए धनराशि प्रदान करने के साथ-साथ काफी कुछ किया।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2000 में केन्द्रीय सरकार ने कोलकाता में राष्ट्रीय स्तर का रसायनमुक्त युक्त पेयजल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने को तैयार हो गयी। इस केन्द्र के लिए राज्य सरकार ने भूमि भी आवंटित कर दी है, लेकिन अभी तक और कोई प्रगति नहीं हुई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह काफी समय से लम्बित स्कीमों के बारे में कार्यवाही शुरू करें।

जहां तक एआरडब्ल्यूएस कार्यक्रम का संबंध है, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित राज्यों और क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की बुनियादी सुविधाएं सृजित करने तथा प्रदान करने के लिए और अधिक धनराशि दी जानी है।

अंत में, मैं कुछ शब्द पूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में कहना चाहूंगा। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से और महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा प्रदान करने के लिए अधिकाधिक ध्यान दिया गया है। पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2012 तक समस्त घर-परिवार और 2007-08 तक सभी विद्यालयों को शामिल करना है। बल इस बात पर दिया जा रहा है कि योजना का लाभ गांवों में शत-प्रतिशत पहुंचे। ताकि खुले में शौच करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। और अधिक सफलता प्राप्त करने हेतु पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूं। इतनी बड़ी रकम ग्राम विकास में इतने लंबे समय से जा रही है, 37,000-38,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं, लेकिन गांव जहां पहले खड़े थे, वहीं आज भी खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए।

श्री इलियास आजमी: मंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूं, पहले सांसद के लिए सिर्फ भूमिका यह थी कि वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्ताव करेगा कि वहां सड़क दी जाए, उसका शिलान्यास और उद्घाटन वह करेगा और उसमें 10,000 रुपए प्रति सड़क जाते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने बाकायदा आदेश जारी करके उसे समाप्त कर दिया कि 10,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। एक-एक सड़क पर 50-50 लाख रुपए कमीशन खाए जा रहे हैं लेकिन 10,000 रुपए समाप्त कर दिए ताकि किसी एमपी का नाम उसमें न आए. एक साल से आश्वासन दे रहे हैं। कम से कम दस बार मुझे यह आश्वासन दे चुके हैं कि बस हो गया है, अगली बार से होगा। इसी तरह डेढ़ साल से हो रहा है। मेरे क्षेत्र में जिला लखीमपुर खीरी के चार ब्लाकों 32 सड़कें वर्ष 2003 की बनी हैं, जिन पर आज तक पांच रुपए खर्च नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ। कई बार मैंने इसके लिए पत्र लिखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चार साल में मंत्री जी ने 445 लोक सभा सदस्यों में से शायद किसी एक सदस्य के लिखे पर भी कोई काम नहीं किया होगा।

यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप यह बताएं कि कितनी बार आपने यह आश्वासन दिया कि 10,000 रुपए बहाल करके सड़कों का उद्घाटन का काम हो जाएगा। सन् 2003 की सड़कें अब तक नहीं बन सकी हैं। आपने सतर्कता निगरानी समितियां बनाने की बात सीना तान कर गला फाड़-फाड़ कर कही थी कि सारे अधिकार आपको दे दिए हैं। मैं भी अपने क्षेत्र की एक सतर्कता निगरानी समिति का सदस्य हूं। हम हमेशा उसकी मीटिंग बुलाते हैं। कई कामों की मैंने ताबड़-तोड़ जांच कराई, लेकिन जो जिला अधिकारी हैं, चाहे डीआरडीए के हों या अन्य तकनीकी अधिकारी हों, उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक भी जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा सतर्कता निगरानी समिति के चेयरमैन को सुई की नोक के बराबर भी अधिकार प्राप्त नहीं है, सिवाय मीटिंग बुलाकर समय बर्बाद करने के। मीटिंग बुलाने से यह होता है कि एक-दो दिन तक हलचल रहती है, उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारी पच्चीसों हजार करोड़ रुपया, गरीबों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जाता है, उसे हड़प कर जाते हैं। समयाभाव के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि इन पर कोई निगरानी न होने से ये कैसे पैसे का दुरुपयोग करते हैं।

आप छोटी योजनाओं को ले लें। उनके लिए आप गाइडलाइंस बनाते हैं और वह पूरे देश के लिए बनाते हैं, जबकि हर इलाके के और हर सूबे के अपने-अपने हालात हैं। सूबों में भी कई हिस्से होते हैं, जिनके अलग-अलग हालात होते हैं। आपने गरीबी की परिभाषा के लिए जो गाइडलाइंस बनाई हैं, पंजाब और उड़ीसा के लिए एक समान हैं, जबकि दोनों के हालात अलग-अलग हैं। इसलिए आप एक ही गाइडलाइन से सबको हांकना चाहेंगे तो वे नहीं हांके जाएंगे और सारा पैसा खा लिया जाएगा। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, उनका सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। जो योजनाएं पंचायतों के लिए जरिए लागू की जाती हैं, उनके बारे में राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मैं उनसे सहमत हूं। उनके पिता राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केन्द्र से जो पैसा जाता है उसका 15 फीसदी ही खर्च होता है और बाकी बीच में हड़प लिया जाता है। लेकिन जैसा राहुल जी ने कहा कि आज कल 95 प्रतिशत हड़प लिया जाता है और पांच प्रतिशत पैसा ही विकास के काम में लगता है। पंचायतों के माध्यम से आप जो काम करा रहे हैं, उसमें 95 प्रतिशत पैसा खाया जा रहा है और केवल पांच प्रतिशत ही लग रहा है। इस बारे में कितना भी हम लोगों द्वारा कहा जाए, लेकिन आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर एक जिले में मान लिया जाए कि 10-15 योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं तो आप लम्प सम वह पैसा जिले के हालात के मुताबिक दे दें। जिले के सांसद, विधायक, कलेक्टर या जो भी अधिकारी आप मुकर्रर करें, विकास के कौन से काम होने चाहिए, यह उन्हें पहले बता दें। लेकिन आप कहेंगे कि संडास बनाने के लिए इतना पैसा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो योजनाओं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना को छोड़कर बाकी योजनाओं के लिए लम्प सम पैसा दे दें। अगर आप एक जिले में विकास के लिए यह नहीं देंगे, कच्चे काम पर प्रतिबंध नहीं लगाएं और पक्का काम जब तक नहीं कराएंगे, तब तक यह भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। आपकी इस योजना का नाम ही अब भ्रष्टाचार गारंटी योजना हो गया है। हालांकि मैं मानता हूं कि इस योजना के साथ ज्यादती हुई है। जनता ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना को छोड़ कर बाकी योजनाओं का नाम भ्रष्टाचार योजना रख दिया है और सभी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका इलाज मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं लिखित में

दे सकता हूं। अगर फिर भी विकास न हो तो उसकी जो चाहे सजा हो, वह मुझे दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी दूर करने की जो परिभाषा तय की गई है, अगर पूरे देश में एक जैसी लागू करेंगी तो उसका फायदा नहीं होगा।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): यू.पी. में तो सारा पैसा अम्बेडकर योजना पर खर्च हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिएगा। इस तरह बीच में टोकेंगे तो फिर आपके समय में इन्हें भी मैं नहीं रोक पाऊंगा।

श्री इलियास आजमी: कच्चे कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। इसके अलावा पंचायतों के माध्यम से पांच रुपए भी विकास के नाम पर खर्च न करें। आप रहम करें, इस देश का अरबों रुपया, गरीब जनता का पैसा ऐसे व्यर्थ न जाने दें। पूरे जिले की योजना बनाकर उसके विकास के लिए पैसा दें तो ग्रामीण विकास सार्थक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोब्बिली): महोदय, मुझे वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली बार, रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे अधिक धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय को आबंटित हुई है। यूपीए सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात्, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आबंटन साल-दर-साल बढ़ता रहा है। अब यह 49,450 करोड़ रु. है। यह यूपीए सरकार की 'आम आदमी' के लिए चिंता; तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर इसके ध्यान को दर्शाता है। मैं यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी को धन्यवाद देती हूं।

महोदय, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष भी 8 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर पर आगे रही है, यह अनुभूति कि यह वृद्धि समेकित प्रकृति की हो, अर्थात् इसका देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नवीकृत महत्व है। यूपीए सरकार के अब तक के चार वर्षों में नए कार्यक्रम आरंभ हुए हैं तथा गरीबी घटाना सुनिश्चित करने के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्य को करने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों का पुनर्गठन हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस रणनीति मे अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण विकास नीति में भी भारी बदलाव आया है, अब ग्रामीण गरीबों को संसाधन माना जा रहा है जो विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, न कि बोझ। मंत्रालय स्कीम को समन्वित करता है, कार्यान्वित करता है तथा धनराशि प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आर्थिक विकास का लाभ गांवों तथा आम आदमी तक पहुंचे।

अब मैं इस मंत्रालय के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना चाहूंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) दुनिया में अपने ही प्रकार का कार्यक्रम है। एनआरईजीपी परिषद् का सदस्य होने के नाते मैंने भारत के विभिन्न हिस्सों में कई गांवों का दौरा किया है। लोग इस कार्यक्रम से खुश हैं, जो कि रोजगार मजदूरी की गारंटी दे रहा है तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह अधिनियम पुरुष और स्त्री के बीच बराबरी लाया है। जहां तक मजदूरी का संबंध है, समान काम के लिए दोनों को समान मजदूरी दी जाती है। भारत के इतिहास में पहली बार, संसद के एक अधिनियम द्वारा रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। इस अधिनियम को ग्रामीण कार्य-बल को काम में लाने के लिए बनाया गया है, जो दान नहीं लेंगे बल्कि हमारे आर्थिक विकास में एक उपयोगी प्रतिभागी बनेंगे। इससे भावी वृद्धि, रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सतत रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 1 अप्रैल 2008 से एनआरईजीपी को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। मैं इसके लिए यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का धन्यवाद करती हूं। मैं इस कार्यक्रम के लिए 16000 करोड़ रु. के आबंटन का स्वागत करती हूं। चूंकि अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री के आबंटन को और बढ़ाने का सविनय निवेदन करती हूं। यहां मैं इस बात पर बल देना चाहती हूं कि यदि सभी राज्य सरकारें अपनी पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाएंगे तथा एनआरईजीपी के तहत स्थापित प्रणाली का पालन करेंगे, तो कतिपय स्थानों में धनराशि का दुरूपयोग काफी हद तक नियंत्रित हो सकेगा। भारत निर्माण के तहत, सिंचाई, सड़क, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार तथा ग्रामीण संपर्कता के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाते हैं। भारत निर्माण के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिए गए जनादेश को ग्रामीण भारत की वृद्धि क्षमता को सामने लाने के प्रयत्न के रूप में तथा एक नई सदी में प्रवेश की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। यह भी अपेक्षा की जा रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ-साथ भारत निर्माण से पर्याप्त परिसम्पत्ति का सृजन होगा। तथापि, भारत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

निर्माण एक सामूहिक कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक भारतीय को या तो प्रयोगकर्त्ता अथवा भागीदार की भूमिका निभानी है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में वाकई हलचल हो रही है और ग्रामीण-शहरी अंतर समाप्त हो रहा है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बोब्बिली में लगभग 150 पंचायते हैं और प्रत्येक पंचायत अधिकार क्षेत्र में 5000 से कम जनसंख्या है और वार्षिक राजस्व 50,000 रु. से भी कम है। इतने कम राजस्व में पंचायत के लिए विकास कार्य करना कैसे संभव होगा? इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से सविनय निवेदन करती हूं कि इन पंचायतों को विकसित करने के लिए विशेष संचित निधि प्रदान करें।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई):- गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण निर्धनों में, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना रणनीति का एक अटूट हिस्सा है। ग्रामीण निर्धनों के लिए एसजीएसवाई सबसे बड़ा स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसके प्रारंभ होने से लेकर (दिसम्बर 2007 तक) 27 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं। स्वरोजगारियों की कुल संख्या, जिनकी सहायता की गई है, 93.27 लाख है। 540.98 करोड़ रु. की राजसहायता प्रदान की गई है। प्रति व्यक्ति 27,069/- रु. निवेश (औसत/प्रति वर्ष) किया गया है। यहां मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि स्व-सहायता समूहों को 0.25 रु. ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। इससे महिलाएं वित्तीय रूप से सशक्त होंगी। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही इसे लागू कर रही है। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। कृषि और पशुपालन साथ-साथ चलता है। यहां मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि विशेष रूप से एसजेवाईएस स्कीम के तहत स्वसहायता समूहों से संबंधित महिलाओं की देखरेख के अधीन दुग्ध डेयरी केन्द्रों की स्वीकृति दें। इस संबंध में मैं पहले ही इसकी स्वीकृति के लिए मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेज चुकी हूं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करें।

मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आम आदमी बीमा योजना के लिए 42 लाख व्यक्तियों की पहचान कर ली है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में लगभग 42 लाख लोग इस स्कीम के तहत शामिल थे। इनमें से, आंध्र प्रदेश में ही 38 लाख बीमे किये गये। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आंध्र प्रदेश ने 50:50 के अनुपात में अनुदान देने का प्रयास किया। यदि कोई राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए स्कीम लागू करने के लिए आगे आती है तो यह स्कीम की सफलता दर्शाता है। देश में प्रत्येक गरीब आदमी तक पहुंचना 'आम आदमी बीमा योजना' का लक्ष्य है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): का लक्ष्य न जुड़ी हुई आबादी को जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि एक विस्तृत और नवीकृत ग्रामीण नेटवर्क से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, विनियमित और उचित बाजार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच हो पाएगी और इस प्रकार ग्रामीण-शहरी अंतर समाप्त होगा और इससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान वित्त वर्ष 2007-08 में, दिसम्बर 2007-08 तक, लगभग 50,000 कि.मी. लंबी सभी नयी बारहमासी सड़कें पूरी बना ली गयी है। लगभग 17,000 आबादी को नयी कनैक्टिविटी प्रदान की गयी है और 65000 कि.मी. लंबी मौजूदा ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का धन्यवाद। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं।

इंदिरा आवास योजना: ग्रामीण आवास भारत निर्माण पैकेज के घटकों में से एक घटक है। वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 में, अब तक 10.6 लाख गृहों का निर्माण किया गया है, जबकि 8.40 लाख घर निर्माणाधीन हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 21.27 लाख गृहों का लक्ष्य है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के एक बड़े कदम के रूप में एक "स्थायी प्रतीक्षा सूची" इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।

यहां मैं मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य में माननीय मुख्य मंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने गरीब लोगों के लिए तीन वर्ष में वर्तमान वित्त वर्ष 2008 के अंत तक 60 लाख आवासों के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार की ओर से, मैं इस उदार सहायता के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं।

यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए तथा दंगे, आगजनी, पुनर्वास जैसी अन्य उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल आबंटित निधियों के पांच प्रतिशत भाग के स्थान पर इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए क्योंकि मेरा राज्य आंध्र प्रदेश तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है जिसके संबंध में रडार पर सदैव चक्रवात की सूचनाएं रहती हैं। मेरा राज्य पुन: चक्रवातों का शिकार रहा है जिसके परिणामस्वरूप जान और माल की अप्रत्याशित क्षति हुई है। गांवों में बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं। प्राय: आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण भी जान और माल की भारी क्षति होती है।

भूमि सुधार: भूमि सुधारों का लक्ष्य विभिन्न उपायों के माध्यम से भूमिहीन ग्रामीण गरीब लोगों को भूमि की अधिक पहुंच प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश में, राज्य सरकार ने भूमिहीन गरीबों में 6.17 लाख एकड़ से अधिक भूमि बांटी है। इस उत्कृष्ट समन्वय के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का धन्यवाद।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी): वर्ष 2009 तक, 55,067 शामल न की गयी आबादी, 3.31 लाख छूट गयी आबादी और गुणवत्ता प्रभावित 2.17 लाख आबादी को समाधान प्रदान किया जाना है। महोदय, नवम्बर 2007 तक 30,000 से अधिक शामिल न की गयी आबादी को शामिल करने, लगभग 2 लाख "छूटी हुई" आबादी और 54,000 गांव, जहां पानी की गुणवत्ता एक समस्या थी को भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल करने के लिए मंत्रालय के प्रयास प्रशंसनीय हैं।

महोदय, मैं ऐसे तटवर्ती, जनजातीय और समतल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो खारपेन, नमक और फ्लोराइड की काफी समस्याओं का सामना करना रहा है। इस संदर्भ में मैं ऐचेरला विधान सभा जो कि तटवर्ती क्षेत्र में ही स्थिति है, में विशेष पेयजल परियोजना का आग्रह करता हूं।

मैं अपना भाषण महात्मा गांधी के उद्धरण से समाप्त करूंगा। मैं उद्धृत करता हूं: "हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं हमें उनके लिए कार्य करना चाहिए। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है।" देश के समग्र विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अवश्य किया जाना चहिए। इस प्रयोजनार्थ, वरीयता आधार पर संसाधन अवश्य आवंटित किए जाने चाहिए। अत: मैं ग्रामीण विकास विभाग, भू संसाधन विभाग एवं पेयजल आपूर्ति विभाग से बने हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के संदर्भ में, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष जी, आपने अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। आज हम भारत-निर्माण की बात कर रहे हैं जबकि आम आदमी के पास खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं तो भारत का निर्माण कैसे होगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव से आता हूं और मैं राजस्थान प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां आपने कुछ योजनाएं पूरे देश के साथ लागू की हैं। राजस्थान में कुछ मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ सिंचाई क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई तालाब से होती है तो कुछ क्षेत्रों में सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। योजनाएं जब वहां तक पहुंचती हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदेश मरुस्थलीय हो, तटीय हो, रेतीला हो या फिर नहरी क्षेत्र हो, एक जैसी योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय देश के किसानों की हालात अत्यन्त खराब है। सन् 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति ने भी इस देश के किसान के लिए आग में भी डालने वाला काम किया है। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य न मिले तो यह उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है। इस उदारीकरण की नीति के बाद किसान अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है। वह रोजगार के लिए दूसरी जगह जाना उचित समझता है। किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। अभी राजस्थान में पाले से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं लेकिन पाला प्राकृतिक आपदा में गिना नहीं जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पाले को भी इस प्राकृतिक आपदा में शामिल करें।

उपाध्यक्ष जी, जब एनडीए की सरकार थी तो उसने कुछ ऐसी योजनाएं इस देश में लागू की थीं जिनको यूपीए की सरकार ने समाप्त कर दिया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कृषि और ग्रामीण मंत्रालय गठन करने की योजना इस सरकार ने पूर्णत: बंद कर दी है जिससे गांवों के गरीब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा के तहत जो योजनाएं शुरू की गयी हैं उससे कच्चे काम की शुरूआत हुई है तथा गांवों के गरीब आदमी को उससे कोई फायदा होन वाला नहीं है। मैं कुछ आंकड़े इस संबंध में आपके सामने रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार बनने के बाद, आपने पिछले साल सड़क निर्माण के काम में 50 हजार 674 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा था लेकिन केवल 49 हजार 476 किलोमीटर का ही काम पूरा किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करे, उसे अगर पूरा करे तो यह देश का सौभाग्य होगा। भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब आप अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछले साल अपने टार्गेट में रखा था कि हम 60 लाख लोगों को मकान बनाकर देंगे लेकिन उन्होंने केवल 28 लाख मकान बनाने का लक्ष्य ही पूरा किया है। आज भी गांवों के 19 प्रतिशत परिवार कच्चे घरों में रहते हैं, 50 प्रतिशत परिवार ही पक्के घरों में रहते हैं और 31 प्रतिशत लोग अर्ध-कच्चे-पक्के घरों में रहते हैं।

[श्री निहाल चन्द]

उपाध्यक्ष जी, सरकार ने पेय-जल का जो टार्गेट रखा था, वह भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 55 हजार से ज्यादा बस्तियां पेयजल से वंचित हैं। तीस प्रतिशत शहर नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। शहरों की बस्तियों में आज भी नगर निगम या नगर पालिका द्वारा पीने के पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। 26 प्रतिशत लोगों के पास इस देश में शौचालय की सुविधा नहीं है।

सरकार ने वर्ष 2007 में लक्ष्य रखा था कि एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे, लेकिन इन्होंने मात्र बीस लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम किया है। सरकार को लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मेरे से पहले कई सदस्यों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र किया है कि एक हजार से कम की आबादी वाले गांव को इस योजना से जोड़ा जाए और क्षेत्रफल की दृष्टि से पैसा दिया जाए। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि पचास किलोमीटर या सौ किलोमीटर सांसदों की अनुशंसा से ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत की जाए। इसमें क्षेत्रफल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और माननीय मंत्री जी स्वयं जयपुर गए थे तथा इन्होंने तारीफ की थी कि अगर सड़क कहीं भी सबसे अच्छी बनी है, तो वह राजस्थान में बनी है। क्षेत्रफल का आंकड़ा सरकार को जरूर रखना चाहिए।

महोदय, केंद्र सरकार ने 125 लाख गांवों में बिजली देने के लिए 230 करोड़ लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 56 प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली है और 44 प्रतिशत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपन घरों में केरोसीन तेल से रोशनी करते हैं।

सरकार ने पिछले बजट सत्र में कहा था कि 22700 प्राथमिक केन्द्रों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन 22700 प्राथमिक केंद्रों में से 8 प्रतिशत स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टर नहीं हैं। जहां डाक्टर हैं, वहां कम्पाउंडर नहीं हैं, जहां कम्पाउंडर हैं, वहां नर्से नहीं हैं। कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं औजार नहीं हैं, कहीं दवाइयां नहीं हैं, ये हालात इस देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हैं। सरकार जो घोषणा करती है, उसे सरकार पूरा करने का काम करे। देश में आज भी सिर्फ 9 प्रतिशत लोग रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 74 प्रतिशत लोग लकड़ी से चूल्हे जलाते हैं।

मैं इतना जरूर चाहूंगा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत हुई है, उसके तहत एनडीए की सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें बंद करके नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं पर अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है।

महोदय, मैं एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या सिंचित क्षेत्र हैं, वहां पक्के थाले बनाए जाएं। अगर इस योजना की शुरूआत हो, तो यह योजना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।

*महोदय, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। भारत की 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। भारत पूर्णतया जब विकास के पथ पर पहुंचेगा जब गांव का ग्रामीण के लिए खाने के लिए अन्न होगा और पीने के पानी होगा और रहने के लिए मकान होगा। जब तीनों मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक इंसान के लिए होगी तब देश पूर्णतया विकास के पथ पर पहुंचेगा। भारत की समृद्धि का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। गांवों की हालत बहुत नाजुक है। जिसको हम लोग बड़े नजदीकी तौर पर देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मानव निर्मित संसाधनों की प्रचूरता उनके विकास के लिए प्राकृतिक वरदानों का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र की जो योजना केन्द्र सरकार ने लागू की है। वे पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच नहीं पा रही है। राजस्थान प्रदेश का उदाहरण लें तो यहां पर मरुस्थलीय जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, सिंचित क्षेत्र भी हैं, कुओं और नदियों से भी सिंचाई होती है। केन्द्र सरकार की योजनाओं को पूर्णतया हर क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से लागू किया जाये तब जाकर विकास संभव होगा।

महोदय, हम भारत निर्माण की बात करते हैं। इस देश में कुल 582 जिले हैं। 457 जिला परिषद हैं, 5913 पंचायत समिति हैं, 227617 ग्राम पंचायतें हैं। छोटे से लेकर बड़े तब जन प्रतिनिधियों की संख्या इस देश में 34 लाख हैं। भारत की ग्रामीण इलाके में अगर नजर दौड़ाये तो गांव का इलाका आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 1.25 लाख गांव में बिजली देने व 230 करोड़ परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं इनको बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। जो 30 प्रतिशत लोगों के बीच में बिजली पहुंचाने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में 56 प्रतिशत लोगों के घर में बिजली पहुंची है। इस देश को आजाद हुए 61 साल हो गये हैं। आज भी 42 प्रतिशत लोगों की घरों में केरोसिन से रोशनी करते हैं। आज भी 55067 बस्ती पेयजल से वंचित है। 30 प्रतिशत शहर के लोगों को नगर निगम से पेयजल नहीं मिलता। 26 प्रतिशत लोगों के पास आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, सरकार ने 2007 में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा था जिसका मात्र 20 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं हो पाई। एनडीए सरकार ने जिन योजनाओं की शुरूआत की थी वे योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी। नदियों से नदियां जोड़ने का काम एनडीए सरकार ने शुरूआत की थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना, कृषि और ग्रामीण मंत्रालय का गठन ये योजनाएं वर्तमान की सरकार ने पूर्णतया बंद कर दी हैं। जिससे वर्तमान में गांवों को नुकसान हुआ है। केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की नरेगा स्कीम जो केन्द्र सरकार ने चालू की है जिससे गांव का बहुत बड़ा उत्थान होने वाला नहीं है। नरेगा स्कीम से गांवों के बेरोजगार को व श्रमिकों को पूर्णतया रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह स्कीम हमारे लिये नासूर बनकर खड़ी हो गई है। ग्रामीण विभाग ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस साल का लक्ष्य 50674 किमी. सड़क बनाने का लक्ष्य रखा था, परंतु वर्तमान में 39476 किमी. सड़क का काम पूरा हुआ जो आम लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ। इस सरकार ने 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा था, परंतु 28 लाख मकान का निर्माण कर सकी।

महोदय, इस देश में 19 प्रतिशत परिवार आज भी कच्चे घरों में रहते हैं और 50 प्रतिशत लोग पक्के घरों में रहते हैं और 31 प्रतिशत लोग अर्द्ध कच्चे घरों में रहते हैं। इस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 22700 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सिर्फ प्रतिशत डाक्टर ही उपलब्ध हैं। कहीं पर नर्स नहीं हैं कहीं कम्पाउण्डर नहीं है और कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर मेडिसिन नहीं है। इस देश में शहर में 40 से लेकर 70 प्रतिशत लोग रसोई गैस का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 74 प्रतिशत लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग करते हैं। सर्वे के मुताबिक मात्र 9 प्रतिशत लोग ही गैस का प्रयोग करते हैं।

महोदय, 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति ने भी इस देश में आग में घी डालने का काम किया। प्रत्येक किसान को इस उदारीकरण की नीति से घाटा हुआ। लोगों ने पलायन किया। अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरी जगहों पर बसे जिससे ग्रामीण इकाई को घाटा हुआ। इस देश का किसान बर्बाद हुआ पड़ा है जब तक किसान की फसल का उचित मूल्य किसान को नहीं मिलता है तब तक किसान का उत्थान नहीं हो सकता। अत: किसान की फसल का उचित मूल्य किसान को मिले ऐसी व्यवस्था बजट में होनी चाहिए। किसान की फसलें पाले से बर्बाद हो जाती हैं। उनका मुआवजा उनको नहीं मिलता है क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं गिना जाता है। पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाये। किसान की फसल खराब होने का मुआवजा केन्द्र सरकार व बैंकों ने तहसील सत्र का मान रखा है उसको ग्राम इकाई मानकर उसका मुआवजा दिया जाये।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी आज्ञा से यहां से बोलने की परमिशन दी जाए। मैं सर्वप्रथम सारे किसानों और ग्रामीण अंचल के लोगों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री, यूपीए सरकार की चेयरपर्सन सोनिया जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साहू जी का हृदय से आभआर व्यक्त करता हूं। आजादी के बाद गांधी जी का आन्दोलन गांव से झोंपड़ी तक पहुंचा और गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका इस बजट के माध्यम से यूपीए सरकार ने निभायी है जिसका ग्रामीण अंचलों में बहुत लाभ हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान में 13 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गांवों में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की कमी है, प्राइमरी लैवल में इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, बच्चों के लिए साफ पीने का पानी नहीं है, टायलेट की सुविधा नहीं है। आज भी प्राइमरी स्कूल के छात्र भूखे रहते हैं और पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त करते हैं। केन्द्र सरकार का पैसा प्रान्तीय सरकारों में जाता है। हमारे बीएसपी के साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सारा रुपया अम्बेडकर योजना के तहत खर्च किया जा रहा है। जिन योजनाओं के लिए पैसा जाना चाहिए, वहां नहीं लगाया जा रहा है। मिड-डे मील के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। हमें इस पर निगाह रखनी चाहिए। मिड-डे मील का पैसा बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है। बहुत से प्राविएन्सिज में जहां सरकारें सक्षम हैं, उसे कर रही हैं। हमारे यहां मथुरा में मुझे कहते खुशी हो रही है कि आक्षेपात्र एक संस्था है जो अन्य जिलों में भी कार्य कर रही है। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब 80 हजार बच्चों को स्कूलों में भोजन देती हैं। उनके गर्म कंटेनर्स हैं, वैन्स हैं, उनमें चावल, सब्जी, गर्म रोटी पहुंचती हैं जिन से बच्चों की संख्या बढ़ी है। मैंने स्वयं वहां जाकर खाना खाया है। केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह आगे इस तरह की योजनाएं बनाए और एनजीओज आगे आकर सहयोग दें जिससे यह पैसा ठीक तरह से लग सके। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के अंतर्गत

[अनुवाद]

सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियां आरंभ की गयी हैं। सफाई समितियां कई गांवों में कार्य कर रही हैं। 323 जिलों में, अस्पतालों के उन्नयन का कार्य आरंभ किया गया है।

[हिन्दी]

इसके लिए पैसा बढ़ा कर 12 हजार 500 करोड़ रुपया किया गया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैल्थ सैंटर्स की कमी है। अगर हम हर गांवों में न जा सकें तो प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स को मजबूत करें।

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

मैं आग्रह करूंगा कि ब्लाक स्तर पर कम से कम 30 से 50 बैड वाले अस्पताल बनाएं जहां मैटरनिटी अस्पताल हों, पेशेंट फैसिलिटीज हों, ब्लड टैस्ट हों, एमआरआई हो, एक्सरे की फैसिलिटी हो जिससे मरीज वहां जा सकें। आज सुबह भी क्वैश्चन आवर में ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों के न जाने की समस्या पर एक प्रश्न था। रूरल हैल्थ सर्विस का गठन करना चाहिए। हम डाक्टरों को रूरल हैल्थ सर्विस में नियुक्त करें जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं देख सकें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

[अनुवाद]

यह स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के अंतर्गत आने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक मजदूर के लिए 39,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

[हिन्दी]

मेरा आग्रह है कि बीपीएल कैटेगिरी के अलावा गरीब गांव के लोगों को इसमें जोड़ा जाए जिससे उनको बीमारी में दवाओं का लाभ मिल सके, इसे कम से कम 50,000 रुपए तक किया जाए। अभी केवल 10,000 रुपए रखा गया है जबकि दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, डाक्टरों की फीस बढ़ी है, वहां आने-जाने के साधन नहीं है, खाने की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए बीमा हैल्थ का पैसा बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाए। इसमें हर फैमिली मैम्बर को लिया जाए जिससे वे अच्छी तरह अपना इलाज करा सकें।

मैं नेशनल एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम के संबंध में माननीय राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए थे, और उनके आग्रह पर सारे देश के जिलों को इसमें शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कार्ड बनते हैं उनको ठीक से बनाया जाए ताकि प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य या एक महिला को रोजगार मिले। अभी कुछ दिन पहले माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय सदस्यों ने टीवी पर देखा होगा, एक इंटरव्यू आया था जिसमें तमाम धांधली को दिखाया गया था। गांव के लोग गांव से पलायन कर रहे थे, उनसे इलैक्ट्रानिक मीडिया के लोगों ने पूछा-आप कहां जा रहे हैं आपके यहां तो यह योजना है? उन्होंने कहा-हम काम करने गांव से बाहर जा रहे हैं तब पूछा गया-आपको गांव में काम नहीं मिला तब जवाब मिला-हमें धमकाया गया है कि आप गांव से बाहर जाओ, फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, फर्जी काम दिखाकर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा वहां पर मानिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, वहां केंद्र सरकार की टीम होनी चाहिए जो इसका गहन अध्ययन करे। इसमें माननीय सांसदों, एमएलए और जनप्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए जिससे मानिटरिंग ठीक तरह से हो सके। मैं राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी आपके यहां भी यह समस्या होगी, यह समस्या हमारे यहां भी है और सदन के सम्मानित सदस्य भी इससे जूझ रहे हैं। गांव में पीने का पानी आज भी नहीं है। आजादी को 60 वर्ष हो गए हैं, मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में अभी घूमकर आया हूं, मैं बराबर जाता रहता हूं वहां आज भी महिलाएं दो किलोमीटर दूर से सिर पर पानी लेकर आती हैं। हमारी बेटियां, बहुएं और गांव की औरतें दूर से पानी लेकर आती हैं, इससे बड़ी शर्म की बात हमारी सरकार, हमारे और इस सदन के लिए क्या हो सकती है। मैं पिछले सप्ताह शनिवार और रविवार को गांव के दौरे पर था, बहुत से लोगों ने बताया कि एक बाल्टी पानी पांच किलोमीटर दूर से लाते हैं, जिसका पैसा दस रुपए दिया जाता है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। इस बजट में करीब 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान पीने के पानी के लिए रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी को अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, हमारे यहां बारह ब्लाक हैं, उनकी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में भेजी गई हैं लेकिन चार साल में एक भी योजना की स्वीकृति नहीं मिली है, एक पैसा नहीं मिला है। जो योजनाएं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में बनी थीं जिसे जल निगम का स्वरूप दिया गया था, तीन गांवों को एक योजना से जोड़ा गया था, इसके लिए वहां से जवाब मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार के पेयजल विभाग, जो राजीव गांधी की योजनाओं को बैठकर देख रहे हैं, हमारे यहां से जो अफसर गए उनको कहा गया कि पांच हजार से ऊपर की जनसंख्या के गांवों को पानी दिया जाएगा इससे नीचे की जनसंख्या के गांवों को पानी नहीं दिया जाएगा।

उसमें उन्हें 25 परसेन्ट की भागीदारी करनी होगी, उधर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसमें भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, वहां के अधिकारियों द्वारा बनी हुई योजनाओं को वापस करते हैं। इसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चार साल में एक भी योजना को एक पैसा तक नहीं मिला। इसके अलावा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में करीब 7530 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का हृदय से आभारी हूं कि मेरे जिले में करीब 400 किलोमीटर सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी हैं। मगर मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां की सड़कों की क्वालिटी बहुत खराब है। 22 लाख रुपये प्रति किलोमीटर एक सड़क के लिए दिया जाता है। यदि आप वहां जाकर देखें तो उत्तर प्रदेश के वे ठेके हमारे यहां आर.ई.एस.

विभाग देखता है। ये काम उसके द्वारा किये जाते हैं। उनके अधिकारी मानिटरिंग करते हैं। इस बारे में जिला प्रशासन को कई बार कहा गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि माननीय मंत्री जी से मैंने इस बारे में शिकायत की तो केन्द्र सरकार की तरफ से आपके विभाग की एक टीम वहां गई। मेरे पास वहां से एक ठेकेदार का फोन आया और उस ठेकेदार ने कहा कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मगर हम लोग पचास लाख रुपये का चंदा करके इस टीम को दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जो टीम वहां पर निरीक्षण करने के लिए गई थी, वह पचास लाख रुपये लेकर वापस आ गई, आखिर कौन इसकी देखभाल करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारे यहां विधान सभा के पांच क्षेत्र हैं। वहां पर एक हजार हैंडपंप दिये जाए। क्योंकि अब चुनाव में एक साल रह गया है, चुनाव में हम लोगों को क्या जवाब देंगे, जिन्हें हम पानी मुहैया नहीं करा सके। भारत सरकार ने पैसा रखा है, परंतु प्रान्तीय सरकारें उसमें सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए मंत्री जी से आग्रह है कि आप वहां केन्द्र की टीम भेजकर वहां अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करायें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती परमजीत कौर गुलशन जी, आप बोलिये।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र सरकार के पैसे की नेमप्लेट माननीय संसद सदस्यों के नाम से लगे, ताकि लोगों को पता लगे। हमारे प्रदेश में माननीय मायावती जी, जो वहां की मुख्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इस सारे पैसे को अम्बेडकर गांव में दिया जा रहा है। इंदिरा आवास के नाम पर कहा जा रहा है कि यह प्रान्तीय सरकार की योजना है, इसमें हरिजनों को आवास दिये जा रहे हैं। वहां जो पेंशन दी जा रही है, वह भी प्रान्तीय सरकार अपने नाम से दे रही है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह प्रचार-प्रसार के द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं और उसके कार्यों को पूरे जोर-शोर से लोगों में फैलाने का कार्य करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा):** महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ किये गए विभिन्न कार्यक्रमों में कई त्रुटियां हैं। मैं इन त्रुटियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं उनसे इन कार्यक्रमों में त्रुटियां दूर करने की भी अपील करती हूं।

महोदय, हमारे देश के गांवों में रह रहे 70 प्रतिशत से भी अधिक लोग भूख, गरीबी और वंचित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांवों में, स्वास्थ्य-परिचर्या नहीं हैं, विद्युत की सुविधा नहीं है, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, पेयजल सुविधाएं नहीं हैं, सफाई सुविधाएं नहीं हैं और वहां सड़क कनैक्टिविटी नहीं है। महोदय, मैं स्वच्छ और असंदूषित पेयजल सुविधा के अभाव की ओर विशेष रूप से संकेत करना चाहती हूं। सरकार किस आधार पर यह दावा कर सकती है कि भारत विकास पथ पर अग्रसर है? हमारे गांवों के विकास किए बगैर, हम वास्तविक प्रगति का दावा नहीं कर सकते।

नि:संदेह, सरकार ने ग्रामीण गरीब लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। लेकिन, क्या इन कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? महोदय, यदि आप खेत में पानी देंगे और यदि पौधों की जड़ों तक पहुंचने की बजाय पानी कहीं और बर्बाद हो जाए तो इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन दोषपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का मामला लें। हमने इस भव्य सभा में बार-बार इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की है। हमने बार-बार इसके कार्यान्वयन में त्रुटियों का उल्लेख किया है। फिर भी, सरकार इन कमियों को दूर करने में विफल रही है। जरूरतमंद लोगों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित इस कार्यक्रम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

महोदय, जहां तक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रश्न है, तो सभी राज्यों की तुलना एक समान रूप से नहीं की जा सकती। अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग समस्याएं हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पंजाब, बिहार से अलग है। पंजाब के मात्र 10 प्रतिशत लोगों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। ऐसा सरकार द्वारा अपनाए गए दोषपूर्ण मानदंडों के कारण हुआ है। एक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

बीपीएल परिवार की पहचान करने के 52 मानदंड हैं। इनमें से एक मानदंड यह भी है कि किसी परिवार के पास कोई पंखा या फ्रिज नहीं होना चाहिए। महोदय जब देश में गर्म लू चलती है तो गरीब आदमी भी पंखे की ठंडी हवा लेने का प्रयास करता है। गरीब आदमी 45 डिग्री या उससे अधिक तापमान वाली गर्मी को भी कैसे बर्दाश्त कर पाएगा इसलिए बीपीएल परिवारों की पहचान करने के मानदंड दोषपूर्ण और वास्तविकता से कोसो दूर है। पंखा और ठंडा पानी हर किसी की बुनियादी आवश्यकता बन गई है।

महोदय, पंचायत सदस्यों को भी बीपीएल परिवारों की पहचान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप सभी लोगों के नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इस कार्य में बहुत राजनीति हो रही है। गांव का मुखिया किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। वह बीपीएल सूची में अपने समर्थकों और चापलूसों का नाम शामिल करने का प्रयास करता है। फर्जी लोगों को इस सूची में शामिल किया जाता है। पूरी स्कीम की समीक्षा की जानी चाहिए। बीपीएल परिवारों की पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। इस स्कीम से संबंधित मानदंडों को निर्धारित करते समय विभिन्न राज्यों में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब से संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है तब से बहुत शोर शराबा किया गया है, 4 वर्ष बीत गए हैं लेकिन संप्रग सरकार पूरे देश में इस योजना को क्रियान्वित करने में असफल रही है। जहां कहीं भी इसे क्रियान्वित किया गया है यह पूरी तरह से असफल रही है।

इस बात की घोषणा की गई थी कि स्कीम को जल्द ही पूरी तरह क्रियान्वित किया जाएगा। तथापि पंचायत और जिला परिषद के चुनावों के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब संसद के चुनाव भी नजदीक में होने वाले हैं जिसके कारण इस स्कीम का असफल होना तय है।

सरकार गरीब परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों के लिए मात्र 102/- रुपए का दैनिक पारिश्रमिक प्रदान करती है। तथापि पंजाब में गरीब व्यक्ति दैनिक पारिश्रमिक के रूप में 150/- रुपए से 200 रुपए आसानी से कमा सकता है। इस तरह वह सरकार के 102/- रुपए के अंशदान से लाभान्वित नहीं हो सकता। सरकार को इस स्कीम के अंतर्गत दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि बढ़ानी चाहिए। गांव के मुखिया को बीपीएल व्यक्ति की पहचान करने से अधिकार नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बजाए सभी राजनीतिक दलों वाली एक समिति को इस कार्य का निर्वहन करना चाहिए।

कई बार गरीब आदमी के अंगूठे का निशान कागज पर ले लिया जाता है जिसमें उन्हें 102/- रुपए के भुगतान की बात होती है। तथापि वास्तव में उन्हें मात्र 50/- रुपए का भुगतान किया जाता है। इन सभी कदाचारों को रोका जाना चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत 60 प्रतिशत धनराशि पारिश्रमिक के भुगतान हेतु दी जाती है और 40 प्रतिशत धनराशि खरीदे गए उपस्करों हेतु सामग्री लागत के रूप में दी जाती है। यह अनुपात 50:50 होना चाहिए न कि 60:40।

अनेक कार्य इस स्कीम के अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ पंजाब में जल संबंधी कार्यों की सफाई आवश्यक है। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इस कार्य को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? इस पूरी स्कीम की समीक्षा करना और इसे लोगों के अनुकूल बनाना समय की मांग है।

इस स्कीम की कोई निगरानी नहीं की जानी है। इस स्कीम के अंतर्गत कितने लोग और कितने परिवार एक दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं? सरकार के पास इन मामलों से संबंधित कोई सांख्यिकीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

महोदय, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा 25000/- रुपए की धनराशि प्रदान की जानी है। यह गरीब लोगों के प्रति सरकार का क्रूर मजाक है क्योंकि 25000/- रुपए की धनराशि समुद्र में एक बूंद के समान है। आप इस तुच्छ धनराशि से घर का निर्माण नहीं कर सकते। मैं सरकार से अपील करती हूं कि वह इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए करे।

महोदय, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को शौचालयों के निर्माण हेतु 600/- रुपए का भुगतान करती है। लेकिन इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई इंटों की लागत 1000/- रुपए होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के प्रति सरकार द्वारा सोचा गया यह एक दूसरा मजाक है। पंजाब सरकार बीपीएल परिवारों को 7800/- रुपए और गैर-बीपीएल परिवारों को 6800/- रुपए का भुगतान कर रही है। इन परिस्थितियों में 600/- रुपए की धनराशि बहुत ही तुच्छ है। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, पंजाब के गांवों में स्वच्छ पेयजल की किल्लत है। जो जल उपलब्ध है वह कैंसरजन्य यौगिकों से संक्रमित है। इससे कैंसर होता है। यदि मानसा और भटिंडा में सर्वेक्षण कराया जाता है तो यह बात सामने आएगी कि हर तीसरे परिवार में एक कैंसर रोगी है। ऐसा संक्रमित पेयजल के कारण है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह गांवों और गरीब लोगों एवं दलितों के घरों तथा क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जल पंप स्थापित करें।

महोदय, पंजाब में स्वं-सहायता समूह असफल हो गए है क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं नहीं मिलती है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक रोजगार सृजन करे। तभी गांव वास्तव में हुई प्रगति का स्वाद चख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाए। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से एक प्रचार अभियान शुरू किया जाए। टेलीविजन पर ऐसे प्रचार अभियानों के प्रसारण हेतु समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों हेतु सभी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्र भूषण सिंह, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मात्र पांच से छह मिनट बोलें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप देश के ऐसे इलाके से आते हैं, जहां की गरीबी की जानकारी आपको अच्छी तरीके से है। आपके विभाग से कई मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जब तक ये सारे मंत्रालय आपस में विचार-विमर्श करके कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक कोई सही नतीजे सामने नहीं आ सकते। अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रेड्डी साहब ने अर्जेनटाइना में भाषण दिया, उन्होंने एक बात कही कि हमारे हिन्दुस्तान की नौ प्रतिशत सालाना विकास दर है। यदि यही विकास दर बनी रही तो खेतिहर और गैर-खेतिहर लोगों में विषमता बढ़ेगी, उनमें दूरियां और बढ़ेंगी। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक एग्रीकल्चर की ग्रोथ चार प्रतिशत नहीं होगी तब तक हम सही तरीके से इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते।

आप यह भी जानते हैं कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य सीधा कृषि से जुड़ता है। यदि कृषि का विकास होता है तभी हम ग्रामीण विकास करने में संभव होंगे। योजना आयोग ने सन् 2005 में जो शुरुआत की थी, उसके तहत उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, गृह निर्माण, पेयजल और टेलीफोन, मुख्यत: ये बातें उन्होंने ली थीं। बहुत सारे वक्ताओं ने यह बात कही और मैं भी आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी भी मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में मौजूद थे, जहां एम.एस. आलूवालिया जी भी थे। उन्होंने एक बात कही ग्रामीण सड़क योजना के तहत गुणवत्ता यदि नहीं आ रही है तो उसके मानक को तय करने के लिए ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बनाई जाती कि उसके मानक सही हों। उस पर यह आब्जेक्शन आया कि आपको फिर हिन्दुस्तान में ठेकेदार नहीं मिलेंगें। आप दुर्भाग्य की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी यह रिकोमेंड कर रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए कोई मानक तय कर दिए जाएं, लेकिन उसके लिए आपको ठेकेदार नहीं मिलेगा।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बीआरओ आपके पास है, जो सारी सड़कें कठिनतम जगहों में भीषण परिस्थितियों में बनाते हैं, आप क्यों नहीं ऐसी योजना लाते कि जहां ठेकेदारी की प्रथा खत्म हो और आप ही उस सड़क को बनवाएं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप गुणवत्ता नहीं पा सकते। आपको गुणवत्ता तभी मिलेगी जब आपका अपना विभाग हो और काम करने वाले लोग आपके हों। आपकी शुरू के दो साल में सड़क निर्माण की जो स्थितियां थीं, आपका 50647 किलोमीटर का टारगेट था और उसके तहत आपने मात्र 39 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई थीं। इसी तरीके से इंदिरा आवास, जो गृह निर्माण की बात है, उसमें भी यही बात रही। आपको 60 लाख मकान बनाने थे, लेकिन 28 लाख मकान आपके बने। आपकी जो इंदिरा आवास योजना है, इसमें मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: छ: बज गए हैं, मेरा ख्याल है कि बार-बार समय बढ़ाने की बजाए जितनी देर तक बिजनैस खत्म नहीं होता तब तक टाइम बढ़ा लिया जाए तो अच्छा रहेगा।

सायं 6.00 बजे

श्री चन्द्रभूषण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में बता रहा था। हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि को 25 हजार से 35 हजार और 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाए। इस तरीके से काम बनने वाला नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि देश में दूर-दराज के ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां कास्ट आफ एक्सपेंडीचर ज्यादा पड़ता है। जब वह ज्यादा बढ़ेगा, तो नैचुरली आप 50 हजार रुपए में भी मकान नहीं बनवा सकेंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और जितने दूर-दराज के इलाके हैं, उनमें आपको इंदिरा आवास का पैसा उसके अनुकूल तय करना चाहिए, तभी आपकी यह योजना सफल हो सकती है।

महोदय, अब बात खाद्य समस्या की आती है। देखिए, एक ऐसा समय था, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे देश की खाद्य समस्या को हल करता था। आज आखिरकार कौन ऐसी वजह हुई कि पैडी के प्रोडक्शन के मामले में जो पंजाब फर्स्ट नंबर पर रहता था, वह पांचवें नंबर पर पहुंच गया और जो

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

छत्तीसगढ़ 20वें नंबर पर था, आज पहले नंबर पर है, क्या कभी इस पर विचार किया गया? क्या कभी इस पर विचार हुआ, नहीं हुआ। मैं चूंकि कृषि का आदमी हूं, कृषि पढ़ा हूं और कृषि ही करता हूं, इसलिए सुझाव देता हूं कि फर्टीलाइजर का अधिक इस्तेमाल होने से, हमारी जमीन ऊसर हुई। इसी प्रकार का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष देना चाहता हूं। जब कोई आदमी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ हो, तो फिर उसे चाहे जितने कोरामिन के इंजैक्शन लगाइए, उसे कोई लाभ नहीं होता। आज हमारी जमीन मर चुकी है। इसलिए उसे आप कितना ही कोरामिन दीजिए, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। क्या वजह है, वजह यह है कि आर्गेनिक कंटेंट्स की जमीन में कमी हुई और लगातार फर्टीलाइजर का इस्तेमाल हुआ। उससे दो नुकसान हुए, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हुई और उसके नीचे का जो पानी है, वह भी कंटैमिनेटेड हुआ।

महोदय, अभी हमारी पंजाब की एम.पी. साहिबा बता रही थी कि वहां जमीन के नीचे कैंसर या डिफरेंट डिजीज के कंटेंट पाए जाते हैं। क्या वजह है, इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। इस पर गौर होना चाहिए, अगर गौर नहीं होगा, तो आप निश्चित मानिए कि हम इस पर जितना रुपया खर्च करेंगे, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपके पास इतना रुपया है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की सरकारों को आप लगातार हिदायत भी देते हैं, उन पर गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि आपको गरीबी की जानकारी है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मुझे दो मिनट की मोहलत दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूं। आज इत्तेपाक से नंबर आ गया, तो बोलने लगा। मैं आपसे एक बात के लिए निवेदन करता हूं कि हैंडपम्प्स के लिए हमारे लोगों ने डिमांड्स की कि एक-एक हजार हैंडपम्प मिलने चाहिए। क्या कभी इस पर भी गौर हुआ कि हमारा वाटर-स्ट्रैटा कहां जा रहा है, क्या वाटर हारवेस्टिंग के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है? मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां भूमिगत जल का लैवल चार मीटर डाउन हुआ है। अब से दो साल पहले जितने हैंडपम्प लगे हुए थे, वे सब बेकार हो गए, फेल हो गए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे हैंडपम्प लगवाकर, क्योंकि आप रीबोरिंग के लिए तो पैसा नहीं देते? जिनका इस साल बोर हुआ है, वही लोग तीन साल बाद आ जाएंगे कि साहब हमारा तो हैंडपम्प फेल हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वाटर हारवेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की है, क्या आपसे यह रिलेटेड नहीं है, क्या यह ग्रामीण विकास से रिलेटेड नहीं है? जब तक आप इस पर गौर नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे।

महोदय, अब मैं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हर गांव को बिजली मिल जाए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बिजली के खम्बे लगवा देने से बिजली पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया कि हमारे देश की कितनी जरूरत है और कितना प्रोडक्शन है? आज विभिन्न प्रदेशों में बिजली उत्पादन पर अगर आप गौर करें, तो आप पाएंगे कि बिजली उत्पादन बहुत कम हो रहा है। मैं अन्य प्रदेशों के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि आज भी वहां 14 घंटे बिजली नहीं आती है। वहां आप क्या करेंगे? खम्बों और तारों पर पैसा खर्च करेंगे?

महोदय, एक बात पर अभी तक कतई गौर नहीं हुआ और यह देश का दुर्भाग्य है कि जब बिजली चोरी का मामला आता है, तो हमारे अधिकारी यह दिखाते हैं कि लाइन लासेस हुए हैं। अरे लाइन लासेस की भी एक लिमिट होती है। लाइन लासेस के बाद भी आखिर क्या हो रहा है? मेरा इस बारे में एक निवेदन है कि नए-नए पावर हाउस बनाने के लिए आप इन्वैस्ट करें बजाय इसके कि ग्रामीणों को बिजली देने के लिए खम्बे लगवाएं, क्योंकि खम्बे लगाने से बिजली ग्रामीणों को नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। मैं खत्म कर रहा हूं। नंबर तो मेरा पहले था, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में आया, क्योंकि हमारे एक साथी को पहले मौका दे दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं लिस्ट के हिसाब से ही नाम बुला रहा हूं।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: मेरी दरख्वास्त है कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जो भी हेण्डपम्प लगाए जाते हैं, उनके पानी की जांच अवश्य करवायी जाए, तभी हेण्डपम्प लगाए जाएं। यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

दूसरा, जब तक जनभागीदारी नहीं होगी, तब तक विकस नहीं हो सकता है। माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायत राज योजना लागू की थी। लेकिन क्या वजह है कि केरल और मध्य प्रदेश के बारे में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी कि केवल ये ही दो राज्य हैं, पूरे हिन्दुस्तान में, जिन्होंने सही काम किया है? आखिरकार अन्य प्रदेशों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वहां जनभागीदारी से कार्य किया। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने बीच की अफसरशाही को खत्म कर दिया। केरल में लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिखाने के लिए सरकार आगे आई। उन्होंने गांव के लिए योजनाएं बनाईं, गांव को अपने व्यय बताया। मैं निवेदन कता हूं कि उन्हीं को एक रूप मानकर कार्य किया जाए तो निश्चित ही मैं अच्छे भारत की कल्पना कर सकता हूं।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): महोदय, मैं मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छी नीति और सोच के तहत गांव के लिए काम शुरू किया है। सभी सदस्यों ने प्रशंसा भी की है और मंत्री जी की प्रशंसा करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी सोच भारत निर्माण योजना के तहत गांव के विकास के लिए है। नरेगा के अंतर्गत जब देश के सभी जिलों को ले लिया गया, तो मैं समझता हूं कि जिस रूप में नरेगा के लिए बजट में जितना प्रावधान होना चाहिए था, ग्रामीण विकास के लिए जितना पैसा मिलना चाहिए था, वह आंकड़ों के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से और ज्यादा बजट एलोकेशन बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर सुझाव देना मुनासिब लगता है। नरेगा बहुत ही अच्छी योजना है। एक तरफ बेरोजगारी दूर होगी और दूसरी तरफ देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां इसका प्रतिशत बहुत कम है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में इसकी प्रगति बहुत कम है। जिस राज्य से हमारे माननीय मंत्री आते हैं, उस राज्य में इसकी प्रगति नगण्य है और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कम है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने योजना तय की और राज्य सरकार के जिम्मे इस काम को दिया है। फरवरी, 2005 को प्रधानमंत्री जी ने इसे शुरू किया था। इस योजना का यह तीसरा वर्ष चल रहा है। इसका प्रतिशत इतना कम है कि राज्य सरकार के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठ कर प्रधानमंत्री और विभागीय मंत्री इस बारे में कोई राय नहीं बना सकते कि इतना कम प्रतिशत क्यों है। राज्य सरकार इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रही है?

दूसरी बात यह है कि इसके लिए नियम के तहत जो जाब कार्ड बनाने हैं, उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं और जाब कार्ड कम दिए जा रहे हैं। जाबकार्ड में जो गलतियां हो रही हैं, उनको सही करने में काफी वक्त लगेगा।

तीसरी बात, जो मजदूरों को पेमेंट करने की है, उसमें भी काफी अनियमिततायें हैं। मनमाने ढंग से मजदूरों को पेमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए आपने कानून बनाया, उसे 15-15 दिन बाद भुगतान होता है। जिस उद्देश्य से इस कानून को भारत सरकार ने बनाया, मेज थपथपाकर हम सभी लोगों ने उसका समर्थन किया, उसका मैसेज भी बहुत अच्छा गया, लेकिन जिनके लिए आपने कानून बनाया, सीधा उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनमें से बहुत कम प्रतिशत को ही इसका लाभ मिल रहा है।

इस कानून का आज भी गांव में बेहतर तरीके से प्रचार नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया और राज्य सरकार की जो एजेंसी है, बीडीओ से लेकर कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी तक, वह इसे बेहतर प्रचार नहीं दे रही है। इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह बहुत चिंता का विषय है। इतनी रकम, इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा फायदा, इतने बहुसंख्यकों को लाभ पहुंचाना, परंतु उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एमपी और एमएलए लोगों को देने की जहां तक बात है, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकारी एजेंसी को जनता को अवेयर करने के लिए इस पर ज्यादा बल देना होगा।

महोदय, मैं एक दो और बातें कहना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं कि साठ वर्ष की आजादी वाला यह देश हो गया है और सदन में पानी-पानी गूंज रहा है। पहली बात-पानी नहीं है, दूसरी बात-शुद्ध पानी नहीं है। सारे पैसे यूपीए सरकार गांव के लिए दे रही है, यूपीए की गवर्नमेंट के समय बहुत से काम इतने अच्छे हुए हैं, जो पिछली सरकारों ने नहीं किए। जो लोग खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, फिर भी आज देश के गांवों में पानी नहीं है, यह बहुत चिंता का विषय है। मैं ज्यादा प्रवचन न देते हुए कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की गांव को पानी देने की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत सरकार ने जो पैसा शौचालय निर्माण के लिए दिया, सैनिटेशन की बात आप करते हैं इतना पैसा जिलों के अंदर जा रहा है, लेकिन शौचालयों का निर्माण नहीं हो रहा है। एक-दो स्टेट जरूर इसके लिए ईनाम लेकर यहां से चले गए, लेकिन देश के पैमाने पर शौचालयों का निर्माण, गरीबों के लिए जिसकी आप बात करते हैं, नहीं हो रहा है। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और जो बिल्कुल ठीक बात है कि हम शौचालय के मामले में सार्वजनिक भी बनें। गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए आपने कानून बना दिया, लेकिन यह हमारे बिहार में लागू नहीं है, बहुत नगण्य है, लगभग 0.5 भी नहीं है। इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर आपको ज्यादा विचार करना होगा।

महोदय, जहां तक इंदिरा आवास की बात है, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया और कह दिया कि गरीबी रेखा तय हो जाएगी और इसकी सूची टंग जाएगी। उसी सूची के अनुसार इंदिरा आवास का पैसा मिलेगा, लेकिन बिहार में गरीबी रेखा तय नहीं हुई। वहां गरीब आदमी दौड़ रहा है। उसे पांच हजार रुपए घूस देनी पड़ती है। मैं सदन में बहुत ऊंचा बोल रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। जिस भ्रष्टाचार को रोकने के

[श्री सीताराम सिंह]

लिए इतना बड़ा कानून बना कि गरीबी रेखा तय करो और उसी के अनुसार इंदिरा आवास बांटों, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। आज भी गरीबों को परेशानी हो रही है। गरीबी रेखा तय नहीं हुयी है। माननीय सांसद कह रहे थे कि गरीबी रेखा का मानक बहुत गलत है। जो मानक अभी तक बना, मैं मानता हूं कि उसमें और सुधार होना जरूरी हो, तो हो जाए, लेकिन जो मानक बना है, उसे राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। यह बिहार में तो बिल्कुल लागू नहीं हुआ है। बिहार में गरीबी रेखा तय नहीं हुयी। ...*(व्यवधान)* अमीरी रेखा तय हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा तय करने के लिए जो आवंटन आपने राज्यों को दिया, माननीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए और बात को ऐसे-वैसे नहीं जाने देना चाहिए। इस बारे में सख्ती के साथ बात होनी चाहिए कि गरीबी रेखा तय करके समय-सीमा में हमें रिपोर्ट दो। जो धन भारत सरकार की ओर से हम दे रहे हैं, आप उसे बांटने का काम कर रहे हैं। हम धन दे रहे हैं, आप तो केवल परोसने वाला काम करने वाले हैं। हमारा धन गरीबों तक पहुंचा दीजिए। वह हमारे राज्य बिहार में लागू नहीं हो रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि आप बिल्कुल पथरीली जमीन को सुधारेंगे, खेती योग्य बनाएंगे, गरीबों के बीच बांटेंगे और बेहतर परफार्मेंस करेंगे। देश में अभी कितनी जमीन बंजर पड़ी है, क्या सरकार के पास इस बारे में रिकार्ड है। आपने एक साल में इसे कितने प्रतिशत लागू किया, कितनी भूमि को खेती योग्य बनाया और आगे कितनी जमीन को गरीबों के बीच खेती करने के लिए बांटेंगे। मेरा सुझाव है कि कम्प्यूटर के युग में, इंटरनेट के युग में पहले लैंड रिकार्ड बनाइए, सिर्फ इस प्रोग्राम मात्र को देने से काम नहीं होगा, इसे आपको सर-जमीन पर ले जाने के लिए सिस्टम में लाना पड़ेगा, तब आप इसे आगे बढ़ाएं तो बेहतर काम कर सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप पौने पांच मिनट की बात करते थे।

श्री सीताराम सिंह: प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क के काम में जो एजेंसियां लगी हुई हैं, उन्हें थोड़ा और मजबूती और तीव्रता से काम करने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी):** महोदय, मैं वर्ष 2008-09 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

ग्रामीण विकास का भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। गत 60 वर्षों में भारत में तीव्र शहरीकरण के बावजूद भारत अभी भी गांवों में रहता है। संयुक्त राष्ट्र की एक परियोजना रिपोर्ट का मानना है कि अधिकांश देशों में तेजी से शहरीकरण होगा। भारत वर्ष 2050 तक विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला देश होगा।

इसलिए सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण विकास की ही होती है। विकास सिर्फ इस धारणा अथवा राष्ट्रीय आय को मजबूती प्रदान करने का नाम नहीं है बल्कि लोगों का विकास करने अथवा लोगों विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और महिलाओं का कल्याण करने का है। आय अर्जन के माध्यम से गरीबी उपशमन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने का एक बेहतर तरीका है। जल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे अनेक अवसर संबंधी प्रावधानों से भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

उपर्युक्त औचित्य को सही समझते हुए डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और सोनिया गांधी जी महोदया के मार्ग-निर्देशन में संप्रग सरकार ने आय अर्जन के क्षेत्र में और लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए सरकार ने वर्ष 2006 में ग्रामीण क्षेत्र में 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है और इसे वर्ष 2007 में बढ़ाकर 130 जिलों में तथा अप्रैल, 2008 तक उसे सभी जिलों में करने का विचार है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम सचमुच एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है और विश्व में किसी भी देश ने एनआरईजीपी जैसे कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया है। यह कार्यक्रम रोजगार के अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान करता है और अर्ध-कुशल कार्य करने को तैयार ग्रामीण क्षेत्र के किसी पारिवारिक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया जाता है जो लगभग 8000 रुपए प्रति वर्ष आय अर्जन के बराबर है। पिछले कुछ समय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करते हुए यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार और आय सृजित करने में मदद करते हैं। इससे गरीबी दूर करने में भी सहायता मिलेगी। इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मकान प्रदान करके उनके बेघर होने की समस्या का समाधान किया जा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पीयूआरए) से ग्रामीण बस्तीयों में विकास क्षमता सुदृढ़ होगी और उससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन रुकेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित करेगी। समेकित जल भूमि विकास कार्यक्रम तथा भूमि सुधार कार्यक्रम भी ग्रामीण विकास में मदद करेंगे।

उपर्युक्त उल्लिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता होगी। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने सदन में 31,524.05 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। लोक उद्यमों में निवेश 7000 करोड़ रुपये का होगा और केन्द्रीय योजना परिव्यय 38,500 करोड़ रुपये का होगा। कुल मिलाकर इस वर्ष ग्रामीण विकास का व्यय 77,024.06 करोड़ रुपये होगा और मैं अनुदानों की इस मांग को अपना समर्थन देकर बहुत खुश हूं।

इन अनुदानों को स्वीकृति देने के समय मैं मंत्री महोदय का ध्यान क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ जिलों में एनआरईजीपी के क्रियान्वयन को लेकर लेखा परीक्षा में आपत्ति की गई है और उसमें कुछ खामियों को रेखांकित किया गया है। इनका विश्लेषण ध्यान से किया जाना चाहिए और कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। स्कीमों को लागू करने में बताये गये गैर-सरकारी संगठनों और बाह्य एजेंसियों का शामिल करने तथा दोषी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने से ही कार्यक्रम में व्याप्त अव्यवस्था दूर हो सकेगी। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से स्व-रोजगार के मामले में, इन समूहों को ऋण देने तथा मार्किटिंग और तकनीकी सहायता देने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। स्व-सहायता समूहों को अधिकाधिक वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए और उनका विपणन तुरंत होना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास की सभी स्कीमों जैसे, एनआरईजीपी, भारत निर्माण, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। ग्रामीण विकास के प्रति हमारा एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए और हमें पृथक-पृथक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। स्कीमों को लागू करने में गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच भी समन्वयन होना चाहिए।

सभी स्कीमों की उचित निगरानी सक्षम बाहरी एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए हमें राज्य स्तर से पंचायत स्तर तक एक समर्पित एवं प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गैर-कृषि क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए।

विगत में ग्रामीण विकास की बहुत सी स्कीमों के अंतर्गत काफी धनराशि बच गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासिक व्यय योजना (2007-08) का पालन नहीं किया गया। अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ व्यय निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, ग्राम विकास के कुछ मुद्दों पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं पेज नम्बर 7 आफ दी रिपोर्ट आफ दी स्टैंडिंग कमेटी आन रूरल डैवलपमैंट से कोट करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें जो कापी मिली, उसमें ग्राम विकास के लिए जो आउटले दिया गया है, मैं चंद वाक्य आपके सामने उपस्थित करूंगा:-

[अनुवाद]

"वर्ष 2007-08 और 2008-09 में किया गया आवंटन ग्यारहवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के समानुपातिक नहीं है। ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 1,94,933.28 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 59,000 करोड़ रुपये अर्थात् केवल 30.2 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जबकि पहले दो वर्षों के दौरान समानुपातिक आवंटन 77,973 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का 40 प्रतिशत होना चाहिए था, जिसका तात्पर्य हुआ कि ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 18,973 करोड़ रुपये कम आवंटित किए गए।"

[हिन्दी]

ग्राम विकास मंत्री गांव, गरीब और किसान के संबंध में हमेशा बात करते हैं, मगर आउटले कम क्यों हुआ, इस संबंध में उन्हें खुलासा करना पड़ेगा। कमेटी ने रिकमैंड किया:-

[अनुवाद]

"समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा आवंटन यथा प्रस्तावित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास समग्र रूप से हो और फलती-फूलती अर्थव्यवस्था के

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

लाभ देश के निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंच सके।''

[हिन्दी]

इस सरकार का सम्पूर्ण ध्यान ग्राम विकास की तरफ नहीं रहा है, यह इससे साबित होता है।

मैं दूसरे मुद्दे के बारे में कहना चाहता हूं और वह अनस्पैंट बैलेंस का है। हमें यह देखना होगा कि 31.12.2007 तक अनस्पैंट बैलैंस के संबंध में कमेटी ने क्या कहा। 11,430.78 करोड़ रुपये अनस्पैंट बैलैंस छोटी-मोटी रकम नहीं है। यह विभाग कैसे चल रहा है, यह इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसमें राज्य भी अवलम्बित हैं और केन्द्र सरकार भी है। निका मानीटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है इसलिए कमेटी इस पर कहती है-

[अनुवाद]

समिति बार-बार 'बार-बार' शब्दों का प्रयोग हुआ है विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भारी मात्रा में अप्रयुक्त रह जाने वाली राशि को लेकर अपनी चिन्ता व्यक्त करती रही है। विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2007 की स्थिति के अनसार विभिन्न स्कीमों के तहत व्यय न की गई राशि का बकाया 11,430.78 करोड़ रुपये था।

[हिन्दी]

मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। माननीय मंत्री जी को इसका खुलासा करना चाहिए। आगे कमेटी कहती है-

[अनुवाद]

समिति व्यय न किए गए भारी बकाये पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से पुरजोर सिफारिश करना चाहेगी कि सरकार राज्य-वार स्थिति का विश्लेषण करे, और उसके अनुसार उपचारात्मक कार्यवाही करे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अन्य पिछड़े राज्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बार-बार होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया गया।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री जी खुलासा करेंगे।

[अनुवाद]

समिति महसूस करती है कि व्यय मानिटरिंग तंत्र को अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि व्यय की प्रगति रिपोर्टें और प्रस्ताव क्रियान्वयनकारी एजेंसियों से समय पर प्राप्त किये जा सकें।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी, स्टैंडिंग कमेटी के वेरीयस अलग-अलग पैराग्राफ्ज हैं। मैं बाकी पैराग्राफ्ज की डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय कम हैं। आप डिटेल्स में जाइये। इतनी बड़ी कमेटी, 35 लोगों की स्टैंडिंग कमेटी, जिसे इस सभागार ने बनाया है, उसकी सिफारिशों पर आप विचार नहीं करते। उसमें आपका डिपार्टमैंट कोई बदलाव नहीं करना चाहता। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देन चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि यह बात अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मासिक आधार पर नापी गयी अपर्याप्त भोजन की समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं जहां से आता हूं-गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया आदि जिलों में 80 हजार से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज के भी बालक हैं और पोर्थ स्टेज, जो बिल्कुल मरने की स्टेज पर हैं, वे पांच हजार से ज्यादा बालक हैं। क्या यह राज चलाने का तरीका है? क्या यही देश चलाने का तरीका है? आप अनाज देते हैं लेकिन वह जाता नहीं है। मैं कई गांवों में गया हूं। इस बारे में टेलीविजन पर सारा दिखाया गया है। हम आंगनवाड़ी में जो अनाज देते हैं, जो पकाया हुआ भोजन देते हैं, उस गांव में चूल्हा भी जला हुआ नहीं दिखा। मेरे पास इसके फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप बाद में समय दें, तो मैं वे फोटोग्राफ्स आपको दिखा सकता हूं। इसलिए मेरा कहना है कि भोजन का इंतजाम कुछ राज्यों में अच्छा है। हमने गुजरात में देखा है। वहां भोजन की व्यवस्था अच्छी है मगर मैं महाराष्ट्र से आता हूं। वहां मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए भोजन का पैसा ग्राम विकास या महिला बाल कल्याण द्वारा पूरा जाता है।

भारत निर्माण के अंतर्गत पेयजल के संबंध में व्यवस्था की जाती है। शुरू से ही इस देश में कहा गया कि रोजी-रोटी, मकान, पीने का पानी आदि पांच बातें गांव की दृष्टि से प्रमुख हैं। अब पेयजल के संबंध में पैसा बहुत खर्च किया गया। पेयजल की व्यवस्था के लिए पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कहता, मगर मैं कहना चाहता हूं कि क्या गांव को पेयजल मिला? जो पेयजल से वंचित बस्तियां हैं, वहां क्या शुद्ध पानी मिला? हमारे यहां हस्तीपाई रोग बड़े पैमाने पर है। अंडकोष वृद्धि का रोग है, जो इसके कारण पनपता है। कुछ रोग पानी के कारण आते हैं। इसलिए क्या आप लोगों को मौत की कगार पर ढकेलना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं, इसका खुलासा होनी चाहिए। पीने का शुद्ध पानी अगर हम 60 वर्षों के बाद भी नहीं दे सकें, तो मुझे लगता है कि सदन के सारे सदस्यों का सिर शर्म से नीचे झुक जायेगा। इस संबंध में हम केवल पैसा खर्च करते हैं, हमारी केवल इतनी ही जवाबदारी नहीं है। हमारी जवाबदारी लोगों को पानी देने की है। इस देश में 72 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। इस संबंध में जनवरी, 2006 में एक पृथक मंत्रालय भी बना। मगर

जो बचतघर बनाये गये, मेरे पास गोंदिया जिले के बचतघर की एक रिपोर्ट है। वहां आपका भेजा हुआ अधिकारी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक-एक एजेंसी ने, एनजीओ न एक-एक हजार बचतघर बनाये हैं। हमने वहां पर एज-ए-चेयरमैन, आपने जो कहा, उस आधार पर आठ बचतघर बनाने वाले एनजीओज को सस्पेंड करने के लिए कहा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग साल में तीन-चार बार वहां मीटिंग करते हैं, मगर प्रत्यक्ष में, जो व्यवहार में आना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इनके पास कोई मानीटरिंग सिस्टम नहीं है। इस कारण राज्य सरकारें मनमानी करती हैं। बचतघर में बैंक्स फाइनेंस करती रही हैं। ...*(व्यवधान)* यह वस्तुस्थिति है।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण विषय स्वरोजगार देने का है। यह कार्यक्रम फेल हो गया है। भंडारा में जहां मैं एक मीटिंग में गया था, वहां वर्ष भर में केवल 70 लोगों को स्वरोजगार मिला। खुद मेरे गोंडिया जिले में, जहां से मैं आता हूं, केवल 1700 लोगों को रोजगार मिला। लोगों के कार्ड बन गए, मगर प्रत्यक्ष में रोजगार देने की बात होती ही नहीं है। इस संबंध में जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है, आप उसे देखिए। कमेटी ने कहा कि रोजगार देने कौन देता है। इसके लिए वहां रोजगार के लिए जो सेवक नियुक्त किया है, वह कार्यवाही करेगा, लेकिन वे करते ही नहीं। गांव का सरपंच, तहसीलदार और बीडीओ तब रोजगार देते हैं, जब एक हजार काम मंजूर हो जाते हैं। आपने इसको 600 जिलों में बढ़ा दिया, बताने के लिए बड़ा माहौल खड़ा करेंगे, बताएंगे कि हिमालय जैसी योजनाएं आपने शुरू की हैं, मगर प्रत्यक्ष में क्या है? इसलिए जो वस्तुस्थिति है, वह हमें आप बताएं। अगर अभी नहीं बताते हैं तो बाद में पोस्ट से भेजिए कि इस देश के 600 जिलों में से कितने जिलों में आपने स्वरोजगार कितने लोगों को प्रदान किया है।

महोदय, गरीब लोगों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना के बारे में बातें कही गयी हैं। सीमेंट के रेट बढ़ गए, लोहे के रेट बढ़ गए, लेकिन अभी भी 28,000 रुपए ही आप देते हैं। उसमें यह हो ही नहीं सकता है, इतने में यह बनना असंभव हो गया है। इसलिए इस रकम को डबल करना होगा क्योंकि रेट दोगुने हो गए, महंगाई दोगुनी हो गयी। आप इसी हाउस में इसको मंजूरी देने के पहले इसे बढ़ाने की घोषणा करेंगे, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। इसे कम से कम 50,000 रुपए करना चाहिए, जिसकी मांग आपकी पार्टी के सदस्यों ने भी की है। गढ़चिरौली चन्द्रपुर जिले में कुपोषण से जो लोग मरते हैं, उनके बारे में मेरा कहना है कि एक स्पेशल आईएएस आफिसर वहां नियुक्त किया जाए या फिर प्लानिंग कमीशन उसे अपने हाथ में ले। मैं केवल टीका करने या आरोप लगाने के लिए ही यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मगर यह हो सकता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हों जो आपको काम करने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए केवल विचारों से काम नहीं चलेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप गरीबों के संबंध में चिंतित हैं। अगर आपने यह नहीं किया तो देश की जनता दोष तो मिनिस्टर साहब को देगी, रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें आप आमूल परिवर्तन करें।

उपाध्यक्ष महोदय: गांवों में शौचालय बनाने के लिए आप 600 रुपए या 900 रुपए देते हैं, जो कि बहुत कम है। इस पर भी विचार कर लीजिए।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले यह 600 रुपए था जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: 1500 रुपए भी बहुत कम है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हां, यह कम तो है। मैं जानता हूं लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैंने यह बात कही है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी समझ से यह अभी भी 900 रुपए ही है। आप इसे देख लीजिए।

[अनुवाद

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को ग्रामीण भारत के विकास के लिए उठाए गए अथक और कठिन प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

भारत गांवों का देश है, ग्रामीण योजनाओं और परियोजनाओं को बनाते समय इस प्रचलित बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। वित्तीय आवंटन करते समय भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास जैसे ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, स्वच्छता, विद्युत और सिंचाई आदि के मामले में पिछले 4 वर्षों में किए गए लगातार प्रयास का फल ग्रामीण भारत को मिल रहा है। विभिन्न परियोजनाएं लागू की जा रही है तथा अनेकों ऐसी है जिनपर कार्य हो रहा है ताकि आधुनिक तकनीकी विकास का लाभ भारत के दूर-दराज गांवों में पहुंचे।

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

सरकार की इन सब उपलब्धियों के बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मंत्रालय को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पहल और अहम बात है कि आईएवाई के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए 37500/- रुपये की अल्पराशि आबंटित की गई है जिसमें राज्य का हिस्सा नाममात्र है, इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया जाना चाहिए ताकि कम से कम 400 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्र पर मकान बनाया जा सके। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि केरल राज्य में इतनी राशि दी जा रही है। साथ ही ग्रामीण विकास की स्कीमों को आबंटित की जाने वाली धनराशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरे, नयी लागू की गई स्कीम, जो यूपीए सरकार की देन है, के अंतर्गत कार्य चुनने और उसकी पहचान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जल निकायों को बनाने, रखरखाव, पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अंत में, चयनित कार्य को निष्पादित करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आवास को रोजगार प्रदान करना है। कहने का तात्पर्य है कि ठेकेदारी प्रणाली और बोझिल तंत्र के बजाय सीधे मजदूरी पर बल दिया जाना चाहिए। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सरकार का ध्यान गम्भीर चिंता के विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। आधिकारिक तौर पर बाताय गया है कि विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत आवंटित 1 रुपये में से केवल 17 पैसे ही देश के ज्यादातर भागों में विकास के नाम पर पहुंच पाते हैं। 83 पैसे किन कारणों से अन्यत्र चले जाते हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। अभियोजन शक्तियों सहित सुचारू तंत्र गठित किया जाना चाहिए ताकि स्कीमों पर खर्च की जा रही राशि पर निगरानी रखी जा सके। जनता की धनराशि जनता तक पूरी-पूरी पहुंच सके।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "भारत गांवों में बसता है।" हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन में बदलाव लाने के स्वप्न को सच करने के लिए तथा हमारे गांवों में रह रही 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की जीवन-दशा को बेहतर बनाने के लिए भी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को धनराशि आबंटित की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह धनराशि अपर्याप्त है बिल्कुल पर्याप्त नहीं है।

गत वर्ष केन्द्रीय सरकार का कर राजस्व बढ़कर 25.12 प्रतिशत हो गया है। परंतु, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसे हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन स्तर सुधारना है, उसके आबंटन में केवल 10.52 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का रूपान्तर।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश के 330 जिलों में लागू किया गया था जबकि शेष जिलों में एसजीआरवाई लागू किया गया था। अब दोनों स्कीमों का विलय कर दिया गया है तथा इस वर्ष की पहली अप्रैल से देश के सभी 604 जिलों में इसे लागू किया गया है। लेकिन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल 200 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और यह पर्याप्त नहीं है। यह बहुत खेदजनक स्थिति है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस स्कीम के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करे।

इसी प्रकार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि 18,973 करोड़ रु. कम है। जिस स्कीम से महान आशाएं बंधी हुई हैं, उसे अपर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है। मुझे संदेह है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी पाएंगे अथवा नहीं।

चिलचिलाती गर्मी में सूखे खेतों पर सात घंटे का कठिन शारीरिक श्रम थका देने वाला होता है। पूरे साल सात घंटे का कठिन परिश्रम और थकाऊ काम एक भारी बोझ है। इस प्रकार के ग्रामीण खेतिहर मजदूरों जिन्हें कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती है, की मजदूरी बढ़ाई जाए और उनकी कार्य अवधि को घटाकर 6 घंटे किया जाए। भारत में एकरूपता भी नहीं है और एक राज्य की परिस्थिति दूसरे से भिन्न है। केरल में, इस प्रकार के मजदूरों को 125/- रुपए मिलते हैं लेकिन तमिलनाडु में, जहां इस स्कीम का काफी प्रचार-प्रसार है, ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के रूप में केवल 80/- रुपए मिलते हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर पूरे देश में 125/- रुपए की एक समान मजदूरी की जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विसंगति को अवश्य दूर किया जाए।

इस स्कीम के तहत लगभग चार करोड़ लोगों को पहचान-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन रोजगार कार्ड धारकों को बीमा सुरक्षा समेत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लंबी अवधि के स्थायी कार्यों जैसे कि सड़क निर्माण तथा भवनों के निर्माण को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है तथा अस्थायी प्रकृति वाले रोजगार को इस स्कीम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लम्बी अवधि के लिए अतिरिक्त कार्यों का भी पता गाया जाना चाहिए क्योंकि इसे सरल और कारगर बनाए जाने की जरूरत है।

इंदिरा आवास योजना एक उपयोगी योजना है जिसके लिए केवल 5400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जबकि इस स्कीम के लिए 8000 करोड़ रुपयों की अपेक्षा थी। इस स्कीम के तहत

अनुदान को 25000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इसे 27,500 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए कर दिया गया है। कुछ राज्यों में इस स्कीम के लाभार्थियों को बढ़ा हुआ अनुदान दिया गया है। आज सीमेंट तथा स्टील के दाम बढ़ गए हैं। तमिलनाडु में निर्माण सामग्रियों जैसे कि रेत के दाम तीन गुणा बढ़ गए हैं। 210 वर्गफुट की माप वाले मकान का निर्माण एक लाख रुपए की लागत पर भी करना संभव नहीं रह गया है। गरीबों के लिए आवास निर्माण की आशा एक सपना बनकर न रह जाए। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन्दिरा आवास योजना के लिए इस आवंटन को बढ़ाया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह निर्धारित राशि बिना किसी चोरी के जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरह पहुंच सके।

इस देश की कम से कम आधी महिला जनसंख्या को महिला स्व-सहायता समूहों से लाभ पहुंचा है। इस अच्छी स्कीम का महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। जो महिलाएं इन स्व-सहायता समूहों से जुड़ती हैं, उन्हें आरंभ में चक्रीय आधार पर ऋण तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन प्रशिक्षण तथा बुनियादी संरचना सुविधाएं, दोनों को समन्वित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। आवंटित राशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित उपाय आवश्यक हैं।

हम उष्णकटिबन्धी रेखा तथा भूमध्य रेखा के बारे में जानते हैं परंतु कोई भी पूरी तरह से गरीबी रेखा के बारे में नहीं जानता है। वर्ष 2002 में बनाई गई बीपीएल सूची को वर्ष 2007 में अद्यतन किया जाना चाहिए था। लेकिन यह अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान करने में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का सही आंकड़ा तैयार कराएं।

इस मंत्रालय के मंत्री अच्छे हैं, जिनके ऊंचे लक्ष्य हैं। लेकिन उन्हें पर्याप्त बजटीय सहायता नहीं मिली है। अपनी इस क्षुब्धता के साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सायं 6.35 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। जबकि हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न कार्यक्रमों तथा इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा तथा बहस कर रहे हैं, मैं इस मौके पर इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस संबंध में स्वर्गीय इंदिरा गाधी द्वारा किए गए योगदान की ओर ले जाना चाहूंगा। उनका 'गरीबी हटाओ' का नारा तथा इससे जुड़े कार्यक्रम ग्रामीण भारत के विकास के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक थे। 'गरीबी हटाओ' के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम उन सभी विकास कार्य की नींव है, जो इन वर्षों में इस संबंध में किया गया है। उनके पश्चात्, स्वर्गीय राजीव गांधी ने उन कार्यक्रमों को जारी रखा और अब यूपीए अध्यक्ष और हमारी आदरणीया नेता श्रीमती सोनिया गांधी की पहल तथा प्रयास के कारण इन कार्यक्रमों में विशेषकर भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत नया उत्साह आया है, इसके अलावा, यूपीए तथा राष्ट्र को उनके द्वारा दिए निर्देशों के कारण एनआरईजी कार्यक्रम अस्तित्व में आया।

इस वर्ष से एनआरईजी का दायरा बढ़ाया गया है तथा अब संख्या 200 जिलों से बढ़कर 596 जिले हो गई है। इस स्कीम के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर के एक सदस्य, जो गरीब और हाशिए पर हैं, को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार की स्कीम न तो कभी चलाई गई और न वर्तमान में है। वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी ग्रामीण गरीबों तथा हाशिए पर जीवन जी रहे परिवारों को देने से देश के निर्धनतम लोगों को लाभ पहुंचा है। स्कीम के दायरे में देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है, और यह कांग्रेस पार्टी के युवा महा सचिव श्री राहुल गांधी के प्रयासों के कारण हुआ, जो अपने अन्य युवा साथियों के साथ जाकर माननीय प्रधानमंत्री से मिले तथा पूरे देश को इस स्कीम में शामिल किए जाने की मांग रखी। आज यह स्कीम पूरे जोर-शोर के साथ समूचे देश में लागू कर दी गयी है।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा को सूचित करना चाहूंगा कि पूर्व वर्ष में 2.20 करोड़ करों की तुलना में वर्ष 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत करीब 3.23 करोड़ घरों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम से इतने लोग लाभान्वित हुए हैं। अब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है और इसके लिए 16,000 करोड़ रु. की राशि नियत की गई है। योजना की शुरूआत में थोड़ी बहुत समस्याएं हुई थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि किसी भी नए कार्यक्रम में कुछ शुरूआती समस्याएं होती हैं। लेकिन यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, यद्यपि हमारे कुछ दोस्त और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी प्रतिदिन 80 रु. की राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह राशि जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, मैं संप्रग की माननीय अध्यक्षा और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री

[श्री के.वी. तंगबालु]

से भी प्रतिदिन 80 रु. की इस राशि को बढ़ाकर 125 रु. प्रतिदिन तक करने पर विचार करने की अपील करना चाहूंगा। यह अच्छा होगा। मैं अन्य क्षेत्रों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है पेयजल मैं पुनः इस बिन्दु पर सभा को कुछ सूचित करना चाहता हूं। हमारे दूसरी तरफ के मित्रों ने कहा कि हमने लोगों के लिए अभी काफी कुछ नहीं किया है। हमने राजग सरकार की तुलना में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उनके शासन के पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र के लिए 8505 करोड़ रु. नियत किये गये थे। लेकिन संप्रग सरकार के अंतर्गत हमारे प्रिय नेता के मार्गदर्शन में 18,030 करोड़ रु. नियत किया गया है। हमारी यह उपलब्धि है। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है और इसके लिए 39,490 करोड़ रु. नियत किया गया है। हमारे वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए पर्याप्त राशि होगी और इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी समय, एक अन्य मुद्दा है जो महत्वपूर्ण है अर्थात् गरीबों के लिए आवास। इंदिरा आवास योजना में एक अच्छी योजना है जिसे कार्यान्वित किया गया है। 41 लाख घरों की तुलना में गत वर्ष गरीब 51.77 लाख घरों का निर्माण किया गया।

जहां तक राजसहायता की बात है, तो हमने प्रत्येक लाभान्वित व्यक्ति के लिए राजसहायता को 12,500 से बढ़ाकर 15000 रु. कर दिया है। लेकिन गरीबों के आवास निर्माण हेतु 25,000 रु. को बढ़ाकर 35,000 रु. करना पर्याप्त नहीं है। आज की परिस्थिति में इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति आवास कम से कम 75,000 रु. निर्धारित किया जाना चाहिए और तभी निर्धनतम व्यक्ति को लाभ मिलेगा. यह आज के मूल्यवृद्धि के कारण है।

दूसरी बात, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि ऋण के प्रयोजनार्थ चार प्रतिशत की ब्याज दर पर लोगों को 20,000 रु. तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। 20,000 रु. देने के बदले इसे स्वयं घटक में ही जोड़ा जाना चाहिए।

जहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध है, यह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जहां गांवों में सभी सड़कों को एक दूसरे से जोड़ा गया है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ा गया है। हम यह देखेंगे कि इस कार्यक्रम को और जोर-शोर से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। वस्तुतः, हम संसद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और इस कार्यक्रम के संबंध में जिला अधिकारियों से चर्चा करते हैं। प्रत्येक वर्ष सड़कों की क्षति होती है और उन्हें शीघ्र ही नियंत्रित और दुरुस्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा पुनः तैयार की जानी चाहिए और हमें यह देखना पड़ेगा कि सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जब सड़क बनाई जाती है तो इसे निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम से कम 40 वर्षों तक काम करना चाहिए। लेकिन आजकल यह तो दो-तीन वर्षों तक भी काम नहीं कर रही है, और वर्षा के दौरान सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिये जाने चाहिए। राज्य सरकारों को इसे उचित तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए। तभी महान उद्देश्य से बनाई गई सड़कें अच्छी हालत में रहेंगी और इस महान धरती के लोगों के लिए कल्याणकारी होंगी।

अन्य मुद्दा है एसजेएसवाई हमने सभी कार्यक्रमों को आईआरडीपी के अंतर्गत समेकित किया है और इस कार्यक्रम में अब समाज के संवेदनशील वर्गों को महत्व दिया जा रहा है अर्थात् इसका 50 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. को, 40 प्रतिशत महिलाओं को और 3 प्रतिशत निःशक्त लोगों को जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम घटक अर्थात् राजसहायता घटक 7500 रु. है और इसे बढ़ाकर 10,000 रु. करना चाहिए क्योंकि यह निर्धनतम लोगों के लिए है, समाज के संवेदनशील वर्गों अर्थात् अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए है। उन्हें इस कार्यक्रम का लाभ मिलना चाहिए।

इसी तरह, एसएचजी (स्व-सहायता समूह) के संबंध में आज हम बीमा पॉलिसी के साथ 30 लाख एसएचजी को समेकित करने जा रहे हैं। यह अच्छे विचारों में से एक है। इस देश में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्हें अधिक से अधिक लाभ की आवश्यकता है। तमिलनाडु में माननीय मुख्यमंत्री ने उनके वेतन और सुविधाओं को बढ़ा दिया है। इसी तरह से, मैं भारत सरकार और माननीय मंत्री से एसएचजी लोगों का वेतन कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर के लिए 3000 रु. से बढ़ाकर 5,000 रु. तक करने का अनुरोध करता हूं ताकि वे ग्रामीण महिलाओं के बीच काम करने में समर्थ हो सकें और उन्हें अधिकारिता प्राप्त हो सके। यह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री तंगबालु, कृपया समाप्त करें। कुछ नये और युवा सदस्य हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के.वी. तंगबालुः स्व-सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इन स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर उन्हें और महत्व दिया जाना चाहिए। यदि मंत्रालय उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, तो ग्रामीण निर्धनता का उन्मूलन हो जाएगा क्योंकि वे एक जरिया और एक माध्यम हैं। वे लोगों तक जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और सरकारी

कार्यक्रमों को लोकप्रिय बना सकते हैं। हमारे देश में उनका अच्छा सम्पर्क है और उन्हें इस मंत्रालय द्वारा समर्थन मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि व्यवधान डालना पड़ रहा है। कांग्रेस के अलावा सभी दलों को आवंटित समय समाप्त हो गया है। इतना होते हुए भी, मेरे पास बोलने वाले सदस्यों की लंबी सूची है। मुझे खेद है कि मैं उनको समय नहीं दे सकता हमने पहले ही इस चर्चा पर छः घंटे का समय खर्च कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, हम काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तो आपकी मेहरबानी है। यह आपका काम है। यहां बैठने का काम सभी का है। किसी पर कोई दया नहीं कर रहा है। धैर्य रखने के लिए आपको धन्यवाद।

जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी और अपना वक्तव्य आपके आदेशानुसार ले करूंगी। आज सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के समय कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह गहन भी है और गम्भीर भी है जिसकी प्रासंगिकता हम 60 साल बाद भी महसूस करते हैं। आजादी के तत्काल बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावनाओं का सम्मान किया जाता तो आज देश में यह हालत नहीं होती। आज हमें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, ग्रामीण महिलाओं को शौचालय उपलब्ध नहीं हैं, जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं वे आज भी टाट-पट्टी पर बैठने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए फर्नीचर नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आई है, उस तस्वीर को बदलने का प्रयास माननीय रघुवंश प्रसाद जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत निर्माण का एक नया बीड़ा उठाया है। भारत निर्माण का बीड़ा केवल कागजों पर नहीं हो सकता, खाली नेक इरादे और नीयत से नहीं हो सकता। यदि आपको भारत निर्माण करना था तो एनडीए सरकार के समय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो योजनाएं प्रारम्भ करायी थी, उन पर और धन मुहैय्या कराते, उन योजनाओं पर और मुस्तैदी से काम करके निगरानी करते जिससे वे योजनाएं अंजाम तक पहुंचती और आपके भारत निर्माण का सपना साकार होता।

मैं दो-तीने बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। देश में 2 लाख 27 हजार 697 ग्राम पंचायतें हैं। क्या आपने इसका कोई माडल तैयार किया है? आपकी यहां से योजना गई। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या एक हजार है किसी की दो हजार है और कोई ग्राम पंचायत 12 हजार की जनसंख्या से जूझ रहा है। उन ग्राम पंचायतों को आपके यहां से एक जैसा आदेश चला जाता है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं लेकिन वे भी ग्राम सभा में पारित होते हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिलता। बिचौलिए इंदिरा आवास ले जाते हैं जिस की आपने कीमत 25 हजार और 27 हजार रुपए रखी है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे लोग निजात नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ इंदिरा आवास का पैसा कम है। आप उसे कम से कम 50 हजार रुपए करिए ताकि लोग अपना मकान बना सकें और गरीबों को लाभ मिल सके।

एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। सम्माननीय सदस्यों ने यहां अपना दुख व्यक्त किया। सांसद के नाते एक नारियल फोड़ने का भी सम्मान अगर सांसदों को प्राप्त न हो तो इससे बड़ा अपमान सांसदों का हो नहीं सकता। सांसदों से सिफारिश नहीं ली जाती है। सांसद क्षेत्रों में घूमते हैं, दौरा करते हैं, वे जानते हैं कि कौन सी सड़क बननी चाहिए लेकिन उनसे आपका विभाग सिफारिश नहीं लेता है। इसमें गुणवत्ता की तो इतनी कमी है कि अगर सड़क दस किलोमीटर बननी है तो केवल पांच किलोमीटर बनेगी और जब बाद की पांच किलोमीटर बनना शुरू होती है तो पहले बनी पांच किलोमीटर उखड़ जाती है, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए। स्वयं सहायता समूह की बहनों को गांवों में काम मिलता है लेकिन उनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। वे दिल्ली के प्रगति मैदान में नहीं आएंगी। आप उनके लिए विकास खंडों में बाजार उपलब्ध कराएं।

अंत में मैं यही कहूंगी कि आपको विभाग बहुत अच्छा मिला है और आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूंगी। आप स्वयं छत्तीसगढ़ गए थे और आपने वहां के काम की प्रशंसा की है। हमारे यहां ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अच्छी तरह से चल रही हैं इसके अलावा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी अच्छी तरह से चल रहे हैं अगर कहीं कोई खराबी है तो वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता में है। आप ग्रामीण सफाई योजना के तहत 1500 रुपए दे रहे हैं और 1500 रुपए राज्य सरकार दे रही है, लेकिन 3000 में शौचालय

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

नहीं बन सकता है। वहां जो शौचालय बने हैं, आप जाकर देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी क्योंकि वहां टाट का पर्दा लगा दिया गया है और ऊपर छत भी नहीं है। ऐसे शौचालयों का प्रयोग माताएं और बहनें कैसे करेंगी? आप जो राशि दें, वह इतनी दें ताकि उससे काम अच्छा हो सके, आप राशि को व्यर्थ न गवाएं। आपकी नीयत अच्छी है, आप दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी हैं, आप जो काम करना चाहते हैं वह विश्वास और ईमानदारी के साथ करते हैं। आपका भारत निर्माण का सपना तभी सफल होगा जब गांव समृद्ध होगा, गांव खुशहाल होगा, गांवों में सब भाईचारे और प्यार से रहेंगे। जब आप उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, तभी ग्राम संपन्न होगा।

*महोदय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है इस बात में गहन एवं गम्भीर मर्म छुपा है तथा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ग्रामों को समृद्ध, सम्पन्न करके ही शहरों का समग्र विकास किया जा सकता है क्योंकि ग्राम व शहर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इनके समापन समृद्ध होने से ही भारत सशक्त एवं मजबूत होगा तभी भारत निर्माण हो सकेगा।

महोदय हमारे लोकतांत्रिक देश में इस समय 2,27,697 ग्राम पंचायते 5,913 जनपद समितियां तथा 457 जिला परिषदें कार्यरत हैं जिनमें चुने हुये 34 लाख जनप्रतिनिधि हैं। इन सभी से यदि पूछा जाये तो जो सभी सदस्यों ने सुझाव दिए हैं ये भी उनसे समहत होंगे।

महोदय मैं कुछ योजनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करा रही हूं कृपया ध्यान देने की कृपा करेंगे।

प्रधानमंत्री सड़क योजना-इस योजना का शुभारम्भ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस भावना के साथ किया कि ग्रामों से शहर तक आने का आवागमन जितना सरल सुविधाजनक होगा,. ग्रामों का एवं ग्रामीणजनों का किसानों का विकास उतना ही जल्दी होगा। किन्तु आपकी सड़कों का हाल यह है कि प्रथम दो वर्षों में 674 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था किन्तु 39,476 कि.मी. का ही निर्माण संभव हो पाया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कुल इलाकों में सड़क पूरी बन नहीं पायी और उखड़ना प्रारम्भ हो गयी कृपया इसकी जांच करवाने का कष्ट करें।

इंदिरा आवास-माननीय मंत्री महोदय इंदिरा आवास उन आवास हीन लोगों के लिए है जो गरीब है। किन्तु ग्राम पंचायतों में एक तो आवासों की संख्या कम आती है दूसरे बिचौलिये पैसे ले लेते है। भोले-भाले ग्रामीण ठगी का शिकार हो जाते है। इंदिरा आवास प्रत्येक पंचायत में एक साथ एक स्थान को चयन कर उस स्थान पर पीने का पानी बिजली सड़क आदि की व्यवस्था कर के सरकार की कोई एजेंसी बनाये तो ज्यादा उत्तम रहेगा। 1985 से चलने वाली योजना आज भी असफल है। तथा इसका बजट तय किया जाये। यदि बीती बातों को छोड़ दें तो अभी भी समय है। इस योजना में सुधार करने का आपने 60 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा केवल 28 लाख 69 हजार मकानों का निर्माण हुआ गरीब आज भी किसी अमीर की देहरी, अमीर के बरामदे, अमीर के गाय कोठों पर अपनी नींद पूरी करने को मजबूर हैं।

भारत निर्माण-आपने ग्रामीण शौचालय के निर्माण का बीड़ा उठाया है आपने ग्रामीण की परिकल्पना भी की है और जिस ग्राम पंचायत में सभी घरों में शौचालयों का निर्माण हो जाता है तो उसे निर्मल ग्राम घोषित कर राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलाया जाता है। पर आपने राशि रखी है सिर्फ 1,500 रु. और छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, 1,500 रु. तब भी 3,000 रु. में ग्रामीणों ने शौचालय को दिखाने के लिए बना लिए और आज भी पुरुष एवं महिलाएं खुले में शौच के लिए जा रहे हैं।

बी.पी.एल. का ग्रामों का सर्वे फिर से आपको करना चाहिए क्योंकि समजन लोगों का नाम तो सूचि में है पर सच में गरीबों का नाम उसमें नहीं है। सर्वे का मानक बदलिए। जो घर खेत के मापदंड से नहीं सूरत से रहन-सहन से गरीब दिखे उसे शामिल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 34 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- महोदय राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना माननीय मंत्री जी आपके द्वारा लायी गयी एक बहुत अच्छी योजना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस योजना में प्रत्येक जिलों में अच्छा काम हो रहा है पर इसमें 60 प्रतिशत रोजगार और 40 प्रतिशत सामान या मशीन पर जो खर्च होता है स्थान और काम को देखकर उसमें संशोधन करने की छूट आपको देनी चाहिए। तथा स्कूलों एवं शासकीय भवनों की बाउन्ड्री वाल बनाने की जो सुरक्षित होंगे शासकीय भवन सुरक्षित होंगे तथा ग्रामों में जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

स्व-सहायता समूहों को बाजार से संपर्क कराने उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रत्येक विकास खंडों पर एवं बाजार बनाकर दिए जाने चाहिए ताकि स्वयं के द्वारा निर्माण किए गए सामानों को बाजार उपलब्ध हो सके।

भूमि सुधार योजना-महोदय यह योजना तो बहुत अच्छी है इससे भू अभिलेखों का संधारण अच्छी तरह से होगा कई राज्यों में यह काम धीमी गति से हो रहा है इस काम में तेजी लानी चाहिए।

महोदय 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मुताबिक भारत निर्माण कार्यक्रम की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं है बहुत से क्षेत्रों के काम लक्ष्य से पीछे है और कुछ तो लक्ष्य को पूरा करने की नीयत में ही दिखायी नहीं देते हैं जिन क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाना था वह प्रगति केवल पांच फीसदी ही दर्ज हो पायी है।

ग्रामीण विद्यालय - महोदय ग्रामीण विद्यालयों में पानी और शौचालयों की व्यवस्था अवश्य करिए क्योंकि ग्रामीण बच्चे घरों से पानी की बोतल तो लाते नहीं है यदि स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो दौड़-दौड़ कर घर जाते हैं। और पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है। शौचालय बने तथा पीने के पानी की व्यवस्था हो। आजादी के 60 वर्ष बाद भी गांव में बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं। उन्हें फर्नीचर उपलब्ध कराया जाय और स्कूलों में बिजली की व्यवस्था हो ताकि कक्षा में पंखे लग सकें।

रोजगार गारंटी योजना - का 15 हजार करोड़ का उपयोग 29 जनवरी तक नहीं हुआ यह आपकी असफलता का द्योतक है।

स्वास्थ्य सेवाओं - का तो देश के ग्रामों में सबसे ज्यादा खराब है। प्राथमिक स्वास्थ्य के भवन है तो चिकित्सक नहीं, चिकित्सक है तो भवन नहीं। ग्रामीणों को समय पर सही चिकित्सा नहीं मिलती।

महोदय मैं यही कहूंगी कि ग्रामों में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है ग्राम की धरती तो अमीर है और उस पर गरीब निवास करते है यह इस देश का दुर्भाग्य माना जायेगा।

अन्त में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि गांवों को यदि सम्पन्न करना है तो गौ संवर्धन व्यवस्था की जाये ग्रामों में पहले अमराई होती थी महुआ के बड़े-बड़े पेड़ होते थे। उनकी छाया में धूल में खेलकर जो बचपन बड़ा होता था वो वही खो गया है आप ग्रामों में ऐसी हरियाली की व्यवस्था भी अवश्य करें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती करुणा शुक्ला, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, मैं श्री विजय बहुगुणा को बुलाता हूं। चूंकि आप नए सदस्य हैं, कृपया आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की बजटीय मांगों का समर्थन करता हूं।

संप्रग सरकार ने हमारे देश की ग्रामीण आबादी की ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने में सराहनीय कार्य किया है।

महोदय, केन्द्रीय सरकार 75:25 प्रतिशत और 92:8 प्रतिशत के अनुपात में डीएवीपी और डीडीपी योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी कर रही है। महोदय, चिंता की बात यह है कि केन्द्र द्वारा दी जा रही धनराशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, इसका कुप्रबंधन किया जा रहा है। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प यह है कि हम दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई करें जैसाकि निर्वाचन आयोग के पास चुनाव के दौरान अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है जब तक कि केन्द्रीय योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू करने में लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश करने हेतु अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता है और शक्ति नहीं प्रदान की जाती है, तब तक शायद जिन उद्देश्यों हेतु योजनाओं की परिकल्पना की गई है, फलीभूत नहीं होंगे।

महोदय, इस अवसर पर मैं सुदूर हिमालय क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के समक्ष पेयजल की गंभीर समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गंगा और यमुना दोनों नदियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर बहती है, लेकिन लगभग 68 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पेयजल की समस्या से प्रभावित हैं। हमारे सामने एकमात्र विकल्प यह है कि केन्द्रीय सरकार उद्धव सिंचाई के माध्यम से पेयजल योजनाएं तैयार करती हैं और हम नदियों से पानी पम्प करते हैं ताकि गांवों में पर्याप्त जल उपलब्ध हो। राज्य सरकारें इन स्कीमों पर कोई धनराशि व्यय नहीं कर रही है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन स्कीमों के लिए अत्यल्प राशि दी जा रही है। इसलिए, हमें यह देखना है कि राज्य सरकारें उन

[श्री विजय बहुगुणा]

समाज कल्याण योजनाओं में भी अंशदान करें जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने शुरू किया है।

महोदय, दूसरी समस्या यह है कि मानसून के दौरान भूमि का भारी कटाव होता है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि घट रही है। इस उद्देश्य हेतु हमें पनधारा प्रबंधन हेतु बड़े कार्यक्रम बनाने होंगे। इसलिए, सभी हिमालयी राज्यों के लिए, भारत सरकार को एक नीति और कार्यक्रम के साथ सामने आना चाहिए कि हम मानसून के दौरान इस जल का संरक्षण कर सकें ताकि हिमालय क्षेत्र में भूमि का कटाव कम हो और वहां रह रहे लोगों का जीना आसान हो। यदि हमें प्रगति करना है तो हमें ग्रामीण भारत की ओर देखना होगा।

मैं माननीय मंत्री जी और संपूर्ण संप्रग सरकार को इस सराहनीय कार्य हेतु बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के पूर्ण उत्थान और ग्रामीण भारत में रह रहे लोगों के लिए कार्य किया है। अब हम लाखों लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, के चेहरे पर मुस्कान की झलक देख सकते हैं जिन्हें इन स्कीमों का लाभ प्राप्त हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको धन्यवाद। मैं आपको और आपके भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अच्छा भाषण दिया है।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वर्ष 2008-2009 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाकई में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन मुझसे पूर्व कई माननीय सांसदों ने सदन में यह बात रखी है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार का पैसा है, लेकिन जिन विभागों के द्वारा जो कार्य कराये जाते हैं, वे स्टेट गवर्नमैन्ट के विभाग हैं और वे उन्हीं के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं कि उनके क्षेत्रीय विधायकों द्वारा या स्टेट गवर्नमैन्ट के द्वारा ये कार्य कराये जा रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत से माननीय सदस्यों की जो पूर्व से मांग है कि जितने भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्य कराये जाएं, उनमें क्षेत्रीय सांसदों का नाम बोर्ड पर आना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी निहायत आवश्यकता है और इसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी को मैंने स्वयं पत्र लिखकर भी मांग की थी कि मंत्री जी ने जो मानक बनाये हैं कि गांव की एक हजार की आबादी होनी चाहिए, पांच सौ मीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए, उस तरह के कार्य हमारे क्षेत्र में लगभग पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे गांव हैं, उनकी दो-दो सौ, तीन-तीन सौ की आबादी है, उनकी दूरी कहीं कम है और एक गांव सके दूसरे गांव को जोड़ने वाली योजना को भी इस योजना में नहीं रखा गया है। मैंने अपनी पूरी की पूरी सांसद निधि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण में ही लगाई है, उसके पश्चात् भी वहां इनकी बहुत आवश्यकता है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस बात की मांग की थी कि इस योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में आप कुछ सहायता करने का कष्ट करें, जिससे सीधे-सीधे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क और जो आपका एक हजार की आबादी और दूरी पांच सौ मीटर से कम न हो, उन मानकों से हटकर इन सड़कों का निर्माण हो सके। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

दूसरा सम्पूर्ण स्वच्छता शौचालय अभियान में 1900 रुपये लाभार्थी को दिये जाते हैं, जिसमें चार सौ रुपये वह स्वयं अपने पास से लगायेगा, छः सौ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है और नौ सौ रुपये भारत सरकार का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि 1900 रुपये में आज के समय में एक हजार ईंट भी नहीं आती हैं तो वह शौचालय कैसे बनना संभव है। लिहाजा दो-दो, तीन-तीन नामों से वह फर्जी आवंटन कराते हैं, तब कहीं एक शौचालय बनता है। इसलिए, स्वच्छता शौचालय योजना के लिए मेरी मांग है कि इसमें कम से कम पांच हजार रुपये का पूर्ण खर्चा होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सीमेंट, ईंट और सरिया बहुत महंगा है। इसलिए जो व्यावहारिक है, जो संभव है, जिससे शौचालय बन सकता है, वैसा ही किया जाए। इसके अलावा आप जितना भी पैसा देंगे, वह उसमें किसी भी तरह से नहीं बनेगा या फिर वह कागजों में बनेगा और उसका जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, वह लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा।

इसी तरह से जो छोटे-छोटे नगर हैं, हालांकि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर नहीं है, लेकिन उन नगर क्षेत्रों में भी अगर सीवरेज जिला मुख्यालयों में बनाई जाए तो वह भी बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जितने आपके द्वारा कार्य किये गये हैं, जिनकी हम शिकायतें करते हैं, जो अधिकारी आप यहां से भेजते हैं, वे अपने आप उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको दे देते हैं और आप उत्तर भेज देते हैं कि वे ठीक-ठाक पाई गईं, जबकि ऐसा नहीं है। आपका कोई भी अधिकारी बुलाना या मिलना उचित नहीं समझता, सिर्फ वे लीपापोती करके आते हैं। माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत ज्यादा जोर देकर शिकायत की है कि जितनी भी सड़कों के निर्माण कराये जा रहे हैं, वे मानक के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार नहीं कराये जा रहे

हैं। आपने हमें समिति का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, जिला निगरानी अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, जितने भी प्वाइंट हम वहां रखते हैं, आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स इतने मनमाने हो गये हैं कि वे किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जो अधिकारी भारत सरकार की तरफ से भेजते हैं, वे भी उन्हीं जिले के अधिकारियों से मिलकर उन कागजों की लीपापोती करके आपके पास रिपोर्ट जमा कर देते हैं। लिहाजा जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, यदि वे आपके पास कोई शिकायत कर रहे हैं तो उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

इसकी जांच भी इतनी ही गंभीरता से की जानी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना-जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, यह बात सही है कि फर्जी कार्ड नहीं बनने चाहिए। इन कार्डों का सही उपयोग किये जाने के लिए कुछ न कुछ सही मार्गदर्शन होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुन्शी राम, आपने अच्छा भाषण दिया।

[हिन्दी]

***श्री बापू हरि चौरे** (धुले): ग्रामीण विकास अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आभारी हूं। मैं समर्थन करता हूं। समय की कमी होने के कारण कुछ विषय सामने रखता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में महाराष्ट्र में या मेरे चुनाव क्षेत्र धुले में ग्राम पंचायत के माध्यम से काम करने के लिए पंचायत उदासीन हैं। निश्चित रूप में कुछ खामिया हैं उसका संशोधन करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दूर दराज पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में प्राधान्य देना जरूरी है। जैसा कि मेरे चुनाव क्षेत्र धुले से आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र होते हुए 100 करोड़ रु. का प्रस्ताव दिया था उसमें में 19 करोड़ की मंजूरी दी है। इन्दिरा आवास योजना में बीपीएल धारकों को और गुणक के आधार पर लाभ देना है मगर बीपीएल का जो सर्वेक्षण हुआ है वह गलत है। इसलिए बहुत सारे गरीब उससे वंचित हैं। तो दुबारा सर्वेक्षण हुआ है वह गलत है। इसलिए बहुत सारे गरीब उससे वंचित है। तो दुबारा सर्वेक्षण करना जरूरी है। इन्दिरा आवास योजना में 28,500 से बढ़ाकर लगभग 35,000 बढ़ाया है वह भी कम है। आज की सीमेंट, ईंट और लोहा के भाव देखते हुए यह रुपये बहुत कम है। एक लाख तक बढ़ोत्तरी करना जरूरी है।

ग्रामीण जलपूर्ति योजना में 10 टका निधि की भागीदारी गांव वालों की है। मगर वह पैसे ठेकेदार भरते हैं और वही काम करते हैं। पेयजल समिति कागज पर चलती है। पेयजल योजना कागज पर पेयजल समिति के नाम से दिखाते हैं। और सही मायने में ठेकेदार काम करते हैं। स्वजल धारा योजना में जो 10 टका भागीदारी निश्चित की है और वही नियम आदिवासी उपयोजना को लागू किया है। जो कि आदिवासी क्षेत्र के गांव की क्षमता के बाहर है। इसलिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जो उपयोजना निधि में से जो पेयजल योजना बनाएंगे उसमें भागीदारी मुक्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसे करने से ठेकेदार बीच में नहीं आयेंगे।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो पक्का माल तैयार होता है उसको बाजार में मार्केट दिलाने के लिए शासकीय योजनाओं में उत्पादित माल को शामिल करना चाहिए। जैसा कि आदिवासी विकास का समाज कल्याण के जो निवासी आश्रम या होस्टल हैं उनको स्वरोजगार के अंतर्गत जो खाद्य मसाले जैसे-मिर्ची, हल्दी, मसाला आदि तैयार होते हैं वह सरकार के माध्यम से खरीदना चाहिए तभी उनको मार्केअा मिलेगा।

आदिवासी विकास विभाग में अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना में जो व्यक्तिगत रूप में विकास करने के लिए लाभ दिया जाता है उसमें महाराष्ट्र में बहुत धांधली है। 2005-06 से 2007-08 में जो गाय, भैंसे और बकरे दिये हैं, वह पुरवठा करने के लिए ठेकेदार नियुक्त किए है जबकि इसमें ठेकेदार नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। ठेकेदार को दो भैंसे पुरवठा करने के 45,000 रु. और दो गाय के 30,000 रु. दिये हैं मगर ठेकेदार की तरफ से आदिवासियों को जो जानवर महाराष्ट्र में दिये गये वह सब बिना दूध देने वाले थें उसमें से कुछ मर गये या लाभार्थियों ने चारा के खर्च करने के बगैर बेच डाले।

केन्द्र की तरफ से इसकी जानकारी लेना जरूरी है जोकि आदिवासियों को सही मायने में उनको लाभ मिले। जोकि महाराष्ट्र में कितने जानवर दिये गये और उसमें लाभार्थियों के पास कितने बचे? आदिवासियों का सही दिशा में विकास होने के लिए आदिवासी उपयोजना निधि पर अमल करने के लिए एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में दक्षता कमेटी नियुक्त करना जरूरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री फ्रांसीसको कोज्मी सरडीना।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आप इस सभा में नए हैं लेकिन इतने भी नए नहीं हैं। बोलने के लिए आपका स्वागत है। आपके पास चार मिनट है।

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (मरमुगावो): मैं वर्ष 2008-09 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे 70 प्रतिशत लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए संप्रग सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करना चाहूंगा। यदि रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन को रोकना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे भारी संख्या में गरीब लोगों के जीवन-स्तर में सुधार से ही यह संभव है।

यह काफी खुशी की बात है कि रक्षा क्षेत्र के बाद इस मंत्रालय को बजट आवंटन में 49,450 करोड़ रुपए नियत किया गया है। सरकार पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाई है जिसमें न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार इस देश के प्रत्येक बेरोजगार को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अन्य विद्यमान स्कीमें भी बहुत प्रभावी है।

तथापि, जब आप देश में इन स्कीमों के क्रियान्वयन को देखें तो ग्रामीण आवास का मात्र 51 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ है, 25 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है और मात्र 52 प्रतिशत पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह इससे यही पता चलता है कि उनके क्रियान्वयन में कुछ अंतर्निहित कमियां हो सकती है जिसे अवश्य दूर किया जाना चाहिए। इंदिरा आवास योजना पर विचार किया जाए जिसके अंतर्गत ऐसे गरीब लोगों को आवास प्रदान किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। एक आवास और विद्यमान आवासों का उन्नयन करने हेतु नियत की गई धनराशि को बढ़ाना होगा क्योंकि सीमेंट और इस्पात की मौजूदा कीमत के कारण यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। यह मौजूदा सड़कों से आवास के निर्माण स्थल की दूरी पर निर्भर करता है क्योंकि श्रमिकों द्वारा सामग्री के ढोने से लागत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी।

मैं चाहता हूं कि यह महान सभा मौजूदा स्कीमों के क्रियान्वयन में कुछ तथ्यात्मक जमीनी सच्चाइयों को समझे। प्रत्येक राज्य स्थानीय अर्थव्यवस्था, साक्षरता अनुपात, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और ऐतिहासिक तथा भौगोलिक पृष्ठ भूमि के आधार पर विकास के विभिन्न चरण में है। अत: स्कीमें स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर उनको लागू करने में लचीलेपन की मांग करनी है।

गोवा के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यह एक पर्यटक राज्य है और साक्षरता दर अधिक है, सड़क संपर्क अच्छा है तथा गांव अर्ध-शहरी है, फिर भी हम इन योजनाओं को पूर्णरूपेण लागू करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वहां मजदूरी अधिक है और हमारी आवश्यकताएं अलग हैं। इसलिए, सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना होगा। गोवा में चौड़ी सड़कें और कूड़ारहित स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। चूंकि केन्द्रीय स्कीमों के मानदंड सख्त हैं, स्कीमों का लाभ प्राय: पड़ोसी राज्यों से आने वाली जनसंख्या को मिल जाता है न कि उन स्थानीय शिक्षित युवकों के जिन्हें निम्न स्तर से अर्धकुशल कार्य स्वीकार करने में हिचक होती है।

इन व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह ग्रामीण विकास की स्कीमों में संशोधन करे अथवा राज्यों में लोगों की सामाजिक स्थितियों से मेल खाने वाली मन:स्थिति के अनुभव और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लोचनीयता प्रदान करे। संक्षेप में, स्कीमें राज्य के अनुकूल होनी चाहिए न कि सामान्य होने चाहिए। इसलिए, स्कीमों को अधिक सफल बनाने के लिए इनमें संशोधन करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं दो माननीय सदस्यों को बुलाना चाहता हूं, यदि वे दोनों अपने भाषणों को तीन-तीन मिनट के अंदर समाप्त करने का वादा करें। यदि आप ऐसा करने का वादा नहीं करते है, तो कृपया खड़े न हों। अब श्रीमती सुजाता।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): क्या मैं अपना भाषण सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नि:सन्देह। मैं पहले ही आपको अनुमति दे चुका हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन अनेक स्कीमें हैं। लेकिन कुछ वर्षों से, ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का आवंटन कम होता जा रहा है। इससे ग्रामीण गरीब बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

इंदिरा आवास योजना की वर्तमान केन्द्रीय इकाई लागत 35,000 रु. है। लेकिन बुनियादी सामग्रियों की बढ़ती कीमत से इस बजट में काम पूरा करना असंभव है। इसलिए धनराशि में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है जो सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50,000 रुपये और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 लाख रुपये तक किया जाना चाहिए।

दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई 8 मीटर निर्धारित की गई है। लेकिन केरल राज्य में घनी आबादी होने के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण 8 मीटर के मानदंड को पूरा करना कठिन है। इसलिए, मैं आग्रह करती हूं कि केरल राज्य की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे बदल कर 6 मीटर कर दिया जाना चाहिए। फिर आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के संबंध में पुलों के खर्चे को शामिल करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। केरल में लंबा समुद्री तट है और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के बीच काफी संख्या में पुलों का निर्माण किया जाना है। इसलिए, पुलों के निर्माण के खर्चे को भी शामिल करने हेतु प्रावधान होना चाहिए।

तीसरा, बीपीएल मकानों के निर्माण और बुआई के लिए धान के खेतों की तैयारी को भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

चौथा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ 20 प्रतिशत धनराशि का अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में कई गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। यद्यपि उनमें से अधिकांश, दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कुछ गैर-सरकारी संगठनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण पर एक पारदर्शी विनियामक और नियंत्रण तंत्र होना चाहिए।

महोदय, मेरी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय स्वशासी निकायों को सीधे धनराशि जारी करने के लिए केन्द्र एक अभियान चला रहा है। यह संकल्पना ठीक नहीं है और देश की संघीय प्रणाली का महत्व कम करने का प्रयास है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि ऐसे किसी अभियान से बचना चाहिए।

***श्री सुनील खां** (दुर्गापुर): माननीय महोदय, सबसे पहले, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए श्री राजघु बंगशी का धन्यवाद करता हूं। हम वर्ष 2008-09 के लिए मांगों और अनुदानों (सामान्य) पर चर्चा कर रहे हैं।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि धनराशि का आवंटन काफी कम है विशेषकर 100 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए। यद्यपि आपने जिलों की कुल संख्या बढ़ाई है परंतु आवंटन 30 प्रतिशत ही है, मंत्री महोदय सबसे अच्छा विकास कार्य करना चाहते हैं लेकिन योजना आयोग यह करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में नई उदारीकरण नीति को अपनाया गया।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश का 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

इसलिए सरकार को एक विस्तृत योजना लानी चाहिए जिससे भारत निर्माण पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सरकार को जाब-कार्ड धारकों की जागरूकता के लिए आगे आना चाहिए तथा उन्हें किस प्रकार रोजगार प्राप्त होगा? समय-सीमा क्या होगी? और यदि पंचायत 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाने में असमर्थ हो तो जाब-कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

भुगतान नियमित रूप से किया जाना चाहिए। महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जबकि हमने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। हम तीन गांवों नामत: मनी, जूली बस्ती और माडल गांव में गए जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के नजदीक है। उन गांवों के सभी सदस्यों ने शिकायत की कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम लागू नहीं किया गया है, यहां तक कि 'सिख अंजन' का भी यही हाल हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एनआरईजीएस को लागू न किए जाने के कारणों के बारे में जानना चाहूंगा।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के समुचित देख-रेख न किए जाने के बारे में जानना चाहूंगा।

त्वरित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूंगा जो 1999 से लागू किया गया है। इस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार निर्मल ग्राम पंचायत के लिए जितना अच्छा हो सके, कर रही है। सर्वप्रथम मिदनापुर जिला ने सम्पूर्ण स्वच्छता दर्शाया है जो कि मिदनापुर जिला का 'नन्दीग्राम' नामक पहली निर्मल पंचायत समिति है।

महोदय, बर्दवान जिला पहले ही वर्ष 2008 के लिए निर्मल जिला के तौर पर आवेदन कर चुका है।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 'करीसुंडा' ग्राम पंचायत जो कि पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिला के सिंधु पंचायत के तहत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुनील खां]

आता है, निर्मल ग्राम पंचायत बनने के लिए सिंधु पंचायत समिति के अन्य ग्राम पंचायतों का आदर्श था लेकिन अभी भी इस 'आदर्श' को पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले के सिंधु पंचायत समिति का निर्मल ग्राम पंचायत घोषित नहीं किया गया है।

महोदय, शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता को कम करने के लिए स्वच्छता आवश्यक है।

इसलिए, इसे प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए इंदिरा आवास योजना हेतु आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए तथा स्वीकृत धनराशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि भवन सामग्री के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए ताकि भारत का समग्र रूप से विकास हो सके।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह असवर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं केवल दो-तीन बिन्दुओं पर ही प्रकाश डालूंगा।

पहली बात बजट आवंटन के संबंध में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है जो अधिकांश निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को देखता है। वर्ष 2007-08 में, योजना और गैर-योजना सहित बजट आवंटन मुश्किल से 28,500 करोड़ रु. था और इस वर्ष यह केवल 31,524 करोड़ रु. है जो 11वीं योजना के अनुरूप नहीं है। इसलिए, यदि मंत्री महोदय को अगले वर्ष के लिए अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, तो उन्हें बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे अगली सरकार के लिए रखें।

श्री प्रसन्न आचार्य: इसलिए, इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछले 60 वर्षों में इस देश के ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस बात का श्रेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार को जाता है और इस सरकार को भी धन्यवाद कि उसने इस कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया। लेकिन मैं एक-दो कमियों के बारे में बताना चाहूंगा कि जो इस कार्यक्रम में हैं।

महोदय, कुछ स्थानों पर जब ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया तो कुछ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया लेकिन पीएमजीएसवाई में निजी भूमि मालिकों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, इस बारे में बहुत असंतोष है और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में काफी अड़चने आती हैं। इसलिए, यह प्रावधान होना चाहिए कि जहां भी ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहित की जाए या ली जाए तो इन निजी भू-स्वामियों को मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि कार्य को तेजी से शुरू किया जा सके और सुचारू तरीके से पूरा भी किया जा सके।

दूसरी बात रेलवे द्वारा उत्पन्न बाधा है और इसे मैंने रेल बजट पर चर्चा के दौरान भी उठाया था। कई स्थानों पर दें। जब पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया तो रेलवे बीच में आ गया क्योंकि जब इसे रेल लाइन पार करने की आवश्यकता पड़ी रेल अधिकारी आकर यह कहते हुए कार्य को रोक दिया कि वे कोई मानव रहित रेल समपार नहीं प्रदान कर सकते। मैंने माननीय रेल मंत्री और राज्य मंत्री का ध्यान भी इस समस्या की ओर आकर्षित किया था और इस समस्या पर ध्यान देने का मुझे आश्वासन भी दिया गया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हुई और यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में कई बाधाओं में से एक है।

महोदय, मेरी अंतिम बात यह है कि जैवडीजल पर राष्ट्रीय मिशन को चलाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब जटरोफा जैसे गैर खाद्य तिलहन की रोपाई की गयी तो इससे भूजल का स्तर कम होना शुरू हो गया।

अध्यक्ष महोदय: यह इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, यह इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका पुन: मूल्यांकन किया जाये क्योंकि इसमें दो तरह की राय है। एक राय यह है कि जहां बड़े पैमाने पर जटरोफा की खेती की गई, वहां जल स्तर में गिरावट आई और इससे पास की भूमि को नुकसान पहुंचा। इसलिए, इसका पुन: मूल्यांकन किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हमारे दल के कई सदस्य बोलने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, समय काफी पहले पूरा हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईः महोदय, वे सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। इसे मुझपर छोड़ दें।

श्री खारबेल स्वाईः महोदय, कृपया उन्हें थोड़ा समय दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी सीट पर बैठें। हमने पहले ही साढ़े छः घंटे चर्चा की है। आपका समय पूरा हो चुका है। मैंने आपके दल से माननीय सदस्य का नाम पुकारा है, कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ग्रामीण विकास की सन् 2008-09 की मांगों पर चर्चा करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। कई सम्माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और अधिकतर सदस्यों ने यहां पर मंत्री जी की तारीफ की। मंत्री जी ग्राम से आते हैं और जमीनी हकीकत जानते हैं, यह बात भी सही है। मंत्री जी ने इस विभाग का आबंटन बढ़ाया है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। जो कुछ खामियां रही हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, इस क्षेत्र का सीधा संपर्क ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है। कई सदस्यों ने बताया कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। लेकिन रोजी-रोटी-कपड़ा-मकान और पानी मिलना मूलभूत अधिकार है। हमें खेद है कि आजादी के 60 साल बाद भी ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा सके। इस डिपार्टमेंट का संबंध कई खातों से आता है, लेकिन जब तक सभी डिपार्टमेंट एक जगह बैठ कर कोई नीति तय नहीं करेंगे, तब तक इसमें किसी योजना का ठीक से कार्यान्वयन नहीं होगा।

महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन कार्यान्वयन करने वाले अधिकारी या राज्य सरकारें अगर अच्छे ठीक ढंग से काम नहीं करतीं तो सवालिया निशान मंत्री जी या केन्द्र सरकार पर आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने सांसदों की जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में इस डिपार्टमेंट की चर्चा आपने की थी और बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई थीं। उस समय मैंने एसजीआरवाई के बारे में कहा था कि इस योजना के तहत जो काम हो रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे क्षेत्र में एक अप्रैल से यह योजना शुरू हुई और एसजीआरवाई बंद हो गई है। एसजीआरवाई का जितना बजट था, उससे कई गुना ज्यादा, वहां पर जो काम करने वाले आफिसर्स हैं, उन्होंने वहां बजट से दोगुना काम सैंक्शन करके रखा है। आज काम हुआ है, योजना बंद हुई है, लेकिन पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति वहां पैदा हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इन्होंने वहां भ्रष्टाचार करके ज्यादा काम सैंक्शन किए हैं। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी कि यहां से वहां टीम भेज कर प्रोजेक्ट आफिसर की वहां चौकसी की जाए ताकि पता लगे कि उन्होंने ज्यादा काम क्यों सैंक्शन किए। यह जो योजना बंद हो गई है, इसके बारे में आप अगर कुछ करें तो मुझे लगता है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा।

महोदय, वहां आज जो लोग काम करते हैं, आपने वहां जो योजनाएं शुरू की हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए वह योजना शुरू की थी, लेकिन वहां मशीनरी से काम किया गया। वहां पर जिन लगों के नाम दर्ज किए गए, उन्हें भी पता नहीं कि हमारे नाम इसमें हैं और हमारे नाम पर पेमेंट लिया गया। इस बारे में मैंने आपको कई बार बोला। आपने मीटिंग में बताया था कि आपको आफिसर आकर मिलेंगे, आप उन्हें डिटेल में बताओ, लेकिन न तो कोई आफिसर आया और न ही उन लोगों की कोई चर्चा हुई। यह वहां की हकीकत है। इंदिरा आवास के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की कि 28 हजार का इंदिरा आवास आप घर दे रहे हैं, लेकिन अगर आज के डीएसआर रेट देखे जाएं तो पता चलेगा कि ये कई गुना बढ़ गए हैं। आप जो 28 हजार रुपया देते हैं, वह लाभधारक को देते हैं। मेरा कहना यह है कि 28 हजार का जो इंदिरा आवास है, उसे 50 हजार किया जाए, क्योंकि आप जो 28 हजार रुपए देते हो उससे घर नहीं बनता। घर की जो जरूरी चीजें हैं, उन्हें बेच कर वह घर बनाता है और उसकी हालत ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए उसे इससे कोई फायदा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसमें खुद ध्यान देंगे, तो कुछ काम हो पाएगा। मैंने अपने क्षेत्र की आपको जो बात बताई, उसकी जांच करने के लिए आप कमेटी भेजें और वह चौकसी करे, तो न्याय मिलेगा। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः जो माननीय सदस्य भाषण देना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने-अपने भाषण लिखित रूप में भेज दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब, माननीय मंत्री।

...*(व्यवधान)*

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): अध्यक्ष महोदय, जब उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे, तब यह सहमति बनी थी कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे बोलें तब तक सभा का समय बढ़ा दिया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? कुछ प्रक्रिया और नियम हैं। हमने चार घंटे का समय निर्धारित किया था पर पहले ही 6 घंटे 40 मिनट हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदस्यगण काफी रुचि ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब सब लोग बैठने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझे ही आदेश देते रहेंगे तो आपको जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा। पीठ के प्रति नम्र रवैया अपनाएं। सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया सुनिए। अभी भी आपके दल के छः सदस्य हैं। क्या होगा?

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: कुछ सदस्य अनुपस्थित हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सम आर एबसैंट होने से क्या होगा, आपने तो नाम लिख कर भेज दिए हैं।

[अनुवाद]

मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि वे अनुपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यह जारी रहेगा और जिन्होंने अपना नाम दिया है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। आप कृपया रिकार्ड को देखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वस्त किया है। इसलिए, कृपया आप हमारे कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, थोड़ा समय दे दीजिए। सर, अपोजीशन के पास बोलने के सिवाय और क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

श्री खारबेल स्वाईं: नहीं सर, मुझे नहीं बोलना है। हमारी पार्टी के अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: सुनिए, बात यह है कि यह बोलने में तो अच्छा लगता है कि हम बैठे हैं। हमारा बैठने का तो काम ही है। लोगों ने हमें यहां बैठने के लिए ही भेजा है। क्या यहां कोई चैरिटी हो रही है?

***श्री महावीर भगोरा** (सलूम्बर): महोदय, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग पर सदन में चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए कहना चाहूंगा कि-

भारत गांवों का देश है, इसे दूसरे शब्दों में ग्रामीण भारत भी पुकारने लगे हैं।

हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित है। 23 प्रतिशत वन क्षेत्र व 7 प्रतिशत शहरी क्षेत्र को अलग कर दिया जाये, जिसके विकास का जिम्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय का है।

भारत देश की कुल आबादी का करीब 70 प्रतिशत भाग गांवों में बसता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि आपके क्षेत्राधिकार आबादी व क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु तदनुसार बजट का प्रावधान करायेंगे। बजट मांग के देखने से पता चलता है कि इस मंत्रालय ने 42,429.86 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुपातिक रूप से अपर्याप्त है। आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा व मकान है। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, बिजली, परिवहन आदि भी विकास के आधार स्तम्भ है।

मैं यहां राजस्थान राज्य का जिक्र करूंगा जिसमें आज भी करीब 34183 आबादी शुद्ध पेयजल से वंचित है। करीब 12,000 गांव विद्युत सुविधा से वंचित हैं। कई ढाणियां, बस्तियों के लोगों ने बिजली कैसी है, उसके दर्शन तक नहीं किये हैं।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपने स्व. प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी पेयजल मिशन एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रस्तुत की थी परन्तु बजट के अभाव में अभी योजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं।

इसी तरह वाटर शेड योजना में दो से तीन वर्षों से बजट आबंटन के अभाव में मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाये।

मैं रोजगार गारंटी योजना में आदिवासी, रेगीस्तानी क्षेत्र में जहां रोजगार का हमेशा अभाव रहा है कम से कम 200 दिन काम दिया जाये ताकि गरीब परिवार अपने परिवार का वर्ष भर भरण पोषण कर सके।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि उन्होंने लैंड एक्वीजीशन एक्ट को अमेंड करने के लिए पेश किया है और नई आर एंड आर पालिसी लाए हैं, इसमें बहुत देरी हुई है। देश में लगभग दो-तीन हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इससे देश में बहुत सामाजिक उत्तेजना फैल रही है और लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। इसलिए आप इस बारे में जल्दी से जल्दी नया कानून लाइए, अमेंडमेंट लाइए और उसमें लोगों की भागीदारी कराइए।

महोदय, मेरा दूसरा सजैशन है कि बी.आर.जी.एफ. की एक अलग भारत सरकार ने खोली है, पंचायतीराज डिपार्टमेंट और उसका भाषण अभी बाहर चल रहा है, या तो आप अपनी दुकान बन्द करो या उनकी दुकान बन्द करो। इसके कारण जमीन पर बहुत डुप्लीकेशन हो रहा है। पंचायतीराज डिपार्टमेंट और ग्रामीण विकास विभाग, दोनों को मिलाकर एक करो। जिसको आप चाहो, चलाओ, लेकिन दोनों को मिलाकर एक करो। मेरे यही दो सुझाव हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, देश का बहुत ही इम्पौर्टेंट मंत्रालय है। देश के ग्रामीण इलाकों के 65 से 70 परसेंट लोग इनके अंतर्गत कवर होते हैं। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी के पास जो डिपार्टमेंट हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे स्वयं बहुत मजबूत मंत्री भी हैं। इसलिए उन्हें ग्रामीण विकास के कार्यों को करने के लिए धन ज्यादा दिए जाने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि देश में बिलो पावर्टी लाइन के लोगों की संख्या 26 परसेंट है और वर्ल्ड बैंक के सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में 43 परसेंट बिलो पावर्टी लाइन के लोगों की संख्या है। मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि जो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों की संख्या है, उसे कम करने के लिए गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। अभी तक जो बी.पी.एल. का सर्वे हुआ है, उसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं, इसलिए उसे दुबारा करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपने उचित रूप से इसका उपयोग किया।

अब श्री गणेश सिंह।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश की पहचान गांव के देश के रूप में है। हमारी आबादी का 70 फीसदी हिस्सा गांवों में बसता है। आजादी के इन 60 वर्षों में अभी तक जो कुछ भी हमने गांव के लिए किया है, वह अपर्याप्त है। हम सभी यह महसूस करते हैं कि समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाए गए होते, तो आज देश की तस्वीर कुछ और ही होती। आज भी अपनी जरूरतों के लिए लोग मोहताज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़कर, स्वास्थ्य, रोजगार स्कूलों की व्यवस्था करना सबसे पहली जरूरत है। जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे, उसी समय ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाती है तो आज तक काफी कुछ हो चुका होता। एनडीए के शासनकाल में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो समयबद्ध योजनाएं बनाई थीं, आज उन्हीं को भारत निर्माण के रूप में यूपीए सरकार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन काम कितने समय तक पूरे होंगे, इसका कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है। भारत निर्माण का जो लक्ष्य वर्ष 2009 तक निर्धारित किया गया है, आंकड़े उसे 50 प्रतिशत से अधिक

[श्री गणेश सिंह]

नहीं बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग है, लेकिन आंकड़े 50 प्रतिशत से नीचे बता रहे हैं, जबकि सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि फलां गांव में हमने इस समस्या का निदान किया है? आज तक किसी समस्या का निदान नहीं ढूंढा गया है। मध्य प्रदेश के बारे में मैं दो मिनट में कहूंगा। मध्य प्रदेश के 38 जिले और 163 तहसीलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: खेद है समय नहीं है, आप सभी ने दो मिनट के समय पर सहमति जताई है। कृपया इसका पालन करें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: गांवों की हालत खराब है, भयंकर सूखा है, पेयजल की समस्या है, मैं लगातर इस हाउस में इस बात को उठाता रहा हूं कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार की तरफ से एक रुपया नहीं मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. राम लखन सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह, कृपया आप अपने दल के सदस्य को व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

आपके पास लिखी हुई स्पीच है, उसे ले कर दीजिए।

श्री गणेश सिंह: महोदय, लिखी हुई स्पीच नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपका नाम आपके दल की तरफ से पहले आना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं लिखकर दे देता हूं।

*महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों के संबंध में अपने विचार रख रहा हूं।

भारत देश गांव का देश है यहां की कुल आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में बसता है। आजादी के 60 वर्ष बीत गये लेकिन आज भी देश के गांव बुनियादी जरूरतों के लिए मुहताज है। आजादी के बाद से यदि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने ग्रामीण विकास की समयबद्ध योजना बनाई होती तो शायद देश की तस्वीर आज कुछ और होती, सरकारों का कार्यकाल पूरा होता चला गया पैसा भी खर्च होता चला गया लेकिन देश के सामने किसी भी समस्या का अंत कर दिया गया, ऐसा उदाहरण नहीं मिल पाया। यदि सच कहा जाये तो समयबद्ध कार्य एनडीए सरकार में मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। यूपीए सरकार ने भारत निर्माण के नाम पर आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया लेकिन उसकी गति अत्यंत धीमी है। भारत निर्माण में जो कार्यक्रम शुरू किये गये जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण सड़क, पेयजल आवास और सिंचाई को लिया गया था। 2009 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था जो कि अभी तक 50 प्रतिशत से भी कम है।

यदि 11वीं योजना के दस्तावेजों को सही माना जाये तो भारत निर्माण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक रही है। दो वर्ष के समयावधि में विद्युतीकरण 36 एवं 6 फीसदी का लक्ष्य पूरा कर पाये हैं। 1-25 लाख गांव और बीपीएल के 2.30 करोड़ परिवारों को बिजली देने का लक्ष्य था उसका पता नहीं क्या किया। 55067 बस्तियों को शुद्ध पेयजल देने का लक्ष्य था वह भी अधूरा है।

50674 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था उसके बदले 39476 किलोमीटर मात्र सड़क बन पायी है। 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य था, 28.69 लाख ही मकान बन पाये हैं। अभी भी 42 प्रतिशत लोग बिजली के अभाव में है। 74 प्रतिशत लोग रसोई गैस से वंचित हैं। दो लाख गांव से शुद्ध पेयजल नहीं है। देश में कुल प्रा. केन्द्रों की संख्या 22669 ही मात्र है जबकि देश में 6.5 लाख गांव अस्पतालों में 50 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी है। लोग अभी भी इलाज के लिए 30 कि.मी. की दूरी तय करते हैं।

देश के प्रत्येक पंचायतों में प्रा. स्वत: केन्द्र खोले जाना चाहिए। देश का बजट ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त न देने के कारण ही देश विकास में पिछड़ गया। दुनिया में हमारी पहचान पिछड़े देश के रूप में है और दूसरा कारण ग्रामीण विकास की कमी है।

देश गांवों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, आवास, संचार की जरूरत बुनियादी रूप से है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक एक ही नारा

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

लगाया जाता रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान का एवं गरीबी हटाने का। अब तक कितने लोगों को दोनों वक्त की रोटी मिल रही है? कितने लोग हैं, जिनको कपड़ा उपलब्ध कराया गया? कितने लोगों को मकान अब तक मिल पाया है? इंदिरा आवास योजना 1985-86 से प्रारंभ की गई।

आज भी देश की हर पंचायत को एक भी इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब तक देश का कोई भी ऐसा गांव उदाहरण नहीं बन पाया जहां सभी गरीबों को मकान मिल पाया हो। आज भी लाखों लोग आसमान के छत के नीचे सोने को मजबूर हैं।

स्वयं राहुल जी ने आदिवासी परिवारों में जाकर देखा है। स्वीकार किया है कि लोग आज भी टूटी खाट में पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं।

यदि सरकार चाहती तो अब तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को मकान दे सकते थे लेकिन नहीं कर पाये। राहुल जी ने आदिवासियों के जीवन स्तर पर गहरी चिंता प्रकट किया है। सूखी रोटी, नमक और चटनी से आदिवासी घरों में खाया जाता है। क्या राहुल जी ने उन गरीबों का मजाक नहीं ठड़ाया है। उनके परिवार के नेतृत्व में ही यह देश 50 वर्षों तक का सफर पूरा किया है।

यदि इसके बावजूद भी आदिवासी सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर है अथवा पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर हो रहा है। यदि इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी ही है। यदि आदिवासी परिवार के लोगों के पास इतनी महंगाई में तेल सब्जी खरीदने की स्थिति होती तो शायद राहुल जी को सूखी रोटी नमक चटनी नहीं खिलाते।

इस देश के गांवों को विकास तभी पूरा होगा जब सरकार समयबद्ध कार्यक्रम चलायेगी। एनडीए के समय पर मा. अटल जी ने समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था उसी का परिणाम है कि आज देश के गांवों में पक्की सड़क पहुंच रही है। अब लगता है कि 2012 तक देश के सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ जायेंगे। आज देश के अंदर सभी स्कूल भवनयुक्त हो रहे हैं, यह उन्हीं की सोच थी। शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सके, इसके लिए भी समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था लेकिन अब उसकी गति धीमी हो गयी। सड़क निर्माण की भी गति धीमी हो गयी है। यदि नेहरू जी के समय से समयबद्ध कार्यक्रम चलाये गये होतो तो देश की आज तस्वीर बदली हुई मिलती।

देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, क्या इसकी समीक्षा हुई है, इसका क्या कारण है। 100 में 37 गरीब है। जबकि गरीबों की संख्या 100 में 50 से अधिक है। प्रमाण के रूप में म.प्र. सरकार ने वास्तविक गरीबों का नाम जोड़ने के तहत अब तक 60 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के रूप में पहचान की गई है। देश के गरीबों को भरपेट अनाज तक नहीं मिल पा रहा। लाल गेहूं, विदेशों से आयात किया है जो मानव उपयोग हेतु नहीं है। उसे खाने के लिए मजबूर है। इसमें भी कटौती कर ली गई लेकिन वही म.प्र. सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 रुपया किलो गेहूं, 4.50 रुपये प्रति किलो चावल दे रही है।

रोजगार गारंटी योजना जब से चलाई गई तब से सभी जो ग्रामीण विकास की योजना चल रही थी, बंद कर दी गई। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र से बजट का आबंटन नहीं होने से महीनों मजदूरों को मजदूरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश को आबंटन न मिलने से लाखों क्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाई।

रोजगार गारंटी योजना में जो प्रावधान है उनसे सम्पूर्ण विकास की कल्पना नहीं पूरी हो सकती। कुछ भवन निर्माण कभी कार्य जोड़ने की जरूरत है। इस योजना में खेतों में कुएं बना रहे हैं। तो क्या इस योजना से गरीबों का मकान नहीं बनाया जा सकता है।

चेकों के भुगतान से भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। इससे मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई है। म.प्र. में सतना जिले के साथ-साथ बाढ़ से जिन लोगों के मकान गिर गये थे उनको इंदिरा आवास दिया गया था लेकिन एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं दिया गया उसे दे दिया जाये।

म.प्र. के 38 जिलों की 63 तहसील भयंकर सूखे की चपेट में हैं। जलस्रोतों में, नदी तालाब, कुएं सभी सूख गये हैं। नल जल योजनाओं के मरम्मत की जरूरत है। नये हैण्डपम्पों के खनन की जरूरत है।

अत: अतिरिक्त आबंटन हेतु प्रदेश सरकार को कम से कम 25 हजार करोड़ का आबंटन दिया जाये। वैसे भी म.प्र. सरकार ग्रामीण विकास के सभी कार्यों का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर रही है। इसलिए भी भारत सरकार को राज्य सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए।*

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर चल रही है और मैं इसे लगातार

[डा. राम लखन सिंह]

सुन रहा हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि स्वच्छ निर्मल ग्राम योजना, जो कि सरकार की एक योजना है। मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि शौचालय बनाने के लिए जो 1500 रुपये दिए जाते हैं, वे अपर्याप्त हैं। वह तो बाद की बाद है, लेकिन आपका देश किधर जा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और आप शौचालय बनाकर उनको साफ कैसे रख सकेंगे? पीने का पानी जब तीन किलोमीटर दूर से आ रहा है, इस पर शौचालय बनाकर आप यह कल्पना करते हैं कि उसकी सफाई हो सकेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि रोजगार गारण्टी योजना के तहत आप जो काम दे रहे हैं, उसको विकास से जोड़िए। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मजदूर नहीं हैं और जाबकार्ड खाली पड़े हुए हैं। वहां कोई काम नहीं हो सकता है। वहां विकास कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वहां पानी का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा हो सके। मेरा तो यहां तक मानना है कि आने वाले 15-20 वर्ष में पीने के पानी को लेकर राशन कार्ड बन जाएंगे। लेकिन आप उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी पहली प्राथमिकता पीने के पानी का संरक्षण होना चाहिए ताकि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, तभी आप आगे बढ़ें और गांवों को स्वच्छ बनाने की कल्पना करें। इसके रहते आप कैसे कल्पना कर सकते हैं?

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आईईसी के तहत आप जो बजट आवंटित करते हैं, उसका कोई फिजीकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। उसमें विभाग के लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार इसमें अपनी एक एजेंसी नियुक्त करे, जो यह तय करे कि इस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कार्य के अंत में और किस गांव को कितना पैसा मिल रहा है? गांव के लोगों को मालूम नहीं रहता कि सरपंचों को कि किस विभाग से कितना मद जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: आपने जो लिखा हुआ है, उसे भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

डा राम लखन सिंह: किस गांव को किस मद से कितना पैसा मिल रहा है? यह तय होना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, हम देश में आठ प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। मैं प्रति व्यक्ति खपत व्यय के संबंध में सभा में उल्लेख करना चाहता हूं। ग्रामीम क्षेत्रों में यह 12 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 19 रुपए है वर्ष 2005-06 में औसत ग्रामीण भारतीय द्वारा व्यय किए गए हर रुपए में से 53 पैसा खाद्य पर, 17 पैसा दाल और दलहनों पर, आठ पैसा दूध और दुग्ध उत्पादों पर; छह पैसा सब्जियों पर और पांच पैसा चीनी, नमक और मसालों पर किया गया है। महोदय शहरी क्षेत्रों में 40 से 75 प्रतिशत लोग गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 74 प्रतिशत से अधिक लोग जलावन की लकड़ियों का उपयोग करते हैं जिससे वन समाप्त हो रहे है और वन क्षेत्र कम हो रहे है एवं पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती गरीबी को दूर करना है। गरीबी के उन्मूलन से एक स्वस्थ पर्यावरण कायम किया जा सकता है।

इसके बाद मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि लगभग नौ प्रतिशत लोग बिजली हेतु गोबर के उपले का प्रयोग करते है और 9 प्रतिशत लोग रसोई गैस का प्रयोग करते हैं। महोदय, शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोग बिजली का प्रयोग करते हैं और 42 प्रतिशत लोग मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के तेल के लिए हम खाड़ी देशों पर निर्भर है। इसकी कीमत 117 डालर हो गई है। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बायो-फ्यूल मिशन नामक एक मिशन शुरू किया है। यह एक अच्छा मिशन है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, मुझे सिर्फ डेढ़ मिनट और बोलना है।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही तीन मिनट ले चुके हैं। आपकी घड़ी धीरे चल रही है। मुझे भी टोकने में अच्छा नहीं लगता है।

श्री बिक्रम केशरी देव: धन्यवाद, महोदय।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की प्रमुख निष्पादनकारी एजेंसी पंचायती राज है। मैं झारखंड गया था। मैं डाल्टनगंज भी गया था। उस क्षेत्र में मैंने लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की और मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रतीक चिन्ह (लोगो) खोजने का प्रयास कर रहा था। लेकिन झारखंड में इन 400 किलोमीटर में प्रधान मंत्री सड़क योजना नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: होता है, हमारा नाम भी कोई नहीं लिखता है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: झारखंड में कोई पंचायती राज नहीं है। *...(व्यवधान)* इसलिए उन्हें अवश्य चुनाव करानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके जो सुझाव हो, दे दीजिएगा।

[अनुवाद]

***श्री विक्रम केशरी देव:** भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत से अधिक की हो रही अप्रत्याशित वृद्धि समग्र प्रकृति की होनी चाहिए। ग्रामीण शहरी क्षेत्र की दूरियों को कम करते हुए अनेक स्कीमों को पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी मिटाने के लिए सामने लाया जाना चाहिए। एनआरईजी अधिनियम, पीएमजीएसवाई, बेहतर जीवन-यापन के लिए भूमि की घटती उत्पादकता अथवा कारण को पुनर्स्थापित करना, भारत निर्माण सम योजना, ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), आईएएक्स, एनओएफपीएस, एनएफबीएस, एनएमबीएस, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), एआरडब्ल्यूएसपी, नौवीं योजना-42000 करोड़ रुपए, 10वीं योजना 11,400 करोड़ रुपए। वर्ष 2006-08 की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एनआरईजीए का 2 वर्ष पूरा हो चुका है और दिसंबर 2007 तक 2.67 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की है जबकि 2.57 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। दिसंबर 2007-12 लाख कार्य जिससे 801 लाख कार्य जल संरक्षण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में थे। एआरडब्ल्यूएसपी, वर्ष 2009 तक भारत निर्माण के छह घटकों, 55,067 अनवार्ड, 3.31 लाख स्लिप्ड बैक और 2.17 लाख प्रभावित बसावटों के मामलों को सुलझाया जाना है। जैव-ईंधन केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संबंधी राष्ट्रीय मिशन, जैव-ईंधन मिशन, राज्य सरकार के परामर्श से नोट करने योग्य गैर-वन भूमि की पहचान, वर्ष 2008-09 में पीयूआर को वर्ष 2007-08 में 9 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए अधिक 27 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस पीयूआरए सात बसावटों तक सीमित है। गोहपुर-असम, आंध्र प्रदेश में रायादुर्ग, बिहार में मादीपुर, महाराष्ट्र में बासमठ, उड़ीसा में कांझा, राजस्थान में सोफूर और उत्तर प्रदेश में भारथाना। इसे उड़ीसा क्षेत्र के कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट में लागू किया जाना चाहिए। बजटीय आवंटन को भी 500 करोड़ तक बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: डा. वल्लभभाई कथीरिया, मैंने आपको जल मंच (वाटर स्कीम) का संयोजक बनाया है।

[हिन्दी]

आपकी उन्होंने कोई हेल्प की? आप उसके बारे में बोलिए।

***...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि सतत् संवाद करते हुए हम सांसदों के साथ आपने अपनी जो मानीटरिंग कमेटी बनायी, उसको भी मानीटर करने का काम आपने किया है। आपने लास्ट लेटर लिखा कि साल में कितनी मीटिंग्स आपने कीं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप भी गांव से आते हैं, इसलिए गांव का ध्यान रखने के लिए और आप मंत्रालय का जो ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी मैं आपको अभिनंदन करता हूं।

महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में ही है। जैसा कि कहा गया कि बहुत सी स्कीम्स मिक्स हो गयी हैं, इसलिए दोनों में से एक को स्थान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमारे ध्यान में यह आयी है कि गांव में सरपंच पंचायती राज संस्था होने के कारण सरपंच को हर दो-तीन दिन में तहसील पर या तो कलेक्ट्रेट में या डीडीओ के पास डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाना पड़ता है। उन सबका यह कहना है कि हम कितना अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं? इसलिए वह करप्शन का माध्यम बन जाता है। वहां गांव में जो स्कीम आती है, उसमें करप्शन इसीलिए करते हैं कि उनको आने-जाने में, जो अधिकारी आते हैं, उनका खर्च, एमपीज-एमएलएज आते हैं, उनका खर्च, मुझे लगता है कि इस बारे में कोई सजेशन की आवश्यकता है, ताकि सरपंच और बाकी लोगों के काम करने की और अपने गांव का विकास करने की इच्छा भी रहे और करप्शन भी न हो।

वाटर शेड डेवलपमेंट के संबंध में कहना चाहूंगा। गुजरात का एक एग्जांपल सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वाटर शेड डेवलपमेंट का जो काम गुजरात में हुआ, वहां हमने चेक-डैम बनाकर इतने पानी का संरक्षण किया, उसे पूरे देश में एक साथ लागू करने की आवश्यकता है। वहां जो पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, राज्य सरकार की भी पालिटिकल विल, प्रजा और एनजीओ का सहयोग और केन्द्र सरकार सहित सभी के सहयोग के कारण काफी काम हुआ है।

पीएमजीएसवाई के बारे में यहां कहा गया। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना में, हमारे यहां ऐसा है कि हर गांव पांच सौ की बस्ती वाले गांव सड़क से आन पेपर जुड़े हुए हैं। वह सड़क पन्द्रह या बीस साल पहले बनी थी और अभी वह सड़क रही नहीं है। ऐसे गांवों के बारे में क्या आपकी गाइडलाइन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में कहना चाहता हूं। सैनीटेशन की बात अच्छी है। सब 900 से 1500 करने की बात कह रहे हैं, पांच हजार करने की बात की जा रही है, लेकिन मैं कहना

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

चाहता हूं कि गाइडलाइन में सुधार करके यदि हम एमपीलैड स्कीम दे सकें तो अच्छी तरह सैनीटेशन का काम हो सकेगा। ...*(व्यवधान)* स्वजलधारा में गटर के काम को जोड़ने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सदस्यों, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं हमने चार घंटे की आवंटित समय-सीमा के बजाए सात घंटे तक बहुत ही उपयोगी और व्यापक चर्चा की। यह तीन घंटे ज्यादा है। अब हम माननीय मंत्री जी को सुनें जो बहुत ही धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं और हम सभी को सुन रहे हैं। वे नियमित लिखते भी है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कोई भी ध्यान नहीं देता है।

अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार मानता हूं। मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी और पूरे सदन का भी आभार मानता हूं कि जबकि चार-पांच मंत्रालयों पर ही बहस मंजूर की गई है, आपने बड़ी कृपा की है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों पर बहस करने की स्वीकृति दी। इस विषय पर चार घंटे के बजाए सात घंटे से अधिक बहस हुई। हम माननीय सदस्यों की रुचि देख रहे हैं। माननीय सदस्य इस विषय पर एक दिन की बहस चाहते थे लेकिन समय की लाचारी है। इसमें कुल 40 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और मैं समझता हूं कि एक-आध दर्जन सदस्यों ने लिखित भाषण भी दिया। हम अनुपात लगाते हैं कि इसमें 50 माननीय सदस्यों ने रुचिपूर्वक भाग लिया। मैं आज सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं करीब 10-12 वर्षों से सदन की बहस देख रहा हूं। मैं ग्रामीण विकास की बहस में भाग लेते, सुनते और देखते आया हूं। लेकिन आज हमने सदस्यों की जो रुचि देखी है, सर-जमीन की जानकारी और उनका उत्साह देखा, उससे इतना उत्साहवर्धन हो रहा है कि मैं मानता हूं कि देश के माथे पर गरीबी और बेरोजगारी का जो कलंक है, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जो जंग है, उस जंग में हमारी विजय होगी, यह देश बेरोजगारी और गरीबी से मुक्ति पाएगा, इसमें कोई संदोह नहीं है। ...*(व्यवधान)*

मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री काशीराम राणा और राज्य मंत्री श्री सुभाष महरिया ने भी बहस की शुरूआत बड़ी उचित की। हमारे दोनों राज्य मंत्री भी सुनने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए मुस्तैद रहे। श्रीमती करुणा शुक्ला जी चली गईं, काशी राम राणा जी ने भी बजट की खोज की, चर्चा की, जिज्ञासी की है। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इस देश की जो दसवीं योजना बनी, उसमें ग्रामीण विकास पर 76 हजार करोड़ रुपये का आउटले निर्धारित किया गया, लेकिन इनके कार्यकाल में दो वर्ष की अवधि और बाकी तीन वर्षों की अवधि यूपीए गठबंधन के कार्यकाल में हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि 76 हजार करोड़ रुपये के आउटले के बदले एक लाख 14 हजार करोड़ 48 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई और उसे हमने खर्च किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीण विकास पर यूपीए गठबंधन का कितना जोड़ है और नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम, जिसकी यूएनओ ने भी प्रशंसा की है, उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के 15 सूत्र हैं। हमने 15 सूत्रों पर सौ फीसदी कामयाबी हासिल की है।

बजट का हिसाब अलग से बताते हैं। वर्ष 1998 से 2004 तक छः साल के शासनकाल में इन्होंने क्या खर्च किया। इन्होंने 67 हजार करोड़ खर्च किए। हमने अभी चार वित्तीय वर्ष पूरे किये हैं। इन चार वर्षों में हमने 1 लाख 11 हजार रुपये खर्च किये हैं। हम इनका छः वर्षों का हिसाब देखते हैं, तो इन्होंने लगभग 11 हजार रुपये सालाना खर्च किये हैं। हमने चार वर्ष में इनसे ढाई-तीन गुणा अधिक खर्च किया। ...*(व्यवधान)* लोगों ने हमें यह बताने के लिए कहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी योजना के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, यह ठीक बात है। लेकिन उस समय बजट उपबंध क्या था? वह बजट 2400-2500 करोड़ रुपये था, जो कि खर्च भी नहीं होता था। हमने भारत निर्माण करने का संकल्प लिया। उसमें हमारा मेनडेट है कि चार वर्षों में हम 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इन्होंने एक वर्ष में ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च किये जबकि हमने चार वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये यानी हमने इनसे पांच गुणा अधिक खर्च किया। यह जो एक साल में खर्च कर रहे थे, हम पांच गुणा अधिक खर्च कर रहे हैं। हमने बजट का जो प्रावधान किया है, उसके हिसाब से हमने वर्ष 2005-06 में 4200 करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 8 हजार करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 में 11 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया है। अब हमें 24 हजार करोड़ रुपये और खर्च करने हैं। एक हजार की आबादी जो समतल में है और 500 की आबादी जो ट्राइबल और हिली एरियाज में हैं, उनको हमें कनेक्टिविटी देनी है। अब भारत निर्माण टाइम बाउंड टारगेटिड प्रोग्राम है। लेकिन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मेनडेट हमारा बचा हुआ है जिसमें 500 तक की आबादी और 250 ट्राइबल और हिली एरिया की आबादी को भी

कनेक्टिविटी देने के लिए हम संकल्पित हैं। मैं अनुमान लगाता हूं कि वर्ष 2015 तक यह काम भी पूरा हो सकेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): क्या यह सरकार वर्ष 2015 तक रहेगी?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या आप दोबारा उसी का उपाय लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो चुकी है। हम उसका एक वर्ष बीता चुके हैं। अभी उसका दूसरा वर्ष चल रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में क्या हुआ? वर्ष 2004-05 में यूपीए हुकूमत आई। वर्ष 2004-05 में 16 हजार करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 24 हजार करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 31 हजार करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 में जहां 40 हजार करोड़ रुपए का बजट उपबंध था वहां 42 हजार करोड़ रुपए हमने खर्च किये। इस साल हम वर्ष 2008-09 के बजट की बहस हम चला रहे हैं। हमारा 49,400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान हुआ है, लेकिन यह 49,400 करोड़ रुपये पर यह खत्म नहीं होगा। लगभग 60 हजार करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे, ऐसी मैं घोषणा करता हूं क्योंकि एनआरईजीएस पर लोगों ने सवाल उठाया है। एनआरईजीएस पर हमारा शुरू में बजट उपबंध 11 हजार करोड़ रुपये का था। हमने 8 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च किये। दूसरे वर्ष में बजट प्रावधान 12 हजार करोड़ रुपये का था जबकि हमने 12 हजार 800 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। तीसरे वर्ष में 16 हजार करोड़ रुपये जरूर कम है। हम इस पर अड़ गये थे लेकिन जब प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी आदि सभी लोगों ने कहा कि यह डिमांड है यानी जितना खर्च किया जायेगा उतना दिया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में केटेगोरिकली कहा कि हालांकि बजट प्रावधान 16 हजार करोड़ रुपये का हुआ है, लेकिन इसमें जितना वे खर्च करेंगे उतना हम देंगे। इसलिए हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि 16 हजार करोड़ रुपये से नहीं 20 हजार और 25 हजार करोड़ रुपये पर खत्म होगा। इसी कारण मैं कहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी, चार-चार महीने तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं उस बारे में भी बताता हूं। महोदय, एनआरईजीएस और फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने गहराई से और सरजमीं की बात की है। उन्होंने कमियों की बात गिनायी हैं। जहां-तहां त्रुटियां असंगतियां, विसंगतियां और अनियमितताएं हो रही हैं, लोगों ने हमें उस बारे में बताया है। हम उस बारे में अवगत भी हैं और उसके लिए हमने निश्चिंत नहीं हैं। हम अभी चैन से नहीं बैठे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इसमें पांच सूत्री कार्यक्रम, लोगों ने कहा है कि अवेयरनैस की कमी है। हम स्वीकार करते हैं कि कर्मचारियों, अधिकारियों, माननीय सदस्य पंचायती राज और आम जनता जो अनपढ़ है, असली मेहनत कश मजदूर है, उनको जानकारी नहीं होती। मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं। अवेयरनेस, पीपुल्स पार्टीशेपेशन, पारदर्शिता, स्ट्रिक्ट एण्ड विजिलेंट मानीटरिंग और एकाउण्टिबिल्टी, यह पांच सूत्रीय कार्यक्रम मैं चला रहा हूं। इसमें राज्य सरकारों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल, आईआईएमएस/आईआईटीस और रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई से जुड़े हुए सभी संस्थानों की भागीदारी हमने इसमें सुनिश्चित की है, सभी से प्रार्थना की है कि सभी लोग इसमें लगें। हम सभी विद्वानों की एक बैठक करने जा रहे हैं, सभी इसे जानें, समझें और इसे मुस्तैदी से कराएं। जब हमने 2 फरवरी, 2006 को इसे शुरू किया था तो उस समय देश के 200 जिलों में इसे शुरू किया था, एक साल बीतने पर इससे एक करोड़ दो लाख परिवारों को रोजगार मिला। जब दूसरे चरण में इसमें 130 जिले और जोड़े गए तो 31 मार्च तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। श्रीमती प्रतीभा सिंह जी ने कहा कि इसे पांच साल में लागू किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि इसे एक अप्रैल से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पाचं वर्षों में लागू करने के लिए कानून पास हुआ था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे तीन साल में ही पूरे देश में लागू किया है। यूपीए का मजबूत इरादा गरीबोन्मुख, ग्रामोन्मुखी है। यह कायाकल्पीय योजना है। इसमें गरीब के लिए फूड सिक्योरिटी की बात है। उसे भोजन मिले, भुखमरी न हो, डिस्ट्रेस पलायन न हो, उसके लिए यह योजना है। एनआईरजीए में इसे 5 वर्षों में लागू करने की बात कही थी, लेकिन हमने इसे 3 वर्षों में ही लागू किया है। दो वर्षों में 3 करोड़ 20 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। पिछले वर्ष में 90 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए थे। 31 मार्च तक 132 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं जिसमें से एससी की भागीदारी 27 प्रतिशत, एसटी की भागीदारी 30 प्रतिशत और महिलाओं के लिए हमारा एक-तिहाई का लक्ष्य था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी 42 प्रतिशत रही है। एसटी का परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि एसटी पापुलेशन वाले जिले ले लिए गए हैं, इसलिए उनका परसेंटेज कुछ ज्यादा है। अभी तक हमने 11,600 करोड़ रुपए में से 8,640 करोड़ रुपए प्रथम वर्ष में खर्च किए हैं, दूसरे वर्ष में 12,610 करोड़ रुपए खर्च हुए और अब हमारा बजट 16,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन यह और बढ़ेगा। सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि पानी की कमी होने वाली है, तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा। रोजगार गारंटी योजना का कमाल है कि तीन वर्षों में लोग इसके परिणाम देखेंगे। मैं राजस्थान में डूंगरपुर गया था। वहां पहले ग्राउण्ड वाटर लेवल बहुत नीचा हो गया था, ट्युबवैल और हैण्डपम्प बेकार हो गए थे, वहां एक नदी में 12 किलोमीटर में 6 चेक डैम रोजगार

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

गारंटी योजना से बने तो वहां पानी का खजाना बन गया। अगल-बगल में सिंचाई की व्यवस्था हो गयी और जल स्तर में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में भी वाटर कंजरवेशन की वजह से ग्राउण्ड वाटर ऊपर आया है। वाटर कंजरवेशन में 48 फीसदी काम हुआ है। 7 लाख 99 हजार योजनाओं को लिया गया है। प्राविजन आफ इरीगेशन फेसीलिटीज में 15 फीसदी, रूरल कनेक्टिविटी में 17 फीसदी, लैण्ड डेवलपमेंट, ट्राइबल और शिडयुल्ड कास्ट लोगों की जमीन डेवलपमेंट का प्रावधान इसमें हुआ है, में 16 फीसदी काम हुआ है। इसमें उनकी जमीन का विकास करना, उसे समतल करने का काम हुआ है। झारखण्ड में आदिवासी बोलता है कि हमारी जमीन का समतलीकरण करा दीजिए, गुमला के बार्डर से लगे हुए छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में आदिवासी कहता है कि हमारी जमीन का समतलीकरण करा दीजिए, गांव का आदिवासी ऐसा कहता है। इसलिए इसमें काम हुआ है। लोगों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि इसमें गड़बड़ियां और हेराफेरी हो रही है। यह संभावित है क्योंकि 2 लाख 38 हजार पंचायत, 6,000 प्रखण्ड, 600 जिले, उनमें जितने लोग कार्यरत हैं, सभी को कोई कैसे यह मान सकता है कि वे सत्य हरिश्चन्द्र हो गए हैं, महात्मा गांधी हो गए हैं, महात्मा गांधी के शिष्य हो गए हैं। नहीं, हम नहीं मानकर चलते, जैसे अनारकिट्स की थ्योरी फेल हो गई थी कि सभी मनुष्यों को विवेकशील मान लिया। वैसे ही हम सभी मनुष्यों को, सभी लागू करने वाले लोगों को मान लें कि ठीक है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने पांच सूत्री कार्यक्रम चलाया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 100 प्रतिशत भुगतान एकाउंट से होगा। अभी तक 3 करोड़ 20 लाख रुपयों में से 1 करोड़ 45 लाख रुपए हमने बैंकों में और पोस्ट आफिसेज में खाता खोलकर जमा कराए हैं। हम राज्य सरकारों, बैंकों और पोस्ट आफिसेज के साथ संपर्क में हैं कि सभी को भुगतान उसी एकाउंट से होना चाहिए। यह फर्जीगिरी करके, मस्टर रोल खत्म हो जाए, इसलिए हमने इस तकनीक से काम लिया है। इसमें और कहीं गड़बड़ की सम्भावना हो सकती है, यह भी ठीक है। चोर विद्या सभी विद्याओं से आगे है इसलिए चोर विद्या को रोकने का हमने इस पांच सूत्री कार्यक्रम में पर्याप्त प्रबंध किया है।

अध्यक्ष महोदयः चोरी को बंद करना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आंध्र प्रदेश में 100 प्रतिशत, झारखंड में 50 प्रतिशत से ज्यादा और दूसरे राज्यों में भी इसकी शुरूआत हो गई है कि खाते से भुगतान किया जाए। इसलिए अलग-अलग जगह पर हम काफी मुस्तैद हैं।

जहां तक स्टाफिंग की बात है, ब्लाक पदाधिकारी नहीं थे। ग्राम सेवक भी नहीं थे। राज्य सरकारों के सहारे हमें काम करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकारों की कमजोरियां दूर करने के लिए हमने प्रावधान किया है और स्टाफिंग में उनकी सहायता की है। हमने कहा है कि प्रत्येक गांव पंचायत में एक रोजगार सेवक होगा। अभी तक 79249 रोजगार सेवक बाहर किए गए हैं। कई राज्य इसमे आगे हैं और कई पीछे हैं, क्योंकि हमें राज्यों पर निर्भर रहना है इसलिए हम यह काम कर रहे हैं। यह फुल टाइम प्रोग्राम है।

[अनुवाद]

एक पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी जो पद में प्रति ब्लाक के ब्लाक विकास अधिकारी से कम न हो। प्रत्येक पांच पंचायतों पर एक तकनीकि सहायक, प्रत्येक ब्लाक के लिए दो डाटा एंट्री आपरेटर की नियुक्ति की गयी है। 1685 कार्यक्रम अधिकारियों, 11,464 तकनीकी सहायकों, 2578 कम्प्यूटर आपरेटरों, 75,131 लेखाकारों को नियुक्त किया गया है। राज्य चरण-3 जिलों में कार्मिकों की तैनाती की प्रक्रिया में कार्यरत है।

[हिन्दी]

इसलिए राज्य सरकारों पर हम निर्भर है, उन्हें प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना और उनकी सहायता करना हमारा दायित्व हैं। मैं महीने में चार पत्र मुख्यमंत्रियों को लिखता हूं।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचे में एक बारगी व्यय,

[हिन्दी]

इस तरह एक प्रकार की और सहायता हमने एक मुश्त दी है, वह क्या है,

[अनुवाद]

पांच वर्षों के लिए संदर्शी योजना बनाना

[हिन्दी]

प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए प्रोसपेक्टिव प्लान के लिए दिए हैं। प्रिंटिंग आफ जाब कार्ड और फोटोग्राफ के लिए हम सारा खर्च दिया है। कहीं-कहीं इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि वहां भी मजदूरों से इसके लिए पैसा लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदयः हां लेते हैं बोगस जाब काड्र्स भी बनाते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी महोदय। ब्लाक और जिला स्तर पर कम्प्यूटर कनैक्टिविटी हो, रूरल डेवलपमेंट में सुनने से लगता है कि ई-गवर्नेंस का उल्टा व्यवहार हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में सारे विभागों से ई-गवर्नेंस के मामले में हम आगे हैं और हमारा यह मैनडेट है। हम मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम की इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें सबसे आगे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को मन्थली ई-मेल पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज रहा हूं। अब तक 385 सांसदों का कनेक्शन मिला है, उन्हें हम यह भेज रहे हैं और बाकी को भेजने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई देखता भी है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कुछ लोग तो जरूर देखते हैं। आज के भाषण सुनने के बाद मैं काफी प्रोत्साहित हुआ हूं कि सरजमीन की जानकारी जो पहले सुनता था, अब जो सुनता हूं, उससे मैं काफी प्रोत्साहित हूं। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने रुचि ली है और जानकारी ले रहे हैं। मेरे पास जिन लोगों का पता था, उन्हें मैंने ई-गवर्नेंस की जानकारी दी है, बहुत से लोग हो सकता है कि कम्प्यूटर के मामले में इल्लीट्रेट हों और सीख रहे हों। इसलिए मुझे विश्वास है कि वे जरूर सीख जाएंगे और इसमें हमारा सहयोग करें। ग्राम पंचायत, ब्लाक और जिला स्तर पर अलमारी और व्यक्तिगत फर्नीचर और कई लोग मांग कर रहे थे कि पंचायत भवन हो। हर गांव में पंचायत भवन बनाना है और उसे कम्प्यूटर से सुसज्जित करना है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फलां चीज भी होनी चाहिए। जब ऐसी मांग होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी की कल्पना ग्राम स्वराज, डा. लोहिया जी की कल्पना-चौखम्भा राज, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। धीरे-धीरे यह सब होगा और वे लोग जानेंगे। इसलिए हम विकेन्द्रीत व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। इसी सदन में हम लोगों ने पंचायती राज के महत्व को देखते हुए संविधान में 73वां संशोधन पारित किया था। यह पहले से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में था। लेकिन संविधान के नौवें अध्याय में ग्राम पंचायत के लिए हमने संविधान में 73वां संशोधन जोड़ा था। इसीलिए अभी तक एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन स्कीम को लागू किया गया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का सभी कुछ आता है। सभी जगह ट्रांसपरेंसी है। 2 करोड़ 56 लाख 74 हजार 292 जाब काड्र्स एंड 35 लाख 36 हजार 54 वेबसाइट पर मास्टर रोल्स दर्शाया गया है, जिससे सभी लोग जान सकें, उसकी छानबीन कर सकें। इस सिस्टम से रोजगार गारंटी में कमियां, त्रुटियां, कमजोरियां, जानकारी की कमी, नीयत की भी कमी की जानकारी हो सकती है, इसे मैं यहां स्वीकार करता हूं। लेकिन हम भ्रष्टाचार बिलकुल सहन नहीं किया जायेगा की ओर चल रहे हैं। तीसरा वर्ष बीतते-बीतते स्वर आयेगा कि यह सबसे सफल योजना हैं और इसी से देश का कायाकल्प और गरीबों को फूड सिक्योरिटी मिलेगी।

उसके बाद भारत निर्माण का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 6 खंडों में है। शुरू में लोगों ने सोचा था कि इस पर 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा और इसके 6 खंडों में से 3 खंडों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय का 85 हजार करोड़ रुपया चार वर्षों में खर्च होना है। उसमें एक है प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी संक्षेप में हमने जानकारी आपको दे दी है। उसमें भी उपलब्धियां हैं और हम सफलता की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें आशंका है कि एक साल के लिए इसमें जरूर स्पिल होगा क्योंकि अभी तक हम 24 हजार करोड़ रुपये इसमें खर्च कर चुके हैं तथा 24 हजार करोड़ रुपये में अभी और खर्च करने हैं। यह कार्यक्रम एक साल के लिए स्पिल कर सकता है। 31 मार्च 2009 वित्तीय साल होता है लेकिन 2009 के दिसम्बर या मार्च 2010 तक भी यह जा सकते है, ऐसी मैं आशंका करता हूं। बहुत कठिनाइयां हैं, क्योंकि राज्यों से ढाई हजार करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है और अभी हम 11000 करोड़ पर पहुंचे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता राज्यों की कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। कंट्रेक्टर्स की कमी है, मैटीरियल की कमी है और कहीं-कहीं लॉ एण्ड आर्डर की समस्या है, नक्सली लोग रंगदारी आदि सभी से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। भारत निर्माण में महोदय आबादी को जोड़ना होगा।

59 हजार 461, किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण किया जाना है-एक लाख 46 हजार 185 किलोमीटर कनैक्टिविटी के लिए। लेकिन अपग्रेडेशन भी हमने नया जोड़ा है क्योंकि पहले यह नहीं था जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हुई थी। राज्यों ने मांग की और हमने महसूस किया कि कनैक्टिविटी में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चिकनी सड़क हो और 10-20 किलोमीटर लम्बी चौपट सड़क हो तो जनता को लाभ नहीं पहुंचेगा, तो हमने पुरानी राज्य सरकारों की सड़कें भी जो मेंटेन्ड नहीं थीं, उनको भी हमने अपग्रेडेशन में लिया है। उसमें हमारा लक्ष्य 1 लाख 94 हजार 130 किलोमीटर का है, जिसमें अभी 31 मार्च तक 13 हजार 8 सौ 31 गांवों को कनैक्टिविटी मिल गयी। वर्ष 2007-08 के दौरान 12,100 गांवों की आबादी से जोड़े जाने की सम्भावना है, शेष आबादी 15,430 गांवों को 2009-2010 के दौरान शामिल किया जायेगा। इस प्रकार 59461 गांवों को कनैक्टिविटी मिलेगी। इसमें क्वालिटी का सवाल लोगों ने उठाया है। क्वालिटी में थ्री टीयर सिस्टम में से दो टीयर सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के पास और एक टीयर हमारे पास है। इसमें उनको भी हमने जिम्मेदार ठहराया है, उसमें मानिटरिंग होती है, उनसे हम एक्शन-टेकन रिपोर्ट लेते हैं वे उसकी भी वैबसाइट पर सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की योजना आयोग ने प्रशंसा की

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

है कि इस तरह से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और एमआईएस सिस्टम उसमें भी काम कर रहा है और उसी की नकल सब लोग कर रहे हैं। हमने यह भी कहा है कि माननीय सदस्यों को वहां का ऐसी इन्वाइट करेगा, सड़क का जाइंट इंस्पेक्शन होगा और माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे आग्रह करके जरूर समय मांगे और समय उनको देना चाहिए।

दूसरा, शिलान्यास का सवाल उठा। शिलान्यास का इस सदन में ऐलान किया और सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को हमने पत्र लिखा। लेकिन फैडरेशन है, फैडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग कार्यक्रम चलता है। माननीय ब्रिजेश पाठक जी नहीं हैं, उन्हीं की पार्टी के सदस्य बोल रहे थे कि अब राज्य सरकार उनको नहीं पूछती है, उनकी पार्टी की हुकूमत भी हमारे एमपी को नहीं पूछती है। वहां से कह दिया कि रुपए नहीं हैं। महोदय, 5000 रुपए शिलान्यास उद्घाटन के लिए मंजूर किए, उसकी चिट्ठी श्री हरिकेवल को नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदयः आप इतना रुपया शिलान्यास के लिए क्यों देते हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब दुश्मन की तरह हम पर अटैक कर रहे थे। हम सदस्यों के साथ हैं कि इनकी मजबूती बढ़े, इनका सम्मान बढ़े, इनकी ताकत बढ़े। पूरे देश में हमारा माननीय सदस्यों के अलावा कोई नहीं है इसलिए मैं माननीय सदस्यों पर भरोसा करके, उनका सहयोग लेने-देने के लिए तैयार हूं, ताकि गरीबों को लाभ मिल सके। माननीय सदस्य को चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन वह चिट्ठी मुझे मिल गई है। माननीय सदस्य को भी चिट्ठी मिल जाएगी, क्योंकि भी वह चिट्ठी रास्ते में होगी। हमने कहा है कि माननीय सदस्यों के द्वारा अनुशंसित योजनाओं को लेना है। अगर उन योजनाओं को नहीं लेते, तो उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारी अपेक्षा है, प्रार्थना है, सदन से तथा माननीय सदस्यों से भी कि आप जरूर रुचि लें।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारत निर्माण योजना है। उसके लिए राजस्थान के लोग कह रहे थे कि और पैसा दीजिए। उनके राज्य के लिए जितना पैसा था, उससे दस गुना पैसा हम दे चुके हैं। हम राज्यों को यह भी कह रहे हैं कि हम जितना पैसा दे रहे हैं, उसे आप खर्च कीजिए। लक्ष्मण सिंह जी कह रहे थे कि तीन चार राज्य पिछड़ गए हैं। पन्द्रह राज्य पिछड़ गए थे, लेकिन सभी राज्यों ने प्रगति की है। परफोर्मेंस रिव्यू कमेटी की पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। सभी राज्यों ने इम्प्रूव किया है। महाराष्ट्र के माननीय सदस्यों का भाषण भी सुना कि बहुत पीछे थे। महाराष्ट्र ने भी तरक्की की है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि कई राज्य पीछे थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः सड़क निर्माण के बारे में कहना चाहता हूं। इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट है कि एक करोड़ रुपया यदि एक सड़क के लिए लगाते हैं, तो उस एरिया के 1640 परिवार बीपीएल से एपीएल हो जाते हैं। पढ़ाई में वृद्धि, अस्पताल आने-जाने की सुविधा, किसानों को आने-जाने की सुविधा, उनको फसल की अच्छी कीमत मिलती है। सड़क से बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। यूएनओ ने कहा है कि सैवन टाइम्स ग्रोथ बढ़ जाती है, यदि सड़क बन जाती है। हम नाली में पैसा नहीं डाल रहे हैं। इससे रूरल इंडिया की इकनोमी पर अच्छा असर पड़ रहा है और अच्छा असर दिख रहा है।

दूसरा बिन्दू भारत निर्माण में इंदिरा आवास योजना का है। शुरू में जहां 85 हजार करोड़ रुपयों का हमारा तीन खंडों के लिए लक्ष्य था, उसमें 12 हजार करोड़ रुपया इंदिरा आवास योजना के लिए था। हमने इसमें बढ़ोत्तरी की है। इससे पहले 12000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाते थे, बाद में बाढ़ कर 20000 हुआ, उसके बाद 25000 हुआ और अब बढ़ कर 35000 रुपए कर दिया है। हिली एरिया में 38500 रुपए किया गया है। कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी पैसा दे रही हैं। इतना ही नहीं, बजट भाषण में फैसला हुआ, हम केबिनेट में भी इस बात को ले गए और मंजूरी मिल गई। एक अप्रैल से उसे लागू कर दिया कि अगर कोई अच्छा मकान बनाना चाहता है, तो 15000 से 20000 रुपए वह 4 परसेंट इंटरेस्ट पर लोन से सकता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने निदेश दे दिया कि वह 35000 से बदले ऋण लेकर 50000 रुपए तक खर्च करके अपना घर बना सकता है, यह भी प्रावधान किया गया है और राज्य सरकारें अपनी तरफ से इसमें जोड़ रही हैं। हमने भारत निर्माण योजना में चार वर्षों में 60 हजार मकानों का लक्ष्य रखा था, लेकिन तीन वर्षों में ही हमने 45,83,000 मकान दिए हैं। चौथे वर्ष में इस साल 21 लाख मकान और बनाने हैं। 7,48,000 मकान निर्माणाधीन हैं। लक्ष्य से हम आगे चल रहे हैं और हम आगे जाएंगे भी। इस साल 21 लाख मकान बनाने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत निर्माण में सफलता से हम आगे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

देश में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन के पास एक इंच जमीन रहने के लिए नहीं है। वे सड़क किनारे, मंदिर के मकान में और स्कूल में डेरा डाल कर रहते हैं। इंदिरा आवास की मंजूरी के बाद

भी उनके लिए मकान नहीं बनता था क्योंकि जमीन नहीं थी। इतिहास में प्रथम बार हम सौ करोड़ रुपए खर्च करके होम स्टेट लैंडलैस के लिए जमीन खरीद कर इंदिरा आवास के अधीन मकान बनाएंगे, हमने उसके लिए प्रावधान किया है। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि इसके लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिस के पास एक इंच जमीन नहीं है, वह गाना गा रहा है कि ''सारे जहां से अच्छा हिन्दोसतां हमारा'' जिसके पास एक इंच जमीन नहीं वह भी कह रहा है ''हिन्दोस्तां हमारा'' हम इन विसंगतियों को दूर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारों और माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है।

पानी पर बहुत चर्चा हुई है। पानी में तीन समस्याएं हैं-पानी की उपलब्धता, उसे कायम रखना और उसकी गुणवत्ता। शुरू में जो आंकड़े मिले थे कि जहां 5920 गांव कवर्ड नहीं हुए हैं, जहां पेयजल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 10 लीटर से भी कम है, उसे नाट कवर्ड कहते हैं। 10 लीटर से 40 लीटर के बीच को पार्शली कवर्ड कहते हैं। नाट कवर्ड कितना था 5920 और पार्शली कवर्ड कितने थे-69 हजार। हमने 74 हजार गांवों के लिए भारत निर्माण में लक्ष्य रखा है लेकिन इधर लक्ष्य रखा, उधर स्लिप बैक हो गया। स्लिप बैक की भी बीमारी है। इस प्रकार दोनों मिला कर भारत निर्माण में लक्ष्य रखा है और हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। इसमें अभी तक क्या हुआ है? 2003-04 में 2565 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2008-09 में 7300 करोड़ रुपए खर्च होंगे यानी तीन गुना खर्च होंगे। 6 वर्षों में 11 हजार 820 करोड़ रुपए और चार वर्ष में 18 हजार 30 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सब को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। गरीब आदमी को जो पानी मिलता है, वह उसे पी लेता है और उससे बीमार होता है। 50 परसेंट बीमारियां अशुद्ध पानी और सफाई नहीं रहने के कारण गरीबों को होती हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य उस काम को करने का है। 11वीं योजना में 49,490 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है लेकिन यह 50 हजार करोड़ रुपए तक जाएगा, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): कुंए की खुदाई के बारे में क्या योजना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कुंए की खुदाई एनआरईजी में मंजूर है। सस्टेनेबिलिटी के लिए इस बार सौ परसेंट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की कठिनाई है क्योंकि उनके सामने रिसोर्स क्रंच है। इसलिए हमारा सस्टेनेबिलिटी पर जोर है। क्वालिटी आफ आफ लाटर के मामले में 2 लाख 16 हजार हैबिटेशन्स में अशुद्ध पानी है। पश्चिम बंगाल, बिहार जो गंगा जी के किनारे हैं, वहां जहरीला पानी है। आंध्र प्रदेश में नालगोंडा इलाके में, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में भी यही समस्या है। ...*(व्यवधान)* राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में सबमिशन केवल क्वालिटी आफ वाटर के लिए था लेकिन इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया था। हमने उसे पुनर्जीवित किया है। हमने कहा कि उसके लिए अलग से पैसा देकर मंजूर करेंगे और जो भी पैसे लगेंगे, देंगे। हम जानबूझकर जहरीला पानी गरीब आदमी को पीने नहीं देंगे।

एक-आध सवाल माननीय सदस्यों ने उठाया कि पानी की जांच होनी चाहिए। उसके लिए क्वालिटी एंड सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत प्रत्येक पंचायत में वहीं के पांच व्यक्तियों का चयन करके और ट्रेनिंग देकर, किट्स का प्रावधान करेंगे। सभी पानी की जांच अनिवार्य है। राज्य सरकारों को हरेक जिले में पानी की जांच के लिए लैबोरेट्री, स्टेट लैवल पर रैफरल लैबोरेट्री, हाई टैक्नालोजी के इक्विपमेंट्स के लिए पैसे दे दिए हैं। कोई आगे और पीछे काम कर रहे हैं। हरेक पंचायत में वहां के पांच आदमी ट्रेंड होंगे।

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): इन सब के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसके लिए भी प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय: जो किया है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल होना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 12वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पंचायतों के लिए पीने के पानी और सेनिटेशन को टाप प्रियारिटी दी है और पांच वर्षों में बीस हजार करोड़ रुपए पंचायतों में जा रहे हैं। हम इस पर खर्च करने की जानकारी माननीय सदस्यों को दे रहे हैं जिससे मानिटरिंग और विजिलेंस करने में सहूलियत होगी।

जब भाषण हो रहा था तब माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे, उन्होंने स्कूल में सेनिटेशन और पानी की व्यवस्था के लिए चिंता व्यक्त की। हमने जो भी खर्च होना है, सभी राज्यों को पैसे दे दिए लेकिन कुछ राज्य आगे-पीछे डेट बढ़ा रहे हैं, पहले 31 दिसंबर, 2007 थी फिर बढ़ाकर 31 मार्च की गई अब लगता है और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम इसमें भी सफलता की ओर जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल में पानी और पखाना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अभी हाल में बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया ''स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जायेगा जो वर्ष 2008-09 के दौरान पानी की गुणवत्ता की समस्या प्रभावित ग्रामीण स्कूलों में सुधारने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।''

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इस वर्ष जहां जिस विद्यालय में पानी की क्वालिटी प्राब्लम है उसके लिए 200 करोड़ अलग से दिए गए। इस तरह से स्कूल में केवल पानी के लिए यह किया गया है और पखाना के लिए पैसा अलग से भेज चुके हैं। एआरडब्ल्यूएसपी स्कीम के अंतर्गत 100 लोगों की जनसंख्या से भी कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): क्या आपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुछ किया है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बाद में बताएंगे क्योंकि यह सेनिटेशन के विषय में आता है। हमने पानी के संबंध में संक्षेप में बता दिया है। गांधी जी ने कहा था "स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है।" आजादी की लड़ाई के समय में गांधी जी ने जो कहा था हम उसे भुला गए थे। सन् 1981 में देहाती इलाकों में एक प्रतिशत शौचालय थे, 1991 में 11 प्रतिशत हो गए, 2001 में 21.9 प्रतिशत यानी लगभग 22 प्रतिशत हुए लेकिन 2001 के बाद इन तीन-चार वर्षों में 50 परसेंट से ज्यादा शौचालय हो गए हैं। हमने निर्मल हिन्दुस्तान, निर्मल भारत का लक्ष्य रखा है कि दस फीसदी, एक करोड़ शौचालय हर साल बनाएंगे। शौचालय के लिए पैसे छः सौ रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए लेकिन अब माननीय सदस्यों की मांग हो रही है कि पैसा बढ़ाइए। हम उनकी मांगों से सहमत हैं, हम तुरंत इस विषय को कैत्रिनेट में ले जा रहे हैं। माननीय सदस्यों की मांग इसमें मंजूर हो जाएगी तो पखाना बनाने की पर यूनिट कास्ट बढ़ जाएगी। सेनिटेशन में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता की भावना के लिए शुरू किया गया। इसका नाम उन्होंने रखा लेकिन कार्यान्वयन हमने किया। वर्ष 2005 में 40 पंचायतों से यह कार्यक्रम शुरू किया गया, वर्ष 2006 में बीस गुना बढ़ोत्तरी हुई यानी 770 और तीसरे साल 2007 में 4945 लगभग 5000 पंचायतों में शुरू हुआ। इस साल 30,000 पंचायतों और बारह जिलों को मिला है जबकि पहले यह कुछ ब्लाकों को मिला था। अब इस कार्यक्रम ने अद्भुत टेक आफ किया है। माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था कि हम इकनामिकल इंडीकेटर का कुछ मतलब नहीं समझते जब तक हर घर में पानी और पखाना की व्यवस्था नहीं होगी, सारे इकनामिकल इंडीकेटर बेमाने हो जाते हैं इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मिलिनियम डेवलपमेंट में यूएनओ में पढ़ालिखी की कि वर्ष 2015 तक 50 फीसदी कीजिए। हमने कहा नहीं, 2012 तक पचास फीसदी नहीं, हम सौ फीसदी करेंगे, इसलिए मिलेनियम डैवलपमैन्ट गोल से हम आगे चल रहे हैं।

महोदय, गांवों में सालिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमैन्ट का काम चल रहा है। गांवों में कूड़ा-कचरा सारी सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पड़ा रहता हैं। नाली-नाली में पानी जमा रहता है, चापाकल चलते हैं, जिनके कारण सड़कों पर पानी जमा रहता है, चारों तरफ गंदगी सड़ती है, जिसके कारण मक्खियों भिनकती हैं, कीटाणु फैलते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए टोटल सेनिटेशन कैम्पेन का 15 फीसदी सालिड एंड लिक्विट वेस्ट मैनेजमैन्ट पर खर्च करने के लिए हमने कहा है और उसकी शुरूआत भी जहां-तहां हुई है।

जिस तरह से निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है, उसी तरह से जल वाली योजना भी हमने पुरस्कार के लिए स्वीकार कर ली है कि जो गांव जल के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टाप वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन को टाप प्रायोरिटी दी जा रही है। वर्ष के बूंद-बूंद पानी को एकत्र किया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर और कंटेमिनेशन आफ वाटर की सभी तरह की समस्या हल हो जायेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। हम वर्ष 2008 में बहस कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2008 में यू.एन.ओ. ने इंटरनेशनल सेनिटेशन ईयर भी रखा है। इसलिए इसमें भी हम अद्भूत विकास और उसकी सफलता की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रामीण विकास से संबंधित जो तीन खंड हैं, वे इसमें होने जा रहे हैं। इसके अलावा तीन खंड और हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के अधीन सभी गांवों का, हर टोले का वर्ष 2009 तक विद्युतीकरण, 2012 तक प्रत्येक परिवार में विद्युतीकरण, बी.पी.एल., गरीब आदमी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स घरों में मुफ्त में बिजली कनैक्शन, राजीव गांधी विद्युतीकरण का यह मैनडेट है। इसके बाद लोगों ने जनरेशन के बारे में कहा था। जनरेशन का काम पिछले वर्षों में पीछे चला था। लेकिन अब जनरेशन में पानी, पनबिजली की फुल पोटेन्शियलिटी का हम इस्तेमाल करेंगे और कोयले वाली ताप बिजली का भी इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम लोग परमाणु बिजली भी चाहते हैं, लेकिन वामपंथी पार्टी के नेता लोग उसमें अगर-मगर कर रहे हैं। फिर भी बिजली की आत्मनिर्भरता के लिए इन सभी स्रोतों से हमें बिजली चाहिए, जिससे घर-घर बिजली, 24 घंटे बिजली हम पहुंचा सके। इसलिए विद्युतीकरण की योजना का भी उसमें समावेश हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, वेज इम्पलायमैन्ट प्रोग्राम के बारे में बता दिया। लेकिन गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी तब तक नहीं हटेगी, जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार लगभग पांच से छः करोड़ होंगे। इन पांच-छः करोड़ परिवारों में कम से कम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, यदि नौकरी नहीं तो रोजगार, स्वरोजगार, सैल्फ इम्पलायमैन्ट अथवा

प्रोटक्टिव सैल्फ इम्पलायमैन्ट के अधीन हमें उन्हें लाना है। हमने यह लक्ष्य रखा है। हमने सात साला योजना तैयार की है। सात वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले प्रत्येक परिवार को हमें रोजगार अथवा स्वरोजगार वर्ष 2015 तक देना है। जिसमें हर बीपीएल परिवार में कम से कम तीन हजार रुपये की एडीशनल इंकम की बढ़ोत्तरी हो जाए। उसमें ज्यादा नहीं कम से कम तीन हजार, चार हजार, पांच हजार या आठ हजार हो जाए तो और अच्छा है। इसीलिए हमने लक्ष्य रखा है कि 11वीं योजना के अंत तक प्रत्येक परिवार में कम से कम एक स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो जाए। सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैन्ट चले। विभिन्न माननीय सदस्यों ने चर्चा की, पहले मुझे आशंका थी कि हमारे सदस्यगण सैल्फ इम्पलायमैन्ट प्रोग्राम, एस.जी.एस.वाई., सैल्फ हैल्प ग्रुप के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि और विश्वास भी बढ़ रहा है कि सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैन्ट भी अभी तक 29 लाख स्वयं सहायता समूह का सदस्य हुआ है और 29 लाख सैल्फ हैल्प ग्रुप का गठन हो जायेगा। प्रत्येक परिवार में एक स्वयं सहायता समूह को हमने अनिवार्य किया है।

इसके अलावा उनके बैंकों में खाते खुलेंगे। बैंकों की सहायता के बिना गरीबी नहीं हट सकती, इसलिए बैंकों की सहायता अनिवार्य है। जहां-जहां बैंकों के द्वारा नान-कोआपरेशन है, असहयोग है, लेकिन हम उससे भी निपट रहे हैं। इसीलिए टोटल स्वरोजगारी असिस्टेड 99 लाख और इसमें 52 लाख वूमैन हैं। लोग चाहते हैं कि महिलाओं को यहां एक-तिहाई आरक्षण दे दीजिए। वह रियल वूमैन इम्पावरमैन्ट नहीं है। रियल वूमैन इम्पावरमैन्ट स्वयं सहायता समूह में है। 7 फीसदी महिलाएं जब झुंड बांधकर चलती हैं, अकेली महिला ब्लाक में जाती है कि भागो, भागो, बैंक में भागो, भागो, और जब स्वयं सहायता, ग्रुप रियल वूमैन एम्पावरमैन्ट होगा, उनका जब मनोबल और आत्मनिवश्वास बढ़ेगा, बैंक में खाता खुलेगा और उनको भी लगेगा कि हम देश के मजबूत नागरिक हैं तो रियल वूमैन एम्पावरमैन्ट वहां पर है। इसीलिए हमने एक और काम किया है कि देश और दुनिया में डिमांड का पता लगाया जाए कि कैसे लोगों की मांग, उस तरह की क्वालिटी वाली ट्रेनिंग और स्किल डैवलपमेंट और मस्ट प्लेसमेंट यह प्रयोग शुरू किया है। केन्द्रीय आबंटन का 15 प्रतिशत रोजगार सृजन के लिए वैकल्पिक माडलों को सृजित करने हेतु विशेष परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। परिवार का बीपीएल यूथ हो, लड़का हो या लड़की हो, उसे ट्रेनिंग देकर जैसे अभी तक 9 प्रोजेक्ट्स मंजूर किये हैं। कुशलता विकास और रोजगार देने के लिए ग्रामीण बीपीएल युवकों को लिया गया है जिन पर कुल 117 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बड़े कम खर्च में वे बीपीएल और एपीएल में हो जाता है। आज तक विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में 35,000 ग्रामीण युवकों को रोजगार के काम में लगाया गया है। 27000 लोग 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हें 3000, 5000, 8000 और 9000 रु. महीना मिल रहा है। उस कश्मीर के लड़के ने भाषण दिया कि हम आतंकवाद में जाते हैं लेकिन मैं जी लूंगा और अंधेरा अब नहीं रहेगा और अपने परिवार को भी मैं खींच ले चलूंगा। इस तरह का आत्मविश्वास हमने नौजवानों में देखा। इसीलिए स्वयं सहायता समूह आंदोलन और स्वरोजगार प्रत्येक परिवार को वर्ष 2015 तक इकानोमिकल एक्टिविटीज ग्रेड 1, ग्रेड 2 उनके लिए बहुत सदस्यों ने मार्केटिंग का सवाल उठाया। ये हमारी गरीब महिलाएं और गांव में बसने वाले आर्टिसन्स, रंग-बिरंगे सामान, कपड़े, कागज, पत्थर, मिट्टी, लोहा, तांबा और पीतल के सभी तरह के फूड आइटम्स बनाते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं है। हमने प्रीतमपुरा, प्रगति मैदान और राजीव गांधी भवन में जसोला में भारत सरकार की ओर से मार्केटिंग के लिए सभी राज्यों से कहा है कि राजधानी में जिले में आप जमीन दीजिए, दुकान का पैसा हम देते हैं, 13 राज्य आगे आये हैं कि मार्केटिंग आफ रूरल प्रोडक्ट में जो गांव के गरीब आदमी द्वारा बना हुआ सामान दिल्ली, पटना, कलकत्ता और विदेश के बाजारों में जब बिकेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए मार्केटिंग आफ रूरल प्रोडक्ट, उसका भी उनको ट्रेनिंग, उनकी पैकेजिंग, उनका डिजाइनिंग, उनका ब्रांडिंग ये सभी मार्केटिंग के आयाम किये जाएं तो इस तरह से हमने सैल्फ एम्पलायमेन्ट प्लानिंग का काम किया है। इसीलिए जमीन का जो सवाल है और लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट भी और हमारे वामपंथी नेता, उनके लोग बड़े चिन्तित होते हैं कि लैंड रिफार्म्स का क्या हुआ, उनकी जमीन का क्या हुआ? उनका सवाल वाजिब है और हमारा भी अधिकार उनको जानकारी देने का बनता है कि कैसे हो रहा है। इसीलिए हमने एरिया डैवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्ट लैंड डैवलपमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डैवलपमेंट प्रोग्राम, डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम और ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम इत्यादि सभी प्रोग्राम्स चलाए। 966 के लक्ष्य के विरुद्ध 1227 परियोजनाएं पूरी की गयी है। टार्गेट 966 था और 1227 प्रोजेक्ट्स पूरे किये। लोगों ने पूछा कि कितना एरिया किया? 9.22 यानी 9 लाख 22 हजार हेक्टेअर में किया। सेन्ट्रल शेअर रिलीज 1164 करोड़। एलोकेसन-1164 करोड़। पाई-पाई खर्च किया। कामन गाइडलाइन्स तैयार की है। अभी प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लालकिले से ऐलान किया था, नेशनल रेनफैड एरिया आथोरिटी, कामन गाइडलाइन, इरीगेशन डिपार्टमेंट, फारेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर-जो लागू कर रहे हैं और हम मेजर रूप में लागू कर रहे हैं। इसलिए हमारी कामन गाइडलाइन्स तैयार हो गई हैं और उसकी मंजूरी हो गई है। सामान दिशानिर्देश 2008 को लागू करने की योजना को सभी राज्यों को भेज दिया गया है। सभी राज्यों को दे दिया है और उसका सम्मेलन भी करने जा रहे हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

[अनुवाद]

विस्तृत समीक्षा के लिए जोनल बैठकें निर्धारित की गयी हैं। व्यवसायिक सहायता, आईईसी के लिए योजना बनायी गयी है और क्षमता निर्माण संस्थानों की पहचान की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाए जाने हैं।

एकीकृत बंजरभूमि प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/जिला/पनधारा स्तरों के लिए एमआईएस विकसित किया जा रहा है।

एकीकृत बंजरभूमि प्रबंधन कार्यक्रम के लिए अनुदानों की मांगें 2008-09 में 1825 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अब लैन्ड रिफार्म्स की बात सुनी जाए। राष्ट्रीय पर्यावास और पुनर्वास नीति 2007, श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सवाल उठाया था कि भारत के संविधान की धारा 73 के मुताबिक स्टैटुटरी दर्जा दे दिया, कानून लागू हो गया, फिर भी उसका एनैक्टमैंट करने के लिए आपके अधीन स्टैन्डिंग कमेटी में है। हन्नान मोल्लाह साहब से हमने प्रार्थना की है कि जल्दी रिपोर्ट दे दी जाए। उससे संबंधित लैन्ड एक्वीजीसन अमैन्डमेंट बिल, जो क्रांतिकारी है, देश भर के कंसलटेशन से बनाया। सब लोगों ने प्रशंसा की है। स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम उसे पारित कराने को तैयार हैं। हालांकि रीहैबिलिटेशन पालिसी को कानूनी दर्जा दे दिया है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतगर्त) 582 जिलों, 4484 तहसीलों/तालुकों/ब्लाक/आंचल और 1045 सब-डिविजन्स को कवर किया गया है और 581.61 करोड़ रुपए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए हैं।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने और भूमि अभिलेखों के अद्यतन करने के लिए स्कीम के अंतर्गत, उसमें 475 करोड़ रुपये राज्यों को दे दिये हैं और वे स्टेट शेयर के साथ खर्च करेंगे। उसके बाद एक नयी स्कीम हम बनाने जा रहे हैं-राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसमें खाता खतियान सब अद्यतन हैं। सर्वे, डिजिटल और रिमोट सैंसिंग टैक्नोलाजी का इस्तेमाल करके यह कर रहे हैं। टोडरमल के समय से यह शुरू हुआ और अभी तक हल नहीं हुआ। छ-सात वर्षों में हमने लक्ष्य रखा है हरेक जमीन का जहां सर्वे नहीं हुआ, अद्यतन लैन्ड रिकार्ड्ज नहीं हैं, खाता खतियान देखने के लिए किसान जाता है तो आठ दिन तक रिकार्ड नहीं मिलता। नागरिक सेवाएं प्रदान करके, अब तुरंत एक हाथ से पैसा डालेंगे, दस रुपये में रिकार्ड आफ राइट्स मिलेगा। लैन्ड रिफार्म्स के लिए राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति गठित हो गई, हमारी अध्यक्षता में बैठक हो गई, 8 को सब-कमेटी बना दी, वह कार्यरत है। देश भर के जमीन के विशेषज्ञों को उसमें लगाया गया है। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित हो गई है और हम काम शुरू करने जा रहे हैं। समिति की पहली बैठक हो चुकी है और सात उप-समूहों का गठन गहन समीक्षा/अध्ययन के लिए किया गया है। उसमें आप लोगों के सुझाव, आपकी भागीदारी और आपकी जानकारी की हमें अपेक्षा है और हमें सहायता चाहिए। फिर बायो-डीजल का लोगों ने सवाल उठाया है। बायो-डीजल संबंधी राष्ट्रीय मिशन तैयार है। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स में वह पड़ा हुआ है लेकिन दो वर्षों में 50-50 करोड़ रुपये हमने राज्यों की सहायता की है कि वह जैट्रोफा और पुंगामिया का सीडलिंग्ज और प्लांट्स तैयार करने के लिए पांच वर्षों में पांच लाख हैक्टेयर वेस्टलैन्ड में उसको लगाया जाए जिससे तेल की कमी का कुछ मुकाबला उससे भी हो सके। दुनिया के मुल्क इस क्षेत्र में काफी बढ़ रहे हैं।

इसलिए ये सभी सवाल जो हमारे विभाग ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल डैवलपमैंट और ड्रिंकिंग वाटर एंड लैन्ड रिसोर्स है, उसका मोटा-मोटा आकलन और जानकारी हमने माननीय सदन के सदस्यों को दी है। लगभग 40 सदस्यों ने इनडिविजुअल विभिन्न किस्म की रुचि से उत्साहपूर्वक जानकारी के बाद सवाल उठाए हैं। उनको भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी देना हमें आवश्यक है। श्री काशीराम राणा जी, जो फार्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट है एनआरईजीए में। सामान्यतः सीएजी तीन-चार साल के बाद पोस्टमार्टम करती है। हमने सीएजी को आग्रह किया कि आप शुरू में जाइए और जांच करके बताइए, जो कमी है, उसको हम दूर करेंगे और राज्य सरकारों से दूर कराएंगे।

इसलिए जहां-जहां इन्होंने कमियां गिनाई हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना फेल होने वाली है। फार्मर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऐसा कह दें, इससे बहुत तकलीफ हुई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शुरू में कठिनाईयां होती हैं और जानकारी के अभाव में गड़बड़ियां भी होती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी में कम काम मिला है। श्री नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था और आपने भी इंटरनेशनल कांफ्रेंस में जिक्र किया था। एक करोड़ 13 लाख बीपीएल है, सन् 2001 की जनगणना के हिसाब से वहां कुल रूरल हाउस होल्ड देहात के परिवारों की संख्या एक करोड़ 26 लाख है और वे कह रहे हैं कि एक करोड़ 13 लाख बीपीएल हैं। बिहार में 95 फीसदी बीपीएल हैं, इस तरह से हिसाब होता है और कांफ्रेंस में ये सब बातें होती है। मैं एक करोड़ 13 लाख मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक जाब कार्ड केवल 64 लाख बांटे हैं। इन्होंने बीपीएल वालों को भी जाब कार्ड

नहीं दिया और अगर जाब कार्ड नहीं दिया है तो काम कहां से देंगे, जब कि बीपीएल और एपीएल का भेद नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहां ए टू जैड सब परिवारों में कागज बांट दिए। कलेक्टर और ज्वाइंट सैक्रेट्री के घर में भी जाब कार्ड भेज दिया और यह बात अखबारों में छपी। सैक्रेट्री से पूछा कि आपने कलेक्टर के घर में भी जाब कार्ड भेज दिया तो उसने कहा कि साहब, गलती हो गई। मांग करने से देना है, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या कलेक्टर को कोई जाब मिला, जाब नहीं मिला तो पैसा मिल गया होगा?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसमें यह है कि काम की मांग करना, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो काम की मांग नहीं करेगा, जिन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कोई यह नहीं कहेगा कि हमें जाब कार्ड नहीं मिला। लेकिन बिहार और यूपी में गरीब लोगों को जाब कार्ड भी नहीं मिला। इस बात के लिए बार-बार लिखा-पढ़ी की गई। वहां पहले श्री मुलायम सिंह जी थे और अब मायावती जी हैं। अभी उनकी पार्टी के लोग यहां बैठे नहीं हैं, नहीं तो हम उन्हें इस बारे में बताते। ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): एनआरईजीपी का हालत भी यही होगा। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें चोरी और निधियों के दुरुपयोग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं कि उसमें सोशल आडिट का प्रावधान है। कोस्टल एरिया में सेलिनिटी बढ़ी है और उन्होंने इस बात को मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि हमने इसे रोक दिया है। ये गलत कह रहे हैं। सन् 2004 में 85 लाख रुपया मिला, मार्च 2007 में 29 लाख रुपए दिए और जून 2007 में दो करोड़ 78 लाख रुपए दिए। इस प्रकार से कुल मिला कर उन्हें तीन करोड़ 93 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसका किसी ने ठीक से खर्च नहीं किया। इसका किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया। इसके लिए किसी ने कुछ पूछा नहीं और न ही एक्सटेंशन मांगा तो हम क्या करें। सन् 2004, मार्च 2007 और जून 2007 में तीन करोड़ 93 लाख रुपए दे दिए। दूसरी योजना में उन्होंने जनवरी में 76 लाख का जिक्र किया था और फरवरी, 2007 में दो करोड़ 91 लाख दिया, कुल तीन करोड़ 68 लाख रुपए दिए। हमने उन्हें इसके लिए रोका नहीं, लेकिन उनकी एजेंसी ने काम नहीं किया, उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। वे ये सब चीजें देख कर बताएं, इसके लिए हमने उन्हें सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर वे हिसाब नहीं देते तब भी उन्हें पैसे देते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: तब हम उन्हें पैसे नहीं देते हैं। उन्होंने पीने के पानी की समस्या का जिक्र किया, लेकिन यह बताया गया कि उन्होंने जो खर्च किया था, जब मंत्री थे, उसका हम तीन-चार गुना खर्च कर रहे हैं। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी यहां नहीं हैं, उन्होंने बड़ा ही अध्ययन करके, जानकारी और मजबूती के साथ सभी योजनाओं का वर्णन किया है। आईएवाई की कीमत में 35 हजार की वृद्धि हुई है, उसे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। एनआरईजीपी सभी जिलों में लागू हो गया, उनकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह ने सभी योजनाओं के बारे में बताया। एन.आर.जी.पी. कानून बनाने के वक्त से पास कराने और लागू कराने में सभी वामपंथी नेताओं का बड़ा भारी योगदान रहा है और हन्नान मोल्लाह साहब तो मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के एक्टिव मैम्बर हैं। इसलिए ज्यादा मुस्तैदी से इस काम को देखते रहे हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बी.पी.एल. सूची में गड़बड़ी का जिक्र किया है। उसे जानना जरूरी है। बी.पी.एल. में शुरू से, पुराने जमाने से, पहले आई.आर.डी.पी. प्रोग्राम होता था, तब से यह चला आ रहा है। यह आठवीं और नौवीं योजना के समय की बात है। उस समय एक वर्ष में 12 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी का हिसाब था। यदि उससे कम हो, तो वे बी.पी.एल. में आएंगे। उसके बाद 12 हजार रुपए से बढ़ाकर उसे 20 हजार रुपए कर दिया गया। एक लाकड़ावाला कमेटी थी। उसमें फारेन से इकनौमिस्ट आए हुए थे। वे कैलोरी की बात करते थे। अब यह कैलोरी क्या है। अगर 1800 और 2200 कैलोरी से कम है, तो उसे बी.पी.एल. में मानेंगे। विदेशों में तो 4000 कैलोरी को मानते हैं। अब कैलोरी कितनी है, कहां से उसका कैलकुलेशन होगा और कैसे उसकी हिसाब लगाएंगे। उसकी कुछ आमदनी तो है ही नहीं। वर्ष 2002 में, दसवीं योजना के लिए, बी.पी.एल. के

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सर्वे करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे थे, उन्होंने यह बनाया है और अब वही लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। जो कर्ता-धर्ता थे, अब वही इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी थी। हमने प्रार्थना की कि हमें ट्रांसपरेंसी लानी है और इस बारे में पूरा ब्यौरा दीवाल पर टांगना है, जिससे गरीब आदमी जान जाए कि पूअरैस्ट आफ दि पूअर का मार्किंग के हिसाब से सबसे ऊपर नाम रहेगा। इसे कुछ राज्यों ने टांगा और कुछ राज्यों ने नहीं टांगा। इसी कारण से इंदिरा गांधी आवास योजना में हेरा-फेरी की शिकायत आ रही है और कहा जा रहा है कि चार या पांच हजार रुपए घूसखोरी की जा रही है। हम सब राज्यों से निवेदन कर रहे हैं कि उसे सार्वजनिक स्थान पर टांगिए।

महोदय, उसमें 13 पैरामीटर्स थे और 13 को 4 से गुणा करने पर 52 बनता है और 52 नंबरों में से जिन्हें जीरो नंबर मिलेगा, उसे पूअरैस्ट आफ दि पूअर माना जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं, मकान नहीं, दे पर कपड़ा नहीं, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। घर में एक सूप, बर्नी, चौकी और खटिया तक नहीं, तो उन्हें शून्य नंबर मिलेगा। अगर उसके पास कुछ है, तो उसे उसी के अनुसार 1, 2, 3 या 4 नंबर और इस प्रकार 52 नंबर तक मिलेंगे। किसी राज्य में 12, किसी में 13 और किसी में 14 नंबर वाला जो परिवार है, उसे बी.पी.एल. में माना गया है। योजना आयोग ने नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी राज्यों के बी.पी.एल. के परिवारों की संख्या को निर्धारित कर दिया है। अब राज्य के लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं। हम योजना आयोग से कह रहे हैं कि आप इस बात को साफ करिए, हमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। अब उन्होंने श्री सुरेश तेन्दुलक जो अर्थशास्त्री हैं और बहुत विद्वान हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो फिर से बी.पी.एल. को ठीक करेगी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, उसे हम देखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि आप भी अपने सुझाव उन्हें दें और यदि हमें देंगे, तो हम आपके सुझावों को उस कमेटी को पहुंचा देंगे। वह पहले से वर्ष 2002 से बी.पी.एल. सर्वे था। वह बहुत एकुरेट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वह एकुरेसी के बहुत निकट है। हरेक परिवार का वैबसाइट पर नाम है, ताकि जांच की जा सके। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, तो हमने कहा है कि ब्लाक लैवल पर अपील करे या फिर जिले या तहसील में अपील करे, तो उसका सुधार हो जएगा। यू.पी. आपका राज्य है, यदि कोई गड़बड़ी है, तो वहां से उसे ठीक करा लीजिए और उन्हें पूछिए कि क्यों गरीब का नाम कट गया, क्यों बड़े आदमी का नाम डाला गया? हेराफेरी हो सकती है और हुई होगी। उसके सुधार के लिए हमने प्रावधान रखा है।

महोदय, उन्होंने बजट की चिन्ता की थी। हमने एन.आर.जी.ए. का बता दिया। वित्त मंत्री के बजट भाषण में है कि यह डिमांड ड्रिविन है, जो भी खर्चा होगा, उतना खर्चा दिया जाएगा। 16 हजार करोड़ रुपए में से हम 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर लेंगे, तो फिर हम दावा करेंगे और इसी हाउस से सप्लीमेंट्री बजट पास कराएंगे। एम्पलायमेंट गारंटी फंड बनाने के बारे में और फंड फ्लो के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। इसमें प्रावधान है कि स्टेट एम्पलायमेंट गारंटी फंड बनाया जाए। उसके लिए जिले में पैसे जाने में सही मायने में कुछ दिक्कतें आई हैं। हम जिले को पैसे दे देते थे। जिले वाले सभी पंचायतों को पैसा बांट देते थे। हमने दिया 7 करोड़, उन्होंने सारी पंचायतों में बांट दिया कुछ पंचायतों ने 100 प्रतिशत खर्च कर दिया। इस प्रकार 30 करोड़ खर्च हो गया। 25, 30 या 40 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। वहां से हमारे यहां मांग आती है, लेकिन यहां फायनेंस डिपार्टमेंट कहता कि 60 परसेंट से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। वहां कुछ पंचायतों ने 100 परसेंट खर्च किया, कुछ ने नहीं किया कुछ जगह फंड डम्प हो गया और कुछ जगह ड्राई हो गया। इसलिए हमने स्टेट एम्पलायमेंट गारंटी फंड के लिए कानून बना लिया है। अब हम राज्य को ही पैसा दे देंगे, वे अपने जिलों में बांटेंगे। हम उसके लिए यहां पैसे नहीं रखेंगे, फार दि टाइम बीइंग यह चल रहा है।

श्री हन्नान मोल्लाह साहब ने एक सवाल उठाया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र नहीं देता है। वह जाब कार्ड के बाद काम मांगता है। यह जागरूकता में कमी के कारण हो रहा है। इसे हमने नोट किया है और हम इस बारे में काम कर रहे हैं।

मिनिमम वेजिज पहले नागालैंड में 25 रुपए था। नार्थ ईस्ट में 40 रुपए से कम था। केरल में 125 रुपए प्रति दिन था, लेकिन इस क्रांतिकारी कदम से मिनिमम वेज के कारण मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी बढ़ी। गुजरात के लिए मिनिमम वेज 50 रुपए है, लेकिन जितना एक दिन में काम किया जाता है, उससे आधा करते हैं। अगर ठीक हिसाब किया जाए तो वह 100 रुपए बनता है, लेकिन देखने में वह 50 रुपए लगता है। एक्ट में प्रावधान है कि स्टेट का मिनिमम वेज, जो भिन्न-भिन्न हैं, एग्रीकल्चर वेज है, वही एनआरईजी प्रोग्राम का भी वेज रहेगा, जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज न डिक्लेयर कर दे। विभिन्न किस्म का शेड्यूल आफ रेट जिलों में है, इसलिए हमने अभी उनमें अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन उस बारे में हमारी दो चिंताएं हैं कि किसान का अहित न हो। किसानों की खेती अभी मकैनिकल नहीं हुई है, खेती अभी भी मजदूरों पर आधारित है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जिससे रोजगार गारंटी के चलते किसानों को मजदूर न मिलें। हम गांव में गए थे, तब एक किसान ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है कि मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना चलाई है। लेकिन हमारे लिए भी मजदूर गारंटी योजना चलाइए,

क्योंकि हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यह संतुलित रखना पड़ेगा कि किसानों का भी अहित न हो। लेबर कम्पोनेंट भारत सरकार देती है, तो राज्य सरकारें क्रांतिकारी बनने लगीं, लेकिन किसानों का क्या होगा? किसानों के खेत में अगर मजदूर नहीं जाएंगे, तो खेती कैसे होगी, इसलिए हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि जब मजदूरों को काम न मिले और उनके पलायन की नौबत आ जाए, तो उन्हें सौ दिन का काम मुहैया कराया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि दो सौ दिन का रोजगार दे दीजिए, कुछ कहते हैं कि पूरे साल काम क्यों नहीं मुहैया कराते हैं। यह हमने इसलिए किया है कि खेती पर भी कुप्रभाव नहीं डालना चाहिए। खाद्य पदार्थ इम्पोर्ट करने की स्थिति पैदा हो गई है, हम इससे और ज्यादा हालत खराब नहीं होने देंगे। इस कारण संतुलित और सम्यक विचार होना चाहिए कि किसानों का भी हित हो और मजदूरों का भी शोषण न हो। मजदूरों को भी उचित मजदूरी मिले।

एक माननीय सदस्य ने स्कूल में शौचालय में पानी न होने का सवाल उठाया था, उसके बारे में बता दिया, फंड्स के बारे में भी बता दिया। नौ घंटे काम करने के लिए हमने लेबर विभाग से राइट लिया है। नौ घंटों में से एक घंटा हमने बीच में आराम दिया है, मजदूर खैनी वगैरह खाएगा, खाना खाएगा, आराम करेगा, इसलिए आठ घंटे काम और एक घंटा आराम के लिए रखा है।

हमने मोटे तौर पर कार्यों की सूची रखी है। वाटर कंजर्वेशन, फ्लड प्रूफिंग, माइनर इरिगेशन, ड्राउट प्रूफिंग और रूरल कनेक्टिविटी की हमने टाप प्राथमिकता में रखा है, लेकिन किसी खास राज्य में, किसी खास जिले में किसी अन्य कार्य के लिए, राज्यों के साथ परामर्श करके नया काम भी उसमें जोड़ सकते हैं, ऐसा हमने प्रावधान किया है और आपने उस कानून को पास किया है। एकाउंट्स से भुगतान का सवाल उठा है, उस बारे में हम कदम उठा रहे हैं। सैनिटेशन की अचीवमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। लैंड रिफार्म्स के विषय में बता दिया है। आईडब्ल्यूडीपीएल के बारे में भी बता दिया है, आप सभी उत्तरों से शायद संतुष्ट होंगे।

माननीय सदस्य ने पीएमजीएसवाई के बजट में वृद्धि का सवाल उठाया है। हमने इतना बजट दिया है कि वह पूरा खर्च नहीं हो पाता है। बहुत से सदस्य जो भाषण दे रहे थे, वे सदन से चले गए हैं, उनका नाम जब आएगा, तो मैं बताऊंगा। उद्घाटन का अधिकार दे दिया है और चीफ मिनिस्टर को लिख दिया है। पत्र का प्रावधान पहले से कर दिया है, चिट्ठी भी मिल जाएगी। सांसदों के सुझावों की अवमानना नहीं करनी है। हमने कहा है कि सांसद जो कहेंगे, उनकी बात को मानना है। अगर नहीं मानना है, तो उसका कारण बताना पड़ेगा। एनआरईजीपी से पलायन रुका है। ट्रेक्टर से अगर कहीं काम हो रहा है, तो बताइए। छानबीन करके उचित कार्यवाही की जाएगी।

आग के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था। आग लगने के संबंध में हमने यह देखा कि देश में ऐसे पच्चीस, तीस से चालीस हजार गरीबों के मकान हैं, जबकि देश भर में हम इक्कीस लाख मकान बनाते हैं। कुछ हजार मकान जिनका प्राकृतिक आपदा से, आग लगने से नुकसान हो जाए, तो हमने कलेक्टर को इसके लिए अधिकार दे दिया है कि तुरंत उनका घर बना दो। घर बनाकर उनके लिए इंदिरा आवास मंजूर कर दो, उसे पैसे दे दो और हमसे पैसे वसूल लो। वे नाम भेजते थे, तो इसमें महीना-दो महीना लग जाता था, तब तक गरीब टेंपरेरी मैनेजमेंट कर लेता है। इसीलिए हमने कहा कि इसे तुरंत करो। कुछ लोगों ने इसे लागू किया, जबकि कुछ लोगों की समझ का फेर है, उन्होंने नहीं किया।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): इसमें धारा 4 में जो कहा गया है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उस क्लाज को हटा दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनको जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपने सवाल उठा दिया, तो मैं बताता हूं। महोदय, जब आग लगती है, तो देश भर में यह कानून है कि एक सप्ताह का अनाज, कपड़े के लिए कहीं पांच सौ या बर्तन के लिए एक हजार रुपए राशि तुरंत दी जाती है। कहीं-कहीं इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। इसलिए ऐसा किया गया कि घर के लिए यदि अलग से पैसे न मिले हों, तो उनको हम इंदिरा आवास दे दें। कहीं कन्फ्यूजन है, तो हम उसे स्पष्ट कर देंगे। हमारा पक्का इरादा है और हम उस पर कायम हैं कि अगर घर जले तो तुरंत उसको इंदिरा आवास दें। यह सिर्फ बीपीएल के लिए है, एपीएल के लिए नहीं है। इंदिरा आवास का लाभ केवल बीपीएल को मिल सकता है। इसे हम देखेंगे, अगर उसमें कोई क्लाज है, तो उसे दुरुस्त करेंगे और उस बात पर हम कायम हैं। हमें खुशी है कि माननीय सदस्य रुचि लेते हैं। अगर गरीब का घर जल जाए, तो वहां मुस्तैद होकर तुरंत कलेक्टर से कहा कि तुमने क्यों इंदिरा आवास मंजूर नहीं किया? इसमें देरी होती है, तो इसके लिए अपने यहां के कई कलेक्टरों को हमने स्वयं फोन किया। उनसे कहा कि आपने क्यों कागज नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि कागज नहीं मिला, कागज भेज दिया जाए। इसके बाद वह कागज भी भेज दिया। इसके बाद वह बना कि नहीं, वह भी हम देखेंगे।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

पीने के पानी के संबंध में आप कह रहे थे कि सांसद की अनुशंसा पर हैंडपाइप का प्रावधान हो। आपने भाषण दिया, लेकिन किसी ने मेज भी नहीं थपथपायी। आपने सवाल उठा दिया है, तो हम भी कहेंगे कि माननीय सदस्य की मांग है, इनकी हम कद्र करना चाहते हैं और कद्र करते हैं। बीपीएल के लिए पंचायत भवन की व्यवस्था का काम हो रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भी काम कर रहा है। स्कूल में पानी-पखाने के बारे में मैंने बता दिया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में बता दिया। श्री राम कृपाल यादव चले गए। भारत निर्माण योजना और बंजर भूमि के विकास का हिसाब बता दिया। एसईजेड, बंजर भूमि, नेशनल रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट पालिसी है, एसईजेड का सारा विवाद उससे खत्म हो जागा। रिहैबिलिटेशन बिफोर डिस्प्लेसमेंट उसकी खूबी है। उसमें यह भी है कि वाल्युएंट्री डिस्प्लेसमेंट हो। एक योजना बनती, विकास के लिए दस हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए कोई योजना ही नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि रिहैबिलिटेशन के लिए अलग से योजना हो। जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से रिहैबिलिटेशन की भी योजना बने। इससे डिस्प्लेसमेंट स्वत: होगा, ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है। एनआरईजी के जाब कार्ड नहीं बंटे, क्योंकि इंदिरा आवास में वितरण में गड़बड़ी की बात आयी। वहां अभी दीवार पर सूची टांगी ही नहीं। हमने सन् 2005 में नीतीश कुमार जी को लिखा था कि हम पैसे नहीं देंगे, यदि आप सूची को दीवार पर नहीं टांगेंगे और बीपीएल सूची ठीक नहीं करेंगे। हमें उन्होंने इस संबंध में लिखा और दो महीने का समय मांगा। इसके बाद फिर समय छ: महीने का मांगा, लेकिन वह काम अभी तक नहीं हुआ। वहां हेराफेरी हुयी है, हमारी जानकारी में बातें आ रही हैं।

महोदय, जहां तक वृद्धावस्था पेंशन की बात है, नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम सन् 1995 में शुरू हुआ। इसमें 75 रुपए भारत सरकार और 25 रुपए राज्य सरकार देगी। एक सौ रुपए बीपीएल के लिए दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: आप अभी पांचवें नंबर मेंबर पर आए हैं, चालीस मेंबर्स ने भाषण दिया। राम कृपाल जी पांचवें नंबर पर थे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं अब संक्षेप में कहता हूं। बहुत से लोगों का जवाब हम दे चुके हैं। वृद्धावस्था पेंशन जिसे पहले कहा गया डेस्टीच्यूट, नि:सहाय, उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। जिस बूढ़ा-बूढ़ी ने इधर-उधर घूस दे दी या एमएलए-एमपी से पैरवी करा दी, तो उनको मिल गया। गांव में जो बूढ़ा-बूढ़ी थे, उनको नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: वही असली बात है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बीपीएल सूची के प्रत्येक 65 वर्ष के बूढ़ा-बूढ़ी को अनिवार्य रूप से इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, 19 नवंबर से हमने लागू की है। अब तक यह 87 लाख लोगों को मिलती थी, जो अब एक करोड़ सत्तावन लाख को मिली है। कुछ राज्य इसमें पीछे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसने इसका फार्म ही नहीं भरा है। हम इस काम में लगे हुए हैं। इसमें दो सौ रुपए प्रतिमाह भारत सरकार देगी और हमने राज्य सरकारों से भी कहा है कि दो सौ रुपए आप भी दें, जिससे उन्हें चार सौ रुपए मिलें। उत्तरांचल, तमिलनाडु, राजस्थान और कई राज्यों ने इसे लागू किया, लेकिन कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया। कई राज्य पच्चीस रुपए, पचास रुपए कोई एक सौ रुपए ही इसके लिए दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि हम भाषण देने के लिए बैठे हैं, वे मुझे सुनने के लिए यहां नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं जानना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन को कब तक लागू करेंगे, क्या ऐसी कोई डेट है? हमसे गांव में सब लेग पूछ रहे हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन वह कब लागू होगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वह 19 नवम्बर से लागू है। जो राज्य सरकार फार्म भरकर पैसा नहीं दे रही है। उन्हें भारत सरकार से मिला हुआ पैसा गरीबों को नहीं दे रही है, वे राज्य सरकारे अपमान कर रही हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आपने पैसे भेज दिए हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी हां, भेज दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप वहां जाकर पकड़िए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने 19 नवम्बर से लागू किया है। आप उन्हें पकड़िए कि क्यों नहीं लागू किया। हम माननीय सदस्यों को इसलिए जानकारी दे रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन ने कुछ सवाल उठाए थे, जहां गड़बड़ी है, हेराफेरी है, उन सबको हम ट्रांसपेरैंसी और जनजागरण से दूर करना चाहते हैं।

श्री के.सी. पल्लानी शामी ने तमिलनाडु के बारे में कहा। डा. कलिंगर करूणानिधि नेता और श्री स्टालिन, जो मंत्री है, हरेक ने लिखा है कि जो पैसे दिए गए हैं, वे आपने खर्च नहीं किए हैं। आप और खर्च कीजिए, हम और देंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना देंगे। उन्होंने कहा कि उदारता बरतिए। उदारता नहीं, हम मुस्तैदी

बरत रहे हैं कि तमिलनाडु में अभी अच्छा काम हो। उनका सैल्फ हैल्प ग्रुप का काम अच्छा है, हम देश भर में उसी तरह से काम चाहते हैं। आंगनवाड़ी की मेनटेनैंस, आईएवाई यूनिट कास्ट में वृद्धि, आईटी डैवलपमैंट हम कर रहे हैं। श्री ताहिर खान अभी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुनने के लिए नहीं हैं, जो माननीय सदस्य अभी उपस्थित नहीं हैं, उनके सवालों के जवाब मत दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पैसे देते हैं लेकिन वे खर्च नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम उन्हें मुस्तैद होकर खर्च दे रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार को ज्यादा दे दिया। प्लानिंग कमीशन ने क्राइटीरिया सैट किया है, हम मालिक नहीं हैं कि किस राज्य को कितना मिलेगा, प्लानिंग कमीशन से तय होता है। 75 प्रतिशत वेटेज, जिन राज्यों में जो लोग हाउसलैस हैं और 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वहां जितने लोग हैं, उसी के अनुसार वहां जो तय हुआ और जिस फार्मूले के हिसाब से पैसे आए हैं, उसके हिसाब से बिहार में 2001 जनगणना में जो लिखा गया है और उसमें कहा गया है, उसके हिसाब से यह किया गया है। इस बात को कहना जरूरी है क्योंकि उन्होंने आरोप लगा दिया है। भले ही कहीं किसी दूसरी पार्टी का भी राज हो, लेकिन वह नहीं कह सकते, बीजेपी राज्य के जितने मुख्य मंत्री हैं, वे बताएं कि जब यहां उनका अपना एनडीए का राज था, उसके बदले हम अभी उन्हें उनके राज के मुकाबले में पांच गुना अधिक पैसे दे रहे हैं या नहीं। उन्होंने कह दिया कि बिहार को ज्यादा दे दिया। क्या हम बिहार के बारे में तय करते हैं, हम बिहार के बारे में तय नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलपुर में भेज दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एलीगेशन लगा दिया है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया:

"समानता के लिए राज्य-वार आवंटन निर्धारण के लिए भारत के महापंजियक के कार्यालय द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर किए गए ग्रामीण आवास संबंधी आंकड़ों पर ध्यान दिया गया है। भारत के महापंजियक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास की कमी मात्र 13,24,000 है जबकि बिहार में आवास की कमी 42,10,000 है..."

[हिन्दी]

13 लाख उनकी शार्टेज हैं, रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया सैन्सज में लिखा है, उसमें हमारा कहां कसूर है। हम उसकी संख्या तय नहीं करते। बिहार में 42 लाख लिखा और उस पर 75 प्रतिशत वेटेज है।

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा है:

"इसलिए जहां तक आईएवाई का संबंध है बिहार का हिस्सा उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। 2007-08 के दौरान बिहार का केन्द्रीय आवंटन..."

[हिन्दी]

इसलिए माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। सरकार ने वह कागज छापा है। एनआरईजीपी में पैसा मांगा। हमने राज्यों को दिया लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया। हम बार-बार लिख रहे हैं। मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने कह दिया कि यह फालतू योजना है। मायावती जी, मुख्य मंत्री ने बोल दिया कि यह तो फालतू योजना है, हम प्रधानमंत्री होंगे, हालांकि मौका आएगा या नहीं, कह दिया कि हम कैंसल कर देंगे। इसमें भिखमंगी है, जो पिटीशन पर था, उसे भिखमंगी बोल दिया। अब उसका क्या असर पड़ेगा। मैंने उस राज्य में योजना के अधिकारियों के साथ बैठक की, 70 जिले के सारे आला पदाधिकारी थे। सभी ने कहा कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन दो-तीन महीने में हमारा एक नम्बर का राज हो जायेगा। अब मुख्यमंत्री का उलटा बयान आ जाता है। इसे पोलीटिसाइज करने, कहासुनी और कांट-छांट करने से गरीबों की योजना का बहुत अहित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कोई राज्य नहीं कह सकता कि हमने भेदभाव किया है। हम ज्यादा दे रहे हैं। एनआरईजीपी में कोई राज्य नहीं कह सकता कि हमने जो मांग की, वह हम नहीं दे रहे हैं। हम उन्हें देने के लिए मुस्तैद हैं। श्री ताहिर खान की बातों का हमने उत्तर दे दिया है यह कहा गया कि एमपी का अपमान होता है, हम एमपी का अपमान नहीं होने देंगे। हम सभी एमपीज के साथ हैं। हम किसी से भी मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एमपी खाली शिलान्यास करने जाना चाहते हैं। वे और कुछ नहीं करना चाहते।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री ब्रह्मानंद पांडा ट्राइबल और बार्डर एरिया के बारे में कह रहे थे। हम ट्राइबल के लिए दे रहे हैं। 500 तक की आबादी के गांव को हम दे रहे हैं। आप वहां के गांव या टोले का नाम बताइये। हम सबको सड़क से जोड़ेंगे। आप कहते हैं कि बिहार उड़ीसा 1937 से एक साथ था, इसलिए उड़ीसा के लिए हम मुस्तैद हैं। लेकिन हम पैसे दे रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने पीने के पानी का सवाल उठाया है कि खर्च नहीं हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश में नहीं बिहार में नहीं, हमको किसी न किसी हिसाब से उनको सहायता करनी होती है। श्री चन्द्रकांत खैरे जी ने कहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नौ नम्बर में पहुंचे हैं। अभी 40 मैम्बर्स के नाम और हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं। पब्लिसिटी के बारे में कहा गया कि पब्लिसटी हमारी कमजोरी है। वह कह रहे हैं कि हमारे आफिसर लोग कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे आफिसर्स 24 घंटे मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय में 40 अफसर हैं और 600 जिले हैं। एक आफिसर पर 15 जिले पड़ते हैं लेकिन हमारे अधिकारी गरीबों के प्रति समर्पित और मुस्तैद हैं। वे निष्ठा से काम कर रहे हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। अब पब्लिसिटी में हमारा भरोसा कम है। हमारा काम बोलता है। हर घर में, हर गांव में हमारा काम होगा। हमें अखबार में कोई छापे या न छापे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डा. लोहिया कहते थे कि काम बोलेगा, कागज लिखेगा चाहे नहीं लिखेगा, हमारा गरीब आदमी अखबार भी नहीं पढ़ता है। वह फोटो भी नहीं देखता है। उसके घर में पाखाना, पानी, सड़क बिजली आदि सभी होंगे। हमारा काम बोलेगा लेकिन पब्लिसिटी का युग है। हमने कहा है कि उसमें भी सुधार हो। अब कहा जाता है कि राज्यों में खर्च नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि रिपोर्ट पुरानी है। हम 31 मार्च तक देखते हैं लेकिन कुछ राज्यों में जब तक खर्च का हिसाब नहीं होता तब तक वह खर्चे नहीं लिखा जाता। पंचायत में पैसा चला गया और वहां से जब तक हिसाब नहीं आता तब तक वह खर्चे में नहीं लिखा जाता, इसलिए लगता है कि पैसा खर्च नहीं हुआ। अब ऐसी बात नहीं है। पीएमजीएसवाई के उद्घाटन का भाषण कर दिया। एनआरईजीपी के कार्य और बारहवें वित्त आयोग का भी हिसाब हमने बता दिया। टीएसई में एपीएल को आप पैसा देने के लिए कहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने एपीएल को भी दिया है, भले ही राज्य सरकारें दें, लेकिन आपने सवाल उठाया है, इसलिए हम इसे भी देखेंगे। श्री प्रभुनाथ सिंह सदन से चले गये हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनके प्रश्न का जवाब नहीं देना है। आप श्री प्रबोध पांडा के प्रश्न का जवाब दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री प्रबोध पांडा जी ने बीपीएल की सूची में ...*(व्यवधान)* कमेटी बैठ गयी। अब बजट का जवाब दे दिया, मिनिमम वेजेज का हमने जवाब दे दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लक्ष्मण सिंह के प्रश्न का जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रकांत जी, आपका जवाब हो गया है। आधा घंटे की जगह इस तरह घंटा लग जायेगा।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: भूमि सुधार का जवाब हमने दे दिया। एसजीएसवाई, भूमि का अधिग्रहण, आईडब्ल्यूडीपी सभी का जवाब हमने दे दिया है। श्री सुभाष महरिया सदन में नहीं हैं इसलिए मैं उनके प्रश्न को छोड़ देता हूं। श्री जयप्रकाश और पोन्नुस्वामी जी सदन में मौजूद नहीं हैं। श्री लक्ष्मण सिंह सदन में मौजूद हैं, इसलिए मैं उनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। एआरडब्ल्यूएसपी, आईआरडीपी और इंदिरा आवास में कुछ राज्य पीछे हैं। पीएमजीएसवाई का जवाब हम पहले दे चुके हैं। तुषार चौधरी जी के प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। ...*(व्यवधान)* श्री अबु अयीश मंडल जी सदन में मौजूद हैं। उनके प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं। इलियाज आजमी जी सदन में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आजमी जी, सदन में नहीं हैं इसलिए आप आगे चलिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री निहाल चंद सदन में नहीं हैं। मानवेन्द्र सिंह जी राधा-कृष्ण जी की भूमिका के बारे में सवाल उठाते रहते हैं। इनके सब प्रश्न का हमने उत्तर दे दिया है। ...*(व्यवधान)* इन्होंने स्कूल का सवाल उठाया था। वह जवाब हमने दे दिया है। यह ड्रिंकिंग वाटर का सवाल उठाते रहते हैं। उनका मथुरा में पीने के पानी का सवाल है। वहां खारा पानी है इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां पानी का इंतजाम हो जाये। पीएमजीएसवाई में क्वांटिटी और मानीटरिंग का सवाल जो माननीय सदस्यों ने उठाया है, लगभग 24 बैठकें 12 महीने में होनी चाहिए जिसमें अभी ...*(व्यवधान)* कहीं-कहीं स्टेट लैवल पर बैठकें नहीं

होती हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा में लगभग साढ़े आठ घंटे का समय हो गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सीताराम सिंह जी, चन्द्रभूषण सिंह जी और प्रो. महादेवराव शिवनकर जी नहीं हैं। रविचन्द्रन जी चले गए हैं। बैंकों के सहयोग के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, हमें बैंकों का सहयोग अवश्य चाहिए। श्रीमती करुणा शुक्ला जी नहीं। श्री तंगबालु जी ने कहा है कि मजदूरी कम है, पेयजल की कमी, एआईजीएसवाई, पीएमजीएसवाई के बारे में जो कहा है, उसको हम मान्य करते हैं। श्री मुंशीराम जी ने छोटे-छोटे टोलों में सड़क निर्माण की बात कही है, उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। शौचालय निर्माण पर पैसा बढ़ाने पर विचार हम कर रहे हैं। श्रीमती सुजाता ने पीएमजीएसवाई में चौड़ाई कम करने की बात कह रही हैं, हम उनको कम कर देंगे और केरल को हम मदद देंगे। ...*(व्यवधान)* प्रसन्न आचार्य जी ने भू-अर्जन में पैसे के बारे में कहा है। पीएमजीएसवाई में राज्य सरकार भू-अर्जन करती है, यह उनकी जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें कोई रुचि नहीं।

[हिन्दी]

वे चले गए हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री रामदास आठवले ने हमें समर्थन दिया है और कहा है कि इन कामों को मजबूती से कीजिए। श्री गणेश सिंह, डा. राम लखन सिंह और श्री बी.के. देव जी चले गए हैं। डा. वल्लभभाई कथीरिया ने पानी के बारे में कहा था, वे भी सदन से चले गए हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। हमें पूरा विश्वास है कि जितनी रुचि है लोगों की, तमन्ना और मजबूत इरादा है, उससे वर्ष 2015 तक देश से बेरोजगारी, गरीबी हटेगी, गांवों का विकास होगा और वर्ष 2020 तक हिंदुस्तान को दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में जाने से कोई रोक नहीं सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं और जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, अगर वे बाद में भी पूछेंगे तो हम उन्हें लिखित उत्तर भेज देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार मानते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

ग्रामीण विकास जिन्दाबाद। ग्रामीण समृद्धि जिन्दाबाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखूंगा:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80 से 82 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा 24 अप्रैल, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.58 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 24 अप्रैल, 2008/4 वैशाख 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री रनेन बर्मन श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	421
2.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	422
3.	श्री भर्तृहरि महताब श्री गिरधारी लाल भार्गव	423
4.	श्री के.एस. राव	424
5.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	425
6.	श्री पी.सी. गद्दीगठडर श्री ए. साई प्रताप	426
7.	श्री एल. राजगोपाल	427
8.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	428
9.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री अधीर चौधरी	429
10.	डा. के.एस. मनोज	430
11.	श्री दलपत सिंह परस्ते श्री सुग्रीव सिंह	431
12.	श्रीमती जयाप्रदा श्री उदय सिंह	432
13.	श्री सूरज सिंह श्री गणेश सिंह	433
14.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री वी.के. दुम्मर	434
15.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री नन्द कुमार साय	435
16.	श्री एन.एन. कृष्णदास	436
17.	श्री रामदास अठावले	437
18.	श्री जे.एम. सिद्दीश्वर	438
19.	श्री मधु गौड यास्खी श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	439
20.	श्री रायापति सांबासिवा राव	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4262, 4300, 4320, 4331
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	4224
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4200, 4256
4.	अठावले, श्री रामदास	4255, 4298, 4322, 4326
5.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	4224
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4231, 4336
7.	बर्मन, श्री हितेन	4272
8.	बर्मन, श्री रनेन	4252, 4299
9.	भगोरा, श्री महावीर	4182, 4257, 4310
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	4221, 4271, 4304, 4329
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4207, 4258, 4297
12.	बोस, श्री सुब्रत	4222, 4272
13.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4229
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	4227
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4226, 4276, 4307
16.	चारेनामै, श्री मणि	4197
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4234
18.	चिन्ता मोहन, डा.	4266
19.	धनराजू, डा. के.	4205, 4282, 4312
20.	दूबे, श्री रमेश	4181
21.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	4207, 4260, 4279, 4323
22.	गांधी, श्रीमती मेनका	4230, 4278, 4308, 4337

1	2	3
23.	गंगवार, श्री संतोष	4199, 4287
24.	गाव, श्री तापिर	4335
25.	गेहलोत, श्री धावरचन्द	4189, 4263
26.	गोहेन, श्री राजेन	4212
27.	हसंन, चौ. मुनव्वर	4225
28.	जयाप्रदा, श्रीमती	4283, 4313
29.	जिन्दल, श्री नवीन	4196, 4231, 4277
30.	जोगी, श्री अजीत	4262, 4329
31.	जोशी, श्री प्रहलाद	4332
32.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4188, 4251, 4295
33.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4246, 4292, 4317, 4325
34.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4201, 4207, 4258
35.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	4220
36.	कृष्ण, श्री विजय	4207, 4245, 4262, 4291, 4316
37.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	4315
38.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	4228
39.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4290, 4244
40.	महरिया, श्री सुभाष	4220
41.	महतो, श्री नरहरि	4223
42.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4207, 4325
43.	माझी, श्री परसुराम	4193
44.	मंडल, श्री सनत कुमार	4180
45.	मनोज, डा. के.एस.	4264
46.	मसूद, श्री रशीद	4242
47.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	4204
48.	मिडियम, डा. बाबू राव	4184, 4288
49.	मेघवाल, श्री कैलाश	4208, 4273
50.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4202
51.	मैन्या, डा. टोकचोम	4237
52.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4215
53.	मंडल, श्री अबु अयीश	4240, 4288
54.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4204, 4218
55.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4219
56.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4217
57.	निखिल कुमार, श्री	4213, 4283, 4285, 4313, 4331
58.	ओराम, श्री जुएल	4241
59.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4203, 4281, 4311, 4324, 4328
60.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	4198
61.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4206
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4248
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4267
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4268, 4301
65.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4211
66.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	4187, 4259
67.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4330
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4191
69.	राजगोपाल, श्री एल.	4261
70.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4186, 4270
71.	राणा, श्री काशीराम	4275
72.	राव, श्री के.एस.	4250, 4294
73.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4286, 4314
74.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4183, 4254, 4303, 4321

1	2	3
75.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4232
76.	साय, श्री नन्द कुमार	4268, 4301, 4333
77.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4204, 4207, 4210, 4269, 4333, 4334
78.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	4239, 4284, 4302
79.	सेन, श्रीमती मिनाती	4320
80.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4218
81.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4262, 4300, 4320, 4331
82.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4249, 4293, 4319, 4327
83.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	4243
84.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4190
85.	सिंह, श्री दुष्यंत	4238
86.	सिंह श्री गणेश	4247, 4302
87.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4232, 4233, 4289
88.	सिंह, श्री राकेश	4209, 4274, 4302, 4305, 4315
89.	सिंह, श्री रेवती रमन	4236, 4280, 4325
90.	सिंह, श्री सुग्रीव	4268, 4301
91.	सिंह, श्री सूरज	4266
92.	सिंह, श्री उदय	4265
93.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4195, 4224, 4253, 4296, 4318
94.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4185, 4309
95.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	4194
96.	थामस, श्री पी.सी.	4216
97.	दुम्मर, श्री वी.के.	4267, 4275, 4306
98.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4235
99.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4224, 4234, 4306
100.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4262, 4300, 4320, 4331
101.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4207, 4260, 4279, 4323
102.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4192
103.	यादव, श्री गिरिधारी	4188
104.	यास्खी, श्री मधु गौड	4207, 4260, 4279, 4323
105.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4214

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	433
कोयला	:	421, 425, 437
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	428, 429, 439
विदेश	:	435
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	422, 426, 430, 431, 432, 436
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	427
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	424
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	423, 434, 438, 440
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	4252, 4337
कोयला	:	4222, 4223, 4268, 4283, 4299
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	4247, 4288
पर्यावरण और वन	:	4183, 4184, 4185, 4197, 4221, 4224, 4225, 4226, 4230, 4231, 4239, 4244, 4249, 4264, 4284, 4285, 4293, 4296, 4300, 4305, 4306, 4308, 4317
विदेश	:	4195, 4213, 4235, 4237, 4253, 4265, 4294, 4311, 4318, 4326, 4328

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4181, 4182, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4196, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4207, 4214, 4215, 4218, 4227, 4234, 4236, 4241, 4242, 4243, 4246, 4248, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4261, 4262, 4263, 4267, 4269, 4273, 4274, 4277, 4278, 4279, 4289, 4291, 4292, 4298, 4301, 4310, 4314, 4315, 4316, 4321, 4322, 4323, 4325, 4331, 4332, 4333, 4334, 4336
प्रवासी भारतीय कार्य	:	4180, 4240, 4281, 4297, 4304, 4307, 4309, 4329
पंचायती राज	:	4193, 4200, 4208, 4228, 4290, 4312
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	4199, 4319, 4335
योजना	:	4206, 4210, 4211, 4245, 4250, 4266, 4287, 4320
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	4192, 4194, 4198, 4209, 4212, 4217, 4219, 4220, 4229, 4232, 4238, 4251, 4259, 4270, 4272, 4275, 4276, 4280, 4286, 4295, 4302, 4303, 4313, 4324
अंतरिक्ष	:	4186, 4216, 4282
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	4271, 4330
युवक कार्यक्रम और खेल	:	4233, 4327.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.–48/34/22/2008 (1930 शक) (एन०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।